पंचदश माला, खंड 30, अंक 13

मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2012
20 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 87
Dated 30 Sept. 2015

(खण्ड 30 में अंक 10 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

11 दिसम्बर 2012

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

सुनीता उपाध्याय
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

हंसराज
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

पंचदश माला, खंड 30, बारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)

अंक 13, मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2012/20 अग्रहायण, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 241	2-4
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 242 से 260	4-144
अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990	144-754
सभा पटल पर रखे गए पत्र	755-760
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेरी और मात्स्यिकी विभाग से संबंधित 'पशुपालन क्षेत्र की रोज़गार सृजन संभावना का ईष्टमतीकरण' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डॉ. चरण दास महन्त	760-761
(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
प्रो. के.वी. थॉमस	761-762
(तीन) (क) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	
(ख) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित उत्तर-पूर्व हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का पुनरुद्धार और पुनर्गठन के बारे में उद्योग संबंधी समिति के 223वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पणियों के संबंध में समिति के 231वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	
श्री पबन सिंह घाटोवार	762-763

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

सदस्यों द्वारा निवेदन

वालमार्ट द्वारा कथित लॉबिंग के बारे में........ 763–769 और 780–792

नियम 377 के अधीन मामले........ 769–779

(एक) पश्चिम बंगाल में भूमि हड़पने वाले माफियाओं द्वारा पीड़ित लोगों की शिकायतों का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस........ 769–770

(दो) देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लाभार्थियों को आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. के. राघवन........ 770–771

(तीन) अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहने वाले लोगों के कल्याण को देखते हुए वन और कृषि भूमि के अधिग्रहण को संबंधित विधियों का संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे........ 771

(चार) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री पन्ना लाल पुनिया........ 771–772

(पांच) महाराष्ट्र के पुणे शहर में वनाज-रामवाडी मेट्रो कोरिडोर के लिए केन्द्रीय सरकार का हिस्सा जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश कलमाड़ी........ 772–773

(छह) तमिलनाडु के कांचीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपारों पर चौकीदारों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. विश्वनाथन........ 773

(सात) महाराष्ट्र के दिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल टेलीफोन सेवा में सुधार किए जाने को आवश्यकता

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण........ 773–774

विषय	कॉलम
(आठ) झारखंड में सेंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तेनुघाट बांध से पेयजल प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय............	774
(नौ) उत्तर प्रदेश के चंदौली मझवार रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम किशुन............	774-775
(दस) उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कृषक संघर्ष के नायक तथा सामाजिक सुधारक मदारी पासी के सम्मान में एक स्मारक स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक कुमार रावत............	775-776
(ग्यारह) बिहार के सहरसा जिले के कारू खिरहर-मंदिर के आस-पास के क्षेत्रों को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री दिनेश चंद्र यादव............	776-777
(बारह) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ पर लगाए गए प्रस्तावित प्रतिबंध को हटाए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
प्रो. सौगत राय............	777
(तेरह) बेंगलुरू और नागरकोयल के बीच प्रतिदिन ट्रेन चलाए जाने तथा साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 16537/16538 को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जे. हेलन डेविडसन............	777-778
(चौदह) ओडिशा के भुवेनश्वर में बीजू पटनायक विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी............	778-779
(पंद्रह) दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत खड़गपुर-मिदनापुर खंड पर खनसाई रेलवे स्टेशन को हाल्ट स्टेशन घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रबोध पांडा............	779

विषय	कॉलम
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	793-794
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	794-804
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	805-806
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	805-808

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2012/20 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैंने नोटिस दिया था।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.0¼ बजे

इस समय श्री रमाशंकर राजभर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

इस समय श्री शेख सैदुल हक और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब हम प्रश्नकाल शुरू करें। मैं आपको शून्य काल में मौका दूंगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापस चले जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप अपनी सीट्स पर वापिस जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: क्वैश्चन आवर चलाने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्नकाल चलने दें। मैं आपको शून्यकाल में बोलने का अवसर दूंगी। कृपया अपने स्थान पर वापस चले जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापस चले जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: वापिस जाइए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 241, श्री आर. थामराईसेलवन।

गेहूं का निर्यात

***241. +श्री आर. थामराईसेलवन:**
श्री प्रदीप माझी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलेशिया सहित कुछ देशों ने भारत से गेहूं आयात में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में यदि कोई बातचीत हुई है तो उसका परिणाम क्या रहा तथा इसके लिए क्या न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष के दौरान निर्यात हेतु गेहूं की अतिरिक्त मात्रा नियत करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्यात हेतु गेहूं की कितनी मात्रा नियत किए जाने का विचार है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसकी कितनी मात्रा नियत की गई तथा वास्तव में कितनी मात्रा निर्यात की गई और खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत घरेलू बाजार में कितनी मात्रा जारी की गई; और

(ङ) उक्त निर्यात का घरेलू उपलब्धता और देश में गेहूं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) मलेशिया सहित किसी भी देश से भारत से गेहूं का आयात करने के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार दर सरकार आधार पर ईरान को गेहूं का निर्यात करने का प्रस्ताव है। इसके लिए ईरानी प्राधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उन्हें किस प्रकार के गेहूं की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) सरकार ने 3-7-2012 को वाणिज्य विभाग के केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात् राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट्स कारपोरेशन के जरिए भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीय पूल के स्टाक में से 20 लाख टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी है। 6-12-2012 की स्थिति के अनुसार 17.30 लाख टन गेहूं के निर्यात के लिए निविदाओं को मंजूरी दी गई है जिसमें से 8.06 लाख टन गेहूं भेज दिया गया है। इसके अलावा, 25 लाख टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा के निर्यात का प्रस्ताव विचाराधीन है। सरकार ने पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन घरेलू बाजार में गेहूं की निम्नलिखित मात्रा रिलीज करने हेतु आवंटित की है:

क्र.सं.	अवधि	मात्रा लाख टन में
1.	अक्तूबर 2009-दिसम्बर 2010	35
2.	जनवरी 2011-सितम्बर 2011	25
3.	अक्तूबर 2011-दिसम्बर 2012	25.5
4.	जुलाई 2012-मार्च 2013	30
5.	नवम्बर 2012-मार्च 2013	70

(ङ) केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की स्थिति बेहतर है। इस प्रकार, इन निर्यातों से गेहूं की घरेलू उपलब्धता/मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मेगा फूड पार्क्स

[अनुवाद]

***242. श्री भक्त चरण दासः**
श्री ए.के.एस. विजयनः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फलों और सब्जियों के भण्डारण और प्रसंस्करण हेतु चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में मेगा फूड पार्क्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(घ) क्या सरकार ने देश में मेगा फूड पार्क योजना की समीक्षा करने हेतु कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है और यदि हां तो उक्त समिति की संरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) देश में फलों और सब्जियों के भण्डारण एवं प्रसंस्करण हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाएं निम्नानुसार हैं:-

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खेत से लेकर उपभोक्ता तक सतत एकीकृत एवं सम्पूर्ण शीतश्रृंखला तथा परिरक्षण अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश में **शीतश्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम** कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत, प्रति परियोजना संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा दुर्गम क्षेत्रों (सिक्किम और जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र) में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता (अनुदान सहायता) उपलब्ध कराई जाती है।

फलों और सब्जियों सहित कृषि उपज के प्रसंस्करण हेतु नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और मौजूदा यूनिटों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन एवं विस्तार हेतु **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम** कार्यान्वित की जाती है। स्कीम में उद्यमियों को प्रति परियोजना/यूनिट संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधितकम 75.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की अनुदान सहायता के रूप में परिकल्पना की गई है। परन्तु यह स्कीम राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के एक घटक के रूप में शामिल की गई है और 01-04-2012 से राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के सृजन के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही मेगा फूड पार्क्स स्कीम का भी फलों एवं सब्जियों के लिए भण्डारण एवं प्रसंस्करण घटक है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भी शीत भंडारण सुविधाओं के सृजन एवं आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एम.एच.एम.)** और **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.)** स्कीमें तथा **पूर्वोत्तर एवं हिमालयीन राज्य बागवानी मिशन (एच.एम.एन.ई.एच.)** का कार्यान्वियन कर रहा है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई एन.एच.एम. स्कीम के अंतर्गत, फलों एवं सब्जियों आदि के भंडारण सहित बागवानी से जुड़े विभिन्न कार्यकलापों जैसे विबपणन अवसंरचना तथा फसलोत्तर प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। शीतागार सहित फसलोत्तर प्रबंधन के विकास हेतु परियोजना की पूंजी लागत की (सामान्य क्षेत्रों के लिए) 40% दर से और (पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए) 55% दर से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के उद्यमों के लिए सब्सिडी उपलब्ध है। निजी क्षेत्र के लिए सब्सिडी क्रेडिट लिंक्ड और बैकएण्डिड है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड पात्र संगठनों के प्रति आवेदक अधिकतम 5000 मीट्रिक टन क्षमता के शीतागारों/नियंत्रित वातावरण शीतागार के सृजन/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए परियोजना लागत की सामान्य क्षेत्रों में 40% की दर से और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 55% की दर से बैकएण्डिड पूंजी निवेश सब्सिडी उपलब्ध कराता है। स्कीम मांग आधारित है और देशभर में कार्यान्वित की जा रही है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई एन.एच.एम. स्कीम के अंतर्गत, फलों एवं सब्जियों आदि के भंडारण सहित बागवानी से जुड़े विभिन्न कार्यकलापों जैसे विपणन अवसंरचना तथा फसलोत्तर प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना के विकास हेतु, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के उद्यमों के लिए परियोजना की पूंजी लागत की 55% सब्सिडी उपलब्ध है। निजी क्षेत्र के लिए सब्सिडी क्रेडिट लिंक्ड और बैकएण्डिड है।

(ख) और (ग) सरकार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु 11वीं योजना से खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना विकास स्कीम: मेगा खाद्य पार्कों का कार्यान्वयन कर रही है। स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य खेत से लेकर बाजार तक आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है। स्कीम में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण तथा हब एवं स्पॉक

मॉडल जिसमें खेत समीपस्थ सुविधाएं जैसे एकत्रण केन्द्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र (पी.पी.सी.) और एक केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (सी.पी.सी.) शामिल हैं, की परिकल्पना की गई है। परियोजनाएं एस.पी.वी. द्वारा कार्यान्वित की जाती है। एस.पी.वी. में कम से कम 3 सदस्य शामिल होते हैं जिनमें से एक खाद्य प्रसंस्करणकर्ता को सदस्य बनाना होता है। स्कीम के अंतर्गत, पात्र परियोजना लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रति परियोजना दी जाती है। देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाने हेतु 30 मेगा खाद्य पार्कों का अनुमोदन दिया गया है। 30 मेगा खाद्य पार्कों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी नहीं, महोदया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित राज्यवार 30 मेगा खाद्य पार्क

क्र. सं.	राज्य	स्थल	लाभार्थी/कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकार्य अनुदान की राशि (करोड़ रु.)	अनुमोदन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	चितूर	स्रीनी फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	अंतिम अनुमोदन
2.	आन्ध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	मैसर्स गोदावरी मेगा एक्वा पार्क प्रा. लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
3.	असम	नलबाड़ी	नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क लि.	50.00	अंतिम अनुमोदन
4.	बिहार	भागलपुर	मैसर्स केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लि.	50.00	अंतिम अनुमोदन
5.	बिहार	खगड़िया	मैसर्स प्रिस्टीन लोजिस्टिस एण्ड इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
6.	छत्तीसगढ़	रायपुर	मैसर्स सिंधु फार्म्स मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
7.	छत्तीसगढ़	रायपुर	मैसर्स छतीसगढ़ एग्रो मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
8.	गुजरात	बड़ोदरा	मैसर्स अनिल मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	अंतिम अनुमोदन
9.	गुजरात	सूरत	मैसर्स गुजरात एग्रो इंफ्राट्रक्चर मेगा फूड पार्क	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
10.	हरियाणा	सिरसा	मैसर्स सोमा न्यू टाउन्स (प्रा.) लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
11.	हिमाचल प्रदेश	ऊना	मैसर्स पोलियान मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
12.	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा	मैसर्स ग्रीन्स फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन

1	2	3	4	5	6
13.	झारखंड	रांची	झारखंड मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	अंतिम अनुमोदन
14.	कर्नाटक	टुमकुर	मैसर्स इंटेग्रेटेड फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	अंतिम अनुमोदन
15.	मध्य प्रदेश	खरगौन	मैसर्स खरगौन मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	अंतिम अनुमोदन
16.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	मैसर्स पाइथन मेगा फूड पार्क लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
17.	महाराष्ट्र	सतारा	मैसर्स सतारा मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
18.	ओडिशा	रायागढ़	मैसर्स मित्स मेगा फूड पार्क लि.	50.00	अंतिम अनुमोदन
19.	ओडिशा	गंजम	मैसर्स ह्यूमा कोस्टल मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
20.	पंजाब	फिरोजपुर	मैसर्स इंटरनेशनल फ्रेश फार्म प्रोडक्टस (इंडिया) लि.	50.00	अंतिम अनुमोदन
21.	पुदुचेरी	अभिषेकपक्कम	मैसर्स गोयनका इंफ्रास्टक्चर प्रा. लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
22.	राजस्थान	अजमेर	मैसर्स ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
23.	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	मैसर्स हिमालियन ऑरगेनिक मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
24.	तमिल नाडु	धर्मपुरी	तमिलनाडु मेगा फूड पार्क लि.	50.00	अंतिम अनुमोदन
25.	त्रिपुरा	अगरतला	मैसर्स सिकारिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	50.00	अंतिम अनुमोदन
26.	उत्तराखंड	हरिद्वार	पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क लि.	50.00	अंतिम अनुमोदन
27.	उत्तराखंड	ऊधमसिंह नगर	मैसर्स हिमालियन मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
28.	उत्तर प्रदेश	जगदीशपुर	मैसर्स शक्तिमान मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन
29.	पश्चिम बंगाल	जांगीपुर	जांगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	अंतिम अनुमोदन
30.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	मैसर्स बंगाल मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	50.00	सैद्धांतिक अनुमोदन

सरकारी विज्ञापन

***243. श्री दारा सिंह चौहानः**
श्री अशोक कुमार रावतः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के समाचारपत्रों/पत्रिकाओं तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी करने/प्रचार अभियान के संबंध में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा किन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए गए विज्ञापनों और प्रचार अभियानों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विशेषकर मीडिया में प्रौद्योगिकीय प्रगति और अद्यतन प्रवृत्ति के आलोक में सरकार और इसके विभागों की मीडिया/प्रचार संबंधी

रणनीति की समीक्षा की गई है अथवा इसकी समीक्षा किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों संबंधी व्यय को युक्तियुक्त बनाने का है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं तथा अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) सरकार की नोडल विज्ञापन एजेंसी होने के कारण विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्तशासी संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) की विज्ञापन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

विज्ञापन जारी करने/प्रचार अभियान चलाने में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) द्वारा अनुसरित मापदंड निम्नलिखित नीतियों/दिशा-निर्देशों द्वारा अभिशासित होते हैं:-

(i) प्रिंट विज्ञापन नीति

(ii) केबल एवं सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश

प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन नीति की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- ग्राहक मंत्रालय विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित की जाने वाली विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेते हैं और तदनुसार डी.ए.वी.पी. को सूचित करते हैं तथा ऐसे विज्ञापन जारी करने के लिए डी.ए.वी.पी. को निधियां/बजट मुहैया कराते हैं।
- अभिप्रेत संदेश, उपलब्ध बजट, लक्षित पाठकगण/दर्शकगण तथा ग्राहक की अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डी.ए.वी.पी. मीडिया संबंधी योजनाएं तैयार करता है तथा उन्हें ग्राहक के अनुमोदनार्थ मुहैया कराता है।
- ग्राहक मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात डी.ए.वी.पी. ऐसे विज्ञापनों को जारी करता है।
- विज्ञापन जारी करने के लिए समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का चयन करते समय डी.ए.वी.पी. निम्नलिखित निर्धारण का अनुसरण करता है कि प्रदर्शन (डिस्प्ले) विज्ञापनों के लिए आबंटित बजट को निम्नानुसार व्यय किया जाए:-

लघु श्रेणी	15%
मध्यम श्रेणी	35%
बड़ी श्रेणी	50%
हिन्दी समाचारपत्र	35%
अंग्रेजी समाचारपत्र	30%
अन्य भाषाएं	35%

- समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का चयन संबंधित समाचारपत्र/पत्रिका द्वारा प्रदत्त बजट के भीतर लक्षित पाठकगण तक अभिप्रेत संदेश पहुंचाने में उसकी कारगरता पर निर्भर करता है।

केबल एवं सैटेलाइट टीवी चैनलों को सरकारी विज्ञापन जारी करने के संबंध में नीतिगत दिशा-निर्देशों की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- चैनल-समूहों के लिए वार्षिक विज्ञापन बजट पर समूह-वार उच्चतम सीमाएं।
- वार्षिक बजट आबंटन का 40% भाग क्षेत्रीय चैनलों को उद्दिष्ट किया जाना।
- किसी भी प्रकार की शैली या विषय के, समाचार या सामान्य मनोरंजन श्रेणी (जी.ई.सी.) के सभी चैनलों के लिए 23,000/- रु. की प्रति-रेटिंग-प्वाइंट समान लागत (सी.पी.आर.पी.)।
- टेलीविज़न अभियान में व्यवसाय का आबंटन चैनल के दर्शकों की संख्या, लक्षित दर्शकगण तथा ग्राहक मंत्रालय के बजट के आधार पर किया जाता है।
- रेडियो अभियानों में मीडिया सूची श्रोताओं की संख्या, लक्षित राज्यों/शहरों/कस्बों, बजट व ग्राहक संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की जाती है। अभियान की गहनता उपलब्ध बजट पर निर्भर करती है।
- डिजिटल सिनेमा अभियानों में किसी एजेंसी की व्यवसाय संबंधी हिस्सेदारी उस एजेंसी द्वारा सेवाप्रदत्त थिएटरों के अनुपात में होती है।
- किसी वैबसाइट के संबंध में मीडिया संबंधी योजना उस वैबसाइट के प्रति माह विज़िटर्स के आधार पर तैयार की जाती है।
- सामुदायिक रेडियो में स्टेशनों का चयन ग्राहक मंत्रालयों द्वारा दर्शायी गई आवश्यकता के अनुसार अथवा अभियान-विशेष में लक्षित श्रोतागण के आधार पर किया जाता है।

(ख) व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। मीडिया के नए साधनों/माध्यमों यथा वैबसाइट, डिजिटल सिनेमा, एस.एम.एस. एवं सामुदायिक रेडियो का उपयोग विज्ञापन व प्रचार संबंधी कार्यों के लिए किया जा रहा है।

वैबसाइट-डी.ए.वी.पी. ने वैबसाइटों के विज्ञापनों के संबंध में प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। वैबसाइटों के प्रयोक्ताओं की संख्या तथा कॉमस्कोर मापनों के आधार पर वैबसाइटों का क, ख एवं ग श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। किसी एक श्रेणी के लिए एक ही कंपनी की दो से अधिक वैबसाइटों का चयन नहीं किया जा सकता है।

डिजिटल सिनेमा-छह थिएटर एजेंसियों को पैनल में शामिल किया गया है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 4500 थिएटरों को इस समय सरकारी विज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं।

एस.एम.एस.-डी.ए.वी.पी. ने नए मीडिया माध्यमों/साधनों का मूल्यांकन करने के लिए बड़ी संख्या में एस.एम.एस. करने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। स्वास्थ्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आयकर विभाग जैसे मंत्रालयों/विभागों के लिए लगभग 10 करोड़ एस.एम.एस. का प्रयोग करके दस अभियान शुरू किए गए हैं। अभी तक, विभिन्न विभागों की विभिन्न स्कीमों के लिए 100 करोड़ रु. से अधिक एस.एम.एस. भेजे गए हैं।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सी.आर.एस.)-पैनलबद्ध सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। भारत निर्माण और उपभोक्ता जागृति जैसे बड़े सरकारी अभियानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर प्रसारित किया जा रहा है।

(ङ) डी.ए.वी.पी. सरकार की नोडल विज्ञापन एजेंसी है। वह विभिन्न ग्राहक मंत्रालयों की विज्ञापन व प्रचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मीडिया संबंधी योजनाओं को लक्षित पाठकगण/दर्शकगण ग्राहक की आवश्यकता, उपलब्ध बजट आदि के अनुसार युक्तिगसंगत तरीके से तैयार किया जाता है।

विवरण

डी.ए.वी.पी. द्वारा समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों व प्रचार अभियानों पर गत तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय

(करोड़ रुपए)

वर्ष	प्रिंट समाचारपत्र/पत्रिकाएं	श्रव्य-दृश्य	बाह्य प्रचार	प्रदर्शनी	प्रिंट-प्रचार
2009-10	304.80	229	20.59	1.36	6.83
2010-11	356.64	216	30.85	2.57	10.13
2011-12	375.31	155	44.31	3.10	12.06

संकर चावल की खेती

***244. श्री सी. शिवासामी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खेती के लिए उपयुक्त संकर चावल की अनेक किस्में विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी संकर किस्मों की उत्पादकता क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में चावल की खेती में वृद्धि करने हेतु कोई नई योजनाएं बनाई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में चावल की खेती को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां। देश में संकर चावल की कई किस्में विकसित की गई हैं।

(ख) भारत सरकार ने अब तक 59 संकर किस्मों को अधिसूचित किया है जिसमें से 31 किस्मों को सार्वजनिक संस्थानों तथा 28 किस्मों को निजी कंपनियों द्वारा विकसित किया गया है। इन संकर किस्मों की संभावित उत्पादकता औसतन 6-7 टन/हैक्टेयर सहित 8 टन प्रति हैक्टेयर तक पाई गई है।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

(एन.एफ.एस.एम.), चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-चावल) तथा पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रांति लाना (बी.जी.आर.ई.आई.) जैसी नई योजनाएं प्रारंभ की हैं ताकि उन्नत किस्मों और संकरों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए एन.एफ.एस.एम. तथा गैर एन.एफ.एस.एम. जिलों में क्रमशः चावल उत्पादकता बढ़ाकर चावल की खेती को प्रोत्साहित किया जा सके।

(घ) देश के 24 राज्यों के 210 चिन्हांकित जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल (एन.एफ.एस.एम.-चावल) को क्रियान्वित किया जा रहा है। चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत उत्पादन प्रक्रियाएं, चावल सघनीकरण प्रणाली (एस.आर.आई.), संकर चावल प्रौद्योगिकी, चूने का अनुप्रयोग तथा समेकित कीट प्रबंधन, यंत्रीकरण और बीज प्रतिस्थापन इत्यादि प्रमुख उपाय उपयोग में लाए जा रहे हैं। किसानों को संकर धान और अन्य उन्नत किस्मों के गुणवत्ता वाले बीज प्रदान किए जा रहे हैं। "पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रांति लाना (बी.जी.आर.ई.आई.)" योजना के तहत 07 पूर्वी राज्यों क्रमशः असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों के खेतों में बुनियादी सुविधाओं के अलावा समूह में उन्नत किस्मों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एस.ए.यू.), विभिन्न परिस्थितियों में उत्पादकता बढाने के लिए अलग-अलग कृषि पारिस्थितिकी तथा दबाव (स्ट्रैस) वाली दशाओं के लिए उपयुक्त धान की किस्मों तथा प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं। देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान 104 चावल की किस्मों तथा 26 नये संकरों को जारी किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय समन्वित परियोजना केन्द्रों द्वारा अग्र-पंक्ति प्रदर्शन के अलावा देश के 630 जिलों में स्थापित केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) भी क्षेत्र विशिष्ट फसल प्रणालियों के अनुरूप चावल उगाने की उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन का कार्य कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय, पूर्वी भारत में किसानों के खेतों में तकनीकी-जानकारी प्रदान कर, पूर्वी भारत में चावल उत्पादन बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रांति लाने में भी सहयोग दे रहे हैं। यह कार्य केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई.), कटक द्वारा समन्वित किया जाता है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा ढांचा

***245. श्री पी. कुमारः**
श्री नित्यानंद प्रधानः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा ढांचे की कोई समीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में नक्सल-विरोधी कार्रवाई हेतु सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या व्यापक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की आवधिक समीक्षा करती है। ऐसी नवीनतम समीक्षा दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को की गई थी जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों द्वारा किया गया था। इस बैठक के दौरान नक्सल-रोधी सक्षम अभियानों के लिए आवश्यक सुरक्षा अवसंरचना की स्थिति के बारे में भी चर्चा की गई थी।

(ग) से (ङ) वामपंथी उग्रवादी विद्रोह से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार की द्वि-आयामी नीति है। वह सुरक्षा संबंधी एवं विकास संबंधी उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। सुरक्षा संबंधी उपायों में, सीधे केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात करने के अलावा, भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) योजना, विशेष अवसंरचना योजना (एस.आई.एस.), सुदृढ़ पुलिस स्टेशनों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण योजना आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करती है।

सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत, नक्सल-रोधी अभियानों के लिए तैनात किए गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अवसंरचना संबंधी अपेक्षा, बीमा, प्रशिक्षण और सुरक्षा बलों की प्रचालनात्मक जरूरतों संबंधी आवर्ती व्यय, संबंधित राज्य सरकारों की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले वापमंथी उग्रवादी काडरों को सहायता, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय एवं प्रचार सामग्री हेतु 9 राज्यों के 106 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को सहायता प्रदान की जाती है। विशेष अवसंरचना योजना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए एक केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना है, अवसंरचना संबंधी उन प्रमुख कमियों को पूरा करती है जो अन्य मौजूदा योजनाओं के तहत कवर नहीं की जा सकती हैं। ये दुर्गम क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों/मार्गों को उन्नत करके, दूर-दराज एवं आंतरिक क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों

पर सुरक्षित कैम्पिंग ग्राउन्ड एवं हेलिपैड उपलब्ध कराके पुलिस/सुरक्षा बलों के लिए गतिशीलता की अपेक्षाओं, संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित पुलिस स्टेशनों/चौकियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय आदि से संबंधित हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा 80 प्रतिशत एवं राज्य सरकारों द्वारा 20 प्रतिशत के वित्तपोषण से, सुदृढ़ पुलिस स्टेशन के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजना में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 09 राज्यों में 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, सुरक्षा संबंधी अन्य योजनाओं में राज्यों को हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराना, विद्रोह एवं आतंकवाद रोधी (सी.आई.ए.टी.) विद्यालयों की स्थापना करना, इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन करने में सहायता, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम.पी.एफ. स्कीम) के अंतर्गत राज्य पुलिस और उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन आदि शामिल हैं।

विकास के क्षेत्र में, केन्द्रीय सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं अर्थात एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.), सड़क आवश्यकता योजना-1 आदि कार्यान्वित कर रही है।

भारत सरकार को विश्वास है कि समन्वित पुलिस कार्रवाई, संकेंद्रित विकास संबंधी प्रयास और शासन में सुधार संयुक्त रूप से वामपंथी उग्रवाद संबंधी विद्रोह से निपटने के लिए कारगर साधन हैं।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

***246. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः**
श्री हरीश चौधरीः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में किए गए/किए जाने वाले खर्च में केन्द्र और राज्य सरकारों का हिस्सा कितने-कितने प्रतिशत है;

(ख) उक्त परियोजना हेतु राज्यों को धनराशि प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यविधि अपनाई गई है तथा इसके लिए अब तक राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों को बायोमीट्रिक डाटाबेस तैयार करने और उनका रख-रखाव करने तथा कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित स्मार्ट कार्डो सहित विभिन्न योजनाओं के संबंध में प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने के निदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक छोर से दूसरे छोर तक कम्प्यूटरीकरण करने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने लागत-हिस्सेदारी के आधार पर बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान कार्यान्वयन के लिए 'इंड-टू-इंड कम्प्यूटराइजेशन आफ टी.पी.डी.एस. आपरेशन' नामक एक प्लान स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय सहायता देने के लिए अनुमोदित की है। इस स्कीम में राशन कार्डों/लाभभोगियों तथा अन्य आंकड़ा आधार (डाटाबेस) का डिजिटाईजेशन, आपूर्ति चैन प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल तथा शिकायत निवारक तंत्र बनाने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2012-17 के दौरान इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कुल निधियां 884.07 करोड़ रुपए आंकी गई है। केन्द्र और राज्यों के बीच लागत भागीदारी पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10 होगी जबकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में यह भागीदारी बराबर-बराबर (50:50) होगी। तदनुसार भारत सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का अंश क्रमशः 489.37 करोड़ तथा 394.70 करोड़ रुपए आंका गया है। इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक कोई निधियां आबंटित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) जहां तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बायोमीट्रिक डाटाबेस तैयार करने का प्रश्न है, चूंकि यूनिक आइडेंटीफिकेशन अथारिटी ऑफ इण्डिया या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) के तहत सभी सामान्य नागरिकों की बायोमीट्रिक सूचना तैयार की जा रही है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुझाव दिया गया हैं कि राशन कार्ड डाटाबेस के डिजिटाइजेशन में बायोमीट्रिक सूचना एकत्र करना शामिल न किया जाए।

इस विभाग ने चार राज्यों जैसे कि आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ तथा दिल्ली में प्रत्येक राज्य के तीन-तीन जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए एक प्रायोगिक स्कीम आरंभ की थी। चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र एवं हरियाणा में आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपुदर्गी संबंधी एक अन्य स्कीम प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही है। इन प्रायोगिक स्कीमों को इंड-टू-इंड कम्प्यूटराइजेशन आफ टी.पी.डी.एस. आपरेशंस संबंधी प्लान स्कीम में शामिल कर दिया जाएगा।

(ङ) इस स्कीम की समय सीमा के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभभोगियों के आंकड़ा आधार का डिजिटाइजेशन का कार्य मार्च, 2013 तक पूरा किया जाना है तथा आपूर्ति चैन प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण अक्टूबर, 2013 तक पूरा किया जाना है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति

1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में राशन कार्डों/लाभभोगियों के डाटाबेस का डिजिटीकरण पूरा कर लिया गया है। बिहार, चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, लक्ष्यद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा में यह कार्य किया जा रहा है।

2. छत्तीसगढ़, दिल्ली और गुजरात राज्यों में आपूर्ति श्रृंखला का स्वचालन पूरा कर लिया गया है। आन्ध्र प्रदेश, चण्डीगढ़, दमन व दीव, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पुदुचेरी में यह कार्य चल रहा है। छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी में उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों के प्रेषण/उपलब्धता के संबंध में मोबाइल एस.एम.एस. अलर्ट के जरिए सूचना प्रसारित की जाती है। असम, चण्डीगढ़, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस कार्य की प्रक्रिया अभी चल रही है।

3. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गुजरात और पुदुचेरी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना वाला पारदर्शिता पोर्टल सृजित कर दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यह कार्य प्रगति पर है।

4. छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, मिजोरम, ओडिशा और तमिलनाडु में शिकायतों के पंजीकरण और ट्रैकिंग के लिए ऑन लाइन शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है। असम, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कॉल सैंटर/टॉल फ्री हैल्पलाइन नम्बर स्थापित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अंतर्गत खेलकूद अवसंरचना

*247. **श्री मधुगौड यास्खी:**
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में सृजित की गई खेलकूद अवसंरचना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत सरकार के पास लम्बित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने/खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थान तथा खेल विधा-वार ये केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के अंतर्गत ग्राम/ब्लाक पंचायतों के स्तर पर 31-10-2012 तक विकसित किए गए खेल मैदानों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से हर तरह से पूर्ण सभी प्राप्त प्रस्तावों और जिनमें राज्य ने पहले जारी की गई निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिए हैं, को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और निधियां मंजूर/जारी कर दी गई हैं। ओडिशा से प्राप्त एक प्रस्ताव जो कि हर तरह से पूर्ण है, पर कार्रवाई की जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से

प्राप्त प्रस्तावों को विधिवत संवीक्षा के बाद अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(घ) और (ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारत में पहले ही कई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर रखे हैं। इनमें 58 साई प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.), 20 विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र (एस.ए.जी.) और 10 उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.ई.) शामिल हैं। नए केन्द्र खोल कर साई स्कीमों का विस्तार, इसे उपलब्ध कराए गए संसाधनों पर आधारित है। इस समय उपलब्ध संसाधनों के साथ साई की पहली प्राथमिकता विद्यमान केन्द्रों को सुदृढ़ और संघटित करना तथा त्रुटियों/कमियों, यदि कोई हों, को दूर करने की है। दूसरी प्राथमिकता उन क्षेत्रों में नए केन्द्र खोलने की है जहां इस समय साई के केन्द्र नहीं हैं। पहली श्रेणी के अंतर्गत, साई इस समय दीमापुर, राजनंदगांव, अलवर, एल्लेपी, शिलांग और जगतपुर स्थित अपने केन्द्रों को संघटित कर रहा है। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत, साई का छिंदवाड़ा, जयपुर, महम और न्यू रायपुर में नए केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

खेल मैदानों के विकास के लिए पायका स्कीम के अंतर्गत 31-10-2012 तक कवर किए गए गांव/ब्लाक पंचायतों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पायका योजना के अंतर्गत कवर किए गए ग्राम/ब्लाक पंचायत			विकसित खेल मैदानों की संख्या
		ग्राम पंचायत की संख्या	ब्लाक पंचायत की संख्या	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	6570	339	6909	6909
2.	अरुणाचल प्रदेश	1065	96	1161	774
3.	असम	999	66	1065	352
4.	बिहार	847	53	900	-
5.	छत्तीसगढ़	2946	42	2988	691
6.	गोवा	19	04	23	-
7.	गुजरात	1975	44	2019	922
8.	हरियाणा	2476	48	2524	1893
9.	हिमाचल प्रदेश	1685	42	1727	996
10.	जम्मू और कश्मीर	413	14	427	427
11.	झारखंड	403	21	424	-
12.	कर्णाटक	2260	72	2332	1748
13.	केरल	400	60	460	114
14.	मध्य प्रदेश	4608	62	4670	2335
15.	महाराष्ट्र	5441	70	5511	2724
16.	मणिपुर	79	04	83	83

1	2	3	4	5	6
17.	मेघालय	249	24	273	182
18.	मिजोरम	572	18	590	422
19.	नागालैंड	660	30	690	575
20.	ओडिशा	2492	124	2616	1962
21.	पंजाब	3699	42	3741	1247
22.	राजस्थान	1786	49	1835	893
23.	सिक्किम	166	95	261	156
24.	तमिलनाडु	1261	38	1299	-
25.	त्रिपुरा	936	36	972	324
26.	उत्तर प्रदेश	9696	164	9860	9860
27.	उत्तराखंड	2250	29	2279	2279
28.	पश्चिम बंगाल	335	33	368	270
	राज्य संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	60	06	66	-
30.	दमन और दीव	14	-	14	-
31.	लक्षद्वीप	02	09	11	-
32.	पुदुचेरी	50	05	55	-
	कुल	56414	1739	58153	38138

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला ब्लॉक

***248. श्री धनंजय सिंह:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2011 और 2012 के दौरान अल्ट्र मेगा विद्युत परियोजनाओं हेतु टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली के अंतर्गत कोई कोयला ब्लॉक आवंटित नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कोल इंडिया लिमिटेड से इंधन की आपूर्ति के आश्वासन के बावजूद कितनी विद्युत परियोजनाएं लम्बित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति हेतु सरकार द्वारा क्या कारगर उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सरकार ने 2011 और 2012 के दौरान अल्ट्रा मैगा पॉवर प्रोजेक्ट (यू.एन.पी.पी.) के लिए टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली के अंतर्गत किसी कोयला ब्लॉक का आबंटन नहीं किया है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 में प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट वाले क्षेत्र के संबंध में टोह की अनुमति, पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टा देने की ऐसी शर्तों की व्यवस्था है जिन्हें निर्धारित किया जाए। तथापि, यह निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:-

- जहां सरकारी कंपनी अथवा निगम को खनन अथवा ऐसे अन्य विशिष्ट अन्त्य उपयोग हेतु आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया है।
- जहां किसी कंपनी अथवा निगम, जिसे शुल्क के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना

(अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) अवार्ड की गई है, को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया है।

सरकार ने "कोयला खान नियमावली, 2012" को प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी को 02-02-2012 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अलावा, उक्त संशोधन अधिनियम, 2010 के आरंभ होने संबंधी अधिसूचना को भी खान मंत्रालय द्वारा 13-02-2012 को अधिसूचित कर दिया गया है। कोयला/लिग्नाइट ब्लाक केवल संशोधित अधिनियम और उपर उल्लिखित नियमावली के अंतर्गत आवंटित किए जा सकते हैं।

यू.एम.पी.पी. सहित टैरिफ आधारित बोली लगाने के लिए आवंटित 12 कोयला ब्लॉकों का विवरण निम्नानुसार हैं:-

आबंटी का नाम	आवंटित कोयला ब्लॉक	आवंटन की तिथि	भूवैज्ञानिक रिजर्व (मीट्रिक टन में)
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ओडिशा यू.एम.पी.पी.	मीनाक्षी	13-09-2006	285.24
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ओडिशा यू.एम.पी.पी.	मीनाक्षी बी	13-09-2006	250
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ओडिशा यू.एम.पी.पी.	मीनाक्षी की डीपसाईड	13-09-2006	350
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, सासन यू.एम.पी.पी.	मोहेर	13-09-2006	402
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, सासन यू.एम.पी.पी.	मोहेर-अमलोरी एक्सटेंशन	13-09-2006	198
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, सासन यू.एम.पी.पी.	छत्रसाल	26-10-2006	150
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, झारखंड यू.एम.पी.पी.	केरनदारी बी.सी.	20-07-2007	972
महाजैनको (मैसर्स औरंगाबाद कं. लि...एस.पी.वी.)	भीवकुंड	17-07-2008	100
करनपुरा एनर्जी लिमिटेड (जे.एस.ई.बी. का एस.पी.वी.)	मौर्या	26-06-2009	225.35
अकालतारा पावर लिमिटेड (छत्तीसगढ़ यू.एम.पी.पी. के एस.पी.वी.)	पुता परोगिया	09-09-2009	692.16
अकलतारा पावर लिमिटेड (छत्तीसगढ़ यू.एम.पी.पी. के एस.पी.वी.)	पिंदराखी	09-09-2009	421.51
सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड (ओडिशा यू.एम.पी.पी. का अतिरिक्त पहला एस.पी.वी.)	बंखुई	21-06-2010	800

यून.पी.पी. के लिए कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) से ईंधन आपूर्ति की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि, विद्युत के लिए स्थाई लिंकेज समिति (दीर्घावधि) के प्राधिकार/सिफारिश के आधार पर कोयला कंपनियों ने कुल 1,08,878 मैगावाट क्षमता के लिए 172 आश्वासन पत्र (एल.ओ.ए.) जारी किये हैं। इस क्षमता में सी.आई.एल./सिंगरेनी कोलियरीज लि. कंपनी (एस.सी.सी.एल.) से पहले से संबद्ध विद्युत उपयोगिताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें 31-03-2009 को आरंभ किया गया था जिसके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.)/सी.आई.एल. 304.84 मिलियन टन प्रतिवर्ष की वार्षिक संविदागत मात्रा के लिए सहमत हो गया है।

(ग) चयनित विकासकर्ता को प्रोजेक्ट अवार्ड करने के पश्चात यू.एम.पी.पी. के विकास को तीव्र करने के लिए परियोजना (यू.एम.पी.पी.) के लिए सम्मिलित स्पेशल परपज व्हीकल द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है:-

आर.एफ.क्यू. जारी करने से पूर्व:

- **भूमि:** विद्युत गृह की भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत धारा 4 की अधिसूचना जारी करना।
- **पर्यावरणीय स्वीकृति:** एम.ओ.ई.एफ. द्वारा अवार्ड किये गए विचारार्थ विषय (टी.ओ.आर.) के अनुसार विद्युतगृह के लिए तीव्र ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- **ईंधन व्यवस्था:** पिटहैड यू.एम.पी.पी. के मामले में कोयला खान का आबंटन प्राप्त किया जाता है।
- जल लिंकेज प्राप्त किया जाता है।

आर.एफ.पी. जारी किये जाने के पूर्व

- **भूमि:** विद्युत गृह की भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत धारा 6 की अधिसूचना जारी करना।
- **पर्यावरणीय स्वीकृति:** एम.ओई.एफ. के समक्ष विद्युत गृह के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।
- **वन स्वीकृति** (यदि लागू हो): अंतिम अनुमोदन प्रदान करने के लिए जिम्मेवार संबंधित प्राधिकारी के समक्ष विद्युत गृह के लिए भूमि हेतु वन स्वीकृति के लिए अपेक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।
- **डाटा:** डी.पी.आर. तैयार करने के लिए निम्नलिखित तैयारी की जाती है:-

  हाइड्रोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, मीटरोलॉजिकल, सीसमोलॉजिकल डाटा

चयनित डेवलपर को एस.पी.वी. का अंतरण करने से पूर्व:

- विद्युत गृह के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाती है।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत विद्युत गृह के लिए भूमि अवार्ड की जाती है।

उपर्युक्त के अलावा, वाटर इनटेक पाइपलाइन और फ्यूल परिवहन प्रणाली आदि के लिए अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण को सुकर बनाने के लिए अग्रणी खरीदकर्ता से प्रतिबद्धता ली जाती है। उपर्युक्त उपाय सफल विकासकर्ता को परियोजना अवार्ड किये जाने के पश्चात परियोजना के कार्यान्वयन को सुकर बनाते हैं।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की कमी

***249. श्री महाबली सिंह:**
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्याप्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की कमी के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु विकसित देशों से सहायता मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु इन देशों द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) केन्द्रीय फसलोत्तर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.पी.एच.ई.टी.) लुधियाना की अप्रैल, 2010 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2005 से 2007 के दौरान भारत के बेतरतीब ढंग से चुने गए 106 जिलों में किए गए राष्ट्रव्यापी अध्ययन के आधार पर, विभिन्न कृषि-बागवानी फसलों की हानियां 5% से लेकर 18% तक हैं। कृषि उपज की वार्षिक हानियों का मूल्य वर्ष 2009 की थोक कीमतों पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए आंका गया था।

(ग) जी नहीं, महोदया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि को प्रेरित करने के लिए मेगा खाद्य पार्कों, एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्य वृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना, बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण सहित अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। विकेन्द्रीकरण और बेहतर आउटरीच के माध्यम से इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012-13 से नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू किया गया है। तथापि, सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत अनन्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई भी स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

यूथ क्लबों को धनराशि

***250. श्री नरहरि महतो:**
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नेहरू युवा केन्द्र संगठन के अंतर्गत चल रहे यूथ क्लबों को सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि

उक्त क्लबों में से कई क्लब कथित रूप से अस्तित्व में नहीं हैं/कार्य नहीं कर रहे हैं/निष्क्रिय हैं, परन्तु वे धनराशि प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने मामलों का पता चला है तथा ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) भारत सरकार नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) के माध्यम से युवा क्लबों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एन.वाई.के.एस. द्वारा वर्ष 2009-10, 2011-12 और चालू वर्ष के दौरान युवा क्लबों को 99.60 लाख रुपए, 655.30 लाख रुपए और 254.00 लाख रुपए मुहैया कराए गए। वर्ष 2010-11 के दौरान कोई निधियां जारी नहीं की गई। भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान युवा क्लबों नामतः मेंटर युवा क्लब (एम.वाई.सी.) के नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए योजना की समीक्षा की है। इसका उद्देश्य देश में युवा क्लबों का एक मजबूत और प्रभावी नेटवर्क बनाना है। इस प्रकार मेंटर युवा क्लब निष्क्रिय/कार्य न कर रहे क्लबों को सक्रिय बनाने, यूथ क्लबों को सहायता प्रदान करने और उनका मार्गदर्शन करने तथा स्वयंसहायक/आत्मनिर्भर युवा क्लबों का एक सुदृढ़ और विश्वसनीय नेटवर्क विकसित करने के लिए कार्य करते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, देश के 5000 ब्लॉकों में 10,000 मेंटर युवा क्लब स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसे प्रत्येक मेंटर युवा क्लब को अवसंरचना विकास के लिए एकबारगी 10,000/- रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इन 10,000 मेंटर क्लबों के 20,000 पदाधिकारियों को युवा क्लबों की प्रभावी योजना, प्रबंधन और प्रशासन के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए पांच दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वे गांव विकास कार्यक्रम में सक्रिय भागीदार बन सकें। पिछले तीन वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान युवा क्लबों को मुहैया कराई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) एन.वाई.के.एस. द्वारा युवा क्लबों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं। नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा वर्ष 2011 में ब्लॉक-वार, गांव-वार, जिला-वार, राज्य-वार और राष्ट्रीय स्तर पर युवा क्लबों के सत्यापन/संख्या निर्धारण के लिए एक रूप-रेखा तैयार की गई ताकि कोई भी अस्तित्वहीन/निष्क्रिय युवा क्लब निधि प्राप्त न कर सके। युवा क्लबों की सूचना/विवरण को अद्यतन बनाने के लिए एन.वाई.के.एस. द्वारा नए सिरे से कार्रवाई की जा रही है, जो संभवतः 31 दिसम्बर, 2012 तक पूरी हो जाएगी।

विवरण

एन.वाई.के.एस. के द्वारा यूथ क्लबों के लिए जारी की गई राज्य-वार धनराशि

क्र.सं.	जोन/राज्य	जारी की गई राशि		
		2009-10 (लाखों में)	2011-12 (लाखों में)	2012-13 (आज तक) (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.10	51.4	9.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	6.8	-
3.	असम	-	41.8	-
4.	बिहार	-	46.2	36.1
5.	छत्तीसगढ़	-	1.8	4.6
6.	दिल्ली	-	1.2	1.2
7.	गुजरात	-	2.0	9.5

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	7.80	15.3	2.0
9.	हिमाचल प्रदेश	-	14.4	0.8
10.	जम्मू और कश्मीर	4.50	9.6	12.9
11.	झारखंड	0.30	16.9	8.7
12.	कर्नाटक	-	28.2	0.6
13.	केरल और लक्षद्वीप	17.75	29.6	1.2
14.	मध्य प्रदेश	-	30.1	15.6
15.	महाराष्ट्र और गोवा	-	58.2	2.0
16.	मणिपुर	-	8.2	0.3
17.	मेघालय	-	4.4	2.2
18.	मिजोरम	-	2.2	-
19.	नागालैंड	-	10.4	-
20.	ओडिशा	-	27.4	9.3
21.	पंजाब और चंडीगढ़	4.40	24.6	-
22.	राजस्थान	16.50	30.2	15.1
23.	सिक्किम	1.50	3.7	1.8
24.	तमिलनाडु और पुदुचेरी	14.50	69.0	7.6
25.	त्रिपुरा	-	4.7	1.8
26.	उत्तर प्रदेश	6.25	31.8	91.1
27.	उत्तराखंड	1.20	3.6	10.3
28.	पश्चिम बंगाल और अंडमान-निकोबार	20.80	65.4	10.2
	कुल	99.60	655.30	254.00

सांस्कृतिक जागरुकता कार्यक्रम

***251. श्री मोहम्मद असरारूल हक:**
श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सामान्य रूप से जनता में और विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों में सांस्कृतिक जागरुकता पैदा करने/देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/ईवेंट्स का आयोजन करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयोजित किए गए ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक कार्यक्रम पर राज्य और कार्यक्रम-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) जी, हां।

(ख) संस्कृति मंत्रालय, कला और संस्कृति के सभी रूपों के परिरक्षण तथा संवर्धन के अपने अधिदेश के अनुरूप जन-समूह के बीच सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने तथा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/समारोहों का आयोजन करता है।

प्रदर्शनियों, नृत्य प्रदर्शनों, सेमीनारों तथा व्याख्यानों, प्रकाशनों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व्यक्तियों के जन्म शताब्दी समारोहों के आयोजनों संग्रहालयों, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी तथा जोनल सांस्कृतिक केन्द्रों जैसी अपनी संस्थाओं के माध्यम से दृश्य तथा कला प्रदर्शनों के संवर्धन के रूप में मंत्रालय द्वारा देश की मूर्त तथा अमूर्त विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करने के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित तथा प्रोत्साहित किए जाते हैं। गत तीन वर्षों में जोनल सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की योजनाओं के जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बेहतर जागरुकता के लिए कला तथा संस्कृति के सभी क्षेत्रों में कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

मंत्रालय सांस्कृतिक जागरुकता पैदा करने के ऐसे समारोहों के आयोजन के लिए पंजीकृत सोसाइटियों तथा न्यासों जैसी स्वायत्त संस्थाओं को भी अनुदान प्रदान करता है। मंत्रालय तथा इसकी संस्थाओं द्वारा की गई सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

मूर्त विकासत के क्षेत्र में, मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के सभी केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण में लगा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विद्यार्थियों सहित आम नागरिकों के बीच सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने के विभिन्न कार्यक्रमों और समारोहों को भी आयोजित करता है। ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वयं तथा इसकी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से आयोजित सांस्कृतिक जागरुकता कार्यक्रम, आम नागरिकों को मूर्त तथा अमूर्त लाभ उपलब्ध कराते हैं। इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप हुई उपलब्धियों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, स्वच्छतर स्मारक तथा सार्वजनिक स्थानों और लोगों को रोजगार प्रदान करने के प्रावधानों जैसे मूर्त लाभों के साथ-साथ देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी तथा जागरुकता, चरम सामुदायिक अनुभूति, सांस्कृतिक पहचान का विकास तथा राष्ट्रीय गर्व जैसे अमूर्त लाभ शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग, विधेयक 2009 में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग (एन.सी.एच.एस.) की स्थापना का प्रावधान है। यह विधेयक फरवरी, 2009 को राज्य सभा में लाया गया था और संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था जिसने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 2009 में अध्यक्ष, राज्य सभा को सौंप दी थी। नए विधान के अंतर्गत गठित किए जाने वाले राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग के पास अन्य बातों के साथ-साथ विरासत स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण तथा अनुरक्षण और विरासत स्थलों के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश के सूत्रीकरण के संबंध में लघु तथा दीर्घावधि नीतियों पर केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों को सिफारिश करने का कार्य होगा।

यह मामला फिलहाल सरकार के पास विचाराधीन है।

विवरण-I

सात आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और वर्ष-वार संख्या

(31 अक्तूबर, 2012 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यक्रमों की संख्या			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	07	08	13	10

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	07	06	07	09
3.	असम	34	33	14	01
4.	बिहार	25	28	21	01
5.	छत्तीसगढ़	04	12	14	15
6.	गोवा	12	12	16	05
7.	गुजरात	11	31	14	06
8.	हरियाणा	22	19	23	07
9.	हिमाचल प्रदेश	24	27	17	04
10.	जम्मू और कश्मीर	11	04	04	06
11.	झारखंड	07	07	06	02
12.	कर्नाटक	06	09	04	10
13.	केरल	14	07	11	01
14.	मध्य प्रदेश	19	13	40	15
15.	महाराष्ट्र	35	35	54	27
16.	मणिपुर	05	06	10	04
17.	मेघालय	05	08	10	05
18.	मिजोरम	08	05	10	02
19.	नागालैंड	39	21	18	13
20.	ओडिशा	97	58	60	06
21.	पंजाब	41	53	38	16
22.	राजस्थान	42	51	107	36
23.	सिक्किम	09	17	07	02
24.	तमिलनाडु	45	42	69	42
25.	त्रिपुरा	15	13	12	07
26.	उत्तर प्रदेश	92	77	83	11
27.	उत्तराखंड	10	08	19	05
28.	पश्चिम बंगाल	315	398	398	41
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	03	04	03	02
30.	चंडीगढ़	31	78	46	21

1	2	3	4	5	6
31.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	11	13	11	-
32.	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	10	12	13	07
33.	लक्षद्वीप	01	01	01	-
34.	पुदुचेरी	24	14	05	05

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रत्येक पर खर्च की गई राज्य-वार और कार्यक्रम-वार राशि

2009-10

क्र.सं.	राज्य का नाम	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मंडल/शाखा/ /कार्यालय/संग्रहालय का नाम	सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रमों का कार्यक्रम-वार ब्यौरा	प्रत्येक कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि (रुपए)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद मण्डल	गोलकुण्डा किले में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	25,125.00
		विज्ञान शाखा, हैदराबाद डिवीजन	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	49,130.00
2.	असम	गुवाहाटी मंडल	अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	15,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	25,000.00
3.	बिहार	पटना मण्डल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	86,323.00
			20-11-2009 को नालंदा में बिहार के माननीय राज्यपाल के दौरे के दौरान फोटो प्रदर्शनी	36,000.00
			3-12-2009 को जीरादेई में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की 125वीं जन्म शताब्दी	20,000.00
			कोल्हुआ, राजगीर, बौद्ध गया, नालंदा, सासाराम, कुम्रहार और विक्रमशिला के लिए ब्रोशरों का मुद्रण (मार्च, 2009)	56,400.00

1	2	3	4	5
4.	चंडीगढ़	विज्ञान शाखा, चडीगढ़ जोन	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	50,000.00
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	1,49,553.00
6.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	1,48,690.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवंबर)	2,12,716.00
			फोटो प्रदर्शनी	4,10,585.00
		पुरालेख शाखा (अरबी और फारसी अभिलेख) नागपुर	फारसी तेमुरिद और मुगल स्मारकों तथा उनके संरक्षण पर दिल्ली और आगरा में यूनेस्को तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यशाला (20-04-2009)	
			पुरातत्व संस्थान, दिल्ली में गुजरात के सुल्तान के स्मारकों और पुरालेखों पर एक प्रदर्शनी का आयोजन	
7.	गोवा	गोवा मंडल	अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	5,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवंबर)	10,000.00
8.	गुजरात	वडोदरा मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	29,817.00
			स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	14,000.00
			गांधी जयंती (2 अक्टूबर)	11,500.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवंबर)	1,12,767.00
			फोटो प्रदर्शनी (03-12-2009)	4,500.00
		उत्खनन शाखा-V वडोदरा	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	10,000.00
		विज्ञान शाखा, वडोदरा डिवीजन	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	49,982.00
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	22,000.00

1	2	3	4	5
			विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	32,665.00
			अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	50,000.00
			स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	54,740.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	28,000.00
10.	हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	49,885.00
			श्री जस्सा सिंह अहलूवालिया की जन्मशताब्दी के अवसर पर नवम्बर 2009 में एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई थी। (नवम्बर, 2009)	25,000.00
11.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	1,00,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	2,00,000.00
12.	झारखंड	रांची मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	99,908.00
13.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	22,990.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	39,125.00
		धाटवाड़ मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	81,957.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	94,225.00
		पुरालेख शाखा (संस्कृत और द्रविड़ अभिलेख) मैसूर	पुरालेखीय फोटो प्रदर्शनी (सद्विद्या पी.यू. कॉलेज, मैसूर) (25-07-09 से 27-07-09)	6,317.00
			पुरालेखीय फोटो प्रदर्शनी (विद्यावर्धक कॉलेज, मैसूर) (01-08-09 से 03-08-09)	6,317.00
			पुरालेखीय फोटो प्रदर्शनी (श्री विजय विठाला स्कूल, मैसूर) (08-08-09 से 10-08-09)	6,317.00

1	2	3	4	5
			पुरालेखीय फोटो प्रदर्शनी (विद्या वर्धक हाईस्कूल, मैसूर) (29-08-09 से 31-08-09)	6,317.00
			पुरालेखीय फोटो प्रदर्शनी (महाजन डिग्री कॉलेज, मैसूर) (04-11-09 से 06-11-09)	6,317.00
			पुरालेखीय फोटो प्रदर्शनी (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) (13-02-10 से 15-02-10 तक)	18,312.00
14.	केरल	त्रिशूर मंडल	अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	55,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	30,000.00
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	84,157.00
			अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	14,991.00
			वन महोत्सव (1 से 7 जुलाई)	15,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	31,756.00
			अन्य कार्यक्रम	86,514.00
		मंदिर सर्वेक्षण परियोजना (उ.क्षे.), भोपाल	कड़वाह में सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम (6-7 मई)	66,895.00
16.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	3,25,000.00
		मुम्बई मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	3,00,000.00
		उत्खनन शाखा-I, नागपुर	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	50,000.00
		प्रागैतिहासिक शाखा, नागपुर	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	49,490.00
		विज्ञान शाखा, औरंगाबाद डिवीजन	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	49,847.00
17.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	2,000.00

1	2	3	4	5
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	2,35,170.00
18.		उत्खनन शाखा-IV, भुवनेश्वर	विहरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	1,04,640.00
		विज्ञाने शाखा, भुवनेश्वर डिवीजन	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	48,792.00
19.	राजस्थान	जयपुर मंडल	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	12,500.00
			अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	10,000.00
			स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	18,246.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	34,222.00
20.	तमिलनाडु	चेन्नई मंडल	स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	47,210.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	10,958.00
			तिरुवलियुवर दिवस (15 जनवरी)	33,789.00
			अरकोम में फोटो प्रदर्शनी (25-29 जुलाई)	5,000.00
			कुण्ड्राथुर में फोटो प्रदर्शनी (17-21 नवम्बर)	2,600.00
		विज्ञान शाखा, चेन्नई जोन	महाबलीपुरम में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) (स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया)	50,000.00
		मंदिर सर्वेक्षण परियोजना (द.क्षे.) चेन्नई	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	48,200.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	20,176.00
		पुरालेख शाखा (द.क्षे.) चेन्नई	तमिल विश्वविद्यालय, तंजौर (05-02-09 से 06-02-09)	90,368.00
			नगर निगम विद्यालय पल्लावरम (26-02-2010 से 27-02-2010 तक)	51,576.00

1	2	3	4	5
21.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	1,49,974.00
			अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	20,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	2,00,024.00
22.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	22,553.00
			स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	2,559.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	2,88,963.00
23.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	01,98,000.00
		विज्ञान शाखा, देहरादून	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर) देहरादून में 5 स्कूलों में फोटो प्रदर्शनी आयोजित हुई	2,75,562.00
24.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता मंडल	हजारदुआरी महल संग्रहालय का रजत जयंती समारोह, मुरशिदाबाद (15 अगस्त)	92,928.00
			13वां राष्ट्रीय प्रदर्शनी (2-6 सितम्बर)	4,19,522.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	50,000.00

2010-11

क्र.सं.	राज्य का नाम	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मंडल/शाखा/कार्यालय/संग्रहालय का नाम	सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रमों का कार्यक्रम-वार ब्यौरा	प्रत्येक कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि (रुपए)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	वारंगल में विरासत सप्ताह (वारंगल) (19-25 नवम्बर)	2,53,500.00
		विज्ञान शाखा, हैदराबाद डिवीजन	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	49,233.00

1	2	3	4	5
2.	असम	गुवाहाटी मंडल	अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	15,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	20,000.00
3.	बिहार	पटना मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	15,000.00
			अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	15,700.00
			स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	17,719.00
			गांधी जयंती (2 अक्तूबर)	47,130.00
			21-07-2010 को सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरे पर क्वींस बैटन रिले के आगमन के दौरान फोटोग्राफ्स वाले फोल्डर का प्रकाशन	66,760.00
			08-09-2010 को प्रमुख स्मारकों पर हिन्दी ब्रोशरों का प्रकाशन और फोटो प्रदर्शनी	55,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	84,385.00
			सारनाथ, मानमहल, गाजीपुर तथा जौनपुर के ब्रोशरों का मुद्रण	38,400.00
4.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ मंडल (विज्ञान शाखा), चंडीगढ़	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	50,000.00
		चंडीगढ़ मंडल	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	54,018.00
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	1,48,210.00
6.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	90,548.00
			विरासत सप्ताह	89,957.00

1	2	3	4	5
			(19-25 नवम्बर)	
			फोटो प्रदर्शनी	11,33,264.00
		विज्ञान शाखा, दिल्ली डिवीजन	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	42,076.00
		पुरातत्व संस्थान, लाल किला, दिल्ली	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	2,00,000.00
7.	गोवा	गोवा मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	7,746.00
8.	गुजरात	बडोदरा मंडल	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	55,044.00
			विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	11,500.00
			स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	53,231.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	20,000.00
		उत्खनन शाखा-V, वडोदरा	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	16,028.00
		विज्ञान शाखा, वडोदरा डिवीजन	स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	48,013.00
9.	हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	40,000.00
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	24,835.00
			विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	47,075.00
			अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	35,825.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	87,900.00
11.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	1,00,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	1,00,000.00
12.	झारखंड	रांची मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	80,000.00

1	2	3	4	5
			संशोधन तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2010 (ए.एम.एस.ए.आर.) के कार्यान्वयन पर कार्यशाला (जनवरी 2011)	1,50,000.00
13.	कर्नाटक	बैंगलोर मंडल	विश्व विरासत दिवस (18-20 अप्रैल) श्रवणबेलगोला में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन	16,315.00
			विरासत बचाव सप्ताह समारोह (16 और 17 अगस्त) विजया महाविद्यालय में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन	5,623.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर) मधुगिरी में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन	1,37,600.00
		धाड़वाड़ मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	1,07,010.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	1,35,341.00
		पुरालेख शाखा (संस्कृत और द्रविड़ अभिलेख), मैसूर	पुरालेख संबंधी फोटो प्रदर्शनी (हैदराबाद) (05-07-10 से 07-07-10)	3,760.00
			पुरालेख संबंधी फोटो प्रदर्शनी (चंडीगढ़) (14-07-10 से 15-07-10)	3,760.00
			पुरालेख संबंधी फोटो प्रदर्शनी (पेनुकोण्डा) (06-08-10 से 08-08-10)	3,760.00
			बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर पुरालेख संबंधी फोटो प्रदर्शनी (विजयवाडा) (15-05-10 से 18-05-10)	28,540.00
			पुरालेख संबंधी फोटो प्रदर्शनी (मैसूर, कर्नाटक) (08-10-10 से 10-10-10)	9,450.00
			पुरालेख संबंधी फोटो प्रदर्शनी (मलेशिया) (2010)	(आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया खर्च)

1	2	3	4	5
14.	कर्नाटक	पुरालेख शाखा, नागपुर	अरबी और फारसी पुरालेख तथा मुद्राशस्त्र पर एक सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा महत्वपूर्ण अभिलेखों की तस्वीरों तथा मोहरों की प्रदर्शनी (25-10-2010)	49,868.00
		मैसूर जोन (विज्ञान शाखा), मैसूर	गणतंत्र दिवस (26 से 27 जनवरी)	45,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	50,000.00
		हैदराबाद डिवीजन (विज्ञान शाखा), हैदराबाद	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	49,233.00
15.	केरल	त्रिशूर मंडल	इरिजाकुडा, जिला त्रिसूर में आयोजित स्मारकों और स्थलों का फोटो प्रदर्शनी (मई, 2010)	28,250.00
			गुरुवायूर, जिला, त्रिशूर में स्मारकों और स्थलों का फोटो प्रदर्शनी (17 नवम्बर, 2010)	5,000.00
			महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, जिला कोट्टायम (6-10 दिसम्बर, 2010)	15,000.00
16.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	2,000.00
			विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	66,702.00
			अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	24,180.00
			स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	1,175.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	23,957.00
			हिन्दी और अंग्रेजी में पुरातात्विक, संग्रहालय, खजुराहो पर ब्रोशरों का प्रकाशन	25,813.00

1	2	3	4	5
			अन्य कार्यक्रम	5,36,552.00
		इन्दौर डिवीजन (विज्ञान शाखा), इन्दौर	फोटो प्रर्दशनी (27 जनवरी से 1 फरवरी)	50,000.00
			विरासत सप्ताह (22-25 नवम्बर)	50,000.00
		मंदिर सर्वेक्षण परियोजना (उ.क्षे.), भोपाल	अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	22,400.00
17.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	3,14,713.00
		पुरालेख शाखा (अरबी और फारसी अभिलेख) नागपुर	अरबी और फारसी पुरालेख तथा मुद्राशस्त्र पर एक सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा महत्वपूर्ण अभिलेखों की तस्वीरों तथा मोहरों की प्रदर्शनी (25 से 30 अक्तूबर, 2010)	
			रायसोनी हायर सेकेन्डेरी स्कूल में महत्वपूर्ण अभिलेखों तथा स्मारकों की एक प्रदर्शनी (5 फरवरी, 2011)	
			मॉरिस महाविद्यालय, नागपुर में इस्लामी सुलेख के नमूनों सहित अरबी तथा फारसी अभिलेखों पर एक प्रदर्शनी (26 फरवरी, 2011)	
			मॉरिस महाविद्यालय, नागपुर में "इस्लामी सुलेख की कला" पर व्याख्यान (26 फरवरी, 2011)	
18.	महाराष्ट्र	मुम्बई मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	12,00,000.00
		उत्खनन शाखा-I, नागपुर	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	49,998.00
		विज्ञान शाखा, औरंगाबाद डिवीजन	हिन्दी में ब्रोशर का प्रकाशन (28-06-2011)	27,354.00
		क्षेत्रीय पुस्तकालय, अजंता, औरंगाबाद	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	49,952.00
19.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	3,918.00

1	2	3	4	5
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	2,29,842.00
		उत्खनन शाखा-IV, भुवनेश्वर	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	50,000.00
		विज्ञान शाखा, भुवनेश्वर डिवीजन	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	49,938.00
20.	पंजाब	चंडीगढ़ मंडल	अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	20,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	40,000.00
21.	राजस्थान	जयपुर मंडल	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	42,763.00
			अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	6,819.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	53,183.00
22.	तमिलनाडु	चेन्नई मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	5,811.00
			स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	42,444.00
			तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का 1000वां वर्ष समारोह (21-22 जनवरी)	5,49,095.00
			तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का 1000वां वर्ष समारोह (22-23 अक्तूबर)	2,78,497.00
		चेन्नई मंडल विज्ञान शाखा, चेन्नई	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	50,000.00
		मंदिर सर्वेक्षण परियोजना (द.क्षे.) चेन्नई	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	4,800.00
			स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	4,716.00
			गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	40,500.00

1	2	3	4	5
		पुरालेखशास्त्र (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई	आयार्य स्कूल, पुदुचेरी (19-11-10 से 22-11-10)	1,11,471.00
			मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई (10-02-2011 से 11-02-2011 तक)	25,434.00
23.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	63,170.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	1,18,625.00
		वायु प्रदूषण जांच प्रयोगशाला और प्रस्तर संरक्षण प्रयोगशाला, आगरा	सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम (25-03-2012)	49,300.00
		लखनऊ मंडल	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	1,15,169.00
			अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	16,300.00
			स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	5,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	7,40,121.00
		उत्तरी क्षेत्र (विज्ञान शाखा), आगरा	25 मार्च, 2010 को दिल्ली क्षेत्र में आयोजित की गई विरासत जागरूकता कार्यक्रम	50,000.00
		पटना मंडल	सारनाथ, मानमहल, गाजीपुर और जौनपुर के लिए ब्रोशरों का मुद्रण	38,400.00
			जौनपुर में विश्व विरासत सप्ताह का आयोजन (2010)	84,385.00
24.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	01,87,347.00
		विज्ञान शाखा, देहरादून	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	10,000.00
25.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता मंडल	अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	12,000.00
			14वां राष्ट्रीय प्रदर्शनी (3 से 7 सितम्बर)	3,61,295.00

1	2	3	4	5
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	12,87,633.00
			7वां जातीय संहाती उत्सव-ओ-भारत मील, 2010 (11-17 दिसम्बर)	2,87,760.00
		पुरालेख शाखा (अरबी और फारसी अभिलेख) नागपुर	आई.आई.टी. खड़गपुर में फारसी-अरबी पुरालेख तथा मुद्राशस्त्र पर प्रदर्शनी और कार्यशाला (29-01-2011)	

2011-12

क्र.सं.	राज्य का नाम	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मंडल/शाखा/ कार्यालय/संग्रहालय का नाम	सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रमों का कार्यक्रम-वार ब्यौरा	प्रत्येक कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि (रुपए)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	उद्यान डिवीजन सं. III, मैसूर	वन महोत्सव (1 से 7 जुलाई) गोलकोण्डा किला, हैदराबाद	20,000.00
			वन महोत्सव (1 से 7 जुलाई) बौद्ध अवशेष, भाटीप्रोलू	19,859.00
			वन महोत्सव (1 से 7 जुलाई) चंद्रगिरी किला, चंद्रगिरी	20,000.00
			वन महोत्सव (1 से 7 जुलाई) स्मारक समूह, अनूपू	19,315.00
		विज्ञान शाखा, हैदराबाद डिवीजन	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	49,988.00
		हैदराबाद मंडल	विरासत सप्ताह (लेपाक्षी, अनंतपुर) (19-25 नवम्बर)	1,65,515.00

1	2	3	4	5
2.	असम	गुवाहाटी मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	28,000.00
			अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	50,000.00
			विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर)	2,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	3,30,000.00
3.	बिहार	पटना मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	71,202.00
			अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	16,960.00
			स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	20,000.00
			शिक्षक दिवस (5 सितम्बर)	6000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर) विरासत मार्च के द्वारा बिहार में सभी उप मंडलों में	35,000.00
			01-01-2011 को कुम्रहार में फोटो प्रदर्शनी	50,000.00
			22-03-2011 को पटना के कमराहर में बिहार दिवस समारोह	20,000.00
			सारनाथ में विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	40,000.00
			जौनपुर और कुशिनगर में विरासत मार्च	10,000.00
			इलाहाबाद में बिहार महोत्सव (16-18 सितम्बर)	5,000.00
		उत्खनन शाखा-III, पटना	वैशाली में वैशाली महोत्सव पर बिहार राज्य के शतवार्षिकी के अवसर पर बिहार में हाल ही के पुरातत्वीय कार्यों पर फोटो प्रदर्शनी (16 और 17 अप्रैल)	48,835.00

1	2	3	4	5
			एवं बस्फा हॉल, वैशाली में विश्व विरासत दिवस के अवसर पर 'जल एक सांस्कृतिक विरासत' पर फोटो प्रदर्शनी	
			विरासत सप्ताह के दौरान पटना के पुरातत्वीय स्थल कुमारहर पर विरासत पदयात्रा आयोजित की गई (25 नवंबर)	15,000.00
			भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 150 वें वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित उद्घाटन समारोह (28 जनवरी, 2012)	20,000.00
			भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 150वें वर्ष के एक भाग के रूप में नवीनतम पुरातत्वीय अन्वेषण और उत्खनन पर आयोजित सेमीनार (28 मार्च, 2012)	2,24,500.00
4.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	चण्डीगढ़ मंडल (विज्ञान शाखा), चंडीगढ़	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	99,270.00
		चंडीगढ़ मंडल	शिक्षक दिवस (5 सितम्बर)	52,800.00
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर) विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	1,25,199.00
6.	दिल्ली राजस्थान गुजरात, पंजाब जम्मू और कश्मीर	उद्यान डिवीजन सं. II, नई दिल्ली	वन महोत्सव (1 से 7 जुलाई)	72,559.00
7.	गोवा	गोवा मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	15,000.00
			विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर)	25,000.00

1	2	3	4	5
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	25,000.00
8.	गुजरात	वडोदरा मंडल	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	54,950.00
			विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	54,771.00
			स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	28,626.00
			विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर)	9,182.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	82,082.00
			150वीं वर्षगांठ (दिसंबर 2011 से मार्च 2012)	2,93,384.00
		उत्खनन शाखा-V, वडोदरा	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	5,000.00
			गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	58,914.00
		विज्ञान शाखा, वडोदरा डिवीजन	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर, 2011)	वडोदरा मंडल के सहयोग से
9.	हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	63,000.00
			विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर)	55,045.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	67,633.00
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	30,000.00
			वन महोत्सव (1 से 7 जुलाई)	25,000.00
			शिक्षक दिवस (5 सितम्बर)	30,000.00
			विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर)	25,000.00

1	2	3	4	5
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	40,000.00
11.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	1,00,000.00
			विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर)	50,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	74,296.00
12.	झारखंड	रांची मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	40,000.00
13.	कर्नाटक	बंगलोर मंडल	11वां कन्नड़ साहित्य सम्मेलन (18-19 जून) फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई	14,257.00
			चित्रदुर्गा किले में आयोजित एन.एस.एस. कैम्प	4,249.00
			विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	2,200.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर) चित्रदुर्गा में मनाया	1,22,167.00
		धाड़वाड़ मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	52,640.00
			विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर)	15,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	1,38,125.00
		पुरालेख शाखा, नागपुर	इस्लामिक सुलेख साथ ही साथ ऐतिहासिक महत्व के इस्लामिक स्मारकों के नमूनों के साथ-साथ अरबी और फारसी अभिलेखों पर एक प्रदर्शनी (26-02-2011)	49,990.00
			अरबी और फारसी अभिलेखों के लिए भारतीय पुरालेख पर एक सप्ताह का पुनरीक्षा कोर्स राज्य संग्रहालय में गठित किया गया था (अक्तूबर मध्य, 2011)	13,781.00 (जनवरी, 2012 तक)

1	2	3	4	5
		उद्यान डिवीजन सं. III, मैसूर	वन महोत्सव (1-7 जुलाई) गोलगुम्बज, बीजापुर	19.970.00
				19,998.00
			वन महोत्सव (1-7 जुलाई) श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्रीरंगपटना	
			वन महोत्सव (1-7 जुलाई) दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपटना	20,000.00
			वन महोत्सव (1-7 जुलाई) गुम्बज, श्रीरंगपटना	19,970.00
			वन महोत्सव (1-7 जुलाई) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय, मैसूर	20,492.00
14.	केरल	उद्यान डिवीजन सं. III, मैसूर	वन महोत्सव (1-7 जुलाई) बेकल किला	17,000.00
		त्रिशूर मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	50,000.00
			प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में जागरूकता सृजन के लिए त्रिशूर में पणधारियों की बैठक	1,14,000.00
15.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	4,97,888.00
		पुरालेख शाखा (अरबी और फारसी अभिलेख) नागपुर	मुम्बई विश्वविद्यालय में भारतीय पुरालेख और मुद्राशास्त्र पर आयोजित एक प्रदर्शनी (दिसम्बर, 2011)	
		मुम्बई मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	5,00,000.00
		विज्ञान शाखा, औरंगाबाद डिवीजन	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर) एलोरा गुफाओं में मनाया	1,345.00
16.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	34,368.00

1	2	3	4	5
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	1,52,040.00
		उत्खनन शाखा-IV, भुवनेश्वर	विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	1,30,914.00
		उद्यान डिवीजन सं. IV, भुवनेश्वर	वन महोत्सव (1 से 7 जुलाई)	1,84,345.00
17.	पंजाब	चंडीगढ़ मंडल	अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई)	60,000.00
			शिक्षक दिवस (5 सितम्बर)	52,800.00
			विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर)	55,045.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	67,633.00
18.	राजस्थान	जयपुर मंडल	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	39,300.00
			विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	20,000.00
			स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	87,163.00
			विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर)	10,500.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	35,000.00
			राजस्थान दिवस	27,511.00
19.	तमिलनाडु	चेन्नई मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	34,000.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	37,937.00
			श्रीविलीपुतुर स्थित व्याख्या केंद्र, फरवरी, 2011	2,36,250.00
		पुरालेख (दक्षिणी जोन), चेन्नई	गवर्नमेंट आर्टस कॉलेज, कोयम्बटूर (27-09-11 से 29-09-11)	5,950.00
			विश्व पर्यटन दिवस	
			गवर्नमेंट आर्टस कॉलेज, अरियालुर (19-03-2012 से 21-03-2012)	67,275.00

1	2	3	4	5
20.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल)	1,76,795.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	1,13,700.00
		उद्यान डिवीजन सं. I, आगरा	वन महोत्सव (1 से 7 जुलाई)	18,000.00
		उत्तरी जोन (विज्ञान शाखा), आगरा	नव नियुक्त ए.ए.सी. के लिए वैज्ञानिक संरक्षण पर 6 से 10 जून 2011 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम	14,595.00
21.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	विश्व विरासत दिवस (18 अप्रैल) विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर) गढ़वाल सृजन के अवसर पर फोटो प्रदर्शनी (14-16 अक्तूबर)	2,98,955.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	
		विज्ञान शाखा, देहरादून	अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (18 मई) फोटो प्रदर्शनी आयोजित हुई	10,000.00
			विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर) फोटो प्रदर्शनी आयोजित हुई	38,500.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर) फोटो प्रदर्शनी आयोजित हुई	41,498.00
22.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता मंडल	15वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी (7 से 11 सितम्बर)	5,28,450.00
			विरासत सप्ताह (19-25 नवम्बर)	2,42,654.00
			8वां जातीय संघात उत्सव-ओ-भारत मेला, 2011 (10 से 17 दिसम्बर)	4,22,000.00
			सुंदरवन क्रिस्टी मेला-ओ-लोको संस्कृति उत्सव (20 से 29 दिसम्बर)	1,52,000.00

आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों पर प्रतिबंध

*252. प्रो. सौगत राय:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस और अन्य देशों ने आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों की खेती पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों/बीजों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) यूरोपियन कमीशन की तरफ से यूरोपियन खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ई.एफ.एस.ए.) द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित (जी.एम.) फसलों की कृषि के संबंध में सुरक्षा आकलन किया गया है। ई.एफ.एस.ए. ने जी.एम. मक्का और जी.एम. आलू की कृषि का अनुमोदन किया है। हालांकि फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के कई अन्य सदस्य राष्ट्रों जैसे आस्ट्रिया, ग्रीस, हंगरी, जर्मनी और लक्समबर्ग ने "पूर्वोपाय धारा" लगाई है और अपने-अपने देशों में जी.एम. मक्का की कृषि पर प्रतिबंध लगाया है। यूरोपियन यूनियन के कुछ अन्य सदस्य राष्ट्रों जैसे स्पेन, पुर्तगाल, चेक गणराज्य, रोमानिया, पोलेण्ड एवं स्लोवाकिया ने जी.एम. मक्का की खेती की अनुमति दे दी है और जर्मनी ने जी.एम. आलू की खेती की अनुमति दे दी है। यह माना जाता है कि ई.एफ.एस.ए. ने फ्रांस द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मानव और पशु स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण को जोखिम के संदर्भ में कोई विशिष्ट वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो जी.एम. मक्का के इसके पिछले जोखिम आकलन को अमान्य सिद्ध करे।

भारत सरकार आर्थिक सहयोग एवं विकास संस्था (ओ.ई.सी.डी.) कोडेक्स एलिमेन्टेरियस-अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मानक, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा यथा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत जैव सुरक्षा मानदण्डों के अनुसरण में जी.एम. फसलों की निर्मुक्ति के लिए मामले दर मामले दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। इसलिए इस देश में जी.एम. फसलों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जेलों का आधुनिकीकरण

*253. **श्री हरिन पाठक:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में जेलों के आधुनिकीकरण संबंधी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य ने इस योजना के अंतर्गत बकाया कार्यों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) "कारागार" संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के तहत राज्य का विषय है। कारागार का प्रबंधन और प्रशासन अनन्य रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2002-2007 से 27 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) में 1800/-करोड़ रुपये के परिव्यय से कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना कार्यान्वित की थी और यह योजना दिनांक 31-3-2009 को समाप्त हो गई थी। कारागारों के आधुनिकीकरण के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने और योजना के प्रथम चरण के लाभों के समेकन के उद्देश्य से कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना के द्वितीय चरण के लिए एक प्रस्ताव इस मंत्रालय में विचाराधीन है।

(ग) कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना 2002-2007, जो दिनांक 31-3-2009 को समाप्त हो गई थी, के तहत, गुजरात सरकार को 65.88 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। राज्य सरकार ने निधियों का पूरी तरह से उपयोग कर लिया है और कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना के लक्ष्यों के अनुसार 10 जेलों, 81 बैरकों और 61 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया है।

(घ) और (ङ) गुजरात राज्य सरकार ने योजना की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2010 और

2012 में 51.15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध किया था। तथापि, चूंकि योजना दिनांक 31-3-2009 को समाप्त हो गई थी, इसलिए आगे कोई कार्रवाई व्यवहार्य नहीं थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

*254. **श्री नवीन जिन्दल:**
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश में राज्य-वार कुल कितने राशनकार्ड जारी किए गए तथा उचित मूल्य की कितनी दुकानें कार्यरत थीं तथा इसके अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं की कितनी मात्रा आबंटित की गई;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु कोई तंत्र उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या और स्थिति सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को 30-09-2012 तक 24.28 करोड़ राशन कार्ड जार किए गए हैं और 5,13,524 उचित दर दुकानें चल रही हैं। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटित विभिन्न खाद्य पदार्थों नामत: खाद्यान्न, चीनी और मिट्टी के तेल के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I-IV में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेवारी के अधीन चलाई जाती है जिसमें उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अन्दर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेवारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है।

इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने और सुरक्षित उपलब्धता तथा वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने 31-08-2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया है। इस आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति का काम देखने के लिए कम से कम निरीक्षक के पद का एक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान है जिसके ब्यौरे शिकायत-निपटान/शिकायत दर्ज करने वाले प्राधिकारी के रूप में उचित दर दुकानों के मालिकों द्वारा प्रदर्शित भी किए जाएं। इसके अलावा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण के भाग के रूप में, टोलफ्री हैल्पलाइन नं. आदि के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए शिकायत निपटान तंत्र स्थापित करें।

देश के कुछ क्षेत्रों/राज्यों में खाद्यान्नों के अन्यथा स्थानान्तरण/लीकेज, जाली/अपात्र राशन कार्ड होने आदि सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के बारे में रिपोर्ट मिली हैं। जब कभी व्यक्तियों और संगठनों तथा प्रेस रिपोर्टों के जरिए सरकार को शिकायतें प्राप्त होती है तो इन्हें जांच और उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया जाता है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या बताने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाना एक सतत प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार नियमित रूप से पत्र जारी करती रही है और सम्मेलन आयोजित करती रही है जिनमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदन अन्न योजना परिवारों की सूचियों की लगातार समीक्षा करने, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता और विभिन्न स्तरों पर उन्नत मानिटरिंग तथा सतर्कता सुनिश्चित करने, संशोधित नागरिक अधिकार पत्र अपनाने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यंत्रों का उपयोग करने और उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों का मासिक प्रमाणीकरण आदि करने का अनुरोध किया जाता है।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2009-2010 से 2012-13 (अक्तूबर, 12 तक) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3884.25	3676.48	3738.252	2229.976
2.	अरुणाचल प्रदेश	101.556	101.556	101.556	59.241
3.	असम	1485.966	1673.126	1806.756	1100.666
4.	बिहार	3437.481	3543.192	3650.312	2160592
5.	छत्तीसगढ़	1091.952	1168.032	1218.752	725.732
6.	दिल्ली	592.548	595.734	597.858	349.37
7.	गोवा	46.708	68.751	60.316	36.771
8.	गुजरात	1618.488	1885.998	2018.738	1216.313
9.	हरियाणा	980.472	685.242	732.422	441.007
10.	हिमाचल प्रदेश	497.466	508.988	519.146	307.965
11.	जम्मू और कश्मीर	756.804	757.104	756.804	441.469
12.	झारखंड	1311.792	1319.412	1339.032	792.547
13.	कर्नाटक	2167.492	2260.476	2386.646	1786.208
14.	केरल	1301.604	1399.646	1431.674	859.068
15.	मध्य प्रदेश	3030.87	2610.454	2680.736	1596.211
16.	महाराष्ट्र	4509.359	4490.412	4647.114	2836.109
17.	मणिपुर	117.146	141.844	160.446	99.722
18.	मेघालय	147.276	182.928	181.696	110.005
19.	मिजोरम	82.908	70.14	70.14	40.915
20.	नागालैंड	129.546	126.876	126.876	74.011
21.	ओडिशा	2115.852	2221.788	2118.908	1280.986
22.	पंजाब	1213.92	786.348	814.1	482.986
23.	राजस्थान	1945.464	2037.128	2115.14	1271.375
24.	सिक्किम	44.22	44.25	44.27	25.83
25.	तमिलनाडु	3767.832	3722.832	3722.832	2171.652
26.	त्रिपुरा	302.004	302.622	308.034	176.89
27.	उत्तर प्रदेश	7039.894	6948.948	7114.59	4239.97

1	2	3	4	5	6
28.	उत्तराखंड	436.002	474.122	501.702	304.662
29.	पश्चिम बंगाल	3316.544	3601.864	3763.754	2250.031
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31.959	34.02	34.02	19.845
31.	चंडीगढ़	25.796	31.38	34.98	21.455
32.	दादरा और नागर हवेली	8.88	9.924	10.284	6.104
33.	दमन और दीव	4.32	4.98	5.43	3.297
34.	लक्षद्वीप	4.614	4.62	4.62	4.695
35.	पुदुचेरी	53.712	56.112	58.912	35.182
	कुल	47602.697	47547.329	48876.848	29558.858

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान किए गए विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटन के खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11	
		जनवरी 2010 को किया गया अतिरिक्त आवंटन	19-5-2010 को एस.वाई./बी.पी.एल./ए.पी.एल. हेतु अतिरिक्त आवंटन	6-1-2011 को ए.पी.एल. हेतु अतिरिक्त आवंटन	7-9-2010 को किया गया बी.पी.एल. आवंटन
		आवंटन	आवंटन	आवंटन	आवंटन
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	316.420	268.957	255.220	511.570
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.840	4.114	3.104	12.592
3.	असम	89.860	196.381	282.673	290.794
4.	बिहार	237.580	201.943	116.258	500.214
5.	छत्तीसगढ़	88.220	149.974	205.047	143.784
6.	दिल्ली	55.640	47.294	51.509	31.364
7.	गोवा	6.400	5.440	5.904	3.680
8.	गुजरात	175.140	148.869	144.063	162.572
9.	हरियाणा	62.960	53.516	51.205	60.504
10.	हिमाचल प्रदेश	25.140	21.369	16.128	39.416
11.	जम्मू और कश्मीर	36.040	30.634	63.139	56.440
12.	झारखंड	87.120	74.052	42.587	183.584
13.	कर्नाटक	188.740	160.429	136.922	239.946

1	2	3	4	5	6
14.	केरल	122.200	153.870	179.893	125.653
15.	मध्य प्रदेश	194.060	164.951	121.077	516.324
16.	महाराष्ट्र	354.540	301.359	242.956	501.060
17.	मणिपुर	8.140	6.919	5.231	17.730
18.	मेघालय	8.980	7.633	5.773	19.034
19.	मिजोरम	3.340	5.678	18.149	10.214
20.	नागालैंड	6.040	10.268	13.864	14.510
21.	ओडिशा	135.820	115.447	75.819	252.906
22.	पंजाब	79.520	67.592	276.145	35.888
23.	राजस्थान	177.340	301.478	239.700	236.420
24.	सिक्किम	2.100	2.285	1.646	4.498
25.	तमिलनाडु	277.640	235.994	195.767	372.918
26.	त्रिपुरा	14.440	12.274	9.269	22.622
27.	उत्तर प्रदेश	522.830	444.406	335.641	818.880
28.	उत्तराखंड	24.380	20.723	165.65	38.188
29.	पश्चिम बंगाल	290.460	246.891	202.822	397.152
30.	अडंमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.620	1.377	1.150	2.146
31.	चंडीगढ़	4.060	3.451	3.907	1.764
32.	दादरा और नगर हवेली	0.720	0.612	0.391	1.382
33.	दमन और दीव	0.510	0	0.478	0.268
34.	लक्षद्वीप	0.220	0.187	0.174	0.230
35.	पुदुचेरी	4.480	3.808	3.039	6.442
	सकल जोड़	3607.540	3066.410#	2500.000#	5000.004#

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13	
		16-5-2011 को किया गया बी.पी.एल. आवंटन	निर्धनतम जिलों को किया गया बी.पी.एल./ए.ए.वाई. आवंटन	जुलाई, 2012 में किया गया बी.पी.एल. आवंटन	निर्धनतम जिलों को किया गया बी.पी.एल./ए.ए.वाई. आवंटन
		आवंटन	आवंटन	आवंटन	आवंटन
1	2	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	311.570	116.797	311.57	11.584

1	2	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.592	0.737	7.592	0
3.	असम	220.794	15.34	140.794	26.273
4.	बिहार	600.214	596.511	500.213	595.395
5.	छत्तीसगढ़	143.784	131.952	143.784	307.274
6.	दिल्ली	31.364	0	31.364	0
7.	गोवा	3.680	0	3.68	0
8.	गुजरात	162.572	51.502	162.572	0
9.	हरियाणा	60.504	9.739	60.504	7.164
10.	हिमाचल प्रदेश	39.416	11.537	39.416	11.537
11.	जम्मू और कश्मीर	56.440	11.757	56.44	11.757
12.	झारखंड	183.584	132.229	183.584	131.781
13.	कर्नाटक	239.946	31.395	239.946	31.395
14.	केरल	119.168	5.068	119.168	0
15.	मध्य प्रदेश	316.324	278.044	316.324	171.156
16.	महाराष्ट्र	501.060	105.812	501.059	0
17.	मणिपुर	12.730	1.215	12.730	0
18.	मेघालय	14.033	1.719	14.033	0
19.	मिजोरम	10.214	0.159	5.214	0.159
20.	नागालैंड	19.510	0.315	9.51	0.315
21.	ओडिशा	252.906	143.933	252.906	119.901
22.	पंजाब	35.888	1.839	35.888	1.839
23.	राजस्थान	186.420	99.054	186.42	50.538
24.	सिक्किम	10.778	0.264	3.298	0.44
25.	तमिलनाडु	372.918	40.948	372.918	40.948
26.	त्रिपुरा	22.622	2.734	22.622	1.746
27.	उत्तर प्रदेश	818.880	316.724	818.879	159.556
28.	उत्तराखंड	38.188	2.602	38.188	1.681
29.	पश्चिम बंगाल	397.152	259.315	397.152	259.315
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.146	0	2.146	0
31.	चंडीगढ़	1.764	0	1.764	0
32.	दादरा और नागर हवेली	1.382	0	1.382	0

1	2	7	8	9	10
33.	दमन और दीव	0.268	0	0.268	0
34.	लक्षद्वीप	0.230	0	0.23	0
35.	पुदुचेरी	6.442	0	6.442	0
	सकल जोड़	5000.004#	2369.241	5000.000#	1941.754

कतिपय क्षेत्रों में कुल को राज्यों को किए गए आवंटन में दिखाए गए सकल जोड़ के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि समग्र आवंटनों में से न उठाई मात्रा से पुनः आवंटन किए गए थे।

विवरण-III

चीनी मौसम 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के तहत आवंटित राज्यवार लेवी चीनी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10*	2010-11*	2011-12* (P)	2012-13 (अक्तूबर, 2012 से मार्च 2013)*
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	124.37	124.37	124.37	62.20
2.#	अरुणाचल प्रदेश	10.29	10.27	10.36	5.30
3.#	असम	224.38	224.52	223.82	112.30
4.	बिहार	1.65	251.07	246.98	124.97
5.	छत्तीसगढ़	55.26	56.28	45.27	23.88
6.	दिल्ली	37.16	37.16	37.3	18.74
7.	गोवा	1.58	1.58	1.59	0.80
8.	गुजरात	75.44	75.98	76.39	38.20
9.	हरियाणा	32.08	32.06	32.22	17.19
10.	हिमाचल प्रदेश	57.07	57.08	56.22	28.95
11.	जम्मू और कश्मीर	88.04	87.8	87.83	44.39
12.	झारखंड	84.87	86.27	80.97	39.63
13.	कर्नाटक	109.66	109.7	109.74	54.92
14.	केरल	52.92	52.92	52.98	24.69
15.	मध्य प्रदेश	155.8	155.83	150.85	75.01
16.	महाराष्ट्र	176.37	176.43	173.57	88.30
17.#	मणिपुर	21.88	21.93	21.97	11.09

1	2	3	4	5	6
18.#	मेघालय	20.96	20.96	20.98	10.61
19.#	मिजोरम	8.35	8.24	8.29	4.20
20.#	नागालैंड	14.64	14.64	14.7	7.39
21.	ओडिशा	108.52	108.58	104.74	48.77
22.	पंजाब	20.87	20.86	20.94	10.57
23.	राजस्थान	94.54	94.61	94.74	45.81
24.	सिक्किम	4.7	4.76	5.2	1.32
25.	तमिलनाडु	140.14	133.37	136.85	68.47
26.#	त्रिपुरा	32.88	32.86	32.94	16.33
27.	उत्तर प्रदेश	412.2	412.48	412.56	213.99
28.	उत्तराखंड	73.38	73.49	73.73	37.54
29.	पश्चिम बंगाल	178.58	178.84	173.12	87.48
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.77	4.74	2.19	2.37
31.	चंडीगढ़	0.91	0.88	0.93	0.50
32.	दादरा और नागर हवेली	0.6	0.6	0.61	0.30
33.	दमन और दीव	0.12	0.12	0.13	0.07
34.	लक्षद्वीप	1.32	1.34	1.24	0.69
35.	पुदुचेरी	2.12	2.08	2.34	1.48
	सकल जोड़	2591.77	2674.7	2638.67	1330.35

अक्तूबर, 2012 से मार्च, 2013 के दौरान भूटान को भी 0.189 टन लेवी चीनी का आवंटन किया गया है।

* चीनी मौसम अक्तूबर से सितम्बर तक गिना जाता है।

ये भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रचालित राज्य हैं।

(p) - अंनतिम

विवरण-IV

गत तीन वर्षों और दिसम्बर तक वर्तमान वर्ष (2012-13) हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के उत्तम किस्म के मिट्टी के तेल का आवंटन

(किलो. ली. में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2012-13 (तीसरी तिमाही तक)	2011-12	2010-11	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5424	7248	7248	7272
2.	आन्ध्र प्रदेश	349488	530808	595800	664476
3.	अरुणाचल प्रदेश	8676	11628	11736	11783
4.	असम	246096	330708	331176	331392

1	2	3	4	5	6
5.	बिहार	612900	820320	824760	827265
6.	चंडीगढ़	3000	7332	9168	9227
7.	छत्तीसगढ़	139680	186600	186972	187382
8.	दादरा और नागर हवेली	1692	2484	3036	3579
9.	दमन और दीव	684	2016	2328	2663
10.	दिल्ली	40464	61380	138900	173777
11.	गोवा	4140	19776	22680	24684
12.	गुजरात	505188	673584	920556	954329
13.	हरियाणा	72252	157260	172632	186107
14.	हिमाचल प्रदेश	18960	32472	40260	58424
15.	जम्मू और कश्मीर	63048	95082	95082	96794
16.	झारखंड	202500	270276	270852	271089
17.	कर्नाटक	392148	539544	562812	592822
18.	केरल	95148	197124	225096	277959
19.	लक्षद्वीप	1008	1020	1020	1022
20.	मध्य प्रदेश	469476	626412	626412	626881
21.	महाराष्ट्र	718740	1258812	1564176	1640416
22.	मणिपुर	19008	25344	25344	25370
23.	मेघालय	19440	26064	26136	26162
24.	मिजोरम	5868	7836	7920	7942
25.	नागालैंड	12816	17100	17100	17113
26.	ओडिशा	299808	400944	403140	403919
27.	पुदुचेरी	3540	10440	15732	15740
28.	पंजाब	78960	272556	285396	301590
29.	राजस्थान	383220	511404	511644	511984
30.	सिक्किम	4752	6588	6600	7153
31.	तमिलनाडु	363954	551352	633648	717580
32.	त्रिपुरा	29376	39264	39300	39501
33.	उत्तर प्रदेश	1194120	1592700	1593768	1594413
34.	उत्तराखंड	28836	107520	111060	115451
35.	पश्चिम बंगाल	723348	964728	965388	965724
	कुल आवंटन	7117758	10365726	11254878	11698985

विवरण-V

2009 से 2012 (30 सितम्बर, 2012 तक) व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से विभाग को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में प्राप्त शिकायतें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	3	1	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	2	2	-
3.	असम	6	1	1	1
4.	बिहार	16	13	6	8
5.	छत्तीसगढ़	4	5	1	-
6.	दिल्ली	29	37	16	19
7.	गोवा	-	1	-	-
8.	गुजरात	4	3	2	3
9.	हरियाणा	5	24	7	5
10.	हिमाचल प्रदेश	-	-	4	-
11.	जम्मू और कश्मीर	1	3	-	3
12.	झारखंड	6	5	3	3
13.	कर्नाटक	6	2	1	2
14.	केरल	1	3	1	1
15.	मध्य प्रदेश	9	13	9	4
16.	महाराष्ट्र	12	5	8	6
17.	मणिपुर	-	-	1	1
18.	मेघालय	-	-	1	-
19.	मिजोरम	-	-	-	1
20.	नागालैंड	1	1	-	-
21.	ओडिशा	1	3	2	1
22.	पंजाब	1	2	-	4
23.	राजस्थान	7	6	6	3
24.	सिक्किम	3	2	-	-
25.	तमिलनाडु	6	2	3	3
26.	उत्तराखंड	1	1	1	2
27.	उत्तर प्रदेश	46	33	68	50

1	2	3	4	5	6
28.	पश्चिम बंगाल	4	2	-	2
29.	चंडीगढ़	-	2	-	-
30.	पुदुचेरी	-	-	-	1
	जोड़	169	174	144	123

[हिन्दी]

दलहनों और तिलहनों का उत्पादन

***255. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारा देश तिलहनों, दलहनों और अन्य प्रमुख फसलों के उत्पादन में पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन फसलों का उत्पादन और इनकी उत्पादकात बढ़ाने तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई, कितनी जारी की गई तथा कितनी उपयोग में लाई गई; और

(ङ) इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जबकि प्रमुख फसलों जैसे चावल, गेहूं और मोटे अनाज का उत्पादन उनकी अनुमानित मांग से अधिक है, दलहन और तिलहन का उत्पादन नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार उनकी अनुमानित मांग से कम है:

(मिलियन मीटरी टन)

फसल	XIवीं योजना के दौरान (औसत 5 वर्ष, अर्थात 2007-08 से 2011-12*) अनुमोदित मांग	XIवीं योजना (औसत पांच वर्ष अर्थात 2007-08 से 2011-12**) में सामान्य उत्पादन	अंतराल (3-2)	मांग अंतराल का समानुपात %
1	2	3	4	5
दलहन	18.31	15.89	-2.42	-13.12
तिहलन	49.39	28.97	-20.42	-41.34
चावल	94.84	97.05	2.21	2.33
गेहूं	74.27	84.16	9.89	13.32
मोटे अनाज	36.66	39.95	3.29	8.97

*योजना आयोग के कार्य समूह के अनुसार;

**डी.ई.एस., डी.ए.सी. भारत सरकार का उत्पादन अनुमान

देश में दलहन और तिलहन का उत्पादन और उत्पादकता कम है क्योंकि इन फसलों को मुख्यत: छोटे और सीमांत किसानों द्वारा देश के वर्षासिंचित क्षेत्रों में सीमान्त भूमि पर उगाया जाता है। दलहन और तिलहन की कम उत्पादकता का कारण बनने वाले प्रमुख कारकों में इन फसलों का निम्न आनुवंशिक आधार होना, जैव एवं अजैव दबाव की अधिक संवेदनशीलत, किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी को कम अपनाना और अपर्याप्त विपणन सहायता है।

(ग) से (ङ) खाद्य फसलों और तिलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने हेतु फसल विशिष्ट विकास स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इन कुछ प्रमुख स्कीमों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), वृहत कृषि प्रबंधन (एम.एम.ए.), समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का स्कीम (आईसोपाम) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) शामिल हैं। दलहन और तिलहन के लिए नई पहलों में एन.एफ.एस.एम.-दलहन का सुदृढ़ीकरण, त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (एउपी), आयल पाम क्षेत्र विस्तार पर विशेष कार्यक्रम (ओ.पी.ए.आई.) और वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन और तिलहन गांवों का समेकित विकास शामिल है।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन गांवों का समेकित विकास, समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम), आयल पाम क्षेत्र विस्तार पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित की गई आवंटित, निर्मुक्त और व्यय की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने पिछले पांच वर्षों से दलहन और तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 70% से लगभग 165% की श्रेणी में पर्याप्त बढ़ोत्तरी की है।

इन पहलों और नीतिगत उपायों के परिणामस्वरूप दलहन का उत्पादन 2007-08 में 14.76 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 में 17.21 मिलियन टन हो गया है। इसी प्रकार तिलहन का उत्पादन 2007-08 में 29.76 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 में 30.01 मिलियन टन हो गया है।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के अंतर्गत राज्यवार आबंटित, निर्मुक्त, प्रयुक्त निधि

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	2009-10			2010-11		
		आबंटन	निर्मुक्ति	उप.	आवंटन	निर्मुक्ति	उप.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	142.23	122.34	127.91	135.20	119.42	106.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	41.30	36.11	41.07	67.33	66.58	35.08
4.	बिहार	125.63	43.34	89.74	75.32	51.56	65.16
5.	छत्तीसगढ़	92.43	20.66	33.31	63.49	19.54	26.75
6.	गुजरात	22.69	14.98	14.41	39.09	23.89	30.16
7.	हरियाणा	33.95	28.65	26.76	39.28	35.75	36.20
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	झारखंड	16.95	4.68	8.17	27.20	16.49	10.21
11.	कर्नाटक	64.25	47.15	58.07	90.32	72.52	76.32
12.	केरल	3.91	2.78	2.55	2.62	2.10	1.99
13.	मध्य प्रदेश	124.98	59.33	83.83	214.76	160.72	151.27
14.	महाराष्ट्र	115.07	105.87	112.96	168.58	147.12	146.16
15.	मणीपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	ओडिशा	64.99	62.41	62.81	66.56	58.53	62.57
20.	पंजाब	64.60	61.22	54.91	48.41	37.57	43.64
21.	राजस्थान	52.20	38.06	40.01	107.60	76.05	78.75
22.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	44.61	30.07	36.76	48.44	30.08	39.44
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	312.51	226.28	227.66	294.12	177.57	213.94
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	100.04	71.65	74.24	65.43	33.94	52.61
	कुल	1422.34	975.58	1095.17	1553.75	1129.43	1177.22

क्र. सं.	राज्य	2011-12			2012-13		
		आबंटन	निर्मुक्ति	उप.	आवंटन	निर्मुक्ति	उप.
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	110.36	88.87	112.34	158.52	80.00	67.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	10.33	7.36	0.00
3.	असम	37.75	36.58	67.94	41.86	23.98	5.18

1	2	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	76.41	74.87	61.52	104.90	54.01	42.33
5.	छत्तीसगढ़	63.29	55.25	45.12	77.41	34.17	18.21
6.	गुजरात	30.27	28.31	29.22	61.19	38.70	10.59
7.	हरियाणा	34.95	27.07	26.89	57.72	29.25	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	21.99	20.25	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	3.59	2.69	0.81	17.34	11.87	1.55
10.	झारखंड	27.10	12.20	25.83	34.10	12.24	10.67
11.	कर्नाटक	80.31	73.26	61.28	123.05	75.65	56.36
12.	केरल	3.04	2.28	2.04	2.59	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	174.03	146.82	173.62	249.56	107.12	43.26
14.	महाराष्ट्र	151.67	135.85	136.54	228.78	186.78	82.79
15.	मणीपुर	0.00	0.00	0.00	12.16	11.45	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	9.30	3.75	0.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	6.04	3.80	3.40
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	11.64	2.97	0.00
19.	ओडिशा	61.01	64.76	62.44	75.97	56.32	29.12
20.	पंजाब	47.72	35.18	15.03	63.86	19.05	0.00
21.	राजस्थान	94.67	79.28	69.02	154.36	95.46	20.86
22.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	36.58	34.54	33.09	52.06	26.44	6.57
24.	त्रिपुरा	3.63	3.63	2.95	21.88	10.79	8.41
25.	उत्तर प्रदेश	283.72	244.96	230.10	290.91	143.07	47.90
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	21.92	16.25	2.22
27.	पश्चिम बंगाल	57.03	38.58	33.64	59.32	18.27	14.23
	कुल	1377.13	1184.98	1189.42	1970.84	1089.00	471.42

@ अभी तक की व्यय रिपोर्ट।

विवरण-II

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन गांवों का समेकित विकास के अंतर्गत राज्यवार आवंटित, निर्मुक्त और उपयोग में ली गई निधि

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		आवं.	निर्मुक्ति	उपयो.	आवं.	निर्मुक्ति	उपयो.	आवं.	निर्मुक्ति	उपयो.	आवं.	निर्मुक्ति	उपयो.
1.	आन्ध्र प्रदेश	यह कार्यक्रम 2010-11			33.00	33.00	33.00	25.10	25.10	25.10	कार्यक्रम को राष्ट्रीय		
2.	बिहार	में शुरू किया गया था			0.00	0.00	0.00	10.18	10.18	3.53	खाद्य सुरक्षा मिशन		
3.	छत्तीसगढ़				0.00	0.00	0.00	11.22	11.22	10.66	दलहन के अंतर्गत		
4.	गुजरात				27.00	27.00	27.00	14.40	14.40	14.40	शामिल किया गया		
5.	कर्नाटक				33.00	33.00	33.00	30.86	30.86	3.83			
6.	मध्य प्रदेश				72.00	36.00	36.00	55.48	55.48	27.50			
7.	महाराष्ट्र				51.00	51.00	51.00	50.96	50.96	19.29			
8.	ओडिशा				0.00	0.00	0.00	9.90	9.90	2.63			
9.	राजस्थान				57.00	57.00	57.00	43.22	43.22	43.22			
10.	तमिलनाडु				0.00	0.00	0.00	7.32	7.32	1.65			
11.	उत्तर प्रदेश				27.00	27.00	27.00	38.36	38.36	5.96			
	कुल				300.00	264.00	264.00	297.00	297.00	157.77			

विवरण-III

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का स्कीम के अंतर्गत राज्यवार आवंटित, निर्मुक्त और उपयोग में ली गई निधि

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	2009-10			2010-11		
		आबंटन	निर्मुक्ति	उप.	आवंटन	निर्मुक्ति	उप.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	37.32	37.32	26.02	57.57	57.57	45.25
2.	बिहार	8.60	8.60	6.78	7.99	7.99	7.23
3.	छत्तीसगढ़	12.62	12.62	12.56	11.67	11.67	10.91

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गोवा	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01
5.	गुजरात	23.63	23.63	13.26	17.86	17.86	20.34
6.	हरियाणा	6.56	6.56	4.79	5.03	5.03	6.41
7.	हिमाचल प्रदेश	0.59	0.59	0.65	0.89	0.89	0.88
8.	जम्मू और कश्मीर	0.83	0.83	0.57	1.32	1.32	1.03
9.	कर्नाटक	17.38	17.38	23.66	57.49	57.49	34.99
10.	केरल	0.35	0.35	0.31	0.00	0.00	0.26
11.	मध्य प्रदेश	43.29	43.29	39.08	56.19	56.19	56.23
12.	महाराष्ट्र	34.28	34.28	32.66	54.98	54.98	55.89
13.	मिजोरम	5.54	5.54	6.77	8.77	8.77	9.00
14.	ओडिशा	31.64	31.64	31.66	30.50	30.50	30.50
15.	पंजाब	0.58	0.58	0.73	0.61	0.61	0.71
16.	राजस्थान	30.02	30.02	28.36	50.71	50.71	48.95
17.	तमिलनाडु	17.54	17.54	16.33	11.33	11.33	13.53
18.	उत्तर प्रदेश	18.22	18.22	12.92	12.22	12.22	14.82
19.	पश्चिम बंगाल	7.55	7.55	7.55	6.14	6.14	2.93
	कुल	296.54	296.54	264.68	391.27	391.27	359.87

क्र. सं.	राज्य	2011-12			2012-13		
		आबंटन	निर्मुक्ति	उप.	आवंटन	निर्मुक्ति	उप.
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	28.35	28.35	32.26	64.88	0.00	21.41
2.	बिहार	9.18	9.18	4.01	12.54	9.19	0.00
3.	छत्तीसगढ़	11.76	11.76	11.10	12.07	7.56	4.81

1	2	9	10	11	12	13	14
4.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
5.	गुजरात	30.34	30.34	27.50	20.78	0.00	13.91
6.	हरियाणा	7.23	7.23	4.05	7.23	4.35	0.72
7.	हिमाचल प्रदेश	0.83	0.83	0.76	0.74	0.65	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	2.06	2.06	1.50	2.06	0.42	0.00
9.	कर्नाटक	47.54	47.54	45.22	35.23	13.94	25.88
10.	केरल	0.23	0.23	0.26	0.65	0.00	0.07
11.	मध्य प्रदेश	74.29	74.29	78.57	60.01	44.91	36.00
12.	महाराष्ट्र	80.91	80.91	73.71	49.63	36.20	26.79
13.	मिजोरम	3.62	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00
14.	ओडिशा	39.61	39.61	34.98	20.42	10.68	5.97
15.	पंजाब	1.40	1.40	0.00	2.03	0.00	0.00
16.	राजस्थान	52.51	52.51	53.26	55.00	23.07	18.86
17.	तमिलनाडु	12.68	12.68	11.05	15.09	8.22	1.92
18.	उत्तर प्रदेश	12.90	12.90	10.13	19.63	6.66	1.58
19.	पश्चिम बंगाल	1.00	1.00	4.33	9.00	6.65	0.14
	कुल	416.44	416.43	396.31	387.02	172.50	158.06

* अभी तक

विवरण-IV

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान आयल पाम क्षेत्र विस्तार पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य आवंटित, निर्मुक्त और उपयोग में ली गई निधि

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		आवं.	निर्मुक्ति	उपयो.	आवं.	निर्मुक्ति	उपयो.	आवं.	निर्मुक्ति	उपयो.	आवं.	निर्मुक्ति	उपयो.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	यह कार्यक्रम 2010-11			कार्यक्रम की 2011-12			192.00	192.00	192.00	17.65	8.82	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	छत्तीसगढ	में शुरू किया गया			में शुरु किया गया			0.00	0.00	0.00	1.37	0.69	उ.न.
3.	गुजरात्							4.80	4.80	4.80	5.39	2.70	उ.न.
4.	कर्नाटक							33.60	33.60	उ.न.	15.03	7.52	उ.न.
5.	महाराष्ट्र							0.96	0.96	उ.न.	1.51	0.76	उ.न.
6.	मिजोरम							14.80	21.07	21.07	25.23	12.62	उ.न.
7.	ओडिशा							17.76	17.76	उ.न.	26.92	0.00	उ.न.
8.	तमिलनाडु							33.60	33.60	उ.न.	6.31	3.16	उ.न.
	कुल							297.52	303.79	217.87	99.41	36.27	उ.न.

* एन.ए. उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

विदेशियों द्वारा अवैध रूप से रहना

*256. **श्री यशवंत लागुरी:**
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले/अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों की राष्ट्रीयता-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या वांग्लादेशियों सहित ये विदेशी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) उपलब्ध सूचनानुसार, 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति तक 71,035 विदेशी राष्ट्रिक, जो वैध यात्रा दस्तावेजों पर भारत आए थे, निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहते हुए पाए गए थे। ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों, जो निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहते हुए पाए गए थे, की राष्ट्रीयता-वार संख्या संलग्न विवतरण में दी गई है। वैध यात्रा दस्तावेजों के बगैर देश में प्रवेश कर चुके विदेशी राष्ट्रिकों के बार में सूचनाएं मिली हैं।

(ख) और (ग) विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा कानून के उल्लंघन और अवैध गतिविधियों में उनके शामिल होने की कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी मिली है। ऐसे मामलों को पंजीकृत करने और उन पर कार्रवाई करने का दायित्व संबंधित पुलिस थानों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के दायरे में आता है। इस प्रकृति के सांख्यिकीय आंकडे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(घ) केन्द्र सरकार को विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अंतर्गत किसी विदेशी राष्ट्रिक को उसके देश वापस भेजने की शक्तियां प्राप्त हैं। अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने तथा उन्हें उनके देश वापस भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित की गई हैं। ऐसे अवैध आप्रवासियों का पता लगाना और इन्हें उनके देश वापस भेजना एक अनवरत प्रक्रिया है। अवैध बंग्लादेशी आप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए एक संशोधित क्रियाविधि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को नवम्बर, 2009 में संसूचित की गई थी, जिसे फरवरी, 2011 में आंशिक रूप से संशोधित किया गया था।

इस क्रियाविधि में ऐसे अवैध आप्रवासियों, जिन्हें भारत में अनधिकृत रूप से प्रवेश करते समय सीमा पर पकड़ा जाता है, को तुरंत वहीं से वापस भेजना शामिल है। जहां तक असम का संबंध है, संदिग्ध विदेशियों को उनकी राष्ट्रीयता का अभिनिर्धारण

करने के लिए विदेशी विषयक अधिकरणों को भेजा जाता है। विदेशी विषयक अधिकरण द्वारा राष्ट्रीयता अभिनिर्धारित किए जाने के बाद ऐसे विदेशियों, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, को उनके देश वापस भेजने के बारे में समुचित कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार के 36 विदेशी विषयक अधिकरण इस समय असम में कार्य कर रहे हैं।

केन्द्र सरकार आप्रवासन, वीजा तथा विदेशियों के पंजीकरण एवं ट्रैकिंग से संबंधित एक मिशन मोड़ परियोजना (आई.वी.एफ.आर.टी.) का क्रियान्वयन भी कर रही है, जो मिशनों में वीजा जारी करने के दौरान, आप्रवासन जांच चौकियों पर आप्रवासन जांच के दौरान तथा विदेशी विषयक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफ.आर.आर.ओ.)/विदेशी विषयक पंजीकरण कार्यालयों (एफ.आर.ओ.) में पंजीकरण के दौरान प्राप्त जानकारी का समेकन और आदान-प्रदान करके विदेशियों को उन्नत तरीके से खोजने के कार्य को भी सुविधाजनक बनाएगी।

विवरण

निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहते पाए गए देश-वार विदेशी राष्ट्रिक

देश	31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहते पाए गए विदेश राष्ट्रिकों की संख्या
1	2
अफगानिस्तान	13744
आस्ट्रेलिया	260
बांग्लादेश	24364
कनाडा	627
चीन	633
कांगो	314
इथोपिया	118
फिजी	164
फ्रांस	611
जर्मनी	647
इंडोनेशिया	124
ईरान	698
इराक	2038
इटली	152
आयवरी कोस्ट	179
जापान	602
केन्या	587
दक्षिण कोरिया	990
मलेशिया	468
मॉरिशस	284
मंगोलिया	123
म्यांमार	1402
नीदरलैंड	118
नाइजीरिया	1528
ओमान	690
पाकिस्तान	8037
फिलीपीन	178
रशिया	343
रवांडा	105
सिलचिल	330

1	2
सिंगापुर	230
स्पेन	135
श्रीलंका	1956
राज्यविहीन-तिब्बत	385
सूडान	562
स्वीडन	103
तंजानिया	1004
थाइलैंड	273
यू.एस.ए.	2168
यू.के.	1094
यमन	269
अन्य	2398
कुल	71035

कोयला परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन

***257. श्री बंस गोपाल चौधरी:**
शेख सैदुल हक:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा देश के कोयला भण्डार वाले कुछ राज्यों में अपनी नई परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन किया गया है/किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) परियोजनाओं के लिए अपनी भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हेतु अपनाई जा रही नीति का ब्यौरा क्या हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) राष्ट्रीयकरण के बाद से कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) एवं इसकी सहायक कंपनियों ने लगभग 157303 हे. भूमि अर्जित की है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	सहायक कंपनी	राज्य	अर्जित भूमि (हेक्टेयर में)		
			काश्तकारी	सरकारी	वन
1	2	3	4	5	6
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.)	पश्चिम बंगाल और झारखंड	13344	742	1032
2.	भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.)	झारखंड	4720	346	86
3.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.)	झारखंड	12877	9406	13572
4.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.)	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश	5934	3018	8226
5.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.)	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	23498	2170	1316.6

1	2	3	4	5	6
6.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.)	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	22872	4500	5537
7.	महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.)	ओडिशा	10529	7954	5580
8.	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एन.ई.सी.)	असम	43	0.4	0.00
		सी.आई.एल.	93817	28136.4	35349.6

लगभग 20106 हेक्टेयर भूमि अर्जित करने के लिए अन्य 61 भूमि अर्जन के प्रस्ताव प्रतीक्षित हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	परियोजना	प्रकार	अन्य भूमि की आवश्यकता (हेक्टेयर में)	राज्य
1	2	3	4	5
1.	चित्रा ईस्ट	ओसी	408.08	झारखंड
2.	राजमहल विस्तार	ओसी	23.28	झारखंड
3.	कारो	ओसी	174.96	झारखंड
4.	कोनार	ओसी	57.65	झारखंड
5.	नाथ उरीमरी	ओसी	295.10	झारखंड
6.	टोपा आरई-ओ.आर.जी.	ओसी	360.00	झारखंड
7.	ब्लॉक-बी	ओसी	128.32	झारखंड
8.	बेलबैद (धसल)	यूजी	61.78	पश्चिम बंगाल
9.	झांझरा दूसरी सी.एम.	यूजी	229.20	पश्चिम बंगाल
10.	कुमारडीह-बी	यूजी	91.00	पश्चिम बंगाल
11.	नबाकजोरा माधबपुर	यूजी	10.00	पश्चिम बंगाल
12.	नरायनकुरी	यूजी	10.40	पश्चिम बंगाल
13.	सर्पी (आर.सी.ई.) अग.	यूजी	91.90	पश्चिम बंगाल
14.	भानेगांव	ओसी	257.13	महाराष्ट्र
15.	भाटडीह विस्तार	ओसी	493.09	महाराष्ट्र
16.	घौंसा (आर.पी.आर.)	ओसी	116.05	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
17.	गोकुल ओसी	ओसी	767.17	महाराष्ट्र
18.	गौंडेगांव विस्तार	ओसी	266.61	महाराष्ट्र
19.	गौरी दीप	ओसी	159.27	महाराष्ट्र
20.	इन्द्र यूजी से ओसी	ओसी	256.07	महाराष्ट्र
21.	जुनाद विस्तार	ओसी	173.96	महाराष्ट्र
22.	जुनाकुण्डा	ओसी	7.87	महाराष्ट्र
23.	कोलार पिम्परी विस्तार ओसी	ओसी	943.00	महाराष्ट्र
24.	मकरधोकरा-1	ओसी	660.70	महाराष्ट्र
25.	पौनी-2	ओसी	316.30	महाराष्ट्र
26.	पेंनगंगा	ओसी	781.00	महाराष्ट्र
27.	सिनगौरी	ओसी	412.81	महाराष्ट्र
28.	यकोना-1	ओसी	270.50	महाराष्ट्र
29.	यकोना-2	ओसी	442.06	महाराष्ट्र
30.	नायगांव के लिए योजना/बैल्लोरा दीप	ओसी	87.00	महाराष्ट्र
31.	बल्लारपुर के लिए योजना	ओसी	17.67	महाराष्ट्र
32.	धुरवासा विस्तार के लिए योजना	ओसी	79.04	महाराष्ट्र
33.	तेलवासा विस्तार के लिए योजना	ओसी	21.00	महाराष्ट्र
34.	कुम्बरखानी सी.एम. योजना	यूजी	14.63	महाराष्ट्र
35.	सास्ती विस्तार	ओसी	165.74	महाराष्ट्र
36.	उरधन (आर.सी.ई.*)	ओसी	140.75	मध्य प्रदेश
37.	निगाही विस्तार फेस-2, 5 एम.टी.वाई. (15 एम.टी.वाई.)	ओसी	86.96	मध्य प्रदेश
38.	अमादंड	ओसी	94.00	मध्य प्रदेश
39.	कंचन	ओसी	53.82	मध्य प्रदेश
40.	दामिनी	यूजी	328.06	मध्य प्रदेश
41.	अम्बिका ओसी	ओसी	124.18	छत्तीसगढ़
42.	अमेरा	ओसी	291.84	छत्तीसगढ़
43.	अमगांव	ओसी	285.96	छत्तीसगढ़
44.	बरौद विस्तार (रॉय वेस्ट)	ओसी	511.29	छत्तीसगढ़

1	2	3	4	5
45.	दिपका विस्तार 5 एम.टी.वाई. (25 एम.टी.वाई.)	ओसी	299.19	छत्तीसगढ़
46.	घेवरा विस्तार, 10 एम.टी.वाई. (35 एम.टी.वाई.)	ओसी	1003.33	छत्तीसगढ़
47.	जगन्नाथपुर (महान-3 एवं 4)	ओसी	535.73	छत्तीसगढ़
48.	कुसमुंडा विस्तार-2, 5 एम.टी.वाई. (15 एम.टी.वाई.)	ओसी	815.09	छत्तीसगढ़
49.	पेलमा	ओसी	1717.49	छत्तीसगढ़
50.	सरायपल्ली	ओसी	282.58	छत्तीसगढ़
51.	पिनौरा अग.	यूजी	148.58	छत्तीसगढ़
52.	विंध्या अग.	यूजी	81.00	छत्तीसगढ़
53.	अंनता विस्तार फेस-III, 3 एम.टी.वाई. (15 एम.टी.वाई.)	ओसी	485.88	ओडिशा
54.	बलराम विस्तार	ओसी	317.95	ओडिशा
55.	भरतपुर विस्तार फेस-II 5, एम.टी.वाई. (15 एम.टी.वाई.)	ओसी	491.90	ओडिशा
56.	भुवनेश्वरी ओसीपी	ओसी	182.85	ओडिशा
57.	गोपाल प्रसाद \	ओसी	929.20	ओडिशा
58.	हिंगुला विस्तार, 7 एम.टी.वाई. (15 एम.टी.वाई.)	ओसी	388.41	ओडिशा
59.	कनिहा ओसीपी	ओसी	756.00	ओडिशा
60.	कुल्दा	ओसी	176.50	ओडिशा
61.	तालाबीरा	ओसी	927.60	ओडिशा
	सी.आई.एल.		20106.48	

अधिग्रहण को गति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के भूमि अर्जन अधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।

(ii) गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य प्राधिकारियों अर्थात भू-राजस्व आयुक्त, भूमि एवं राजस्व सचिव के साथ नियमित बैठकें।

(iii) पुर्नवास स्थल के चयन के लिए भूमि स्वामियों/ग्रामीणों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है और पुनर्वास स्थल पर उनको शिफ्ट करने के लिए राजी भी जाता है।

(iv) अधिग्रहण प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए कोल इंडिया लि. ने अपनी आर. एंड आर. नीति में संशोधन किया है।

(ग) उन विस्थापित व्यक्तियों जिनकी भूमि अर्जित की गई है, के लिए सी.आई.एल. द्वारा अपनाई जा रही संशोधित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, 2012 का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(i) भूमि पर भूमि, आवास, वृक्षों, कुएं के लिए मुआवजा।

(ii) पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभों के लिए भू-वंचितों के लिए विकल्प।

(iii) सोलेशियम और मुआवजे की राशि में वृद्धि का प्रावधान।

(iv) घटायी गयी प्रशिक्षण अवधि के साथ उच्च वेतन—

राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एन.सी.डब्ल्यू.ए.) के साथ आटोमेटिक वेतन संशोधन।

(v) तेजी से भूमि अधिग्रहण के लिए निर्णय लेने हेतु सहायक कंपनियों को शिथिलता।

(vi) दो एकड़ से कम भूमि वाले भू-वंचितों को रोजगार।

(vii) रोजगार के बदले एक मुश्त नगद मुआवजा।

(viii) एक मुश्त नगद मुआवजा के स्थान पर वार्षिकी का विकल्प।

(ix) आवास के लिए मुआवजा, जीविकोपार्जन भत्ते का प्रावधान, बंटाईदारों, भूमि पट्टादाताओं, काश्तकारों और दैनिक मजदूरों को मुआवजा।

(x) आदिवासियों के लिए अतिरिक्त लाभ।

(xi) पुर्नस्थापन स्थलों पर सामुदायिक सुविधाएं।

(xii) संशोधन के लिए सहायक कंपनियों को शिथिलता।

(xiii) बाह्य भर्ती में वरीयता।

(xiv) उन गांवों जहां भूमि अधिग्रहीत की गई है, के आस-पास कारपोरेट सामाजिक उत्तरादायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापों को तीव्र करने के लिए बजट प्रावधान।

स्पॉट एक्सचेंजों के माध्यम से गेहूं की बिक्री

***258. श्री सुरेश कलमाडीः** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की 'स्पॉट एक्सचेंजों' के माध्यम से गेहूं की बिक्री करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्तिति क्या है तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां इस प्रयोजनार्थ 'स्पॉट एक्सचेंज' स्थापित किए गए हैं अथवा स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के लाभ हेतु खरीद प्रक्रिया को किस हद तक और अधिक दक्ष और किफायती बना सकेगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी हां। खुला बाजार बिक्री योजना के तहत स्पॉट एक्सचेंज के जरिए थोक उपभोक्ताओं/निजी व्यापारियों को गेहूं की बिक्री करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अधिकृत किया गया है।

(ख) वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम खुला बाजार बिक्री योजना के तहत मैनुअल निविदा प्रणाली के जरिए थोक उपभोक्ताओं/निजी व्यापारियों को गेहूं की बिक्री कर रहा है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को यह निदेश दिया गया है कि वह ऐसी बिक्री मैनुअल निविदा प्रणाली के स्थान पर स्पॉट एक्सचेंज के जरिए करें। भारतीय खाद्य निगम स्वयं एक्सचेंज स्थापित करने की योजना तैयार नहीं कर रहा है, बल्कि इसके बजाय इस उद्देश्य के लिए पहले से ही मौजूद एक्सचेंज-सेवाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय खाद्य निगम ऐसी बिक्री के लिए स्पॉट एक्सचेंजों का चयन कर रहा है।

(ग) खुला बाजार बिक्री योजना के तहत स्पॉट एक्सचेंज के जरिए गेहूं की बिक्री और केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद की प्रक्रिया अलग-अलग है, इसलिए इसके प्रभाव का प्रश्न नहीं उठता।

पशुपालन का विकास

***259. श्री जोसेफ टोप्पोः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पशुपालन का संवर्धन और विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में पशुपालन परियोजनाओं हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में सुअर पालन और मुर्गी पालन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) भारत सरकार विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के जरिए पशुपालन को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरण और सम्पूरण करती है। इन योजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्य सरकारें पशुपालन के विकास के लिए इन योजनाओं के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। पशुपालन क्षेत्र से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों को जारी की गई धनराशि का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरणे-II से V में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन (एन.एम.पी.एस.) सहित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अधीन उपलब्ध धनराशि का उपयोग भी कर सकती हैं।

(घ) और (ङ) उत्तर-पूर्वी राज्यों में सूअर और कुक्कुट पालन पशुपालन कार्यकलापों का महत्वपूर्ण भाग हैं।

कुक्कुट विकास के लिए, विभाग द्वारा निम्नलिखित तीन घटकों के साथ एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है:-

1. राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता,
2. ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास,
3. कुक्कुट सम्पदा।

यह विभाग विभिन्न बैंकग्राह्य कुक्कुट कार्यकलापों में व्यक्तियों की उद्यमशीलता दक्षता को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 'कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष (पी.वी.सी.एफ.)' भी क्रियान्वित कर रहा है जो ब्याज मुक्त ऋण पद्धति पर 2009-10 से नाबार्ड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। 2011-12 से, कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाभभोगियों के लिए और उत्तर-पूर्वी राज्यों में सभी लाभभोगियों के लिए 33 प्रतिशत की दर पर और अन्य लाभभोगियों के लिए 25 प्रतिशत की दर पर पूंजीगत सब्सिडी पद्धति पर क्रियान्वित की जा रही है। 2012-13 के दौरान, उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुक्कुट विकास योजनाओं के लिए 825 लाख रुपए का आबंटन किया गया था जिसमें से 364.56 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई थी जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-V की क्रम संख्या 3 और 7 में दिया गया है।

सूअर विकास के लिए, यह विभाग राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से ऋण से सम्बद्ध नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों में बाड़ा (स्टाल-फैड) स्थिति के अधीन सूअर पालन द्वारा किसानों/भूमिहीन श्रमिकों/सहकारिताओं को सहायता देना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2012-13) के दौरान सूअर विकास योजना के अधीन उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए नाबार्ड को 500.00 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसमें से नाबार्ड ने 31-8-2012 तक लाभभोगियों को 276.61 लाख रुपए जारी किए हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-V की क्रम संख्या 8 पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सूअर क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों को एन.एम.पी.एस. के अधीन भी धनराशि जारी की गई है। 2011-12 और 2012-13 (30-11-2012) के दौरान सूअर क्षेत्र के लिए जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

एन.एम.पी.एस. के सूअर घटक के अधीन उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए किए गए आवंटन और जारी की गई धनराशि

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2011-12		2012-13	
		आबंटन	जारी की गई धनराशि	आबंटन	जारी की गई धनराशि (30-11-2012)
1.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	330	*
2.	असम	300	300	450	225
3.	मणिपुर	–	–	210	*
4.	मेघालय	300	300	330	*
5.	मिजोरम	500	250	330	165
6.	नागालैंड	500	500	340	170
7.	सिक्किम	300	300	300	*
8.	त्रिपुरा	–	–	180	*

(* अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के लिए वर्ष 2012-13 के लिए आज की तारीख तक कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है)।

विवरण-I

पशुपालन क्षेत्र से संबंधित क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची

1. राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एन.पी.सी.बी.बी.)
2. केन्द्रीय प्रायोजित चारा एवं आहार विकास योजना
3. केन्द्रीय प्रायोजित कुक्कुट विकास योजना
4. जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास
5. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम
6. सूअर विकास
7. कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष
8. संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण

विवरण-II

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग वर्ष 2009-10 के दौरान पशुपालन के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को योजना-वार और राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	2009-10			
		अरूणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय
1	2	3	4	5	6
1.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	111.85	–	175.00	108.37
	(i) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	86.85	–	150.00	88.37
	(ii) व्यवसायिक दक्षता का विकास	–	–	25.00	5.00
	(iii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	25.00			15.00
	(iv) राष्ट्रीय पशुरोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एन.ए.डी.आर.एस.)	–	–	–	–
	(v) पशुचिकित्सा अस्पतालों और डिस्पेसरियों की स्थापना	–	–	–	–
	(vi) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना		614.14	323.80	
3.	कुक्कुट विकास	–	–	–	49.10
4.	जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास	–	–	–	–
5.	संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण	50.00	–	–	–

1	2	3	4	5	6
6.	केन्द्रीय प्रायोजित चारा एवं आहार विकास योजना	55.00		80.00	–
7.	कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष	–	25.00	–	–
8.	सूअर विकास	–	–	–	–
	कुल	216.85	639.14	578.80	157.47

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	2009-10			
		मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा
1	2	7	8	9	10
1.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	70.00	180.00	98.43	–
	(i) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	50.00	150.00	83.43	–
	(ii) व्यवसायिक दक्षता का विकास	20.00	15.00	15.00	–
	(iii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना		15.00	–	–
	(iv) राष्ट्रीय पशुरोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एन.ए.डी.आर.एस.)	–	–	–	–
	(v) पशुचिकित्सा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना	–	–	–	–
	(vi) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	65.00	69.76	77.30	
3.	कुक्कुट विकास	20.00		277.75	
4.	जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास	–	–	–	–
5.	संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण	30.00		18.25	–
6.	केन्द्रीय प्रायोजित चारा एवं आहार विकास योजना	–	–	50.00	–
7.	कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष	–	–	–	–
8.	सूअर विकास	–	–		–
	कुल	185.00	249.76	521.73	-

नोट: क्र.सं. 7 और 8 पर योजनाओं का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जाता है।

विवरण-III

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग वर्ष 2010-11 के दौरान पशुपालन के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को योजना-वार और राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	2010-11			
		अरूणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय
1	2	3	4	5	6
1.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	478.19	891.00	14.00	22.00
	(i) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	94.14	–	–	–
	(ii) व्यवसायिक दक्षता का विकास	20.00	–	–	8.00
	(iii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	15.00	15.00	10.00	10.00
	(iv) राष्ट्रीय पशुरोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एन.ए.डी.आर.एस.)	4.00	4.00	4.00	4.00
	(v) पशुचिकित्सा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना	297.00	872.00	–	–
	(vi) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	48.05	–	–	–
2.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	133.35	74.08	361.75	200.00
3.	कुक्कुट विकास	69.20	157.33	–	–
4.	जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास	–	–	–	–
5.	संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण	–	28.50	25.50	25.50
6.	केन्द्रीय प्रायोजित चारा एवं आहार विकास योजना	–	–	–	27.61
7.	कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष	–	2.50	–	2.50
8.	सूअर विकास	–	58.12	–	1.02
	कुल	680.74	1211.53	401.25	278.63

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	2010-11			
		मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा
1	2	7	8	9	10
1.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	308.79	128.00	53.00	400.00
	(i) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	50.00	100.00	25.00	286.00

1	2	7	8	9	10
	(ii) व्यवसायिक दक्षता का विकास	–	14.00	14.00	10.00
	(iii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	10.00	10.00	10.00	
	(iv) राष्ट्रीय पशुरोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एन.ए.डी.आर.एस.)	4.00	4.00	4.00	4.00
	(v) पशुचिकित्सा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना	233.33	–	–	100.00
	(vi) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	11.46	–	–	–
2.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	171.57	227.28	100.00	237.76
3.	कुक्कुट विकास	40.00	95.75	102.50	60.50
4.	जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास	–	22.85	58.39	
5.	संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण				
6.	केन्द्रीय प्रायोजित चारा एवं आहार विकास योजना	100.00	71.00	65.00	32.25
7.	कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष	–	–	–	1.50
8.	सूअर विकास	–	61.81	–	–
	कुल	620.36	606.69	378.89	732.01

नोट: क्र.सं. 7 और 8 पर योजनाओं का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जाता है।

विवरण-IV

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग वर्ष 2011-12 के दौरान पशुपालन के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को योजना-वार और राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	2011-12			
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय
1	2	3	4	5	6
1.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	378.77	1736.04	593.63	148.65
	(i) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	128.62	404.74	150.00	100.00
	(ii) व्यवसायिक दक्षता का विकास	–	–	15.00	14.80
	(iii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	16.00	15.00	–	13.00

1	2	3	4	5	6
	(iv) राष्ट्रीय पशुरोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एन.ए.डी.आर.एस.)	2.15	–	–	2.15
	(v) पशुचिकित्सा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना	232.00	978.00	428.63	–
	(vi) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	–	338.30	–	18.70
2.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	319.85	728.21	–	–
3.	कुक्कुट विकास	65.40	–	–	31.50
4.	जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास	38.00	–	–	–
5.	संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण	–	–	–	–
6.	केन्द्रीय प्रायोजित चारा एवं आहार विकास योजना	55.00	218.20	–	–
7.	कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष	-	46.77	-	-
8.	सूअर विकास	-	315.93	-	9.29
	कुल	857.02	3045.15	593.63	189.44

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	2011-12			
		मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा
1	2	7	8	9	10
1.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	164.52	406.73	212.34	–
	(i) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	126.92	175.00	43.70	–
	(ii) व्यवसायिक दक्षता का विकास	24.00	15.00	15.00	–
	(iii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	–	15.00	10.00	–
	(iv) राष्ट्रीय पशुरोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एन.ए.डी.आर.एस.)	2.15	2.15	–	–
	(v) पशुचिकित्सा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना	–	158.40	143.64	–
	(vi) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	11.45	41.18	–	–
2.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	189.45	417.49	–	–
3.	कुक्कुट विकास	20.40	97.95	–	85.00

1	2	7	8	9	10
4.	जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास	–	50.00	44.00	20.00
5.	संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण	–	–	28.00	–
6.	केन्द्रीय प्रायोजित चारा एवं आहार विकास योजना	–	127.80	124.00	–
7.	कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष	–	–	–	–
8.	सूअर विकास	144.85	97.13	34.70	–
	कुल	519.22	1197.10	443.04	105.00

नोट: क्र.सं. 7 और 8 पर योजनाओं का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जाता है।

विवरण-V

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग वर्ष 2012-13 के दौरान पशुपालन के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को योजना-वार और राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	2012-13			
		अरूणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय
1	2	3	4	5	6
1.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	196.35	–	–	–
	(i) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	150.00	–	–	–
	(ii) व्यवसायिक दक्षता का विकास	8.00	–	–	–
	(iii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	12.00	–	–	–
	(iv) राष्ट्रीय पशुरोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एन.ए.डी.आर.एस.)	–	–	–	–
	(v) पशुचिकित्सा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना	–	–	–	–
	(vi) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	26.35	–	–	–
2.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	-	–	–	–
3.	कुक्कुट विकास	89.40	–	–	–
4.	जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास	12.00	–	–	

1	2	3	4	5	6
5.	संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण	–	–	–	–
6.	केन्द्रीय प्रायोजित चारा एवं आहार विकास योजना	–	–	–	–
7.	कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष	2.41	264.59	–	8.16
8.	सूअर विकास	18.59	122.62	–	–
	कुल	318.75	387.21	–	8.16

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	2012-13			
		मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा
1	2	7	8	9	10
1.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	10.00	15.00	128.55	147.05
	(i) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
	(ii) व्यवसायिक दक्षता का विकास	10.00	15.00		
	(iii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	–	–	–	–
	(iv) राष्ट्रीय पशुरोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एन.ए.डी.आर.एस.)	–	–	–	–
	(v) पशुचिकित्सा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना	–	–	120.00	147.05
	(vi) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	–		8.55	
2.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	–	157.56	–	100.00
3.	कुक्कुट विकास	–	–	–	–
4.	जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास	–	22.85	–	-
5.	संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण	–	–	–	
6.	केन्द्रीय प्रायोजित चारा एवं आहार विकास योजना	278.00	–	124.00	36.53
7.	कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष	–	–	–	–
8.	सूअर विकास	78.94	56.46	–	–
	कुल	366.94	251.87	252.55	283.58

नोट: क्र.सं. 7 और 8 पर योजनाओं का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

कोयले की ढुलाई

***260. श्री जगदानंद सिंह:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके राज्यों में कोयला खनन क्षेत्रों से गन्तव्य स्थान तक कोयले की ढुलाई और बैगन लोडिंग बाधित हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसका कोयला आपूर्ति पर क्या असर पड़ा है और राज्य और कंपनी-वार इन कार्यों पर उपरोक्त अवधि में कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों को इस कारण हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोयले की ढुलाई में हुई हानि को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां।

(ख) रेलवे साइडिंग पर और खनन क्षेत्रों से वेगन लोडिंग तक कोयले का परिवहन विभिन्न कारणों से अवरुद्ध होता है। इनमें झारखंड और ओडिशा राज्यों में रुक-रुक कर कानून तथा व्यवस्था की समस्याएं, गरम हवाओं की परिस्थितियों जैसी मौसमी प्रतिकूल स्थितियां, आकस्मिक बाढ़ तथा पीक मानसून मौसम के दौरान पुलियों एवं पुलों के जलभराव, उत्पादन के चरम महीनों के दौरान वेगनों की अपर्याप्त उपलब्धता शामिल हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कोयले को आपूर्ति पर उपरोक्त आवाजाही की दिक्कतों का प्रभाव तथा ऐसे प्रचालनों पर राज्य-वार वर्ष-वार किया गया व्यय का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) कोयले का नियोजित प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए रेलवे के साथ कोलियरियों/खानों द्वारा क्षेत्रीय स्तर से शुरू होते हुए सहायक कंपनियों द्वारा जोनल स्तर तक, कोल इंडिया लि. द्वारा रेलवे बोर्ड के स्तर तक, नियमित समन्वय किया जाता है। इसके अलावा, कोल इंडिया लि. द्वारा रेल-कोल इंटरफेस फोरम के माध्यम से बेगन लदान से संबंधित विभिन्न प्रचालन, वाणिज्यिक एवं अवसंरचनात्मक मुद्दों पर कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा रेलवे के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह के माध्यम से नियमित निगरानी भी की जाती है जो कोयले की आवाजाही में किसी संकट को कम करने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेती है। कोल इंडिया लि. तथा कोयला कंपनियां भी कानून एवं व्यवस्था के मसलों पर राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से बातचीत करती हैं।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों की जनगणना

2761. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2001 की जनगणना के अनुसार नि:शक्त व्यक्तियों की कुल संख्या क्या थी;

(ख) क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार संवर्धन हेतु राष्ट्रीय केन्द्र और एक्शन फॉर एबिलिटि डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन (ए.ए.डी.आई.) इत्यादि जैसे निकायों ने नि:शक्त व्यक्तियों की अधिक संख्या बताए जाने पर आपत्ति उठाई है;

(ग) क्या 2011 की जनगणना में पर्याप्त एहतियाती उपाय किए गए हैं ताकि जनगणना परिगणक वास्तविक आंकड़े दर्ज करे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जनगणना 2001 के अनुसार भारत में नि:शक्त व्यक्तियों की कुल संख्या 2,19,06,769 है।

(ख) जनगणना 2001 में सूचित नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या को किसी भी संगठन/अभिकरण द्वारा अतिरंजित नहीं माना गया और इसीलिए किसी भी संगठन द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। तथापि, कुछ संगठन जनगणना 2001 में बताई गई नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या से सहमत नहीं थे।

(ग) और (घ) नि:शक्तता सहित अन्य आंकड़ों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए जनगणना 2011 में अनेक परिवर्तन किए गए। नि:शक्तता विषयक प्रश्न से संबंधित मुद्दों के संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) देश के सभी नि:शक्त व्यक्तियों की सम्पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिकोण से जनगणना 2011 में नि:शक्तता संबंधी प्रश्न पूछा गया तथा सरकार के प्रमुख पणधारियों तथा नेशनल सेण्टर फार प्रमोशन आफ इम्प्लायमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपुल सहित नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम कर रही संस्थाओं के परामर्श से विभिन्न प्रकार की नि:शक्तताओं की परिभाषा को संशोधित किया गया। परिवार अनुसूची में शामिल किए गए नि:शक्तता से संबंधित प्रश्न में भारत की जनगणना 2001 में परिवार अनुसूची में

शामिल किए गए नि:शक्तता के पांच प्रकारों की तुलना में आठ प्रकार की नि:शक्तताओं संबंधी जानकारी एकत्र क़रने का प्रयास किया गया। नि:शक्तता के आठ प्रकार जिनके संबंध में जानकारी एकत्र की गई है वे हैं: 'देखने में', 'सुनने में', 'बोलने में', 'चलने-फिरने में', 'मानसिक रूप से पिछड़ों में', 'मानसिक रोग में', 'कोई अन्य' तथा 'बहुल नि:शक्तता'।

(ii) नि:शक्तता संबंधी प्रश्न की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें नि:शक्त व्यक्तियों संबंधी अधिनियम, 1995 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट, 1999 में सूचीबद्ध की गई लगभग सभी प्रकार की नि:शक्तताओं संबंधी जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया गया।

(iii) जिला स्तर तक जनगणना कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और उन्हें सुग्राही बनाने के कार्य में नि:शक्तता क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन संलिप्त थे।

(iv) इसके अतिरिक्त जनगणना 2011 के दौरान नि:शक्तता सहित पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए विशेष प्रकार माड्यूल्स विकसित किए गए।

कर्नाटक में सेन्ट्रल स्टेट फार्म

2762. श्री शिवराम गौडा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के रायचूर में एक सेन्ट्रल स्टेट फार्म स्थापित किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में कृषि संबंधी विभिन्न कार्यकलापों हेतु इसे कितनी भूमि आबंटित की गई;

(ग) क्या इसकी काफी भूमि बेकार पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने उक्त भूमि के उचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय राज्य फार्म निगम (एस.एफ.सी.आई.) के तहत कर्नाटक के रायचूर जिले में जावलगेरा में 1969 में एक केन्द्रीय राज्य फार्म स्तापित किया गया था।

रायचूर फार्म का कुल क्षेत्र 2960 हैक्टेयर है जिसमें से 1564 हैक्टेयर कृष्य है और शेष अकृष्य है। कृष्य क्षेत्र में से केवल 800 हैक्टेयर सिंचित है जबकि शेष वर्षासिंचित है। 1396 हैक्टेयर अकृष्य क्षेत्र है जिसमें से 325 हैक्टेयर का उपयोग कार्यालय/आवासीय खण्ड, स्कूलों, सड़कों, भाण्डागार सुविधाओं आदि के लिए कर लिया गया है। गत तीन वर्षों, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमश: 865 हैक्टेयर, 841 हैक्टेयर तथा 851.5 हैक्टेयर का उपयोग किया गया।

(ग) से (ङ) आरंभ में यह फार्म जंगल/बंजर भूमि था। पिछले कुछ वर्षों में एस.एफ.सी.आई. ने इस फार्म को विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं। भूमिगत जल अधिक लवण मात्रा युक्त था और सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं था। यह फार्म तुंगभद्रा डैम से एक संवितरण चैनल, जो आखिरी छोर पर स्थित है, के जरिए नहर के पानी पर निर्भर है। 42.48 क्युसेक के प्राधिकृत जल निकास की तुलना में पानी की उपलब्धता केवल 15 क्यूसेक के आसपास है। तथापि, अवस्थिति संबंधी सीमितताओं जैसे अकृष्य भूमि वाले बड़े भू-भागों, सिंचाई के सीमित दायरे, खारे पानी की विद्यमानता आदि के बावजूद इस फार्म भूमि का, जहां तक संभव है, सर्वोत्तम उपयोग किया जा रहा है। फार्म में वर्षा जल तथा नहर के पानी को स्टोर करने के लिए जल भंडारण टैंक और चेकडैम विकसित किए हैं ताकि फसलों में इनका उपयोग किया जा सके। इस फार्म पर उत्पादित बीजों को कर्नाटक राज्य में ही आपूरित किया जा रहा है।

एस.एफ.सी.आई. द्वारा कृष्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार विभिन्न विकासात्मक और अवसंरचना सृजन कार्यकलाप किए जा रहे हैं। सी.एस.एफ., रायचूर के कार्यकरण और लाभ देने संबंधी निष्पादन में सुधार करने के लिए निगम ने गत दो वर्षों में 1.99 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

[हिन्दी]

जी.पी.एस. का संस्थापन

2763. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) की संस्थापना हेतु प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जी.पी.एस. लगाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त प्रणाली के संस्थापन हेतु निधियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त कमी से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) के लिए कोई पृथक प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, सीमा की रक्षा में उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों के समाहित किए जाने के प्रयासों के भाग के रूप में भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) के कार्मिकों को 6346 हैंड हेल्ड जी.पी.एस. उपकरण, भारत-चीन सीमा पर तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिकों को 665 हैंड हेल्ड जी.पी.एस. उपकरण तथा भारत-नेपाल एवं भारत भूटान सीमाओं पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के कार्मिकों को 61 हैंड हेल्ड जी.पी.एस. उपकरण और भारत-म्यांमार सीमा पर तैनात असम राइफल्स के कार्मिकों को 1785 हैंड हेल्ड जी.पी.एस. उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ) और (ङ) इस संबंध में कोई वित्तीय अड़चन नहीं है।

सांस्कृतिक केंद्रों का विकास

2764. श्री गणेश सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सांस्कृतिक केंद्रों के विकास हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के किन स्थलों के लिए अभी तक वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या केंद्र सरकार का राज्य सरकार द्वारा बाबा अलाऊद्दीन खान की याद में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम हेतु सहायता देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 'नल तरंग' जैसे नये वाद्य यंत्र मेहर स्थित बाबा अलाऊद्दीन खान संगीत विद्यालय में विकसित किये गये थे; और

(च) यदि हां, तो उक्त कला के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी): (क) और (ख) सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेड.सी.सी.) की स्थापना की है। मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसका मुख्यालय नागपुर में है, दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आता है। इस स्थिति में, मध्य प्रदेश में किसी सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार स्कीमों को संचालित करती है जिनके तहत कला के संरक्षण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर तथा शर्तें पूरी होने पर सहायता प्रदान की जा सकती है। फिर भी, 'नल तरंग' के परिरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच किए गए मामले

2765. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) ने अभी हाल ही में अमृतसर में स्वापक पदार्थों, जाली नोटों और हथियारों की जब्ती से संबंधित मामला अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने स्वापक पदार्थों, जाली भारतीय करेंसी नोटों और हथियारों एवं गोलाबारूद की जब्ती के संबंध में पुलिस स्टेशन राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ, अमृतसर, पंजाब में दर्ज एफ.आई.आर. सं. 14/2012 से संबंधित मामला अपने अधिकार में ले लिया है।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

कुम्भ मेले में सुरक्षा

2766. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 2013 में इलाहाबाद प्रयाग में लगने वाले महाकुम्भ मेले में आतंकवादी हमले की किसी चुनौती का सामना करने हेतु सुरक्षा कड़ी करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बल के कब तक तैनात किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार वर्ष 2013 में इलाहाबाद प्रयाग में लगने वाले महाकुम्भ मेले के लिए सुरक्षा संबंधी प्रबन्ध कर रही है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई आवश्यकता के अनुसार वृद्धि की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर इलाहाबाद में कुम्भ मेले के दौरान सुरक्षा प्रबन्धों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। ये बल दो चरणों में-अर्थात कुछ जनवरी, 2013 से और कुछ फरवरी, 2013 में तैनात किए जाएंगे।

[अनुवाद]

जी.एम. फसलों के पेटेंट

2767. श्री उदय सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बी.टी. बेंगन तथा आनुवांशिक रूप से परिवर्तित (जी.एम.) अन्य फसलों के पेटेंटों के बारे में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा झूठे दावे किए जाने के विरुद्ध कोई पत्र/ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी, हां।

(ख) अखबारों में कुछ रिपोर्ट सहित एक कृषि वैज्ञानिक के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) इस विषय पर पहले से ही जांच प्रारंभ की जा चुकी है।

[हिन्दी]

प्रसार भारती में कर्मचारी

2768. श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री महेश्वर हजारी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** प्रसार भारती में कर्मचारी के बारे में 08-05-2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5127 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती में नैमित्तिक और अनुबंध आधार पर लगाए गए कर्मचारियों की भर्ती और सेवाओं के बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में क्रमशः 249 और 58 नियमित कर्मचारियों की भर्ती की है।

जहां तक नैमित्तिक कर्मचारियों का संबंध है, उन्होंने सूचित किया है कि 226 नैमित्तिक कलाकार हैं व विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में कार्य कर रहे 146 फ्लोर सहायक और 203 अस्थायी स्तर कर्मकार हैं। आकाशवाणी में 318 संविदा कर्मचारी और 38 अस्थायी स्तर श्रमिक हैं।

प्रसार भारती बोर्ड ने 26 सितम्बर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में नैमित्तिक कार्मिकों को उनके नियोजन के वर्षों की संख्या के बराबर आयु में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है, जिसके अंतर्गत किसी कैलेण्डर वर्ष में न्यूनतम 120 दिन के नियोजन को उन पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा के लिए पद की पात्रता शर्तें पूरी करने पर एक वर्ष माना जाएगा जिनके लिए उन्हें नियोजित किया गया है। प्रसार भारती ने प्रस्ताव को सरकार के अनुमोदन हेतु भेज दिया है और भर्ती विनियमों में समुचित संशोधन की कार्रवाई संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मानवाधिकार आयोग

2769. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी राज्यों में मानवाधिकार आयोग गठित किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक किन राज्यों में उक्त आयोग गठित किए जा चुके हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने राज्यों में मानवाधिकार आयोगों का गठन करने और उनमें रिक्त पदों के भरे जाने के बारे में राज्य सरकारों को कोई मार्गनिदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने प्रत्येक राज्य में ऐसे आयोग गठित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं तथा उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है जिन्होंने अभी तक उक्त आयोग गठित नहीं किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त अन्तिम सूचना के अनुसार अब तक 23 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोग (एस.एच.आर.सी.एस.) गठित किए हैं। ये राज्य आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा हैं।

(ग) से (ङ) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन का प्रावधान है और सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्यों से इसके लिए अनुरोध करते रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन करना और ऐसे आयोगों में रिक्त पदों को भरना संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है।

[अनुवाद]

बलात्कार के मामलों के लिए कानून

2770. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बलात्कारियों को आजीवन कारावास की सजा देने हेतु कठोर कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 को संसद में पुरःस्थापित किया गया है।

इस विधेयक की प्रमुख बातों में भारतीय दंड संहिता, 1860 की मौजूदा धारा 375, 376, 376क, 376ख, 376ग एवं 376घ के स्थान पर धारा 375, 376, 376क एवं 376ख प्रतिस्थापित किया जाना, जहां कहीं 'बलात्कार' शब्द का उल्लेख है, वहां उनके स्थान पर 'यौन हमला' शब्द प्रतिस्थापित किया जाना, यौन हमले के अपराध को लिंग (जेंडर) निरपेक्ष बनाना, तथा साथ ही यौन हमला संबंधी अपराध की परिधि को बढ़ाया जाना शामिल है।

यौन हमले के लिए न्यूनतम 7 वर्ष की सजा होगी, जिसे गुरुतर यौन हमले अर्थात पुलिस अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर यौन हमला या सरकारी सेवक/प्रबंधक या व्यक्ति द्वारा अपने प्राधिकार की स्थिति का फायदा उठाने आदि, के लिए बढ़ाकर आजीवन कारावास एवं जुर्माना भी किया जा सकता है। सजा सश्रम कारावास की होगी जो दस वर्ष से कम की नहीं होगी, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास एवं जुर्माना भी किया जा सकता है।

यौन हमले में सहमति की आयु को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया है। तथापि, यह प्रस्ताव किया गया है कि किसी पुरुष द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की अपनी पत्नी के साथ किया गया यौन संबंध यौन हमला नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं 509 के अंतर्गत सजा को बढ़ाए जाने तथा तेजाब (एसिड) से किए जाने वाले हमले को एक विशिष्ट अपराध मानने के लिए धारा 326क एवं 326ख अंतःस्थापित किए जाने हेतु उपबंध किया गया है।

[हिन्दी]

नक्सली हिंसा से बचाव

2771. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नक्सली हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण हेतु कोई कार्ययोजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादी (एल.डब्ल्यू.ई.) हिंसा के कारण मारे गए प्रत्येक सिविलियन के परिवार को 1 लाख रुपये तथा मारे गए प्रत्येक सुरक्षा कार्मिक के परिवार को 3 लाख रुपये अनुग्रह भुगतान की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, सिविलयन पीड़ितों/आतंकवाद, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के सिविलियन पीड़ितों/पीड़ितों के परिवार को केंद्रीय सहायता योजना के तहत मृतक के सिविलियन पीड़ित के परिवार को अथवा स्थायी अक्षमता के लिए 3 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवादी (एल. डब्ल्यू. ई.) हिंसा में मारे गए सिविलियनों और सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की अपनी नीतियां होती हैं। तथापि महिलाओं के लिए इस प्रकार की अलग से कोई नीति नहीं है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) असम, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ में बाल बंधु योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, बच्चों के जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास किया गया है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया गया है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और संरक्षा संबंधी उनकी समस्त पात्रता सरकारी कार्रवाई के माध्यम से पूरी हो जाए।

लाल बीकन लाईटों का उपयोग

2772. श्री अशोक अर्गल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो अपने वाहनों पर लाल बीकन लाइट लगाने के लिए पात्र हैं;

(ख) क्या इस बारे में कोई मार्गनिदेश बनाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कच्ची चीनी पर आयात शुल्क

2773. श्री ए. साई प्रताप: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी उद्योग घरेलू बाजारों को मूल्यों में विकृति से बचाने के लिए कच्ची चीनी पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% करने हेतु सरकार से अनुरोध करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वदेशी चीनी उद्योग को बचाने और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ यथास्थिति बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) इस समय चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम होने के कारण चीनी उद्योग के कुछ वर्गों ने सरकार से रॉ/श्वेत/परिष्कृत चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस समय दिनांक 13-07-2012 से रॉ/श्वेत/परिष्कृत चीनी पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है।

(ग) सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और तथा सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर उचित निर्णय लिये जाएंगे।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण कार्य

2774. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान की ओर बढ़ते निर्माण कार्यों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ऐसे कार्यों को रोकने हेतु रणनीति बनाने/उपाय करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) सीमा पाकिस्तान की ओर कोई बढ़ती हुई निर्माण संबंधी गतिविधि नहीं है। तथापि, अपनी रक्षा शक्ति बढ़ाने के लिए पाकिस्तान द्वारा समय-समय पर ढांचों का निर्माण किया जाता है। ऐसी सभी गतिविधियों की बी.एस.एफ. द्वारा गहन निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मुद्दों पर पारस्परिक स्वीकार्य शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है। विगत तीन वर्षों में ऐसे निर्माणों/मरम्मत का ब्यौरा निम्नानुसार है;

ब्यौरा	2009	2010	2011	2012 (सितम्बर तक)	कुल
बंकर	133	159	149	96	537
मोर्चा	67	14	35	नहीं देखे गए	116
टावर	48	41	20	15	124
पोस्ट/बी.ओ.पी.	16	07	02	5	30
हेलीबैड	शून्य	शून्य	06	देखे नहीं गए	06

अन्तराष्ट्रीय सीमा के करीब पाकिस्तान द्वारा निर्माण संबंधी गतिविधियों के मुद्दे विभिन्न स्तरों पर अर्थात कम्पनी कमांडेंट, सेक्टर कमांडेंट और महानिरीक्षक स्तरीय बैठकों तथा महानिदेशक स्तरीय वार्षिक वार्ताओं में उठाए जाते हैं।

(ग) और (घ) इन गतिविधियों को रोकने के लिए रणनीति/उपाय अपनाने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया गया

था। तथापि, तैनाती योजना, रक्षा ढांचों का निर्माण, बी.ओ.पी. के स्थान तथा हथियारों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और इस क्षेत्र में उचित कार्रवाई की जाती है।

कृषि क्षेत्र हेतु बाह्य सहायता

2775. **श्री गोपीनाथ मुंडेः**
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देलाः
श्री पी.सी. मोहनः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किसी प्रकार की बाह्य/विदेशी सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि में मांगी गई/प्राप्त उक्त सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि में देश में कृषि के विकास हेतु राज्य-वार/योजना-वार संवितरित और उपयोग में लाई गई विदेशी निधियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी हां।

(ख) से (घ) मांगी गई संवितरित और उपयोग की गई प्रमुख बाह्य/विदेशी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है।

विवरण-I

2009-2010 से 2012-13 तक कृषि क्षेत्र में सरकारी खाते में बाह्य/वि शी ऋण का प्राधिकरण

(राशि हजार)

राज्य, प्रदाता, ऋण		ऋण मुद्रा/समझौते की तारीख		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3		4	5	6	7
असम		एक्सडीआर		0.00	0.00	0.00	32,600.00
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	2,706,549,80
आईडीए		एक्सडीआर		0.00	0.00	0.00	32,600.00
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	2,706,549.80
1.	5062-आईएन असम कृषि प्रतिस्पर्धी परियोजना हेतु अतिरिक्त वित्त पोषण	एक्सडीआर	13-04-2012	0.00	0.00	0.00	32,600 00
		आईएनआर		0.00	0 00	0.00	2,706,549.80
केन्द्रीय सरकार		एक्सडीआर		0.00	0.00	0.00	218,800.00
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	18,165,432.40
आईडीए		एक्सडीआर		0.00	0.00	000	218,800.00
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	18,165,432.40
2.	5074-आईएन राष्ट्रीय डेयरी सहायता परियोजना	एक्सडीआर	13-04-2012	0.00	0.00	0.00	218,800.00

1	2	3		4	5	6	7
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	18,165,432.40
	हिमाचल प्रदेश	जेपीवाई		0.00	5,001,000.00	0.00	0,00
		आईएनआर		0.00	2,663,582.61	0.00	0.00
	जापान	जेपीवाई		0.00	5,001,000.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	2,663,582.61	0.00	0.00
3.	आईडीपी-213 हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना	जेपीवाई	17-02-2011	0.00	4,643,000.00	000	0.00
		आईएनआर		0.00	2,472,908.23	0.00	0.00
4.	आईडीपी-213ए (हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना)	जेपीवाई	17-02-2011	0.00	358,000.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	190,674.38	0.00	0.00
	उत्तराखंड	एक्सडीआर		0.00	5,100.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	355,622.99	0.00	0.00
	आईडीए	एक्सडीआर		0.00	5,100.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	355,622.99	0.00	0.00
5.	4850-आईएन उत्तराखंड विकेन्द्रीकृत पनधारा विकास परियोजना हेतु अतिरिक्त वित्त पोषण	एक्सडीआर	17-03-2011	0.00	5,100.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	355,622.99	0.00	0.00
	बिहार	यूएसडी		0.00	0.00	0.00	67,600.00
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	3,680,357.28
	एशियन डेवलपमेंट बैंक	यूएसडी		0.00	0.00	0.00	67,600.00
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	3,680,357.28
6.	2669-आईएनडी कृषि व्यापार अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना 1	यूएसडी	09-07-2012	0.00	0.00	0.00	67,600.00

1	2	3		4	5	6	7
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	3,680,357.28
महाराष्ट्र		यूएसडी		0.00	0.00	24,300.00	0.00
		आईएनआर		0.00	0.00	1,162,209.33	0.00
एशियन डेवलपमेंट बैंक		यूएसडी		0.00	0.00	24,300.00	0.00
		आईएनआर		0.00	0.00	1,162,209.83	0.00
7.	2837-आईएनडी कृषि व्यापार अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना 2	यूएसडी	18-01-2012	0.00	0.00	24,300.00	0.00
		आईएनआर		0.00	0.00	1,162,209.83	0.00
महाराष्ट्र		एक्सडीआर		26,820.00	65,900.00	0.00	0.00
		आईएनआर		1,978,474.20	4,595,206.87	0.00	0.00
आईडीए		एक्सडीआर		0.00	65,900.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	4,595,206.87	0.00	0.00
8.	4809-आईएन महाराष्ट्र कृषि प्रतिस्पर्धी परियोजना	एक्सडीआर	02-11-2010	0 00	65,900.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	4,595,206.87	0.00	0.00
आईएफएडी		एक्सडीआर		26,820.00	000	0.00	0.00
		आईएनआर		1,978,474.20	0.00	0.00	0.00
9.	0779-आईएन महाराष्ट्र विपदा ग्रस्त जिला कार्यक्रम में कृषि हस्तक्षेपों का अभिसरण	एक्सडीआर	30-09-2009	26,820.00	000	0.00	0.00
		आईएनआर		1,978,474.20	0.00	0.00	0.00
राजस्थान		एक्सडीआर		0.00	0.00	0.00	70,300.00
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	5,836,516,90
आईडीए		एक्सडीआर		0.00	0.00	0.00	70,300.00
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	5,836,516.90
10.	5085-आईएन राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धी परियोजना	एक्सडीआर	13-04-2012	0.00	0.00	0.00	70,300.00

1	2	3		4	5	6	7
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	5,836.516.90
उत्तर प्रदेश		एक्सडीआर		127,300.00	0.00	0.00	0.00
		आईएनआर		9,390,744.44	0.00	0.00	0.00
आईडीए		एक्सडीआर		17,300.00	0.00	0 00	000
		आईएनआर		9,390,744.44	0.00	0.00	0.00
11.	4640-आईएन उत्तर प्रदेश सोडिक भूमि सुधार परियोजना 3	एक्सडीआर	20-07-2009	127,300.00	0.00	0 00	0.00
		आईएनआर		9,390,744.44	0.00	0.00	0.00
सकल योग (आईएनआर)				11,369,218.64	7,614,412.47	1,162,209.83	30,388,856.33

स्रोत: सहायता, लेखा तथा लेखा परीक्षा प्रभाग नियंत्रक का कार्यालय, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

विवरण-II

2009-2010 से 2012-13 तक कृषि क्षेत्र में सरकारी खाते में बाह्य/विदेशी अनुदान का प्राधिकरण

(राशि हजार)

राज्य, प्रदाता, ऋण		ऋण मुद्रा/समझौते की तारीख		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3		4	5	6	7
केन्द्रीय सरकार		यूएसडी		7,364.00	1,370.00	0.00	0.00
		आईएनआर		349,492.84	62,398.51	0.00	0.00
संयुक्त राज्य अमेरिका		यूएसडी		0.00	1,370.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	62,398.51	0.00	0.00
1.	386-0552 कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम	यूएसडी	30-09-2010	0.00	1,370.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	62,398.51	0.00	0.00
आईबीआरडी		यूएसडी		7,340.00	0.00	0.00	0.00
		आईएनआर		348,353.81	0.00	0.00	0.00
2.	टीएफ 094442 राष्ट्रीय कृषि नवाचारी परियोजना	यूएसडी	26-08-2009	7,340.00	0.00	0.00	0.00
		आईएनआर		348,353.81	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
यून-एफएओ	यूएसडी		24.00	0.00	0.00	0.00
	आईएनआर		1,139.03	0.00	0.00	0.00
3. यूएनएफएओजीजी 003 पौध आनुवंशिकी के लिए क्षमता निर्माण और वृद्धित क्षेत्रीय सहयोग	यूएसडी	08-12-2009	24.00	0.00	0.00	0.00
	आईएनआर		1,139.03	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	एक्सडीआर		670.00	0.00	0.00	0.00
	आईएनआर		49,424.97	0.00	0.00	0.00
आईएफएडी	एक्सडीआर		670.00	0.00	0.00	0.00
	आईएनआर		49,424.97	0.00	0.00	0.00
4. 1106-आईएन महाराष्ट्र विपदा ग्रस्त जिला कार्यक्रम में कृषि हस्तक्षेपों का अभिसरण	एक्सडीआर	30-09-2009	670.00	0.00	0.00	0.00
	आईएनआर		49,424.97	0.00	0.00	0.00
सकल योग (आईएनआर)			398,917.81	62,398.51	0.00	0.00

स्रोत: सहायता, लेखा तथा लेखा परीक्षा प्रभाग नियंत्रक का कार्यालय, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

विवरण-III

सरकारी खाते में कृषि क्षेत्र में बाह्य/विदेशी ऋण का उपयोग

(राशि हजार में)

राज्य, प्रदात्ता, ऋण	ऋण मुद्रा/समझौते की तारीख		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1 2	3		4	5	6	7
असम	एक्सडीआर		29,232.81	12,705.37	2,286.14	6,151.28
	आईएनआर		2,157,939.20	887,856.60	163,510.07	514,508.37
आईडीए	एक्सडीआर		29,232.81	12,705.37	2,286.14	6,151.29
	आईएनआर		2,157,939.20	887,856.60	163,510.07	514,508.37
1. 4013-आईएन असम कृषि प्रतिस्पर्धी परियोजना	एक्सडीआर	14-01-2005	29,232.81	12,705.37	2,286.14	6,151.29

1	2		3	4	5	6	7
		आईएनआर		2,157,939.20	887,856.60	163,510.07	514,508.37
केन्द्रीय सरकार		एक्सडीआर		19,640.21	36,119.08	17,679.79	6,201.79
		आईएनआर		1,434,835.95	2,496,802.86	1,289,844.28	528,916.90
आईडीए		एक्सडीआर		19,640.21	36,119.08	17,679.79	6,201.79
		आईएनआर		1,434,835.95	2,496,802.86	1,289,844.28	528,916.90
2.	4161-आईएन राष्ट्रीय कृषि नवाचारी परियोजना	एक्सडीआर	24-07-2006	17,778.29	14,323.45	0.00	0.00
		आईएनआर		1,295,260.35	992,257.92	0.00	0.00
3.	4162-आईएन राष्ट्रीय कृषि नवाचारी परियोजना	एक्सडीआर	24-07-2006	1,851.93	21,795.63	17,679.79	6,201.79
		आईएनआर		139,575.60	1,504,544.94	1,289,844.28	528,916.93
हिमाचल प्रदेश		जेपीवाई		0.00	0.00	0.00	52,535.55
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	36,549.79
जापान		जेपीवाई		0.00	0.00	0.00	52,535.55
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	36,549.79
4.	आईडीपी-213 हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना	जेपीवाई	17-02-2011	0.00	0.00	0.00	52,535.55
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	36,549.79
हिमाचल प्रदेश		एक्सडीआर		5,457.40	7,376.94	4,414.28	1,497.08
		आईएनआर		396,854.75	511,558.70	325,983.89	124,956.54
आईडीए		एक्सडीआर		5,457.40	7,376.94	4,414.28	1,497.08
		आईएनआर		396,854.75	511,558.70	325,983.89	124,956.54
5.	4133-आईएन हि.प्र. मध्य हिमालयी पनधारा विकास परियोजना	एक्सडीआर	19-01-2006	5,457.40	7,376.94	4,414.28	1,497.08
		आईएनआर		396,854.75	511.558.70	325,983.89	124,956.54
कर्नाटक		एक्सडीआर		2,948.77	4,806.62	6,810.99	5,113.94

1	2	3		4	5	6	7
		आईएनआर		216,955.85	359,469.87	523,665.07	417,490.81
आईडीए		एक्सडीआर		2,948.77	4,806.62	6,810.99	5,113.94
		आईएनआर		216,955.85	359,469.87	523,665.07	417,490.81
6.	3528-आईएन कर्नाटक पनधारा विकास परियोजना	एक्सडीआर	26-07-2001	1,424.82	-186.30	0.00	0.00
		आईएनआर		105,128.14	-12,954.00	0.00	0.00
7.	3635-आईएन कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन	एक्सडीआर	04-06-2002	1,523.95	4,992.92	6,810.99	5,113.94
		आईएनआर		111,827.71	372,423.87	523,665.07	417,490.81
महाराष्ट्र		ईयूआर		1,531.92	2,044.84	837.78	0.00
		आईएनआर		102,057.00	123,290.00	52,028.00	0.00
जर्मनी		ईयूआर		1,531.92	2,044.84	837.78	0.00
		आईएनआर		102,057.00	123,290.00	52,028.00	0.001
8.	2382239 ई लघु सिंचाई कार्यक्रम महाराष्ट्र दिनांक 31-12-98	ईयूआर	01-06-2000	1,531.92	2,044.84	837.78	0.00
		आईएनआर		102,057.00	123,290.00	52,028 00	0.00
बहुराज्य		ईयूआर		0.00	0.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	0.00
फ्रांस		ईयूआर		0.00	0.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	0.00
9.	एफआरजीएल 4005 ई मीठा पानी झींगा हेचरी का सृजन-गुज और महा.	ईयूआर	02-12-1997	0.00	0.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	0.00
बहुराज्य		एक्सडीआर		0.00	-1,514,41	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	-107,967.00	0.00	0.00
आईडीए		एक्सडीआर		0.00	-1,514.41	0.00	0.00

1	2		3	4	5	6	7
		आईएनआर		0.00	–107,967.00	0.00	0.00
10.	2699-आईएन कृषि एचआरडी परियोजना	एक्सडीआर	11-04-1995	0.00	–1,514.41	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	–107,967.00	0.00	0.00
राजस्थान		जेपीवाई		28,101.82	90,473.96	645,279.44	442,152.46
		आईएनआर		14,224.92	49,650.03	389,759.75	305,692.87
जापान		जेपीवाई		28,101.82	90,473.96	645,279.44	442,152.46
		आईएनआर		14,224.92	49,650.03	389,759.75	305,692.87
11.	आईडीपी-161 राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना	जेपीवाई	31-03-2005	28,101.82	90,473.96	645,279.44	442,752.46
		आईएनआर		14,224.92	49,650.00	389,759.75	305,692.87
यूआर उत्तराखंड		एक्सडीआर		9,676.96	10,206.38	7,746.41	–997.66
		आईएनआर		707,445.41	712,611.27	573,454.54	–88,540.19
आईडीए		एक्सडीआर		9,676.96	10,206.38	7,746.41	–997.66
		आईएनआर		707,445.41	712,611.27	573,454.54	–88,540.19
12.	3907-आईएन उत्तराखंड विकेन्द्रीकृत पनधारा विकास परियोजना	एक्सडीआर	30-07-2004	9,676.96	10,206.38	4,231.43	–1,327.01
		आईएनआर		707,445.41	712,611.27	305,071.09	–115,310.16
13.	4850-आईएन उत्तराखंड विकेन्द्रीकृत पनधारा विकास हेतु अतिरिक्त वित्त पोषण	एक्सडीआर	17-03-2011	0.00	0.00	3,514.98	329.35
		आईएनआर		0.00	0.00	268,383.45	26,769.97
आन्ध्र प्रदेश		जेपीवाई		472,590.08	1,813,866.46	2,534,517.93	1,538,419.63
		आईएनआर		236,769,78	935,769,94	1,493,595.33	1,042,407.60
जापान		जेपीवाई		472,590.08	1,81,866.46	2,534,517.93	1,538,419.63
		आईएनआर		236,769,78	935,769,94	1,493,595.33	1,042,407.60
14.	आईडीपी 181 आ.प्र. सिंचाई	जेपीवाई	30-03-2007	472,590.08	1,813,866.46	2,534,517.93	1,538,419.63

1	2		3	4	5	6	7
	एवं जीवन निर्वाह सुधार परियोजना						
		आईएनआर		236,769.78	935,769.94	1,493,595.33	1,042,407.60
	महाराष्ट्र	यूएसडी		0.00	000	0.00	105.42
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	7,950.81
	एशियन डेवलपमेंट बैंक	यूएसडी		0.00	000	0.00	105.42
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	7,950.81
15.	2837-आईएनडी कृषि व्यापार अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम-परि. 2	यूएसडी	18-01-2012	0.00	000	0.00	105.42
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	7,950.81
	महाराष्ट्र	एक्सडीआर		0.00	4,576.76	1,784,47	2,278.41
		आईएनआर		0.00	319,780.00	135,025.58	194,416.99
	आईडीए	एक्सडीआर		0.00	3,217.21	1,267.66	2,142.74
		आईएनआर		0.00	226,500.00	96,757.90	183,458.58
16.	4809-आईएन महाराष्ट्र कृषि प्रतिस्पर्धी परियोजना	एक्सडीआर	02-11-2010	0.00	3,217.21	1,267.66	2,142.74
		आईएनआर		0.00	226,500.00	96,757.90	183,458.58
	आईएफएडी	एक्सडीआर		0.00	1,359.55	516.81	135.67
		आईएनआर		0.00	93,280.00	38,267.69	10,958.41
17.	0779-आईएन महाराष्ट्र विपदा-ग्रस्त जिला कार्यक्रम में कृषि हस्तक्षेपों का अभिसरण	एक्सडीआर	30-09-2009	0.00	1,359.55	516.81	135.67
		आईएनआर		0.00	93,280.00	38,267.69	10,958.41
	राजस्थान	एक्सडीआर		0.00	0.00	0.00	70.21
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	5,768.42
	आईडीए	एक्सडीआर		0.00	0.00	0.00	70.21
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	5,768.42

1	2	3		4	5	6	7
18.	5085-आईएन राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धी परियोजना	एक्सडीआर	13-04-2012	0.00	0.00	0.00	70.21
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	5,768.42
तमिलनाडु		एक्सडीआर		386.14	752.68	2,428.73	1,075.54
		आईएनआर		28,502.73	51,952.06	181,840.56	88,205.98
आईएफएडी		एक्सडीआर		386.14	752.68	2,428.73	1,075.54
		आईएनआर		28,502.73	51,952.06	181,840.56	88,205.98
19.	0662-आईएन सुनामी पश्चात सतत जीवन यापन कार्यक्रम	एक्सडीआर	11-11-2005	386.14	752.68	2,428.73	1,075.54
		आईएनआर		28,502.73	51,952.06	181,840.56	88,205.98
उत्तर प्रदेश		एक्सडीआर		2,063.85	8,953.85	11,967.51	10,905.97
		आईएनआर		148,224,74	618,958.52	902,478.34	886,640.68
आईडीए		एक्सडीआर		2,063.85	8,953.85	11,967.51	10,905.97
		आईएनआर		148,224.74	618,958.52	902,478.34	886,640.68
20.	4640-आईएन उत्तर प्रदेश सोडिक भूमि सुधार परियोजना-III	एक्सडीआर	20-07-2009	2,063.85	8,953.85	11,967.51	10,905.97
		आईएनआर		148,224.74	618,958.52	902,478.34	886,640.68
सकल योग (आईएनआर)				5,443,810.32	6,959,732.85	6,031,155.40	4,064,965.57

स्रोत: सहायता, लेखा तथा लेखा परीक्षा प्रभाग नियंत्रक का कार्यालय, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

विवरण-IV

2009-10 से 2012-13 तक सरकारी खाते में कृषि क्षेत्र में बाह्य/विदेशी अनुदान का उपयोग

(राशि हजार में)

राज्य, प्रदाता, ऋण		ऋण मुद्रा/समझौते की तारीख	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय सरकार		यूएसडी	700.00	258.38	1,651.54	1,040.10
		आईएनआर	32,711.00	11,884.63	76,852.90	67,335.11

1	2	3		4	5	6	7
आईबीआरडी		यूएसडी		700.00	246.38	1,644.16	1,040.10
		आईएनआर		32,711.00	11,324.73	76,527.68	57,335.11
1.	टीएफ 094442 राष्ट्रीय कृषि नवाचारी परियोजना	यूएसडी	26-06-2009	700.00	246.38	1,644.16	1,040.10
		आईएनआर		32,711.00	11,324.73	76,527.68	57,335.11
यूएन-एफएओ				0.00	12.00	7.38	0.00
		आईएनआर		0.00	559.80	325.22	0.00
2.	यूएनएफएओजीजी 003 पौध आनुवंशिकी के लिए क्षमता निर्माण और वृद्धित क्षेत्रीय सहयोग	यूएसडी	08-12-2009	0.00	12.00	7.38	0.00
		आईएनआर		0.00	559.80	325.22	0 00
महाराष्ट्र		महाराष्ट्र		0.00	0.00	–88.91	0.00
		आईएनआर		0.00	0.00	–6,033.19	0.00
ईईसी		ईईसी		0.00	0.00	–88.91	0.00
		आईएनआर		0.00	0.00	–6,033.19	0.00
3.	ईसीजीजी015 एएलए/94/27 महाराष्ट्र में सलाईन भूमि सुधार	ईयूआर	03-07-1995	0.00	0.00	–88.91	0.00
		आईएनआर		0.00	0.00	-6,033.19	0.00
बहुराज्य				0.00	0.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	0.00
स्विटजरलैंड		सीएचएफ		0.00	0.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	0.00
4.	एसीजीजी003 एसईएन-2000 (रेशम पालन परियोजना)	सीएचएफ	05-11-1997	0.00	0.00	0.00	0.00
		आईएनआर		0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र		एक्सडीआर		0.00	0.00	47.40	0.00

1	2	3		4	5	6	7
		आईएनआर		0.00	0.00	3,572.42	0.00
आईएफएडी		एक्सडीआर		0.00	0.00	47.40	0.00
		आईएनआर		0.00	0.00	3,572.42	0.00
5.	1106-आईएन महाराष्ट्र विपदा-ग्रस्त जिला कार्यक्रम में कृषि हस्तक्षेपों का अभिसरण	एक्सडीआर	30-09-2009	0.00	0.00	47.40	0.00
		आईएनआर		0.00	0.00	3,572.42	0.00
सकल योग (आईएनआर)				32,711.00	11,884.53	74,392.13	57,335.11

स्रोत: सहायता, लेखा तथा लेखा परीक्षा प्रभाग नियंत्रक का कार्यालय, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

[अनुवाद]

दक्षिण भारतीय कला के रूप

2776. श्री के. सुगुमार: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विकास को बढ़ावा देने तथा आर्थिक कार्यकलापों, जो वैश्विक मंदी से प्रभावित हुए हैं, को गति प्रदान करने के लिए दक्षिण भारतीय कला के रूपों का संरक्षण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का दक्षिण भारतीय कला के रूपों के संरक्षण हेतु राज्यों को निधियां प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी): (क) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय, अपने उद्देश्यों के भाग के रूप में दक्षिण भारतीय कला रूपों सहित सभी कला रूपों के परिरक्षण के लिए कार्य करता है।

दक्षिण भारतीय जनजातीय एवं लोक कला रूप, तंजावुर स्थित दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एस.जेड.सी.सी.) द्वारा उनकों सौंपी गयी स्कीमों के माध्यम से लगातार परिरक्षित और संवर्धित किए जा रहे हैं। कलाकारों को अनेक सीमाक्षेत्र मंच भी प्रदान किए गए हैं। एस.जेड.सी.सी. ने मृदभांड कला, मार्शल-आर्ट, कठपुतली, नाटकम, जनजातीय नृत्यों, लोक गीतों, नृत्यों, रंगमंच आदि पर 18 वृत्तचित्र तैयार करके दक्षिण भारतीय कला रूपों को भी प्रलेखित किया है जो कम प्रचलित कला रूपों को न केवल विशिष्ट बनाता है बल्कि कलाकारों के लिए राजस्व भी अर्जन करता है। इसके साथ ही, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई ने भी कुछ दक्षिण भारतीय कला रूपों को परिरक्षित करने का प्रयास किया है।

(ग) और (घ) जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, संस्कृति मंत्रालय अपने स्वायत्त संगठनों के माध्यम से कला रूपों के परिरक्षण एवं संवर्धन के लिये कार्य करता है। मंत्रालय सीधे तौर पर अथवा राज्य सरकारों के माध्यम से इनका निपटान नहीं करता है।

चीनी का मूल्य निर्धारित करना

2777. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री नलिन कुमार कटील:
श्री शिवराम गौडा:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों ने 2012-13 में चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद के लिए कोई मूल्य नियत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या अनेक राज्यों के किसान अपने उत्पाद के लिए अधिक मूल्य दिये जाने हेतु नए मूल्य निर्धारण फार्मूले और गन्ने के उप-उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय में अपने हिस्से की मांग हेतु आन्दोलन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इन मुद्दों के समाधान हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड 3(1) में उल्लिखित घटकों अर्थात गन्ने की उत्पादन लागत; किसानों को वैकल्पिक फसलों से होने वाली आय और कृषि जिंसों के मूल्यों का आम रूझान; उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को चीनी की उपलब्धता; वह मूल्य जिस पर चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी बेची जाती है; सह उत्पादों अर्थात शीरे, खोई और प्रेसमड की बिक्री से प्राप्त राशि अथवा उनकी परिकलित कीमत; और जोखिम और लाभ के कारण गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन को ध्यान में रखते हुए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों से परामर्श करने के बाद उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित किया जाता है। उचित और लाभकारी मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का वह बैंचमार्क गारंटीशुदा मूल्य है जिससे कम पर कोई भी चीनी मिल गन्ना उत्पादकों से गन्ने की खरीद नहीं कर सकती है। चीनी मौसम 2012-13 के लिए 9.5% की मूल रिकवरी दर से संबद्ध करके उचित और लाभकारी मूल्य को 170 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारत किया गया है बशर्ते कि उक्त स्तर पर ऊपर रिकवरी में प्रत्येक 0.1% प्वाइंट वृद्धि के लिए 1.79 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम देय हो। तथापि कई चीनी उत्पादक राज्यों की सरकारें राज्य परामर्शित मूल्य की घोषणा कर रही है जो आमतौर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्य से अधिक है। चीनी मौसम 2012-13 के लिए तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा राज्य परामर्शित मूल्य की घोषणा करने की सूचना मिली है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ राज्यों में गन्ना किसान अधिक गन्ना मूल्य की मांग करते रहे हैं। केन्द्र सरकार ने चीनी क्षेत्र के नियमन को समाप्त करने के मुद्दे की जांच करने के लिए डॉ.सी. रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 05 अक्तूबर, 2012 को प्रस्तुत कर दी है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ गन्ना मूल्य निर्धारण नीति को युक्तिसंगत बनाने की सिफ़ारिश की है। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

चीनी मौसम 2012-13 के लिए राज्य सरकारों द्वारा घोषित राज्य परामर्शित मूल्य

राज्य	चीनी मौसम 2012-13 के लिए राज्य परामर्शित मूल्य	राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया मानदण्ड
1	2	3
तमिलनाडु	9.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी के साथ संबद्ध 2350 रुपये प्रति टन (100 रुपये प्रति टन गन्ने के ढुलाई प्रभारों सहित)	राज्य परामर्शित मूल्य का निर्धारण करते समय राज्य स्तर पर तमिलनाडु सरकार द्वारा उन कारकों पर विचार किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित एवं लाभकारी मूल्य के निर्धारण के समय ध्यान में रखे जाते हैं।
पंजाब	250 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती किस्म) 240 रुपये प्रति क्विंटल (मध्यम किस्म) 235 रुपये प्रति क्विंटल (पछेती किस्म)	गन्ने की दर क निर्धारण कृषि की लागत और गेहूं तथा धन जैसी अन्य प्रमुख वैकल्पिक फसलों से किसानों को होने वली निवल आय को ध्यान में रखकर किया जाता है।
हरियाणा	251 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती किस्म) 240 रुपये प्रति क्विंटल (मध्यम किस्म)	गन्ने की दर क निर्धारण किसानों को गेहूं और धान की फसलों के एकान्तर संयोजन से होने वाली आय तथा गन्ने

1	2	3
	235 रुपये प्रति क्विंटल (पछेती किस्म)	की उत्पादन लागत आदि को ध्यान में रखकर जाता है।
उत्तर प्रदेश	290 रुपये प्रति क्विंटल (आगेती किस्म) 280 रुपये प्रति क्विंटल (समान्य किस्म)	गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाता है:
	275 रुपये प्रति क्विंटल (अस्वीकृत किस्म)	1. गन्ने की उत्पादन लागत 2. वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को होने वाली आय और कृषि जिन्सों के मूल्यों का साधारण रुझान 3. केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्य 4. अन्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य 5. चीनी का मौजूदा मूल्य और वायदा मूल्य के रुझान 6. गन्ने से चीनी का निर्माण लागत 7. गन्ने से चीनी की प्राप्ति 8. शीरे, खोई, प्रैस मड, बिजली आदि जैसे उप-उत्पादों से प्राप्त आय 9. गुड़ तथा खांडसारी यूनिटों के मालिकों द्वारा खरीदे जा रहे गन्ने का मूल्य 10. चीनी का राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उत्पादन 11. चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 12. चीनी के निर्यात और आयात की संभावनाएं 13. लेवी चीनी का मूल्य आदि

[हिन्दी]

विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप का आयोजन

2778. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्टरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ एसोसिएटेड रेसलिंग स्टाल्ज ने भारत को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, 2015 और ओलंपिक क्वालिफायर्ज स्पर्धा आयोजित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश उक्त चैंपियनशिप आयोजित करने में पूरी तरह सक्षम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में ऐसे खेल आयोजित करने हेतु क्या अवसंरचना उपलब्ध है;

(ङ) क्या भारत ने विगत में ऐसी चैंपियनशिप आयोजित की है; और

(च) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं और देश में कुश्ती तथा कब्ड्डी जैसे परम्परागत खेलों के संवर्द्धन और विकास हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) भारतीय कुश्ती परिसंघ (डब्ल्यू.एफ.आई.) ने सूचित किया है कि उन्होंने भारत में सीनियर विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2015 के आयोजन की मेजबानी करने के लिए निवेदन प्रस्तुत किया है तथा अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती परिसंघ के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली सहित देश में कुछ स्थानों पर अवसंरचना तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च) भारतीय कुश्ती परिसंघ ने नवम्बर 1967 में नई दिल्ली में सीनियर विश्व फ्री स्टाइल कुश्ती चैम्पियनशिप की मेजबानी की थी। उक्त चैम्पियनशिप में भारत के श्री बिशम्बर सिंह नामक एक पहलवान ने रजत पदक जीता था।

जहां तक कुश्ती और कबड्डी सहित विभिन्न खेल-विधाओं के विकास और संवर्धन का प्रश्न है, इसका मुख्य दायित्व संबंधित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों का है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ सम्मत दीर्घावधि विकास योजनाओं के अनुसार उपस्कर और उपभोज्य सामग्री की खरीद, भारत में राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन करने, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों/टीमों की भागीदारी तथा भारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों/टीमों के प्रशिक्षण/कोचिंग के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उनके प्रयासों को पूरा करती है।

कुश्ती और कबड्डी सहित परम्परागत खेलों के विकास हेतु पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (31-10-2012 तक)	कुल (लाख रुपए)
1.	भारतीय कुश्ती परिसंघ, आई जी स्टेडियम, दिल्ली	470.00	153.98	983.00	449.38	2056.36
2.	इंडियन एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन, जयपुर	11.77	10.00	121.00	6.19	148.96
3.	भारतीय मलखंभ परिसंघ	0.16	11.50	0.00	0.00	11.66
4.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ, नई दिल्ली	9.75	16.00	11.25	9.00	46.00
5.	भारतीय खो-खो परिसंघ, कोलकाता	4.50	7.50	16.50	16.00	44.50
6.	भारतीय अत्या-पत्या परिसंघ, नागपुर	5.92	12.00	10.50	11.00	39.42
7.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ, चेन्नई	163.00	180.05	162.13	142.73	647.91

सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों की सब-जूनियर (8-14 वर्ष), जूनियर (14-18 वर्ष) और सीनियर स्तरों पर पहचान करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें चलाती है और कुश्ती और कबड्डी सहित संबंधित खेल-विधाओं में योग्य कोचों के माध्यम से वैज्ञानिक प्रशिक्षण मुहैया कराती है:

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम (एन.एस.टी.सी.)
2. सेना बाल खेल कंपनी (ए.बी.एस.सी.) स्कीम
3. साई प्रशिक्षण केंद्र (एस.टी.सी.) स्कीम
4. विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) स्कीम
5. उत्कृष्टता केंद्र (सी.ओ.ई.)

[अनुवाद]

दूरदर्शन/आकाशवाणी नेटवर्क का विस्तार

2779. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में दूरदर्शन (डी.डी.)/आकाशवाणी (ए.आई.आर.) की प्रसारण सेवाओं के विस्तार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और डी.डी./ए.आई.आर.-वार इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि में इन क्षेत्रों में शुरू की गई टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाओं का राज्य, डी.डी./ए.आई.आर.-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु विशेष पैकेज देने के विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी प्रसारण सेवाएं खास तौर से पहाड़ी और देश के दुर्गम क्षेत्रों में बढ़ा रहा है।

वर्तमान में आकाशवाणी का देश के 91.87 प्रतिशत क्षेत्रफल पर स्थलीय कवरेज (प्राइमरी) है, जिसमें पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी के 21 रेडियो चैनल (कार्यक्रम) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर पूरे देश में डी.डी. डायरेक्ट प्लस डी.टी.एच. प्लेटफॉर्म (केयू बैंड) के माध्यम से उपलब्ध हैं। इन कार्यक्रमों को डी.टी.एच. प्लेटफॉर्म पर सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

देश में स्थलीय कवरेज को खासतौर से पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में और बढ़ाने के लिए आकाशवाणी के 11 ट्रांसमीटरों की शक्ति का स्तरोन्नयन करने और विभिन्न क्षमताओं के 132 अतिरिक्त एफ.एम. ट्रांसमीटर लगाने की स्कीमें पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शुरु की गई है। इन आकाशवाणी परियोजनाओं/स्कीमों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, वर्तमान में दूरदर्शन नेटवर्क के 1415 टी.वी. ट्रांसमीटर देश की लगभग 92% आबादी को कवरेज प्रदान कर रहे हैं जिनमें पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में बसी आबादी का एक बड़ा खण्ड भी शामिल है। स्थलीय प्रसारण द्वारा शामिल न किए गए सभी क्षेत्रों और साथ ही देश के शेष हिस्से को दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डी.टी.एच. सेवा 'डी.डी. डायरेक्ट प्लस' के माध्यम से बहु-चैनल टी.वी. कवरेज प्रदान किया गया है। तीन उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों अर्थात कश्मीर, जम्मू और लेह क्षेत्र में एक-एक और राजौरी क्षेत्र में दो उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना की परियोजनाओं, जो विद्यमान में जम्मू-कश्मीर में आकाशवाणी और दूरदर्शन कवरेज के विस्तार की स्कीम के हिस्से के रूप में कार्यान्वित की जा रही है, को छोड़कर पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में दूरदर्शन नेटवर्क के आगे विस्तार की कोई योजना नहीं है। इन स्कीमों को सरकार द्वारा 100.00 करोड़ रु. की लागत से अनुमोदित किया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चालू किए गए आकाशवाणी ट्रांसमीटर/परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III दिए गए हैं।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में चालू की गई टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित आकाशवाणी और दूरदर्शन की नई स्कीमों को अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

विवरण-I

स्थानों की सूची जहां पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान प्रेषित्रों की क्षमता का उन्नयन किया जाना है

क्र.सं.	केन्द्र	राज्य		क्षमता
1	2	3	4	5
1.	अदिलाबाद	आन्ध्र प्रदेश	1 किवा मी. वेव	10 किवा एफ.एम.
2.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	100 किवा मी.वेव	200 किवा मी.वेव
3.	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश	10 किवा मी.वेव	100 किवा मी.वेव
4.	तवांग	अरुणाचल प्रदेश	10 किवा मी.वेव	20 किवा मी.वेव
5.	गुवाहाटी	असम	10 किवा मी.वेव	20 किवा मी.वेव
6.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	3 किवा एफ.एम.	6 किवा एफ.एम.

1	2	3	4	5
7.	जमशेदपुर	झारखंड	1 किवा मी.वेव	10 किवा एफ.एम.
8.	कटक	ओडिशा	1 किवा मी.वेव	10 किवा एफ.एम.
9.	क्योंझार	ओडिशा	1 किवा मी.वेव	10 किवा एफ.एम.
10.	जयपुर	राजस्थान	1 किवा मी.वेव	10 किवा एफ.एम.
11.	करसियांग	पश्चिम बंगाल	1 किवा मी.वेव	10 किवा एफ.एम.

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान स्थापित होने वाले विभिन्न क्षमताओं के अतिरिक्त एफ.एम. प्रेषित्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य	केन्द्र	एफ.एम. प्रेषित्र की क्षमता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	अडोनी	100 वाट
2.	आन्ध्र प्रदेश	बोसवाड़ा	100 वाट
3.	आन्ध्र प्रदेश	कडप्पा	1 किवा
4.	आन्ध्र प्रदेश	काकानाडा	100 वाट
5.	आन्ध्र प्रदेश	कामारेडी	100 वाट
6.	आन्ध्र प्रदेश	खम्मम	100 वाट
7.	आन्ध्र प्रदेश	नांडयाल	100 वाट
8.	असम	दिबरूगढ़	1 किवा
9.	असम	नजीरा	100 वाट
10.	असम	उत्तरी लखीमपुर	100 वाट
11.	असम	तेजपुर	1 किवा
12.	बिहार	बैतिया	100 वाट
13.	बिहार	भागलपुर	100 वाट
14.	बिहार	फारसिबगंज	100 वाट
15.	बिहार	मधुबनी	100 वाट
16.	बिहार	मोतिहारी	100 वाट
17.	बिहार	मुजफ्फरपुर	100 वाट
18.	बिहार	सुपोल	100 वाट
19.	छत्तीसगढ़	अम्बिकापुर	5 किवा
20.	छत्तीसगढ़	डोंगरगढ़	100 वाट
21.	छत्तीसगढ़	जगदलपुर	100 वाट

1	2	3	4
22.	छत्तीसगढ़	कनकेर	100 वाट
23.	छत्तीसगढ़	खरोड	100 वाट
24.	छत्तीसगढ़	कोंटा	100 वाट
25.	छत्तीसगढ़	कोरबा	100 वाट
26.	छत्तीसगढ़	पनदारिया	100 वाट
27.	गुजरात	अहवा	100 वाट
28.	गुजरात	भरूच	100 वाट
29.	गुजरात	भावनगर	100 वाट
30.	गुजरात	भुज	5 किवा
31.	गुजरात	द्वारिका	100 वाट
32.	गुजरात	जामनगर	100 वाट
33.	गुजरात	मेहसाना	100 वाट
34.	गुजरात	पोरबंदर	100 वाट
35.	हरियाणा	अम्बाला	100 वाट
36.	हरियाणा	सिरसा	100 वाट
37.	जम्मू और कश्मीर	द्रास	100 वाट
38.	जम्मू और कश्मीर	ग्रीन रीज	10 किवा वाट
39.	जम्मू और कश्मीर	कारगिल	100 वाट
40.	जम्मू और कश्मीर	हिमबोटिंगला	10 किवा
41.	जम्मू और कश्मीर	नाथाटोप	10 किवा
42.	जम्मू और कश्मीर	नौशेरा	10 किवा
43.	जम्मू और कश्मीर	पदम्	100 वाट
44.	जम्मू और कश्मीर	त्रिशुरू	100 वाट
45.	झारखंड	बोकारो	100 वाट
46.	झारखंड	छत्तरा	100 वाट
47.	झारखंड	देवघर	100 वाट
48.	झारखंड	दुमका	100 वाट
49.	झारखंड	घाटशिला	100 वाट
50.	झारखंड	गिरीडीह	100 वाट
51.	झारखंड	गुमला	100 वाट
52.	कर्नाटक	भदरावती	1 किवा

1	2	3	4
53.	कर्नाटक	देवंगीर	100 वाट
54.	कर्नाटक	होसदुर्ग	100 वाट
55.	कर्नाटक	कुमाता	100 वाट
56.	कर्नाटक	सागर	100 वाट
57.	कर्नाटक	तुमकुर	100 वाट
58.	केरल	इडुकी (देविकुलम)	100 वाट
59.	केरल	कलपेटा	100 वाट
60.	केरल	कसारगोडे	100 वाट
61.	केरल	पनालुर	100 वाट
62.	केरल	त्रिचूर	100 किवा
63.	मध्य प्रदेश	चंदेरी/अशोकनगर	100 वाट
64.	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर	5 किवा
65.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	5 किवा
66.	मध्य प्रदेश	हरदा	100 वाट
67.	मध्य प्रदेश	झाबुआ	100 वाट
68.	मध्य प्रदेश	मंदसौर	100 वाट
69.	मध्य प्रदेश	नीमच	100 वाट
70.	मध्य प्रदेश	रतलाम	100 वाट
71.	मध्य प्रदेश	सतना	100 वाट
72.	महाराष्ट्र	ब्रह्मपुरी	100 वाट
73.	महाराष्ट्र	बुलडाना	100 वाट
74.	महाराष्ट्र	गोंडिया	100 वाट
75.	महाराष्ट्र	जलाना	100 वाट
76.	महाराष्ट्र	जलगांव	5 किवा
77.	महाराष्ट्र	मालेगांव	100 वाट
78.	महाराष्ट्र	परभणी	1 किवा
79.	महाराष्ट्र	रत्नागिरी	1 किवा
80.	महाराष्ट्र	सांगली	1 किवा
81.	महाराष्ट्र	वरधा	100 वाट
82.	मेघालय	तुरा	5 किवा
83.	मिजोरम	लौंगतिलाई	100 वाट

1	2	3	4
84.	मिजोरम	सइहा	100 वाट
85.	ओडिशा	अनगुल	100 वाट
86.	ओडिशा	बलीगुरहा	100 वाट
87.	ओडिशा	भवानीपटना	5 किवा
88.	ओडिशा	जैपोर	1 किवा
89.	ओडिशा	नौपारा	100 वाट
90.	ओडिशा	पारादीप	100 वाट
91.	ओडिशा	पारलखेमुंडी	100 वाट
92.	ओडिशा	रायगाडा	100 वाट
93.	ओडिशा	सम्बलपुर	5 किवा
94.	ओडिशा	सुंदरगढ़	100 वाट
95.	पंजाब	फिरोजपुर	100 वाट
96.	पंजाब	गुरदासपुर	100 वाट
97.	राजस्थान	अजमेर	5 किवा
98.	राजस्थान	अनुपगढ़	100 वाट
99.	राजस्थान	भरतपुर	100 वाट
100.	राजस्थान	झुनझुनु	100 वाट
101.	राजस्थान	करौली	100 वाट
102.	राजस्थान	कोटा	1 किवा
103.	राजस्थान	नाथद्वारा	100 वाट
104.	राजस्थान	सीकर	100 वाट
105.	तमिलनाडु	रामेश्वरम	100 वाट
106.	तमिलनाडु	थिरूपतूर	100 वाट
107.	तमिलनाडु	तुटीकोरीन	1 किवा
108.	तमिलनाडु	वैलोर	100 वाट
109.	दादरा और नागर हवेली (संघ शासित प्रदेश)	सिलवासा	100 वाट
110.	लक्षद्वीप (संघ शासित प्रदेश)	कावारती	100 वाट
111.	उत्तर प्रदेश	आगरा	5 किवा
112.	उत्तर प्रदेश	बहराइच	100 वाट
113.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	100 वाट
114.	उत्तर प्रदेश	हरदौई	100 वाट

2	3	4
115. उत्तर प्रदेश	महोबा	100 वाट
116. उत्तर प्रदेश	मथुरा	100 वाट
117. उत्तर प्रदेश	उरई	100 वाट
118. उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	100 वाट
119. उत्तर प्रदेश	रामपुर	1 किवा
120. उत्तराखंड	अल्मोड़ा	5 किवा
121. उत्तराखंड	हरिद्वार	100 वाट
122. उत्तराखंड	कालागढ़	100 वाट
123. उत्तराखंड	काशीपुर	100 वाट
124. उत्तराखंड	पौड़ी	100 वाट
125. उत्तराखंड	पिथौरागढ़	100 वाट
126. पश्चिम बंगाल	बालारामपुर	100 वाट
127. पश्चिम बंगाल	बसंती	100 वाट
128. पश्चिम बंगाल	फरक्का	100 वाट
129. पश्चिम बंगाल	कृष्णा नगर	100 वाट
130. पश्चिम बंगाल	करसियांग	5 किवा
131. पश्चिम बंगाल	मेदनीपुर	100 वाट
132. पश्चिम बंगाल	पुरूलिया	100 वाट

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य	स्थान	उन्नयन तथा आधुनिकीकरण किये गए कार्यों का विवरण
1	2	3	4
	2009-10		
1.	महाराष्ट्र	ओरस	5 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर कार्यक्रम निर्माण सुविधा सहित
	2010-11		
1.	आन्ध्र प्रदेश	करीमनगर	5 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
2.	हिमाचल प्रदेश	बारमौर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
3.	हिमाचल प्रदेश	केलौंग	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
4.	मणिपुर	चुराचांदपुर	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर कार्यक्रम निर्माण सुविधा सहित
5.	महाराष्ट्र	गराचिरौली	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
6.	मध्य प्रदेश	पंचमढ़ी	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)

1	2	3	4
7.	तमिलनाडु	ऊटी	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
8.	तमिलनाडु	थनजावार	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
9.	उत्तराखंड	गोपेश्वर (चमोली)	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
10.	उत्तराखंड	नैनीताल	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
	2011-12		
1.	आन्ध्र प्रदेश	ओनगोले	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
2.	आन्ध्र प्रदेश	नेलौर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
3.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
4.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	5 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
5.	आन्ध्र प्रदेश	सूर्यापेट	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
6.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	1 किवा वेव ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
			1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
7.	अरुणाचल प्रदेश	बोमडिला	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
8.	अरुणाचल प्रदेश	कलकटैंग	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
9.	अरुणाचल प्रदेश	सीपा	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
10.	अरुणाचल प्रदेश	तवांग	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
11.	अरुणाचल प्रदेश	तालिहा	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
12.	अरुणाचल प्रदेश	जिमीथांग	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
13.	अरुणाचल प्रदेश	जीरो	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
14.	असम	सिलचर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
15.	असम	दिबरूगढ़	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
16.	असम	कोकराझार	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
17.	बिहार	गया	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
18.	बिहार	किशनगंज	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
19.	बिहार	पटना	10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
20.	बिहार	सीतामढ़ी	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
21.	छत्तीसगढ़	रायपुर	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
22.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन

1	2	3	4
23.	हरियाणा	रोहतक	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
24.	हिमाचल प्रदेश	बरथेन	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
25.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
26.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
27.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
28.	हिमाचल प्रदेश	रामपुर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
29.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
30.	हिमाचल प्रदेश	सुंदरनगर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
31.	जम्मू और कश्मीर	मंगलादेवी फोर्ट	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
32.	जम्मू और कश्मीर	गुरेज	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
33.	जम्मू और कश्मीर	टिठवाल	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
34.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	10 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
35.	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
36.	जम्मू और कश्मीर	उरी	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
37.	झारखंड	रांची	10 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
38.	मध्य प्रदेश	नीमच	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
39.	कर्नाटक	बंगलौर	1 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
40.	कर्नाटक	बेल्लारी	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
41.	कर्नाटक	गुलबर्गा	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
42.	कर्नाटक	श्रीनगेरी	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
43.	केरल	कोच्चि	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
44.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	1 किवा मी. वेव ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
45.	महाराष्ट्र	नागपुर	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
46.	महाराष्ट्र	पुणे	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन

1	2	3	4
47.	महाराष्ट्र	सूरत	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
48.	महाराष्ट्र	शोल्हापुर	1 किवा मी. वेव. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
49.	मणिपुर	सेनापती	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
50.	मेघालय	चेरापुंजी	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
51.	मिजोरम	लाइसावाई	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
52.	मिजोरम	रंगदिल	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
53.	नागालैंड	समतोरे	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
54.	पंजाब	जालंधर	1 किवा मी. वेव. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
55.	राजस्थान	अलवर	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
56.	राजस्थान	बांसवाड़ा	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
57.	राजस्थान	बीकानेर	10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
58.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	6 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
59.	सिक्किम	गंगटोक	10 किवा एफ.एम. और 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
60.	तमिलनाडु	मदुरै	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
61.	तमिलनाडु	तिरूनेलवेली	10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
62.	संघ शासित क्षेत्र	पुदुचेरी	5 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
63.	संघ शासित क्षेत्र	चंडीगढ़	10 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
64.	उत्तराखंड	बचेर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
65.	उत्तराखंड	भटवारी	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
66.	उत्तराखंड	खेतीखान	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
67.	उत्तराखंड	प्रतापनगर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
68.	उत्तराखंड	राजगढ़ी	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
69.	उत्तराखंड	टनकनपुर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
70.	उत्तराखंड	उखीमठ	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
71.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन

1	2	3	4
72.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	10 किवा मी. वेव. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
73.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	1 किवा मी. वेव. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
74.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर का 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन
	2012-13		
1.	आन्ध्र प्रदेश	अडोनी	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
2.	आन्ध्र प्रदेश	बांसवाड़ा	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
3.	आन्ध्र प्रदेश	कामारेडी	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
4.	आन्ध्र प्रदेश	काकीनाडा	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
5.	आन्ध्र प्रदेश	नांडयाल	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
6.	असम	डिब्रूगढ़	1 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
7.	असम	तेजपुर	1 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
8.	छत्तीसगढ़	मानेन्द्रगढ़	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
9.	जम्मू और कश्मीर	द्रास	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
10.	जम्मू और कश्मीर	बिमबरगली	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
11.	जम्मू और कश्मीर	तराल	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
12.	जम्मू और कश्मीर	पहलगाम	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
13.	जम्मू और कश्मीर	कारगिल	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
14.	जम्मू और कश्मीर	पदम्	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
15.	जम्मू और कश्मीर	त्रिसुरू	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
16.	हिमाचल प्रदेश	मनाली	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
17.	कर्नाटक	देवेनगीरि	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
18.	कर्नाटक	होसदुर्ग	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
19.	कर्नाटक	कुमाटा	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
20.	कर्नाटक	तुमकुर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
21.	कर्नाटक	सागर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
22.	केरल	इडुकी (देविकुलम)	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
23.	केरल	कालपेटा	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
24.	केरल	कासरगोड़	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
25.	केरल	पुन्वालूर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)

1	2	3	4
26.	मध्य प्रदेश	मंदसौर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
27.	तमिलनाडु	रामेश्वरम्	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
28.	तमिलनाडु	थिरूपतूर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
29.	तमिलनाडु	वैलोर	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले)
30.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	1 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)

विवरण-IV

01-04-2009 से 30-11-2012 के दौरान पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में चालू की गई टी.वी. प्रेषित परियोजनाएं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	हटवे, हटवे (डी.डी. न्यूज) एवं चोवरा में 10 वाट के पुराने अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 50 वाट के अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापित किया गया।		
कर्नाटक		रानीबेन्नूर, सिरसी, और बेलगाम में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को 500 वाट के ऑटो मोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से प्रतिस्थापित किया गया।	
केरल		चंगनचेरी और त्रिसुर में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को 500 वाट के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से प्रतिस्थापित किया गया।	शोरानूर में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 500 वाट के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापित किया गया।
लक्षद्वीप			
महाराष्ट्र			
तमिलनाडु	कोरटालम में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 500 वाट के ऑटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापित किया गया।		
उत्तराखंड		काशीपुर में 100 वाट के पुराने अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को	

1	2	3	4
		500 वाट के अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापित किया गया।	

टिप्पणी: 2012-13 (नवंबर-2012 तक) के दौरान पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में कोई टी.वी. ट्रांसमीटर कमीशंड नहीं किया गया।

[हिन्दी]

हॉकी खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं

2780. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि एशिया चैम्पियन टाफी का फाइनल खेलते समय भारत की पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों के पास उचित जूते भी नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में क्रिकेट के अलावा और हॉकी तथा अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या हॉकी खिलाड़ियों को गत कई वर्षों से उनके मेहनताने, भत्ते, प्राइज मनी इत्यादि का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) ऐसी कोई तथ्य सरकार को सूचित नहीं किया गया है।

(ग) किसी खेल को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ की है। सरकार भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों/टीमों की भागीदारी, भारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों/टीमों के प्रशिक्षण/कोचिंग, राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ सहमति द्वारा तय दीर्घावधि विकास योजनाओं के अनुसार उपकरणों और उपभोज्य वस्तुओं की खरीद के लिए राष्ट्रीय परिसंघों को उनके प्रयासों की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारतीय खेल प्राधिकरण हॉकी खिलाड़ियों सहित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज और प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है

(i) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.) योजना

(ii) सैन्य बाल खेल कंपनियां (ए.बी.एस.सी.) योजना

(iii) साई प्रशिक्षण केंद्र (एस.टी.सी.) योजना

(iv) विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) योजना

(v) उत्कृष्टता केंद्र (सी.ओ.ई.) योजना

(घ) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना में किसी खेल विद्या के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के लिए पुरस्कार राशि, पारिश्रमिक, भत्ते इत्यादि देने का कोई प्रावधान नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खुराक, पोषक आहार, खेल किट आदि हेतु खिलाड़ियों को भत्ते, संबंधित एन.एस.एफ. के माध्यम से दिए जाते हैं। हॉकी खिलाड़ियों को पारिश्रमिक, भत्तों, पुरस्कार राशि आदि का भुगतान न किए जाने का कोई मामला सरकार को सूचित नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सशस्त्र सीमा बल को विशेष शक्तियां देना

2781. श्री के.पी. धनपालनः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सीमा बल ने केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड से सीमा शुल्क अधिनियम तथा पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत कतिपय विशेष शक्तियां देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या शक्तियां देने से उन सीमाओं जिनकी निगरानी एस.एस.बी. द्वारा की जाती है, पर अवैध गतिविधियों में रोक लगने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) विदेश मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 11-06-2012 की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.भा. 1319(अ) के तहत सशस्त्र सीमा बल के (एस.एस.बी.) के कम से कम उप-निरीक्षक के रैंक के अधिकारियों को पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 100 से 110 के अधीन सशस्त्र सीमा बल को शक्तियां प्रत्यायोजित करने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) सशस्त्र सीमा बल की तैनाती भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं पर की जाती है जो खुली और सुभेद्य हैं। इन सीमाओं पर सीमा-शुल्क कार्यालय भी कार्यशील हैं। तथापि, इन दोनों सीमाओं पर दो भू-सीमा शुल्क स्टेशनों के बीच औसतन दूरी सशस्त्र सीमा बल की दो सीमा चौकियों के बीच की दूरी से अधिक है। अत: इन सीमाओं पर सशस्त्र सीमा बल की पर्याप्त मौजूदगी और इस तथ्य को देखते हुए कि कभी-कभी तस्कर, तस्करी के लिए घने जंगलों और अवैध मार्गों का उपयोग करते हैं, सीमा शुल्क अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित करने से सशस्त्र सीमा बल को इन अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तस्करी सहित अवैध गतिविधियों को रोकने में सहायता मिलेगी।

भंडारण क्षमता

2782. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भांडागार निगम के पास खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए पर्याप्त अवसंरचना और जनशक्ति की सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में भंडारण/अवसंरचना सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, नहीं। दिनांक 31-10-2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण क्षमता से किराए पर ली गई क्षमता सहित भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कवर्ड तथा कवर और प्लिंथ भंडारण क्षमता 374.55 लाख टन थी। खाद्यान्नों के केन्द्रीय स्टॉक के भंडारण के लिए राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कवर्ड और कैप दोनों भंडारण क्षमता 341.35 लाख टन थी। इस प्रकार दिनांक 31-10-2012 की स्थिति के अनुसार 695.29 लाख टन स्टाक की तुलना में खाद्यान्नों का केन्द्रीय पूल स्टाक के भंडारण के लिए आवश्यक श्रमशक्ति के साथ लगभग 716 लाख टन कुल भंडारण क्षमता उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों की खरीद में वृद्धि के कारण सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम के जरिए ढके हुए भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए निजी उद्यमी गारंटी स्कीम तैयार की है। पी.ई.जी. योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम 10 वर्षों के लिए निजी निवेशकों को भंडागारों के किराए पर लेने की गारंटी देता हैं। निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत 19 राज्यों में कुल 181.08 लाख टन क्षमता के लिए गोदामों का निर्माण अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी भागीदारी से भारतीय खाद्य निगम के समग्र भंडारण आवश्यकता के भीतर साइलोज का निर्माण कर अतिरिक्त 20 लाख टन भंडारण क्षमता भी निर्मित की जाएगी।

विद्युत परियोजना के स्थान में परिवर्तन करना

2783. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जी.एम.डी.सी.) ने कोयला मंत्रालय से उसे नैनी, ओडिशा में आवंटित कोयला ब्लॉक आधारित विद्युत परियोजना के स्थान में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जी.एम.डी.सी. के अनुरोध के पीछे क्या कारण बताए गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ग) 25 जुलाई, 2007 को मैं. गुजरात खनिज विकास निगम (जी.एम.डी.सी.) को ओडिशा स्थित अंगुल में अथवा झारखंड स्थित दुमका के पास स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित 1500 मे.वा. विद्युत संयंत्र के लिए विद्युत उत्पादन हेतु ओडिशा राज्य में स्थित 500 मिलियन टन (जी.एम.डी.सी. शेयर-500 मिलयिन टन) कोयले के भू-गर्भीय भंडार वाला नैनी कोयला

ब्लॉक संयुक्त रूप से आवंटित किया गया था। गुजरात में पॉवर डेवलपर्स द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने अथवा ओडिशा में खनन स्थल, जिसे मै. जी.एम.डी.सी. आवंटित नैनी कोयला ब्लॉक से कोयले की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है, के लिए गुजरात सरकार से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। विद्युत मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। ओडिशा सरकार की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।

भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केन्द्र

2784. **श्रीमती श्रुति चौधरीः** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्यों से उनके राज्यों में भारतीय खेल प्राधिकरण के बॉक्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र सहित खेल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्तावों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) हरियाणा के भिवानी जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण के बॉक्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) इन संबंध में हरियाणा सरकार की क्या भूमिका है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भिवानी जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण के बॉक्सिंग केन्द्र सहित हरियाणा राज्य सरकार से खेल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भिवानी में पहले से ही एक प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.) चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत बॉक्सिंग भी एक खेल विधा है।

सामाजिक मुद्दों पर फिल्में

2785. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर फिल्में बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तेलुगू फिल्मों सहित ऐसी फिल्मों पर भाषा-वार कुल कितना व्यय हुआ है; और

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अन्तिम रूप दिए गए ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) जी हां। सूचना और प्रसारण मंत्रालय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन.एफ.डी.सी.) लिमिटेड, जो एक पी.एस.यू. है, और बाल चित्र समिति, भारत (सी.एफ.एस.आई.) जो एक स्वायत्तशासी निकाय है, जैसे अपने अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से सामाजिक महत्व के मुद्दों से संबंधित फिल्में बनाता है।

(ख) और (ग) एन.एफ.डी.सी. और सी.एफ.एस.आई. द्वारा निर्मित की गई समाज में विद्यमान सामाजिक मुद्दों को छूने वाली फिल्मों और उन पर खर्च किए बजट के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना (आज की तारीख तक) के दौरान निम्नलिखित प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान किया गया है:-

एन.एफ.डी.सी.

फिल्म का नाम	भाषा	एन.एफ.डी.सी. द्वारा खर्च की गई धनराशि (रुपये में)
फोर्थ डायरेक्शन (सह-निर्माण)	पंजाबी	300.00 लाख
माउंटेन मैन (सह-निर्माण)	मगधी	300.00 लाख

सी.एफ.एस.आई. द्वारा वर्ष 2012-13 में बाल फिल्में बनाने संबंधी किसी प्रस्ताव को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। चालू वर्ष के लिए अब तक किया गया खर्च 'शून्य' है।

विवरण

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एन.एफ.डी.सी.)

वित्तीय वर्ष	फिल्म का शीर्षक	भाषा	एन.एफ.डी.सी. द्वारा व्यय की गई राशि (रुपयों में)
1	2	3	4
2008-2009	बायोस्कोप (अद्यतन)	मलयालम	36.00 लाख
2009-2010	पल्टाडाचो मुनिस (पुल से परे आदमी) (अद्यतन)	कोंकणी	143.00 लाख
	हार्ट (साप्ताहिक बाज़ार) (अद्यतन)	राजस्थानी	242.00 लाख
2011-2012	अनहे घोड़े दा दान (अद्यतन)	पंजाबी	220.00 लाख
	गंगूबाई (अद्यतन)	मराठी/हिन्दी	299.00 लाख
	एच.ई. (अद्यतन)	भोजपुरी	137.50 लाख
2012-2013	मंजुनाथ (अद्यतन)	हिन्दी	173.62 लाख
	कलियाचन (अद्यतन)	मलयालम	220.00 लाख
	आदिगरम-79 (अद्यतन)	तमिल	180.55 लाख
	चौरंगा (पूर्व-निर्माणाधीन)	खोरथा	69.30 लाख
	वीस मंझे वीस (निर्माणाधीन)	मराठी	209.00 लाख

बाल चित्र समिति, भारत (सी.एफ.एस.आई.)

वित्तीय वर्ष	फिल्म का शीर्षक	भाषा	एन.एफ.डी.सी. द्वारा व्यय की गई राशि (रुपयों में)
2009-2010	हरुण अरुण	गुजराती	58.50
	पुतानी पार्टी	कन्नड़	48.50
	केसू	मलयालम	51.13
	कृश, त्रिश और बाटलीबॉय-II	हिन्दी ऐनिमेशन	70.00
	सांग सांग क्लांग	हिन्दी	80.00
2010-2011	2010-2011 में बनाई गई फिल्में जो 2011-2012में क्रियान्वित की गईं		शून्य
	वो	हिन्दी फीचर - लाइव एक्शन	110.00
	गट्टू	हिन्दी फीचर - लाइव एक्शन	130.00
	इबेगतिया	आसामी लघु ऐनिमेशन	29.96
	अलेगालू	कन्नड़	44.82
2012-2013	चालू वर्ष अर्थात 2012-13 में अभी तक शिशु फिल्म के निर्माण के लिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।		शून्य

[हिन्दी]

कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी

2786. **श्री जय प्रकाश अग्रवालः**
श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः
श्री सी. राजेन्द्रनः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विकास में प्राप्त हुई मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि के मशीनीकरण के लिए निर्धारित तथा आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में कृषि क्षेत्र में अब तक ऐसे विकास से लघु और सीमान्त किसान सहित किसानों को कितना फायदा हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) कृषि अभियांत्रिकी में कई तकनीकों और प्रक्रियाओं को विकसित किया गया है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (आर.ई.)
राशि (लाख रुपया)	4299.58	5261.71	6673.07	5200.00

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(घ) छोटे और सीमांत किसानों सहित प्रति वर्ष औसतन 9000 लाभार्थियों को नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कृषि उपकरणों/प्रौद्योगिकियों की सूची

कृषि क्रियाएं	उर्जा का स्रोत		
	स्वचालित	पशु चालित	ट्रेक्टर/पावर टिलर/स्वयं चालित
1	2	3	4
भूमि तैयार करना		• लग्ड पहिया पडलर • फार्मयार्ड खाद स्प्रेडर	• ट्रेक्टर चालित मोल हल • ट्रैक्टर चालित प्लास्टिक मल्चिंग मशीन • ट्रेक्टर चालित खाद स्प्रेडर
बुआई और रोपण	• चावल ट्रांसप्लांटर • प्याज बोने की मशीन	• विभिन्न फसलों के लिए बीज ड्रिल • विभिन्न फसलों के लिए इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर	• स्वचालित चावल ट्रांसप्लांटर • ट्रेक्टर चालित न्यूमेटिक प्रेसिसन प्लांटर • ट्रेक्टर चालित प्लेट बोने की मशीन संचालित • मैनुअल और बिजली चालित गन्ना कली के टुकड़े करने वाला चिपर • सौंफ के लिए ट्रेक्टर चालित बीज सह उर्वरक ड्रिल • मसाले की नर्सरी के लिए पोट भरने वाली मशीन • ट्रैक्टर चालित सब्जी ट्रांसप्लांटर • गन्ने के लिए ट्रैक्टर चालित सेट कटर प्लांटर • ट्रैक्टर चालित उठी क्यारी बनाने की मशीन

1	2	3	4
			• बीज मसाले के लिए ट्रैक्टर चालित प्लांटर • पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पावर ड्रिल तक जीरो टिल ड्रिल
निराई/अंत:कृषि	• कोनो वीडर		• पावर टिलर चालित स्वीप कल्टीवेटर • ट्रैक्टर चालित बागान स्प्रेयर • स्व चालित राइडिंग टाइप इंटरकल्चर कम स्प्रेयिंग उपकरण • सेल्फ प्रोपेल्ड उच्च निकासी बूम टाइप इंट्रा कैनोपी स्प्रेयर • इंजन चालित पावर वीडर • ट्रैक्टर चालित तीन पंक्ति वीडर • निचली भूमि के धान हेतु पावर वीडर • ट्रैक्टर चालित ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर • ट्रैक्टर चालित स्लीव बूम स्प्रेयर
फसल कटाई और गहाई	• मूंगफली कम अरंडी डिकोर्टिकेटर • पेड़ पर चढ़ने वाला यंत्र	• जड़ वाली फसलों के लिए खुदाई यंत्र	• उच्च क्षमता वाला मल्टीक्रॉप थ्रेशर • हल्दी की फसल काटने की मशीन • अरहर थ्रेशर • ट्रेलर सहित ट्रैक्टर पुआल रीपर • जूट के लिए पावर चालित निब्बोनर • ट्रैक्टर चालित चारा हारवेस्टर • ट्रैक्टर चालित आलू खुदाई यंत्र • ट्रैक्टर चालित मूंगफली हेतु डिगर शेकर • ट्रैक्टर चालित केलों का क्लम्प रिमूवर • ट्रैक्टर चालित केला श्रेडर • ट्रैक्टर चालित पुआल कम्बाइन • बीज मसाले के लिए थ्रेशर
सफाई/ग्रेडिंग/पृथक्करण	• अनार एरिल एक्सट्रेक्टर		
शेलिंग/डीहलिंग/पीलिंग	• आलू पीलर • आलू स्लाइसर • कंदों से स्टार्च की निकासी के लिए रेस्पर • लहसुन प्रसंस्करण हेतु यंत्र		• मोटराइज्ड सोयाबीन डिलहर

1	2	3	4
	• कोमल नारियल पंच और कटर		
मूल्यवर्धन प्रौद्योगिकी उपकरण	• दाल मिल		
	• बनाना कांम्ब कटर		
	• मूंगफली पेय, दही और पनीर के लिए प्रौद्योगिकी		
	• *मखाना खीर* मिश्रण तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी		
	• मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन प्रौद्योगिकी		
	• हरी मिर्च प्यूरी और पाउडर के लिए प्रौद्योगिकी		
	• अमरूद के अमरस व बार के लिए प्रौद्योगिकी		
	• मिर्च बीज एक्सट्रेक्टर इकाई		
	• मांस ऑफल और सब्जी आधारित पेट फूड के लिए प्रौद्योगिकी		
	• एलोवेरा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी		
	• पालीहाउस टाइप टनल ड्रायर		
	• एक्सिल फ्लो कॉटन प्रीक्लीनर		
	• ग्रामीण स्तरीय स्लिवर बनाने वाली मशीन		
	• केले का रेशा एक्सट्रेक्टर और सफाई प्रणाली		
	• जूट की त्वरित रेटिंग के लिए प्रौद्योगिकी		
	• फाइबर के लिए थर्मल इन्सुलेशन टेस्टर		
ऊर्जा वाले गैजेट	• पोर्टेबल चेरिंग भट्ठी		
	• मल्टी ईंधन खाना पकाने के चूल्हे		
	• पोर्टेबल अपड्राफ्ट गैसीफायर		
	• बायोमास आधारित विकेन्द्रीकृत पावर जेनेरेशन हेतु प्रौद्योगिकी		
	• कृषि उद्योगों के लिए चालित टाइप के सोलर टनल ड्रायर		

विवरण-II

"केन्द्रीय क्षेत्र की योजना प्रशिक्षण, परीक्षण तथा प्रदर्शन द्वारा कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा और मजबूत करना" के तहत विकसित कृषि उपकरणों का किसानों के खेलों में प्रदर्शन तथा किसानों के प्रशिक्षण की आउटसोर्सिंग हेतु राज्यों/क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी वित्तीय निधि की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष-वार जारी किया गया फंड (करोड़ रुपए)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.26	0.49	0	0.54
3.	असम	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0.75	0.16	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0.22	0.16	0
6.	गुजरात	0	0	0	0
7.	हरियाणा	0.20	1.38	0	1.0
8.	हिमाचल प्रदेश	0.12	0.27	0.70	0.35
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	2.0
10.	झारखंड	0.08	0	1.00	1.00
11.	कर्नाटक	0	0	0	0
12.	केरल	0.09	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0.61	1.00	0.71
14.	महाराष्ट्र	0	0	1.00	0
15.	मणिपुर	0.07	2.10	1.74	0.50
16.	मिजोरम	0	0	0.85	0.46
17.	मेघालय	0	0	0	1.02
18.	नागालैंड	0.13	0.03	0.13	0.53
19.	ओडिशा	0.48	1.09	1.53	0
20.	पंजाब	0	0	0	0
21.	राजस्थान	0	0	0.19	0
22.	सिक्किम	0.21	0	1.14	0
23.	तमिलनाडु	0.53	0.68	0.50	0
24.	त्रिपुरा	0	1.16	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	0.42	0.19	0	0.22
26.	उत्तराखंड	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
27.	पश्चिम बंगाल	0	0.13	1.50	0
28.	आई.सी.ए.आर.	0	3.70	0	0
29.	एस.एफ.सी.आई.	0	0	0	0
	कुल	2.59	12.8	11.6	8.33

विवरण-III

केन्द्रीय क्षेत्र की योजना फसल तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के तहत 'प्रदर्शन, प्रशिक्षण, और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी उपकरणों के वितरण' के घटकों के लिए जारी की गई राशि की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष-वार जारी किया गया फंड (करोड़ रुपए)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.24	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.05	0.21	0
3.	असम	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0.17	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0.68	0	0.50
6.	गुजरात	0	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0.16	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
10.	झारखंड	0	0	0	1.40
11.	कर्नाटक	0	0.50	1.29	1.50
12.	केरल	0.14	0	0	0
13.	सांसद	0	0.44	2.21	1.60
14.	महाराष्ट्र	0	0	0	0
15.	मणिपुर	0.25	1.15	2.52	1.15
16.	मिजोरम	0	0	0.63	0
17.	मेघालय	0	0	0	0.83
18.	नागालैंड	0	0.88	1.09	0.50

1	2	3	4	5	6
19.	ओडिशा	0	0.90	0.54	1.00
20.	पंजाब	0	0	0	0
21.	राजस्थान	0	0.25	0	0
22.	सिक्किम	0	0	0.56	0
23.	तमिलनाडु	0	0	0	0
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0
26.	उत्तराखंड	0	0	0.79	0
27.	पश्चिम बंगाल	0.70	0	0	0
28.	आई.सी.ए.आर.	0	4.11	0	0
29.	एस.एफ.सी.आई.	0	0	0	0
	कुल	1.33	9.12	10.01	8.48

[अनुवाद]

मछुआरों के लिए किरोसीन कोटा

2787. श्री एन. पीताम्बर कुरूपः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ऐसे राज्यों की संख्या और ब्यौरा क्या है जो मत्स्यन जलयानों के लिए किरोसीन का अतिरिक्त कोटा ले रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से कमजोर वर्गों के मछुआरों के आउट बोर्ड मशीनीकृत इंजन जलयानों के संचालन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटे के अंतर्गत मिलने वाले किरोसीन के अलावा किरोसीन का कोटा देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों को किरोसीन का कोटा कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) कोई भी राज्य मत्स्य जलयानों के लिए राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल का अतिरिक्त कोटा प्राप्त नहीं कर रहा है।

(ख) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि उसे महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से ऐसे प्रयोजन के लिए मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आबंटन करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। तमिलनाडु (3200 कि.ली. प्रति मास) तथा दमन और दीव (12 कि.ली. प्रति मास) को क्रमशः सितम्बर, 2010 और मई, 2012 के दौरान बाजार मूल्य पर मिट्टी का तेल स्वीकृत किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं, धार्मिक समारोहों, मात्स्यिकी आदि जैसी विशेष जरूरतों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पी.डी.एस. मिट्टी का तेल जारी करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अनुरोधों को देखते हुए, भारत सरकार ने दिनांक 21-08-2012 को एक सामान्य आदेश जारी किया है जिसके अधीन सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-राजसहायता प्राप्त दरों (जिनमें उत्पाद/सीमा शुल्क/कर शामिल है और कम रिकवरी/वित्तीय राजसहायता शामिल नहीं है) पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक मास के कोटे का आबंटन ले सकते हैं।

[हिन्दी]

तेल इकाइयों द्वारा क्षमता का उपयोग

2788. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिलहन की कमी के कारण खाद्य तेल का उत्पादन करने वाली इकाइयां/कारखाने अपनी इष्टतम क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कंपनियों की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी हां, देश में खाद्य तेलों के घरेलू मांग की पूर्ति और खाद्य तेल यूनिटों की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, क्रूड एवं रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर क्रमशः शून्य प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत करके खाद्य तेलों के आयात को सुकर बनाया गया है। सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के तहत खाद्य तेलों के आयात की अनुमति दी है। औद्योगिक यूनिटें क्रूड अथवा रिफाइंड तेलों का आयात करने और बेहतर क्षमता उपयोग के लिए उनका मूल्यवर्धन करने हेतु स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

समेकित कीट प्रबंधन

2789. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित किसानों को राज्य-वार किस तरह सहायता प्रदान की जाती है; और

(ख) सरकार किसानों को किस तरह कीट नियंत्रण तकनीकी के बारे में शिक्षित करती है और गत तीन वर्षों के दौरान इससे राज्य-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) समेकित नाशीजीव प्रबंधन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित कार्य/कार्यकलाप किए जा रहे हैं—

- कृषक समुदाय के बीच आई.पी.एम. दृष्टिकोण का लोकप्रियकरण।
- नाशीजीव/रोग स्थिति का आकलन किए जाने के लिए लगातार नाशीजीव निगरानी तथा मानिटरिंग आयोजित करना।
- बायोलोजिकल नियंत्रण एजेंटों को उनके उपयोग हेतु तैयार करना तथा प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले बायो-एजेंटों का संरक्षण।
- रासायनिक नाशीजीवमारों के विकल्पों के रूप में जैव-नाशीजीवमारों तथा नीम आधारित नाशीजीवों का संवर्धन।
- विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार कर्मियों, भूमि किसानों के लिए नवाचारी आई.पी.एम. कौशल के प्रसार में प्रेरक की भूमिका निभाना।
- कृषक फील्ड स्कूलों (एफ.एफ.एस.) के माध्यम से मास्टर ट्रेनर्स, विस्तार कर्मियों और किसानों को प्रशिक्षण देकर आई.पी.एम. में मानव संसाधन विकास।
- पर्याप्त मानव संसाधन विकसित किए जाने के लिए के.वी.के./एस.ए.यू./आई.सी.ए.आर. संस्थानों के माध्यम से कृषक फील्ड स्कूलों (एफ.एफ.एस.) का आयोजन।
- एच.आर.डी. कार्यक्रम के तहत नाशीजीवमार विक्रेताओं/एन.जी.ओ./स्नातकों/परा-स्नातकों/उद्यमियों तथा प्रगतिशील किसानों के लिए दो और पांच दिवसों के अल्पावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन।
- राज्य सरकारों के विस्तार कर्मियों के लिए मुख्य कृषि/बागवानी फसलों पर पूरी मौसम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों (एस.एल.टी.पी.) का आयोजन।

(ख) किसानों को उनके फसल खेतों में उनके द्वारा अपनाई जाने वाली आई.पी.एम. दक्षताओं और नाशीजीव नियंत्रण तकनीकों पर कृषक फील्ड स्कूलों के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है और ऐसा करके उन्हें निर्णय लेने में स्वावलम्बी बनाया जा रहा है। फील्ड स्कूलों के अलावा, किसानों को 2 दिन की अल्पावधि के कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है। किसानों को शिक्षित किए जाने के लिए भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा भी अपनाई जा रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्राप्त उपलब्धियां संलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं।

विवरण-I

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 के दौरान आयोजित किए गए राज्यवार एफ.एफ.एस.

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12	
		एफ.एफ.एस. की सं.	प्रशिक्षित किसानों की सं.	एफ.एफ.एस. की सं.	प्रशिक्षित किसानों की सं.	एफ.एफ.एस. की सं.	प्रशिक्षित किसानों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	32	960	30	900	28	840
2.	असम	40	1200	40	1200	32	960
3.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	05	120	6	180	06	180
4.	अरुणाचल प्रदेश	08	240	4	120	04	120
5.	बिहार	32	960	32	960	32	960
6.	छत्तीसगढ़	24	720	24	720	24	720
7.	गोवा	32	960	4	120	06	180
8.	गुजरात	30	820	32	960	34	1020
9.	हरियाणा	36	1080	36	1080	38	1140
10.	हिमाचल प्रदेश	38	1140	38	1140	40	1200
11.	जम्मू और कश्मीर	40	1200	40	1200	40	1200
12.	झारखंड	32	960	32	960	32	960
13.	कर्नाटक	28	567	26	780	26	780
14.	केरल	14	420	16	460	16	240
15.	मध्य प्रदेश	26	780	26	780	26	780
16.	मेघालय	16	480	20	600	13	390
17.	महाराष्ट्र	32	960	32	960	40	1200
18.	मणिपुर	08	240	8	240	8	240
19.	मिजोरम	08	240	10	300	8	240
20.	नागालैंड	06	180	8	240	8	240
21.	ओडिशा	32	960	32	960	28	840
22.	पंजाब	28	840	24	720	34	1020
23.	राजस्थान	38	1140	40	1200	35	1050
24.	सिक्किम	14	439	14	420	8	240
25.	तमिलनाडु	17	510	22	660	24	720
26.	त्रिपुरा	0	0	4	120	6	180
27.	उत्तराखंड	26	780	26	780	24	720

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	उत्तर प्रदेश	84	2520	84	2520	80	2400
29.	पश्चिम बंगाल	24	720	24	720	24	720
	कुल	750	22136	734	22000	724	21480

विवरण-II

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 के दौरान एच.आर.डी. कार्यक्रमों के अंतर्गत सी.आई.पी.एम.सी'ज द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या

क्र.सं.	सी.आई.पी.एम.सी.	2009-10		2010-11		2011-12	
		खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हैदराबाद	1	1	शून्य	4	2	2
2.	गुवाहाटी	4	4	4	4	4	4
3.	पोर्ट ब्लेयर	1	0	1	शून्य	-	1
4.	ईटानगर	1	1	1	1	1	1
5.	पटना	3	3	3	2	2	2
6.	रायपुर	3	3	3	4	2	2
7.	मडगांव	1	1	-	-	1	1
8.	वदोदरा	3	3	3	3	2	2
9.	फरीदाबाद	2	2	3	-	4	4
10.	सोलन	2	2	3	3	2	2
11.	जम्मू	2	2	2	2	2	2
	श्रीनगर	1	1	1	2	1	-
12.	रांची	2	2	3	3	2	2
13.	बंगलौर	3	3	3	3	3	4
14.	इरनाकुलम	2	2	2	2	2	2
15.	इंदौर	2	2	2	2	2	2
16.	शिलांग	1	1	2	2	1	1
17.	नागपुर	2	2	2	2	4	4
18.	इम्फाल	1	1	1	1	1	1
19.	आइजोल	1	1	1	1	1	1
20.	दीमापुर	1	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	भुवनेश्वर	2	2	4	2	2	2
22.	जालंधर	2	2	2	3	-	2
23.	श्रीगंगानगर	4	4	3	3	2	2
24.	गंगटोक	1	1	2	2	1	1
25.	त्रिची	2	1	2	शून्य	2	2
26.	अगरतला	0	0	1	1	1	1
27.	देहरादून	2	2	2	2	2	2
28.	गोंरखपुर	3	3	4	4	4	4
	लखनऊ	3	3	4	4	2	2
29.	कोलकाता	2	2	2	2	2	2
	कुल	60	58	67	65	59	59

अन्तर्राष्ट्रीय सिम कार्ड से खतरा

2790. श्रीमती दर्शना जरदोशः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय प्री पेड सिम कार्डों से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा संबंधी खतरों से अवगत है क्योंकि यह प्रयोक्ताओं के लिए बिना किसी सत्यापन के आसानी से उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ख) दूर संचार विभाग भारतीय कम्पनियों को कतिपय शर्तों पर अन्तर्राष्ट्रीय सिम कार्डों/ग्लोबल कॉलिंग कार्डों की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करता है। ये कार्य केवल भारतीय ग्राहकों को केवल भारत के बाहर प्रयोग के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। केन्द्रीय आसूचना एवं जांच एजेंसियों की उपलब्ध जानकारियों के अनुसार, ऐसे कार्डों के विवरण में अनियमितता का कोई मामला ध्यान् में नहीं आया है।

(ग) सभी एन.ओ.सी. धारकों को ग्राहक से संबंधित सूचना के ब्यौरे नामोद्दिष्ट विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एल.ई.ए.) को भेजने अपेक्षित हैं। एन.ओ.सी. धारकों को ऐसे ग्लोबल कार्डों का पूरा विवरण (अवधि सहित) उन व्यक्तियों के पूर्ण विवरण, पते सहित जिन्हें ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड बेचे गए हैं/किराए पर दिए गए हैं, नामोद्दिष्ट विधि प्रवर्तन एजेंसियों को एन.ओ.सी. की शर्तों के खण्ड के अनुसार आवधिक रूप से मासिक आधार पर प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया गया है। एन.ओ.सी. का प्रत्येक वर्ष नवीकरण कराना आवश्यक होता है और नवीनीकरण के समय शर्तों के अनुपालन की जांच की जा रही है।

पी.डी.एस. में सुधार

2791. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को राज्य-वार कितनी धनराशि की खाद्य राजसहायता प्रदान की गई है तथा फर्जी/नकली कार्डों के कारण कितनी धनराशि की हानि/कितनी धनराशि लीक हुई है;

(ख) पकड़े गए फर्जी कार्डों तथा समाप्त किए कार्डों की संख्या तथा इसके परिणामस्वरूप बचाई गई राजसहायता की धनराशि दर्शाते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार तथा खाद्य राजसहायता को बचाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य राजसहायता भारतीय खाद्य निगम और विकेन्द्रीकृत खरीद योजना वाले राज्यों को रिलीज की जाती है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रिलीज की गई खाद्य

राजसहायता की राशि बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के बारे में विभाग द्वारा समय-समय पर कराए गए मूल्यांकन अध्ययनों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों के लीकेज/विपथन के भिन्न-भिन्न अनुमानों, परिवारों को शामिल करने/शामिल न करने संबंधी त्रुटियों आदि का उल्लेख किया गया है। तथापि जाली कार्डों के कारण गुम/चोरी हुई मात्रा के बारे में कोई विशिष्ट सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से एक नौ सूत्री कार्ययोजना वर्ष 2006 में तैयार की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की लगातार समीक्षा करना और जाली/अपात्र राशन कार्डों को समाप्त करना शामिल है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की समीक्षा करने और अपात्र/जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए अक्तूबर, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक गहन अभियान चलाने हेतु अनुदेश भी दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप 27 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि 30-09-2012 तक 318.50 लाख जाली/अपात्र राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया है। तथापि इसके परिणामस्वरूप बचाई गई राजसहायता की राशि का सही आकलन उपलब्ध नहीं है।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाना एक सतत प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार नियमित रूप से परामर्श पत्र जारी करती रही है और सम्मेलन आयोजित करती रही है जिनमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की लगातार समीक्षा करने, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता और विभिन्न स्तरों पर उन्नत मानिटरिंग तथा सतर्कता सुनिश्चित करने, संशोधित नागरिक अधिकार पत्र अपनाने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों का उपयोग करने और उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों का मासिक प्रमाणीकरण आदि सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों (डी.सी.पी. राज्यों) को जारी की गई राजसहायता

3-12-2012 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रुपये)

वर्ष	भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता राजसहायता	भारतीय खाद्य निगम बफर राजसहायता	उप जोड़ (कॉलम 2+3)	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	छत्तीसगढ़
1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	40311.1412	6556.0000	46867.1412	1434.320	5368.600	1103.170	1007.510
2010-11	43495.5600	7234.0000	50729.5600	2013.760	2485.340	1241.070	1923.480
2011-12	53751.1973	5774.7027	59525.9000	2964.830	1219.620	1481.730	1670.360
2012-13	54000.0000	0.0000	54000.0000	1511.920	23.586	956.600	1877.190

वर्ष	उत्तराखंड	तमिलनाडु	ओडिशा	कर्नाटक	गुजरात	केरल	उप जोड़ (कॉलम 5 से 14)	कुल (कॉलम 4+15)
1	9	10	11	12	13	14	15	16
2009-10	229.880	672.430	1281.960	0.000	40.260	237.180	11375.310	58242.4512

1	9	10	11	12	13	14	15	16
2010-11	299.360	1501.030	2243.970	0.000	20.150	471.840	12200.000	62929.5600
2011-12	217.970	1897.720	2934.710	0.000	59.620	398.440	12845.000	72370.9000
2012-13	166.050	842.060	1391.750	0.000	115.140	359.270	7243.566	61243.5658

सी.ए.पी.एफ. में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व

2792. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री ए.के.एस. विजयन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) में अल्पसंख्यक समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय सी.ए.पी.एफ. में अल्पसंख्यकों का बल-वार कुल प्रतिनिधित्व कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा सी.ए.पी.एफ. में अल्पसंख्यकों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल में विभिन्न रैंकों के लिए संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तथा संबंधित बल द्वारा भी नियमित रूप से भर्ती की जाती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार, समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान भी चलाए जाते हैं। उपर्युक्त भर्तियों में अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी समुदायों के उम्मीदवार भाग लेते हैं:

(ग) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में अल्पसंख्यकों का कुल प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:-

बल	अल्पसंख्यकों की कुल संख्या
1	2
सी.आई.एस.एफ.	10436
सी.आर.पी.एफ.	23167
एस.एस.बी.	4446
ए.आर.	8953
बी.एस.एफ.	27984
आई.टी.बी.पी.	3951
आई.बी.	2119
कुल	81056

(घ) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के संबंध में भर्ती खुली एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अल्पसंख्यक समुदायों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए तथा अल्पसंख्यक आयोग और संबंधित राज्यों के अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान/संगठन को विज्ञापन की प्रतियों इस अनुरोध के साथ देकर कि वे इन समुदायों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करें, भर्ती का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों के युवकों/उम्मीदवारों सहित देश के सभी भागों से युवकों/उम्मीदवारों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम राइफल में चयन हेतु समान अवसर मिले अर्थात:

(i) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल में कान्सटेबल/जीडी की संशोधित भर्ती योजना के अनुसार, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्ष कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही है। विज्ञापन भी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किये जाते हैं।

(ii) प्रश्न पत्र हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात कश्मीरी (जम्मू और कश्मीर के लिए उर्दू (लिपि), मराठी (महाराष्ट्र) गुजराती (गुजरात), मलयालम (केरल), कन्नड़ (कर्नाटक), तेलुगू (आन्ध्र प्रदेश), तमिल (तमिलनाडु), उडिया (ओडिशा), बंगाली (पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा), पंजाबी (पंजाब के लिए गुरमुखी लिपि), असमिया (असम एवं अरुणाचल प्रदेश), मणिपुरी (मणिपुर) और मिजो (मिजोरम)

में बनाया जाता है। तदनुसार, प्रश्न-पत्र का उत्तर इनमें से किसी भी भाषा में दिया जा सकता है।

(iii) इसके अतिरिक्त सरकार ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में भरी न गई रिक्तियों के लिए भर्ती अभियान भी चलाती है, जिससे युवकों को रोजगार का दूसरा अवसर मिलता है।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल संबंधित जिलों के युवक ही ऐसे अभियानों में भाग लें, उपयुक्त पहचान पत्र जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, आधार नम्बर, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड आदि स्वीकार किए जाते हैं।

(v) कर्मचारी चयन आयोग और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा राज्यों/सीमावर्ती जिलों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए कार्मिकों की भर्ती के बारे में अधिमानत: स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाता है।

(vi) प्रत्येक सीमावर्ती राज्य के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक दोनों को इसकी जानकारी देते हुए राज्य सरकारों को सूचित किया जाता है।

गुमराह करने वाले विज्ञापन

2793. **श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कंपनियां कथित तौर पर आकर्षक पेशकशों वाले भ्रामक विज्ञापन करते हुए ऐसे सस्ते और घटिया दर्ज के उत्पादों जो कि मानव उपयोग हेतु अक्सर हानिप्रद होते हैं, का अत्यधिक मूल्य वसूल रही हैं और उपभोक्ताओं को झांसा दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे प्रचालनों को रोकने के लिए भार और माप के मानक (डिब्बा बंद वस्तु नियमावली) अधिनियम, 1976 में संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न मीडिया के जरिए अनेक भ्रामक विज्ञापन सामने आए हैं। ऐसे विज्ञापनों के ब्यौरे केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है। ऐसे अनेक विधायन है जिनमें कम्पनियों द्वारा उनके उत्पादों के संबंध में किए गए भ्रामक दावों और विज्ञापनों से निपटने के लिए उपबंध किए गए है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित)

(ii) औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1955 (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

(iii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

(iv) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

(v) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रशासित)

(vi) इसके अलावा, निजी सेटेलाइट टी.वी. चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित विज्ञापन कोड के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। प्रिंट मीडिया में भ्रामक विज्ञापन, जो 'नार्मस् ऑफ जनरलिस्टिक' का उल्लंघन है, का निर्णय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के अंतर्गत भारतीय प्रेस कांउसिल द्वारा किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भी खाद्य उत्पादों से संबंधित भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ दांडिक कार्रवाई करता है।

(ग) और (घ) बाट तथा माप मानक (डिब्बाबंद वस्तु) नियम, 1977 को दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से निरस्त करके इसके स्थान पर विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तु) नियम, 2010 लागू कर दिया गया है। ये नियम डिब्बाबंद, हालात में बेची गई वस्तु के लिए विर्निदेश और मानक निर्धारित करते हैं।

बाजार हस्तक्षेप योजना

2794. श्री एम.बी. राजेश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नेफेड (एन.ए.एफ.ई.डी.) ने देश में कोई बाजार हस्तक्षेप योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना का विस्तार पूरे देश में करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, कृषि मंत्रालय एक योजना अर्थात कृषि एवं बागवानी जिन्सों की अधिप्राप्ति के लिए मण्डी हस्तक्षेप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जो कि सामान्यतया प्रकृति में नाशवान हैं और मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.) के अन्तर्गत नहीं आतीं। इस योजना का कार्यान्वयन उस राज्य सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर किया जाता है जो केन्द्र सरकार के साथ 50:50 आधार पर घाटा वहन करने की इच्छुक हैं (उत्तरी-पूर्वी राज्यों के मामले में 25:75)। लाभ, यदि कोई हो, अर्जित करने के मामले में उसे राज्य सरकार/अधिप्रापण संस्था द्वारा रख लिया जाता है। इसके अतिरिक्त एम.आई.एस. का कार्यान्वयन उस समय किया जाता है जब मूल्य आर्थिक स्तर/उत्पादन लागत से नीचे गिरने लगते हैं ताकि आपद बिक्री से बचा जा सके और यह योजना पूरे देश में लागू है।

(घ) एम.आई.एस. के पिछले तीन सालों के कार्यान्वयन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2009-10 से 2012-13 तक एम.आई.एस. के अंतर्गत खरीद (14-8-2012 तक)

क्र.सं.	घटक	राज्य	खरीद का वर्ष व दिनांक	खरीद मूल्य (एम.आई.पी.) (रुपये प्रति क्विं.)	खरीद लक्ष्य (एम.टी. में)
1	2	3	4	5	6
1.	सुपारी	कर्नाटक	2009-10 01-03-2009 से 30-06-2009	6900 (सफेद) 8900 (लाल)	10,000
2.	आलू	उत्तर प्रदेश	2009-10 25-03-2009 से 24-04-2009	285	1,00,000
3.	संतरा	नागालैंड	2009-10 25-03-2009 से 24-4-2009	510	16,000
4.	आयलपाम	कर्नाटक	2009-10 25-03-2009 से 24-04-2009	500	800
5.	सुपारी (सफेद)	कर्नाटक	2009-10 19-01-2010 से 18-04-2010	6900	6000
6.	आलू	उत्तर प्रदेश	2010-11 22-03-2010 से 30-04-2010	300	1,00,000

1	2	3	4	5	6
7.	आलू	पश्चिम बंगाल	2010-11 17-03-2010 से 15-04-2010	300	9,00,000
8.	आयलपाम	आन्ध्र प्रदेश	2010-11 01-09-2010 से 31-10-2010	500	47,500
9.	'सी' ग्रेड सेब	हिमाचल प्रदेश	2010-11 01-09-2010 से 31-10-2010	515	61,000
10.	आलू	उत्तर प्रदेश	2011-12 12-03-2011 से 11-04-2011	305	1,00,000
11.	सुपारी	कर्नाटक	2011-12 06-04-2011 से 31-05-2011	सफेद 7590 लाल 9790	सफेद 8,000 लाल 4,000
12.	सेब	हिमाचल प्रदेश	2011-12 15-08-2011 से 15-10-2011	525	50,600
13.	प्याज	कर्नाटक	2011-12 14-12-2011 से 14-01-2012	600	54,000
14.	हल्दी	कर्नाटक	2011-12 10-02-2012 से 15-06-2012	4092	12,400
15.	आलू	उत्तर प्रदेश	2011-12 10-02-2012 से 10-03-2012	328	1,00,000
16.	हल्दी	आन्ध्र प्रदेश	2011-12 20-03-2012 से 20-05-2012	4,000	54,000
17.	लहसून	राजस्थान	2011-12 06-06-2012 से 06-07-2012	1700	60,000
18.	मिर्च	आन्ध्र प्रदेश	2011-12 25-05-2012 से 25-06-2012	4100	52,000
19.	हल्दी	तमिलनाडु	2011-12 01-06-2012 से 31-07-2012	4,000	35,000

[हिन्दी]

कोयला भण्डारण

2795. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न खानों में कोयला भण्डारण की वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास, उपस्थित कोयला भण्डारण की आवधिक जांच के लिए कोई तंत्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की विभिन्न खानों में 01-04-2012 तथा 01-12-2012 की स्थिति के अनुसार कोयला भंडारों की सहायक कंपनी-वार तथा राज्य-वार वर्तमान स्थिति नीचे दी गई हैं:

(आंकड़े मिलियन टन में)

सहायक कंपनी	राज्य	निम्नलिखित तिथि को प्रारंभिक बुक भंडार	
		01-04-2012	01-12-2012 (अनंतिम)
1	2	3	4
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.)	पश्चिम बंगाल	1.38	0.82
	झारखंड	2.67	0.58
भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.)	झारखंड	6.71	4.49
	पं. बंगाल	0.24	0.24
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.)	झारखंड	15.10	6.99
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.)	उत्तर प्रदेश	1.51	0.81
	मध्य प्रदेश	5.34	5.13
वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.)	मध्य प्रदेश	0.32	0.25
	महाराष्ट्र	4.77	4.51
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.)	मध्य प्रदेश	0.37	0.36
	छत्तीसगढ़	8.93	3.33
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.)	ओडिशा	22.12	14.84
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एन.ई.सी.)	असम	0.10	0.03

(ख) और (ग) सी.आई.एल. में सभी खानों में कोयला भंडार का अनुरक्षण, नियंत्रण एवं सत्यापन की एक जैसी प्रणाली के लिए कोड है। भंडारों का सत्यापन आवधिक रूप से निम्नलिखित के अनुसार किया जाता है—

(i) मासिक भंडार माप—कोलियरी सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह के अंत में नैमित्तिक आधार पर।

(ii) तिमाही भंडार माप—क्षेत्र सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा कोलियरी सर्वेक्षण अधिकारियों की सहायता से प्रत्येक तिमाही के अंत में।

(iii) छमाही माप—संबंधित सहायक कंपनी के मुख्यालय (एचक्यू) द्वारा अंतर क्षेत्रीय कोयला भंडार मापदल भेजकर तथा सहायक कंपनी के समन्वय अधिकारी द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित करके।

(iv) वार्षिक भंडार माप—प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अंत: शेष भंडार की माप सी.आई.एल. (मुख्यालय) द्वारा गठित एक अंतर

सहायक कंपनी माप-दल द्वारा। यह कार्य कोल इंडिया लि. के उत्पादन प्रभाग द्वारा मानीटर किया जाता है।

(v) वार्षिक जांच माप—उत्पादन प्रभाग, सी.आई.एल. द्वारा सी.एम.पी.डी.आई.एल. की सहायता से तथा बाहरी एजेंसियों की सहायता से यदृच्छया चयनित उच्च भंडार खानों के लगभग 10% में।

(vi) कार्य-भार के सौंपने/ग्रहण करने के मामले में भंडारण माप प्रबंधक/परियोजना अधिकारी/महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक के कार्य-भार सौंपने/कार्य-भार ग्रहण करते समय।

(vii) औचक भंडार माप भी आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लागत वाली स्वच्छता योजना

2796. श्री बदरूद्दीन अजमलः क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या असम राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कम लगत वाली स्वच्छता योजना के लिए शहरी स्थानीय निकायों के प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को प्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या कोई अनुदान जारी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान असम सरकार से 7,530 यूनिटों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव हुए थे। वर्ष 2011-12 के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था और जहां तक वर्ष 2012-13 का संबंध है, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) 7.06 करोड़ रुपए की लागत से 7,530 यूनिटों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और यह 8 शहरों नामतः जोरहट, टीटाबार, लखीपुर, डोकमोका, बोकाजान, मारगांव, धिंग और डिगबोई से संबंधित थे। इनमें से 3,322 यूनिट शुष्क शौचलयों से भिन्न अस्वच्छ शौचालयों के परिवर्तन के लिए और 3,763 नए निर्माण के लिए थे। शुष्क शौचालयों के परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं था। इसलिए नई निर्माण श्रेणी के अंतर्गत सभी पर विचार किया गया था। हडको ने मूल्यांकन के बाद स्वीकृति के लिए 7,085 यूनिटों की सिफारिश की थी। केन्द्रीय समन्वय समिति ने 19-11-2010 को हुई अपनी 9वीं बैठक में यह निर्णय लिया था कि चूंकि अनुमानित लागत योजना के अंतर्गत राज्य के आबंटन से अधिक थी, राज्य को प्रस्तावों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सिद्धांत रूप से 37.20 लाख रुपए की केन्द्रीय सब्सिडी से 340 यूनिटों का अनुमोदन किया गया था जो कि नए निर्माण की श्रेणी के अंतर्गत राज्य को किए गए आबंटन पर आधारित था तथा असम सरकार से ऐसी प्राथमिकता सूची प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। केन्द्रीय समन्वय समिति की 23-06-2011 को हुई 11 वीं बैठक में कार्यसूची की इस मदद पर फिर से विचार किया गया था। तथापि, चूंकि असम सरकार से कोई भी प्रतिनिधि नहीं था और कोई प्राथमिकता सूची प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए कोई स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

(ग) एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता योजना के अंतर्गत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों के दावे

2797. श्री कीर्ति आजादः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों से प्राप्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन के दावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान अस्वीकृति के कारणों सहित ऐसे कुल स्वीकृत और अस्वीकृत दावों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की मंजूरी के संबंध में आवेदनों की प्राप्ति और उनका निपटान एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। राज्य सरकारों की सत्यापन रिपोर्टों के बिना सीधे प्राप्त होने वाले आवेदनों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त दावों को, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के प्रावधानों के अनुसार उनकी जांच करने के पश्चात स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए दावों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में नवम्बर, 2012 तक के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को मंजूर की गई केन्द्रीय सम्मान पेंशन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	आन्ध्र प्रदेश	72	344	179	12
2.	असम	-	3	-	-
3.	बिहार और झारखंड	4	1	3	1
4.	छत्तीसगढ़	-	1	-	2
5.	गोवा	4	5	1	1
6.	गुजरात	1	-	-	-
7.	हरियाणा	1	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1	1	-
9.	कर्नाटक	4	7	1	-
10.	केरल	11	60	8	23
11.	मध्य प्रदेश	4	2	1	1
12.	महाराष्ट्र	82	46	3	1
13.	ओडिशा	-	5	-	-
14.	पंजाब	5	5	-	2
15.	राजस्थान	1	1	-	-
16.	तमिलनाडु	2	9	1	1
17.	त्रिपुरा	2	-	-	-
18.	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	2	3	3	-
19.	पश्चिम बंगाल	-	19	6	2
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4	-	-	-
21.	पुदुचेरी		1	-	-
	कुल	200	513	207	46

[अनुवाद]

ग्रामीण सड़कों हेतु मंजूरी

2798. श्री विष्णु पद रायः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 1952 से बसे हुए वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों के लिए 24 ग्रामीण सड़कों की मंजूरी के लिए जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जनवरी, 2011 में कोई बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अंडमान लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए वन्य स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो आज की तिथि तक वन्य स्वीकृति प्राप्त सड़कों की संख्या कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो सड़कों की वन्य स्वीकृति पूरी न होने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) 24 ग्रामीण सड़कों में से अण्डमान लोक निर्माण विभाग द्वारा वन्य स्वीकृति के लिए 9 सड़के ली गई हैं।

(ग) वन्य स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) 2 सड़कों के लिए प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेज दिए गए हैं। शेष 7 सड़कों के लिए प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं।

दूध मिशन

2799. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ 6,000 करोड़ रुपए की लागत से दूध मिशन को लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) यह विभाग 'मिल्क मिशन' नामक कोई स्कीम क्रियान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, भारत सरकार ने दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 16 मार्च, 2012 को 2011-12 से 2016-17 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-1 (एन.डी.पी.-1) को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को करीब 2,242 करोड़ रुपए के निवेश से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें विश्व बैंक से 1584 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता, 176 करोड़ रुपए की केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी के रूप में, 282 करोड़ रुपए की राशि अंतिम क्रियान्वयन एजेंसियों अथवा राज्य सरकार की हिस्सेदारी के रूप में और 200 करोड़ रुपए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हिस्से के रूप में शामिल है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग ने 65.00 करोड़ रुपए की राशि (2011-12 के दौरान 4.00 करोड़ रुपए और 2012-13 के दौरान 61.00 करोड़ रुपए) जारी की है। वर्ष 2012-13 के दौरान एन.डी.पी.-1 के लिए 130.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

[हिन्दी]

युवा नेतृत्व शिविर

2800. श्री जगदीश सिंह राणाः क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के छात्रों तथा अन्य युवाओं को युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए कदम उठाए हैं/वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग में युवा और किशोर विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम/शिविर आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। उक्त कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आर.जी.एन.आई.वाई.डी.) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ये दोनों युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेब का उत्पादन

2801. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में सेब के उत्पादन में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने सेब का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने तथा फसलों को कीट, प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) नवीनतम अनुमानों के अनुसार, देश में सेब का उत्पादन 2011-12 के दौरान 22.11 लाख टन है। गत तीन वर्षों के दौरान सेब के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (लाख एम.टी. में)
2008-09	19.85
2009-10	17.77
2010-11	28.91

कृषि एवं सहकारिता विभाग सेब सहित बागवानी के समग्र विकास के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एच.एम.एन.ई.एच.) नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री के लिए नर्सरियों की स्थापना, अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र विस्तार, अधिक सघन रोपण, जीर्ण फलोद्यानों के पुनरोद्धार, कैनोपी प्रबंधन, समेकित पोषण एवं नाशीजीव प्रबंधन, फसलोपरान्त प्रबंधन तथा विपणन अवसंरचना के सृजन, प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना आदि के माध्यम से सेब का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहायता दी जाती है। सेब का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) के तहत भी सहायता दी जाती है।

कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य मंत्रालय सेब सहित नाशवान वस्तुओं के निर्यात के संवर्धन के लिए अवसंरचना, परिवहन, सहायता, गुणवत्ता और अनुसंधान विकास संबंधी विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

गायों की विदेशी नस्ल को बढ़ावा देना

2802. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी और घरेलू नस्लों की गायों के दूध की गुणवत्ता में कोई अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जर्सी और हाउस्टन जैसी गाय की विदेशी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए किसी योजना को कार्यान्वित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) दुग्ध वसा प्रतिशतता की दृष्टि से विदेशी और स्वदेशी गाय की नस्लों के दूध की गुणवत्ता में अन्तर पाया गया है। विदेशी नस्ल की गायों की दुग्ध वसा की प्रतिशतता 3 से 4.5% है जबकि स्वदेशी नस्लों में यह 4 से 5.5% तक है, जबकि गायों की स्वदेशी नस्ल की तुलना में विदेशी गायों की नस्ल की लेक्टेशन पैदावार काफी अधिक है। हाल ही के अध्ययनों के अनुसार, अधिकतर विदेशी नस्लों में एल्लेली ए1 की तुलना में स्वदेशी गायों में बीटा केसिन एल्लेली एर मौजूद है।

(ग) और (घ) भारत सरकार अक्तूबर, 2000 से सम्पूर्ण देश में 100 प्रतिशत सहायता अनुदान के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, नामत: 'राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना' (एन.पी.सी.बी.बी.) को क्रियान्वित कर रही है। एन.पी.सी.बी.बी. में वरियता आधार पर बोवाइन संख्या के आनुवंशिक उन्नयन के साथ-साथ स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर जोर देने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य विदेशी नस्लों नामत: हाउस्टन फ्रेसिंग और जर्सी का प्रयोग करते हुए, उन्हीं की प्रजनन नीति के अनुसार, संसाधन समृद्ध क्षेत्रों में गैर प्रजातीय कम उत्पादन वाले गोपशु के अनुपात का उन्नयन कर रहे हैं। इस समय योजना के अन्तर्गत 28 राज्य

भाग ले रहे हैं। सरकार बोवाइन संख्या के विकास के लिए तीन केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं नामतः केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सी.सी.बी.एफ.), केन्द्रीय पशुयुथ पंजीकरण योजना (सी.एच.आर.एस.) और केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान (सी.एफ.एस.पी. एंड टी.आई.) को भी क्रियान्वित कर रही है।

डब्ल्यू.डी.आर.ए. का मूल्यांकन

2803. **श्रीमती अन्नू टण्डन :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो.के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की आवश्यकता

2804. **श्री प्रताप सिंह बाजवा:**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत संयंत्रों/विद्युत के उत्पादन की जरुरत को पूरा करने के लिए कोयले के उत्पादन और आयात की दृष्टि से कोयले की अनुमानित आवश्यकता अलग-अलग कितनी है;

(ख) ऐसे आयातों पर कितना व्यय होगा;

(ग) क्या मंत्रालय आयातित कोयले के परिमाण में वृद्धि के कारण परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय के साथ किसी चर्चा में संलग्न है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले की अनुमानित मांग, उत्पादन एवं आयात का लक्ष्य नीचे दिया गया है:-

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोयले की कुल अनुमानित मांग (ब.अ.)	विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित मांग (ब.अ.)	उत्पादन का लक्ष्य (ब.अ.)	उत्पादन एवं आपूर्ति के बीच अंतर
2012-13	772.84	512.00	578.10	194.74
2016-17	980.50	682.08	795.00	185.50

घरेलू उत्पादन और मांग के बीच अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित आयात के कारण होने वाले व्यय की मात्रा नहीं बताई जा सकती है जब तक कि वास्तविक आयात हो नहीं जाता है क्योंकि आयात किए जाने वाले कोयले का मूल्य गुणवत्ता तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समय-समय पर मूल्यों में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) बढ़ते हुए आयात को संभालने के लिए पत्तन की क्षमताओं को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है तथा उसे 12वीं योजना की कोयला एवं लिग्नाइट संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

[हिन्दी]

नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां

2805. **श्री महेश्वर हजारी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान पड़ोसी देश नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त गतिविधियां चीन द्वारा प्रायोजित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों के मद्देनजर नेपाल से आप्रवास करने वाले कामगारों तथा अन्य व्यक्तियों का विवरण दर्ज करने के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण एजेंसी की स्थापना की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) भारत सरकार को नेपाली राजतंत्र एवं समाज के कुछ वर्गों की भारत-विरोधी भावनाओं की जानकारी है। भारत, नेपाल के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। पारस्परिक संबंध के मुद्दों पर भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच घनिष्ठ समन्वय है। भारत अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विकास आदि के क्षेत्रों में नेपाल के सामाजिक आर्थिक-विकास में उसकी सहायता कर रहा है। नेपाल सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह भारत के विरुद्ध किसी गतिविधि के लिए अपने भू-भाग का इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं प्रदान करेगा।

(घ) और (ङ) भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है, जो भारतीय और नेपाली नागरिकों को स्वतंत्र आवाजाही की सुविधा प्रदान करती है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच वीजा-रहित ढांचा विद्यमान है।

मुखपका खुरपका रोग

2806. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में पशुधन में मुखपका खुरपका रोग फैल गया है और इस रोग के कारण अनेक पशु मर गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रोग के फैलने से कौन-कौन से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रभावित हुए हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस रोग के बारे में कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा शीघ्रातिशीघ्र इस रोग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से खुरपका और मुखपका रोग (एफ.एम.डी.) की सूचना प्राप्त हुई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान और जून, 2012 तक खुरपका और मुखपका रोग की घटनाओं का विस्तृत राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पशुपालन विभाग, महाराष्ट्र से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, इस रोग का प्रकोप नहीं हुआ है और 2008-09 से एफ.एम.डी. के कारण किसी पशुधन के मरने की सूचना नहीं है, तथापि, छुट-पुट मामले सूचित किए गए हैं। देश में एफ.एम.डी. रोग एक एफ.एम.डी. वाइरस के तीन सीरमप्ररूपों (ओ.ए. तथा एशिया 1) के कारण फैलता है। माइकोकार्डियल इंफ्रक्शन के कारण पशुओं के बच्चों और हैमरेजिक स्पेक्टिसीमिया जैसे रोगजनक जीवाणु संक्रमणों के साथ नैदानिक जटिलताओं के कारण वयस्क पशुओं की यदा कदा मृत्यु हो जाती है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, इस रोग पर किए गए अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

- इस रोग की वाहक स्थिति के साथ दैहिक जानपदिक रोग और आण्विक जानपदिक रोग के संबंध में अध्ययन।
- वैक्सीन मैचिंग कार्य और राष्ट्रीय एफ.एम.डी. वाइरस आधानी के अनुरक्षण के साथ आऊटब्रेक से विलगित एफ.एम.डी. वाइरस प्रभेदों की प्रतिजनी और आण्विक अभिलक्षणा करना और सूची बनाना।
- देश में उपयोग के लिए एफ.एम.डी. वाइरस रोग निदान के नैदानिक रिएजेंटों का उत्पादन, मानकीकरण और आपूर्ति तथा एफ.एम.डी. टीका विनिर्माताओं को अत्यधिक उपयुक्त टीका प्रभेद के अनुरक्षण और आपूर्ति के साथ टीके से असंक्राम्यता की मानीटरिंग।
- आण्विक जैविकी में नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अपेक्षाकृत नई नैदानिक तकनीकों का विकास।

(ङ) देश में खुर और मुख के रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के उद्देश्य से विभाग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से 54 जिलों में खुर और मुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ.एम.डी.-सी.पी.) आरंभ किया था जिसका 11वीं पंचवर्षीय योजना में 221 जिलों तक विस्तार किया था और इस प्रकार इसमें आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा,

गुजरात, पंजाब, हरियाणा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी के सभी जिले तथा उत्तर प्रदेश के 16 जिले शामिल किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अधीन छह मास के अन्तराल पर निष्क्रिय और त्रिसंयोजक एफ.एम.डी. टीके का उपयोग करके एफ.एम.डी. के प्रति सभी गोपशुओं और भैंसों को टीका लगाने की परिकल्पना की गई है। देश में एफ.एम.डी. पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है और मानीटरिंग की जाती है। एफ.एम.डी. कार्यक्रम का दायरा और अधिक बढ़ाया जाएगा ताकि चरणबद्ध रूप से शेष जिलों को शामिल किया जा सके। 'पशु रोग के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता' योजना के अधीन वित्तीय सहायता की अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार इस योजना के अधीन एफ.एम.डी. सहित पशुधन के आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोगों पर नियंत्रण करने के लिए एफ.एम.डी.-सी.पी. के अन्तर्गत शामिल किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि भी मुहैया की जा रही है।

विवरण

पिछले 5 वर्षों के दौरान और जून, 2012 तक मुंहपका-खुरपका रोग की राज्यवार घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2007			2008			2009		
		ओ	ए	डी	ओ	ए	डी	ओ	ए	डी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	79	1019	42	9	326	3	8	359	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	24	2222	70	6	463	29	18	1072	74
3.	असम	—	—	—	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	—	—	—	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	0	0	0	1	40	0
6.	गोवा	—	—	—	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	4	61	0	8	295	20	15	605	7
8.	हरियाणा	—	—	—	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	2	50	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	31	3560	13	16	1671	1	4	781	1
11.	झारखंड	—	—	—	12	50	0	4	353	0
12.	कर्नाटक	936	29531	420	254	5453	61	169	3647	117
13.	केरल	—	—	—	0	0	0	47	303	0
14.	मध्य प्रदेश	—	—	—	1	135	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	2	44	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	—	—	—	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	—	—	—	16	176	0	134	3982	0
18.	मिजोरम	7	35	0	21	575	11	43	836	71
19.	नागालैंड	5	480	2	19	689	59	7	163	5
20.	ओडिशा	37	1157	19	26	628	15	84	2303	49
21.	पंजाब	—	—	—	2	300	24	1	51	0
22.	राजस्थान	5	131	8	13	511	21	31	947	23
23.	सिक्किम	—	—	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	236	5636	752	12	110	19	0	0	0
25.	त्रिपुरा	—	—	—	3	42	0	28	1139	9
26.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	—	—	—	0	0	0	2	722	55
28.	पश्चिम बंगाल	178	7154	12	31	1329	15	306	9224	55
29.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	—	—	—	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	—	—	—	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	—	—	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	—	—	—	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1	21	0	0	0	0	0	0	0
कुल		1547	51101	1338	449	12753	278	902	26527	473

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2010			2011			2012 (जनवरी से जून 12)		
		ओ	ए	डी	ओ	ए	डी	ओ	ए	डी
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	33	0	4	103	12	0	0	0

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	865	31	2	102	9	3	843	287
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	3	60	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	1	3	0
7.	गुजरात	13	611	18	5	204	0	0	0	0
8.	हरियाणा	3	22	0	0	0	0	1	77	19
9.	हिमाचल प्रदेश	1	8	0	1	10	0	3	116	4
10.	जम्मू और कश्मीर	3	89	0	3	16	0	3	105	2
11.	झारखंड	8	1970	0	1	37	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	36	1866	17	169	2914	40	169	5903	33
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	14	2266	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	5	64	1	0	0	0	3	68	1
17.	मेघालय	133	1815	0	336	5152	17	194	2281	0
18.	मिजोरम	12	141	0	4	126	0	1	155	35
19.	नागालैंड	54	3631	16	67	1111	18	2	34	1
20.	ओडिशा	8	748	14	3	123	0	9	514	30
21.	पंजाब	0	0	0	7	228	7	0	0	0
22.	राजस्थान	14	6392	251	15	968	47	64	4104	340
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	68	10	15	567	58	1	27	3
25.	त्रिपुरा	8	141	3	37	545	10	33	491	12

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26.	उत्तर प्रदेश	5	121	0	0	0	0	8	595	78
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	53	1397	0	28	563	0	44	641	0
29.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और द्वीव	0	0	0	1	18	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	4	20	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	422	19982	361	701	12847	218	557	18243	845

नोट: ओ-प्रकोप, ए-आक्रांत, डी-मृत्यु।

[अनुवाद]

संस्कृति का संरक्षण

2807. श्री सोमेन मित्राः क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार विभिन्न संस्कृति, प्रथाओं, और परम्पराओं के संरक्षण और विकास के लिए पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और राज्यों में विभिन्न संस्थाओं को कितनी निधियां स्वीकृत तथा जारी की गई;

(ग) अब तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और कितने लंबित है तथा विलंब के कारण क्या हैं; और

(घ) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी): (क) से (घ) यह मंत्रालय देश की संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण एवं विकास के लिए अनेक स्कीमें संचालित करता है। विभिन्न स्कीमों के तहत पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(i) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान "विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं में कार्यरत व्यावसायिक समूहों एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता" की स्कीम के अंतर्गत वेतन एवं निर्माण अनुदान के लिए प्राप्त प्रस्ताव के ब्यौरे संलग्न विवरण-। में दिए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान निपटान किए गए प्रस्तावों की संख्या 2,207 है। प्राप्त प्रस्तावों का विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर निपटान किया जाता है।

(ii) "बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं कला के विकास" एवं "हिमालयी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण एवं विकास" की स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों तथा दो स्कीमों के संबंध में जारी निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

सभी पूर्ण/पात्र प्रस्तावों को उन पर विचार करने/सिफारिश के लिए विशेषज्ञ सलाहाकार समिति (ई.ए.सी.) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तदनुसार, ई.ए.सी. द्वारा संस्तुत सभी मामलों में प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद और निधियां जारी की जाती हैं। इसलिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं रखा जाता है।

(iii) प्राप्त एवं अनुमोदित प्रस्तावों को दर्शाने वाली "सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम" के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव तथा पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार जारी निधियां के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। प्राप्त प्रस्तावों का विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर निपटान किया जाता है।

विवरण-I

*पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान **"विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं में कार्यरत व्यावसायिक समूहों एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता"** की स्कीम के अंतर्गत संस्थाओं के लिए दिये गए राज्यवार वेतन एवं निर्माण अनुदान*

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी अनुदान (लाख रुपए में)							
		वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13 (सितंबर 2012 को समाप्त)	
		संगठनों की संख्या	जारी की गई राशि	संगठनों की संख्या	जारी की गई राशि	संगठनों की संख्या	जारी की गई राशि	संगठनों की संख्या	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	4	10.56	2	14.16	2	15.36	–	–
2.	आन्ध्र प्रदेश	6	36.88	20	112.67	13	87.62	19	103.05
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	3	7.11	–	–
4.	असम	3	19.44	2	8.46	11	47.73	10	19.79
5.	बिहार	13	86.92	12	79.73	11	94.47	17	69.80
6.	चंडीगढ़	1	8.40	4	18.06	4	29.44	7	46.47
7.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	1	3.36	–	–
8.	दिल्ली	55	363.11	53	395.77	71	421.3	56	281.82
9.	गोवा	1	2.64	1	4.80	1	5.52	1	5.52
10.	गुजरात	4	24.14	4	40.98	3	12.51	5	26.12
11.	हरियाणा	3	13.53	5	26.39	7	35.88	7	32.96
12.	हिमाचल प्रदेश	3	18.99	–	–	2	6.11	3	5.25
13.	जम्मू और कश्मीर	2	24.72	5	13.41	13	66.29	9	16.13
14.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	कर्नाटक	59	384.61	63	380.38	77	448.25	32	220.82
16.	केरल	23	155.28	25	137.67	23	132.25	16	93.08
17.	मध्य प्रदेश	16	103.74	20	148.20	19	99.53	20	12.12
18.	महाराष्ट्र	19	153.35	27	170.57	44	221.99	23	143.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	मणिपुर	47	321.92	70	294.17	68	359.97	61	377.26
20.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	मिजोरम	–	–	5	9.82	2	3.36	2	10.68
22.	नागालैंड	1	6.96	1	6.96	0	–	2	8.46
23.	ओडिशा	6	39.56	10	48.32	17	85.26	13	59.90
24.	पुदुचेरी	1	9.36	1	10.56	2	12.48	2	6.75
25.	पंजाब	2	18.24	2	18.24	2	22.56	3	12.90
26.	राजस्थान	7	60.72	7	46.12	4	34.09	7	28.64
27.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	1.50
28.	तमिलनाडु	6	3.78	15	71.73	18	82.31	12	54.32
29.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	2	3.00
30.	उत्तर प्रदेश	35	134.00	23	103.12	49	189.71	19	109.92
31.	उत्तराखंड	4	19.44	7	18.37	4	15.42	5	7.46
32.	पश्चिम बंगाल	117	465.45	159	654.18	225	806.41	180	717.74
	योग	438	2485.74	543	2834.84	696	3246.29	533	2474.94

विवरण-II

स्वीकृत मामलों की वर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	संस्तुत मामलों की संख्या	व्यय (लाख रु.)
1.	हिमालयी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण एवं विकास	2009-10	171	12	43.00
		2010-11	69	6	41.00
		2011-12	शून्य	शून्य	20.00
		2012-13	109	36	1.00
2.	बौद्ध एवं तिब्बती संस्कृति एवं कला का विकास	2009-10	118	36	245.00
		2010-11	110	57	362.00
		2011-12	शून्य	शून्य	100.00
		2012-13	118	73	30.00

पश्चिम बंगाल के लिए स्वीकृत एवं जारी अनुदान

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वर्ष	स्वीकृत एवं जारी निधियां (लाख रु.)
1	2	3	4
1.	हिमालयी सांस्कृतिक विरासत का	2009-10	शून्य

1	2	3	4
	परिरक्षण एवं विकास	2010-11	2.50
		2011-12	शून्य
		2012-13	शून्य
2.	बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं कला का विकास	2009-10	28.21
		2010-11	28.24
		2011-12	7.59
		2012-13	3.12

विवरण-III

सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत/जारी वर्ष-वार निधियां (लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (आज तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.50	12.90	30.25	14.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.50	5.50	2.50	5.00
3.	असम	6.50	11.50	17.00	15.00
4.	बिहार	शून्य	18.00	24.50	19.00
5.	चंडीगढ़	शून्य	10.00	14.00	4.00
6.	छत्तीसगढ़	0.75	4.50	6.80	2.00
7.	दिल्ली	83.30	264.15	383.75	204.15
8.	गुजरात	शून्य	15.00	5.00	5.00
9.	गोवा	शून्य	शून्य	4.00	शून्य
10.	हरियाणा	2.00	11.00	16.50	14.50
11.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	4.50	4.00	2.00
12.	जम्मू और कश्मीर	6.00	4.50	25.00	11.00
13.	झारखंड	शून्य	शून्य	1.00	शून्य
14.	कर्नाटक	28.825	112.45	139.00	79.00
15.	केरल	20.50	33.55	38.50	35.50
16.	मध्य प्रदेश	3.00	20.25	36.25	23.50
17.	महाराष्ट्र	14.50	47.80	76.73	31.50
18.	मणिपुर	4.00	57.50	71.05	63.00
19.	मेघालय	शून्य	शून्य	1.50	शून्य
20.	नागालैंड	शून्य	12.00	7.50	शून्य

1	2	3	4	5	6
21.	ओडिशा	7.00	64.20	61.50	38.00
22.	पुदुचेरी	शून्य	8.00	शून्य	1.70
23.	पंजाब	शून्य	11.00	13.00	6.50
24.	राजस्थान	0.50	15.50	40.10	9.50
25.	सिक्किम	शून्य	शून्य	3.50	शून्य
26.	तमिलनाडु	0.75	31.70	36.50	28.30
27.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	0.50	4.00
28.	उत्तर प्रदेश	13.75	69.05	73.50	76.00
29.	उत्तराखंड	6.00	3.00	8.50	25.00
30.	पश्चिम बंगाल	73.55	212.35	333.82	141.58

वर्ष 2012-13 (अभी तक) सहित पिछले तीन वर्ष के दौरान प्राप्त एवं अनुमोदित प्रस्तावों की वर्ष-वार संख्या

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
2009-10	333	108
2010-11	1020	414
2011-12	1084	575
2012-13 (आज तक)	385	242

किसान मेला

2808. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार किसान मेला आयोजित करके किसानों में खेती के नवीनतम ज्ञान का प्रचार-प्रसार कर रही है और उन्हें अच्छी गुणवत्ता के बीच तथा उर्वरक उपलब्ध कराती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित ऐसे मेलों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) राज्य विस्तार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विस्तार सुधार योजना (ए.टी.एम.ए. के नाम से लोकप्रिय) में राज्य सरकारों को प्रदर्शनियां, फेयर और मेलों का आयोजन राज्य और जिला स्तरों पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने और नवीनतम और संबद्ध सूचना/ज्ञान का प्रसार करने के लिए वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है। कभी-कभी राज्य सरकारें इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान उत्तम गुण वाले बीजों और अन्य कृषि आदानों का वितरण भी करती हैं।

कृषि एवं सहकारिता विभाग विभिन्न राज्य सरकारों, संस्थाओं और संगठनों आदि द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/रेत्रीय स्तरीय प्रदर्शनियों/मेलों (चयनित आधार पर) में भाग ले रहा है और उन्हें बढ़ावा भी दे रहा है।

(ख) केन्द्र सरकार ऐसे फेयर/मेलों का आयोजन सीधे नहीं करती।

डिब्बाबंद वस्तुओं का मूल्य

2809. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नया पैकेजिंग नियम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स' (एफ.एम.सी.जी.) कंपनियों ने इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि कर दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं में अत्यधिक वृद्धि को रोकने तथा उपभोक्ताओं पर अत्यधिक वृद्धि का बोझ कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी हां, सरकार ने विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियमं, 2011 को यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया है कि अब दैनिक उपयोग की 19 वस्तुओं (जैसा कि दूसरी अनुसूची में उल्लिखित किया गया है) का मानक पैक आकारों में ही निर्माण और विक्रय किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं। ऐसा कोई रिर्पोट नहीं है।

(घ) से (ङ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं।

एन.एस.एफ. का उत्तरदायित्व

2810. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने मान्यता प्राप्त खेल संघों/निकायों ने समुचित लेखा प्रक्रिया रखी है और ऐसे कितने लेखाओं की लेखापरीक्षा की गई;

(ख) क्या सरकार का उनके लिए समुचित लेखा प्रक्रिया का अनुपालन करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और नियमित रूप से उसके वित्तीय लेखाओं की जांच सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाया जाना प्रस्तावित है;

(घ) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने देश में खेल निकायों/संघों के कार्यकरण पर कोई टिप्पणी की है; और

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान संघवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.) सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय हैं तथा सरकार सामान्यतया इनके दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों में हस्तक्षेप नहीं करती। इस समय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 52 राष्ट्रीय खेल परिसंघ हैं। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अनुसार सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखे सोसाइटी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करें। सरकार ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पहले ही एक प्रक्रिया लागू की है, जिसके अंतर्गत सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे राष्ट्रीय खेल परिसंघों को नई वित्तीय सहायता की मंजूरी नहीं दी जाती। उत्तरादायित्व बढ़ाने के लिए, सरकार से 1.00 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान प्राप्त करने वाले परिसंघों को अपने लेखाओं का लेखा-परीक्षण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा करवाना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) जिन लेखाओं का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है वे रिपोर्ट में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए अपने निर्देश सीधे राष्ट्रीय खेल परिसंघों को भेजते हैं और अनुपालन रिपोर्ट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सीधे भेजने के लिए कहते हैं। नियंत्रक और लेखा परीक्षक के निर्देशों और टिप्पणियों के अनुपालन के लिए सरकार भी आवश्यक उपयुक्त कदम उठाती है।

पशुपतिनाथ मंदिर का पुनरूद्धार

2811. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'पशुपतिनाथ एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट' (पी.ए.डी.टी.), नेपाल ने पशुपतिनाथ मंदिर के पनरूद्धार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) ए.एस.आई. द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर का पुनरूद्धार कार्य कब से किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) और (ख) पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास न्यास (पी.ए.डी.टी.) ने पशुपतिनाथ

मन्दिर क्षेत्र परिसर में स्मारकों के संरक्षण और पुनरूद्धार में उनकी मदद करने के लिए विदेश मंत्रालय से सम्पर्क किया है। तदनुसार, विदेश मंत्रालय ने उक्त मन्दिर परिसर के सर्वेक्षण और संरक्षण आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए एक दल नियुक्त करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुरोध किया है।

(ग) आगे की कार्रवाई, समय सीमा सहित, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दल द्वारा स्थल का दौरा करने के पश्चात प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने पर निर्भर करेगी।

सरकारी पुस्तकालयों के लिए कार्यदल

2812. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी पुस्तकालयों और उनमें स्टाफ के लिए कार्यदल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यदल के गठन, निदेश पद और कार्यकाल सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यदल ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि हां, तो इसकी सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या पांचवें सी.पी.सी. के पैरा संख्या 55.161 द्वारा यथासंस्तुत सरकारी पुस्तकालयों (लाभार्थी पुस्तकालयों) के प्रतिनिधि निकाय जी.आई.एल.ए. से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो कार्यदल के सदस्य नामनिर्दिष्ट करने/चयन करने के मानदंड क्या हैं तथा जी.आई.एल.ए. के प्रतिनिधियों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी): (क) और (ख) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय ने 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सी.पी.सी.) की सरकारी पुस्तकालयों और उनके कार्मिकों से संबंधित विभिन्न सिफारिशों की जांच करने के लिए दिनांक 16-10-2009 के आदेश द्वारा एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल की संरचना निम्न प्रकार से की गई थी:

1. संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय (पुस्तकालय अनुभाग के प्रभारी)	अध्यक्ष
2. डॉ. एस.एस. मूर्ति (सेवानिवृत्त, निदेशक, रक्षा विज्ञान प्रलेखन केन्द्र)	सदस्य
3. श्री एस.सी. राघवन, (सेवानिवृत्त, पुस्तकालयाध्यक्ष, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान)	सदस्य
4. डॉ. एस. मजुमदार, (विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय)	सदस्य
5. डॉ. रमेश सी. गौड़ (अध्यक्ष, कला निधि प्रभाग, (आई.जी.एन.सी.ए.)	सदस्य
6. डॉ. पी.आर. गोस्वामी, (निदेशक, केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार)	सदस्य सचिव

कार्यदल के विचारणीय विषय निम्नलिखित थे:

(i) विभिन्न पुस्तकालयों के वर्गीकरण के लिए फार्मूला तैयार करना

(ii) पुस्तकालयों के वर्गीकरण के लिए एक संशोधित मानदंड की सिफारिश करना

(iii) संस्कृति मंत्रालय में एक पुस्तकालय प्रकोष्ठ की स्थापना करने की संभावना का पता लगाना

कार्यदल को अपनी रिपोर्ट 3-4 महीनों के अंदर प्रस्तुत करना था।

(ग) कार्यदल ने अपनी रिर्पोट जुलाई, 2011 में प्रस्तुत की। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित के संबंध में थीं:

1. पुस्तकालयों के वर्गीकरण के लिए नए पैरामीटर सुझाए गए।

2. पुस्तकालयों के वर्गीकरण के वर्तमान पैरामीटर में परिवर्तन।

3. सहायक सम्पादक और उप-सम्पादक जो वास्तव में भाषा-पुस्तकालयाध्यक्ष हैं, को पुस्तकालय व्यावसायिक माना जायेगा।

4. विशेष प्रकृति वाले पुस्तकालयों का स्वतंत्र मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

5. योग्य पुस्तकालयाध्यक्षों को वायवसायिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

6. 'सरकारी पुस्तकालय' परिभाषित किए जाएं।

7. सभी सरकारी पुस्तकालयों में प्रयुक्त मात्रात्मक पैरामीटरों के अधिदेशात्मक आंकड़े अनुरक्षित किए जाएं।

8. बहुत छोटे पुस्तकालय जिनमें बहुत कम कर्मचारी हैं, के वर्गीकरण में उत्पन्न हुई विसंगतियों का समाधान निकालना।

9. एक भारतीय पुस्तकालय और विज्ञान सूचना केन्द्र की स्थापना करना।

10. संस्कृति मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए 10-12 पुस्तकालयों में संशोधित वर्गीकरण फार्मूले की उपयोगिता का परीक्षण करने के विचार से उसका कार्यान्वयन करना।

कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 2011 में प्रस्तुत की थी और इसको वित्त मंत्रालय में भेज दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने इस रिपोर्ट की जांच की और वर्गीकरण फार्मूले में कुछ संशोधनों का सुझाव देकर इस रिपोर्ट को संस्कृति मंत्रालय को वापस कर दिया। वित्त मंत्रालय की अभ्युक्तियों को ध्यान में रखकर इस रिपोर्ट में संशोधन किया गया। इस रिपोर्ट को पुनः वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) कार्यदल के सदस्यों को संस्कृति मंत्रालय उनकी विशेषज्ञता और पुस्तकालयों में कंप्यूटर अनुप्रयोगों सहित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के अनुभव के आधार पर नामित करता है।

5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 55.161 में सिफारिश की गई थी कि संस्कृति विभाग को पुस्तकालय की प्रत्येक श्रेणी के लिए कर्मचारी-पद्धति के संबंध में व्यय विभाग की कार्य-अध्ययन इकाई, भारतीय मानक ब्यूरो और पुस्तकालयों के व्यावसायिक निकायों के परामर्श से कुछ मानक विकसित करना चाहिए। तदनुसार, कार्यदल ने 18-3-2011 को पणधारकों के साथ पुस्तकालयों और संशोधित वर्गीकरण फार्मूले पर विचार करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। केन्द्र सरकार पुस्तकालय एसोसिएशन; भारतीय पुस्तकालयाध्यक्ष एसोसिएशन; भारतीय विशेष पुस्तकालय और सूचना केन्द्र एसोसिएशन, कोलकाता; व्यय विभाग और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के प्रतिनिधियों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इसमें भाग लिया। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने सुझाव कार्यदल को भेजें।

उपभोक्ता संगठनों के लिए निधियां

2813. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: *क्या* **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में कार्यरत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे संगठनों को सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को निधियों के आबंटन के लिए कौन से मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इन संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो.के.वी. थॉमस): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य में अनेक स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन कार्यरत हैं। जिनमें से केवल दो निम्नलिखित संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:-

क्र.सं.	संगठन का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी ऑफ इंडिया, मुम्बई	2,50,000 रुपये		1,35,000 रुपये
2.	भारतीय दलित विकास परिषद, औरंगाबाद			5,00,000 रुपये

निधियां स्वीकृत करने के मानदंड उपभोक्ता कल्याण कोष नियम, 1992 और उनके तहत अनुमोदित दिशा-निर्देशों में निर्धारित किए गए हैं।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956, सोसायटीज़ पंजीकरण अधिनियम, को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत होने के बाद तीन वर्षों की अवधि से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में कार्यरत एजेन्सी/संगठन उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता-अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं,

निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जाएगी:-

(i) वे संगठन जो अखिल भारतीय स्तर के हों और प्रतिष्ठा, अनुभव तथा पहचान रखते हों; अथवा

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ऐसे संगठन जिनमें महिलाओं और समाज के निर्धन वर्गों की भागीदारी अधिक हो।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त 'घ' को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

समाचार-पत्रों का पंजीकरण

2814. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार और भाषा-वार भारतीय समाचार-पत्र रजिस्ट्रार (आर.एन.आई.) में पंजीकृत समाचार-पत्रों, मध्यम और छोटे समाचार-पत्रों सहित, की संख्या कितनी है; और

(ख) विज्ञापन प्रशुल्क में वृद्धि करने, विज्ञापन हेतु पात्रता मानदंडों को नम्य बनाने, भाषा और क्षेत्रीय भाषा के समाचार-पत्रों को संरक्षण प्रदान करने तथा रियायती दरों पर 'न्यूजप्रिंट' की आपूर्ति इत्यादि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) आर.एन.आई. के रिकॉर्ड के अनुसार, पूरे देश में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में 31-2-2012 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत समाचारपत्रों की संख्या 86,754 है। राज्य-वार और भाषा-वार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार की विज्ञापन नीति में अधिदेशित है कि प्रदर्शन विज्ञापनों के लिए निर्दिष्ट बजट का 50% मध्यम और लघु श्रेणी के समाचारपत्रों पर और 70% हिन्दी सहित भारतीय भाषा के समाचारपत्रों पर खर्च किया जाना अनिवार्य है। नीति में पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह के लिए और उर्दू, संस्कृत, सिंधी एवं जनजातीय भाषा में प्रकाशित समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को पैनल में शामिल करने के लिए शिथिल मानदण्डों का भी प्रावधान किया गया है। समाचारपत्रों के लिए डी.ए.वी.पी. की दरें सरकार द्वारा आवधिक रूप से नियुक्त दर ढांचा समिति द्वारा अनुशंसित हैं। वर्तमान में 15-10-2010 से प्रभावी की गई दरें लागू हैं और 15-10-2013 तक के लिए प्रभावी हैं। 2010 में सिफारिश की गई दरें पूर्व में सिफारिश की गई दरों की तुलना में लगभग 37% अधिक थीं।

न्यूजप्रिंट के संबंध में, आर.एन.आई. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूजप्रिंट नीति के अनुसार अपने प्रकाशनों के मुद्रण हेतु ओ.जी.एल. (प्रतिबंधित) के अंतर्गत मानक और ग्लेज्ड न्यूजप्रिंट के आयात हेतु पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को पात्रता प्रमाणपत्र जारी करता है।

विवरण

समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत राज्यवार और भाषावार समाचार पत्र

राज्य/संघ क्षेत्र	असमिया	बांग्ला	द्विभाषी	बोडो
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0	7	4	0
आन्ध्र प्रदेश	2	7	334	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	303	123	31	16
बिहार	1	7	34	0
चंडीगढ़	0	0	45	0

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	0	3	30	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	3	0
दमन और दीव	0	0	1	0
दिल्ली	7	35	1343	1
गोवा	0	0	17	0
गुजरात	0	0	152	0
हरियाणा	0	0	143	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	37	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	68	0
झारखंड	0	3	13	0
कर्नाटक	0	0	260	0
केरल	0	2	293	0
लक्षदीव	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	250	
महाराष्ट्र	3	12	808	0
मणिपुर	0	0	45	0
मेघालय	0	1	13	0
मिजोरम	0	0	10	0
नागालैंड	0	0	1	0
ओडिशा	1	1	109	1
पुदुचेरी	0	1	14	0
पंजाब	0	0	136	0
राजस्थान	0	1	300	0
सिक्किम	0	0	2	0
तमिलनाडु	2	3	540	0
त्रिपुरा	0	107	9	0
उत्तर प्रदेश	0	11	576	0
उत्तराखंड	0	0	123	0
पश्चिम बंगाल	2	3273	235	0
कुल	321	3597	5979	18

राज्य/संघ क्षेत्र	डोगरी	अंग्रेज़ी	गुजराती	हिन्दी
1	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0	38	0	11
आन्ध्र प्रदेश	0	763	5	72
अरुणाचल प्रदेश	0	15	0	1
असम	0	84	0	23
बिहार	0	89	0	1349
चंडीगढ़	0	244	0	103
छत्तीसगढ़	0	15	0	831
दादरा और नगर हवेली	0	4	4	7
दमन और दीव	0	2	4	1
दिल्ली	0	3670	15	4684
गोवा	0	39	0	3
गुजरात	0	227	3326	146
हरियाणा	0	125	0	1123
हिमाचल प्रदेश	0	45	0	171
जम्मू और कश्मीर	6	263	0	78
झारखंड	0	33	0	223
कर्नाटक	0	652	1	67
केरल	0	327	1	12
लक्षदीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	155	2	6025
महाराष्ट्र	1	2182	322	1451
मणिपुर	0	19	0	2
मेघालय	0	27	0	3
मिजोरम	0	5	0	0
नागालैंड	0	17	0	0
ओडिशा	0	156	1	36
पुदुचेरी	0	20	2	0
पंजाब	0	158	0	324
राजस्थान	0	148	1	4559
सिक्किम	0	17	0	2

1	6	7	8	9
तमिलनाडु	0	844	3	55
त्रिपुरा	0	13	0	0
उत्तर प्रदेश	0	667	3	10915
उत्तराखंड	0	111	1	2047
पश्चिम बंगाल	0	717	9	331
कुल	7	11940	3700	34653

राज्य/संघ क्षेत्र	कन्नड़	कश्मीरी	कोंकणी	मैथिली
1	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	10	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	0	0	0	0
बिहार	0	0	0	21
चंडीगढ़	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
दिल्ली	9	0	0	4
गोवा	3	0	3	0
गुजरात	1	0	0	0
हरियाणा	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	4	0	0
झारखंड	0	0	0	0
कर्नाटक	3586	0	13	0
केरल	10	0	0	0
लक्षदीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	0	0
महाराष्ट्र	29	0	5	0
मणिपुर	0	0	0	0

1	10	11	12	13
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	1	1	1	3
पुदुचेरी	0	0	0	0
पंजाब	0	0	0	0
राजस्थान	0	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	16	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0
उत्तराखंड	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	1	0	0	4
कुल	3449	4	22	29

राज्य/संघ क्षेत्र	मलयालम	मणिपुरी	मराठी	बहुभाषी
1	14	15	16	17
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	6	0	9	49
अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	0
असम	0	7	0	9
बिहार	0	0	0	11
चंडीगढ़	0	0	0	16
छत्तीसगढ़	2	0	3	1
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	1
दिल्ली	28	0	15	120
गोवा	0	0	30	8
गुजरात	5	0	23	69
हरियाणा	0	0	0	18
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	2

1	14	15	16	17
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	10
झारखंड	0	0	0	6
कर्नाटक	17	0	26	45
केरल	2089	0	2	40
लक्षदीप	5	0	0	0
मध्य प्रदेश	3	0	7	29
महाराष्ट्र	43	0	6220	263
मणिपुर	0	46	0	15
मेघालय	0	0	0	1
मिजोरम	0	0	0	7
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	1	1	1	29
पुदुचेरी	1	0	2	3
पंजाब	0	0	0	86
राजस्थान	2	0	2	27
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	39	0	4	53
त्रिपुरा	0	1	0	2
उत्तर प्रदेश	0	0	1	28
उत्तराखंड	0	0	1	10
पश्चिम बंगाल	3	0	0	60
कुल	2187	56	5798	1015

राज्य/संघ क्षेत्र	नेपाली	ओडिया	पंजाबी	सैंथली
1	18	19	20	21
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	0	5	2	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	3	0	0	0
बिहार	0	0	1	0

1	18	19	20	21
चंडीगढ़	0	0	73	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
दिल्ली	8	16	172	0
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	1	2	0	0
हरियाणा	1	0	20	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	2	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	4	0
झारखंड	0	2	0	2
कर्नाटक	0	0	0	0
केरल	0	0	0	0
लक्षदीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	1	0	0	0
महाराष्ट्र	8	3	12	1
मणिपुर	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	1	1216	1	4
पुदुचेरी	0	3	0	0
पंजाब	0	0	840	0
राजस्थान	0	0	5	0
सिक्किम	77	0	0	0
तमिलनाडु	1	2	3	1
त्रिपुरा	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	1	0	7	0
उत्तराखंड	5	1	7	0
पश्चिम बंगाल	47	17	8	3
कुल	154	1262	1157	11

राज्य/संघ क्षेत्र	संस्कृत	सिंधि	तमिल	तेलुगु
1	22	23	24	25
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0	0	13	2
आन्ध्र प्रदेश	1	2	7	3127
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	0	0	0	0
बिहार	2	0	0	0
चंडीगढ़	1	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0
दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
दिल्ली	7	6	17	16
गोवा	0	0	0	1
गुजरात	1	25	0	1
हरियाणा	2	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
झारखंड	1	0	0	0
कर्नाटक	2	1	41	13
केरल	3	0	19	2
लक्षदीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	5	9	0	0
महाराष्ट्र	8	52	34	15
मणिपुर	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	7	1	1	2
पुदुचेरी	1	0	69	1
पंजाब	1	0	0	0
राजस्थान	3	22	0	0
सिक्किम	0	0	0	0

1	22	23	24	25
तमिलनाडु	2	0	3285	84
त्रिपुरा	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	23	6	0	1
उत्तराखंड	1	0	0	0
पश्चिम बंगाल	8	0	2	1
कुल	80	124	3488	3264

राज्य/संघ क्षेत्र	उर्दू	अन्य	कुल
1	26	27	28
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0	0	76
आन्ध्र प्रदेश	610	2	5012
अरुणाचल प्रदेश	0	0	18
असम	2	18	619
बिहार	179	7	1700
चंडीगढ़	3	0	485
छत्तीसगढ़	6	4	894
दादरा और नगर हवेली	0	0	18
दमन और दीव	0	0	9
दिल्ली	683	41	10940
गोवा	0	15	120
गुजरात	6	1	3983
हरियाणा	18	1	1453
हिमाचल प्रदेश	6	2	266
जम्मू और कश्मीर	329	2	763
झारखंड	23	7	313
कर्नाटक	159	12	4679
केरल	0	9	2759
लक्षदीप	0	0	5
मध्य प्रदेश	46	1	6530
महाराष्ट्र	294	9	11231
मणिपुर	0	38	164

1	26	27	28
मेघालय	0	41	86
मिजोरम	0	146	168
नागालैंड	0	3	21
ओडिशा	7	54	1630
पुदुचेरी	0	3	120
पंजाब	105	0	1650
राजस्थान	28	20	5116
सिक्किम	0	0	98
तमिलनाडु	18	4	4957
त्रिपुरा	0	3	135
उत्तर प्रदेश	1280	22	13539
उत्तराखंड	52	6	2365
पश्चिम बंगाल	94	22	4836
कुल	3947	493	86754

[हिन्दी]

सी.आर.पी.एफ. की तैनाती पर व्यय

2815. **श्री मधुसूदन यादवः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) की तैनाती पर आने वाले व्यय से राज्यों को विमुक्त करने का निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए शर्तों सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सरकार द्वारा इन राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती पर होने वाले व्यय से राज्यों को पूर्ण रूप से विमुक्त करने का निर्णय नहीं लिया गया है।

पत्रिका का प्रकाशन

2816. **श्री तूफानी सरोजः** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस पत्रिका के प्रकाशन की आवृत्ति क्या है;

(ग) क्या इस पत्रिका का प्रकाशन एक निश्चित अंतराल पर नियमित रूप से किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पत्रिका का निश्चित अंतराल पर नियमित प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय द्वारा एक अर्द्ध-वार्षिक हिन्दी पत्रिका 'संस्कृति' का प्रकाशन किया जा रहा है।

(ग) मंत्रालय, पत्रिका का प्रकाशन एक निश्चित अंतराल में करने का प्रयास करता है।

(घ) कभी-कभी अच्छे लेखों के विलंब से प्राप्त होने के कारण पत्रिका के अंक देरी से प्रकाशित हो पाते हैं। वर्तमान समय में, पत्रिका को नियमित अंतराल पर प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त लेख उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए निधियां

2817. श्री प्रेम दास राय: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों से किन्हीं अप्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये अप्रयुक्त निधियां गैर-व्यपगतनीय केन्द्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) में जमा कर दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एन.एल.सी.पी.आर. से संबंधित वार्षिक बजट की उच्चतम सीमा क्षेत्र के विकास में बाधक बन रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मांग के आधार पर निधि की सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा 10% अनिवार्य सकल बजटीय आबंटन (जी.बी.एस.) में से अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल में जमा की गई निधियों, जिनके व्यय की वित्त मंत्रालय द्वारा जांच की जा चुकी है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए निर्धारित अप्रयुक्त निधियां
2008-09	2009.16 करोड़
2009-10	1705.70 करोड़
2010-11	2142.53 करोड़

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संरक्षित स्मारकों के निकट निर्माण के लिए नियम

2818. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्रीमती भावना पाटील गवली:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संरक्षित स्मारकों के निकट निर्माण कार्य-कलापों के लिए क्या नियम हैं;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) ने संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर के अंदर निर्माण पर प्रतिबंध को शिथिल करने पर विचार करने हेतु 2006 में विशेषज्ञ समिति गठित की थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ए.एस.आई. ने इस संबंध में नियमों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके किए गए निर्माण कार्य हेतु अनुमति/शिथिलता दी है;

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी कारणों सहित ऐसे निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का इस तरह के मामलों में जांच करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/क्षेत्र के निषिद्ध क्षेत्र (संरक्षित सीमा से 100 मी. तक) में स्थित आवासीय भवनों या संरचनाओं की मरम्मत अथवा नवीकरण और विनियमित क्षेत्र (निषिद्ध क्षेत्र से आगे का 200 मी. का क्षेत्र) में स्थित किसी भी भवन अथवा संरचना की मरम्मत अथवा नवीकरण की अनुमति प्रदान करने की शक्तियां प्राप्त हैं। निषिद्ध क्षेत्र में स्थित आवासीय भवनों अथवा संरचनाओं से भिन्न भवनों तथा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण के मामलों में सक्षम प्राधिकारी, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर किसी आवेदक को अनुमति प्रदान करेगा।

(ख) और (ग) संरक्षित स्मारकों के नजदीक निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए अनुमति के मामलों की जांच और सिफारिश करने के लिए 2006 में एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया था।

समिति ने 170 प्रस्तावों की सिफारिश की थी। सिफारिश किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और पुरावशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के अधिनियमन के बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के नजदीक निर्माण संबंधी गतिविधियों की अनुमति देने के लिए कोई शक्ति नहीं है। तथापि, इससे पहले पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान भारतीय पुरातत्व

सर्वेक्षण द्वारा मानकों का उल्लंघन करते हुए किए गए निर्माण के लिए कोई नई अनुमति नहीं दी गई है।

(च) और (छ) विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों पर दी गई अनुमति को प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और पुरावशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम 2010, जो संसद में पास हो गया था और अधिसूचना सं. 13, दिनांक 30-03-2010 के तहत अधिसूचित कर दिया गया था, के तहत वैध करार दिया गया है। अभी तक कोई जांच प्रस्तावित नहीं है।

विवरण

विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा संस्तुत केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण संबंधी कार्यों की अनुमति के प्रस्तावों की मंडल-वार सूची

क्र.सं.	नाम	पता	स्मारक का नाम	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
आगरा मण्डल (उत्तर प्रदेश)				
1.	परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी.आई.यू. दौसा, राजस्थान	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी.आई.यू. दौसा, राजस्थान	टेड़ा मोरी गेट	भरतपुर (स्थानीय रूप से टेड़ा मोरी नाम से जाना जाने वाला) को जाने वाली सड़क के दूसरी ओर की वाहिनी से वर्तमान दो-लेन से चार-लेन करने की अनुमति
2.	श्री विनय कुमार वार्ष्णेय	खसरा संख्या 349, मौजा सरेजपुर, आगरा (उत्तर प्रदेश)	आगरा-मथुरा मार्ग पर लघु छत्री, सोंठ-की-मंडी	चार दीवारी तथा द्वार का निर्माण
3.	श्री ओम प्रकाश	खसरा संख्या 72, सुरहरा, आगरा (उत्तर प्रदेश)	बुड़िया-का-ताल	चार दीवारी का निर्माण
4.	सेठ रतन लाल एन्टरटेंटमेंट प्रा. लि.	1. प्रकाश एन्कलेव, आगरा (उ.प्र.)	झुन-झुन-का कटोरा	चार दीवारी तथा द्वार का निर्माण
5.	सहायक अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा (उत्तर प्रदेश)	आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा (उत्तर प्रदेश)	फतेहपुर सीकरी	चार दीवारी का निर्माण
बंगलौर मण्डल (कर्नाटक)				
6.	प्रबंध निदेशक	बंगलौर मैट्रो रेल निगम लि. (कर्नाटक)	टीपू सुल्तान महल तथा टीपू सुल्तान किला	भूमिगत मैट्रो रेल सुयोजन का निर्माण
7.	जिला पंचायत की ओर से उप निदेशक, कर्नाटक सरकार, ग्रामीण जिला, के.जी. मार्ग, बंगलौर	गवर्नमेंट हायर ब्याज स्कूल, किला, देवनहल्ली शहर, बंगलौर ग्रामीण जिला	देवनहल्ली किला, कर्नाटक	ऊंचाई में वृद्धि करते हुए विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण
भुवनेश्वर मण्डल (ओडिशा)				
8.	श्रीमती नयनतारा नन्दा	प्लाट संख्या 255 (पी) और 292 (पी) उप प्लाट संख्या ए एवं जी, यूनिट 09, मौजा कटक कस्बा, कटक	बाराबरी किला, कटक	खाली प्लाट पर निर्माण
9.	श्री राम प्रसाद राथो	प्लाट संख्या 255 (पी) और 292	बाबरी किला, कटक	खाली प्लाट पर निर्माण

1	2	3	4	5
		(पी) उप प्लाट संख्या ए एवं जी, यूनिट 09, मौजा कटक कस्बा, कटक		
10.	श्री आदित्य प्रसाद राथो	प्लाट संख्या 255 (पी) और 292 (पी) उप प्लाट संख्या ए एवं जी, यूनिट 09, मौजा कटक कस्बा, कटक	बाराबरी किला, कटक	खाली प्लाट पर निर्माण
11.	श्रीमती माया दोरीला	प्लाट संख्या 720/1041/1076, बी.जे.बी. नगर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर	राजा-रानी मंदिर, भुवनेश्वर	खाली प्लाट पर निर्माण
12.	श्री सनातन दास	भुवनेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर के नजदीक	भास्करेश्वर मंदिर	खाली प्लाट पर निर्माण
13.	श्री अभय कुमार रे	आर.पी.-3, बारागढ़ प्लाटेड डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत, टंकापानी मार्ग, भुवनेश्वर	भास्करेश्वर मंदिर	खाली प्लाट पर निर्माण
14.	श्री हरमन पाल सिंह	96-ए, बुद्धेश्वरी कालोनी, इमारत 112/2801, 112/2802, 112/2794, 112/2795, 112/2803, 112/2799, 112/2801, 112/2798, मौजा-जगमार, भुवनेश्वर, खण्डागिरी तथा उदयगिरी गुफाओं के नजदीक, भुवनेश्वर	खण्डागिरी तथा उदयगिरी गुफाएं	खाली प्लाट पर निर्माण
15.	श्रीमती अलाका दास	प्लाट संख्या 25, उप प्लाट संख्या 66, मौजा जगमार, इकाई संख्या 20, पुलिस स्टेशन, खण्डागिरी, डी.एस.आर.ओ. भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	खण्डागिरी गुफाएं	खाली प्लाट पर निर्माण
16.	ई. दलीप कुमार विश्वाल	प्लाट संख्या 125/5664, उप प्लाट संख्या 82, मौजा जगमार, इकाई संख्या 20, भुवनेश्वर	खण्डागिरी गुफाएं	खाली प्लाट पर निर्माण
चंडीगढ़ मण्डल (पंजाब)				
17.	श्री अशोक कुमार कंडोला	नया बाजार, नूरमहल, तहसील फिलौर, जिला जालन्धर, पंजाब, संख्या बी-111-234, खेवट संख्या 195, खटौनी संख्या 214 तथा खरा संख्या 185/1/7	नूरमहल सराय, नूरमहल, जिला जालन्धर	वर्तमान इमारत के प्रथम तल पर बरामदा जोड़ना
18.	श्री बलबिन्दर सिंह सुपुत्र श्री श्याम सिंह	संख्या बी-111/155, मुहल्ला सुरायना नूरमहल, जालन्धर, पंजाब	नूरमहल सराय, नूरमहल	छत का पुनर्निर्माण तथा वर्तमान इमारत की दीवारों की मरम्मत करना
चेन्नई मण्डल (तमिलनाडु)				
19.	श्री अमर सिंह	आर.एस. संख्या 702, वार्ड संख्या 3, ब्लॉक संख्या 14, राजगोपाल तोप के नजदीक, तंजावुर, तमिलनाडु	राजगोपाल तोप, तंजावुर	आवासीय इमारत का पुनर्निर्माण

1	2	3	4	5
20.	कार्यकारी अभियन्ता	पी.डब्ल्यू.डी. डब्ल्यू.आर.ओ. उच्च पलर बेसिन अनुभाग, कोंडाकुप्पम का सर्वे फील्ड संख्या 475 तथा कटपदी तालुक जिला में मेलपदी गांव का 857/1, तमिलनाडु, वेल्लौर-6	श्री सोमनाथ मंदिर	नालों के ऊपर सेतुकों का निर्माण
21.	सचिव, पर्यटन और संस्कृति (टी 3) विभाग	सचिवालय, चेन्नई-9	मंडगापट्टू गांव स्थित शैलकृत गुफा	स्मारक के अनुसार विकास कार्य
दिल्ली मण्डल (रा.रा.क्षे. दिल्ली)		**नई दिल्ली**		
22.	परियोजना प्रबंधक, दिल्ली मैट्रो रेल निगम, केन्द्रीय सचिवालय-कुतुब चरण-II सुयोजन	परियोजना प्रबंधक, दिल्ली मैट्रो रेल निगम, एन.बी.सी.सी. इमारत, लोधी रोड, नई दिल्ली	पद्ध सफदरजंग मकबरा पपद्ध नजफखान का मकबरा पपपद्ध किला राय पिथोरा दीवार	सुरंग खोदक मशीन के द्वारा भूमिगत निर्माण तथा मैट्रो स्टेशन के लिए संवातन निकास बनाना
23.	इम्पीरियल होटल	जनपथ, नई दिल्ली	जन्तर मन्तर	होटल का नया निर्माण, हैल्थ क्लब तथा स्पा का विस्तार
24.	परियोजना प्रबंधक, पी.डब्ल्यू.डी., राष्ट्रमंडल परियोजना मंडल, दिल्ली सरकार	निर्माण कुटीर, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली	(i) सुन्दरवाला बुर्ज तथा (ii) लक्कड़वाला मकबारा	भूमिगत सुरंग का निर्माण
25.	श्री गुलशन नरूला, श्री डी.डी. गोसाईं के अटौर्नी	सी-67, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली	सराय शाहजी	खाली प्लाट पर निर्माण
26.	श्री प्रदीप अग्रवाल	बी-40, एन.डी.एस.ई. भाग-1, नई दिल्ली	भूरे खान का मकबरा	वर्तमान संरचना में तहखाने सहित प्रथम तथा द्वितीय तल जोड़ना
27.	श्री प्रमथ राज सिन्हा	एन-154, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	सीरी फोर्ट दीवार	वर्तमान भवन के स्थान पर भवन का पुनर्निर्माण
28.	श्री के.के. कपिला	जे-13, ग्रीन पार्क (मुख्य), नई दिल्ली	दादी पोती का गुम्बद	वर्तमान भवन के ऊपर द्वितीय तल का निर्माण
29.	श्रीमती राज मगो	ए-1/88, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली	लाल गुम्बद	धरातल, प्रथम तथा द्वितीय तलो सहित इमारत का पुनर्निर्माण
30.	प्रो. रणजीत साबिकी	एन-160, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	सीरी पोर्ट दीवार	वर्तमान भवन में द्वितीय तल को जोड़ना तथा कुछ सुधार करना
31.	श्रीमती नीता कपूर	एन-4, ग्रीन पार्क मुख्य, नई दिल्ली	बिरन का गुम्बद	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
32.	मै. आई. सी. कंस्ट्रक्शन्स एंड सर्विसिस	एफ-1/5, हौजखास एन्क्लेव, नई दिल्ली	चोर मीनार	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
33.	श्री एस.एस.एच. रहमान	एन, 140, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	सीरी फोर्ट दीवार	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण

1	2	3	4	5
34.	श्री नवीन बाहरी	एन. 162, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	सीरी फोर्ट दीवार	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
35.	श्री प्रदीप अग्रवाल	एक्स-19, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली	नीली मस्जिद	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
36.	श्री मनोज वर्मा और अन्य	जे-30, एन.डी.एस.ई. भाग-1, नई दिल्ली	कालेखान का मकबरा	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
37.	श्रीमती माया देवी	4240/6-सी, प्लाट संख्या 2/33, अंसारी मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली	शहर प्राचीर	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
38.	श्री शशिकांत सिकन्द	26, सीरीफोर्ट मार्ग, नई दिल्ली	सीरी फोर्ट दीवार	वर्तमान भवन की ऊंचाई की वृद्धि करते हुए सुधार तथा जोड़ना
39.	श्री तेजेन्द्र सिंह	ए-31, निजामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली	अरब-की-सराय	वर्तमान भवन की ऊंचाई तक पुनर्निर्माण
40.	श्री सी.एस. सेठी	बी.पी. संख्या 8, निजामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली	खान-ए-खाना मकबरा	वर्तमान भवन की ऊंचाई तक पुनर्निमाण
41.	पी.डब्ल्यू.डी. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	बारापुला नाला के नजदीक नई दिल्ली	बारापुला पुल	स्तम्भों पर आधारित उत्थित सड़क का निर्माण
42.	श्री एम.पी. गुप्ता, मै. ई.एम. सी.ए. कन्सट्रक्शन कम्पनी, दिल्ली	ए-10, निजामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली	हुमायूं मकबरे का दक्षिणी द्वार	ऊंचाई की वृद्धि करते हुए पुनर्निर्माण
43.	श्री सुभाष आनंद	ए-91, मालवीय नगर, नई दिल्ली	सराय शाहजी	ऊंचाई की वृद्धि करते हुए पुनर्निर्माण
44.	श्रीमती बिन्दू चौधरी	जे-1, साउथ एक्स भाग-1, नई दिल्ली	दरियाखान का मकबरा	ऊंचाई की वृद्धि करते हुए पुनर्निर्माण
45.	श्रीमती वन्दना सचदेव तथा श्रीमती शीन भाटिया	ई-37, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	सीरीफोर्ट दीवार	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
46.	श्रीमती शीला गेहलोत	ए-4 तथा ए-5, मेफेयर गार्डन, नई दिल्ली	मकदुमी मस्जिद	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
47.	श्री बलदेव कृष्ण आहुजा	सी-1/49, सफदरजंग विकास क्षेत्र, नई दिल्ली	सकरी गुमटी	जुड़ाव तथा सुधार
48.	श्री एल.एम. मिश्रा	संख्या सी-37, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	अशोक कालीन शिक्षा राजाज्ञा	ऊंचाई की वृद्धि करते हुए पुनर्निर्माण
49.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	सीरीफोर्ट खेल परिसर, नई दिल्ली	सीरीफोर्ट दीवार	जुड़ाव तथा सुधार सहित नए निर्माण
50.	श्रीमती सीमा सिंघल और अन्य	एफ-1/2, हौजखास, नई दिल्ली	चोर मीनार	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
51.	सुश्री बबीता हाथीरमानी	संख्या बी-21, मेफेयर गार्डन, नई दिल्ली	मकदुमी मस्जिद	वर्तमान भवन में जुड़ाव तथा सुधार
52.	श्री मुबारक अली खान और श्री राशिद हसन	संख्या 6, बस्ती हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली	चौंसठ खम्बा	ऊंचाई में वृद्धि करते हुए वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
53.	श्री एस.के. भट्टाचार्य	एफ-1/4, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली	चोर मीनार	आवासीय भवन का पुनर्निर्माण
54.	श्री दीपक वधवा	एक्स-20, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली	नीली मस्जिद	जुड़ाव तथा सुधार सहित वर्तमान

1	2	3	4	5
				भवन के प्रथम तथा द्वितीय तल का निर्माण
55.	श्रीमती सागरिका घोष	संख्या एन-52, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	सीरीफोर्ट दीवार	भवन का निर्माण
56.	डॉ. हंस राज	संख्या एस-34, ग्रीन पार्क मुख्य, नई दिल्ली	बिरन का गुम्बद	वर्तमान भवन के ऊपर मुम्टी तथा मशीन कक्ष सहित प्रथम तथा द्वितीय तल जोड़ना
57.	डॉ. हंस राज और श्रीमती इन्द्रावती	एन-4, ग्रीन पार्क मुख्य, नई दिल्ली	बिरन का गुम्बद	जुड़ाव तथा सुधार के अलावा वर्तमान भव के ऊपर मुम्टी तथा मशीन कक्ष सहित द्वितीय तल का निर्माण
58.	डॉ. आर.के. गुप्ता	संख्या एफ-30, साउथ एक्स भाग-1, नई दिल्ली	कालेखां का मकबरा	वर्तमान भवन के ऊपर (मुम्टी सहित) प्रथम तल जोड़ना
59.	सुश्री मंजु कुमार	संख्या आर-15, हौजखास, नई दिल्ली	खरेडा स्थित ईदगाह	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
60.	डॉ. ए.के. वालिया	संख्या 4843/24, अंसारी मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली	शहर प्राचीर	ऊंचाई में वृद्धि करते हुए वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
61.	कार्यकारी अभियन्ता, शहर जोन, दिल्ली नगर निगम	सराय कालेखान गांव, निजामुद्दीन, नई दिल्ली	बारापुला पुल	रेल अन्तर ब्रिज का निर्माण
62.	मै. रोज व्यु एस्टेट्स प्रा. लि. नई दिल्ली	खरेडा गांव में खसरा संख्या 371, 372, 373, 374, 375/694, तहसील महरोली, पद्मिनी एन्क्लेव तथा हौजखास का कोशल्या पार्क अपार्टमेंट, नई दिल्ली	ईदगाह	निषिद्ध तथा विनियमित क्षेत्र में इमारतों का निर्माण
63.	श्रीमती चन्दा	संख्या ए-1/71, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली	लाल गुम्बद	ऊंचाई में वृद्धि करते हुए वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
64.	श्री जय कुमार त्रेहन	संख्या ई-26, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	सीरीफोर्ट दीवार	ऊंचाई में वृद्धि करते हुए वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
65.	श्री रामा अरोड़ा	संख्या के-38ए, ग्रीन पार्क मुख्य, नई दिल्ली	सकरी गुमटी	खाली प्लाट पर निर्माण
66.	श्री स्नेहपाल भाटिया	संख्या एस-33, ग्रीन पार्क (मुख्य), नई दिल्ली	बिरन का गुम्बद	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
67.	श्रीमती विनोता खन्ना	संख्या के-3, ग्रीन पार्क मुख्य, नई दिल्ली	बिरन का गुम्बद	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
68.	श्री राकेश गुप्ता	संख्या डी-23, साउथ एक्स भाग-1, नई दिल्ली	बड़े खान का मकबरा	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
69.	श्री असलम कादर खान	संख्या ए-23, निजामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली	अरब का सराय	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
70.	श्री अरविन्द कुमार खुराना तथा श्री विनोद सिंघल	संख्या डी-1/5, हौजखास, नई दिल्ली	नीली मस्जिद	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण

1	2	3	4	5
71.	श्री रामनिवास गुप्ता	संख्या सी-85, शिवालिक, नई दिल्ली	सराय शाहजी स्थित स्मारक समूह	खाली प्लाट पर एक इमारत का निर्माण
72.	कार्यकारी अभियन्ता, राष्ट्र मंडल खेल	डिविजन संख्या-7, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सरिता विहार, नई दिल्ली	सीरीफोर्ट दीवार	निर्माण तथा पुनः परिष्करण
73.	श्रीमती शीला मलकानी	संख्या ए-15, मेफेयर गार्डन, नई दिल्ली	मकदुमी मस्जिद	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
74.	श्री अरुण कुमार कैकर	संख्या एफ/42, एन.डी.एस.ई. 1 में स्थित, नई दिल्ली	कालेखां का मकबरा	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
75.	रानी पुरी	संख्या ए-1/81, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	लाल गुम्बद	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
76.	श्री सरबजीत सिंह	संख्या ई-22, ग्रीन पार्क (मुख्य), नई दिल्ली	बिरन का गुम्बद	वर्तमान भवन के ऊपर द्वितीय तथा तृतीय तल का निर्माण
77.	श्रीमती मायादेवी तथा श्रीमती कुसुम लता	संख्या 4240/6-सी, प्लाट संख्या 2/33, अंसारी मार्ग, दरियागंज, दिल्ली	शहर प्राचीर	15 मीटर की ऊंचाई तक वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
78.	श्री योगेश बहल, श्री मनजीत सिंह और श्री हीरालाल ढींगरा	ए-27, सी. सी. कालोनी, दिल्ली	त्रिपुलिया द्वार	भवन का निर्माण
79.	श्री विजय कुमार और श्रीमती किरण देवी	संख्या ए-3, एन.डी.एस.ई.-1, नई दिल्ली	दरियाखान का मकबरा	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
80.	श्री उपेन्द्र सिंह और अन्य	संख्या सी-40, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	अशोक कालीन शिला राजाज्ञा	ऊंचाई में वृद्धि करते हुए वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
81.	डॉ. श्रीमती पुष्पा चंद्रा	प्लाट संख्या सी-42, मेफेयर गार्डन, नई दिल्ली	मकदुमी मस्जिद	वर्तमान भवन में जुडाव तथा सुधार
82.	श्री गुरदेव मौमिक, श्री रमणजीत ग्रोवर तथा श्रीमती हरमिंदर थटई	घर संख्या एफ-27, ग्रीन पार्क मुख्य, नई दिल्ली	बिरन का गुम्बद	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
83.	श्री स्वर्ण दिलावरी	संख्या एन-182, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	सीरीफोर्ट दीवार	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
84.	श्री सुदर्शन राव, श्री राजेन्द्र कुमार तथा श्रीमती मंजु गिंगलानी	संख्या बी-153, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	अशोक कालीन शिला राजाज्ञा	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
85.	श्रीमती अजीत कौर	संख्या सी-84, शिवालिक, नई दिल्ली	सराय शाहजी	खाली प्लाट पर एक इमारत का निर्माण
86.	श्री राम धन खट्टर, पुत्र श्री कांशी राम तथा कै. इंद्र बीर सिंह उप्पल पुत्र स्व. कर्नल आर.एस. उप्पल	संख्या सी-83, शिवालिक, नई दिल्ली	सराय शाहजी	खाली प्लाट पर एक इमारत का निर्माण
87.	कार्यकारी अभियन्ता (सी)	डी.आर.ए. दिल्ली जल बोर्ड, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	शहर प्राचीर का जल बुर्ज	सीवर लाईन बिछाना
88.	प्रधानाचार्य	गार्गी महाविद्यालय में सभागार और सम्मेलन कक्ष, नई दिल्ली	सीरीफोर्ट दीवार	खाली प्लाट पर निर्माण

1	2	3	4	5
89.	श्रीमती रजनी मल्होत्रा	संख्या यू-40, ग्रीन पार्क मुख्य, नई दिल्ली	सकरी गुमटी	ऊंचाई में वृद्धि करते हुए वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
90.	श्रीमती मधु गुप्ता (स्वयं तथा (अन्य सह-स्वामियों के पक्ष में)	संख्या 4853-4854, वार्ड संख्या रण हरबंस सिंह लेन में स्थित, 24 दरियागंज, दिल्ली	शहर प्राचीए	ऊंचाई में वृद्धि करते हुए वर्तमान भवन में जुड़ाव तथा सुधार
91.	श्री राजीव गुप्ता, संजय गुप्ता तथा श्रीमती मधुर सूदन गुप्ता	प्लाट संख्या जे-25, एन.डी.एस.ई.-1, नई दिल्ली	कालेखां का मकबरा	ऊंचाई में वृद्धि करते हुए वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
92.	कृष्णन, श्रीमती गीता कृष्णन बहल और श्रीमती वालसम्मा थॉमस	संख्या डी-23, साउथ एक्स भाग-1, नई दिल्ली	बड़े खान का मकबरा	ऊंचाई में वृद्धि करते हुए वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
93.	श्री नीतेश जैन	प्लाट संख्या-1, गली संख्या-5, सर्वोप्रिय विहार, नई दिल्ली	बिजय मंडल	
94.	श्रीमती सवीता बहल, श्री अशोक बहल और श्री अजय बहल	संख्या एफ-40, एन.डी.एस.ई., भाग-1, नई दिल्ली-110049	कालेखान का मकबरा	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
95.	श्री यश पाल बत्रा	संख्या डी-1/5, हौजखास, नई दिल्ली	नीली मस्जिद	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
96.	कार्यकारी अभियन्ता (सी)	दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली की एन.सी.टी. सरकार	बुर्ज अरब की सराय खान-ए-खाना मकबरा बारापुला पुल	लाईन बिछाना
97.	श्री सुमन दुबे	एन-125, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	सीरीफोर्ट दीवार	विद्यमान भवन के ऊपर द्वितीय तल का अतिरिक्त निर्माण
98.	श्रीमती प्रेम नाथ	संख्या-ए 1/91, पंचशील एनक्लेव, नई दिल्ली	लाल गुम्बद, चिराग दिल्ली	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
99.	श्री कृष्णन कुमार मलिक	संख्या बी-53, एन.डी.एस.ई.-1, नई दिल्ली	भूरे खान का मकबरा	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
100.	डॉ. एस.पी. अग्रवाल, डॉ. सरीता अग्रवाल और डॉ. तुषार अग्रवाल	संख्या ए-60, निजामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली	हुमायूं का मकबरा	विद्यमान भवन में ऊंचाई बढ़ाते हुए पुनर्निर्माण
101.	श्री एस.आर. सेहगल, प्रोपर्टी	संख्या 64, अमृत नगर, नई दिल्ली	बड़े खान का मकबरा	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
102.	श्रीमती नीला मेहता	संख्या बी-4, निजामुद्दीन, नई दिल्ली	हुमायूं का मकबरा	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
103.	श्रीमती जसबीर कौर, मिस सुरिंदर कौर के स्पा	संख्या बी-4, निजामुद्दीन, नई दिल्ली	अशोक कालीन शिला राजाज्ञा	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
104.	श्री एम. शैफी गोरू, मैमूना बेगम, अट्टा मो. गोरू, श्रीमती सैयरा शैफे गौरू और मैसर्स अतसार एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड	ए-20, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	दाड़ी पोटी का गुम्बद	विद्यमान भवन के द्वितीय तल में अतिरिक्त निर्माण

1	2	3	4	5
105.	डॉ. अशोक गुप्ता	संख्या सी-10 शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली	सराय शाहजी	विद्यमान भवन के ऊपर दूसरे और तीसरे तलों का अतिरिक्त निर्माण
106.	श्री विष्णु कुमार	संख्या सी-107, शिवालिक, नई दिल्ली	सराय शाहजी	खाली प्लाट पर निर्माण
107.	श्री संजय कनाल	संख्या सी-103, शिवालिक, नई दिल्ली	सराय शाहजी	द्वितीय पर अतिरिक्त निर्माण
108.	श्री एन.एच. साम्थानी	संख्या सी-105, शिवालिक, नई दिल्ली	सराय शाहजी	विद्यमान भवन के ऊपर प्रथम तल का निर्माण
109.	श्रीमती बाला आनन्द, श्री विकास आनन्द	प्रोपर्टी संख्या सी-97, शिवालिक, नई दिल्ली	सराय शाहजी	खाली भूखंड पर आवासीय भवन का निर्माण
110.	श्री आई.एम. बजाज	संख्या सी-91, शिवालिक, नई दिल्ली	सराय शाहजी	खाली भूखंड पर आवासीय भवन का निर्माण
111.	श्री एस.एस. रेखा	प्रोपर्टी संख्या सी-102, शिवालिक, नई दिल्ली	सराय शाहजी	एक विद्यमान भवन का पुनर्निर्माण
112.	श्रीमती संतोष गुलाटी	प्रोपर्टी संख्या सी-66, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली	सराय शाहजी	आवासीय भवन का पुनर्निर्माण
113.	श्री अशोक अग्रवाल	संख्या सी-11, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली	सराय शाहजी	विद्यमान भवन के दूसरे और तीसरे तल का अतिरिक्त निर्माण
देहरादून मण्डल (उत्तराखंड)				
114.	कार्यकारी अभियंता	जिला बागेश्वर में बैजनात मंदिर समूह के पास कृत्रिम झील के लिए गोमती नदी पर बांध का निर्माण, सिंचाई प्रभाग, बागेश्वर, उत्तराखंड	बैजनाथ मंदिर समूह	पुश्ता-दीवार से संबंधित निर्माण गतिविधियां
धारवाड मण्डल (कर्नाटक)				
115.	जैन मठवासियों का अवसथ	त्यागी भवन, बेलगांव, कर्नाटक	पद्ध कमाल बस्ती पपद्ध पुराना जैन मंदिर किला	ऊंचाई को बढ़ाते हुए जैन मठवासियों के लिए भवन का पुनर्निर्माण
गोवा मण्डल (गोवा)				
116.	श्री एक्जेवियर फियालो	सर्वेक्षण संख्या 153/3 में मकान संख्या 137, इल्ला गांव, तीसवाड़ी ताल्लुक, पुराना गोवा	बॉम जीसस का समाधिमण्डप, पुराना गोवा	आवासीय भवन का पुनर्निर्माण
गुवाहाटी मण्डल (असम)				
117.	गुवाहाटी विकास विभाग	सुकरेश्वर मंदिर के पास, एम.जी. रोड, पानबाजार, गुवाहाटी (असम)	बिष्णु जर्नादन, गुवाहाटी	वाटर पाईप लाईन बिछाना

1	2	3	4	5
जयपुर मण्डल (राजस्थान)				
118.	राजस्थान पर्यटन विकास कार्पोरेशन (आर.टी.डी.सी.)	राजस्थान के झालावाड़ जिले में झलरा पटन स्थित चन्द्रभाग के पास पुराने मंदिर	जिला झालवाड़ में झलरा पटन स्थित चंद्रभाग नदी के पास पुराने मंदिरों से लगे घाट	संरक्षित स्मारक के विकास से संबंधित निर्माण गतिविधियां
119.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)	(i) चूड़ावत हवेली (ii) पद्मिनी महल	किले में रहने वाले लोगों के लिए ओवर हैड टैंक का निर्माण
120.	प्रधानाचार्य	रामेश्वरी देवी राज्य बालिका विद्यालय, भरतपुर, राजस्थान	भरतपुर किला	खाली भूखण्ड पर छात्रावास भवन का निर्माण
कोलकाता मण्डल (पश्चिम बंगाल)				
121.	उप महाप्रबधक, क्षेत्रीय प्रभारी (पश्चिम बंगाल)	नेशनल बिल्डिंग्स कंसट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) 216/3ए, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता	"करेसी भवन	स्थल पर नए भवन का निर्माण जिसमें मूल रूप से जीर्ण-शीर्ण संरचना थी जो अब गिर गई है
122.	श्री रमाकांत चक्रवर्ती	द एशियाटिक सोसायटी, 1, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-16	पुराना एशियाटिक सोसायटी भवन	एशियाटिक सोसायटी के नए भवन में अतिरिक्त तलों को बढ़ाना
लखनऊ मण्डल (उत्तर प्रदेश)				
123.	मैसर्स एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड	संख्या 1, बी.एन. रोड, केसर गंज, लखनऊ पर स्थित नेहरू मंजिल	केसरबाग द्वार, लखनऊ	विद्यमान भवन में परिवर्धन और रद्दोबदल
124.	कार्लटॉन होटल बिल्डिंग	राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	स्थानीय रूप से शाहनजफ इमामबाड़ा के रूप में विख्यात गाजी-उद्-दीन हैदर का मकबरा, लखनऊ	होटल के विद्यमान भवन की मरम्मत और पुनरुद्धार
मुम्बई मण्डल (महाराष्ट्र)				
125.	महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	महाकाली गुफाओं के पास जोगेश्वरी-विकरोली लिंक रोड, मुम्बई (24/21/2008-एम)	महाकाली गुफाएं (कोण्डीवाईट गुफाएं)	वाहनों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्लाई ओवर के दक्षिणी ओर रैम्प का निर्माण
126.	मैसर्स दर्शन समूह	पारेलश्वरी प्रभाग में सी.एस. संख्या 425 और 426, मुम्बई	शिव की नक्काशीदार मूर्ति	झुग्गी और चैरेटी को हटाने के बाद झुग्गी विकास योजना के अन्तर्गत भवनों का पुनर्निर्माण
127.	श्री जी.एम. सेट्टी	सी.टी.एस. संख्या 364, 365/3 एफपी संख्या 713, 714/3, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र	पातालेश्वर गुफाएं	वर्तमान भवन के स्थल पर पुनर्निर्माण

1	2	3	4	5
128.	श्री पी.एम. गाजेरालवार	प्लाट संख्या 2481, सीएस संख्या 2/421, पारेलश्वरी विभाग एफ वार्ड, पारेल, मुम्बई	शिव को दर्शाने वाली महापाषाणिक नक्काशी	तृतीय एवं चतुर्त माले का अतिरिक्त निर्माण
श्रीनगर मण्डल (जम्मू और कश्मीर)				
129.	परियोजना अधिकारी 19 राष्ट्रीय राईफ़ल (सिक्खली)	56 एपीओ, श्रीनगर	शंकराचार्य मंदिर	स्टील ढांचे और शीशे का प्रयोग करते हुए रास्ते के ऊपर शेड का निर्माण
130.	जिला कलेक्टर, जिला चिकित्साधिकारी और सामान्य अस्पताल	थालेशरी, कन्नूर (केरल)	थालेशरी किला	अस्पताल के एक भाग का निर्माण
131.	श्री वी.वी. अय्यापाम	प्लाट संख्या 1032 और 1035, काडानेसरी, त्रिशूर, केरल	महापाषाणिक गुफा	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
132.	डॉ. सी. आर. सुभद्रा	XII/323, नजदीक एस.एन. जंक्शन डाकघर त्रिपुनिथुरा, अर्नाकुलम; केरल	शिव मंदिर, नेतरिमंगलम् पट्टामभी, जिला पल्लकड, केरल	खाली प्लाट पर नए भवन का निर्माण
133.	श्री टी.आर. मधुसूदन	सर्वेक्षण संख्या 370/17 पेरुवेनम सरपू, त्रिशूर, केरल	शिव मंदिर, पेरुवनम, चेरपू, जिला त्रिशूर, केरल	खाली प्लाट पर आवासी भवन का निर्माण
134.	श्रीमती सरीजा	वार्ड संख्या XI पर पट्टामभी, सर्वेक्षण संख्या 70/2, शिव मंदिर के पास, नेतरीमंगलम, प, शिव मंदिर के पास नेतरीमंगलम, पट्टामभी, जिला पल्लकड	शिव मंदिर, नेतरिमंगलम, पट्टामभी, जिला पल्लकड, केरल	खाली प्लाट पर आवासी भवन का निर्माण
135.	श्रीमती वृंदा सी. एम.	पल्लकड जिला की भूमि, केरल	शिव मंदिर, नेतरि-मंगलम, पट्टामभी, जिला पल्लकड, केरल	खाली प्लाट पर आवासी भवन का निर्माण
136.	श्रीमती शोभा नारायणन	पुरुवनम महादेव मंदिर के साथ की भूमि, त्रिशूर, केरल	शिव मंदिर, पेरुवनम् जिला त्रिशूर, केरल	खाली प्लाट पर आवासी भवन का निर्माण
137.	श्रीमती के. साथी	सर्वेक्षण संख्या 19/1, पुरातुवितिल, मराथू तिरुवंचीकुलम, कोडूनगलूर, त्रिशूर	शिव मंदिर, त्रिवान-चिकुलम	फ्लोर एरिया को बढ़ाते हुए अतिरिक्त निर्माण
138.	श्रीमती मैरी चेरुकुट्टी और साजी पी. चारुकुट्टी	सर्वेक्षण संख्या 427, पुली कोटिल हाऊस, चिराकाल डाकघर, कोटककंबल, त्रिशूर	कोटककंबल पर दबी हुई गुफाएं	आवासीय भवन का पुनर्निर्माण
139.	श्री के. श्रीधरन नैर	सर्वेक्षण संख्या 43/4 आर.एस.संख्या 39/16, बिन्दु भवनम् टीसी 64/2242, त्रिरुवल्लम पी.ओ., त्रिवनंतपुरम	त्रिरुवल्लम पर श्री परशुराम मंदिर	ऊंचाई में बढ़ोतरी के साथ वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
140.	सचिव कोचीन देवासवाम बोर्ड, त्रिशूर	कोचीन देवासवाम बोर्ड, त्रिशूर	त्रिप्रयार श्री राम मंदिर	खाली प्लाट पर एक साथराम (लोज) का निर्माण

1	2	3	4	5
141.	श्रीमती रामला	पूनमगरा हाऊस, इडाकाडू, बुवाई संस्थान, मनीकुनी, डाकघर सुल्जान बाथरे	जैन मंदिर, सुल्तान बैथरे	वर्तमान भवन के ऊपर दूसरे माले का अतिरिक्त निर्माण
142.	राहुल पुत्रश्री भाषकरण समीक्षा	पी.ओ. मेलेपट्टामभी, पल्लकड, त्रिशूर (केरल)	शिव मंदिर, नेतरिमंगलम, पट्ठामभी, पल्लकड जिला	खाली प्लाट पर एक भवन का निर्माण
143.	श्री आशिष रौजारियो, प्रबधक	मेथेसन बोसनक्वीट इंटरप्राईजेज लिमिटेड, कोचिन किले पर रिडिसडेल सड़क	सेंट फांसिस चर्च, कोच्चि	एक भवन का पुनर्निर्माण
144.	श्री के.आर. इन्दिरा	सर्वेक्षण संख्या 77/4, 77/5, कोलाई हाऊस चैम्बर, थिरुवेगापुरा, पट्ठामभी, पल्लकड, त्रिशूर (केरल)	शिव मंदिर, नेतरिमंगलम, पट्टमभी पल्लकड, जिला	खाली प्लाट पर नई भवन का निर्माण
145.	श्री राज मोहन मेनन	सर्वेक्षण संख्या 13/9, माडाथिल घर, पेरुवनम, चेरपू, त्रिशूर (केरल)	शिव मंदिर, पेरुवनम, त्रिशूर जिला	खाली प्लाट पर नई भवन का निर्माण
146.	श्री पी.आई. सोमनाथन, अध्यक्ष, संजीवनी समिति, चेरपू, जिला त्रिशूर, केरल	संजीवनी समिति, चेरपू जिला त्रिशूर, केरल	शिव मंदिर, पेरुवनम, त्रिशूर जिला	खाली प्लाट पर नई भवन का निर्माण
वडोदरा मण्डल (गुजरात)				
147.	ए.एल. विजय ओनर एशोसिएशन, अहमदाबाद	कालूपुर वार्ड-3, अहमदाबाद	जामी मस्जिद	भूकम्प में क्षतिग्रस्त हुए भवन का पुनर्निर्माण
148.	सचिव, देवस्थान विभाग, जाम नगर, गुजरात सरकार	देवस्थान विभाग, जाम नगर, गुजरात सरकार	वहीवतादार द्वारिका-धीश मंदिर, द्वारका	वर्तमान भवन को गिराने के बाद वहीवतादार द्वारिकाधीश मंदिर के कार्यालय के लिए भवन का पुनर्निर्माण
149.	नगर निगम, मंगरोल	राविली मस्जिद के पास जी.एस. संख्या 7002, मंगरोल, जूनागढ, गुजरात	रावेली मस्जिद, मंगरोल जिला, जूनागढ़, गुजरात	भूकम्प में क्षतिग्रस्त होने के बाद ऊंचाई में बढ़ोत्तरी सहित भवन का पुनर्निर्माण
150.	मंगरोल नगर पालिका	कन्या विनय मंदिर, मंगरोल, जूनागढ़, गुजरात	रावेली मस्जिद	जर्जर हो चुके स्कूल भवन का पुनर्निर्माण
151.	श्री अहमद हुसैन जी. शेख और अन्य	बिग बेल विशाल परिसर, अहमदाबाद	मुहाफिज खान की मस्जिद	जर्जर भवन का पुनर्निर्माण
152.	अध्यक्ष	कुमार शैक्षिक ट्रस्ट, उस्मानपुर, अहमदाबाद	सैय्यद उस्मान की मस्जिद और मकबरा	स्कूल परिसर के भीतर खाली क्षेत्र पर भवन का निर्माण
153.	श्री धनजी वेलजी भ्रादा	पोरबन्दर, गुजरात	महात्मा गांधी का जन्म स्थान और घर	खाली स्थान पर आवासी भवन का निर्माण
154.	श्री नवनीत मोहनलाल सिरोदरिया	मंगरोल, जूनागढ़, गुजरात	रहीमंत (बीबी) मस्जिद, मंगरोल	खाली प्लाट पर निर्माण

1	2	3	4	5
155.	मैसर्स कामधेनु टेनमेंट ओनर्स एशोसिएशन के अध्यक्ष	सर्वेक्षण संख्या 478/भाग, इशानपुर, अहमदाबाद के नजदीक छोटी पत्थर मस्जिद, गुजरात	छोटी पत्थर मस्जिद, इशानपुर, अहमदाबाद	आवासीय व व्यावसायिक भवन का पुनर्निर्माण
156.	श्री निमपम एस. पाण्डेय और अन्य	सी.एस. 28/ए एवं 23/पी. विभाग-बी, टिका संख्या 11/2, वडोदरा भाऊ तंबेकर बाडा में फैशको कमरों के नजदीक, वडोदरा	फैस्को कमरें, भाऊ तंबेकर वाडा, वडोदरा	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
157.	श्रीमती तेरेजीन्हा नोरोन्हा	पी.टी.एस. संख्या 116/25, फिरंगीवाडा, दीव (यू.टी.) सेंट पॉल चर्च के नजदीक दीव (यू.टी.)	सेंट पॉल चर्च, दीव	वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
158.	श्रीमती जशोदाबेन इंदिरालाल वाधवा	सी.एस.संख्या 6839 से 6843, टिका संख्या 12/59, मंगलोर, मंगलोर ताल्लुका जिला जूनागढ़ नजदीक रवेली मस्जिद, मगलोर, गुजरात	रवेली मस्जिद	2001 के भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए भवन का पुनर्निर्माण
159.	अध्यक्ष/सचिव कामा एवं नाहर संगठन	सी.एस. संख्या 6579/पी. 6592/पी. और 6593/पी. शाहपुर-II, अहमदाबाद नजदीक राजनी रूपवती मस्जिद, अहमदाबाद-गुजरात	राजनी रूपवती की मस्जिद, अहमदाबाद	खाली भूमि पर भवन का निर्माण
160.	मैसर्स हीरामनी लैंड डवलपमेंट प्रा. लि.	उप-प्लाट संख्या 3 और 4, एफ.पी. संख्या 31, टी.पी.एस. संख्या 3(परिवर्तनीय) सी. एस. संख्या 439 और 440, उस्मानपुरा, अहमदाबाद	सैय्यद उस्मान की मस्जिद और मकबरा, अहमदाबाद	जर्जर अवस्था वाले वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
161.	श्रीमती रुकसानाबेन मोहम्मदभाई अंकलेश्वारिया	सी.एस. संख्या 4098, वार्ड संख्या 4, भारुच, गुजरात	जामी मस्जिद, भारुच	कम ऊंचाई सहित वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण
162.	श्री अमीरबेग नजीरबेग मिर्जा	सी.एस.संख्या 4596, वार्ड संख्या 3 भारुच नजदीक जामी मस्जिद, मालबारी दरवाजा, भारुच (गुजरात)	जामी मस्जिद, भारुच	खाली प्लाट पर भवन का निर्माण
163.	मैसर्स रिद्धि सिद्धि इंटरप्राइजेज	एफ.पी. संख्या 140/भाग, टी.पी.एस. संख्या 14, दरियापर-काजीपुर, अहमदाबाद नजदीक अच्युत (कूकी) बीबी की मस्जिद और मकबरा, रुस्तम मिल्स, अहमदाबाद, दूधेश्वर रोड, अहमदाबाद	अच्युत (कूकी) बीबी की मस्जिद और मकबरा	भवन खंडों का निर्माण
164.	श्री ईस्माइल सुलेमानी मुल्तानी	सी.एस. संख्या 4059, वार्ड संख्या 4 भारुच, गुजरात	जामी मस्जिद, भारुच	वर्तमान भवन के स्थान पर पुनर्निर्माण
165.	श्री अब्दुल करीम रसूल भाई घंची और श्री अब्दुल करीम नाथू भाई घंची	सी.एस. संख्या 869 से 873, 875 और 876, टिका संख्या 2, ढोलका, अहमदाबाद, गुजरात	बहलोई खान की गाजी मस्जिद, ढोलका अहमदाबाद	वर्तमान भवन के स्थान पर एक भवन का पुनर्निर्माण

1	2	3	4	5
166.	नगर अभियंता	अहमदाबाद, नगर निगम, सरदार पटेल भवन, दाना पीठ, अहमदाबाद, गुजरात	कनकारिया टैंक, कनकारिया, अहमदाबाद	स्मारक के नजदीक के विकास कार्य
167.	श्री डी.एम. चारीतेन, मैसर्स पाराडाईज	सी.एस. 1165/ए/1 और 1165/ए/4 (भाग), वार्ड संख्या 7, सूरत नजदीक पुराने डच और आरमेनियन मकबरे और कब्रगाह सूरत गुजरात	पुराने डच और आरमेनियन मकबरे और कब्रगाह	आवासीय भवन का पुनर्निर्माण
168.	श्री अरविन्द सोमा वाला, श्री नंदकिशोर गेंदालाल दुबल, पेटलवाडी के जी.पो.ओ.ए.एच.	पी.टी.एस. संख्या 115/11(26), अस्पताल रोड दीव (यू.टी.) नजदीक सेंट पॉल चर्च, दीव	सेंट पॉल चर्च, दीव	खाली प्लाट पर आवासीय भवन का निर्माण
169.	श्रीमती अनितावेन नानकराम वैजानी, भागोल	आर.एस. संख्या 1488/4 भाग, डबोई नजदीक वड़ौदा गेट, डबोई, किला वडोदरा, गुजरात	वड़ौदा गेट, डबोई, किला वडोदरा	आवासीय भवन का पुनर्निर्माण
170.	श्री धीरनभाई नटवरलाल ठक्कर, श्रीमती हीराबेन नटवरलाल ठक्कर और अन्य के (स्वयं एवं पी.ओ.ए.एच.)	सी.एस. संख्या 1648, द्वारका नजदीक द्वारिकाधीश मंदिरों का समूह, क्रम संख्या 1607, 1608 और 1609, द्वारका, ताल्लुका, ओखा मण्डल, जिला जामनगर, गुजरात नजदीक द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारका	द्वारिकाधीश मंदिरों का समूह	एक भवन का पुनर्निर्माण

अनावर्ती अनुदान

2819. श्री विश्व मोहन कुमार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भांडागारों के लिए सहायता अनुदान के रूप में बिहार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनावर्ती अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय भांडागारण निगम ने उक्त निधियों का विपथन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भांडागारों (वेयरहाऊसों) के लिए अनुदान सहायता के रूप में बिहार को किसी प्रकार का अनुवर्ती अनुदान प्रदान नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

कालोनियों को ढहाना

2820. श्री महाबल मिश्रा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) द्वारा नियमित कालोनियों को ढहाने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) दक्षिण, उत्तर और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के क्षेत्राधिकार के अन्दर नियमित कालोनियों को ढहाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अविस्तारणीय वीजा

2821. श्री रामकिशुनः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतोः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सामान्य परिस्थितियों में एक शहर के लिए और एकल प्रवेश हेतु पाकिस्तानी नागरिकों को अविस्तारणीय वीजा जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं!

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऐतिहासिक स्थानों और स्थलों का रखरखाव

2822. डॉ. भोला सिंहः क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निजी कंपनियों को ऐतिहासिक स्थानों और धरोहर स्थलों के रखरखाव का कार्य सौंपने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या ये कंपनियां इन स्थानों और स्थलों का रखरखाव और संरक्षण करते समय उक्त मानदंडों का पालन नहीं कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किसी भी संरक्षित स्मारक को इसके अनुरक्षण के लिए किसी निजी क्षेत्र की कम्पनी को नहीं सौंपा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कथित भेदभाव

2823. श्री के. सुधाकरणः
श्री ए. साई प्रतापः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को निजी विद्युत कंपनियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों को अत्यधिक महत्व देने की बात कहीं गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी विद्युत कंपनियों द्वारा क्या आशंकाएं व्यक्त की गई हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) निजी विद्युत उत्पादकों के एसोसिएशन ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से मामला उठाया है कि आदर्श ईंधन आपूर्ति करार (एफ.एस.ए.) के कतिपय प्रावधान निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) के विद्युत संयंत्रों के बीच भेदभाव पूर्ण हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) और पी.एस.यू. विद्युत गृहों दोनों में अधिकांश स्टाक को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, विवाद समाधान से संबंधित, सुरक्षा जमा की आवश्यकता आदि से संबंधित धाराओं में प्रचालनशील मुद्दों को कम करने के लिए कुछ प्रावधान पी.एस.यू./सरकारी विद्युत गृहों के लिए किए गए हैं। तथापि, एफ.एस.ए. अर्थात आपूर्ति के स्तर, एफ.एस.ए. की अवधि, विद्युत खरीद करार की आवश्यकता, मुआवजा/प्रोत्साहन आदि के महत्वपूर्ण मापदंडों से संबंधित धाराओं में कोई भेदभाव नहीं है।

(ग) निजी विद्युत उत्पादक कंपनी की बोर्ड की आगामी बैठक में विचारार्थ मुद्दों को लेकर कंपनी द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का समाधान करने के लिए सी.आई.एल. द्वारा पहल की गई हैं।

[हिन्दी]

दवाएं जब्त करना

2824. श्री विजय बहादुर सिंहः
श्री अरविन्द कुमार चौधरीः
श्री महाबली सिंहः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विमानपतनों पर सूडो-एफेडराइन दवाओं सहित दवाओं को जब्त करने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए मामलों, पकड़े गए व्यक्तियों और जब्त की गई दवा की मात्रा का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार,

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्यूडो-एफेड्रिन सहित जब्त की गई औषधियों की मात्रा और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के हवाई अड्डा-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सामान्य रूप से स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों (एन.डी.पी.एस.) की तस्करी को रोकने, उसका पता लगाने और उसके निवारण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) औषधि के ज्ञात मार्गों पर गहन निरोधात्मक और निषेधात्मक प्रयास।

(ii) आयात एवं निर्यात स्थलों पर सख्त निगरानी एवं प्रवर्तन।

(iii) परिचालनात्मक आसूचना के एकत्रीकरण, विश्लेषण और प्रसार में सुधार के लिए आसूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण।

(iv) औषधि के दुर्व्यापार को रोकने के लिए विधि प्रवर्तन कर्मचारियों के कौशल के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(v) पात्र राज्यों को उनकी स्वापक इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(vi) स्वापक औषधियों की जब्ती करने संबंधी सूचना देने वाले मुखबिरों और अधिकारयों को मौद्रिक पुरस्कार देने की योजना कार्यान्वित करना।

(vii) विभिन्न स्वापक औषधि विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अधिक समन्वय।

(viii) स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों तथा प्रिकर्सर रसायनों के लाने-ले-जाने पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सूचना और जांच संबंधी सहायता के आदान-प्रदान के लिए अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

विवरण

हवाई अड्डों पर जब्त की गई औषधियां (कि.ग्रा. में)

हवाईअड्डा	औषधियां	2009			2010		
		मात्रा	मामले	गिरफ्तार किए गए	मात्रा	मामले	गिरफ्तार किए गए
1	2	3	4	5	6	7	8
नई दिल्ली							
	हेरोइन	24.48	3	6	11.08	2	2
	कोकीन	-	-	-	1.78	1	2
	कटामाइन	46.82	1	-	-	-	-
	मार्फिन	5.6	1	1	-	-	-
	स्यूडो-इफेड्रिन	-	-	-	-	-	-
मुम्बई							
	हेरोइन	12.25	7	7	0.33	1	1
	कोकीन	1.56	2	2	5.42	1	1
	कटामाइन	-	-	-	-	-	-
	हशीश	8.00	1	1	-	-	-
	मार्फिन	-	-	-	-	-	-
	मन:प्रभावी पदार्थ	-	-	-	-	-	-
	स्यूडो-इफेड्रिन	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
चैन्ने							
	हेरोइन	1.576	1	1	–	–	–
	कोकीन	–	–	–	0.24	1	1
	कटामाइन	–	–	–	14.57	1	3
	अन्य: मन:प्रभावी पदार्थ	–	–	–	–	–	–
	स्यूडो-इफेड्रिन	–	–	–	32.44	3	7
कोलकाता							
	कटामाइन	17.4	2	2	–	–	–
	अलप्राक्स	–	–	–	151200 tab	1	–
	स्यूडो-इफेड्रिन	–	–	–	–	–	–
बंगलौर							
	हेरोइन	1.46	1	1	–	–	–
	कटामाइन	–	–	–	254	1	–
	हशीश	43.91	1	3	–	–	–
	स्यूडो-इफेड्रिन	–	–	–	–	–	–
हैदराबाद							
	कटामाइन	8.97	1	1	–	–	–
	स्यूडो-इफेड्रिन	–	–	–	–	–	–
इम्फाल							
	मन:प्रभावी पदार्थ	–	–	–	–	–	–
	स्यूडो-इफेड्रिन	–	–	–	83.00	1	–
गुवाहाटी							
	हेरोइन	0.500	1	1	–	–	–
	आफिम	–	–	–	–	–	–
	स्यूडो-इफेड्रिन	–	–	–	–	–	–
अन्य							
	स्यूडो-इफेड्रिन	–	–	–	–	–	–

हवाईअड्डा	औषधियां	2011			2012 (अक्तूबर)		
		मात्रा	मामले	गिरफ्तार किए गए	मात्रा	मामले	गिरफ्तार किए गए
1	2	9	10	11	12	13	14
नई दिल्ली							
	हेरोइन	10.19	2	2	–	–	–
	कोकीन	–	–	–	0.20	1	1
	कटामाइन	–	–	–	6.00	1	2
	मार्फिन	–	–	–			
	स्यूडो-इफेड्रिन	–	–	–	1.58	2	4
मुम्बई							
	हेरोइन	–	–	–	1.00	1	1
	कोकीन	5.13	1	1	9.69	3	3
	कटामाइन	–	–	–	11.8	1	1
	हशीश	–	–	–	–	–	–
	मार्फिन	15.83	2	2	–	–	–
	मन:प्रभावी पदार्थ	–	–	–	45.11	4	3
	स्यूडो-इफेड्रिन	–	–	–	–	–	–
चैन्ने							
	हेरोइन	–	–	–	0.29	1	2
	कोकीन	–	–	–	–	–	–
	कटामाइन	–	–	–	1.94	1	9
	अन्य: मन:प्रभावी पदार्थ	6.40	1	6	1.95	1	2
	स्यूडो-इफेड्रिन	6.25	1	1	68.02	9	12

1	2	9	10	11	12	13	14
कोलकाता							
	कटामाइन	-	-	-	25	1	1
	अलप्राक्स	-	-	-	-	-	-
	स्यूडो-इफेड्रिन	-	-	-	-	-	-
बंगलौर							
	हेरोइन	-	-	-	-	-	-
	कटामाइन				32.94	4	4
	हशीश	-	-	-	-	-	-
	स्यूडो-इफेड्रिन	-	-	-	-	-	-
हैदराबाद							
	कटामाइन	-	-	-	-	-	-
	स्यूडो-इफेड्रिन	-	-	-	4.10	1	1
इम्फाल							
	मन:प्रभावी पदार्थ	-	-	-	0.54/ 76750	3	3
	स्यूडो-इफेड्रिन	-	-	-	41.31/ 432000 tab	3	3
गुवाहाटी							
	हेरोइन	-	-	-	-	-	-
	आफिम	-	-	-	0.030	1	1
	स्यूडो-इफेड्रिन	-	-	-	46.96	1	1
अन्य							
	स्यूडो-इफेड्रिन	-	-	-	12.1	1	3

[अनुवाद]

अमरनाथ यात्रा के दौरान मृत्यु

2825. श्री पी.सी. गद्दीगौदरः
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमरनाथ तीर्थयात्रियों को ले जा रहे कुछ वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो दर्ज किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार की दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति हताहत/घायल हुए हैं;

(ग) पीड़ितों को अदा किए गए मुआवजे/किए जा रहे मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सुरक्षित और आरामदायक तीर्थयात्रा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। चालू वर्ष के दौरान अमरनाथ तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले वाहनों से हुई दुर्घटना के 04 मामले सूचित किए गए थे। इन दुर्घटनाओं में 35 तीर्थयात्री/सेवादार/अन्य व्यक्ति मारे गए, जबकि 27 व्यक्ति घायल हुए।

(ग) श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (एस.ए.एस.बी.) वर्ष 2010 से इन यात्रियों को निःशुल्क बीमा कवर उपलब्ध कराता रहा है। इस सामूहिक बीमे में यात्रा की अवधि के दौरान प्रत्येक पंजीकृत यात्री को, उसके जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रवेश की तारीख से तथा जम्मू और कश्मीर राज्य से उसके निकास की तारीख तक, दुर्घटना (प्राकृतिक अथवा मानवकृत) में उसकी मृत्यु होने पर 1.00 लाख रुपये के भुगतान का प्रावधान है।

(घ) एस.ए.एस.बी. तथा राज्य सरकार ने इस आशय के परामर्शी पत्र जारी किये थे कि, यह यात्रा कठिन भू-भाग में है और केवल चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ व्यक्तियों को ही यात्रा करनी चाहिए। यात्रा के रास्ते में उचित चिकित्सा सहायता केन्द्रों की स्थापना की गई थी तथा चिकित्सा की दृष्टि से गंभीर बीमारियों वाले यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रबंध किए गए थे। सम्पूर्ण यात्रा के रास्ते पर टेलीफोन सेवाएं तथा हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई गई थी। श्राइन बोर्ड और राज्य सरकार दोनों ने तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को सुरक्षित तथा आरामदायक बनाने के लिए सभी संभव उपाय किए थे।

[हिन्दी]

बच्चों का शोषण

2826. श्री घनश्याम अनुरागीः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बच्चों के यौन, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संबंधी मामलों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सर्वेक्षण से क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से सहायता मांगी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) गृह मंत्रालय को देश में बच्चों के यौन, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण के कारणों के संबंध में ऐसे किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) अपराधों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह केन्द्र के रूप में कार्य करता है और उसके पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

झरिया कोयला खान में आग

2827. श्री कामेश्वर बैठाः
श्री मधु कोड़ाः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्षों से जल रही झरिया और रानीगंज कोयला खानों में लगी हुई आग को बुझा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत ने खान सुरक्षा तकनीकों में सुधार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और झरिया और इसके आस-पास के क्षेत्र में अभी तक आग नहीं बुझाए जाने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय, झरिया कोलफील्ड्स (जे.सी.एफ.) से 78 आगों की सूचना प्राप्त हुई थी जिनमें से 11 स्थानों पर आग सुसुप्त हैं; 10 स्थानों पर आग को बुझा दिया गया है तथा शेष 57 स्थानों पर आग सक्रिय है तथा रानीगंज कोलफील्ड्स (आर.सी.एफ.) में 7 आगों की सूचना प्राप्त हुई थी। मामूली गहराई पर पूर्ववर्ती खान मालिकों द्वारा खनन किये गए भूमिगत कोयला खानों में रानीगंज कोलफील्ड्स में आग रानीगंज क्षेत्रों में कई स्थानों पर जैसे

संकतोरिया गांव, नीमचा, तोपोषी रानीगंज, रातिबाती, सामदी, संग्रामगढ़ आदि में मौजूद है।

झरिया तथा रानीगंज कोयला खानों में आग के मसले का समाधान करने के लिए, कोयला मंत्रालय ने भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि. (बी.सी.सी.एल.) के कमान क्षेत्रों में जे.सी.एफ. के इन क्षेत्रों के लिए 7112.11 करोड़ रुपये तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) के कमान क्षेत्रों में आर.सी.एफ. के इन क्षेत्रों के लिए 2661.73 करोड़ रुपये के कुल पूंजी निवेश से 'बी.सी.सी.एल. एवं ई.सी.एल. के लीज होल्ड क्षेत्रों में आग, धंसाव एवं पुनर्वासन से निपटने के लिए मास्टर प्लान का अनुमोदन किया है। मास्टर प्लान का कार्यान्वयन प्रगति पर है।'

(ग) और (घ) देश में खान सुरक्षा तकनीक में पिछले कुछ समय में सुधार हुआ है। लोंगवाल खनन, सतत् खनिक का उपयोग तथा सतही नियंत्रण प्रौद्योगिकी जैसे प्रौद्योगिकी से खनन की सुरक्षा स्थिति में सुधार आया है। सुरक्षा तकनीकों में प्रमुख सुधार रुफ स्ट्रेटा नियंत्रण प्रबंधन; आधुनिक और उन्नत उपकरणों का उपयोग कर ज्वलनशील तथा विषैली गैसों का शीघ्र पता लगाना; सतत् ऑनलाइन खान वातावरण मॉनिटरिंग प्रणाली; नवीनतम गैस क्रोमेटोग्राफी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बेहतर एवं सटीक खान ऐयर सेम्पलिंग; ओपन कास्ट में विस्फोट को समाप्त करने के लिए पारिस्थितिकी के अनुकूल सतह खनिक; स्वतंत्र ट्रक प्रेषण प्रणाली (ओ.आई.टी.डी.एस.); ढलान स्थायित्व रडार (एस.एस.आर.); भूमिगत प्रचालन का यांत्रिकीकरण; प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से संभव थे।

झरिया तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में लग रही आग को बुझाने में सीधे तौर पर अग्निशमन पद्धतियों का उपयोग करने के लिए आग क्षेत्र का पहुंच में न होना तथा इन क्षेत्रों में अत्यधिक आबादी तथा लोगों के रहने के कारण बाधाएं हुई हैं।

एफ.सी.आर.ए. में संशोधन

2828. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.) में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

अफीम की भूसी की तस्करी

2829. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान से देश के अन्य राज्यों में अफीम पाउडर/अफीम की भूसी की भारी मात्रा में तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान में अफीम की भूसी की बिक्री पर प्रतिबंध की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अफीम की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और इसकी तस्करी की रोकथाम के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अनुसार, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में अफीम पाउडर और अफीम की भूसी की जब्ती के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राजस्थान में अफीम की भूसी की बिक्री पर प्रतिबंध की मांग करने की कोई सूचना नहीं हैं।

(ङ) सरकार द्वारा घोषित स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थों पर घोषित राष्ट्रीय नीति में इसके आदी लोगों द्वारा अफीम की भूसी के उपयोग में समयबद्ध रूप से कमी करने का प्रावधान है। स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम, राज्य सरकारों को अफीम की भूसी के विक्रय, उपयोग इत्यादि की अनुमति देने एवं विनियमित करने की शक्तियां प्रदान करता है। राज्य सरकार की यह शक्ति धारा 8 के तहत प्रतिबन्धों के अध्यधीन है जिनके द्वारा कोई भी स्वापक औषधि अथवा मन: प्रभावी पदार्थ चिकित्सा अथवा वैज्ञानिक प्रयोजनों के सिवाय किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यद्यपि, मारफीन मुख्यतया केवल इसकी ढोड़ी की भूसी में मौजूद होता है, तथापि, इसका जूस निकालने के पश्चात, ढोड़ी की भूसी (अफीम की भूसी) में भी अल्कालॉयडस की बहुत अल्प मात्रा रह जाती है और यदि

पर्याप्त मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाए तो इस भूसी का नशाकारक प्रभाव पड़ता है। अफीम की ढोड़ी की भूसी नशा छोड़ने के लिए पंजीकृत अफीम भूसी के आदी लोगों को आपूर्त किया जाता है। सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, आदी लोगों के लिए अफीम की भूसी का प्रावधान एक चिकित्सीय आवश्यकता नहीं है। अफीम की भूसी के इस्तेमाल के सूचित किए गए स्तर को अनिवार्य नहीं माना जा सकता है जिसके मना करने से रोगी को अपूर्णनीय क्षति पहुंचाने वाले लक्षणों के उभरने का कारण हो सकता है। राज्य में अफीम की भूसी के उपयोग और उसका तरीका चिकित्सीय परीक्षण के अधीन नहीं है और यह कि अफीम की भूसी की ऐसी बड़ी मात्रा की आपूर्ति से इसके आदी लोगों के बढ़ने की संभावना है। तद्नुसार, "राष्ट्रीय नीति" में आदी लोगों को भूसी की मात्रा में प्रगामी कमी करने का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दिनांक 31 मार्च 2015 के पश्चात अफीम की भूसी की मांग करने वाला कोई भी आदी व्यक्ति ना रह जाये। इस अवधि के पश्चात, अफीम की भूसी की समग्र मात्रा को खेतों में दबा दिया जाएगा।

मादक पदार्थ दुर्व्यापार से निपटने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को सशक्त बनाने के विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें नए क्षेत्रों/उपक्षेत्रों के परिवर्धन के साथ जनशक्ति का विस्तार, विचारण न्यायालयों/उच्चतर न्यायालयों में मामलों के जल्दी निपटान हेतु पर्याप्त संख्या में विधि अधिकारियों की नियुक्ति एन.डी.पी.एस. मामलों को सुनने के लिए अभिनिर्धारित न्यायालयों का सृजन, एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 2001 को और अधिक कठोर बनाने के लिए इसका संशोधन इत्यादि शामिल है। अन्य उपायों में, प्रचालनात्मक आसूचना के संग्रहण, विश्लेषण और प्रचार-प्रसार में सुधार लाने के लिए आसूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण, स्वापक औषधियों की जब्ती को अन्जाम देने वाली सूचना देने के लिए मुखबिर और अधिकारियों को मौद्रिक पुरस्कार, आयात एवं निर्यात स्थलों पर सख्त निगरानी एवं प्रवर्तन और विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच उनके समन्वय में सुधार कार्य में लाना और आपस में सहयोग को बढ़ाना शामिल है।

विवरण

अफीम की भूसी की जब्ती (कि.ग्रा. में)

क्र.सं.	राज्य	2009	2010	2011	2012 (अक्तूबर तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	चंडीगढ़	220.00	0.00	6677.70	260.00
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	84.00	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	दमन और दीव	0.00	0	0	0
10.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	गुजरात	0.00	0.00	364.79	0.00
12.	हरियाणा	101.04	4132.70	23915.80	0
13.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	13665.74	1564.11
14.	जम्मू और कश्मीर	910.70	0.00	3751.54	273.35
15.	झारखंड	0.00	0.00	2006.00	21.10
16.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
17.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	लक्षदीप	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मध्य प्रदेश	9518.80	0.00	20470.34	0.00
20.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	0.00	0.00	71.50	0.00
26.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0
27.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पंजाब	0.00	21267.05	74548.19	16039.15
29.	राजस्थान	0.00	15335.25	42330.57	43182.20
30.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0
33.	उत्तर प्रदेश	701.88	0.00	2179.57	583.15
34.	उत्तराखंड	0.95	0.00	123.50	208.80
35.	पश्चिम बंगाल	101.00	0.00	0.00	0.00

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्रों को जारी करना

2830. **श्री पूर्णमासी राम:**
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) को प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या केवल उन्हीं व्यक्तियों को ओ.बी.सी. प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है जो वर्ष 1993 से पूर्व से दिल्ली में रह रहे हैं और उनके पास तत्संबंधी साक्ष्य हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन व्यक्तियों को ओ.बी.सी. प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कोई नीति तैयार की है, जो वर्ष 1993 के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में बस गए हैं अथवा यहां उनका जन्म हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वे बच्चे जिनका वर्ष 1993 के पश्चात् दिल्ली में जन्म हुआ अथवा जो वर्ष 1993 से दिल्ली में अपने माता-पिता के साथ रहे हैं, को ओ.बी.सी. के लाभ प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों, मार्गनिर्देशों और अनुदेशों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) को प्रमाण-पत्र जारी करती है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर, प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) वर्तमान नीति के अनुसार, वे बच्चे, जिनका वर्ष 1993 के पश्चात दिल्ली में जन्म हुआ अथवा जो वर्ष 1993 के बाद से अपने माता-पिता के साथ दिल्ली में रह रहे हैं, वे ओ.बी.सी. श्रेणी के अन्तर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

खाद्यान्नों का निर्यात

2831. **श्री बिभू प्रसाद तराई:**
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है क्योंकि इस वर्ष मानसून के आरंभ में अपर्याप्त/कम वर्षा के परिणामस्वरूप कम उत्पादन की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, नहीं। देश में गेहूं और गैर-बासमती चावल के स्टॉक की बेहतर स्थिति को देखते हुए सरकार ने 09-09-2011 से ओपन जनरल लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत इन खाद्यान्नों के निर्यात की अनुमति दी है। सरकार ने 29-11-2012 को पुन: ओ.जी.एल. के तहत इन खाद्यान्नों का गैर-प्रतिबंधित निर्यात जारी रखने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

नारियल तेल का निर्यात

2832. **श्री एंटो एंटोनी:**
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नारियल तेल का कितना निर्यात किया गया और इसका मूल्य कितना रहा;

(ख) क्या भारत में नारियल तेल सहित खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रतिबंध का लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सहित देश भर के किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार को प्रतिबंध हटाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यातित रिफाइंड नारियल तेल तथा इसके अंश की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा निम्वत है:-

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
2009-10	5066	39.86
2010-11	4273	39.68
2011-12	6192	83.90
2012-13 (अप्रैल से सितम्बर, 12)	3525	46.61

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (वाणिज्य विभाग) कोलकाता

(ख) और (ग) नारियल तेल (कोचिन पत्तन के जरिए) और लघु वन उत्पादों से उत्पादित कतिपय तेलों और 20,000 टन प्रति वर्ष की सीमा के अध्यधीन 5 कि.ग्रा. तक के ब्राण्डेड उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेलों को छोड़कर खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में अंतर है तथा घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(घ) से (च) नारियल उत्पादन करने वाले कृषकों के हित में, ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों में नारियल तेल के निर्यात की अनुमति दी गई है। (कोची पत्तन के जरिए) जिसके लिए मात्रात्मक सीमा को 10,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 टन प्रति वर्ष कर दिया गया है। सरकार को खाद्य तेलों के निर्यात से प्रतिबंध हटाने के लिए विभिन्न एसोसिएशनों और कुछ राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, देश में खाद्य तेलों की कमी की वजह से प्रतिबंध को जारी रखा गया है।

मानवाधिकारों का उल्लंघन

2833. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दर्ज किए ऐसे कुल मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों, दर्ज किए गए जातिगत मामलों और दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) द्वारा दर्ज किए गए कुल मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (दिनांक 20-11-2012 तक) की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) द्वारा दर्ज किए गए मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों की शिकायतों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (दिनांक 20-11-2012 तक) की अवधि के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज किए गए राज्य-वार मामले संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। जाति के आधार पर कथित भेदभाव के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है और पुलिस कार्रवाई में मौत के मामलों में जांच में पारदर्शिता लाने के लिए विधान, नियम तथा विनियम आदि बनाना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, एन.एच.आर.सी. ने पुलिस कार्रवाई के दौरान मृत्यु के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सभी राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा त्वरित जांच तथा पुलिस कार्रवाई में मौतों की सूचना ऐसी घटना के 48 घण्टों के अंदर एन.एच.आर.सी. को दिया जाना आदि शामिल है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिनांक 20-11-2012 तक दर्ज किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	20	49	19
आन्ध्र प्रदेश	979	1,272	1,559	983
अरुणाचल प्रदेश	20	29	31	17
असम	212	324	385	302
बिहार	2,893	2,862	3,303	2,984
चंडीगढ़	94	132	212	166
छत्तीसगढ़	455	481	776	465
दादरा और नगर हवेली	5	25	14	8
दमन और दीव	13	8	16	15

1	2	3	4	5
दिल्ली	5,228	5,929	7,865	5,558
गोवा	50	61	86	41
गुजरात	1,288	1,433	1,108	1,454
हरियाणा	2,921	3,322	4,175	6,002
हिमाचल प्रदेश	139	164	180	240
जम्मू और कश्मीर	189	224	371	251
झारखंड	1,306	1,596	1,811	1,057
कर्नाटक	531	635	1,319	565
केरल	295	659	563	262
लक्षद्वीप	0	8	8	3
मध्य प्रदेश	2,228	2,321	2,700	1,741
महाराष्ट्र	2,609	2,297	2,385	2,306
मणिपुर	63	66	162	76
मेघालय	44	33	50	29
मिजोरम	13	23	18	11
नागालैंड	9	19	12	13
ओडिशा	1,126	1,917	3,380	3,986
पुदुचेरी	52	49	76	47
पंजाब	986	1,111	1,271	1,430
राजस्थान	2,249	2,724	2,884	2,298
सिक्किम	8	5	14	2
तमिलनाडु	1,466	1,454	1,930	2,520
त्रिपुरा	37	50	70	33
उत्तर प्रदेश	51,270	49,840	52,216	30,788
उत्तराखंड	1,870	2,010	2,022	1,367
पश्चिम बंगाल	927	1,256	1,614	1,220
कुल	81,594	84,359	94,635	68,259

विवरण-II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिनांक 20-11-2012 तक पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के मामलों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10			2010-11		
	लंबित	निपटाए गए	कुल	लंबित	निपटाए गए	कुल
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	5	5	0	2	2
आन्ध्र प्रदेश	10	184	194	36	258	294
अरुणाचल प्रदेश	0	2	2	2	12	14
असम	15	54	69	44	85	129
बिहार	10	1,032	1,042	14	914	928
चंडीगढ़	1	25	26	0	50	50
छत्तीसगढ़	6	109	115	13	119	132
दादरा और नगर हवेली	0	1	1	0	3	3
दमन और दीव	0	5	5	0	5	5
दिल्ली	5	1,814	1,819	16	1,825	1,841
गोवा	0	16	16	1	21	22
गुजरात	8	309	317	8	345	353
हरियाणा	7	1,145	1,152	16	1,273	1,289
हिमाचल प्रदेश	3	38	41	0	33	33
जम्मू और कश्मीर	5	41	46	5	65	70
झारखंड	13	371	384	20	500	520
कर्नाटक	6	131	134	13	171	184
केरल	5	61	66	6	101	107
मध्य प्रदेश	13	649	662	17	635	652
महाराष्ट्र	26	543	569	41	472	513
मणिपुर	21	14	35	16	14	30
मेघालय	2	14	16	7	8	15
मिजोरम	0	1	1	0	6	6
नागालैंड	1	0	1	0	3	3
ओडिशा	8	138	146	13	290	303
पुदुचेरी	1	7	8	0	15	15

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	4	291	295	4	361	365
राजस्थान	1	762	763	19	932	951
सिक्किम	0	3	3	0	0	0
तमिलनाडु	16	447	463	34	431	465
त्रिपुरा	0	10	10	1	8	9
उत्तर प्रदेश	139	20,411	20,550	155	18,835	18,990
उत्तराखंड	5	621	626	5	585	590
पश्चिम बंगाल	4	189	193	24	259	283
कुल	332	29,443	29,775	530	28,636	29,166

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12			2012-13		
	लंबित	निपटाए गए	कुल	लंबित	निपटाए गए	कुल
1	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	5	7	1	1	2
आन्ध्र प्रदेश	67	343	410	67	208	275
अरुणाचल प्रदेश	0	4	4	3	1	4
असम	98	60	158	71	29	100
बिहार	86	1,105	1,191	86	715	801
चंडीगढ़	7	54	61	6	28	34
छत्तीसगढ़	71	156	227	25	72	97
दादरा और नगर हवेली	0	3	3	0	1	1
दमन और दीव	0	7	7	1	5	6
दिल्ली	137	2,685	2,822	336	1,462	1,798
गोवा	4	22	26	4	8	12
गुजरात	29	224	253	55	325	380
हरियाणा	108	1,671	1,779	361	1,193	1,554
हिमाचल प्रदेश	12	32	44	7	34	41
जम्मू और कश्मीर	74	52	126	7	49	56
झारखंड	74	530	604	45	302	347
कर्नाटक	25	160	185	41	125	166
केरल	4	76	80	22	30	52
मध्य प्रदेश	69	732	801	62	438	500

1	8	9	10	11	12	13
महाराष्ट्र	77	522	599	81	341	422
मणिपुर	41	24	65	20	13	33
मेघालय	8	7	15	12	1	13
मिजोरम	3	2	5	1	0	1
नागालैंड	2	0	2	3	0	3
ओडिशा	76	444	520	65	130	195
पुदुचेरी	9	25	34	4	11	15
पंजाब	16	402	418	23	345	368
राजस्थान	48	1,019	1,067	92	670	762
सिक्किम	2	3	5	0	0	0
तमिलनाडु	105	543	648	114	360	474
त्रिपुरा	11	15	26	3	2	5
उत्तर प्रदेश	824	20,399	21,223	1,045	12,611	13,656
उत्तराखंड	16	572	588	72	369	441
पश्चिम बंगाल	70	396	466	66	228	294
कुल	2,175	32,294	34,469	2,801	20,107	22,908

शिक्षित युवाओं द्वारा अपराध करना

2834. डॉ. एम. तम्बिदुरईः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में शिक्षित युवाओं द्वारा अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) अपराध में शिक्षित युवाओं के लिप्त होने के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, वर्ष 2009-2011 के दौरान आई.पी.सी. अपराध करने के संबंध में गिरफ्तार किए गए 18-30 वर्ष की आयु समूह के व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, अपराध का निवारण करने, पता लगाने, दर्ज करने और जांच करने तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के तंत्र के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने तथा नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करने के लिए भी राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। तथापि, संघ सरकार अपराध के निवारण के मामले को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है और इसलिए आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार करने पर और अधिक संकेंद्रित ध्यान देने तथा अपराध के निवारण और नियंत्रण के लिए यथा आवश्यक उपाय करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध करती रही है। युवा मामले मंत्रालय के पास सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं में अच्छे नागरिक तथा स्वयं सेवक बनने के गुण विकसित करने के प्रयोजन वाली योजनाएं हैं।

विवरण

वर्ष 2009-2011 के दौरान आई.पी.सी. अपराध करने के लिए गिरफ्तार किए गए 18-30 वर्ष आयु समूह के व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य	2008	2009	2010
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	103705	105130	103457
2.	अरुणाचल प्रदेश	1765	2161	1574
3.	असम	32804	30595	32614
4.	बिहार	106766	103833	122116
5.	छत्तीसगढ़	29901	29661	32509
6.	गोवा	1588	1680	1638
7.	गुजरात	70448	73581	74727
8.	हरियाणा	30518	29953	27841
9.	हिमाचल प्रदेश	7418	6883	6750
10.	जम्मू और कश्मीर	10946	14945	17929
11.	झारखंड	27637	29773	28345
12.	कर्नाटक	46265	52437	50747
13.	केरल	65256	76564	86597
14.	मध्य प्रदेश	150472	156523	152388
15.	महाराष्ट्र	141137	144093	147707
16.	मणिपुर	743	616	571
17.	मेघालय	849	771	807
18.	मिजोरम	755	1279	992
19.	नागालैंड	698	630	585
20.	ओड़िशा	35149	39278	40222
21.	पंजाब	18532	18091	18230
22.	राजस्थान	86159	80710	81926
23.	सिक्किम	583	627	406
24.	तमिलनाडु	90689	91182	96397
25.	त्रिपुरा	4235	3271	4860
26.	उत्तर प्रदेश	130238	136046	182342
27.	उत्तराखंड	5482	5312	4280
28.	पश्चिम बंगाल	48502	64913	57487

1	2	3	4	5
	कुल राज्य	**1249240**	**1300538**	**1376044**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	549	580	408
30.	चंडीगढ़	1195	1286	1083
31.	दादरा और नगर हवेली	380	313	282
32.	दमन और दीव	290	139	187
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	22683	21821	24066
34.	लक्षद्वीप	114	9	12
35.	पुदुचेरी	3611	3252	3296
	कुल संघ शासित राज्य	**28822**	**27400**	**29334**
	कुल अखिल भारत	1278062	1327938	1405378

स्रोतः भारत में अपराध

नाविकों द्वारा प्राप्त किए गए जाली सी.डी.सी.

2835. **श्री गजानन ध. बाबरः**
श्री अधलराव घाटील शिवाजीः
श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नाविकों के लिए प्रशिक्षण के मानकों, प्रमाणीकरण और चौकसी संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार, सतत नर्वहन प्रमाण-पत्र (सी.डी.सी.) यह प्रमाणित करता है कि प्रमाणपत्र-धारक एक नाविक है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्री-मार्गों के जरिए देश में घुसने के लिए जाली सी.डी.सी. प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला; और

(घ) सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सुपारी लेकर हत्याएं

2836. **श्री सुशील कुमार सिंहः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सुपारी लेकर हत्या करने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा सुपारी लेकर हत्या करने वाले कितने व्यक्तियों और गिरोहों की धरपकड़ की गई;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले व्यक्तियों और गिरोहों को हथियारों की आपूर्ति करने वाले स्रोतों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितनी अवैध हथियार बनाने वाली कितनी इकाईयों को पकड़ा गया है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सुपारी लेकर की जाने वाली हत्याओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सुपारी लेकर हत्या करने के मामलों, सुपारी लेकर

हत्या करने वाले व्यक्तियों और दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए गिरोहों की संख्या निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	सुपारी लेकर की गई हत्याओं की संख्या	सुपारी लेकर हत्या करने वाले व्यक्तियों/पकड़े गए गिरोहों की संख्या
2009	शून्य	शून्य
2010	शून्य	शून्य
2011	2	4 व्यक्ति
2012 (15-11-12 तक)	2	7 व्यक्ति

(ग) और (घ) हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों की आपूर्ति के सही स्रोत का पता नहीं लगाया जा सका। वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 (15-11-2012 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा अवैध हथियार निर्माताओं के विरुद्ध तीन मामले दर्ज किए गए हैं।

(ङ) स्रोत का इस्तेमाल करने आसूचना एकत्र करने, अवैध हथियारों की बिक्री/विनिर्माण में शामिल अपराधियों की आवाजाही पर निगरानी रखने, वाहनों की विशेष/अचानक जांच करने, सुभेद्य क्षेत्रों पर पहरा बैठाने, पैदल/वाहनों पर गहन गश्त लगाने जैसे निवारक उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

आतंकियों की गिरफ्तारियां

2837. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून 2011 में भोपाल और जबलपुर से कुछ आतंकी गिरफ्तार किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आतंकियों ने महिलाओं के नाम पर मोबाइल ऑपरेटरों से सिम कार्ड प्राप्त किए थे;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ऐसे मोबाइल ऑपरेटरों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मछुआरों के लिए अध्ययन दौरा

2838. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:
श्री शिवराज भैया:
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से मछुआरों को आधुनिक मात्स्यिकी तकनीक सिखाने में समर्थ बनाने के लिए मछुआरों के अध्ययन दौरों को प्रयोजित करने के लिए केन्द्रीय हिस्से को स्वीकृति करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा निधियां कब तक स्वीकृत और जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना—'राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना' के प्रशिक्षण एवं विस्तार घटक के अंतर्गत 2,75,000 रुपए की कुल लागत के साथ 114 मछुआरों के लिए एक उच्च तकनीकी अध्ययन दौरा आयोजित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से 2010 के दौरान और फिर से 2011 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि यह योजना दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था।

[अनुवाद]

आंग्ल भारतीयों हेतु योजनाएं

2839. श्री चार्ल्स डिएस: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों और आंग्ल भारतीयों की कलाशैलियों और भाषा के संवर्धन तथा उनके सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे क्रियाकलापों में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को सहायता प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी): (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय ने देश में विभिन्न कलारूपों और संस्कृति के

संवर्धन एवं परिरक्षण के लिए अनेक स्कीमें तैयार किया है। तथापि, मंत्रालय के पास अल्पसंख्यकों एवं आंग्ल भारतीयों के कलारूपों और भाषा के संवर्धन तथा उनकी पहचान के परिरक्षण के लिए कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत संस्थानों, व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी सहायता प्राप्त उन सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं जो संबंधित स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं।

ग्रामीण गोदाम

2840. श्री पी.टी. थॉमस:
डॉ. रतन सिंह अजनाला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में केन्द्रीय ग्रामीण गोदाम योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के तहत प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है और कितने गोदामों का निर्माण किया गया है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार और अधिक गोदामों को संस्वीकृत करने तथा उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) जी हां। सरकार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) की कार्यान्वयक एजेंसियों के माध्यम से एक मांग वाहित, ऋण-संबद्ध केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 'ग्रामीण गोदाम का निर्माण/नवीकरण' कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अधीन 31-03-2012 तक 246.75 लाख एम.टी. की क्षमता वाले 19018 ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया गया है।

(ग) से (ङ) क्योंकि यह स्कीम मांग वाहित है इसलिए निधियों का कोई राज्यवार आवंटन नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम में सरकार द्वारा आवंटित और उपयोग की गई निधियों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार ने 20-10-2011 से स्कीम के अधीन राजसहायता हेतु पात्र गोदाम के अधिकतम आकार को 10,000 एम.टी. से 30,000 एम.टी. तक बढ़ाया है, सिवाय पूर्वोत्तर, सिक्किम और पहाड़ी क्षेत्रों के जहां इसे 10,000 एम.टी. से 25,000 एम.टी. तक बढ़ाया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ग्रामीण गोदाम स्कीम के अधीन आवंटित की गई और उपयोग की गई वर्षवार निधि

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आवंटित की गई निधियां*	उपयोग की गई निधियां
2009-10	68.00	60.40
2010-11	120.00	109.74
2011-12	191.00	190.74
2012-13	400.00	136.74**

*आवंटित की गई निधियां संशोधित अनुमानों के अनुरूप हैं।

**31-10-2012 तक।

अधिक दूध देने वाली भैंसों का आयात

2841. श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला:
श्री गोपाल सिंह शेखावत:
डॉ. रतन सिंह अजनाला:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में दुग्ध उत्पादन में सुधार लाने के लिए पाकिस्तान से अत्यधिक दूध देने वाली नीली रावी भैंसों का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में दूध का आयात और निर्यात किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) सरकार के पास पाकिस्तान से नीली रावी भैंसों के

आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय को पाकिस्तान से तीन नीली रावी मादा भैंस और एक नर भैंस के आयात के लिए आयात लाईसेंस जारी करने का प्रस्ताव हुआ है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने पाकिस्तान से तीन नीली रावी मादा भैंस और एक नर भैंस के आयात की अनुमति देने के लिए इस प्रस्ताव को विदेश व्यापार महानिदेशालय को अनुसंशित कर दिया है।

(ग) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयात और निर्यात किए गए दूध तथा दुग्ध उत्पादों की मात्रा नीचे सारणी में दी गई है:-

(किलोग्राम में)

	2010-11	2011-12	2012-13* (अप्रैल से सिम्बर, 2012)
निर्यात	37435871	25639513	22060031
आयात	54334609	70699923	3821548

*अप्रैल, 2012 से सितम्बर, 2012 तक के आंकड़े अनंतिम हैं और परिवर्तन के अधीन हैं।

अवैध रूप से राशन कार्ड जारी करना

2842. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:**
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में अनेक बांग्लादेशी प्रवासियों को अवैध रूप से राशन कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कार्डों को जारी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

धार्मिक स्थलों को खतरा

2843. **श्री गोपाल सिंह शेखावत:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में स्थित मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों जैसे पवित्र स्थलों को आतंकवादी खतरा होने से संबंधित कोई सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) सरकार को मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरों आदि सहित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को खतरे के संबंध में समय-समय पर जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं।

चूंकि ऐसे स्थलों की सुरक्षा के लिए प्राथमिक रूप से राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी हैं, इसलिए खतरे संबंधी जानकारियों का तुरंत उनके साथ आदान-प्रदान किया जाता है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी इन स्थलों की आवधिक रूप से सुरक्षा संबंधी जांच करती हैं और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सिफारिशें करती हैं। इन सिफारिशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। खतरे संबंधी जानकारियों और सुरक्षा संबंधी जांच से संबंधित सिफारिशों के आधार पर समय-समय पर राज्य सरकारों को परामर्शी पत्र भी भेजे जाते हैं।

इसके अलावा, अनुरोध किए जाने पर विशेष रूप से कुम्भ मेला आदि जैसे विशेष अवसरों पर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के पास केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती भी की जाती है।

[अनुवाद]

मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध

2844. **डॉ. थोमचोम मैन्या:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि देश में कुछ मंदिर और उपासना स्थल अभी भी समाज के सभी वर्गों के लिए खुले नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे प्रतिबंध को हटाने तथा मंदिरों, उपासना स्थलों व अन्य तीर्थस्थलों में मुक्त प्रवेश की सुविधा देने के लिए कोई विधान लाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, किसी भी रूप में इसके प्रचलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली कोई भी सामाजिक निर्योग्यता नागरिक अधिकार संरक्षण (पी.सी.आर.) अधिनियम, 1955 के तहत एक दंडनीय अपराध है। संसद का यह अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) और (घ) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 3 में अस्पृश्यता के आधार पर धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए पहले से ही दंड का प्रावधान है।

प्रावासियों के विरुद्ध अपराध

2845. श्री ए. सम्पतः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवासियों के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत एक वर्ष के दौरान ऐसी घटनाओं में घायल हुए और मारे गए व्यक्तियों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) प्रवासियों के प्रति अपराध के संबंध में विशिष्ट आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं और, इसलिए राज्य सरकारें अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, पंजीकरण और उनकी जांच-पड़ताल तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेन्सियों की प्रणाली के द्वारा अपराधियों पर अभियोजन चलाने और प्रवासियों समेत नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

[हिन्दी]

मछुआरों का कल्याण

2846. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषादः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के खगड़िया क्षेत्र में 100 मछुआरों को आवास, हैण्ड पम्प, सामुदायिक भवन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1995-96 में मछुआरों के कल्याण की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत 40 लाख 75 हजार रुपए की धनराशि आबंटित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के तहत कितने आवासों, सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया है और कितने हैण्ड पम्प उपलब्ध कराए गए हैं; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत कितने मछुआरे लाभान्वित हुए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी अंचल में नवल किशोर सिंह टोला में 38.94 लाख रुपए से 100 मकानों, एक सामुदायिक हॉल, 25 हैंड पम्पों और 10 शौचालयों का निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव बिहार सरकार से 1993-94 में प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय हिस्से के प्रति 17.25 लाख रुपए की राशि 18-1-1994 और 24-2-1997 को राज्य सरकार को स्वीकृत की गई थी।

(ग) और (घ) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कुछ स्थानीय समस्याओं के कारण निर्माण कार्य पूरे नहीं किए जा सके। इंजीनियरों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों का आकलन करने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक तकनीकी समिति गठित की गई थी। तकनीकी समिति ने सूचित किया कि 64 मकानों का निर्माण किया जा रहा है और 17 मकानों का निर्माण अभी आरंभ किया जाना है। तकनीकी समिति ने यह भी सूचित किया कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए 14.96 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। समग्र रूप से परियोजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 26-3-2011 को 14.96 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत कर दी है।

लोक संस्कृति का संवर्धन

2847. श्री सज्जन वर्माः
श्री प्रेमदासः

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में लोक संस्कृति, लोक कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार लोक कलाओं के विभिन्न रूपों को सहायता तथा बढ़ावा देती है और उसने इन कलारूपों के प्रलेखन एवं संबंधित ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने देश में रचनात्मक तथा अभिनेय कलाओं व लोक संस्कृति के संरक्षण तथा इस प्रयोजनार्थ सांस्कृतिक संग्रहालयों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी): (क) से (घ) लोक संस्कृति, लोक कला और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित देश के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा सतत चलने वाली प्रक्रिया के आधार पर बहुत से कदम उठाए गए हैं। ये कार्यकलाप, संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों द्वारा जिसमें मंत्रालय के स्वायत्त संगठन, वस्त्र मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय शामिल हैं, चलाए जाते हैं। देश में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रारंभ किए गए/सहायता प्राप्त कार्यकलापों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

(i) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जनजातीय लोगों के मध्य अनुसंधान कार्य करता है और अपने संग्रहालयों तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रचार करने के लिए विभिन्न कलारूपों और नमूने/कलावस्तुओं के संग्रह के कार्य में संलग्न है।

(ii) सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र अपने संबंधित क्षेत्रों में लोक/पारंपरिक कलाओं के परिरक्षण, विकास और प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप प्रारंभ करते हैं।

(iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करता है, जिसका, भारत के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले जनजातियों की भाषाओं, लोकनृत्यों, कला और संस्कृति का संरक्षण और विकास करना एक महत्त्वपूर्ण और अभिन्न भाग है।

(iv) ललित कला अकादमी नियमित रूप से शिविर/कार्यशालाएं/सेमिनार/प्रदर्शनियां/फिल्म शो/व्याख्यानों का आयोजन संपूर्ण देश में करती है, जहां पर लोक, जनजातीय और पारंपरिक कलाकार, उस क्षेत्र के लोगों की सृजनात्मक और मंचकलाओं तथा संस्कृति के परिरक्षण के कार्यक्रमों में आमंत्रित किए जाते हैं।

(v) संगीत नाटक अकादमी, देश के विभिन्न क्षेत्रों में संगीत, लोकनृत्य और लोक नाटक को पुनरुज्जीवित और परिरक्षित करती है और सामुदायिक संगीत, युद्ध संगीत तथा संगीत के अन्य रूपों को प्रोत्साहन देती है।

(vi) साहित्य अकादमी, देश के साहित्य, पारंपरिक कलाओं एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

(vii) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, देश के विभिन्न क्षेत्रों में रंगमंच के माध्यम से लोक कलाओं सहित पारंपरिक और क्षेत्रीय संस्कृति का संवर्धन करती है।

(viii) वस्त्र मंत्रालय ने भी अपने शिल्प प्रदर्शन-कार्यक्रम के तहत संपूर्ण देश में पारंपरिक कलाओं और संस्कृति के पुनरुज्जीवन और परिरक्षण के लिए बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें विभिन्न राज्यों की लोक कलाओं के कार्यक्रम शामिल हैं।

(ix) जनजातीय जीवन के विविध पक्ष जो उनकी संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाज से संबंधित हैं, के परिरक्षण, प्रदर्शन और संवर्धन के अतिरिक्त, क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय उत्सवों का आयोजन करने के लिए भी अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ङ) संस्कृति मंत्रालय, क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों की स्थापना और आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, इनमें ऐसे संग्रहालय शामिल हैं जो देशज, पारंपरिक और लोक कलारूपों आदि को बढ़ावा देने का इरादा रखते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम अनुसंधान और प्रशिक्षण के तहत राज्य सरकार के साथ समतुल्य (50:50) के आधार पर संपूर्ण देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता ऐसे कार्यकलापों के लिए प्रदान की जाती है जिनमें जनजातीय कलावस्तुओं की प्रदर्शनी और जनजातीय संस्कृति के परिरक्षण के लिए जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना संबंधी गतिविधियां शामिल हैं।

[अनुवाद]

मृदु पेय पदार्थों हेतु मानक

2848. **श्री इज्यराज सिंह:**
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री एस. अलागिरी:
श्री रवनीत सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने बोतलबंद

मिनरल वाटर एवं मृदु पेय पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के कोई मानक बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में उक्त मानकों के उल्लंघन की कोई घटनाएं सूचित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है व विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने पैकबंद जल से संबंधित निम्नलिखित मानक (भारतीय मानक) तैयार किए हैं:

(i) आई.एस. 14543 : 2004 पैकबंद पेयजल (प्राकृतिक खनिज जल के अलावा)- विनिर्देशन (पहला संशोधन)

यह मानक पैकबंद रूप में बेचे जाने वाले पैकबंद पेयजल (प्राकृतिक खनिज जल के अलावा) के लिए अपेक्षाओं और नमूनों के तरीके और परीक्षण निर्धारित करता है।

(ii) आई.एस. 13428 : 2005 पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल-विनिर्देशन (दूसरा संशोधन)।

यह मानक मनुष्य के उपभोग के लिए पैकबंद रूप में बेचे जाने वाले प्राकृतिक खनिज जल के लिए अपेक्षाओं, नमूनों के तरीके और परीक्षण निर्धारित करता है। यह अन्य उद्देश्यों के लिए बेचे अथवा प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक जल पर लागू नहीं है।

इसके अलावा, भारतीय मानक ब्यूरो ने कार्बोनेटिड बिवरेजिज के संबंध में निम्नलिखित भारतीय मानक तैयार किए हैं।

आई.एस. 2346 : 1992 कार्बोनेटिड बिवरेजिज विनिर्देशन (दूसरा संशोधन)।

यह मानक कार्बोनेटिड बिवरेजिज के लिए अपेक्षाओं और नमूनों के तरीके और परीक्षण निर्धारित करता है।

(ग) जी हां, कुछ पैकबंद पेयजल के लाइसेंसधारकों द्वारा उल्लंघन की सूचना प्राप्त हुई है।

(घ) पैकबंद पेयजल और प्राकृतिक खनिज जल के लाइसेंसधारकों द्वारा मानकों के उल्लंघन (नमूनों की विफलता) के गत तीन वर्षों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

उपर्युक्त सभी मामलों में चेतावनी पत्र/चिन्हांकन रोकना/लाइसेंस को आस्थगित/समाप्त/रद्द करना आदि जैसी कार्रवाईयां भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, नियम, प्रमाणन विनियमों के उपबंधों के अनुसार की गई हैं और भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह स्कीम के तहत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

विवरण

खाद्य वस्तुओं में पाए गए उल्लंघनों की राज्य-वार संख्या 01-04-2010 से 31-03-2011 की अवधि के दौरान

बी.ओ. का नाम	आई.एस. 14543	आई.एस. 13428	कुल
1	2	3	4
एन.आर.ओ. एम.डी.सी.एच.-1 (हरियाणा)	8	शून्य	8
एम.डी.सी.एच.-3 (चण्डीगढ़, जम्मू और कश्मीर और पंजाब)	9	शून्य	9
पी.आर.बी.ओ. (हिमाचल प्रदेश)	–	शून्य	–
एफ.डी.ओ. (हरियाणा)	6	शून्य	6
के.बी.ओ. (उत्तर प्रदेश)	5	शून्य	5
एल.बी.ओ. (उत्तर प्रदेश)	1	शून्य	1
सी.आर.ओ. एम.डी.डी.-1 (दिल्ली + उत्तर प्रदेश)	23	शून्य	23
जी.जेड.ओ. (उत्तर प्रदेश)	8	शून्य	8

1	2	3	4
जे.बी.ओ. (राजस्थान)	8	शून्य	8
बी.पी.एल.बी.ओ. (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़)	46	शून्य	46
डी.बी.ओ. (उत्तराखंड)	3	1	4
ई.आर.ओ. एम.डी.के.-3 (पश्चिम बंगाल)	39	शून्य	39
जी.बी.ओ.* (असम एवं त्रिपुरा)	57	शून्य	57
पी.बी.ओ. (बिहार एवं झारखंड)	6	शून्य	6
बी.एच.बी.ओ.आ. (ओडिशा)	16	शून्य	16
डब्ल्यू.आर.ओ. एम.डी.एम.-1** (महाराष्ट्र)	29	शून्य	29
पी.एन.बी.ओ. (महाराष्ट्र)	23	शून्य	23
एन.बी.ओ. (महाराष्ट्र)	52	शून्य	52
ए.बी.ओ. (गुजरात)	50	शून्य	50
आर.बी.ओ. (गुजरात)	20	शून्य	20
एस.आर.ओ. एम.डी.सी.-1 (तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार तथा पुदुचेरी)	128	शून्य	128
एच.बी.ओ. (आन्ध्र प्रदेश)	128	शून्य	128
बी.एन.बी.ओ. (कर्नाटक)	20	शून्य	20
टी.बी.ओ. (केरल)	28	शून्य	28
वी.बी.ओ. (आन्ध्र प्रदेश)	54	शून्य	54
सी.बी.टी.ओ. (तमिलनाडु)	35	शून्य	35
कुल	802	1	803

* त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एवं असम सहित

** गोवा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव सहित

खाद्य वस्तुओं में पाए गए उल्लंघनों की राज्य-वार संख्या 01-04-2011 से 31-03-2012 की अवधि के दौरान

बी.ओ. का नाम	आई.एस. 14543	आई.एस. 13428	कुल
1	2	3	4
एन.आर.ओ.—एम.डी.सी.एच.-1 (हरियाणा)	8	शून्य	8
एम.डी.सी.एच-3 (चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और पंजाब)	12	शून्य	12
पी.आर.बी.ओ. (हिमाचल प्रदेश)	2	शून्य	2
एफ.डी.ओ. (हरियाणा)	4	शून्य	4
के.बी.ओ. (उत्तर प्रदेश)	16	शून्य	16

1	2	3	4
एल.बी.ओ. (उत्तर प्रदेश)	1	शून्य	1
सी.आर.ओ.—एम.डी.डी.-1 (दिल्ली + उत्तर प्रदेश)	28	शून्य	28
जी.जेड. ओ. (उत्तर प्रदेश)	8	शून्य	8
जे.बी.ओ. (राजस्थान)	5	शून्य	5
बी.पी.एल.बी.ओ. (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़)	36	शून्य	36
डी.बी.ओ. (उत्तराखंड)	7	शून्य	7
ई.आर.ओ.—एम.डी.के.-3 (पश्चिम बंगाल)	14	शून्य	14
जी.बी.ओ.* (असम एवं त्रिपुरा)	28	शून्य	28
पी.बी.ओ. (बिहार एवं झारखंड)	7	शून्य	7
बी.एच.बी.ओ. (ओडिशा)	33	शून्य	33
डब्ल्यू.आर.ओ. एम.डी.एम.-1** (महाराष्ट्र)	51	शून्य	51
पी.एन.बी.ओ. (महाराष्ट्र)	35	शून्य	35
एन.बी.ओ. (महाराष्ट्र)	37	शून्य	37
ए.बी.ओ. (गुजरात)	23	शून्य	23
आर.बी.ओ. (गुजरात)	22	शून्य	22
एस.आर.ओ. एम.डी.सी.-1 (तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार तथा पुदुचेरी)	141	शून्य	141
एच.बी.ओ. (आन्ध्र प्रदेश)	80	शून्य	80
बी.एन.बी.ओ. (कर्नाटक)	33	शून्य	33
टी.बी.ओ. (केरल)	12	शून्य	12
वी.बी.ओ. (आन्ध्र प्रदेश)	56	शून्य	56
सी.बी.टी.ओ. (तमिलनाडु)	42	शून्य	42
कुल	741	शून्य	741

* त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एवं असम सहित

** गोवा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव सहित

खाद्य वस्तुओं में पाए गए उल्लंघनों की राज्य-वार संख्या 01-04-2012 से 31-10-2012 की अवधि के दौरान

बी.ओ. का नाम	आई.एस. 14543	आई.एस. 13428	कुल
1	2	3	4
एन.आर.ओ.—एम.डी.सी.एच.-1 (हरियाणा)	1	शून्य	1
एम.डी.सी.एच-3 (चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और पंजाब)	4	शून्य	4

1	2	3	4
पी.आर.बी.ओ. (हिमाचल प्रदेश)	2	शून्य	2
एफ.डी.ओ. (हरियाणा)	3	शून्य	3
के.बी.ओ. (उत्तर प्रदेश)	3	शून्य	3
एल.बी.ओ. (उत्तर प्रदेश)	2	शून्य	2
सी.आर.ओ.—एम.डी.डी.-1 (दिल्ली + उत्तर प्रदेश)	17	शून्य	17
जी.जेड. ओ. (उत्तर प्रदेश)	5	शून्य	5
जे.बी.ओ. (राजस्थान)	–	शून्य	0
बी.पी.एल.बी.ओ. (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़)	25	शून्य	25
डी.बी.ओ. (उत्तराखंड)	2	शून्य	2
ई.आर.ओ.—एम.डी.के.-3 (पश्चिम बंगाल)	3	शून्य	3
जी.बी.ओ.* (असम एवं त्रिपुरा)	22	शून्य	22
पी.बी.ओ. (बिहार एवं झारखंड)	1	शून्य	1
बी.एच.बी.ओ. (ओडिशा)	21	शून्य	21
डब्ल्यू.आर.ओ. एम.डी.एम.-1** (महाराष्ट्र)	12	शून्य	12
पी.एन.बी.ओ. (महाराष्ट्र)	17	शून्य	17
एन.बी.ओ. (महाराष्ट्र)	3	शून्य	3
ए.बी.ओ. (गुजरात)	6	शून्य	6
आर.बी.ओ. (गुजरात)	12	शून्य	12
एस.आर.ओ. एम.डी.सी.-1 (तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार तथा पुदुचेरी)	32	शून्य	32
एच.बी.ओ. (आन्ध्र प्रदेश)	56	शून्य	56
बी.एन.बी.ओ. (कर्नाटक)	7	शून्य	7
टी.बी.ओ. (केरल)	7	शून्य	7
वी.बी.ओ. (आन्ध्र प्रदेश)	59	शून्य	59
सी.बी.टी.ओ. (तमिलनाडु)	6	शून्य	6
कुल	328	शून्य	328

* त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एवं असम सहित

** गोवा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव सहित

पैक बंद पेयजल पर मानक चिन्ह के दुरुपयोग के संबंध में दायर किए गए मामले

बी.आई.एस., 1986 के तहत पैक बंद पेयजल पर मानक चिन्ह के दुरुपयोग के संबंध में दायर किए गए मामले विधिक विभाग में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 और 2012-2013 (31-10-2012 तक) के लिए समेकित (राज्य-वार) किए गए हैं और वे नीचे दिए जा रहे हैं:

राज्य	पैक बंद पेयजल पर मानक चिन्ह के दुरुपयोग के संबंध में दायर किए गए मामले			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (31-10-2012 तक)
आन्ध्र प्रदेश	—	02	01	—
असम	—	—	01	—
दिल्ली	05	05	01	—
गुजरात	08	01	13	01
हरियाणा	02	08	10	—
केरल	01	—	01	01
महाराष्ट्र	06	03	02	04
मध्य प्रदेश	—	—	—	01
ओडिशा	—	01	—	—
राजस्थान	02	01	—	—
तमिलनाडु	08	03	01	—
उत्तर प्रदेश	01	02	01	—
पश्चिम बंगाल	—	03	04	—
कुल	33	29	35	07

अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई कोर्ट केस दायर नहीं किया गया।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार मिनरल वाटर/मृदु पेय पर मानक चिन्ह के दुरुपयोग का कोई मामला नहीं है।

कोयले का आयात

2849. श्री अनूप कुमार साहा:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित कोयले पर निर्भरता दिन-व-दिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2011-12 और चालू वर्ष के दौरान देश में आयातित कोयले की मात्र व मूल्य का देश-वार ब्यौरा क्या है और देश की कुल कोयला खपत में इस आयातित कोयले का मात्रगत प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आयातित कोयले पर बढ़ती निर्भरता पर चेतावनी दी है कि इससे विकास और मुद्रास्फीति पर दुष्प्रभाव होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में तेजी से बढ़ती हुई मांग की वजह से मुख्यत: कोयले के आयात की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। 2011-12 में कोयले का कुल आयात देश में कुल कोयला खपत का लगभग 16% है। 2011-12 के दौरान तथा चालू वर्ष 2012-13 (जुलाई, 2012 तक) कोयले के आयात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2011-12 (मात्रा मिलियन टन में एवं मूल्य मिलियन रु.)

क्र.सं.	देश	कोकिंग कोल		नान कोकिंग कोल		कुल कोयला	
		मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इंडोनेशिया	0.501	4822	54.759	253596	55.260	258417
2.	आस्ट्रेलिया	25.508	346343	2.285	19913	27.793	366256
3.	साउथ अफ्रीका	1.029	7369	11.189	69738	12.217	77107
4.	यू.एस.ए.	2.684	38385	0.290	1360	2.974	39746
5.	रूस	0.152	1930	1.042	7956	1.194	9885
6.	न्यूजीलैंड	0.943	12854	0.017	132	0.960	12986
7.	चीन पी.आर.पी.	0.265	3650	0.217	1290	0.482	4939
8.	यूक्रेन			0.367	3579	0.367	3579
9.	कनाडा	0.230	3157	0.000	0	0.230	3157
10.	आस्ट्रिया	0.110	1041	0.066	364	0.176	1405
11.	संयुक्त अरब अमीरात	0.025	315	0.045	501	0.070	816
12.	ईरान			0.066	442	0.066	442
13.	वियतनाम एस.ओ.सी. आर.ई.पी.			0.063	1111	0.063	1111
14.	फिलीपिंस			0.061	208	0.061	208
15.	इज़राइल	0.060	951	0.000	1	0.060	951
16.	नीदरलैंड			0.050	488	0.050	488
17.	जर्मनी	0.034	523	0.015	172	0.049	696
18.	मोजाम्बिक	0.038	437	0.011	56	0.049	492
19.	ताइवान			0.049	202	0.049	202

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	कोट डी आइवाआर			0.046	189	0.046	189
21.	मलेशिया			0.042	222	0.042	222
22.	वेनेजूला	0.032	413			0.032	413
23.	जापान			0.029	211	0.029	211
24.	नाइजिरिया	0.023	316	0.001	3.132	0.024	319
25.	कोरिया आरपी			0.024	230	0.024	230
26.	म्यांमार			0.020	86	0.020	86
27.	थाइलैंड			0.019	179	0.019	179
28.	सउदी अरब			0.018	65	0.018	65
29.	बहरीन			0.013	58	0.013	58
30.	आयरलैंड			0.010	34	0.010	34
31.	यू.के.	0.002	36			0.002	36
32.	सिंगापुर	0.003	44			0.003	44
33.	कोलम्बिया						
34.	पोलैंड						
35.	अन्य	0.163	2107	0.240	1297	0.403	3404
	कुल	31.801	424692	71.052	363683	102.853	788376

स्रोतः डी.जी.सी.आई.एस. वाणिज्य मंत्रालय

2012-13 (जुलाई 2012 तक) (मात्रा मिलियन टन में एवं मूल्य मिलियन रु.)

क्र.सं.	देश	कोकिंग कोल		नान कोकिंग कोल		कुल कोयला	
		मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इंडोनेशिया	0.052	573	23.014	102912	23.065	103485
2.	आस्ट्रेलिया	9.560	114671	0.640	5109	10.200	119780
3.	साउथ अफ्रीका	0.415	2685	4.287	26480	4.703	29165
4.	यू.एस.ए.	1.202	14501	0.784	4794	1.986	19296
5.	कनाडा	0.501	5820	0.005	15	0.506	5836

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	न्यूजीलैंड	0.447	5101	0.000	0	0.447	5101
7.	मोजाम्बिक	0.299	3527	0.000	0	0.299	3527
8.	रूस	0.072	814	0.064	566	0.136	1380
9.	मंगोलिया	0.033	417	0.034	167	0.067	584
10.	यूक्रेन			0.064	682	0.064	682
11.	सिंगापुर			0.061	352	0.061	352
12.	इटली			0.020	131	0.020	131
	वियतनाम एस.ओ.सी.						
13.	आर.ई.पी.			0.048	742	0.048	742
14.	घाना			0.018	74	0.018	74
15.	सऊदी अरब			0.017	80	0.017	80
16.	अन्य	0.013	166	0.119	780	0.132	945
	कुल योग	12.595	148276	29.175	142885	41.769	291161

स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस., वाणिज्य मंत्रालय

आई.एस.आई., उग्रवादियों और नक्सलवादियों के बीच सांठगांठ

2850. डॉ. मन्दा जगन्नाथ:
श्री उदय सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलीजेन्स (आई.एस.आई.), माओवादियों और पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों के सांठगांठ द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी से प्राप्त धन का उपयोग भारत में आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सांठगांठ को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों से ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी/रिपोर्ट नहीं मिली है, जिससे देश में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आई.एस.आई.), माओवादियों और पूर्वोत्तर के विद्रोही समूहों के बीच ऐसी सांठगांठ साबित हो सके। तथापि, माओवादियों और पूर्वोत्तर के कतिपय विद्रोही समूहों के बीच सांठगांठ के साक्ष्य मिले हैं।

(ग) सरकारी स्थिति की गहन निगरानी कर रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दायरा

2851. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री मधुसूदन यादव:
श्री संजय निरूपम:
श्रीमती रमा देवी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्रीमती अन्नू टन्डन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 2001 की जनगणना और तेंदुलकर एवं सक्सेना समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) के परिवारों की पहचान में आ रही समस्याओं के मद्देनजर सरकर का पी.डी.एस. के तहत लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक पृथक समिति का गठन करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रस्तावित कर्तव्यों व दायित्वों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खरीद के वर्तमान स्तर पर खाद्यान्न का भंडार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(च) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार का इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा स्व. प्रो. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा उपयोग की गई विधि अपनाकर योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 36% है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आबंटन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग योजना आयोग के वर्ष 1993-94 के उपर्युक्त गरीबी अनुमानों और दिनांक 1 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वास्तव में पहचान किए गए और जिन्हें राशन कार्ड जारी किए गए हैं ऐसे परिवारों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या का उपयोग करता है।

योजना आयोग ने गरीबी का अनुमान लगाने की विधि की समीक्ष करने हेतु प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 2009 में प्रस्तुत की थी। योजना आयोग के अनुसार विशेषज्ञ समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ 2004-05 के लिए अखिल भारत ग्रामीण आबादी का अनुपात 41.8% होने, शहरी आबादी का अनुपात 25.7% और अखिल भारत स्तर पर यह अनुपात 37.2% होने का अनुमान लगाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना करने की विधि का सुझाव देने के लिए अगस्त, 2008 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना को परामर्श देने के लिए डॉ. एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह के विचारार्थ विषयों में गरीबी के अनुमान शामिल नहीं थे। विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 2009 में प्रस्तुत कर दी थी। समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि गरीबी रेखा से नीचे स्तर के लिए हकदार आबादी का प्रतिशत बढ़ाकर कम से कम 50% कर देना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश में दिनांक 29 जून, 2011 को सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना, 2011 शुरू की है जो भारत सरकार के वित्तीय और तकनीकी समर्थन से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जा रही है। सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना, 2011 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए जनगणना करना और संपूर्ण देश में जातीय जनगणना करना शामिल है।

भारत सरकार उन संकेतकों के आधार पर वंचन के विविध आयामों पर विचार करेगी, जिन्हें केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के अधीन निर्दिष्ट पात्रता का हिसाब लगाने के लिए सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना, 2011 के जरिए एकत्र किए जा रहा है। तथापि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फिलहाल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए अलग से किसी आयोग का गठन करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) दिनांक 01-11-2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक 695.29 लाख टन (289.54 लाख टन चावल और 405.75 लाख टन गेहूं) था केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक का वर्तमान स्तर आबंटनों के मौजूदा स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

चक्रवात उपशमन के लिए सहायता

2852. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में चक्रवात के प्रभाव का उपशमन करने के लिए सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और

चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है और उक्त धनराशि का कितना उपयोग किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राज्य-वार क्या कदम उठाए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) (चरण-I) की कुल लागत 1496.71 करोड़ रुपए है जिसमें से 1198.44 करोड़ रुपए विश्व बैंक द्वारा अनुकूलनीय कार्यक्रम ऋण (एडैप्टेबल प्रोग्राम लोन) के रूप में तथा शेष 298.27 करोड़ रुपए का अंशदान आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों द्वारा किया जाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित प्रमुख घटकों द्वारा चक्रवात जोखिम एवं सुभेद्यता को कम करने हेतु संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक चक्रवात प्रशमन उपायों को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना की गई है।

(i) चक्रवात चेतावनियों के प्रसार हेतु अंमित छोर तक संयोजकता,

(ii) संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपाय: संरचनात्मक उपायों में बहु-प्रयोजनीय चक्रवात आश्रय स्थल, पर्यावास एवं चक्रवात आश्रय स्थलों तक सड़कें, पुल तथा झील/समुद्री तटबंधों के निर्माण जैसे कार्य आते हैं। गैर-संरचनात्मक उपायों में आश्रय बेल्ट में पौधा-रोपण तथा समुदाय का क्षमता संवर्धन करना है।

(iii) चक्रवात आपदा जोखिम प्रशमन के लिए तकनीकी सहायता, क्षमता विकास और ज्ञान-सृजन।

(iv) परियोजना प्रबंधन एवं क्रियान्वयन सहायता।

भारत सरकार ने अब तक चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत मुहैया कराने हेतु 187.10 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसमें से 72.80 करोड़ रुपयों का आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा की सरकारों द्वारा उपयोग किया जा चुका है।

[हिन्दी]

ताजे पानी में जलचर-पालन विकास योजना हेतु धनराशि

2853. श्री शिवराज भैया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से ताजे पानी में जलचर पालन विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्व स्वीकृत 232.76 लाख के अलावा 0.76 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि मंजूर करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निधि में से 110.00 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं तथापि 122.76 लाख एवं 0.76 लाख रुपए की अतिरिक्त निधियों का अनुमोदन अभी प्रतीक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त धनराशि को कब तक संस्वीकृत और जारी करने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) जी, हां। संघ सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास' के अधीन ताजा जल जलकृषि के विकास के लिए 232.76 लाख रुपए का केन्द्रीय हिस्सा जारी करने के लिए 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 0.76 लाख रुपए की खर्च न की गई उस धनराशि को पुनः वैध करने का अनुरोध किया है जो 2011-12 के दौरान उसे जारी की गई धनराशि में से उसके पास पड़ी है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार को पहली किस्त के रूप में 110 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है और 2012-13 के दौरान 0.76 लाख रुपए पुनः वैध कर दिए गए थे। पहली किस्त का पूर्ण रूप से उपयोग किए जाने के बाद और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट के साथ उपयोग प्रमाण-पत्र भेज देने के बाद 122.76 लाख रुपए की शेष धनराशि जारी की जाएगी।

[अनुवाद]

डिजिटल केबल टी.वी. सेवा के सेट टॉप बॉक्स

2854. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री के. सुगुमार:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में डिजिटल केबल टीवी सेवा लागू करने के क्रम में देश के विभिन्न भागों में सेट टॉप बॉक्सों (एस.टी.बी.) की कोई कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे दर्शक, जिन्होंने अभी तक सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाया है विद्यमान एनालॉग प्रणाली के जरिए टीवी चैनल देख पाएंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केबल प्राचलक डिजिटलीकरण कमेटी ने यह दावा किया था कि सरकार ने प्रसारण की व्यापकता बढ़ाने के लिहाज से ही केबल कनैक्शनों की संख्या कम की थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) ऐसी कुछ रिपोर्टें मंत्रालय की जानकारी में लाई गई हैं। सेट टॉप बॉक्सों (एस.टी.बी.) के अधिप्रापण और उपभोक्ताओं को उनके वितरण का कार्य बहु-प्रणाली संचालकों (एम.एस.ओ.) द्वारा स्थानीय केबल ऑपरेटरों के माध्यम से किया जाता है। सेट टॉप बॉक्सों की कमी होने से संबंधित रिपोर्टें बहु-प्रणाली संचालकों को भेजी जाती हैं। मंत्रालय सेट टॉप बॉक्सों के अधिप्रापण व अधिष्ठापन संबंधी कार्य की भी निरंतर निगरानी करता है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता महानगरों में डिजिटलीकरण के प्रथम चरण का कार्य दिनांक 31-10-2012 को पूरा हो गया था और चेन्नै में, यह मामला न्यायाधीन है। दिनांक 04-12-2012 तक की स्थिति के अनुसार, चार महानगरों में कुल 81.07 लाख सेट टॉप बॉक्स अधिष्ठापित किए गए जिसके फलस्वरूप केबल टीवी क्षेत्र में 98% की उपलब्धि हासिल हुई। डायरेक्ट-टु-होम (डी.टी.एच.) उपभोक्ताओं की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए डिजिटीकरण की प्रतिशतता बढ़कर 99% हो जाती है।

(ग) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 4(क)(1) के अनुसार, प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए उन क्षेत्रों में जहां पर डिजिटल संबोधनीय प्रणाली (डास) का कार्यान्वयन हो गया है, ऐनलॉग फॉर्मेट बंद करके डास के जरिए इन्क्रिप्टिड रूप में किसी भी चैनल के कार्यक्रमों को प्रसारित या पुनःप्रसारित करना अनिवार्य है। ऐसे क्षेत्रों में, केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए केबल टेलीविजन देखने हेतु सैट टॉप बॉक्स का अधिष्ठापन करना आवश्यक है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय का आंकड़ा-संचय प्रथम चरण में चारों महानगरों में डास के कार्यान्वयन हेतु सेट टॉप बॉक्सों की आवश्यकता और उनके अधिष्ठापन के संबंध में मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ टीवी परिवारों की संख्या का निर्धारण करने के लिए भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रकाशित भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, डी.टी.एच. ऑपरेटरों ने भी अपने अंशदाताओं की संख्या मुहैया कराई है। इसलिए, मंत्रालय द्वारा केबल कनेक्शन के संबंध में तैयार किया गया आंकड़ा-संचय विश्वसनीय स्रोत पर आधारित है।

वाहनों की तस्करी

2855. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि देश में, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र (एन.सी.टी.) में लूटे गए ट्रकों को बांग्लादेश में बहुत कम मूल्य पर बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत एक वर्ष के दौरान ऐसे कुल कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई, कितने आरोपितों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक बल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी किए जाने के बावजूद उक्त अवधि के दौरान वहां ऐसी कितनी घटनाएं घटीं; और

(च) पड़ोसी देशों में वाहनों की तस्करी रोकने तथा सीमा से घुसपैठ बंद करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसे मामलों के कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 2011 एवं 2012 (30-11-2012 तक) के दौरान दिल्ली में ट्रकों की चोरी एवं लूटपाट के मामलों का ब्यौरा निम्नवत् है:-

वर्ष	ट्रकों के चोरी के मामलों का ब्यौरा			ट्रकों की लूटपाट के मामलों का ब्यौरा		
	पंजीकृत किए गए मामले	चोरी हुए ट्रक्रों की संख्या	बरामद किये गये ट्रकों की संख्या	पंजीकृत किए गए मामले	लूट-पाट हुए ट्रकों की संख्या	बरामद किए गए ट्रकों की संख्या
2011	129	129	18	07	07	05
2012 (30-11-2012 तक)	116	117	13	15	14	10

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठत।

(ङ) अंतर-राष्ट्रीय सीमाओं से होकर ट्रकों की तस्करी होने की किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(च) सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) सीमाओं पर सचल गश्त एवं दिन-रात चौकसी कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए रात में देखने वाले उपकरणों, सूंघने वाले श्वानों आदि जैसे बल सहायक साधनों का भी इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय तट रक्षक बल (आई.सी.जी.) जहाजों एवं वायुयानों के द्वारा भारतीय अनन्य आर्थिक जोन (ई.ई.जेड) की निगरानी कर रहा है। तटीय सुरक्षा की दिशा में विभिन्न सरकारी एजेंसियों, जिसमें भारतीय नौसेना, भारती तटरक्षक बल, समुद्रतटीय पुलिस, सीमा एवं अन्य एवं केन्द्रीय एजेंसियां शामिल हैं, के द्वारा भूभागीय समुद्री जल क्षेत्र की निगरानी में अभिवृद्धि करने पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है।

स्वतंत्रता-सेनानियों का सम्मान

2856. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वतंत्रता-सेनानियों की संख्या राज्य-वार कुल कितनी है;

(ख) क्या प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होने वाले सम्मान समारोह में सम्मानार्थ विचारण हेतु स्वतंत्रता-सेनानियों के नाम भेजने तथा उन्हें आमंत्रण-पत्र भेजने के लिए सरकार ने राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी राज्य नियमित रूप से स्वतंत्रता-सेनानियों के नाम भेज रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) वर्ष 1972 में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के प्रारंभ होने के समय से लेकर दिनांक 30-11-2012 तक लगभग 1.71 लाख स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेंशन मंजूर की गई है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को माननीय राष्ट्रपति की मेजबानी वाले स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से पांच स्वतंत्रता सेनानियों को नामित करने का अनुरोध किया जाता है। ये स्वतंत्रता सेनानी अधिमानतः ऐसे केन्द्रीय सम्मान पेंशनभोगी होने चाहिए, जिन्होंने पहले ऐसे समारोह में भाग न लिया हो और जो यात्रा करने के लिए शरीरिक रूप से स्वस्थ हों।

(घ) और (ङ) गृह मंत्रालय इस समारोह में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भेजने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से निमंत्रण-पत्र भेजता है। स्वतंत्रता सेनानी अपनी संबंधित सरकारों की ओर से समारोह में भाग लेते हैं।

विवरण

वर्ष 1972 में योजना के प्रारंभ होने के समय से स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को मंजूर की गई केन्द्रीय सम्मान पेंशन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या, जिन्हें पेंशन मंजूर की गई है (दिनांक 30-11-2012 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15261
2.	असम	4441
3.	बिहार	24883
4.	झारखंड	
5.	गोवा	1505
6.	गुजरात	3599
7.	हरियाणा	1688
8.	हिमाचल प्रदेश	627
9.	जम्मू और कश्मीर	1807
10.	कर्नाटक	10100
11.	केरल	3397
12.	मध्य प्रदेश	3482
13.	छत्तीसगढ़	
14.	महाराष्ट्र	17960
15.	मणिपुर	62
16.	मेघालय	86
17.	मिजोरम	4
18.	नागालैंड	3
19.	ओडिशा	4195
20.	पंजाब	7028
21.	राजस्थान	814
22.	तमिलनाडु	4121
23.	त्रिपुरा	888
24.	उत्तर प्रदेश और	17999
25.	उत्तराखंड	
26.	पश्चिम बंगाल	22516
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
28.	चंडीगढ़	91
29.	दादरा और नगर हवेली	83
30.	दमन और दीव	33
31.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2046
32.	पुदुचेरी	318
33.	इंडियन नेशनल आर्मी (आई.ए.ए.)	22468
	कुल	171508

खाप पंचायतें

2857. श्री सुशील कुमार सिंह:
श्रीमती मेनका गांधी:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री पन्ना लाल पुनिया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में विद्यमान खाप पंचायतों को जनता पर मनमाने निर्णय थोपने के संबंध में नोटिस भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खाप पंचायतों को लड़कियों के कम उम्र के विवाह और महिलाओं का परिधान-निश्चित करने जैसे विषयों पर अपने मनमाने आदेश थोपने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 19 अप्रैल, 2012 के एक निर्णय में खाप पंचायतों को गैर कानूनी करार दिया है और राज्य सरकारों को निदेश दिया है

कि वे खाप पंचायतों द्वारा किए जाने वाले किन्ही भी बर्बरतापूर्ण कार्यों को रोकने के लिए ठोस उपाय करें।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' एवं 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच करने तथा अभियोजन की कार्रवाई करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, भारत सरकार महिलाओं के कल्याण प्रति काफी चिंतित है तथा विभिन्न योजनाओं के लिए और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शी पत्र भेजकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में दिनांक 4 सितंबर, 2009 को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को एक विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किया है जिसमें राज्यों को निदेश दिया गया है कि वे महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या से निपटने में अपनी कानून एवं व्यवस्था मशीनरी की प्रभावकारिता की व्यापक समीक्षा करें तथा ऐसी हिंसा से निपटने के लिए अपनी कार्रवाई की तत्परता बढ़ाने के उद्देश्य वाले उपयुक्त उपाय करें। परामर्शी पत्र के पैरा xxx में विशेष रूप से यह सलाह दी गई है कि 'तथा कथित ऑनर किलिंग द्वारा महिला के अधिकारों का उल्लंघन करने, कुछ उत्तरी राज्यों में जबरन शादी तथा अन्य प्रकार की हिंसा को रोकने, के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए।

इंक्लेवों की अदला-बदली

2858. श्री अब्दुल रहमानः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बांग्लादेश के साथ इंक्लेवों की अदला-बदली को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बांग्लादेश द्वारा कब्ज़ा किए गए 92 चिटमहल (इंक्लेवों) जो लगभग 12000 एकड़ में हैं, को वापस पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इंक्लेवों की नियति का निर्णय लेने के लिए कोई जनमत संग्रह कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) भारत और बांग्लादेश के बीच भू-सीमा के सीमांकन तथा संबद्ध मामले, 1974 के संबंध में दिनांक 06-07, सितम्बर, 2011 को प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे के दौरान करार के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रोटोकॉल में, बिना सीमांकन की भू-सीमा तथा प्रतिकूल कब्जे वाली बस्तियों एवं भू-भागों के आदान-प्रदान से संबंधित पुराने भू-सीमा मुद्दों का निराकरण दिया गया है। यह दोनों देशों की सरकारों द्वारा अभिपुष्ट किए जाने के अध्यधीन है तथा यह अभिपुष्टि के लिखतों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रवृत्त होगा। उक्त प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप बांग्लादेश में 111 भारतीय बस्तियों तथा भारत में 51 बांग्लादेश की बस्तियों का आदान-प्रदान किया जाएगा तथा प्रतिकूल कब्जे वाले भू-भागों पर यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। यह प्रोटोकॉल जमीनी स्थिति पर आधारित है और इसमें उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की इच्छाओं का ध्यान रखा गया है तथा संबंधित राज्य सरकारों से गहन परामर्श करके तैयार किया गया था।

फेरीवालों का संरक्षण

2859. श्री एल. राजगोपालः
श्री एस.एस. रामासुब्बूः
श्री के. सुगुमारः
श्री एस. अलागिरीः
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में फेरीवालों को संरक्षण और मौद्रिक सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार शहरों/कस्बों में फेरीवालों और हाकरों को आजीविका आधार और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए केन्द्रीय विधान लाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इसके अधिनियमन की संभावना है; और

(ङ) पुलिस और सीविल पदाधिकारियों के हाथों इस वर्ग के किसी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए क्या कार्य योजना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) जी हां। पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2012 लोक सभा में 6 सितम्बर 2012 को प्रस्तुत किया गया था। माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने जांच के लिए यह विधेयक शहरी विकास से संबंधित स्थायी समिति को भेज दिया है।

प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के अंतर्गत एक घटक के रूप में शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। इस घटक का लक्ष्य देश के शहरी क्षेत्रों में गरीबी पथ विक्रेताओं को ऋण सहायता प्रदान करना और उनके कार्य में दक्ष बनाना होगा।

(ङ) प्रस्तावित 'पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2012' के अध्याय IX के खण्ड 29 में यह प्रावधान किया गया है कि पथ विक्रेता के विक्रय संबंधी प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार पथ विक्रय संबंधी क्रियाकलाप करने वाले किसी भी पथ विक्रेता, को यथा समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति अथवा पुलिस अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसे आधिकारों का प्रयोग करने से नहीं रोका जाएगा।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

2860. **श्री जफर अली नकवी:**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में स्थापना के लिए प्रस्तावित दूरदर्शन (डीडी) और आकाशवाणी (ए.आई.आर.) केन्द्रों की दूरदर्शन/आकाशवाणी तथा राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे डी.डी./ए.आई.आर. केन्द्रों और टायरों की स्थापना के लिए चिन्हित स्थान कौन-कौन से हैं तथा इनकी कब तक स्थापना किए जाने एवं इन्हें कार्यरत बनाए जाने की संभावना है;

(ग) देश में ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र नहीं हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों से दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्तावों में से प्रत्येक पर दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र-वार और राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) देश के सभी क्षेत्रों को दूरदर्शन/आकाशवाणी नेटवर्क से कब तक जोड़ने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन की अलग-अलग 12वीं योजना स्कीमों को अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(ग) वर्तमान में दूददर्शन नेटवर्क में 67 स्टूडियो केन्द्र और 1415 टी.वी. ट्रांसमीटर (एच.पी.टी.-214, एल.पी.टी.-812, बी.एल.पी.टी.-389) हैं। स्थलीय ट्रांसमीटरों द्वारा शामिल न किए गए सभी क्षेत्रों और देश के शेष हिस्से को दूरदर्शन की फ्री-टु-एअर डी.टी.एच सेवा 'डी.डी. डायरेक्ट प्लस' के माध्यम से बहुचैनल टी.वी. कवरेज प्रदान किया जाता है।

जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, आकाशवाणी की प्रसारण सेवा पूरे देश में स्थापित किए गए 461 ए.एम./एफ.एम. ट्रांसमीटरों के माध्यम से 91.87% क्षेत्रफल के स्थलीय कवरेज के साथ देश के 99.19% आबादी को प्रदान की जाती है और इसके दायरे में न शामिल 8.13% क्षेत्रफल में रहने वाली देश की केवल 0.81% आबादी को स्थलीय रेडियो नेटवर्क के माध्यम से आकाशवाणी के कार्यक्रमों की सेवाएं नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी के 21 रेडियो चैनल (कार्यक्रम) पूरे देश में डी.डी. डायरेक्ट प्सस डी.टी.एच. प्लेटफार्म (केयू-बैण्ड) के माध्यम से उपलब्ध हैं जिनमें (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर) वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां स्थलीय ट्रांसमिशन का कवरेज नहीं है।

कवर से बाहर के क्षेत्र प्राय: कम आबादी वाले, ऊंचाई पर बसे पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जिनमें जम्मू-कश्मीर राज्य के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्से, राजस्थान राज्य के पश्चिमी सीमा क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पूर्वी सीमा क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वोत्तर के सीमावर्ती अन्य राज्य शामिल हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त नए दूरदर्शन केन्द्रों/ट्रांसमीटरों हेतु प्रस्ताव नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित नए दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या	राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित नए ट्रांसमीटरों की संख्या
2009-10	6	5
2010-11	शून्य	1
2011-12	शून्य	3
2012-13	शून्य	शून्य
(नवम्बर, 2012 तक)		

टीवी कवरेज के विस्तार हेतु ट्रांसमीटरों (सीमा क्षेत्रों के लिए कुछ को छोड़कर) की अभिकल्पना फिलहाल नहीं है।

विगत तीन वर्षों (और चालू वर्ष) में प्रत्येक के दौरान राज्यों की ओर से आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना के लिए आकाशवाणी द्वारा प्राप्त किए गए प्रस्तावों और उनमें से प्रत्येक के संबंध में की गई कार्रवाई की राज्य-वार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) स्थलीय मोड में, टीवी कवरेज देश के लगभग 81% क्षेत्रफल में बसी लगभग 92% आबादी को उपलब्ध है। स्थलीय ट्रांसमीटरों के दायरे में न शमिल किए गए सभी क्षेत्रों और देश के शेष हिस्से में दूरदर्शन की फ्री-टु-एअर डी.टी.एच. सेवा 'डी.डी. डायरेक्ट प्लस' के माध्यम से बहुचैनल टीवी कवरेज प्रदान किया गया है। स्थलीय कवरेज के विस्तार हेतु नए ट्रांसमीटरों (सीमा क्षेत्रों में कुछ को छोड़कर) की अभिकल्पना फिलहाल नहीं है।

देश के सभी क्षेत्र आकाशवाणी चैनलों द्वारा स्थलीय ट्रांसमिशन द्वारा या सैटेलाइट मोड के माध्यम से पहले ही कवर किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के 21 रेडियो चैनल (कार्यक्रम) पूरे देश में, जिनमें (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्र को छोड़कर) स्थलीय ट्रांसमिशन द्वारा कवर न किए गए क्षेत्र भी शमिल हैं, डी.डी. डायरेक्ट प्लस डी.टी.एच. प्लेटफार्म (केयू-बैण्ड) के माध्यम से उपलब्ध है।

विवरण

रेडियो केन्द्र स्थापित करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव

क्र.सं.	स्थान	राज्य	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
2009-10			
1.	शिमोगा	कर्नाटक	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। यद्यपि, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन/स्वीकृति होना शेष है।
2.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर पहले ही कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, एक 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर भी संस्थापित किया जा रहा है।
2010-11			
1.	भावनगर	गुजरात	एक 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर संस्थापित किया जा रहा है। इसके साथ-साथ, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन/स्वीकृति होना शेष है।
2.	अनूपपुर	मध्य प्रदेश	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।
3.	फूलबनी	ओडिशा	एक 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर संस्थापित किया जा रहा है।
4.	मोन और येनसांग	नागालैंड	दोनों स्थानों पर 1 किलोवाट मीडियम वेव (सी.आर.एस.) पहले से ही कार्यरत है। इसके साथ-साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटरों का 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन/स्वीकृति होना शेष है।
5.	सिक्किम (उत्तर, दक्षिण और पश्चिम जिले)	सिक्किम	वर्तमान में इन स्थानों हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

1	2	3	4
6.	रामपुर	उत्तर प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर पहले से ही चालू है।
7.	मालदा, चंचल	पश्चिम बंगाल	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। यद्यपि, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन/स्वीकृति होना शेष है।
2011-12			
1.	पेरिनथमन्ना	केरल	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।
2.	मिनीकॉय तथा लक्षद्वीप के अन्य मुख्य द्वीप समूह	लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)	वर्तमान में इन स्थानों हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।
3.	पन्ना (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। यद्यपि, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन/स्वीकृति होना शेष है।
4.	फूलबनी	ओडिशा	एक 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर संस्थापित किया जा रहा है।
5.	मुक्तसर	पंजाब	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।
2012-13			
1.	सतना	महाराष्ट्र	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।
2.	हरदा	मध्य प्रदेश	एक 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर संस्थापित किया जा रहा है।
3.	गोड्डा जिला	झारखंड	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।
4.	बंकुरा	पश्चिम बंगाल	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

संसाधनों का इष्टतम उपयोग

2861. श्री एम.के. राघवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत कृषि परिव्यय में भारी वृद्धि के संदर्भ में संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु कृषि विकास में योजना प्रबंधन और क्रियान्वयन के अभिसरण पर क्या बल दिया गया है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्र में अन्य हस्तक्षेपों द्वारा सृजित किए जाने वाले अवसरों के लिए केरल हेतु तैयार की गई जिला कृषि योजनाओं (डी.ए.पी.) और राज्य कृषि योजनाओं (एस.ए.पी.) का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कार्यकलापों जिन्हें डी.ए.पी. में स्थान नहीं मिल सकता के लिए डी.ए.पी. और एस.ए.पी. में निधियों के प्रभाजन के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा डी.ए.पी./एस.ए.पी. के अंतर्गत पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा मत्स्यन क्षेत्र की निवेश संबंधी आवश्यकताओं हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन योजनाओं की सफलता दर कितनी है और इन स्कीमों के व्यापक कार्यान्वयन हेतु कौन से अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) इस स्कीम में

अन्य वर्तमान स्कीमों, जिला, राज्य या केन्द्रीय स्कीमों से उपलब्ध संसाधनों को शामिल करके एक जिला कृषि योजना (डी.ए.पी.) तैयार किए जाने का प्रावधान है। डी.ए.पी.ज का उद्देश्य जिले के कृषि एव समवर्गी क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यकताओं को प्रक्षेपित किए जाने की ओर अग्रसर होना तथा जिले के समग्र विकास परिदृश्य के भीतर कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है।

इस स्कीम में राज्यों द्वारा जिला योजनाओं को एकीकृत करके एक व्यापक राज्य कृषि योजना (एस.ए.पी.) तैयार किया जाना और इस तरह से समभिरूपता सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित है।

(ख) केरल सरकार ने अब तक राज्य के केवल 13 जिलों के संबंध में ही डी.ए.पी.ज तैयार की हैं। राज्य सरकार ने अभी तक यथा परिकल्पित राज्य कृषि योजना (एस.ए.पी.) तैयार नहीं की है।

(ग) और (घ) कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों के किसी विशिष्ट घटक के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अधीन आवंटन नहीं किया जाता है। राज्यों को स्कीम के तहत योजनाएं बनाने और ऐसी परियोजनाओं/कार्यकलापों को चुनने का लचीलापन है जो उनके विचार से संबंधित राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार चुने गए क्षेत्रों में उत्पादन व उत्पादकता बढाने के लिए सर्वाधिक अनुकूल हो।

(ङ) केरल राज्य सरकार ने आर.के.वी.वाई. के अधीन 11वीं योजना के दौरान पशुपालन, डेयरिंग और मत्स्यिकी सहित 846 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं, जिनमें से 628 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

प्राकृतिक आपदा का खतरा

2862. **श्री सी.आर. पाटिल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुदुचेरी राज्य में कुछ स्थापनाओं विशेषकर पुदुचेरी विश्वविद्यालय को सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसी सुभेद्य संस्थाओं को सुरक्षित स्थानों पर पुन:स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज और लॉ कॉलेज, पुदुचेरी जैसी स्थापनाएं समुद्र तट से काफी दूर स्थित हैं। पुदुचेरी विश्वविद्यालय तट से 20 मीटर की ऊंचाई और 720 मीटर की दूरी पर स्थित है। दिसम्बर, 2004 में आई सुनामी के दौरान उपर्युक्त किसी भी स्थापना को कोई भी क्षति नहीं हुई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

खेलों को बढ़ावा देना

2863. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:**
श्री जगदीश सिंह राणा:
श्री गणेश सिंह:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खेल संघ (एन.एस.एफ.) देश में खेलों की दशा के लिए अकेला जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या देश में खेल संस्कृति की कमी देश में खेल की दयनीय दशा के लिए मुख्य कारण है;

(घ) यदि हां, तो खेल के प्रति अभिभावकों और समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश में खेल के स्तरों में सुधार लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) किसी भी खेल विधा के विकास और संवर्धन का मुख्य दायित्व संबंधित मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों का है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ सम्मत दीर्घावधि विकास योजनाओं के अनुसार उपस्कर और उपभोज्य सामग्री की खरीद, भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन करने, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों/टीमों की भागीदारी तथा भारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के

खिलाड़ियों/टीमों के प्रशिक्षण/कोचिंग के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उनके प्रयासों को पूरा करती है। सरकार राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 जिसमें अन्य बातों सहित पदाधिकारियों की आयु और कार्यकाल की सीमा का उल्लेख किया गया है, के कार्यान्वयन के जरिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों में सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

(ग) यह सच है कि खेल संस्कृति का अभाव खेलों के क्षेत्रों में देश के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार कारक है।

(घ) देश के बच्चों और युवाओं में खेल संस्कृति की भावना उत्पन्न करने और खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने अनेक नीतिगत उपाय/कार्यक्रम शुरू किए हैं, यथा बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 जिसके अंतर्गत अन्य बातों सहित प्रत्येक विद्यालय के लिए एक खेल का मैदान; उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के लिए एक अंशकालिक अनुदेशक, विद्यालयों में यथावश्यक खेल सामग्री, खेल-कूद उपस्कर की आपूर्ति, 10वीं कक्षा तक प्रतिदिन खेलों के लिए एक अनिवार्य पीरियड रखना और 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए सप्ताह में 2 पीरियड रखना, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना के द्वारा खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष की अवधि के भीतर एक चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों में बुनियादी खेल मैदानों की व्यवस्था करना और ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संगठित खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी मुहैया कराना, शहरी खेल अवसंरचना योजना के अंतर्गत शहरी खेल अवसंरचना का सृजन और विकास, 'आओ और **खेलो स्कीम'** लागू करके देशभर में नाममात्र शुल्क से साई की **खेल सुविधाएं** मुहैया कराना, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में समूह 'ग' तथा पूर्ववर्ती समूह 'घ' में सीधी भर्ती द्वारा 5 प्रतिशत रिक्तियां मेधावी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करना, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन तथा पेंशन मुहैया कराना आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं तथा 'राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम', 'शहरी खेल अवसंरचना स्कीम', 'राष्ट्रीय खेल विकास निधि', और 'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान' के माध्यम से खेलों के स्तर में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रतियोगिताएं आयोजित करने, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने और खेल अवसंरचना आदि का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण भी अपनी विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन.एस.टी.सी.) सैन्य बाल खेल कंपनी योजना, साई प्रशिक्षण केंद्र (एस.टी.सी.) योजना, विशेष क्षेत्र खेल योजना तथा उत्कृष्टता केंद्र योजना के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत योग्य कोचों के माध्यम से खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना

2864. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता सहित संचालित/मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों (एन.एस.एफ.) का संघ-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में एन.एस.एफ. और अन्य खेल संस्थाएं उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के मामले में अभी भी चूक कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अंतर्ग्रस्त राशि सहित ऐसे संघों की संख्या का संघ-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे संघों/खेल निकायों को सरकार द्वारा आबंटित निधियों की वसूली (पुन:प्राप्ति) करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ऐसे खेले संघों के नाम क्या हैं जिन्हें कार्यालय-स्थल आबंटित किए गए हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई गई?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान जिन राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है, उनका परिसंघ-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) केवल कुछेक राष्ट्रीय खेल परिसंघों से उपयोग प्रमाण पत्र नहीं हुए हैं, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल परिसंघों के नाम	वर्ष	लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	संबंधित धन राशि (रु.)
1.	स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया	2009-10	1	10,99,980 रु.
2.	हॉकी (तदर्थ समिति)	2009-10	1	8,02,600 रु.
3.	भारतीय वुशु संघ	2009-10	3	7,17,540 रु.
4.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ	2009-10	3	9,05,625 रु.
5.	भारतीय पैरालंपिक समिति	2010-11	1	68,263 रु.
6.	अखिल भारतीय टेनिस एसोसिएशन	2011-12	2	6,00,000 रु.

(घ) इन मामलों में की गई कार्रवाई के अंतर्गत आवंटित निधियों की वसूली प्राप्त करना शामिल है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को अगला अनुदान पूर्ववर्ती अनुदानों के लेखाओं का निपटान होने के बाद ही जारी किया जाता है।

(ङ) सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों को कोई कार्यालय स्थल आवंटित नहीं करती है और इस समय इस संबंध में ऐसी कोई नीति भी नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना से पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अक्तूबर, 2012 तक) में राष्ट्रय खेल परिसंघों को जारी किए गए अनुदान (सी.डब्ल्यू.जी. 2010 और ओपेक्स, 2012 के लिए टीमें तैयार करने की योजना से जारी किए गए अनुदानों सहित)

(लाख रु.)

क्र. सं.	परिसंघ का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	भारतीय एथलेटिक परिसंघ, नई दिल्ली	309.94	308.30	790.00	61.03	1469.27
2.	भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली	360.31	42.10	606.00	128.32	1136.73
3.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ, चेन्नै	163.00	180.05	162.13	142.73	647.91
4.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नई दिल्ली	658.45	509.53	1440.00	426.84	3034.82
5.	अखिल भारतीय टेनिस संघ, नई दिल्ली	263.81	256.64	11.29	18.90	550.64
6.	भारतीय जूडो परिसंघ, नई दिल्ली	49.66	62.33	425.00	58.28	595.27
7.	भारतीय रोइंग परिसंघ सिकंदराबाद	88.79	64.71	319.00	37.49	509.99
8.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली	375.51	356.36	360.00	320.29	1412.16
9.	भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद	125.07	35.36	122.00	88.55	370.98
10.	भारतीय स्क्वैश रैकेट परिसंघ, चेन्नै	168.25	146.54	68.40	3.27	386.46
11.	भारतीय एमेच्योर बाक्सिग परिसंघ, नई दिल्ली	174.30	165.89	1531.00	171.39	2042.58
12.	हॉकी (पु.) एवं हॉकी (महिला) एसोसिएशन	762.82	435.76	1809.00	347.24	3354.82

1	2	3	4	5	6	7
13.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली	101.13	116.53	567.00	189.24	973.90
14.	भारतीय बैडमिंटन संघ	435.48	150.71	910.00	277.78	1773.97
15.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ, नई दिल्ली	5.05	0.00	0.00	8.94	13.99
16.	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ-दिल्ली	41.90	610.51	174.99	206.22	1033.62
17.	भारतीय गोल्फ यूनियन, नई दिल्ली	16.43	41.69	23.53	45.85	127.50
18.	भारतीय कुश्ती परिसंघ, आई.जी. स्टेडियम, दिल्ली	470.00	153.98	983.00	449.38	2056.36
19.	भारतीय यार्टिंग संघ, नई दिल्ली	147.85	85.95	255.00	50.38	539.18
20.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ, जयपुर	11.77	10.00	121.00	6.19	148.96
21.	भारतीय वालीबाल परिसंघ, चेन्नै	73.91	150.53	84.68	114.39	423.51
22.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, जोधपुर	87.80	18.43	636.00	0.00	742.23
23.	भारतीय एमेच्योर हैण्डबाल परिसंघ, जम्मू-कश्मीर	13.55	46.44	78.70	15.62	154.31
24.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ, नई दिल्ली	61.60	24.24	227.89	40.23	353.96
25.	भारतीय फेंसिंग संघ, पटियाला	30.56	174.06	36.06	9.00	249.68
26.	भारतीय कयाकिंग व केनोइंग संघ, नई दिल्ली	26.21	0.00	185.72	36.45	248.38
27.	बधिरों हेतु अखिल भारतीय खेल परिषद, नई दिल्ली	23.98	47.65	75.82	138.84	286.29
28.	भारतीय पैरालंपिक समिति, बंगलौर	142.83	221.39	13.38	147.73	525.33
29.	विशेष ओलंपिक भारत, नई दिल्ली	3.81	12.00	285.89	9.00	310.70
30.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली	13.58	23.77	10.96	4.49	52.80
31.	अखिल भारतीय कराटे डू परिसंघ चेन्नई	0.00	10.18	0.00	0.00	10.18
32.	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ, नई दिल्ली	12.49	14.75	12.75	5.00	44.99
33.	भारतीय आत्या-पत्या परिसंघ, नागपुर	5.92	12.00	10.50	11.00	39.42
34.	भारतीय साइकल पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	9.34	7.76	12.00	16.29	45.39
35.	भारतीय पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन	11.50	0.00	0.00	0.50	12.00
37.	भारतीय खो-खो परिसंघ, कोलकाता	4.50	7.50	16.50	16.00	44.50
38.	भारतीय कोर्फबाल परिसंघ, नई दिल्ली	13.31	5.50	2.50	0.00	21.31
39.	भारतीय नेटबाल परिसंघ, नई दिल्ली	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
40.	भारतीय सेपक टाकरों परिसंघ, नागपुर	8.00	12.00	12.00	1.00	33.00
41.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ, नई दिल्ली	12.00	12.00	12.00	0.00	36.00

1	2	3	4	5	6	7
42.	भारतीय साफ्टबाल परिसंघ, इंदौर	12.25	13.75	11.75	13.50	51.25
43.	भारतीय ताइक्वांडों परिसंघ, बंगलौर	11.89	55.10	490.00	28.05	585.04
44.	भारतीय टेनीक्वाइट परिसंघ, बंगलौर	9.00	19.75	15.25	7.75	51.75
45.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर	5.00	9.00	8.50	0.00	22.50
46.	भारतीय रस्काकशी परिसंघ, नई दिल्ली	9.75	16.00	11.25	9.00	46.00
47.	भारतीय वुशू संघ, नई दिल्ली	30.91	0.00	90.56	74.86	196.33
48.	भारतीय बिलियडर्स एवं स्नूकर परिसंघ, कोलकाता	38.87	50.11	50.20	54.68	193.86
49.	भारतीय रग्बी फुटबाल यूनियन, मुम्बई	2.02	1.41	0.00	0.00	3.43
50.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.	भारतीय साईक्लिंग परिसंघ, दिल्ली	49.78	82.34	0.00	24.29	156.41
52.	भारतीय मलखंभ परिसंघ	0.16	11.50	0.00	0.00	11.66
53.	एमेच्योर सोफ्ट टेनिस परिसंघ, अहमदाबाद	10.75	14.75	11.75	11.21	48.46
54.	भारतीय ब्रिज परिसंघ	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50
55.	आईस हॉकी (एन.एस.पी.ओ.) नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56.	भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ, भोपाल	43.54	5.20	0.00	0.00	48.74
57.	भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, नई दिल्ली	204.00	1324.60	39.54	172.35	1740.49
58.	भा.खे.प्रा., जे.एन. स्टेडियम, नई दिल्ली	2000.00	3700.16	322.00	3370.00	9392.16
59.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एन.एस.पी.ओ.)	158.45	381.00	160.89	6.61	706.95
60.	भारतीय टेनपिन परिसंघ	0.00	55.10	0.00	0.00	55.10
61.	भारतीय बालिंग परिसंघ	56.86	64.27	0.00	0.00	121.13
62.	भारतीय बाल बैटमिंटन परिसंघ	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
63.	भारतीय जम्प रोप परिसंघ	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
		7992.64	10337.18	13603.38	7386.65	39319.85

[हिन्दी]

जल का उपयोग

2865. **श्री सैयद शाहनबाज हुसैन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बोतलबंद मिनरल वाटर के उत्पादन और व्यापार हेतु प्रत्येक वर्ष उपयोग किए जा रहे जल की मात्रा से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विषय पर किए गए बहुत से अनुसंधानों द्वारा यह भी आकलन किया गया है कि इस व्यापार द्वारा जल का निगमीकरण किया जा रहा है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) ऐसी कोई जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जा रही है।

[अनुवाद]

मृदा की गुणवत्ता

2866. श्री वैजयंत पांडा:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री वरुण गांधी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए कोई अध्ययन किया है जहां मृदा कुपोषित है और उसमें प्रमुख पोषक तत्वों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में मृदा की गुणवत्ता फिर से बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाये है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मृदा के स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार हेतु नेशनल प्रोजेक्ट आन मैनेजमेंट आफ सोयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (एन.पी.एम.एस.एच. एण्ड एफ.) के अंतर्गत किसानों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में अभी तक स्थापित मृदा परीक्षण केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान (आई.आई.एस.एस.) द्वारा विभिन्न राज्यों में नाईट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी) तथा पोटेशियम (के) की स्थिति को दर्शाने वाला अध्ययन कराया गया है। कम, मध्यम अथवा उच्च श्रेणी में वर्गीकृत किए गए राज्य-वार जिले संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं। उन जिलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जहां फास्फोरस अथवा पोटेशियम नाइट्रोजन कम मात्रा में पाया जाता है।

इसके अलावा अखिल भारतीय सूक्ष्म पोषक समन्वित अनुसंधान परियोजना (एच.आई.सी.आर.पी.) ने यह दर्शाया है कि सूक्ष्मपोषकतत्वों में जिंक (जेड.एच.), सल्फर (एस) तथा बोरोन (एस) तथा बोरोन (बी) में क्रमशः 49%, 41% तथा 33% नमूनों में कमी पाई गई। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) देश में बेहतर मृदा स्वास्थ्य को सतत बनाए रखने के लिए पौध पोषकतत्वों के अजैविक तथा जैविक दोनों स्त्रोतों के संयुक्त प्रयोग के जरिए मृदा परीक्षण आधारित संतुलित तथा समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की अनुशंसा कर रही है। इसके अतिरिक्त फलीदार फसलों की खेती को भी बढ़ावा दिया गया है। परिषद ने विभिन्न जैविक अपशिष्टों से कम्पोस्ट तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। इसके अलावा, जैव-उर्वरक संबंधी नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत विशेष रूप से विभिन्न फसलों के लिए तथा मृदा प्रकारों के उन्नत और फलोत्पादक कृत्रिम मिश्रण विकसित किए जा रहे हैं। आई.सी.ए.आर. इन पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, फ्रंटलाईन प्रदर्शनों आदि का आयोजन भी करता है।

राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना (एन.पी.एम.एस.एच. एवं एफ.) 2008-09 से शुरू की गई जिससे कि उर्वरकों के संतुलित प्रयोग कर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों के माध्यम से, उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित एवं उचित प्रयोग को बढ़ावा देना है।

(ङ) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना (एन.पी.एम.एस.एच. एवं एफ.) के अंतर्गत क्षेत्र प्रदर्शन एवं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आई.एन.एम.) के संवर्धन के घटकों के लिए किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दी गई राज्यवार वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(च) देश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

एन.पी. और के.के. कम, मध्यम और उच्च श्रेणी में वर्गीकृत राज्यवार जिले

क्र.सं.	राज्य	एन.पी.के. की स्थिति	जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	एन कम	आदिलाबाद, चित्तूर, कडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गूंटूर, प्रेम नगर, खम्माम, कृष्णा, कूर्नूल, महबूबनगर, निजामाबाद, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वारांगल, पश्चिम गोदावरी
		एन मध्यम	अन्नतपुर, हैदराबाद, मेडक, नालगौंडा, निल्लौर, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम
		एन उच्च	शून्य
		पी कम	आदिलाबाद, अनन्तपुर, चित्तूर, कडप्पा, गूंटूर, हैदराबाद, करीम नगर, खम्माम, कृष्णा, कूर्नूल, महबूबनगर, मेडक, नारगोंडा, निल्लौर निजामाबाद, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, वारांगल
		पी मध्यम	पूर्वी गोदावरी, प्रकाशम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, पश्चिम गोदावरी
		पी उच्च	—
		के निम्न	—
		के मध्यम	पूर्वी गोदवरी, निजामाबाद, रंगारेड्डी
		के उच्च	आदिलाबाद, अनन्तपुर, चित्तूर, कडप्पा, गूंटूर, हैदराबाद, करीम नगर, खम्माम, कृष्णा, कूर्नूल, महबूबनगर, मेडक, नारगोंडा, निल्लौर, प्रकाशम श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वारांगल, पश्चिम गोदावरी
2.	असम	एन निम्न	बुगाईगांव, बोपेटा, चिरांग, दरांग, कोकराझार, मोरीगांव, एन.सी. पहाडियां, नलबरी
		एन मध्यम	कछार, धेमाजी, ढूबरी, डिब्रूगढ़, गोलपाड़ा, गोलाघाट, हलालपन्डी, जोरहाट, कामरूप, करवी, आंगलिंग, करीमगंज, लखीमपुर नौगांव, शिवसागर, सोनितपुर, तिनसुकिया, उदलगिरि
		एन उच्च	—
		पी निम्न	जोरहाट, करबी, आंगलिंग, उदलगिरि
		पी मध्यम	बोगांईगांव, बोरपेटा, कछार, चिरांग, दरांग, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, ग्वालापाड़ा, गोलाघाट, हैलालकंडी, कामरूप, करीमगंज, कोकराझार, लखीमपुर, मोरी गांव, एन.सी. पहाड़ियां, नौगांव, नलबड़ी, शिवसागर, सोनितपुर, तिनसुकिया
		पी उच्च	—
		के निम्न	निचला बोंगाईगांव, कछार, चिरांग, गोलाघाट, हलालकंडी, जोरहाट, करीमगंज, कोकराझार, एन.सी. पहाड़ियां, नवगांव, शिवसागर, उदलगिरि

1	2	3	4
		के मध्यम	बारपेटा, दरांग, धेमाजी, धुवरी, ग्वालपाड़ा, कामरूप, लखीमपुर, मोरीगांव, नलबड़ी, सोनितपुर, तिनसुखिया
		के उच्च	डिब्रूगढ़, करबी आंगलिंग
3.	छत्तीसगढ़	के निम्न	निचला बस्तर, दांतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, कांकेर, कवरधा, महासमंद, रायपुर, राजनन्द गांव
		के मध्यम	बैंकुठपुर, बिलासपुर, जांजगीर, जसपुर, कोरबा, कोरिया, राजगढ़, सरगूजा
		एन उच्च	—
		पी निम्न	बस्तर, दांतेबाड़ा, धमतरी, कोरबा, महासमंद,
		पी मध्यम	बैंकुठापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगिर, जसपुर, कवधा, कोरिया, राजगढ़, नंदगाव, सरगूजा
		पी उच्च	—
		के निम्न	बस्तर, दांतेवाड़ा, कांकेर
		के मध्यम	धमतरी, महासमंद, रायपुर, राजनन्दगांव
		के उच्च	बैंकुठपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जसपुर, कवरधा, कोरबा, कोरिया, राजगढ़, सरगूजा
4.	गुजरात	एन निम्न	अमरेली, बनासकांठा, भरौंच, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, महसाना, नर्मदा, पाटन, साबरकंठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वडोदरा
		एन मध्यमं	आनन्द, भावनगर, लाहौद, डांग, खेड़ा, नौसारी, पंचमहल, बलसाड़
		एन उच्च	जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट
		पी निम्न	बनासकांठा, भूरूच, भावनगर, दाहोद, महसाना, नर्मदा, नौसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, बलसाड़
		पी मध्यम	अमरेली, आनन्द, डांग, गांधीनगर, जामनगर, झूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, वडोदरा
		पी उच्च	—
		के निम्न	—
		के मध्यम	बनासाकांठा, कच्छ, साबरकांठा, बडोदरा
		के उच्च	अमरेली, आनन्द, भूरूच, भावनगर, दाहाद, डांग, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, मेहसाणा, नर्मदा, नौसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, सुरेनद्रनगर, बलसाड़
5.	हरियाणा	एन निम्न	भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झझर, जिंद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर
		एन मध्यम	महेन्द्रगढ़, रोहतक

1	2	3	4
		एन उच्च	—
		पी निम्न	भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झझर, जिंद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर
		पी मध्यम	महेन्द्रगढ़, रोहतक
		पी उच्च	—
		के निम्न	—
		के मध्यम	फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल, पंचकूला, रोहतक, रिवाड़ी, यमुनानगर
		के उच्च	भिवानी, फतेहाबाद, झझर, जिंद, कैथल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, सिरसा, सोनीपत, हिमाचल प्रदेश
6.	हिमाचल प्रदेश	एन निम्न	—
		एन मध्यम	हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, ऊना
		एन उच्च	चम्बा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर, सोलन
		पी निम्न	हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, ऊना
		पी मध्यम	चम्बा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, सिरमौर, सोलन
		पी उच्च	किन्नौर
		के निम्न	चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौज स्पीति, ऊना
		के मध्यम	कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन
		के उच्च	—
7.	कर्नाटक	एन निम्न	कोलार
		एन मध्यम	बंगलौर (ग्रामीण) बंगलौर (शहरी), बेल्लारी, बिदर, बीजापुर, चित्रदुर्ग, देवनगिरि, गुलबर्गा, हासन, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, टूक्कूर
		एन उच्च	बेलगांव, चमराजनगर, चिकमगलौर, कूराग, धारवाड़, गडग, हवेरी, कडोगरी, मांड्या, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, ऊडूपी
		पी निम्न	बेलारी, बीजापुर, हासन, उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड़, उडुपी
		पी मध्यम	बंगलौर (शहरी), बेलगांव, बीदर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, कुर्ग, धारवाड़, गड़क, गुलबर्गा, हवेरी, कोडागीर, कोल्लार, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तुमकूर
		पी उच्च	बंगलौर (ग्रामीण) चामराजनगर, देवांगिरि, मांड्या
		के निम्न	दक्षिण कनन्ड, उडुपी
		के मध्यम	चिक्कमंगलोर, कोलार, मांड्या, कनाडा, शिमोंगा

1	2	3	4
		के उच्च	बंगलौर (ग्रामीण) बंगलौर (शहरी), बेलगांव बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, गडाग, कुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोडागी, मैसूर, रायचूर, तुमकूर
8.	केरल	एन निम्न	कसारागोड, कोल्लम, थिरूबंगाथापुरम
		एन मध्यम	इमाकुलम, इडुकी, कन्नौर, कोट्टाम, कोजीखोड, मालपट्टम, पालक्कड, पथानमथांग, त्रिसूर
		एन उच्च	वयान्डू
		पी निम्न	—
		पी मध्यम	इडुकी, कन्नौर, कसारागोड, कोजीखोड, मालाप्पुरम, पालक्कड, पथांगमथांग, थिरिसूर, वयाडू
		पी उच्च	इमाकुलम, कोलाम, कोट्टाम, थिरूवाडांथापुरम
		के निम्न	—
		के मध्यम	इदुकी, कानूर, कसारगोड, कोलाम, कोट्टायाम, कोजीखोड, मालाप्पुरम, पाथानमथांग, थिरूवलथावपुरम, थिरिसूर, वयान्डू
		के उच्च	एर्नाकुलम, पालक्कड
9.	मध्य प्रदेश	एन निम्न	बीड, चित्तूरपुर, दरिया, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मंदसौर, नीमौच, मुरेना, पटना, रतलाम, शोपू, शिवपुरी, सिधी
		एन मध्यम	अन्नूपुर, बगवाई, बालाघाट, बेतुल, भोपाल, बोडवानी, बुडानपुर, छिंदवाड़ा, दामोह, देवास, दिंदौरी, हरदा, झबूआ, कटनी, खाड़वा, मंडला, नरसिंहपुर, रायसेन, रीवा, सागर, सतना, सियोनी, सादौल, साजापुर, टीकमगढ़ उज्जैन, उमरिया, विदिशा
		एन उच्च	अशोक नगर, गुना, हौशंगाबाद, राजगढ़, सिहोर
		पी निम्न	अशोक नगर, बैतूल, भींड, छतरपुर, दामोह, धारिया, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, झबुआ, कटनी, पन्ना, शिवपुरी, उज्जैन, उमरिया
		पी मध्यम	अन्नूपुर, बेगवाई, बालाघाट, भोपाल, बोडवानी, बरहानपुर, छिंदवाड़ा, हरदा, इन्दौर, खांडवा, खरगोंग, मडला, मंदसौर, नीमच, मुरैना, नरसिंहपुर, रायसेन, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सियोनी, सादौल, साजापुर, सियोहपुर, सिद्दी, टीकमगढ़ विदिशा
		पी उच्च	डिढोरी, गुना, हौशंगाबाद, राजगढ़, सिहोर
		के निम्न	धार, अन्नपुर, बैतुल, ग्वालियर, मुरैना, सागर, सिद्दी
		के मध्यम	अशोक नगर, बालाघाट, दामोह, धरिया, डिडोरी, गूना, हरदा, जबलपुर, कटनी, मंडला, रीवा, सतना, शिवपुरी, टीकमगढ़, उमेरिय
		के उच्च	भागवई, भींड, भोपाल, बडवानी, बुडानपुर, छतरपुर, छिंदवाडा, देवास, हौशंगाबाद, इन्दौर, झबुआ, खांडवा, खरगांव, मंदसौर, नीमच, नरसिंहपूर, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सिहोर, सियोनी, साहदोल, साजापुर, सेवोपुर, उज्जेन, विदिशा

1	2	3	4
10.	महाराष्ट्र	एन. निम्न	अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडरा, बुलधाना, गोंदिया, इंगोली, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नादेड, नासिक, परभानी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरि, सांगली, सतारा, शोलापुर, उस्मानाबाद, वरधा, वासीम, यवतमाल
		एन. मध्यम	धुले, कोल्हापुर, नन्दुलवाड़, सिन्धुदुर्ग, थाणे
		एन. उच्च	—
		पी. निम्न	निम्न अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बुलधाना, धूले, गोंदिया, इंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नादेड़, नन्दूरबार, नासिक, परभानी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरि, सांगली, सतारा, सिन्धुदुर्ग, शोलापुर, उस्मानाबाद, वरधा, वासीम, यवतमाल
		पी. मध्यम	बीड, थाणे
		पी. उच्च	—
		के. निम्न	रायगढ़, सिन्धुदुर्ग
		के. मध्यम	कोल्हापुर, नासिक सांगली, सतारा, थाणे
		के. उच्च	अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलधाना, गोंदिया, धूले, इंगोली, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नादेड़, नन्दूरबार, नासिक, पुणे, रत्नागिरि, शोलापुर, उस्मानाबाद, वरधा, वासीम, यवतमाल
11.	ओडिशा	एन. निम्न	बडरक, बोध, कटक, धेनकनाल, गजपति, गंजम, जगतसिंहपुर, कालाहांडी, केन्द्रपाड़ा, खुर्दा, मंयूरभंज, नवपाड़ा, नयागढ़, भूलबनी, पुरी, सुन्दरगढ़
		एन. मध्यम	बालासौर, बारगढ़, बोलांगीर, देवगढ़, झारसूगुडा, क्योंझर, कोरापुट, मलगांगिरि, नवरंगपुर, रायगढ़, संबलपुर, सोनपुर
		एन. उच्च	—
		पी. निम्न	बालासौर, भदरक, कटक, गजपति, गंजम, झारझूगुडा, क्योंझर, मयूरभंज, नवरंगपुर फूलवानी, संबलपुर
		पी. मध्यम	बारगढ़, बोलांगीर, बोध, देवगढ़, धीनकनाल, जगतसिंहपुर, कालाहांडी, केन्द्रपाड़ा, खुर्द, कोरापुट, मलूकानगिरि, नवपाड़ा, नयागढ़, पुरी, सोनपुर, सुन्दरगढ़
		पी. उच्च	—
		के. निम्न	कटक, गंज्जम, नयागढ़
		के. मध्यम	बालासौर, बारगढ़, बडरक, देवगढ़, धेनकनाल, गजपति, जगतसिंहपुर, झारसूगुडा, कालाहांडी, केन्द्रपाड़ा, खुर्दा, कोरापूट, मलकांगगिरि नवपाड़ा, नयागढ़, पुरी, सुन्दरगढ़
		के. उच्च	बोलांगीर, बौद्ध, क्योंझर, मयूरभंज, फुलबनी, सम्बलपुर, सोनपुर

1	2	3	4
12.	पंजाब	एन निम्न	भटिंडा, फरीदकोट, फिरोपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालन्धर, कपूरथला, लुधियाना, मनसा, मोंगा, मुक्तेसर
		एन मध्यम	फतेहगढ़ साहिब, नवा शहर, पटियाला, रोपड़, संगरूर
		एन उच्च	—
		पी निम्न	—
		पी मध्यम	फरीदकोट, फिरोजपुर, मंदसा, मोगर, मुक्तेसर, नवाशहर, पटियाला, संगरूर
		पी उच्च	भटिंडा, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, रोपड़
		के निम्न	—
		के मध्यम	होशियारपुर, रोपड़
		के उच्च	भटिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मनसा, मोंगा, मुक्तेसर, नवाशहर, पटियाला, संगरूर
13.	राजस्थान	एन निम्न	अलवर, बांसवाड़ा, बारान, भरतपुर, बाडमेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धोलपुर, दुर्गापुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुंझनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागपुर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरही, श्रीगंगानगर, टोंक
		एन निम्न	भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, उदयपुर
		एन उच्च	—
		पी निम्न	भरतपुर, बाडमेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, दुर्गापुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, सिरही, श्रीगंगानगर
		पी मध्यम	अलवर, बांसवाड़ा, बारान, भीलवाड़ा, बूंदी चित्तोड़गढ़, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, उदयपुर
		पी उच्च	—
		के निम्न	—
		के मध्यम	बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, राजसमंद
		के उच्च	अलवर, बारा, बाड़मेर, चित्तोड़गढ़, चूरू, दौसा, दुर्गापुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझनू, जोधपुर, करोली, कोटा, नागपुर, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, सिरही, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर
14.	तमिलनाडु	एन निम्न	कोयम्बटूर, कुड्डालोर, धरमपुरी, तिन्डीगुल, इरोड, फुद्दूकोटाई, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, कारूल, मदुई, नागापट्टनम, नमक्कल, पीरांमबलूर, रामनाथपुरम, सलेम, शिवागंगई, तंजावर, थेनी, थीरूआलूर, थिरूबारुर, थुट्टकुडी, तिरूअंतमलाई, तिरूबरूर, त्रिचिरापल्ली, बेल्लोर, बीलूपुरम, बिरूद्धनगर

1	2	3	4
		एन. मध्यम	सलेम
		एन. उच्च	निलगिरि
		पी. निम्न	कांचीपुरम, शिवगंगाई, थुटुककुडी, त्रिचिरापल्ली
		पी. मध्यम	कुड्डालौर, धर्मपुरी, दिंडीगुल, इरोड, कन्याकुमारी, कारूर, नमाकल, सलेम, थेनी, बिल्लूपुरम, विरुद्धनगर
		पी. उच्च	कोयम्बटूर, फुड्डुकोटाई, मदुरई, नागापट्टनम, नीलगिरि, पीरांमबलूर, रामनाथपुरम, तंजावर, थिरिवलूर, थिरुवलामल्लाई, त्रिवलूर, वेल्लौर
		के. निम्न	अरियालूर
		के. मध्यम	कुड्डालौर, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करूर, नामाकल, थिरूलर, बिल्लूपुरम
		के. उच्च	कोयम्बटूर, धमरपुरी, तिन्डीगुल, फुद्दूकोटाई, मदुरई, नागापट्टनम, नीलगिरि, पीरांमबलूर, रामनाथपुरम, सलेम, शिवागंगाई, तंजावर, थेनी, थिरूबारूर, थुट्टकुडी, तिरूअंतमलाई, तिरूबरूर, त्रिचिरापल्ली, बेल्लोर, बिरुद्धनगर
15.	उत्तर प्रदेश	एन. निम्न	आजमगढ़, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, औरइया, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, जोतिबाफूलनगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, काशीरामनगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललीतपुर, लखनऊ, लखीमपुर, महाराजागंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा-मरू, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, सहारनपुर, संतकबीर नगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, श्रीवस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी
		एन. मध्यम	मिर्जापुर, संत रवीदासनगर
		एन. उच्च	—
		पी. निम्न	आजमगढ़, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, औरइया, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, जोतिबाफूलनगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, काशीरामनगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललीतपुर, लखनऊ, लखीमपुर, महाराजागंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा-मरू, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, सहारनपुर, संतकबीर नगर, संत रवीदासनगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, श्रीवस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी
		पी. मध्यम	हरदोई

1	2	3	4
		पी उच्च	—
		के निम्न	—
		के मध्यम	आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, औरइया, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, गौदमबुद्धनगर, गाजीपुर, गोरखपुर, जोतिबाफूलनगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर, महाराजागंज, महोबा, मथुरा, मरू, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीर नगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, श्रीबस्ती, सुल्तानपुर, वराणसी।
		के उच्च	आगरा, अलीगढ़, इलहाबाद, बंदायूं, बुलन्दशहर, एटा, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, हरदोई हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, काशीरामनगर, कौशाम्बी, ललीतपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मिर्जापुर, रायबरेली, संत रवीदासनगर, सोनभद्र, उन्नाव
16.	उत्तराखंड	एन निम्न	देहरादून, टिहर गढ़वाल, ऊममसिंह नगर, उत्तरकाशी
		एन मध्यम	चमौली, चम्पावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, रूद्रप्रयाग
		एन उच्च	बागेश्वर, पिथौरागढ़
		पी निम्न	बागेश्वर, चमौली, चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी
		पी मध्यम	नैनीताल, पिथोरागढ़, टिहरी गढ़वाल
		पी उच्च	—
		के निम्न	—
		के मध्यम	देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, पिथोरागढ़, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी
		के उच्च	बागेश्वर, चमौली, चम्पावत, नैनीताल
17.	पश्चिम बंगाल	एन निम्न	मिदनापुर पूर्वी, मिदनापुर पश्चिम, उत्तर चौबीस परगना, दक्षिण चौबीस परगना
		एन मध्यम	दार्जीलिंग, हुगली, जलपाईगुडी, नाडिया, परकमा, पुरूलिया
		एन उच्च	—
		पी निम्न	मिदनापुर पूर्वी, परकमा, पुरूलिया
		पी मध्यम	दार्जीलिंग, जलपाईगुडी, मिदनापुर पश्चिम, नाडिया, उत्तर चौबीस परगना, दक्षिण चौबीस परगना
		पी उच्च	हुगली
		के निम्न	जलपाईगुडी

1	2	3	4
		के मध्यम	दार्जीलिंग, हुगली, मिदनापुर पूर्वी, मिदनापुर पश्चिम, नाडिया, उत्तर चौबीस परगना, परकमा, पुरूलिया दक्षिण चौबीस परगना
		के उच्च	—

शब्द संक्षेप:

एन-नाईट्रोजन, पी.-फास्फोरस, के.-पोटेशियम

एम.ई.डी.-मिडियम

विवरण-II

जिंक की कमी

राज्यों के नाम	प्रतिशत जिंक की कमी के नमूने
1	2
आन्ध्र प्रदेश	46.8
असम	34
बिहार	54
दिल्ली	20
गुजरात	26.2
हरियाणा	60.1
हिमाचल प्रदेश	42
जम्मू और कश्मीर	12
कर्नाटक	72.8
केरल	34
मध्य प्रदेश	44.5
महाराष्ट्र	57.2
मेघालय	57
ओडिशा	35.75
पुदुचेरी	8
पंजाब	45.2
राजस्थान	21
तमिलनाडु	45.6
उत्तर प्रदेश	45.6
पश्चिम बंगाल	36
अखिल भारत	48.8

स्रोत: सिंह 2008

सल्फर की मात्रा और प्रतिशत नमूना कमी

राज्यों का नाम	मृदा नमूनों की संख्या	नमूनों की संख्या (एम.जी.-के.जी. 1)		पी.एस.डी.
		रंग	मीन	
बिहार	583	0.09-493.1	29.45	55
आन्ध्र प्रदेश	6000	1.78-97.60	14.88	46
ओडिशा	335	1.2-103	16.98	42
गुजरात	403	0.2-73.6	14.95	40
हरियाणा	553	—	62.5	22
तमिलनाडु	360	3.2-173.5	31.27	17.31
अखिल भारत				41

स्रोत: सिंह 2008

बेरोन की कमी

राज्यों के नाम	बेरोन की कमी का %
1	2
आन्ध्र प्रदेश	52.9
बिहार	37
गुजरात	2
कर्नाटक	32
मध्य प्रदेश	21.8
ओडिशा	23.3
पंजाब	23.4
तमिलनाडु	23.6
उत्तर प्रदेश	23.6
पश्चिम बंगाल	68
अखिल भारत	32.4

स्रोतः सिंह 2008

विवरण-III

किसानों के खेल पर आई.एन.एम. के प्रदर्शन और संवर्धन घटकों के लिए राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत सहायता

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त की गई धनराशि (लाख रुपये)				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	39.70	0.00	229.50	0.00	269.20
2.	बिहार	60.00	60.00	0.00	0.00	120.00
3.	हिमाचल प्रदेश	29.80	0.00	0.00	0.00	29.80
4.	झारखंड	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90
5.	कर्नाटक	75.25	0.00	0.00	0.00	75.25
6.	केरल	78.50	0.00	0.00	0.00	78.50
7.	मणिपुर	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
8.	त्रिपुरा	79.50	0.00	0.00	0.00	79.50
9.	हरियाणा	0.00	12.00	0.00	6.00	18.00
10.	छत्तीसगढ़	0.00	2.40	0.00	0.00	2.40
11.	गुजरात	0.00	0.00	35.00	25.00	60.00
	कुल	453.65	74.40	264.50	31.00	

विवरण-IV

देश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या
1	2	3
I.	**दक्षिणी क्षेत्र**	
1.	आन्ध्र प्रदेश	118
2.	कर्नाटक	28
3.	केरल	24
4.	तमिलनाडु	48
5.	पुदुचेरी	1
6.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
	कुल	**221**
II.	**पश्चिमी क्षेत्र**	
7.	गुजरात	130
8.	मध्य प्रदेश	78
9.	महाराष्ट्र	36
10.	राजस्थान	48
11.	छत्तीसगढ़	9
12.	गोवा	2
	कुल	**303**
III.	**उत्तरी क्षेत्र**	
13.	हरियाणा	34
14.	पंजाब	70
15.	उत्तरांखंड	15
16.	उत्तर प्रदेश	283
17.	हिमाचल प्रदेश	15
18.	जम्मू और कश्मीर	20
19.	दिल्ली	1
	कुल	**438**
IV.	**पूर्वी क्षेत्र**	
20.	बिहार	39
21.	झारखंड	8
22.	ओडिशा	11
23.	पश्चिम बंगाल	20
	कुल	**78**
V.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**	
24.	असम	11
25.	त्रिपुरा	6
26.	मणिपुर	5
27.	मेघालय	6
28.	नागालैंड	3
29.	अरुणाचल प्रदेश	6
30.	सिक्किम	4
31.	मिजोरम	6
	कुल	**47**
	कुल योग	1087

टेलीपोर्ट हब के रूप में भारत

2867. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत को टेलीपोर्ट हब बनाने का है ताकि देश हांगकांग और सिंगापुर जैसा अपलिंकिंग/डाउन लिंकिंग केन्द्र बन सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका प्रयोजन क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत को टेलीपोर्ट हब बनाने के लिए कार्यविधियों, चुनौतियों और रोडमैप की चर्चा हेतु पणधारकों के साथ परामर्श करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग से संबंधित नीतिगत मुद्दे" नामक विषय पर दिनांक 22 जुलाई, 2010 की अपनी सिफारिशों में, अन्य के साथ-साथ, यह सिफारिश भी की थी कि भारत को उसकी तकनीकी सक्षमताओं एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक टेलीपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। ट्राई की सिफारिशें इस मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

वायदा बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव

2868. श्री रवनीत सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायदा बाजार में खाद्यान्नों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से वास्तविक बाजार में कीमतें प्रभावित होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या के समाधान के लिए वायदा बाजार पर प्रतिबंध लगाने सहित कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी नहीं। वायदा बाजार केवल मांग और आपूर्ति के परिदृश्य के आधार पर भविष्य में किसी वस्तु के मूल्य का पता लगाता है। किसी वस्तु का मूल्य बाजार में उसकी वास्तविक मांग और आपूर्ति की स्थिति द्वारा निर्धारित होता है। कीमतों में उतार-चढ़ाव मांग और आपूर्ति कारकों से संबंधित अतिरिक्त सूचना/उपलब्ध आंकड़ों और बाजार में भागीदारों की अपेक्षाओं के आधार पर ही निश्चित होता है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है और मूल्य अपेक्षाएं लगभग निरंतर बदल रही है। अत: वायदा बाजार केवल मूल्य और मूल्य जोखिम प्रबंधन को सुकर बनाता है। अप्रैल, 2008 में प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2009-2010 की वार्षिक रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का कारण वायदा बाजार नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

2869. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पहले से ही आधार कार्ड प्राप्त कर चुके लोगों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) के लिए बायोमीट्रिक स्कैनिंग करवाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं में परियोजना-वार अलग-अलग कुल कितना खर्च अंतर्ग्रस्त है;

(घ) क्या जनगणना तथा आधार के लिए एकत्र आंकड़े का कार्य के दुहराव को रोकने के लिए एन.पी.आर. के लिए भी उपयोग किया जा सकता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं। सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) के नामांकन का कार्य बनाई गई योजना के अनुसार जारी रहेगा, लेकिन, यदि नामांकन के समय कोई व्यक्ति यह उल्लेख करता है कि वह आधार के लिए पहले ही नामांकित हो चुका है तो एन.पी.आर. द्वारा उसका बायोमेट्रिक डाटा नहीं लिया जाएगा। इसके स्थान पर उसका आधार नम्बर/नामांकन संख्या एन.पी.आर. में दर्ज कर लिया जाएगा और बायोमेट्रिक डाटा यू.आई.डी.ए.आई. से प्राप्त किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने देश में एन.पी.आर. तैयार करने के लिए 6,649.05 करोड़ रुपए और आधार परियोजना के लिए 8962.06 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं।

(घ) और (ङ) एन.पी.आर. तैयार करने के लिए जनसांख्यिकीय डाटा को जनगणना 2011 के प्रथम चरण अर्थात् मकान सूचीकरण और मकानों की गणना 2010 के साथ-साथ एक पृथक अनुसूची में एकत्र किया गया था। इसके अतिरिक्त, भारतीय जनगणना अधिनियम, 1948 के अनुसार जनगणना के अंतर्गत एकत्र डाटा गोपनीय होता है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकी प्रयोजनों के लिए ही किया जा सकता है। तथापि, जैसाकि ऊपर भाग (क) के उत्तर में बताया गया है यू.आई.डी.ए.आई. और एन.पी.आर. के बीच प्रयासों के दोहराव को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

तटीय सुरक्षा में प्रशिक्षण

2870. **श्री जोस के. मणि:**
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में भविष्य में होने वाले आतंकवादी हमलों को प्रभावी रूप से निष्फल करने के लिए तटवर्ती पुलिस स्टेशनों में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग भी स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) वर्तमान में, तटीय पुलिस स्टेशनों में तैनात पुलिस कर्मियों को भारतीय तटरक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) तटीय पुलिस स्टेशनों और पोतों पर तैनाती के लिए समुद्री पुलिस कर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

टमाटर का मूल्य

2871. **श्री शिवकुमार उदासी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत छह माह के दौरान टमाटर के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत छह माह के दौरान माह-वार टमाटर के मूल्यों में दर्ज की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्थानीय बाजार में सट्टेबाजी और स्टाकिस्टों की सक्रियता के कारण टमाटर का मूल्य इस स्तर पर पहुंचा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा टमाटर के मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) पिछले छह महीनों (जून से नवम्बर, 2012) के दौरान चार महानगरों नामत: दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई तथा कोलकाता में टमाटर के थोक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है।

(रुपए प्रति क्विंटल)

महीना	दिल्ली	मुम्बई	चैन्नई (स्थानीय)	कोलकाता (स्थानीय)
जून	800	1000	2000	2200
जुलाई	1800	1500	2000	2500
अगस्त	1400	1150	1500	2400
सितम्बर	1400	800	1200	1800
अक्तूबर	900	600	1500	1500
नवम्बर	900	700	2000	1500

(घ) और (ङ) पिछले छह महीनों से टमाटर के मूल्यों में एक मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाई गई है। ऋतु एवं मौसमी कारक टमाटर सहित सब्जियों के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। उक्त मूल्य बाजार दबावों से अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं जैसे वितरण चैनलों में भिन्न-भिन्न स्तर, बाजार एकता की कमी, यातायात एवं कारोबार लागतें, थोक विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं के मुनाफा, बिचौलियों की भूमिका, पैकिंग व्यय आदि। थोक बिक्री से खुदरा बाजार तक प्रसार अभियांत्रिकी में अक्षमता के कारण तथा इसके विपरीत होने पर भी मूल्य प्रभावित होते हैं।

(च) टमाटर सहित बागवानी फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कृषि एवं सहकारिता विभाग (डी.ए.सी.) राष्ट्रीय बागवनी मिशन तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालय

के निकट के राज्यों (एच.एम.एन.ई.एच.) के बागवानी मिशन के अंतर्गत किसानों को सहायता प्रदान कर रहा है। इस मिशन के तहत सृजित मूलभूत सुविधाओं से गुणवत्ता वाली पौध सामग्री के उत्पादन एवं आपूर्ति में सहायता मिली है तथा बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाने में भी सहायता मिली है।

इसके अलावा, कृषि और सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के समग्र तत्वावधान के तहत 2011-12 के दौरान 300.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से शहरी समूह के लिए सब्जी पहल (वी.आई.यू.सी.) पर एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना को 300.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से 2012-13 के दौरान जारी रखा जा रहा है। योजना किसानों के संघ/समूह के निर्माण, किसानों के प्रशिक्षण/क्षमता बढ़ाने, संकलन कर्ताओं/बाजारों से कृषक समूहों को जोड़ना रोपण सामग्रियों से शुरुआत करके खुदरा स्तर तक विपणन करने हेतु शहरी केन्द्रों में सब्जी उत्पादन तथा आपूर्ति संबंधी सभी पहलुओं को कवर करता है।

नक्सलवादियों का भाग जाना

2872. डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री पी. कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलवादियों ने झारखंड में कैदियों को ले जा रही एक पुलिस गाड़ी पर घात लगा कर हमला लिया है और छह नक्सलियों को मुक्त करा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 9 नवम्बर, 2012 को सी.पी.आई. (माओवादी) उग्रवादियों द्वारा 6 माओवादियों को उस समय मुक्त करा लिया गया था जब उन्हें न्यायालय में निर्धारित पेशी के बाद गिरिडीह जेल वापस लाया जा रहा था। यह घटना झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफ्फसिल पुलिस स्टेशन के अधीन अजिडीह मोरे नामक स्थान के निकट हुई थी। इस घटना में, तीन पुलिस कर्मियों और एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई थी।

(ग) सरकार ने झारखंड सहित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्य सरकारों को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से माओवादी कैदियों वाली सभी जेलों की सुरक्षा संबंधी जांच करने और जहां कहीं आवश्यक हो, वहां सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध भी किया है। झारखंड की राज्य पुलिस और राज्य आसूचना विभाग, केन्द्रीय आसूचना एजेन्सियों के सहयोग से इस मामले के दोषियों को गिरफ्तार करने के सभी प्रयास कर रहे हैं।

आत्महत्या का प्रयास

2873. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 309 में एक व्यापक संशोधन करके 'आत्महत्या का प्रयास' को गैर-आपराधिक करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत के विधि आयोग ने अपनी 210वीं रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 309 का लोप किए जाने की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 146वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए तथा देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए संयुक्त प्रारूप विधान पुरःस्थापित किया जाना चाहिए। इससे पहले भी, संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 111वीं एवं 128वीं रिपोर्टों में सिफारिश की थी कि अलग-अलग संशोधन विधेयक लाने के बजाए संसद में व्यापक विधान पुरःस्थापित करके देश के आपराधिक कानून के सुधार लाने एवं इसे तर्कसंगत बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। समिति की सिफारिशों के मद्देनजर, माननीय गृह मंत्री ने माननीय विधि एवं न्याय मंत्री से अनुरोध किया था कि वह भारत के विधि आयोग से इसकी जांच करने तथा आपराधिक कानूनों के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक रिपोर्ट देने के लिए अनुरोध करें ताकि विभिन्न कानूनों अर्थात् भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 आदि में व्यापक संशोधन किए जा सकें।

ऑनलाइन टिप्पणी

2874. श्री नीरज शेखर:
श्री यशवीर सिंह:
श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इंटरनेट पर 'हार्मलेस ऑनलाइन कमेंट' के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या राय की अभिव्यक्ति के लिए गिरफ्तारी मूल अधिकारों के विरुद्ध है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(घ) संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के क्या कारण हैं तथा उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में दायित्व निर्धारित करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) हानि न पहुंचाने वाली ऑनलाइन टिप्पणियों (हार्मलेस ऑनलाइन कमेंट्स) के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से संबंधित विशिष्ट सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) से (च) यदि किसी गूढ़ अभिप्राय से, क्रोध, असुविधा, खतरा, बाधा, अपमान, चोट, अपराधिक अभित्रास शत्रुता, घृणा अथवा दुर्भावना उत्पन्न करने वाली अपराधिक टिप्पणियां ऑनलाइन भेजी जाती हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-ए के दंडात्मक उपबंधों को लागू किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) में प्रदत्त वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों पर भी अनुच्छेद 19(2) के उचित प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कार्मिक संख्या

2875. श्री एस. सेम्मलई:
श्री हर्ष वर्धन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) की बल-वार और पद-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सी.ए.पी.एफ. में कार्मिकों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो बल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने सभी खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्य सरकार का सी.ए.पी.एफ. की स्वास्थ्य सेवा संवर्ग की तर्ज पर सी.ए.पी.एफ. के अधिकारियों का एक संवर्ग बनाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) और असम राइफल्स (ए.आर.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सी.ए.पी.एफ. और ए.आर. के कार्मिकों की बल-वार एवं रैंक-वार कुल संख्या एवं रिक्तियां निम्नानुसार हैं:

बल	रैंक								
	अधिकारी/जी.ओ.			जे.सी.ओ./एस.ओ.			ओ.आर.		
	प्राधिकृत*	तैनात	रिक्ति	प्राधिकृत*	तैनात	रिक्ति	प्राधिकृत*	तैनात	रिक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सी.आर.पी.एफ.	4857	4000	857	39677	34629	5048	253266	241646	11620
बी.एस.एफ.	4859	3941	918	32312	26918	5394	205990	198701	7289
आई.टी.बी.पी.	1880	1234	646	12241	8196	2992	63901	56359	7595
एस.एस.बी.	1519	1168	351	10595	4319	6276	68583	62034	6549
सी.आई.एस.एफ.	1400	1135	265	22744	18268	4476	106761	97434	9327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एन.एस.जी.	485	377	108	1583	1245	338	7439	7383	56
ए.आर.	1269	967	302	4603	3923	680	60540	60230	310
कुल	16269	12822	3447	123755	97498	25204	766480	723787	42746

*कुल स्वीकृत पद

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कुल 71397 रिक्तियों के लिए, 67597 उम्मीदवारों के चयन की सिफारिश पहले ही भर्ती एजेंसियों/बोर्डों द्वारा कर दी गई है। ये रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, नए गठन आदि के कारण पैदा हुई हैं जो केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम राइफल्स में नेमी प्रशासनिक प्रक्रिया है।

(घ) रिक्तियों को भरा जाना एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसे यथाशीघ्र भरने के लिए तुरंत एवं समय पर कार्रवाई की जाती है। चूंकि भर्ती एवं प्रशिक्षण में समय लगता है, इसलिए गृह मंत्रालय ने सभी बलों को उनकी वर्तमान भर्ती में अगले 18 महीनों में पैदा होने वाली रिक्तियों को भी शामिल करने की अनुमति दी है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.), कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी.), चिकित्सा अधिकारी चयन बोर्ड (एम.ओ.एस.बी.), अन्य भर्ती बोर्डों और संबंधित बलों की विभागीय चयन समितियों (डी.एस.सी.) के माध्यम से नियमित रूप से भर्ती प्रक्रिया निष्पादित की जाती है। जहां कहीं और जब कभी आवश्यक होता है, विशेष भर्ती अभियान भी चलाए जाते हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रत्येक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में पहले से ही पृथक संवर्ग मौजूद है।

दक्षिणी जोनल परिषद् की बैठक

2876. श्री मानिक टैगोर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में बंगलौर में दक्षिणी जोनल परिषद् की बैठक आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में चर्चित मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 16-11-2012 को बंगलूरू में दक्षिणी जोनल परिषद् की बैठक हुई थी और इसमें विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रक्रिया के अनुसार, इस बैठक का कार्य-विवरण सभी सदस्य राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया जाएगा।

विवरण

मद सं.	विषय	संक्षेप में मुद्दा
1	2	3
1.	गरीबी उपशमन एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत निधियों के केन्द्रीय आबंटन के लिए फार्मूले के संबंध में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता	राज्य सरकारों ने सामाजिक क्षेत्र की सभी योजनाओं के तहत निधियां आबंटित करते समय विशेषज्ञ समूह के आकलनों के बजाय पूर्व के कार्य दल विधि का अनुसरण करने की इच्छा व्यक्त की।
2.	मत्स्यपालन/मछुआरों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे	केरल सरकार ने दक्षिणी राज्य के मछुआरों के बीच संघर्ष का निवारण करने के लिए उपाय सुझाए थे और अनुरोध किया था कि केरल समुद्री मत्स्य-पालन विनियमन नियमों का अनुपालन करने के लिए पड़ोसी राज्यों के नाव के मालिकों के बीच जागरूकता का सृजन करना चाहिए।

1	2	3
3.	दक्षिणी राज्यों में औषधि नियंत्रण संगठन का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता	तमिलनाडु ने प्रापण संबंधी नीतियों पर सूचना के आदान-प्रदान तथा औषधि नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के अलावा अतिरिक्त कार्मिक, अवसंरचना आदि उपलब्ध कराकर राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों का सुदृढ़ीकरण करने का अनुरोध किया।
4.	प्रायद्वीपीय क्षेत्र औद्योगिक विकास कॉरीडोर	कर्नाटक सरकार ने प्रायद्वीपीय क्षेत्र औद्योगिक विकास (पी.आर.आई.डी.ई.) कॉरीडोर परियोजना को तेज बनाने का अनुरोध किया था।
5.	तिरूवनंतपुरम और मैंगलोर के बीच तेज गति के रेल कॉरीडोर का उडुपी तक विस्तार	कर्नाटक सरकार ने उल्लेख किया कि उडुपी मैंगलोर के निकट महत्वपूर्ण कस्बा होने के कारण, यह परियोजन मैंगलोर में समाप्त करने की बजाय उडुप तक बढ़ाई जानी चाहिए।
6.	दक्षिणी जोन में प्रायद्वीपीय पर्यटन रेल शुरू करना	केरल सरकार ने भारत के दक्षिणी भाग को लक्ष्य करके सभी दक्षिणी राज्यों के सहयोग से 'गोल्डन चैरियट' जैसी प्रायद्वीपीय पर्यटन ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया।
7.	तटीय अपरदन की समस्या	पुदुचेरी ने पुदुचेरी तट पर तटीय संरक्षण कार्य/समुद्री अपरदन विरोधी कार्यों के संबंध में तमिलनाडु के समर्थन तथा अनापत्ति का अनुरोध किया था।
8.	तमिलनाडु की अनुमोदित खदानों से भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति	पुदुचेरी सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र में नदीय बालू की नि:शुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नदीय बालू के परिवहन पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने के लिए तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया।
9.	राज्यों में पुलिस प्रशासन से संबंधित मामले	गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया कि पुलिस प्रशासन के लिए वास्तविक मानवशक्ति के आकलन और जिला, उप-संभाग तथा पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिस अधिकारियों की सेवावधि निर्धारित करने के लिए प्रयास किए जाएं।
10.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार	गृह मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की घटनाएं रोकने के प्रयोजन से उनके द्वारा जारी किए गए परामर्शी पत्रों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया।
11.	अवैध मानव व्यापार	गृह मंत्रालय ने राज्यों से उनके द्वारा जारी किए गए परामर्शी-पत्रों का अक्षरश: पालन करने तथा किसी भी रूप में अवैध मानव व्यापार की घटनाओं से निपटने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया।
12.	दक्षिणी जोनल परिषद को पुन: शुरू करना	परिषद को पुन: शुरू करने के प्रयोजन से, यह सुझाव दिया गया था कि दक्षिणी जोनल परिषद और इसकी स्थायी समिति एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक कर सकती है।
13.	दक्षिणी जोनल परिषद की स्थायी समिति में अन्तर राज्य परिषद सचिवालय के वरिष्ठत अधिकारी को शामिल करना	इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जोनल परिषदों का कार्य आई.एस.सी.एस. को सौंपा गया है, आई.एस.सी.एस. के अपर सचिव रैंक के एक अधिकारी को स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनित करने का सुझाव दिया गया।
14.	दक्षिणी जोनल परिषद प्रक्रिया नियमावली के नियम-10 में संशोधन	स्पष्टता लाने के लिए दक्षिणी जोनल परिषद प्रक्रिया नियमावली के नियम 10 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था।

1	2	3
15.	औद्योगिक प्रोत्साहन की मंजूरी में समन्वित एवं एकसमान दृष्टिकोण की आवश्यकता	कर्नाटक ने प्रस्ताव किया कि क्षेत्र में विभिन्न राज्यों द्वारा चलाए जा रहे औद्योगिक प्रोत्साहनों पर एक समान नीति बनाने तथा उसकी सिफारिश करने के लिए सदस्य राज्यों के वित्त सचिवों तथा वाणिज्य कर आयुक्तों वाली एक समिति गठित की जाए।
16.	अन्तर-राज्य परस्पर परिवहन करार	कर्नाटक सरकार ने अन्तर-राज्य परस्परर परिवहन करार विकसित करने का प्रस्ताव दिया।
17.	राज्य के 946 गोवा मुक्ति आंदोलन के पेंशन प्राप्तकर्ताओं को केन्द्रीय पेंशन की मंजूरी	कर्नाटक में गोवा मुक्ति आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों ने अन्य राज्यों के समान केन्द्रीय पेंशन योजना में उन्हें शामिल करने का अनुरोध किया।
18.	आन्ध्र प्रदेश में कर्नाटक सीमा से 5 कि.मी. तक सड़क का विकास	कर्नाटक ने कर्नाटक-आन्ध्र प्रदेश सीमा पर 5 कि.मी. सड़क तक छोटे भाग के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश से अनुरोध किया।
19.	प्रियदर्शिनी जुराला जलविद्युत परियोजना से संबंधित मुद्दा	कर्नाटक ने इस परियोजना के लिए कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन संबंधी मुद्दों का शीघ्र निपटारा करने का सुझाव दिया।

चीनी का लेवी कोटा

2877. **श्री हरिभाऊ जावले:**
श्री मंगनी लाल मंडल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेवी चीनी कोटा जिसे तीन माह से अधिक समय से नहीं उठाया गया है कि को गैर-लेवी चीनी कोटा में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले दो वर्षों के दौरान गैर-लेवी चीनी में बदले गए लेवी चीनी की मात्रा राज्य-वार कितनी है;

(ग) क्या लेवी चीनी की बाध्यता को दूर करने सहित रंगराजन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के तेजी से क्रियान्वयन के लिए चीनी उद्योग एवं संगठनों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा तत्संबंधी परिणामस्वरूप चीनी क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि कितनी हुई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) दिनांक 30-11-2010 के मौजूदा निर्देशों के अनुसार चीनी मिलें इसमें निहित शर्तों के अध्यधीन आवंटन की तिथि से तीन माह की समाप्ति के बाद नहीं उठाई गई अपनी लेवी चीनी को खुले बाजार में बेचने हेतु परिवर्तन के लिए आवेदन करने की पात्र हैं। परंतु संबंधित चीनी मिल की लेवी देयता नहीं बदलेगी। तथापि ऐसी चीनी मिलों की लेवी देयता आगे ले जाने की अवधि लेवी देयता वाले चीनी मौसम के बाद से अधिकतम दो चीनी मौसमों तक ही निर्धारित की गई है।

(ख) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान आवंटित नहीं की गई/नहीं उठाई गई लेवी चीनी की गैर-लेवी चीनी में परिवर्तित की गई राज्य-वार मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। चीनी उद्योग के विभिन्न संगठनों/प्रतिनिधि निकायों नामत: उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ, भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) और राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना परिसंघ लिमिटेड ने सरकार से लेवी चीनी देयता हटाये जाने सहित डॉ. रंगराजन समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया है। समिति की सिफारिशें सरकार के पास विचाराधीन हैं।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान लेवी चीनी की गैर-लेवी चीनी में परिवर्तित की गई राज्यवार मात्रा

(आंकड़े मी. टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11 चीनी मौसम के दौरान गैर-लेवी में परिवर्तित किया गया लेवी कोटा		2011-12 चीनी मौसम के दौरान गैर-लेवी में परिवर्तित किया गया लेवी कोटा	
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	आन्ध्र प्रदेश	39.8	0.0	1392.8	
2.	बिहार	244.4	1.4	1367.8	3421.0
3.	छत्तीसगढ़		0.0	374.5	2.3
4.	गोवा		0.0	996.3	
5.	गुजरात		0.0	2.0	1700.9
6.	कर्नाटक	1353.9	0.0	96352.9	54333.8
7.	मध्य प्रदेश				7.3
8.	महाराष्ट्र	35261.4	15416.8	116298.9	107477.1
9.	ओडिशा	136.7	0.0	71.1	
10.	पंजाब	142.5	0.0	2377.6	1796.6
11.	राजस्थान				155.7
12.	तमिलनाडु		0.8	11375.0	24016.5
13.	उत्तर प्रदेश	2688.8	0.7	12271.8	10786.1
14.	उत्तराखंड		0.0	5845.6	6.3
15.	पश्चिम बंगाल				19.8
16.	पुदुचेरी	432.4	1937.4	0.0	
	कुल	40299.9	17357.1	248726.3	203723.4

[हिन्दी]

भगवान बुद्ध के अवशेष

2878. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भगवान बुद्ध के अवशेष बिहार में वैशाली में खुदाई के दौरान पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने एक संग्रहालय के निर्माण के लिए 2.5 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की है एवं 25 एकड़ की अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया में है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संग्रहालय के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने के पहले केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना प्रस्ताव मांगा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी द्वारा क्या है तथा इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परियोजना पूर्ति की लक्षित तिथि में देर हो गयी है; और

(छ) यदि हां, तो भगवान बुद्ध के अवशेष को कब तक संग्रहालय में स्थापित किए जाने की संभावना है जैसा कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) वर्ष 1957-58 में वैशली में उत्खनन के दौरान एक तबरुक-पात्र प्रस्तर मंजूषा मिली थी। इसमें मिट्टी मिली राख, एक छेदक छाप का (पंचमार्क) तांबे का सिक्का, दो शीशे के मनके, एक शंख तथा एक पतला छोटा सोने का टुकड़ा पाया गया था।

(ख) और (ग) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, शुरुआत में राज्य सरकार ने 2.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है तथा उसके बाद राज्य सरकार ने एक संग्रहालय तथा स्तूप के निर्माण के लिए 72 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया।

(घ) और (ङ) संस्कृति मंत्रालय ने वैशाली में नए संग्रहालय की स्थापना के लिए 17 फरवरी, 2010 को बिहार सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि बिहार सरकार ने भूमि को स्वामित्व तथा कब्जे, संग्रहालय की स्थापना के लिए भूमि को मूल्य, संग्रहालय में रखी जाने वाली संग्रहित वस्तुओं की सूची जैसे प्रमुख दस्तावेजों के साथ-साथ बंध-पत्र, प्राधिकार पत्र इत्यादि, जैसे कुछ अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। तदनुसार, संस्कृति मंत्रालय ने अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार से अनुरोध किया था परन्तु ये दस्तावेज अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(च) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इस परियोजना को अविलम्ब पूरा करने का निर्देश दिया है।

(छ) बिहार सरकार ने यह भी सूचित किया है वह इस संग्रहालय एवं स्तूप को बृहत् स्तर पर विकसित करने के प्रति गंभीर है तथा इस मामले में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ज्यों ही संग्रहालय की इमारत बनकर तैयार हो जाएगी, स्मृतिचिन्ह को इसमें रख दिया जाएगा।

टीवी चैनल पैकेज

2879. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मालूम है कि केबल टीवी सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को अपनी इच्छा से टीवी चैनल पैकेज का प्रस्ताव कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे पैकेज उपभोक्ताओं को जारी करने में सेवा प्रदाताओं/केबल ऑपरेटरों द्वारा उपभोक्ता का उत्पीड़न करने के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देश क्या हैं; और

(घ) उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) ट्राई का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चतुर्थ) (संबोधनीय प्रणाली) प्रशुल्क आदेश, 2010 दिनांक 21 जुलाई 2010, 30-04-2012 को यथा संशोधित; डिजिटल केबल टीवी प्रणाली के लिए प्रशुल्क और मूल्य निर्धारण का विनियमन करता है। उक्त प्रशुल्क आदेश के अनुसार, सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे उपभोक्ताओं को (पे और फ्री-टु-एअर) सभी चैनल अलग-अलग (फुटकर) आधार पर प्रस्तावित करें। प्रशुल्क आदेश में आगे यह व्यवस्था है कि डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के ऑपरेटर उपभोक्ताओं को एक बेसिक सर्विस टियर (बी.एस.टी.) प्रदान करेंगे जिसमें कम से कम 100 फ्री-टु-एयर (एफ.टी.ए.) चैनल होंगे जिसके लिए प्रति ग्राहक प्रति माह अधिकतम 100 रु. प्रभार (कर छोड़कर) होगा। प्रशुल्क आदेश में यह भी व्यवस्था है कि उपभोक्ता फ्री-टू-एअर चैनलों के किन्हीं सौ चैनलों का समूह चुन सकते हैं जो बहु प्रणाली ऑपरेटर द्वारा प्रस्तावित बेसिक सर्विस टियर के बदले होगा। यदि कोई डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी ग्राहक पे चैनलों का अलग-अलग या गुलदस्ते या अलग-अलग और गुलदस्ता दोनों के संयोजन के रूप में फ्री-टु-एअर चैनलों के साथ या उनके बगैर चयन करता है तो बहु प्रणाली ऑपरेटर एक न्यूनतम मासिक अंशदान नियत कर सकेगा जो एक सौ पचास रुपए (कर छोड़कर) प्रति माह से अधिक नहीं होगा। प्रशुल्क आदेश में यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक सेवा प्रदाता व्यष्टि (अलग-अलग) सामूहिक आधार पर पे चैनल प्रदान करने के अतिरिक्त चैनलों का गुलदस्ता भी प्रदान कर सकता है और उस मामले में वह ऐसे प्रत्येक गुलदस्ते के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करेगा जो उसके सामान्य ग्राहकों पर लागू होगा।

(ख) और (ग) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नै चार मेट्रो शहरों में केबल टीवी के डिजिटीकरण के कार्यान्वयन के दौरान, जिसे 31-10-2012 को पूरा किया गया, मंत्रालय में अक्तूबर, 2012 माह में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था जिसमें टोल फ्री नंबर की व्यवस्था थी, जिसमें सेट टॉप

बॉक्स की उपलब्धता, मूल्य निर्धारण, चैनलों के मूल्य, चैनलों के विभिन्न पैकेजों आदि से संबंधित शिकायतों और आशंकाओं का निवारण किया जा रहा था। 15 अक्तूबर, 2012 से 9 नवम्बर, 2012 तक की अवधि के दौरान नियंत्रण कक्ष को 5000 से अधिक कॉल प्राप्त हुए जिनका उचित ढंग से निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के पास उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने और उन्हें तत्काल निस्तारण के लिए संबंधित सेवा प्रदाता को समुचित ढंग से भेजे जाने हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

(घ) ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ट्राई ने 14-05-2012 को सेवा गुणवत्ता के मानक (डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणाली) विनियम, 2012 और उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणाली) विनियम, 2012 जारी किए हैं। सेवा की गुणवत्ता विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ सेवा के कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, शिफ्टिंग, अंतरण, शिकायत निवारण की समय-सीमा, बिलिंग प्रक्रिया, सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) के जुड़े मुद्दे और तकनीकी पैरामीटरी आदि के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिनका अनुपालन सेवा प्रदाताओं आदि द्वारा किया जाना होता है। उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियमों में एक शिकायत केंद्र की स्थापना, टॉल-फ्री नम्बर की व्यवस्था और ऐसे मामलों में जब उपभोक्ता की शिकायतों का शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुरूप समाधान न किया जाए, नोडल अधिकारियों की व्यवस्था की गई है। सेवा प्रदाताओं के लिए ट्राई के इन विनियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है।

[अनुवाद]

कोयला खानों के इस्तेमाल संबंधी दिशानिर्देश

2880. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:**
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों से विद्युत उत्पादन हेतु कोयला ब्लॉकों के आवंटन संबंधी कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये कोयला ब्लॉक को कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयला उत्पादक राज्यों से दूर स्थित राज्यों के विद्युत संयंत्रों के लिए रक्षित कोयला खानों के इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश में छूट देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोयला ब्लाकों का आबंटन एक सतत प्रक्रिया है। विभिन्न राज्य सरकारों से कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते हैं। तथापि, सरकार ने इस समय कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए राज्य सरकारों से आवेदन आमंत्रित नहीं किए हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आपात स्थिति के दौरान मोबाइल नेटवर्क

2881. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीफोन एवं मोबाइल नेटवर्क प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवादी हमलों एवं बम विस्फोटों के होने के दौरान सामान्यतया क्रेश कर जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी स्थितियों के दौरान इस्तेमाल के लिए अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों तथा तकनीकविदों को विशेष प्रकार के मुद्रित मोबाइल फोन प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारी संख्या में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने की वजह से टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क के कुछ भाग पर अधिक भार पड़ने की घटनाओं की सूचना मिली है, जिसके परिणाम आपातकालीन स्थिति के दौरान संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है।

ऐसी स्थितियों के दौरान अधिकारियों को विशेष प्रकार के मुद्रित मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के लिए इस मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 19-10-2011 को एक समन्वय बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सुरक्षित मोबाइल नेटवर्क और सुरक्षित मोबाइल फोन की आवश्यकता व्यक्त की गई थी। इसी बैठक में आपातकालीन स्थिति में सम्प्रेषण करने अर्थात प्राथमिकता के आधार पर कॉल करने में प्रयोक्ता अथवा कतिपय सेलफोनों के सक्षम होने की आवश्यकता भी व्यक्त की गई थी। दूरसंचार विभाग प्राथमिकता के आधार पर कॉल के मुद्दे पर इस समय टी.ई.सी. के परामर्श से कार्य कर रहा है।

दूतावास की कार के विस्फोटग्रस्त होने की जांच

2882. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीनाः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस वर्ष के फरवरी माह में नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के एक वाहन में बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो अब तक की गई जांच एवं उसमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस घटना की जांच के लिए कुछ अन्य देशों की सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) दिनांक 13 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास की टोयटा इनोवा कार में औरंगजेब रोड, नई दिल्ली में बंगला नं. 36 के निकट बम विस्फोट हुआ था। दिनांक 6-3-2012 को इस मामले में सैयद मोहम्मद अहमद काजमी, निवासी, जोर बाग, नई दिल्ली को गिरफ्तार किया गया था। इससे एक मोटर-साइकिल (हीरो होण्डा), एक स्कूटी (काइनेटिक मोपेड), एक मारुति आल्टो कार, दो सी.पी.यू.एस., एक लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क, दो मोबाइल फोन, 1250 अमरीकी डॉलर और अपराधों से संबंधित अन्य दस्तावेज बरामद किए गए थे। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे दिनांक 19-10-2012 को जमानत दी गई और उसे दिनांक 20-10-2012 को जेल से रिहा कर दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दिनांक 19-11-2012 को दायर की गई है।

(ग) और (घ) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 166(क) के उपबन्धों के अन्तर्गत इस मामले की जांच में सहायता के लिए ईरान, जार्जिया मलेशिया, इजरायल और थाईलैण्ड को इन्टरपोल के माध्यम से अनुरोध पत्र (लेटर रोगेटरी) भेजे गए हैं।

खिलाड़ियों को निःशुल्क शिक्षा

2883. श्रीमती सुप्रिया सुलेः
डॉ. संजीव गणेश नाईकः

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार खेलों के माध्यम से राष्ट्र को मान-सम्मान दिलाने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत ऐसी सुविधाएं विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही हैं;

(ग) क्या ऐसी स्कीमों/कार्यक्रमों का लाभ सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के स्कूल स्तर के खिलाड़ियों को भी दिए जाने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अगस्त, 2012 में 'राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में खेल पदक विजेताओं/प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क शिक्षा' नामक एक नई योजना पहले ही लागू कर चुका है।

इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित सभी पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम कराने वाले विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले पदक विजेताओं/विशिष्ट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देना और उन्हें शिक्षा तथा खेल विकास के क्षेत्र में वित्तीय सहायता देकर उच्चतर स्तर का खेल प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करना है। यह योजना उन खिलाड़ियों पर लागू होती है जो राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता हों अथवा मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भागीदार रहे हों।

(ग) से (ङ) बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक आस-पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान पहले से ही किया हुआ है।

आर.टी.ई. एक्ट, 2009 में ये भी प्रावधान हैं किः-

(i) प्रत्येक विद्यालय में एक खेल का मैदान हो।

(ii) उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा हेतु एक अंशकालिक अनुदेशक हो।

(iii) विद्यालयों को यथावश्यक खेल का सामान, खेल-कूद के उपस्कर दिए जाएं।

कोयला निकालने के लिए समझौता

2884. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि अपने उपयोग के लिए कोयला निकालने के संबंध में समझौता कर चुकी कंपनियां अन्य पक्षों को कोयला बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कोयले के अधिशेष निष्कर्षण के मामले में कोयले के उपयोग के संबंध में क्या प्रावधान हैं;

(ग) क्या कुछ कंपनियों ने अनुचित तरीके से स्वयं को कोयला ब्लॉकों का आवंटन कराया है तथा वे कोयले की काला बाजारी में लिप्त हैं; और

(घ) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(क)(iii) के अनुसरण में विशिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए केप्टिव खपत हेतु कोयला ब्लॉकों का आवंटन निजी कंपनियों को किया जाता है। केप्टिव ब्लॉकों से कोयले की बिक्री का कोई प्रावधान नहीं है। आमतौर पर, फालतू कोयला, यदि कोई हो, की बिक्री के तौर-तरीके संगत समय पर सरकार की प्रचलित नीति/अनुदेशों के अनुसार होंगे तथा इसमें सरकार द्वारा निर्धारित की जानी वाली अन्तरण कीमत पर कोल इंडिया लि. की स्थानीय सहायक कंपनी अथवा उसके द्वारा नासित किसी व्यक्ति को ऐसा फालतू कोयला सौंपना भी शामिल हो सकती है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने 2006 से 2009 और 1993 से 2004 तक निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के आबंटन में अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने के लिए 3 प्रारंभिक जांच के मामले तथा सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के आवंटन से संबंधित एक प्रारंभिक जांच का मामला दर्ज किया है। सी.बी.आई. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 9 निजी कंपनियों के संबंध में 9 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं और नियमित मामलों की जांच तथा प्रारंभिक जांच प्राथमिकता पर की जा रही है। कोयला मंत्रालय ने भी 8 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक कंपनी के मामले में कोयला ब्लॉक का आबंटन पहले ही रद्द कर दिया गया था।

[अनुवाद]

नए राज्यों का सृजन

2885. **श्री पी.के. बिजू:**
श्रीमती राजकुमारी चौहानः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सहित नए राज्यों के सृजन/विभाजन के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों/संगठनों से प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों से नए राज्यों के सृजन यथा आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना, महाराष्ट्र में विदर्भ, गुजरात में सौराष्ट्र, कर्नाटक में कुर्ग, पश्चिम ओडिशा में कौशलाचंल, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, उत्तरी बिहार में मिथिलाचंल और नागालैंड से पूर्वी नागालैंड के सृजन के संबंध में मांगें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश को, 4 छोटे-छोटे राज्यों यथा पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में बांटने के लिए दिनांक 21-11-11 को राज्य विधान सभा द्वारा पारित एक संकल्प भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 23-11-11 को भेजा था।

(ग) किसी नए राज्य के सृजन के व्यापक परिणाम होते हैं और इसका हमारे देश के संघीय शासन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार ऐसे मामले में तभी कार्रवाई करती है जब मूल राज्य में व्यापक सर्वसम्मति हो। सरकार नए राज्य के सृजन के मामले में सभी संबंधित घटकों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लेती है।

डिरेडिक्लाइजेशन कार्यक्रम

2886. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:**
श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का विचार अमेरिका, यू.के. एवं सऊदी अरब द्वारा अपनाए जा रहे हिंसा एवं अतिवादी विचाराधारा में बहकाए गए तत्वों के प्रति डिरेडिक्लाइजेशन कार्यक्रम जारी रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे रेडिकलों का पहचान के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) सरकार ने बहकाए गए तत्वों को हिंसा करने से रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें वामपंथी उग्रवादियों से हिंसा त्यागने और उनसे संबंधित किसी भी मुद्दे पर वार्ताएं करने की अपील करना, वामपंथी उग्रवाद संबंधी विद्रोह की हिंसात्मक प्रकृति के बारे में लोगों को मीडिया के माध्यम से शिक्षित करना, जम्मू और कश्मीर; नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादियों बहकाए गए युवाओं और कट्टर नक्सलवादियों और उग्रवादियों आदि के लिए आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियां शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर के उन पूर्ववर्ती उग्रवादियों की सुविधा के लिए अलग नीति मौजूद है, जो उग्रवाद में प्रशिक्षण लेने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर/पाकिस्तान चले गए थे, किन्तु हृदय परिवर्तन के कारण विद्रोही गतिविधियां त्याग दी हैं और वापस आने के इच्छुक हैं।

चीनी की निर्यात

2887. **श्री सी. राजेन्द्रन:**
श्री बलीराम जाधव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान चीनी का निर्यात कम मूल्यों पर तथा आयात अधिक मूल्यों पर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान चीनी की मांग, आपूर्ति, निर्यात एवं आयात कितना था तथा निर्यात मूल्य तथा आयात मूल्य क्या थे;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष के दौरान चीनी का निर्यात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता एवं मूल्य पर इसके संभावित प्रभाव क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन चीनी मौसमों और चालू मौसम के दौरान अपने खाते से चीनी का कोई निर्यात या आयात नहीं किया है। तथापि चीनी मिलों/व्यापारी आयातकों/निर्यातकों ने अपने वाणिज्यिक विवेकानुसार चीनी का आयात/निर्यात किया है। चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य समय-समय पर भिन्न थे और यह मूल्य जिन पर ऐसी चीनी निर्यात और आयात की गई, उनका अनुरक्षण नहीं किया गया। गत तीन चीनी मौसमों और चालू मौसम के दौरान मौसम-वार चीनी का उत्पादन/आपूर्ति, मांग/खपत और निर्यात और आयात की गई चीनी की मात्रा निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

चीनी मौसम (अक्तूबर-सितंबर)	उत्पादन/ आपूर्ति	मांग/ खपत	निर्यात की गई मात्रा	आयात की गई मात्रा
2009-10	188	220	2.37	41.80
2010-11	244	210	28.14	3.65
2011-12	261	223	36.76	1.87
2012-13 (अनुमानित)	230	230	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता और राजस्व विभाग।

(ग) वर्तमान चीनी मौसम 2012-13 के दौरान सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के तहत चीनी के निर्यात की अनुमति का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। आगामी चीनी मौसम 2013-14 के दौरान चीनी के निर्यात की संभावना दर्शाना अभी जल्दबाज़ी करना होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

2888. **श्री बलीराम जाधव:**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत शामिल किए गए किसानों की

संख्या तथा किए एवं निपटाए गए दावों की महाराष्ट्र सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) लंबित दावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या औसत उत्पादन गणना पर भी गौर करते हुए इसे शामिल करने के लिए एन.आई.ए.एस. में बदलाव करने के संबंध में राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) इस स्कीम का लाभ उठाने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार दावे प्राप्त किए गए हैं और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उपज आंकड़ों के आधार पर निपटाए गए हैं। राज्यों द्वारा खरीफ 2012 मौसम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को उपज आंकड़े प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी/31 मार्च, 2012 है। रबी 2012-13 मौसम अभी शुरू ही हुआ है, अत: कवरेज के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि खरीफ 2011 और रबी 2011-12 के लिए कवरेज ब्यौरे संग्लन विवरण में दिए गए हैं।

(ख) दावों का निपटान राज्यों के उपज आंकड़ों और केंद्र तथा राज्य सरकारों की निधियों के शेयर की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा गठित संयुक्त समूह की सिफारिशों और राज्यों सहित पणधारियों के विचार के आधार पर रबी 2010-11 से 50 जिलों में पाइलेट आधार पर कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा संशोधित एन.ए.आई.एस. का अनुमोदन किया गया है। एम.एन.ए.आई.एस. के अंतर्गत थ्रेसहोल्ड उपज अर्थात औसत उपज की गणना 2 घोषित आपदा वर्षों को छोड़कर अनुमोदित किया गया है।

(ङ) एन.ए.आई.एस. के अंतर्गत खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 10 प्रतिशत राजसहायता पाने वाले किसानों से छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए उनके लिए स्कीम को वहनीय बनाने हेतु प्रीमियम की समान दर प्रभारित की जाती है। इसके अलावा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन राज्यों के संयोजन से प्रारंभ से ही फसल बीमा करने हेतु आगे आने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एन.ए.आई.एस. के बारे में जागरुकता सृजित करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभियान चलाने के लिए प्रमुख कार्यकलापों में प्रमुख राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन देना, आडियो-वीडियो मीडिया द्वारा प्रसारण पम्पलेटों का विवरण, कृषि मेलों/गोष्ठियों में सहभागी होना, कार्यशालाओं/प्रशिक्षण आदि आयोजित करना, स्कीम की विशेषता और लाभ का प्रचार-प्रसार करना शामिल है।

विवरण

खरीफ 2011 व्यवसाय आंकड़े (22-11-2012 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीमित किसानों की सं.	वसूल किया गया कुल प्रीमियम	भुगतान किए गए दावे	भुगतान किए जाने वाले दावे	लाभान्वित किसानों की सं.
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1694154	14312	18059	6068	339703
2.	असम	23770	155		202	5457
3.	बिहार	333462	2109	0	127	2609
4.	छत्तीसगढ़	1011298	3951	1261	0	44254
5.	गोवा	344	0	0	0	0
6.	गुजरात	976485	14379	31653	0	259839

1	2	3	4	5	6	7
7.	हरियाणा	2904	22	2	0	116
8.	हिमाचल प्रदेश	16668	140		3	518
9.	झारखंड	157727	379	10	0	339
10.	कर्नाटक	492005	1988	3990	0	65620
11.	केरल	11142	83	50	0	5030
12.	मध्य प्रदेश	1528565	13028	25027	3071	147827
13.	महाराष्ट्र	2192318	6376	3919	0	162907
14.	मणिपुर	2569	22	62	0	2569
15.	मेघालय	1080	8	4	0	172
16.	मिजोरम				0	
17.	ओडिशा	1443257	7442	65732	0	571682
18.	राजस्थान*				0	
19.	सिक्किम				0	
20.	तमिलनाडु	88430	1073	64	26	5198
21.	त्रिपुरा	1040	7		0	
22.	उत्तर प्रदेश	1078498	4602	2229	193	55535
23.	उत्तराखंड	20234	128	17	0	1628
24.	पश्चिम बंगाल	476098	1212	2279	1202	119706
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	230	3	0	5	52
26.	पुदुचेरी	605	2	0	0	83
27.	जम्मू और कश्मीर	1402	9		0	
	कुल योग	11554285	71427	154359	10898	1790844

*कार्यान्वित नहीं किए गए।

रबी 2011-12 अनंतिम व्यवसाय आंकड़े (22-11-2012 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीमित किसानों की सं.	वसूल किया गया कुल प्रीमियम	भुगतान किए गए दावे	भुगतान किए जाने वाले दावे	लाभान्वित किसानों की सं.
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	240473	1904		0	
2.	असम	32547	273		145	14751
3.	बिहार	11993	76		0	
4.	छत्तीसगढ़	770	1		0	0
5.	गोवा	0	0		0	
6.	गुजरात	33282	233	251	0	5810
7.	हरियाणा	31095	267		0	
8.	हिमाचल प्रदेश	12308	77		0	
9.	झारखंड	58504	120		148	9767
10.	कर्नाटक	877479	1563		0	
11.	केरल	15434	90		0	
12.	मध्य प्रदेश	1362148	5208	5794	58	120187
13.	महाराष्ट्र	319627	2713		13576	283388
14.	मणिपुर	114	1	8	0	114
15.	मेघालय	381	5	0	0	0
16.	मिजोरम				0	
17.	ओडिशा	69150	424		99	1289
18.	राजस्थान*				0	
19.	सिक्किम	105	1		0	
20.	तमिलनाडु	400450	3350		2112	16247
21.	त्रिपुरा	186	1		0	
22.	उत्तर प्रदेश	1021619	3488		0	

1	2	3	4	5	6	7
23.	उत्तराखंड	16251	62	0	0	0
24.	पश्चिम बंगाल	413129	3481		0	
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				0	
26.	पुदुचेरी	2506	21	54	0	770
27.	जम्मू और कश्मीर	2264	10		0	
	कुल योग	4921815	23370	6107	16138	452323

*कार्यान्वित नहीं किए गए।

फिल्मों की सेंसरशिप

2889. **डॉ. संजय जायसवाल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्षेत्रीय फिल्मों सहित फिल्मों की सेंसरशिप किस तरीके से की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय फिल्मों की समुचित स्क्रीनिंग के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय या अलग फिल्म बोर्ड गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन बोर्डों/कार्यालयों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) क्षेत्रीय फिल्मों सहित फिल्मों का सेंसरशिप चलचित्र अधिनियम, 1952 और चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 और भारत सरकार द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 ख (2) के अधीन जारी दिशानिर्देशों द्वारा प्रशासित होता है।

फिल्म की जांच करने के बाद केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (i) फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृति दे सकता है; या (ii) फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृति देने से पहले आवेदन को फिल्म में ऐसे काट-छाट या संशोधन करने के लिए निदेश दे सकता है जैसे वह जरूरी समझे; या (iii) फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृति देने से इंकार कर सकता है।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृति दी गई फिल्मों को उनके द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रमाणित किया जाता है:—

(i) "यू" यदि फिल्म अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है; या

(ii) "यूए" यदि फिल्म अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है किन्तु बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे अभिभावकों के नेतृत्व में देख सकें; या

(iii) "ए" यदि फिल्म अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है किन्तु बालिगों के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है;

(iv) "एस" यदि फिल्म अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है किन्तु केवल किसी व्यवसाय के सदस्यों या वर्ग के व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पहले ही मुम्बई, बंगलोर, कोलकाता, चेन्नै, कटक, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद और तिरुवनन्तपुरम स्थित नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 की प्रथम अनुसूची में इन क्षेत्रीय कार्यालयों के दायरे में शामिल क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है।

[अनुवाद]

विदेशों में कोयले की खानें

2890. **श्री खगेन दास:**
श्री अरुण यादव:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) से विदेश में कोयला खानों के अधिग्रहण करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सी.आई.एल. द्वारा अब तक विदेश में अधिग्रहीत कोयला ब्लॉकों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक इन कोयला ब्लॉकों के संचालन की स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार/सी.आई.एल. को इस व्यवस्था से क्या लाभ प्राप्त हुआ है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टिकोण से सरकार ने विदेश में कोयला परिसंपत्तियों के अर्जन को प्रोत्साहित किया है। तदनुसार, कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) ने अपने कोल विदेश प्रभाग के माध्यम से विदेश में कोयला परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए पहल की है।

(ग) और (घ) इस संबंध में किए गए प्रयासों के परिणाम निम्नलिखित हैं:-

(i) सी.आई.एस. को टेटे प्रांत, मोजाम्बिक में दो कोयला ब्लॉकों के लिए मोजाम्बिक सरकार द्वारा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान किया गया है। सी.आई.एल. ने इन कोयला ब्लॉकों के अन्वेषण तथा विकास के लिए मोजाम्बिक में कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सी.आई.ए.एल.) नामक एक पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना भी की है और मोजाम्बिक की इस सहायक कंपनी के नाम से लाइसेंस जारी किए गए हैं। सी.आई.ए.एल. को मोजाम्बिक के टेटे शहर में खनन, भू-विज्ञान, वित्त सर्वेक्षण और कार्मिक संवर्ग से सी.आई.एल. के वरिष्ठ कार्यपालकों/ सुपरवाइजरों की एक बहु-विधा वाली टीम की तैनाती/ अल्पावधि प्रतिनियुक्ति के माध्यम से प्रचालित किया गया है। इन कोयला ब्लॉकों में अन्वेषण तथा संबद्ध कार्यकलाप पहले ही आरंभ कर दिए गए हैं।

(ii) सी.आई.एल. ने दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित लिम्पोपो प्रांत में कोयला संसाधनों के अन्वेषण तथा विकास के लिए प्रांतीय लिम्पोपो सरकार, दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) भी संपन्न किया है।

(ङ) इन अधिग्रहणों के द्वारा सरकार और सी.आई.एल., दोनों के लिए परिकल्पित लाभ मुख्य रूप से देश में तेजी से बढ़ती हुई कोयले की मांग को पूरा करने में कोयले की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए है।

योग्य प्रशिक्षक

2891. श्रीमती मेनका गांधी: क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में स्थापित कई खेल स्टेडियमों में पर्याप्त संख्या में योग्य प्रशिक्षक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन स्टेडियमों में योग्य खेल प्रशिक्षकों को उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) खेल अवसंरचना यथा खेल स्टेडियमों आदि के विकास और अनुरक्षण की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से दिल्ली में 5 स्टेडियमों नामतः जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर और डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज का अनुरक्षण कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन 5 स्टेडियमों का उपयोग मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/खेलों में भाग लेने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण/तैयारी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के आयोजन के लिए किया जाता है। देश भर से साई के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र हैं और खेल को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं। इन केन्द्रों में केवल योग्य कोचों की तैनाती की गई है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों की मांग पर साई ने देश भर में स्थित राज्य और जिला कोचिंग केन्द्रों में भी योग्य कोच मुहैया कराए हैं। साई में कोचों की भारी कमी के कारण यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि केवल साई की अपनी योजनाओं के लिए ही कोच मुहैया कराए जाएं। तथापि, राज्यों की विभिन्न कोचिंग स्कीमों तथा विश्वविद्यालय फील्ड स्कीमों में अभी भी साई के लगभग 259 कोच कार्यरत हैं। राज्यों की विभिन्न कोचिंग स्कीमों तथा विश्वविद्यालय फील्ड स्कीमों के अंतर्गत कार्यरत साई के कोचों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य कोचिंग केन्द्रों में तैनात भारतीय खेल प्राधिकरण के कोचों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कोचों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	01
2.	असम	06
3.	बिहार	02
4.	छत्तीसगढ़	25
5.	दमन और दीव	02
6.	दिल्ली	11
7.	गोवा	05
8.	गुजरात	07
9.	हरियाणा	17
10.	हिमाचल प्रदेश	22
11.	जम्मू और कश्मीर	10
12.	झारखंड	07
13.	कर्नाटक	18
14.	केरल	05
15.	मध्य प्रदेश	06
16.	महाराष्ट्र	05
17.	मणिपुर	01
18.	मेघालय	01
19.	ओडिशा	07
20.	पंजाब	38
21.	राजस्थान	15
22.	तमिलनाडु	12
23.	त्रिपुरा	11
24.	उत्तर प्रदेश	06
25.	उत्तराखंड	10
26.	पश्चिम बंगाल	09
	कुल	259

[हिन्दी]

खरीद और भंडारण

2892. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री जगदीश शर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों की खरीद एवं भंडारण में आ रही समस्याओं के मद्देनजर सरकार का विचार इसे किसी निजी एजेंसी को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में तैयार की गयी पद्धतियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसानों तथा खरीद पर इसके प्रभाव एवं इस नयी व्यवस्था में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की आशंका पर इसके प्रभाव का अनुमान लगाया है तथा इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं तथा किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नए गोदाम बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) खाद्यान्नों की खरीद किसी निजी एजेंसी को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, खाद्यान्नों की बढ़ी हुई खरीद को ध्यान में रखते हुए तथा कवर एवं प्लिंथ (कैप) के अंतर्गत भंडारण को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने निजी उद्यमियों, केंद्रीय भंडारण निगम तथा राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से कवर्ड भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए निजी उद्यमी गारंटी स्कीम तैयार की थी।

(ख) निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त भंडारण आवश्यकता का निर्धारण समग्र खरीद/खपत तथा पहले से उपलब्ध भंडारण स्थान पर आधारित होता है। उपभोग वाले क्षेत्रों में भंडारण क्षमता का निर्माण राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों की चार माह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। खरीद वाले क्षेत्रों में अपेक्षित भंडारण क्षमता का निर्धारण करने के लिए पिछले तीन वर्षों के उच्चतम स्टॉक के स्तर पर विचार किया जाता है। 19 राज्यों में गोदामों के निर्माण के लिए 181.08

लाख टन क्षमता संस्वीकृत की गई है, जिसमें से 128.48 लाख टन के निर्माण हेतु मंजूरी दे दी गई है।

(ग) और (घ) भण्डारण सुविधाओं के विकास में निजी उद्यमियों को शामिल करने से खरीद पर तथा इससे किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा इस प्रणाली में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

(ङ) और (च) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जेल सुधार

2893. श्री प्रेमदासः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जेल सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से संपर्क किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में जेल प्रबंधन में व्यापक पैमाने पर बदलाव लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ॥ की प्रविष्टि 4 के तहत 'कारागार' राज्य का विषय है। कारागारों का प्रबंधन एवं प्रशासन पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। तथापि, सरकार ने 1800 करोड़ रुपये के परिव्यय से कारागारों के आधुनिकीकरण की एक योजना वर्ष 2002-07 से 27 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) के लिए कार्यान्वित की थी जो दिनांक 31-03-2009 को समाप्त हो गई। योजना के तहत नई जेलों, बैरकों के निर्माण के परिणामस्वरूप कारागारों में भीड़, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार, बहुत अधिक घटकर वर्ष 2005 में 45.38% से वर्ष 2011 में 12.1% हो गई। देश में कारागार सुधारों को आगे बढ़ाने तथा योजना के प्रथम चरण के लाभों के समेकन के लिए, कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना के द्वितीय चरण के लिए एक प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है। इसके अलावा, देश में कारागारों का प्रशासन एवं प्रबंधन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'कारागार प्रशासन' पर एक विस्तृत परामर्शी-पत्र दिनांक 17-7-2009 के अनुपालनार्थ जारी किया गया है।

विदेशी वित्तपोषण की जांच

2894. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बब्बर खालसा इंटरनेशनल को शत्रु विदेशी एजेंसियों/विदेशों से वित्त सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी पाए गए ऐसे मामले क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जिसे विदेशी एन.जी.ओ. से अपने कैडरों का वित्तपोषण करने के लिए पिछले चार वर्षों में 80 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, के वित्तपोषण की जांच प्रारंभ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं एक विदेशी एन.जी.ओ. के विरुद्ध एक मामला भी दर्ज कराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (च) जी, हां। जानकारियों से पता चलता है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बी.के.आई.) के संचालकों को भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विदेश से निधियां प्राप्त हो रही हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) ने, इस आरोप पर कि विदेश स्थित कुछ व्यक्ति पंजाब में स्थित कतिपय मध्यस्थों को धन भेज रहे हैं ताकि वे उसे जेल में बंद आतंकवादियों और उनके परिवारों को तथा पंजाब में आतंकवाद को पुनः शुरू करने के लिए अन्तरित कर सकें, अपराध सं. आर. सी. 05/2012/एन.आई./डी.एल.आई. के तहत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत बब्बर खालसा इन्टरनेशनल (बी.के.आई.) के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं। मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

आपदा प्रबंधन के लिए सहायता

2895. श्री रमेन डेका: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए अवसंरचना का विकास करने के लिए असम राज्य सरकार को प्रदत्त वित्तीय एवं तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): यह मंत्रालय आपदा प्रबंधन के लिए अवसंरचना का विकास

करने के लिए असम राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता नहीं प्रदान करता है।

मुम्बई आतंकवादी हमला

2896. श्री संजय निरुपम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन खामियों की पहचान की थी जिनकी वजह से मुम्बई में 26/11 को आतंकवादी हमला हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन खामियों को सुधारने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गलती करने वाले अधिकारियों को अभियोजित अथवा दंडित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई.एफ.एफ.आई. हेतु निधियां

2897. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आई.एफ.एफ.आई.) का आयोजन करने हेतु कुल कितनी निधियां आबंटित की गई;

(ख) भारतीय फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में उक्त फेस्टिवलों का परिणाम क्या रहा है;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय और विदेशी फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आई.एफ.एफ.आई.) के आयोजन के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योजना स्कीम के अंतर्गत निधि आबंटित की जा रही है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए आबंटन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपये)
2009-10	2.70
2010-11	2.85
2011-12	5.70
2012-13	6.00

(ख) सभी भारतीय भाषाओं में निर्मित छब्बीस फीचर फिल्में और सिनेमा, विषय और सौन्दर्य की उत्कृष्टता वाली इक्कीस गैर-फीचर फिल्में "भारतीय पैनोरमा" के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष चुनी जाती हैं जिन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। इन फिल्मों के निर्माताओं, निर्देशकों एवं अन्य निर्माण-सदस्यों को समारोह में आमंत्रित किया जाता है और प्रदर्शन के दौरान उन्हें सम्मानित किया जाता है। समारोह के दौरान, इन फिल्मों के निर्देशकों/निर्माताओं को ऐसे विश्व विख्यात फिल्मकारों से वार्तालाप का अवसर मिलता है जो आई.एफ.एफ.आई. में उपस्थित होते हैं और उन्हें ख्याति प्राप्त फिल्मकारों द्वारा आयोजित की जाने वाली मास्टर कक्षाओं में भाग लेने का भी अवसर मिलता है जिससे वे अपने कौशल को निखार सकते हैं।

(ग) सरकार अच्छी गुणवत्ता वाली फीचर फिल्मों, वृत्तचित्र फिल्मों और बाल फिल्मों के निर्माण और भारत में और विदेशों में विभिन्न फिल्म समरोहों और बाजारों में उन्हें बढ़ावा देने के लिए कई योजना स्कीमें कार्यान्वित करती है।

मेंथा की खेती

2898. श्री वरुण गांधी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में पंजीकृत मेंथा के राज्य-वार उत्पादन क्षेत्र और उसके उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में मेंथा के उत्पादन में गिरावट आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में किसानों को कितनी हानि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) मेंथा की वाणिज्यिक खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य तक ही सीमित है। पंजाब और बिहार मेंथा खेती के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र वाले अन्य राज्य हैं। वर्ष 2009-12 के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में मेंथा तेल का क्षेत्र तथा उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मेंथा के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है। तथापि, राष्ट्रीय बागवानी

मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत आई.एन.एम./आई.पी.एम. आदि के लिए पौध रोपण सामग्री तथा सामग्री की लागत पर व्यय को पूरा करने के लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के अंतर्गत मेंथा खेती की इकाई लागत 25,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर है तथा 50% सहायता स्वीकार्य है।

विवरण

वर्ष 2009-12 के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में मेंथा का क्षेत्र और उत्पादन

राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
उत्तर प्रदेश	218742	21877	234055	23408	250437*	25043*	262960**	26298**
पंजाब	6271	1681	909	148	7103	1273	7124	1285
बिहार	2100	252	2500	300	2700	324	2720	326

क्षेत्र हैक्टेयर में

उत्पादन मीट्रिक टन में (तेल के संदर्भ में)

*अनुमान

**प्रक्षेपण

[अनुवाद]

टेलीविजन रेटिंग

2899. **श्री आधि शंकरः**
श्री पी. कुमारः
श्री सी. शिवासामीः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या समाचार प्रसारणकर्ताओं ने वर्तमान रेटिंग प्रणाली के मूल्यांकन हेतु थर्ड पार्टी ऑडिट कराने और टेलीविजन आडिएंस मेजरमेंट (टी.ए.एम.) को रिपोर्टिंग रोकने के लिए निदेश देने हेतु सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रसारणकर्ताओं के ऐसे अनुरोध को स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विज्ञापन और प्रसारण एसोसिएशनों से ब्रॉडकास्ट आडिएन्स मेजरमेंट काउन्सिल के प्रभावी कार्यकरण में तेजी लाने के लिए कहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (घ) समाचार प्रसारक संघ (एन.बी.ए.), जो निजी समाचार चैनलों का स्व-विनियामक निकाय है, ने हाल ही में मंत्रालय को पत्र लिखकर टैम मीडिया अनुसंधान द्वारा टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टी.आर.पी.) के मापन की व्यवस्था और तौर-तरीके पर गंभीर चिंता प्रकट की है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने भारत में टी.आर.पी. प्रणाली के मुद्दे की जांच की और दिसंबर, 2009 में सिफारिश की कि टी.आर.पी. का स्व-विनियमन एक उद्योगनीत निकाय अर्थात प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद (बी.ए.आर.सी.) द्वारा किया जाना चाहिए। तदुपरांत टी.आर.पी. उत्पन्न करने की विद्यमान व्यवस्था में कतिपय कमियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ परिसंघ के पूर्व महासचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसे टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टी.आर.पी.) से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच करने और उन पर अपनी सिफारिशें करने के लिए कहा गया था। समिति ने नवंबर, 2010 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की है कि टी.आर.पी. का स्व-विनियमन उद्योगनीत निकाय अर्थात प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद (बी.ए.आर.सी.) के माध्यम से किया जाए।

(ङ) और (च) चूंकि समिति की सिफारिशों पर भारत प्रसारण संगठन (आई.बी.एफ.) द्वारा कार्रवाई की जानी थी, अतः रिपोर्ट जनवरी, 2011 में उन्हें भेज दी गई थी। मंत्रालय ने निरंतर रूप से मामले को आई.बी.एफ. के साथ उठाया है और उनसे बी.ए.आर.सी. को प्रभावी करने और एक पारदर्शी एवं विश्वसनीय टी.आर.पी. मापन पद को स्थापित करने के लिए कहा है। बी.ए.आर.सी. ने हाल ही में मंत्रालय को सूचित किया है कि एक बी.ए.आर.सी. से आग्राहकर उच्च मेज गठित करने के लिए उनकी ओर से कार्रवाई की गई है और उन्होंने

यह भी निर्णय लिया है कि एक तकनीकी समिति गठित की जाए ताकि टी.आर.पी. मानक तंत्र स्थापित करने के लिए संचालन से जुड़े कार्य शुरू किए जा सकें।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर से हिन्दुओं का पलायन

2900. श्री मकनसिंह सोलंकी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर से हिंदू देश के अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुओं के इस पलायन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस पलायन को रोकने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जम्मू और कश्मीर राज्य से पुन: पलायन की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

आई.पी.एस. अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले

2901. श्री गोरखनाथ पाण्डेय: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सेवारत और सेवानिवृत आई.पी.एस. अधिकारियों के विरुद्ध कितने आपराधिक मामले दर्ज किए गए तथा उनके विरुद्ध राज्य-वार और अपराध-वार अलग-अलग क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामले सुलझाए गए/सुलझाए बगैर रह गए तथा सभी मामलों को सुलझाने हेतु क्या क्रदम उठाए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले 3 वर्षों अर्थात 2009, 2010, 2011 और 2012 (दिनांक 31-10-2012 तक) के दौरान सेवारत और सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 16 मामले दर्ज किए हैं। मामलों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के नाम, पदनाम, बैच एवं कैडर, अपराध की प्रकृति और वर्तमान स्थिति दर्शाई गई है। भारतीय पुलिस सेवा के जिन अधिकारियों के खिलाफ विद्यमान कानून के अनुसार आपराधिक मामले दर्ज किये जाते हैं, उनके विरुद्ध संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

विवरण

दर्ज मामलों का ब्यौरा

वर्ष	क्र.सं.	मामले की आई.डी. पंजीकरण की तारीख एवं कानून की धाराएं	बैंच, कैडर, पदनाम के साथ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी का नाम	अपराध की प्रकृति	चार्ज शीट/आर.डी.ए./ऐसी कार्रवाई/लंबित जांच आदि के ब्यौरे सहित मामले की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
2009	1.	आर.सी.एस.एम.एल. 2009 ए 0005 दिनांक 21-11-09 पी.सी. अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (ङ) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत	श्री बी.एस. थिण्ड, आई.पी.एस., ए.डी.जी.पी., (हिमाचल प्रदेश-1974) (दिनांक 31-03-2010 को सेवानिवृत्त)	डी.ए. मामला	जांच पूरी होने के बाद दिनांक 31-03-2011 को न्यायालय में कलोजर रिपोर्ट दायर की गई क्योंकि दोषी की मृत्यु हो गई थी और इसे दिनांक 19-10-2011 को विद्वान न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
	2.	आर.सी. 4/5/09-कोलकाता दिनांक 24-02-2009 पी.सी. अधिनियम, 1988 के 13(1) (ग) (घ) के साथ पठित 409, 467, 471, 477क एवं 13(2) के साथ पठित 120(ख) केतहत आरोपपत्रित	1. आई.के. गोगोई., आई.पी.एस., तीसरी ए.पी.बी.एन. तिताबोर, जोरहाट, गुवाहाटी-19 के तत्कालीन कमाण्डर (सेवानिवृत्त) 2. बी.आर.दास, तीसरी असाम	आपराधिक कदाचार दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी	विचारणाधीन आई.के. गोगोई, आई.पी.एस. के खिलाफ दिनांक 31-12-2010 को आरोप पत्र दायर किया गया। बी.आर.दास के खिलाफ

1	2	3	4	5	6
			पुलिस बटालियन के तत्कालीन कमाण्डेंट		मंजूरी आदेश प्राप्त हुआ।
	3.	आर.सी. 5/ई/09-कोलकाता दिनांक 24-02-2009 पी.सी. अधिनियम, 1988 के 13(1) (ग) (घ) के साथ पठित 409, 467, 471, 477क एवं 13(2) के साथ पठित-120ख के तहत आरोपपत्रित	1. जिबान सिंह, आई.पी.एस., 10वीं असाम पुलिस बटालियन, हिलीपाडा, गुवाहाटी के तत्कालीन कमाण्डेंट (आरोपपत्रित) 2. पी.सी. निओग, आई.पी.एस., पुत्र श्री के.सी. निओग, 10वीं असाम पुलिस बटालियन, हिलीपाडा गुवाहाटी के तत्कालीन कमांडेंट (आरोपपत्रित) 3. आई.के. गोगोई, आई.पी.एस. तीसरी ए.पी.बी.एन., तिताबोर, जोरहाट के तत्कालीन कमांडेंट (आरोपपत्रित)	आपराधिक कदाचार, आपराधिक दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी	विचारणाधीन जिबान सिंह, आई.पी.एस, पी.सी. निओग, आई.पी.एस. और आई. के. गोगोई, आई. पी. एस. के खिलाफ दिनांक 28-03-2011 को आरोप-पत्र दायर किया गया।
2010	4.	आर.सी.6(एस)/2010 सी.बी.आई./एस.सी.बी./एल.के.ओ. दिनांक 17-06-2010 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201, 120-ख के तहत	श्री जे. रवीन्द्र गौड़, आई.पी.एस. (उ.प्र.:05) तत्कालीन ए.एस.पी. जिला बरेली	हत्या का मामला और सबूतों को नष्ट करना	विचारणाधीन
	5.	आर.सी. 09/6/2010 एस 0002 दिनांक 26-05-2010 भारतीय दंड संहिता की धारा 306 एवं 201 के तहत	श्री प्रदीप सरपाल, आई.पी.एस., हिमाचल प्रदेश पुलिस, शिमला, (हि.प्र. 1991)	आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना	जांच पूरी होने के बाद दिनांक 09-05-2011 को हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (गृह एवं सतर्कता) को श्री प्रदीप सरपाल, आई.पी.एस., आई.जी.पी., हि.प्र. पुलिस, शिमला के खिलाफ आर.डी.ए. (प्रमुख) कार्यवाही शुरू करने के लिए सी.बी.आई. की रिपोर्ट भेज दी गई है।
	6.	आर.सी. 18/10 दिनांक 18-5-2010 पी.सी. अधिनियम 1988 की धारा 13(1) (ख) एवं (घ) और धारा 11 के साथ पठित 120-(ख) भारतीय दण्ड संहिता और 13(2) के तहत	श्री मनोज मालवीय, आई.पी.एस. (प.बं.86) अपर आयुक्त (सुरक्षा) नागर विमानन ब्यूरो, नई दिल्ली	आपराधिक कदाचार	आरोप पत्र दायर किया जा रहा है। दिनांक 18-11-2011 को अभि-योजन की मंजूरी प्राप्त हुई।
	7.	आर.सी. 28/10 दिनांक 27-7-2010 पी.सी. अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (ङ) के साथ 13(2) के तहत	श्री मनोज मालवीय, आई.पी.एस. (प.बं.:86), अपर आयुक्त (सुरक्षा) नागर विमानन ब्यूरो, नई दिल्ली	डी.ए. मामला	आरोप पत्र दायर किया जा रहा है। दिनांक 18-11-2011 को अभियोजन की मंजूरी प्राप्त हुई।
2011	8.	आर.सी. 3(एस)/2011 मुम्बई दिनांक 29-4-2011, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के साथ पठित 341, 342, 364, 365, 368, 302 के साथ पठित	1. दहियाजी गोवार जी बन्जारा, डी.आई.जी. ए.टी.एस., गुजरात, आई.पी.एस. (एस.पी.एस.), (गुजरात: 1987)	फर्जी मुठभेड़ का मामला	निम्नलिखित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दिनांक 4-9-2012 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट

1	2	3	4	5	6
		120-ख के तहत	2. राजकुमार पांडियन, एस.पी., ए.टी.एस., गुजरात आई.पी.एस. (आर.आर.), (राजस्थान: 1996) 3. दिनेश एम.एन., एस.पी., एस.टी. एफ, राजस्थान आई.पी.एस. (आर. आर.), (राजस्थान: 1995) 4. विपुल अग्रवाल, तत्कालीन एस.पी., बनासकांठा, गुजरात आई.पी.एस. (आर.आर.), (गुजरात: 2001) 5. प्रशांतचन्द्र पांडे, तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, गुजरात आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त), (गुजरात: 1970) 6. गीता जौहरी, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी.(अपराध) गुजरात, आई.पी.एस., (गुजरात: 1982) 7. ओम प्रकाश माथुर, तत्कालीन ए.डी.जी.पी., सी.आई.डी. (अपराध), गुजरात आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त); (गुजरात: 1975)		क्लास, दांता, जिला- बनासकांठा के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया— 1. अमितशाह, तत्कालीन राज्य मंत्री (गृह), गुजरात सरकार। 2. डी.जी. बन्जारा, तत्कालीन डी.आई.जी.पी., बोर्डर रेंज, भुज, गुजरात। 3. एस. पांडिया राजकुमार, तत्कालीन एस.पी., ए.टी.एस., गुजरात। 4. दिनेश एम.एम., तत्कालीन एस.पी., उदयपुर, राजस्थान। 5. विपुल अग्रवाल, तत्कालीन एस.पी., बनासकांठा, गुजरात। 6. अब्दुल रहमान, तत्कालीन मंडल निरीक्षक, पी.एस. प्रताप नगर, उदयपुर। 7. आशीष पाण्ड्या, तत्कालीन पी.एस.आई., एस.ओ.जी., पालनपुर। 8. नारायण सिंह, तत्कालीन ए.एस.आई., जिला पुलिस, उदयपुर, राजस्थान। 9. युद्धवीर सिंह, तत्कालीन कांस्टेबल, जिला पुलिस, उदयपुर, राजस्थान। 10. दलपत सिंह, तत्कालीन कांस्टेबल, जिला-पुलिस, उदयपुर, राजस्थान। 11. करतार सिंह, तत्कालीन कांस्टेबल, जिला पुलिस, उदयपुर, राजस्थान। 12. जेठूसिंह मोहन सिंह सोलंकी, तत्कालीन ए.एस.आई., एस.ओ.जी, पालनपुर, गुजरात। 13. कांजीभाई नारनभाई कुच्छी, तत्कालीन पुलिस कांस्टेबल, एस.ओ.जी., पालनपुर, गुजरात। 14. विनोद कुमार अमृतलाल लिम्बाचिया, तत्कालीन पुलिस कांस्टेबल, एस.ओ.जी.,

1	2	3	4	5	6
					पालनपुर, गुजरात। 15. किरन सिंह हालाजी चौहान, तत्कालीन हेड कांस्टेबल, एस.ओ.जी., पालनपुर, गुजरात। 16. किरन सिंह अर्जुन सिंह सिसोदिया, तत्कालीन हेड कंस्टेबल, एस.ओ.जी, पालनपुर गुजरात। 17. प्रशान्त चन्द्र पांडे, तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, गुजरात। 18. गीता जौहरी, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई. डी. (अपराध) गुजरात। 19. ओमप्रकाश माथुर, तत्कालीन ए.डी.जी.पी. सी. आई.डी. (अपराध), गुजरात। 20. रमनभाई कोदारभाई पटेल, तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (अपराध), अहमदाबाद। 1 से 18 तक के अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201, 218, 167, 365, 506 के साथ पठित धारा 120-(ख) और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1 ख-क)के तहत और प्रामाणिक अपराधी और दण्डनीय अपराधों के लिए आरोपित किया गया है। जबकि 19 और 20 के अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 और धारा 218 के साथ पठित धारा 120-ख के तहत दण्डनीय अपराधों और प्रामणिक अपराधों के तहत आरोपित किया गया है।
	9.	आर.सी. 5(एस)/2011-मुम्बई दिनांक 16-12-2011 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 364, 368, 346, 120-ख, 201, 203, 204, 217, और 218 के तहत तथा आयुध	1. श्री के.आर. कौशिक, पुलिस आयुक्त (सी.पी.), अहमदावाद शहर, आई.पी.एस. (गुजरात: 1972) 2. श्री पी.पी. पांडे, संयुक्त पुलिस	फर्जी मुठभेड़ का मामला	जांच के अधीन।

1	2	3	4	5	6
		अधिनियम की धारा 25(1)(ङ) और 27 के तहत	आयुक्त (जे.सी.पी.), अपराध शाखा, अहमदाबाद शहर, आई.पी.एस. (गुजरात: 1980) 3. श्री डी.जी. वन्जरा, अपर पुलिस आयुक्त (अपर पुलिस आयुक्त), अपराध शाखा, अहमदाबाद शहर, आई.पी.एस. (एस.पी.एस.), (गुजरात) 4. श्री जी.एल. सिंघल, सहायक पुलिस आयुक्त (ए.सी.पी.), अपराध शाखा, अहमदाबाद शहर, आई.पी.एस. (एस.पी.एस.), (गुजरात: 2001)		
2012	10.	आर.सी.सी.एच.जी-2012 ए, 0023 दिनांक 18-10-2012 पी.सी. अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत	श्री देसराज सिंह, आई.पी.एस. (यू.टी.: 2008), तत्कालीन एस.पी. (शहर), यू.टी. चंडीगढ़	अवैध तुष्टिकरण की मांग	जांच के अधीन
	11.	आर.सी.-14(एस)/2012/एसी-III/एन.डी. दिनांक 24-02-2012 भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302 के तहत (भरतपुर दंगा मामला)	1. हिगंलाज दान, आई.पी.एस., (राज. 2003) एस.पी. जिला भरतपुर	दंगा मामला	जांच के अधीन
	12.	आर.सी.-15 (एस)/2012/एस.सी.-III/ एन.डी. दिनांक 24-2-2012 भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 149, 302 के तहत (भरतपुर दंगा मामला)	हिगंलाज दान, आई.पी.एस. (राज. 2003) एस.पी. जिला भरतपुर	दंगा मामला	जांच के अधीन
	13.	आर.सी.-16 (एस)/2012/एस.सी.-III/ एन.डी. दिनांक 24-2-2012 भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 149, 302, 435, 427 के तहत (भरतपुर दंगा मामला)	हिगंलाज दान, आई.पी.एस, (राज. 2003) एस.पी. जिला भरतपुर	दंगा मामला	जांच के अधीन
	14.	आर.सी.-18 (एस)/2012/एस.सी.-III/ एन.डी. दिनांक 24-2-2012 भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 149, 302 के तहत (भरतपुर दंगा मामला)	हिगंलाज दान, आई.पी.एस, (राज. 2003) एस.पी. जिला भरतपुर	दंगा मामला	जांच के अधीन
	15.	आर.सी.-19 (एस)/2012/एस.सी.-III/ एन.डी. दिनांक 24-2-2012 भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 149, 302 के तहत (भरतपुर दंगा मामला)	श्री के.एल., बिश्नोई, आई.पी. एस. (एम.एच-85) अपर पुलिस आयुक्त, मुम्बई	दंगा मामला	जांच के अधीन
	16.	पीई.06(ए)/12एसी. III. दिनांक 21-03-2012 यह मामला मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा भेजा गया है।	श्री.के.एल. बिश्नोई, आई.पी.एस. (एम.एच: 85) अपर पुलिस आयुक्त, मुम्बई।		मामलों की जांच की दृष्टि से अन्यथा निपटान कर दिया गया है। माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा मामले की जांच सी.बी.आई. को

1	2	3	4	5	6
					सौंपी गई थी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय के ही आदेश द्वारा वापस ले लिया गया था।

[अनुवाद]

कुतुब मीनार के ऊपर से उड़ानें

2902. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय:**
श्री नरहरि महतो:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) ने कुतुब मीनार के ऊपर से बार-बार विमानों के गुजरने/उड़ान भरने के बारे में अपनी चिन्ता जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानों से होने वाले कम्पन के कारण विश्व के ऊंचे स्मारकों में से एक इस स्मारक, जो भूकम्प क्षेत्र में स्थित है, की नींव प्रभावित हो सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नागर विमानन मंत्रालय को यह कहा है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान इस स्मारक के निकट नहीं आएं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर नागर विमानन मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने महानिदेशक, नागरिक उड्यन के साथ बात की थी और उसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के संरचनात्मक अभियांत्रिकी विभाग से विचार-विमर्श किया। इसी बीच, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारक पर कंपन के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की (सी.बी.आर.आई.) से संपर्क किया। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की के एक दल द्वारा विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत जनवरी 2012 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान दल ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि कुतुब मीनार के ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाजों से स्मारक में कोई अभिज्ञेय कंपन नहीं होता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आतंकवादी हमलों का खतरा

2903. **डॉ. संजय सिंह:**
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री ए. सम्पत:
डॉ. मन्दा जगन्नाथ:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री लालजी टन्डन:
श्री के.पी. धनपालन:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तालिबान और अन्य आतंकवादी संगठनों ने कथित रूप से भारत में आतंकवादी हमले कराने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय आसूचना एजेन्सी के पास तालिबान से खतरे का संकेत देने वाली कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। तथापि, उपलब्ध आसूचना संबंधी सूचनाओं से लश्कर-ए-तोइबा (एल.ई.टी.), इंडियन मुजाहिद्दीन (आई.एम.), बब्बर खालसा इन्टरनेशनल (बी.के.आई.) और खालिस्तान टाइगर फोर्स (के.टी.एफ.) जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा भारत में आतंकवादी हिंसा की गतिविधियों को अंजाम देने में सदैव दिलचस्पी लेने के संकेत मिलते हैं।

(ग) केन्द्र और राज्य स्तरों पर आसूचना एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ और प्रभावी समन्वय मौजूद है। सम्भावित योजनाओं और खतरों के बारे में आसूचना संबंधी जानकारियां नियमित आधार पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ साझा की जाती हैं। मल्टी एजेन्सी सेन्टर (एम.ए.सी.) का सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन किया गया है ताकि ये आसूचना के सही समय पर मिलान और अन्य आसूचना एजेन्सियों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करने में 24 x 7 आधार पर कार्य करने में सक्षम हो सकें और स्थापित प्रणाली के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ सुरक्षा संबंधी आसूचना जानकारियां साझा की जाती हैं, और इससे राज्यों तथा केन्द्रीय सुरक्षा और विधि प्रवर्तन एजेन्सी के बीच घनिष्ठ समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान और सूचना का अबाध प्रवाह सुनिश्चित होता है। इसके परिणामस्वरूप आतंकी योजनाओं (मॉड्यूल) का भण्डाफोड़ हुआ है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

2904. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एंटो एंटोनी:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उन कौन-से मुख्य कारकों की पहचान की गई है जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमैंट (एन.आई.एफ.टी.ई.एम.) नामक एक विश्वस्तरीय संस्था का उद्घाटन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार देश में इसी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास मंहत): (क) खंडित आपूर्ति शृंखला तथा पर्याप्त अवसंरचना की कमी मुख्य कारक हैं जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में बाधाएं पहुंचा रहे हैं।

(ख) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए मेगा खाद्य पार्क, एकीकृत शीत शृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना, बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण, अनुसंधान एवं विकास तथा मानव संसाधन विकास आदि सहित अनेक स्कीमें शुरू की हैं। विकेन्द्रीकरण और बेहतर आउटरीच के माध्यम से इस क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने के लिए 2012-13 से नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू किया गया है।

(ग) जी हां, महोदया।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) देश में समान संस्था स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सरकार ने कुंडली, जिला-सोनीपत, हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) स्थापित किया है। निफ्टेम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के क्षेत्र संवर्द्धन संगठन के रूप में कार्य करेगा। निफ्टेम के प्रमुख उद्देश्य हैं—

- क्षेत्र की सभी समस्याओं के लिए "वन स्टाप समाधान प्रदाता" के रूप में कार्य करना।
- क्षेत्र के विकास हेतु अग्रणी क्षेत्र अनुसंधान करना।
- उन विनिमयों के लिए बौद्धिक समर्थन देना जो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को नियंत्रित करेंगे और साथ ही नव प्रवर्तन को संपोषित करेंगे।
- खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं जैसे उत्पाद सूचना, उत्पादन एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, बाजार की प्रवृत्ति, सुरक्षा एवं गुणवता मानकों, अन्य के बीच प्रबंधन पद्धतियों के बारे में ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करना।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग ने निफ्टेम को डी-नोवो श्रेणी के अंतर्गत 08-05-2012 को डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालय घोषित किया था। संस्थान बी-टैक (खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन) और एम-टैक के पाठ्यक्रम चला रहा है। पहला आकादमिक सत्र 16-08-2012 से शुरू हुआ है।

[हिन्दी]

भण्डारण सुविधाएं

2905. श्री संजय सिंह चौहानः
श्री महाबली सिंहः
श्री यशवंत लागुरीः
डॉ. संजय सिंहः
श्री ए. सम्पतः
श्री ए.टी. नाना पाटीलः
शेख सैदुल हकः
राजकुमारी रत्ना सिंहः
श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः
श्री भूदेव चौधरीः
श्री रतन सिंहः
श्री प्रबोध पांडाः
योगी आदित्यनाथः
श्री एन. चेलुवरया स्वामीः
श्री किसनभाई वी. पटेलः
श्री विश्व मोहन कुमारः
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः
श्री बलीराम जाधवः
श्री लालजी टंडनः
श्री खगेन दासः
श्री रुद्रमाधव रायः
श्री राजय्या सिरिसिल्लाः
श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री प्रेमदासः
श्री बिभू प्रसाद तराईः
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः
प्रो. रंजन प्रसाद यादवः
श्रीमती रमा देवीः
श्री मकनसिंह सोलंकीः
श्री जगदीश शर्माः
श्री हरिभाऊ जावलेः
श्री एस.एस. रामासुब्बूः
कुमारी सरोज पाण्डेयः
श्री प्रदीप माझीः
श्री राम सिंह कस्वांः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गोदामों के खराब रख-रखाव, कीट और कृतन्कों के होने, खाद्यान्नों के असुरक्षित भंडारण और इस संबंध में सरकारी निदेशों के उल्लंघन के बारे में रिपोर्टें/शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा उक्त अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या, खुले में असुरक्षित रूप से रखे खाद्यान्न भंडारण तथा नष्ट हो गए खाद्यान्नों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपनी भंडारण जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) के अंतर्गत अपनी भंडारण क्षमता के विनिर्माण के लिए स्वयं की योजनाएं बनाने का निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि स्टाक के खराब रख रखाव, खाद्यान्नों के असुरक्षित भंडारण और भारतीय खाद्य निगम में सरकारी निदेशों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि राज्य एजेंसियों के पास पड़े स्टाक के परिरक्षण के आवधिक निरीक्षण के दौरान स्टाक का रखरखाव मानक स्तर को न होने की सूचना मिली है जिसके परिणामस्वरूप पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में निम्नलिखित मात्रा अपग्रेडेबल/जारी न करने योग्य हो गई है जो तत्काल प्रेषण योग्य नहीं है और इसका राज्य एजेंसियों द्वारा अलग किया जाना, अपग्रेडेशन करना और प्रधूमन करना आदि अपेक्षित है। इसका ब्यौरा निम्नलिखित है—

क्षेत्र	फसल वर्ष	31-10-2012 की स्थिति के अनुसार राज्य एजेंसियों के पास अपग्रेडेबल स्टाक (लाख टन)	31-10-2012 की स्थिति के अनुसार राज्य एजेंसियों के पास जारी न करने योग्य स्टाक (लाख टन)
1	2	3	4
पंजाब	2008-09 और उससे पुराना	0.17	0.27
	2009-10	0.68	0.09

1	2	3	4
	2010-11	0.89	0.01
	2011-12	0.33	0.00
	जोड़	**2.07**	**0.37**
हरियाणा	2009-10	0.40	0.05
	2010-11	0.16	0.02
	2011-12	0.01	0.00
	जोड़	0.57	0.07

प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई का क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कवर और प्लिंथ/खुले भंडारण (कच्चा और पक्का) में स्टाक की क्षेत्रवार स्थिति क्रमशः संलग्न विवरण-III, IV, V और VI में दी गई है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य हुए खाद्यान्नों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-VII में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे भारत सरकार द्वारा तैयार की गई निजी उद्यमी गारण्टी स्कीम की तर्ज पर गोदामों का निर्माण करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अधीन अपनी स्कीम तैयार करे ताकि इसी प्रकार की गारंटी के आधार पर निजी उद्यमियों/अथवा केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों तथा राज्य सरकार की एजेंसियों के जरिए अपनी तात्कालिक भंडारण जरूरतों को पूरा कर सके। निजी उद्यमी गारण्टी स्कीम के अधीन भारतीय खाद्य निगम निजी निवेशकों को 10 वर्ष के लिये भंडारण प्रभारों की गारंटी देता है। तथापि यदि राज्य सरकारों द्वारा ऐसी स्कीम अपनी भंडारण जरूरतों के लिए अपेक्षित गोदामों का निर्माण करने हेतु तैयार की जाती है तो इसके लिए भारत सरकार की कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं होगी। राज्य सरकारों के भारत सरकार की निजी उद्यमी गारण्टी स्कीम की तर्ज पर स्कीम तैयार करने के बारे में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-I

शिकायतों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई कार्रवाई क्षेत्र-वार

1. **पंजाब:** कनकपुर (जयपुर) से राज्य एजेंसी स्टाक के बुद्धलादा से भेजे गए गेहूं के स्टाक के लिए 26.6 टन कीड़ों द्वारा खाए जाने से बने आटे/क्षतिग्रस्त बोरियों की प्राप्ति के संबंध में 30-10-2012 को एक गुणवत्ता संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत के आधार पर 30043 रुपये की राशि का नुकसान सूचित किया गया है और इसे संबंधित राज्य एजेंसी से वसूल कर लिया गया है।

2. **गुजरात:** बुरी तरह संक्रमित खाद्यान्नों की बड़ी मात्रा के संबंध में भावनगर के जी.एस.सी.एस.सी. गोदामों में माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा श्री पुरुषोत्म रूपाला से अगस्त, 2012 के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई थी। चूंकि स्टाक जी.एस.सी.एस.सी. के गोदामों में संक्रमित हुआ था इसलिए राज्य सरकार द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और स्टाक को कीटमुक्त कर दिया गया है।

3. **महाराष्ट्र:** अजनी चौक, नागपुर निवासी से किशन शर्मा से अगस्त, 2010 के दौरान जब मानसून पूरे जोरों पर था और जलवायु की स्थिति कीड़ों के पनपने के लिए उपयुक्त थी तथा कीड़ों का प्रकोप बहुत अधिक था तब नागपुर में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कीड़ों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के संबंध मे एक शिकायत प्राप्त हुई थी। तथापि, कीड़ों के प्रकोप को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर लिए गए हैं और इस अवधि के दौरान खाद्यान्नों का कोई स्टाक बेकार नहीं हुआ है।

4. **पूर्वोत्तर सीमांत:** वर्तमान वर्ष 2012 के दौरान इस प्रकार की केवल एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। केन्द्रीय भण्डारण निगम हपनिया, त्रिपुरा राज्य, भारतीय खाद्य निगम के पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र के कवर्ड गोदामों में रखे गए 470 टन गेहूं को कीड़ों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इन स्टाकों को श्रेणीबद्ध किया जाना है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किए गए किसी भी नुकसान को केन्द्रीय भण्डारण निगम से वसूल किया जाएगा।

5. **कर्नाटक:** वर्ष 2011-12 के दौरान खाद्य भंडारण डिपु, उडुपी और खाद्य भंडारण डिपु, रायचूड़ के निकट रहने वाले स्थानीय निवासियों से कीड़ों के हमले से संबंधित केवल 2 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। तत्काल रोगहर उपचार के लिए कार्रवाई की गई और उक्त संबंधित गोदामों में कीड़ों के हमले को नियंत्रित करने/रोकने के लिए समय पर रोगहर उपचार सुनिश्चित किए गए थे।

6. **केरल:** वर्तमान वर्ष के दौरान केरल क्षेत्र के भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में खाद्यान्नों के क्षतिग्रस्त ..ने/सड़ने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत प्राप्त हुई थी। तथापि, इसकी जांच की गई है और यह पाया गया है कि पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केरल क्षेत्र के किसी भी डिपु से खाद्यान्नों की भंडारण क्षति/सड़ने की कोई सूचना नहीं है। तथापि, केरल क्षेत्र गुणवत्ता नियंत्रण में प्रशिक्षित कर्मचारियों/अधिकारियों के पर्यवेक्षण में अपने गोदामों में स्टाक का वैज्ञानिक भंडारण और संरक्षण सुनिश्चित करता है। खाद्यान्नों का उचित परिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण भी किए जाते हैं।

विवरण-II

खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(i) सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार किया जाना होता है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण भंडारण पद्धतियों की उचित वैज्ञानिक संहिता अपना कर किया जाना होता है।

(iii) लकड़ी की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथिन की चद्दरों जैसी पर्याप्त डेनेज सामग्री का उपयोग फर्श से नमी आने को रोकने के लिए किया जाना होता है।

(iv) सभी गोदामों में प्रधूमक कवर, नॉइलान की रस्सियां, जाल और भंडारित अनाज कीट जन्तुबाधाओं के नियंत्रण के लिए कीटनाशक प्रदान किए जाने होते हैं।

(v) भंडारित अनाज कीट जन्तुबाधाओं के नियंत्रण के लिए गोदामों में रोग निरोधी (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोगहर (प्रधूमन) उपचार नियमित रूप से और समय से किए जाने होते हैं।

(vi) ठके हुए गोदामों और कैंप भंडारण, दोनों में मूषक नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाने होते हैं।

(vii) कवर तथा प्लिंथ (कैप) में खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिंथ में किया जाना होता है और डेनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाने होते हैं। चट्टों को विशेष रूप से बनाए गए कम घनत्व वाले काले रंग के पोलीथीन वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से ढका जाना चाहिए और उन्हें नाइलॉन की रस्सियों/जाल से बांधा जाना चाहिए।

(viii) वरिष्ठ अधिकारियों सहित योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा स्टाक/गोदामों के नियमित आवधिक निरीक्षण किये जाने होते हैं।

(ix) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' सिद्धांत का यथा संभव सीमा तक पालन किया जाना होता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधि भंडारण से बचा जा सके।

(x) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल ढकी हुई बैगन इस्तेमाल की जानी होती है ताकि मार्गस्थ-क्षति से बचा जा सके।

विवरण-III

01-11-2009 की स्थिति के अनुसार कैप (कच्चा और पक्का) में क्षेत्रवार स्टाक

(आंकड़े टन में)

क्षेत्र	कैप						कुल		सकल जोड़
	कच्चा			पक्का					
	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	कुल	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	कुल	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजाब	0	770568	770568	440839	6820416	7261255	440839	7590984	8031823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली	0	0	0	6986	0	6986	6986	0	6986
उत्तराखंड	0	0	0	26415	0	26415	26415	0	26415
हरियाणा	0	559435	559435	191988	3395193	3587181	191988	3954628	4146616
उत्तर प्रदेश	0	0	0	122675	32000	154675	122675	32000	154675
राजस्थान	36789	0	36789	170283	0	170283	207072	0	207072
जम्मू और कश्मीर	1200	0	1200	0	0	0	1200	0	1200
बिहार	0	0	0	12000	0	12000	12000	0	12000
पश्चिम बंगाल	0	0	0	5514	0	5514	5514	0	5514
आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	9800	0	9800	53225	0	53225	63025	0	63025
कर्नाटक	22984	0	22984	51160	0	51160	74144	0	74144
मध्य प्रदेश	0	0	0	21397	0	21397	21397	0	21397
महाराष्ट्र	5346	0	5346	37524	0	37524	42870	0	42870
गुजरात	109395	0	109395	41633	0	41633	151028	0	151028
सकल जोड़	185514	1330003	1515517	1181639	10247609	11429248	1367153	11577612	12944765

विवरण-IV

01-11-2010 की स्थिति के अनुसार कैप (कच्चा और पक्का) में क्षेत्रवार स्टाक

(आंकड़े टन में)

क्षेत्र	कैप						कुल		सकल जोड़
	कच्चा			पक्का					
	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	कुल	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	कुल	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजाब	6683	514352	521035	598037	5751316	6349353	604720	6265668	6870388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू और कश्मीर	1553	0	1553	0	0	0	1553	0	1553
उत्तराखंड	0	0	0	13169	500	13669	13169	500	13669
हरियाणा	0	0	0	220625	3703785	3924410	220625	3703785	3924410
उत्तर प्रदेश	0	0	0	89737	70532	160269	89737	70532	160269
राजस्थान	23113	0	23113	303718	0	303718	326831	0	326831
बिहार	0	0	0	4209	0	4209	4209	0	4209
पश्चिम बंगाल	0	0	0	228	0	228	228	0	228
आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	57247	0	57247	57247	0	57247
तमिलनाडु	10382	0	10382	33928	0	33928	44310	0	44310
कर्नाटक	40533	0	40533	44051	0	44051	84584	0	84584
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	1665	1665	0	1665	1665
महाराष्ट्र	4602	0	4602	71343	0	71343	75945	0	75945
गुजरात	26840	0	26840	13862	0	13862	40702	0	40702
सकल जोड़	113706	514352	628058	1450154	9527798	10977952	1563860	10042150	11606010

विवरण-V

01-11-2011 की स्थिति के अनुसार कैप (कच्चा और पक्का) में क्षेत्रवार स्टाक

(आंकड़े टन में)

क्षेत्र	कैप						कुल		सकल जोड़
	कच्चा			पक्का					
	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	कुल	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	कुल	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजाब	0	138506	138506	583906	6837625	7421531	583906	6976131	7560037
दिल्ली		0	0	4700	0	4700	4700	0	4700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तराखंड	0	0	0	13139	0	13139	13139	0	13139
हरियाणा	0	16568	16568	262430	4736093	4998523	262430	4752661	5015091
उत्तर प्रदेश	0	0	0	224625	0	224625	224625	0	224625
राजस्थान	41869	0	41869	506080	0	506080	547949	0	547949
जम्मू और कश्मीर	1510	0	1510	0	0	0	1510	0	1510
आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	123956	0	123956	123956	0	123956
तमिलनाडु	0	0	0	39166	0	39166	39166	0	39166
कर्नाटक	0	0	0	89763	0	89763	89763	0	89763
मध्य प्रदेश	0	4667	4667	10854	32189	43043	10854	36856	47710
महाराष्ट्र	0	0	0	2931	0	2931	2931	0	2931
गुजरात	40953	0	40953	406	0	406	41359	0	41359
सकल जोड़	84332	159741	244073	1861956	11605907	13467863	1946288	11765648	13711936

विवरण-VI

01-11-2012 की स्थिति के अनुसार कैप (कच्चा और पक्का) में क्षेत्रवार स्टाक

(आंकड़े टन में)

क्षेत्र	कैप						कुल		सकल जोड़
	कच्चा			पक्का					
	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	कुल	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	कुल	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजाब	1548	126671	128219	612720	8859215	9471935	614268	8985886	9600154
दिल्ली	0	0	0	16302	0	16302	16302	0	16302
उत्तराखंड	0	0	0	3686	0	3686	3686	0	3686
हरियाणा	0	188451	188451	243327	5823008	6066335	243327	6011459	6254786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश	102884	0	102884	304237	0	304237	407121	0	407121
राजस्थान	6783	0	6783	583870	0	583870	590653	0	590653
आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	85592	0	85592	85592	0	85592
तमिलनाडु	0	0	0	70153	0	70153	70153	0	70153
कर्नाटक	0	0	0	114991	0	114991	114991	0	114991
मध्य प्रदेश	0	68865	68865	20952	430529	451481	20952	499394	520346
महाराष्ट्र	9	0	9	57879	0	57879	57888	0	57888
गुजरात	40863	0	40863	4150	0	4150	45013	0	45013
सकल जोड़	152087	383987	536074	2117859	15112752	17230611	2269946	15496739	17766685

विवरण-VII

पिछले तीन वर्षों के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य पाया गया क्षेत्रवार स्टाक

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (1-11-2012 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	726	200	0	319.3
2.	झारखंड	17	39	29	1.42
3.	ओडिशा	0	18	36	1
4.	पश्चिम बंगाल	1357	922	477	11
5.	असम	38	49	442	51.54
6.	पूर्वोत्तर सीमांत	77	175	0	195
7.	नागालैंड और मणिपुर	0	1	0	0
8.	दिल्ली	5	1	10.9	6.18
9.	हरियाणा	0	53	0	0

1	2	3	4	5	6
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	11	0	0	0
12.	पंजाब	2273	182	37	89
13.	राजस्थान	12	21	30	103.23
14.	उत्तर प्रदेश	14	520	258	18.3
15.	उत्तराखंड	0	1338	72	221
16.	आन्ध्र प्रदेश	0	3	4.33	9.69
17.	केरल	19	99	200	0
18.	कर्नाटक	70	17	0	69.34
19.	तमिलनाडु	1	12	29	16.66
20.	गुजरात	814	2595	226	195
21.	महाराष्ट्र	245	97	1473	47
22.	मध्य प्रदेश	49	2	0	0.06
23.	छत्तीसगढ़	974	2	13.78	8.98
	जोड़	6702	6346	3338.01	1363.7

[अनुवाद]

शीतागार सुविधाएं

2906. **श्री प्रहलाद जोशी:**
श्री नवीन जिन्दल:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को फलों एवं सब्जियों हेतु भारतीय खाद्य निगम/सरकारी-निजी भागीदारी मोड के माध्यम से स्थानीय तौर पर शीतागार सुविधाएं मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) जी नहीं, भारतीय खाद्य निगम का अधिदेश मुख्य रूप से खाद्यान्नों के लिए शुष्क भण्डारण का सृजन करना है। फलों एवं सब्जियों के लिए नमी वाली शीतागार सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

फलों तथा सब्जियों के लिए नमी वाले शीतागार की सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता, सरकार के निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं:-

1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.)
2. पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एच.एम.एन.ई.एच.)
3. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.)
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीम (एम.ओ.एफ.पी.आई.)
5. कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्कीम (अपेडा)
6. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्कीम (एन.सी.डी.सी.)

गैर-सरकारी संगठनों की निगरानी

2907. **श्री रूद्रमाधव राय:**
श्री एस.आर. जेयदुरई:
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री ताराचंद भगोरा:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **गृह मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की निगरानी हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त की गयी निधियों के उपयोग की निगरानी हेतु क्या तंत्र अपनाया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों के लिए अपने कार्यकलाप को पारदर्शी बनाना अनिवार्य करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की कार्ययोजना क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनयम (एफ.सी.आर.ए.), 2010 और इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार देश में गैर-सरकारी संगठनों सहित किसी 'व्यक्ति' द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्राप्ति एवं उपयोग की मानटरिंग करती है।

(ख) एफ.सी.आर.ए., 2010 में गैर-सरकारी संगठनों के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति के बाद विदेशी निधियों प्राप्त किए जाने का उपबंध किया गया है। पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के प्रत्येक आवेदन पर संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त सूचना के आधार पर निर्णय लिया जाता है। विदेशी निधियां प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किए गए/पूर्व अनुमति प्रदान किए गए गैर-सरकारी संगठनों को वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इनकी जांच की जाती है और आवश्यकतानुसार वास्तविक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण दल के निष्कर्षों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विदेशी अभिदाय प्राप्त कर रहे संगठनों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वर्ष की समाप्ति से 9 महीने की अवधि के भीतर अर्थात 31 दिसम्बर तक वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ऐसे वार्षिक लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सम्यक रूप से लेखा परीक्षित कराकर विहित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना होता है। एफ.सी.आर.ए. में विदेशी अंशदायों के प्राप्तकर्ताओं और बैंकों के लिए एक रिपोर्टिंग तंत्र का उपबंध किया गया है।

वार्षिक विवरणियां फाइल करने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों में चूककर्ता संगठनों को नोटिस जारी करना, पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को रद्द करना और लेखाओं का निरीक्षण करना शामिल है।

(ग) और (घ) गैर-सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित श्रेणियों में संगठनों (एसोसिएशन) की सूची प्रदर्शित या अपलोड की है:

1. ऐसे सगम, जिनके मामले जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे जाते हैं।
2. ऐसे संगम, जिनके मामले जांच के लिए राज्य पुलिस को भेजे जाते हैं।
3. ऐसे संगम, जिनको विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए निषिद्ध किया गया है।
4. ऐसे संगम, जिनको पूर्व अनुमति वाली श्रेणी में रखा गया है।
5. ऐसे संगम, जिनके खाते पर रोक (फ्रीज) लगा दी गई है।
6. 4163 गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

7. पंजीकृत संगमों की सूची।

8. स्वीकृत की गयी पूर्व अनुमनियों की सूची।

9. ऐसे संगम, जिनको एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपए से अधिक अभिदाय प्राप्त हुआ।

भवनों में अग्नि सुरक्षा

2908. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:**
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री कीर्ति आजाद:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी रिपोर्ट हैं कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में सरकारी भवनों सहित ऐसी अनेक बहुमंजिला इमारतें हैं जिनके पास दिल्ली अग्निशमन सेवा से अग्नि सुरक्षा संबंधी स्वीकृति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आग लगने की घटनाओं में कुल कितने लोग मारे गए/घायल हुए;

(घ) सरकार द्वारा उन भवन मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है जिन्होंने अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन नहीं किया है; और

(ङ) सरकार द्वारा बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) दिल्ली भवन उपनियम, 1983 के प्रवर्तन के बाद, भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकरणों अर्थात दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका परिषद/दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमति से दिल्ली में निर्मित सभी बहुमंजिला भवनों को दिल्ली अग्निशमन सेवा की स्वीकृति प्राप्त है। वर्ष 1983 से पहले निर्मित भवनों का भी दिल्ली अग्निशमन निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 1986 एवं नियम 1987 के उपबंधों के अंतर्गत निरीक्षण किया गया था और इन उपबंधों के अनुपालन में पाए जाने के बाद अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी किया गया था।

(ग) आग लगने की घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	घायल हुए	मारे गए
2010	05	शून्य
2011	03	01
2012 (दिनांक 15-11-12 तक)	04	02

(घ) दिल्ली अग्निशमन सेवा ने 2377 भवनों का निरीक्षण किया है। अपेक्षित अग्निसुरक्षा मानदंडों के सत्यापन के बाद, 527 भवनों को अग्निसुरक्षा की दृष्टि से अनापति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अग्निसुरक्षा मानदंडों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण 690 भवनों के बिजली एवं पानी के कनेक्शन काटे जाने के आदेश पारित किए गए हैं।)

(ङ) दिल्ली सरकार ने दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 और नियम, 2010 अधिनियमित किया है जो दिल्ली के बहुमंजिला भवनों में आग एवं जीवन सुरक्षा के संबंध में और अधिक व्यापक विधान हैं तथा उक्त अधिनियम और नियम दिनांक 1-7-2010 से प्रभावी हो गए हैं तथा दिल्ली में बहुमंजिला भवनों के निर्माण की सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर ढंग से मानीटरिंग की जा सकेगी। इन उपायों में भवनों में समुचित अग्निसुरक्षा प्रदान की गई है तथा इनसे आग लगने की घटनाओं में क्षतियों को रोकने/इन्हें कम करने में सहायता मिलेगी) उक्त अधिनियम और नियमों के अनुसार आवासीय भवनों के लिए प्रत्येक पांच वर्ष बाद तथा अन्य भवनों के लिए प्रत्येक तीन वर्ष बाद अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीकरण किया जाना भी आवश्यक है।

[हिन्दी]

भोजन की बर्बादी

2909. **श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:**
श्री चार्ल्स डिएस:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामाजिक सभाओं के दौरान होने वाले भोजन की बर्बादी की मात्रा का अध्ययन/आकलन करने और ऐसी बर्बादी को रोकने हेतु उपाय सुझाने के लिए कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस विषय को विद्यालय के पाठ्यक्रम

में शामिल करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय/एन.सी.ई.आर.टी. से बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के. वी. थॉमस): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा, देश में खास तौर पर विवाहों/पार्टियों/बैठकों आदि जैसे अवसरों पर देखी जाने वाली खाद्य पदार्थों की बर्बादी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और उसे नियंत्रित करने के उपायों का सुझाव देने के लिए सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। चार राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु के नागरिक आपूर्ति/खाद्य सचिव भी इस समिति के सदस्य हैं।

हाल ही में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सामाजिक समारोहों के दौरान खाद्य पदार्थों की बर्बादी और आडम्बरपूर्ण व्यवहार के आंकलन पर एक प्रारंभिक अध्ययन/सर्वेक्षण किया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य रूप से जागरूकता अभियानों, शिक्षा आदि के जरिये देश की जनता में जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता की सिफारिश की। रिपोर्ट में इस समस्या के समाधान के रूप में कानूनी प्रयासों की अनुपयुक्तता का उल्लेख किया गया है, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से एक सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दा है।

इस संबंध में उपभोक्ता मामले विभाग के 5 अगस्त, 2011 के पत्र के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों से इस मुद्दे को स्कूलों/कालेजों के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान के एक अध्याय के रूप में शामिल करने के लिए कहा गया है ताकि बच्चे छोटी उम्र से ही इस मुद्दे के बारे में सचेत हो सकें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि इस मामले को राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद (एन.सी.आर.टी.) तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ उठाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद (एन.सी.आर.टी.) द्वारा विकसित किया गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (एन.सी.एफ.)-2005 में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए सभी विषयों में नए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें शामिल की गई हैं। कक्षा-III से V तक के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की छह साझा विषय वस्तुओं में 'खाद्य' एक विषय-वस्तु हैं। खाद्य को कक्षा-VI से X तक के विज्ञान विषय में भी शामिल किया गया है। 'खाद्य पदार्थों की बर्बादी' से संबंधित सामग्री को माध्यमिक स्तर (कक्षा XI-XII) तक के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम में पहले ही एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है और खाद्य पदार्थों की बर्बादी से बचने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मूल्य वृद्धि के कारण

2910. **श्री रमाशंकर राजभर:**
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
योगी आदित्यनाथ:
श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री रवनीत सिंह:
डॉ. रत्ना डे:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री गणेश सिंह:
श्री लालजी टन्डन:
श्री हरिभाऊ जावले:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न संगठनों/निकायों ने यह सुझाव दिया है कि बफर मानदंडों से अधिक भण्डारण करने और समय पर स्टॉक को जारी करने में विफल रहने के कारण रोलर फ्लोर मिल्स प्रभावित हुए हैं और इससे मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि रोकने हेतु राज्यों के साथ चर्चा की है और बाजार हस्तक्षेप करने तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु और अधिक उचित मूल्य की दुकानें/सहकारी दुकानें स्थापित करने जैसे कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने जमाखोरी समाप्त करने और मूल्य निगरानी को सुचारू बनाने हेतु बाजार हस्तक्षेप के लिए पहलों को सुदृढ़ बनाने हेतु कोई समिति/निकाय गठित किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में मूल्य निगरानी की विद्यमान प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। खुली

खरीद नीति के कारण सरकार बफर और रणनीतिक रिजर्व मानदंडों से अधिक खाद्यान्नों की खरीदारी और भंडारण करने के लिए बाध्य है। तथापि सरकार अधिक स्टाक का निपटान करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन अतिरिक्त खाद्यान्न रिलीज कर रही है।

(ग) और (घ) राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों और उपभोक्ता विपणन संघों के जरिए अनौपचारिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता देने की स्कीम अनुमोदनार्थ तैयार की गई है। स्कीम का लक्ष्य राज्य एजेंसियों अर्थात राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों और उपभोक्ता विपणन संघों की क्षमता को भारत सरकार से एक बारगी वित्तीय सहायता देकर उनके वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के जरिए उनकी क्षमता को मजबूत करने का है और इससे उन्हें कमी के समय और/अथवा मूल्य बढ़ने के समय उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाकर बाजार में प्रभावी हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम बनाना है। स्कीम की रूपरेखा को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाना है।

राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन समय-समय पर स्वयं सेवी समूहों, ग्राम पंचायतों/सहकारी समितियों आदि को उचित दर दुकानों के लाइसेंस मंजूर करने के लिए अनुरोध करते रहे हैं। दिनांक 30-09-2012 तक प्राप्त सूचना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 513524 उचित दर दुकानों में से 125862 उचित दर दुकानें सहकारी समितियों सहित विभिन्न समूहों द्वारा चलाई जा रही है।

(ङ) और (च) उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य मानिटरिंग सैल दैनिक आधार पर संपूर्ण देश में 55 केंद्रों से संबंधित राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों की मानिटरिंग करता है। मूल्य मानिटरिंग सैल द्वारा एकत्रित मूल्य आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और उचित नीतिगत हस्तक्षेप तय करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है।

[अनुवाद]

केबल टी.वी. क्षेत्र में एकाधिकार

2911. **श्री यशवीर सिंह:**
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री रामकिशुन:
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्री नीरज शेखर:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से केबल टी.वी. क्षेत्र में एकाधिकार की स्थिति को रोकने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (घ) मंत्रालय को प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न खंडों में एकाधिकारिक प्रवृत्तियों के मुद्दे की जानकारी है और तदनुसार मीडिया-स्वामित्व के समस्त मुद्दों की जांच करने के लिए दिनांक 16-05-2012 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को एक पत्र लिखा गया था। मंत्रालय ने ट्राई से प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न खंडों के भीतर ऊर्ध्वाधर एकीकरण के विशिष्ट मुद्दों पर सिफारिशें करने का अनुरोध किया है क्योंकि मौजूदा परिदृश्य में टेलीविजन चैनलों के स्वामित्व वाली अधिक-से-अधिक प्रसारण कंपनियां विभिन्न वितरण प्लेटफॉर्मों नामत: केबल टीवी वितरण, डी.टी.एच. एवं आई.पी.टी.वी. आदि में उद्यम कर रही हैं और इसी प्रकार से वितरण प्लेटफॉर्मों के स्वामित्व वाली कई कंपनियां भी टेलीविजन प्रसारण के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं. ट्राई को क्षैतिज एकीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए भी कहा गया है जिसके तहत कंपनियों का प्रिंट, टीवी और रेडियो पर नियंत्रण/स्वामित्व है। ट्राई की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं। मंत्रालय प्रसारण क्षेत्र के वितरण खंड में कथित एकाधिकारिक प्रवृत्तियों के दुष्प्रभाव की जांच करने के लिए ट्राई को एक पत्र लिखने की प्रक्रिया में भी है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी से राजस्व

2912. **श्री नलिन कुमार कटील:**
श्री गोपाल सिंह शेखावत:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी टेलीविजन चैनलों और दूरदर्शन चैनल पर हिन्दी और अंग्रेजी सहित विभन्न भाषाओं में विज्ञापन दिखाने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन (डी.डी.) और आकाशवाणी (ए.आई.आर.) को विज्ञापनों और अन्य कार्यक्रमों से अर्जित कुल राजस्व का दूरदर्शन और आकाशवाणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त राजस्व का किस प्रकार से उपयोग किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय तथा विधिवत रूप से अधिकृत अन्य एजेंसियों द्वारा सरकारी विज्ञापनों के लिए प्राइवेट (सी.एंडएस.) टीवी चैनलों के नाभिकायन हेतु समय-समय पर यथा संशोधित अपने नीतिगत दिशानिर्देशों के जरिए प्राइवेट टीवी चैनलों पर सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों व संदेशों के विज्ञापनों के प्रसारण हेतु मानदण्ड निर्धारित किए हैं, ये दिशानिर्देश क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अक्तूबर, 2012 तक आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अर्जित कुल राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	दूरदर्शन (सकल राजस्व)	आकाशवाणी
2009-10	1000.36	249.1109
2010-11	1092.52	299.0351
2011-12 (गैर-लेखापरीक्षित आंकड़े)	1128.52	292.5304
2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक, अनंतिम)	651.75	129.5752

(घ) राजस्व का उपयोग आकाशवाणी और दूरदर्शन के व्ययों को वहन करने के लिए किया जाता है।

विवरण-I

विदृप्रनि तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अन्य विधिवत प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा भारत सरकार के विज्ञापनों के लिए निजी सी. तथा एस. टी.वी. चैनलों के पैनलीकरण के लिए नीति दिशानिर्देश

1. विदृप्रनि भारत में टी.वी. प्रसारण के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा संगठनों के विज्ञापन/संदेश जारी करने वाली नोडल एजेंसी होगी।

2. सी तथा एस चैनलों के पैनलीकरण तथा उनके टेलीकास्ट/प्रसारण दरों को निर्धारित करने का प्रमुख उद्देश्य लक्षित दर्शकों के लिए किफायती ढंग से अभीष्ट विषय या संदेश की व्यापक संभावित कवरेज प्राप्त करना है। इस प्रकार के विज्ञापन जारी करते समय विदृप्रनि टी.वी. चैनलों के राजनीतिक संबंधों या सम्पादकीय नीतियों पर ध्यान नहीं देता है। हालांकि, विदृप्रनि, ऐसे चैनलों को विज्ञापन जारी नहीं करेगा जो साम्प्रदायिक भावना को भड़काते हैं या भड़काने का प्रयास करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, भारत की सम्प्रभुता और अखंडता तथा सामाजिक रूप से स्वीकृत लोक शिष्टाचार एवं आचरण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। चूंकि अभियान के लिए मीडिया योजना उस अभियान के लिए प्रचार आवश्यकता तथा लक्षित दर्शकों के आधार पर की जाएगी, चैनल का पैनलीकरण सुनिश्चित कारोबार की गारंटी प्रदान नहीं करेगा।

(3) सरकारी विज्ञापनों के लिए निजी सी. तथा एस.टी.वी. चैनलों का विदृप्रनि के साथ पैनलीकरण निम्नलिखित के नियंत्रणाधीन होगा:-

(क) न्यूनतम टेलीकास्ट अवधि: विदृप्रनि के पैनल में शामिल होने के लिए टी.वी. चैनल के लिए एक वर्ष के विज्ञापन प्रसारण की न्यूनतम टेलीकास्ट अवधि का मानदंड प्रतिदिन कम से कम 16 घंटे का टेलीकास्ट अर्थात् प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक है।

(ख) विदृप्रनि, चैनल द्वारा उनकी प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए आवेदन के समय जमा किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेजों की संवीक्षा करेगा:-

(i) अप-लिंकिंग तथा डाउन लिंकिंग के लिए कम्पनी को सरकारी अनुमति तथा इस प्रकार के प्रचालन के लिए पर्याप्त साक्ष्यः

(ii) चैनल के लगातार प्रसारण का ई.एम.एम.सी. अथवा किसी अन्य विख्यात एजेंसी द्वारा प्रमाणपत्र;

(iii) जिस दौरान कम्पनियां परिचालित थी उस समय की कार्यक्रम सारिणी, अर्थात् प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक का पिछले 12 महीनों के लिए निश्चित बिंदु चार्ट (एफ.पी.सी.)।

(iv) एक निरस्त चैक जिस पर कम्पनी का नाम छपा हो, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आई.एफ.एस.सी.) सहित राष्ट्रीय यांत्रिक निधि

स्थानान्तरण (एन.ई.एफ.टी.)/यांत्रिक निकासी सेवा (ई.सी.एम.) का विवरण हो।

(v) निर्धारित राजस्व विवरण, अंततम लाभ तथा हानि लेखा, तुलन पत्र तथा पिछले 12 महीनों के लिए वास्तविक कर भुगतान के लिए लेखा परीक्षक/कम्पनी सेकरेट्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र।

(vi) जिस टेलीपोर्ट ऑपरेटर के माध्यम से चैनल अपने कार्यक्रम अपलिंक करता है उसका चैनल के प्रचालन के औसत समय संबंधी प्रमाणपत्र।

(vii) निर्धारित राजस्व विवरण; अंततम लाभ तथा हानि लेखा, तुलन पत्र तथा गत वित्तीय वर्ष के लिए सेवा कर सहित वास्तविक कर भुगतान तथा गत वित्तीय वर्ष के दौरान चैनल द्वारा अर्जित विज्ञापन राजस्व राशि के लिए लेखा परीक्षक/ कम्पनी स्केरट्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र।

(ग) आवेदकों के सभी विवरणों के साथ विदृप्रनि का मूल्यांकन अंतिम निर्णय के लिए पैनल सलाहकार समिति (पी.ए.सी.) के समक्ष रखा जाएगा। महानिदेशक, विदृप्रनि पैनल सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे। पैनल सलाहकार समिति के अन्य सदस्यों में वित्तीय सलाहकार (सू.और प्र.) प्रसारण उद्योग निकाय के तीन प्रतिनिधि होंगे तथा निदेशक (श्रव्य दृश्य), विदृप्रनि सदस्य सचिव होंगे।

(घ) कोई भी चैनल एक बार पैनल में शामिल होने पर तीन वर्षों की अवधि के लिए विदृप्रनि के पैनल में रहेगा। इन चैनलों को अपने पैनलीकरण के अंतिम वर्ष में विदृप्रनि के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में पुन: आवेदन करना होगा ताकि वे बिना किसी रूकावट के पैनल में शामिल रहेंगे।

(ङ) पैनल समाप्ति: चैनल का नाम परिवर्तन करने की स्थिति में चैनल विदृप्रनि को पहले ही सूचना देने के लिए बाध्य होगा। यदि ऐसा समय पर नहीं किया गया तथा यह विदृप्रनि के नोटिस में आता है तो चैनल को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा तथा उसके बाद चैनल को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ताकि उसे सरकारी मंत्रालयों/विभागों से किसी प्रकार का काम न मिले।

(च) पैनल में शामिल निजी टी.वी. चैनल जिन्होंने विज्ञापन के माध्यम से सूचना का प्रचार करने के लिए विदृप्रनि की शर्तों व नियमों को स्वीकार किया है वे विदृप्रनि/प्राधिकृत एजेंसी के विज्ञापनों को टेलीकास्ट करने के लिए संविदागत तथा सामाजिक बाध्यता के अधीन रहेंगें। अत: वे सरकारी स्पोंट्स में एकतरफा कमी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, यदि चैनल सरकारी स्पॉट को चलाने की बाध्यता को स्वीकार करने के बाद उससे विमुख हो जाता है तो चैनल का पैनलीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। इस प्रकार का निलंबन चैनल को पूर्व सूचना दिए बिना किया जा सकता है।

(छ) विदृप्रनि द्वारा पैनल में शामिल किए गए चैनलों की सूची विदृप्रनि द्वारा सभी प्राधिकृत एजेंसियों को परिचालित की जाएगी। न ही विदृप्रनि अथवा न ही कोई प्राधिकृत ऐजेंसी किसी भी समय चैनलों की इस अनुमोदित सूची को बाहर से परिचालित नहीं कर सकते। किसी भी चैनल की पात्रता/अयोग्यता/ निलंबन इत्यादि से संबंधित विदृप्रनि के सभी आदेश सभी प्राधिकृत एजेंसियों के पास बिना किसी विलंब अथवा अपवाद के हर समय उपलब्ध होने चाहिए।

(ज) पैनलीकरण का कैलेंडर: पैनलीकरण का कैलेडर निम्नवत् होगा:-

(i) विदृप्रनि द्वारा पैनलीकरण के लिए आवेदन मांगने हेतु विज्ञापन का निर्गम	1 दिसंबर को
(ii) चैनलों द्वारा आवेदन जमा करना	31 दिसंबर तक
(iii) आवेदन-पत्रों की संवीक्षा	15 फरवरी तक या उससे पहले
(iv) पैनलीकरण के प्रस्ताव का निर्गम	1 मार्च तक या उससे पहले
(v) टी.वी. चैनलों द्वारा पैनलीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति	25 मार्च तक
(vi) पैनलीकरण का प्रभावी होना	चैनलों द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना के सात दिनों के भीतर

चालू वर्ष हेतु चैनलों के पैनलीकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपरोक्त दिशानिर्देश के अनुमोदन के 15 दिनों के भीतर पैनलीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।

(i) कोई भी क्षेत्रीय चैनल जो वर्ष में किसी भी समय पैनलीकरण के मानदंडों को पूरा करता है वो पैनल में शामिल होने के लिए वार्षिक समय-सारणी का इंतजार किए बिना विदृप्रनि में आवेदन कर सकता है, तथा विदृप्रनि, आवेदन पत्रों की संवीक्षा तथा दिए गए मानदंडों के सत्यापन के बाद चैनल को पैनल में शामिल कर सकता है।

4. सरकारी स्पॉट के लिए दर संरचना निम्नलिखित के अधीन होगी:-

(i) इकाई दर=सरकारी स्पॉट के लिए इकाई दर 10 सैकेंड की अवधि के लिए होगा;

(ii) टाइम बैंड- छः टाइम बैंड होंगे- अर्थात् प्रातः 7.00 से प्रातः 9.00 प्रातः 9.00 से अपराह्न 12.00 अपराह्न 12.00 से सांय 7.00, सांय 7.00 से रात्रि 8.00, रात्रि 8.00 से रात्रि 10.00 तथा रात्रि 10.00 से रात्रि 11.00

(iii) 10 सैकेंड के सरकारी स्पॉट की दर निर्धारण के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाएगा:-

$R_{(xij)} = a + \{CPRP x TVR_{(xi,j)}\}$

जहां:

$R_{(xij)}$ = टाइम बैंड j पर xi चैनल के लिए रु. प्रति 10 सैकेंड सरकारी स्पॉट में दर।

a = रु. में स्थिरांक का प्रतीक।

CPRP = कॉस्ट पर रेटिंग पाइंट अर्थात् चैनल के लिए 1% TVR हेतु रु. में दर्शाना।

$TVR_{(xij)}$ = j टाइम बैंड पर xi चैनल के लिए TVR की गणना गत वर्ष के 27 वे सप्ताह से 52वें सप्ताह तक की अवधि के लिए TAM मीडिया डाटा पर आधारित है।

(iv) 15,25,35,45 सैकेंड के विज्ञापन अथवा किसी अन्य अवधि जो कि 5 सैकेंड का गुणज हो, उसके लिए अनुपातिक आधार पर भुगतान होगा।

(v) उपरोक्त सूत्र के अनुसार दर की गणना के लिए CPRP के रूप में रु. 23,000/- स्वीकार किया जाए अर्थात् लागत प्रति एक प्रतिशत रेटिंग पॉइंट तथा रु. 150/- को स्थिरांक (a) के रूप में स्वीकार किया जाए;

(vi) दूसरे तथा तीसरे वर्ष के लिए, मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से CPRP तथा स्थिरांक में वृद्धि की जा सकती है।

(vii) क्रिकेट मैचों के लिए दर का निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुलग्नक में दिए गए सूत्र के अनुसार होगा। हालांकि केवल लाइव क्रिकेट मैचों के लिए ही दरें प्रस्तावित की जाएंगी, नॉन-लाइव क्रिकेट सामग्री यथा, मैचों का पुनः प्रसारण, मुख्य घटनाएं, क्रिकेट चर्चाएं इत्यादि के लिए विदृप्रनि दरें प्रस्तावित नहीं करेगा।

(viii) यदि डीडी नेशनल चैनल तथा निजी सी. एवं एस. टी.वी. चैनल पर एक ही मैच का प्रसारण किया जाता है तो डीडी को क्रमशः टी.वी.आर. के लिए दी जाने वाली दरों का निर्धारण विचाराधीन मैचों/श्रृंखला के आरंभ होने से दो वर्ष पहले जो मैच भारत में संलग्न विवरण-II में सारणी के अनुसार) डीडी नेशनल पर प्रसारित किए गए, उनके आधार पर किया जाएगा। यद्यपि, डीडी नेशनल चैनल के मामले में टी.वी.आर. केवल 'सी एवं एस 15+होम्स' न होकर 'सभी 15 साल+होम्स' होंगे।

(ix) यदि कई निजी सी एवं एस चैनलों द्वारा एक ही मैच/श्रृंखला प्रसारित की जती है, तो टी.वी.आर. को समान अनुपात में बांटा जाएगा, अतः, यदि एक मैच दो निजी सी. एवं एस. चैनलों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है तो उपरोक्त सूत्र के अनुसार टी.वी.आर. की दरों की गणना करते हुए उसे 2 से विभाजित कर दिया जाएगा।

(x) टिकर/स्क्रोल के लिए कोई दरें नहीं हैं क्योंकि स्क्रीन के निचले हिस्से में स्क्रोल चलाना प्रत्यक्ष रूप से केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली 1994 के नियम 10 का उल्लंघन करना है।

(xi) प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई है। यद्यपि, विदृप्रनि विशिष्ट अपेक्षाओं के लिए एक ही प्रकार की शैली के लिए एक जैसे टी.वी.आर. वाले चैनलों से विशिष्ट समय बैंड के लिए दरें मंगवाएगा। जो चैनल सबसे कम सी.पी.आर.पी. भेजेगा उसे कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए दर प्रस्तावित की जाएगी। कोई दर केवल तभी

प्रस्तावित की जाएगी यदि विदृप्रनि कम से कम चार चैनलों से दरें प्राप्त करता है। इस प्रकार विदृप्रनि द्वारा निर्धारित दर सभी ए.ए. पर तथा विदृप्रनि पर भी लागू होंगी।

(xii) ऐसे ग्रुप/कंपनियां जिनके पास 1 से 3 तक चैनल है, उसके लिए वार्षिक विज्ञापन बजट के आबंटन पर 2% की तथा 4 या अधिक चैनल रखने वाले ग्रुप/कंपनियों के लिए 5% उच्चतम सीमा रखी जाएगी। इस प्रावधान का विदृप्रनि तथा ए.ए. द्वारा दृढ़ता से अनुपालन किया जाना होगा।

(xiii) टेलीविजन मीडिया अभियान के लिए आवंटित कुल वार्षिक बजट में से 40% अनन्य रूप से क्षेत्रीय चैनलों के लिए नियत किया जाएगा। मीडिया योजना को अंतिम रूप देते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बॉटम-अप पद्धति को अपनाते हुए उन क्षेत्रों में पहले पूरी तरह से कवर करते हुए क्षेत्रीय चैनलों को प्राथमिकता दी जाती है तदुपरांत मुख्य चैनलों को।

5. जैसे ही विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विज्ञापन जारी करने के मांग पत्र प्राप्त होते हैं, ग्राहक की जरूरतों पर विचार करने के पश्चात् सामग्री के संदेश, लक्षित दर्शक तथा उपलब्ध निधि को ध्यान में रखते हुए विदृप्रनि/ए.ए. एक उपयुक्त मीडिया योजना तैयार करते हैं। ऐसी मीडिया योजना प्रत्येक विवरण में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप होनी चाहिए, इस मीडिया प्लान (योजना) को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी विज्ञापन/संदेश को न केवल अधिकतम जनता तक बल्कि, उन लोगों तक भी पहुंचाना होता है जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं तथा जहां सरकारी संदेश का महत्व भी अधिक हो।

6. उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों में से किसी प्रकार की कोई छूट स्वीकृत नहीं होनी चाहिए चाहे कोई विभाग विशेष अनुरोध या मांग रखे। इस संबंध में विदृप्रनि/ए.ए. के कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे।

7. विदृप्रनि/ए.ए. को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि सभी टीवी स्पॉट्स का भुगतान तृतीय पार्टी के पर्याप्त सत्यापन के बाद ही होना चाहिए कि ये स्पॉट्स निश्चित समय बैंड तथा निश्ति अवधि के लिए वास्तव में प्रसारित हो चुके हैं।

8. उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धांत सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विदृप्रनि तथा सभी विधिवत् प्राधिकृत एजेंसियों के लिए पूर्ण रूप से लागू होंगे।

9. विदृप्रनि/ए.ए. इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को सभी विभागों तथा मांग कर रही एजेंसियों को सूचना एवं सतर्कता से अनुपालन के लिए परिचालित करेगी।

10. सूचना और प्रसारण मंत्रालय उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के किसी भी भाग का जन हित तथा सरकारी हित के लिए किसी भी समय पुनर्विलोकन करने का अधिकार रखता है।

विवरण-II

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जिसमें भारतीय टीम (पुरुष) भाग ले रही हो, के लिए दर नियतन

(दरें केवल तभी प्रस्तावित होंगी यदि मैच भारत में खेले जाते हों)

मैच की श्रेणी	अनुशंसित दरें
1	2
भारत में आयोजित होने वाले टेस्ट/एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय/टी-20 जिनमें भारत आस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका अथवा पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा हो।	दर प्रति 10 सैकेंड=वर्ष का सी.पी.आर.पी. (जो कि रु. 23000 है) × भारत द्वारा आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका तथा पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए सभी टेस्ट/एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय/टी-20 मैचों का औसत टी.वी.आर. औसत टी.वी.आर. की गणना के लिए, उन सभी मैचों (दिए गए प्रारूप के अनुसार) पर विचार किया जाएगा जो उन श्रृंखलाओं के, जिनके लिए दरें प्रस्तावित की गई हैं, शुरू होने से दो वर्ष पहले भारत ने उपरोक्त चार टीमों के खिलाफ खेले। सभी टेस्ट/एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय/टी-20 मैचों पर टी.वी.आर. गणना के लिए विचार किया जाएगा चाहे वो भारत में या विदेश में खेले गए हों। यद्यपि, विशेष टूर्नामेंट्स जैसे एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप, तथा टी-20 वर्ल्ड कप के टी.वी.आर. को औसत टी.वी.आर. के गणना के लिए निकाल दिया जाएगा।

1	2
	किसी सी. एवं एस. टीवी चैनल को इस प्रकार के मैचों के लिए दरें प्रस्तावित करने के लिए, परिकल्पित टी.वी.आर. उन मैचों पर (पिछले दो वर्षों में) लागू होगी जो.सी. एवं एस. 15 वर्ष+लक्षित समूह के लिए किसी निजी सी. एवं एस. चैनल पर प्रसारित होंगे। अत: इस प्रकार के टी.वी.आर. की गणना करते हुए डी.डी. पर प्रसारित मैचों के टी.वी.आर. को शामिल नहीं किया जाता।
भारत में आयोजित होने वाले टेस्ट/एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय/टी-20 मैच जिनमें भारत, श्रीलंका या वेस्टइंडीज या न्यूज़ीलैंड अथवा बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा हो।	दर प्रति 10 सैकेंड = वर्ष का सी.पी.आर.पी. (जो कि रु. 23000/-हैं)× भारत द्वारा श्रीलंका या वेस्टइंडीज या न्यूज़ीलैंड या बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए सभी टेस्ट/एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय/टी-20 मैचों का औसत टी.वी.आर.
	औसत टी.वी.आर. की गणना के लिए, उन सभी मैचों (दिए गए प्रारूप के अनुसार) पर विचार किया जाएगा जो उन श्रृंखलाओं के, जिनके लिए दरें प्रस्तावित की गई हैं, शुरू होने से दो वर्ष पहले भारत ने उपरोक्त चार टीमों के खिलाफ खेले। सभी टेस्ट/एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय/टी-20 मैचों पर टी.वी.आर. गणना के लिए विचार किया जाएगा चाहे वो भारत में या विदेश में खेले गए हों। यद्यपि, विशेष टूर्नामेंट्स जैसे एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप, तथा टी-20 वर्ल्ड कप के टी.वी.आर. को औसत टी.वी.आर. के गणना के लिए निकाल दिया जाएगा।
	किसी सी. एवं एस. टीवी चैनल को इस प्रकार के मैचों के लिए दरें प्रस्तावित करने के लिए, परिकल्पित टी.वी.आर. उन मैचों पर (पिछले दो वर्षों में) लागू होगी जो सी. एवं एस. 15 वर्ष+लक्षित समूह के लिए किसी निजी सी एवं एस चैनल पर प्रसारित होंगे। अत: इस प्रकार के टी.वी.आर. की गणना करते हुए डीडी पर प्रसारित मैचों के टी.वी.आर. को शामिल नहीं किया जाता।
भारत में आयोजित होने वाले टेस्ट/एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय/टी-20 मैच जिनमें भारत उपरोक्त आठ टीमों से अलग किसी अन्य टीम के खिलाफ खेल रहा हो।	कोई दर अनुशंसित नहीं की गई। ऐसे मैच विरल ही आयोजित किए जाते हैं तथा ऐसे मैचों के लिए किसी दर को तय करना मुश्किल होगा।

उदाहरण (काल्पनिक)

टिप्पणी

1	2	3
1 अक्तूबर 2011 से भारत तथा न्यूज़ीलैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला	दर = रु. 23000 × उन सभी टेस्ट मैचों की औसत टी.वी.आर. (केवल लाइव मैच) जो भारत ने न्यूज़ीलैंड, वेस्टइंडीज़, बांग्लादेश तथा श्रीलंका के खिलाफ 1 अक्तबूर 2011, से पहले 2 साल तक खेले। सभी मैचों को चाहे वो भारत में या विदेश में खेले गए हों, टी.वी.आर. की गणना करते हुए शामिल किया जाएगा।	दरें टी.ए.एम. स्पोर्टस डाटा के आधार पर प्रस्तावित होंगी जो कि विदृप्रनि द्वारा अभिदत्त होंगी। इस प्रकार गणना की गई औसत टी.वी.आर. विभिन्न मैचों के टी.वी.आर. का साधारण औसत होगा, चाहे अलग-अलग वर्षों में टी.ए.एम. यूनिवर्स में संभावित अन्तर कितना भी हो।
सितंबर 1, 2012 से भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एक दिवसीय	दर = रु. 23000/- × सितंबर 1, 2012 से पहले 2 वर्षों में भारत द्वारा सभी टीमों- आस्ट्रेलिया, इंग्लैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान	दरें टी.ए.एम. स्पोर्टस डाटा के आधार पर प्रस्तावित होंगी जो कि विदृप्रनि द्वारा अभिदत्त होंगी।

1	2	3
अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखला	के खिलाफ खेले गए सभी एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैचों (केवल लाइव मैच) का औसत टी.वी.आर। सभी मैच चाहे वो भारत में या विदेश में खेले गए हों उन्हें टी.वी.आर. की गणना में शामिल किया जाएगा।	इस प्रकार गणना की गई औसत टी.वी.आर. विभिन्न मैचों के टी.वी.आर. का साधारण औसत होगा, चाहे अलग-अलग वर्षों में टी.ए.एम. यूनिवर्स में संभावित अन्तर कितना भी हो।

विवरण-III

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(मीडिया एकक कक्ष)

अति तत्काल

विषय: विदृप्रनि तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अन्य विधिवत प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा भारत सरकार के विज्ञापनों के लिए निजी सी तथा एस. टी.वी. चैनलों के पैनलीकरण के लिए नीति दिशानिर्देश

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय के 14 मई, 2012 के समसंख्यक अ.वि. पत्र का संदर्भ लें।

2. इस मंत्रालय को 4-05-2012 को जारी नई नीति दिशानिर्देश पर निजी सी. एवं एस. चैनलों के पैनलीकरण के लिए कई एसोसिएशनों/समूहों/चैनलों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों को जांच लिया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों के उपबंधों 3(b)(ii), 3(f), 4(ii) तथा 4(xii) में निम्नवत् संशोधन किया जाए।

3(ख)(ii) ई.एस.एम.सी. या किसी अन्य प्रसिद्ध एजेंसी द्वारा एक प्रमाणपत्र देना कि चैनल सतत् प्रसारण कर रहा है। विकल्प में चैनल अपने सतत् प्रसारण को प्रमाणित करने के लिए डब्ल्यू.पी.सी. ऑपरेशनल लाइसेंस जमा करवा सकता है तथा इसके अलावा नेटवर्क ऑपरेशन तथा नियंत्रण के लिए दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक सरकारी निकाय एन.ओ.सी.सी. को किसी चैनल की सतत को प्रमाणित/पुष्टि करने के लिए कहा जा सकता है।

3(च) पैनल में शामिल निजी टी.वी. चैनल जिन्होंने विज्ञापन के माध्यम से सूचना का प्रचार करने के लिए विदृप्रनि की शर्तों व नियमों को स्वीकार किया है वे विदृप्रनि/प्राधिकृत एजेंसी के विज्ञापनों को टेलीकास्ट करने के लिए संविदागत तथा सामाजिक बाध्यता के अधीन रहेंगे। अत: व सरकारी स्पोट्स में एकतरफा कमी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई चैनल किसी आबंटित तिमाही (अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्तूबर-दिसंबर, जनवरी-मार्च) के दौरान कुल एफ.सी.टी. में से 85% से कम उपभोग करता है, तो विदृप्रनि द्वारा चैनल का कुल 3 साल के पैनलीकरण में से एक साल की अवधि के लिए पैनलीकरण रद्द कर दिया जाएगा और यदि ऐसा दूसरी बार होता है तो विदृप्रनि पैनलीकरण की शेष अवधि से उस चैनल को निलंबित कर देगा।

4(ii) टाईम बैंड-टाइम बैंड-छ: टाइम बैंड होंगे- अर्थात् प्रात: 7.00 से प्रात: 9.00, प्रात: 9.00 से अपराह्न 12.00, अपराह्न 12.00 से सांय 7.00, सायं 7.00 से रात्रि 8.00, रात्रि 8.00 से रात्रि 10.00 तथा रात्रि 10.00 से रात्रि 11.00, हालांकि समाचारपत्रों के लिए तीन टाई बैंड होंगे अर्थात् प्रात: 7.00 से अपराह्न 12.00, अपराह्न 12.00 से सांय 6.00 तथा सांय 6.00 से रात्रि 11.00, महानिदेशक, विदृप्रनि यह सुनिश्चित करेंगे कि स्पॉट्स एक के बाद एक न आ रहें हों तथा सभी टाईम बैंड में विज्ञापन समान रूप से बांटे गए हों और रात्रि 10.30 के बाद सरकारी विज्ञापन न दिखाए जाएं।

4(xii) चैनलों के वार्षिक विज्ञापन बजट में समूहवार अंतिम सीमा का विवरण निम्नानुसार होगा:-

संघटित चैनलों की संख्या	प्रति समूह/कंपनी के वार्षिक विज्ञापन बजट की अंतिम सीमा
1	2
1	2%

1	2
2-6	8%
7-16	12%
>17	15%
कुल	

महानिदेशक, विदूप्रनि बशर्ते राइडर का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करें कि सभी चैनलों को दर्शकों के अनुपात में विज्ञापन मिले, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए गए हों।

इसके अलावा, विदूप्रनि 2012-13 के लिए दरें प्रदान करने हेतु टी.वी.आर. की गणना करने के लिए अद्यतन टी.वी.आर. अर्थात् 2012 के पहले सप्ताह से 2012 के 26वें सप्ताह तक का प्रयोग कर सकता है।

3. तदुंसार, विदूप्रनि से इस मामले में अगली आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

4. संशोधित नीति द्विभाषी रूप में विदूप्रनि की सरकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

(शैलेश गौतम)

अवर सचिव (एम.यू.सी.)

दूरभाष सं. 2338 4853

खाद्यान्नों की खरीद

2913. प्रो. रंजन प्रसाद यादवः
श्री हरीश चौधरीः
श्री पशुपति नाथ सिंहः
श्रीमती सुमित्रा महाजनः
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः
श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः
श्री राजय्या सिरिसिल्लाः
श्री रायापति सांबासिवा रावः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वर्ष के दौरान गेहूं और चावल सहित कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खाद्यान्नों की खरीद की गयी;

(ख) क्या खाद्यान्नों का आयात घरेलू खरीद हेतु भुगतान किए गए मूल्य से अधिक मूल्य पर किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान खरीद प्रक्रिया में कोई अनियमितताएं पायी गयी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है और उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) वर्तमान विपणन मौसम (खरीफ और रबी विपणन मौसम 2012-13) के दौरान गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीदे गए गेहूं और चावल की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)		खरीद (लाख टन में)
	सामान्य	ग्रेड 'ए'	
धान	1250	1280	125.70*
गेहूं	1285		381.48

* दिनांक 06-12-2012 की स्थिति के अनुसार चावल के रूप में

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं और गैर-बासमती चावल का कोई आयात नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) खाद्यानों की खरीद में कथित अनियमितताओं के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर

शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर उन्हें समुचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम को भिजवा दिया जाता है और जहां कहीं अपेक्षित हो, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विशिष्ट ब्यौरा मौसम के अंत में उपलब्ध होगा।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना को हानि

2914. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**
श्री हरीश चौधरी:
श्री रतन सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) अपने अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण की वजह से एक हानि उठाने वाली कंपनी बन गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान डी.एम.एस. को हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा डी.एम.एस. को एक लाभकारी कम्पनी बनाने, भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना को हुई हानि नीचे सारणी में दी गई हैं:

वर्ष	हानि (करोड़ रुपये में)
2009-10	38.08
2010-11	32.10
2011-12	24.24
2012-13	*

*चालू वर्ष के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इस हानि को और आगे कम करने की संभावना है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2012-13 समाप्त होने के बाद ही वास्तविक आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं।

(घ) सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं—

(i) संपूर्ण कुशलता में सुधार के लिए विपणन, ढुलाई और संयंत्र प्रचालन जैसे प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना।

(ii) सेन्ट्रल डेयरी में तीन पालियों के स्थान पर दो पालियों में दूध की पैंकिंग द्वारा व्यय में कमी।

(iii) प्रचालन लागत को कम करने के लिए संयंत्र में बंद पड़े मशीन एवं उपकरणों का आधुनिकीकरण।

(iv) बिजली, ईंधन और पानी की खपत में कमी लाना।

जहां तक भ्रष्ट अधिकारियों का पता लगाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का संबंध है, उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए यह लागू नहीं होता है।

[अनुवाद]

कृषि पर वैश्विक तापन का प्रभाव

2915. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वैश्विक तापन के कारण देश में चावल, गेहूं, गन्ना, तिलहन, आदि के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर मौसम में परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए मौसम प्रत्यास्थी कृषि संबंधी राष्ट्रीय पहल (एन.आई.सी.आर.ए.) योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ङ) वैश्विक तापन के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क)

अभी तक इस प्रकार के प्रभाव पर कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना संलग्न विवरण के रूप में दी गई है।

(घ) देश के 100 संवेदनशील चयनित जिलों में जो देश के सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं चार माड्यूल्स में जलवायु सहयोगी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी सूखा संभावित कृषि विज्ञान केन्द्रों (50) में वर्षाजल संचयन और रिसायक्लिंग उपायों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कई फसलों हेतु ताप/सूखा प्रतिरोधी जर्मप्लाज्म लाइन्स की पहचान की गई है। कृषि सलाहकारी सेवाओं में सुधार हेतु सर्वाधिक संवेदनशील जिलों के कृषि विज्ञान केन्द्रों में 100 स्वचालित मौसम केन्द्रों को स्थापित किया गया है। 36 जगहों पर पांच फसलों में मौसम से संबंधित रियल-टाइम कीट निगरानी तथा आटोमेटिक डाटा अपलोडिंग हेतु साफ्टवेयर के विकास का कार्य प्रारंभ किया गया है। वाटरशेड (जलागम) परियोजनाओं की जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता के परिमाण के आकलन हेतु एक टूल किट को विकसित किया गया। जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की जागरूकता हेतु कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है।

(ङ) भारत सरकार ने कई स्कीम/कार्यक्रमों जैसे मेक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (एम.एम.ए.), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) तथा सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एम.आई.) आदि को क्रियान्वित किया है ताकि विभिन्न अनुकूलन उपायों को अंत: स्थापित कर भारतीय कृषि को जलवायु सहयोगी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के समाधान हेतु विभिन्न हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन हेतु योजना आयोग द्वारा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए.) पर मिशन दस्तावेज को अनुमोदित कर दिया गया है।

नीतिगत अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण तथा प्रायोजित/प्रतियोगात्मक अनुदान के माध्यम से भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु संवेदनशीलता में लचीलेपन को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंदान परिषद ने "जलवायु के प्रति लचीली कृषि पर राष्ट्रीय पहल (निकरा)" नामक एक नेटवर्क परियोजना का प्रारंभ किया है। इसके अलावा परिषद उपयुक्त एग्रोनामिक हस्तक्षेपों हेतु रियल-टाइम मौसम के आंकड़ों पर आधारित उन्नत कृषि परामर्श भी उपलब्ध करा रही है तथा देश में 572 लक्षित जिलों के लिए जिला स्तरीय आकस्मिक योजना भी तैयार कर रही है।

विवरण

जलवायु अनुरूप कृषि (निकरा) पर राष्ट्रीय पहल के तहत धन के राज्यवार आवंटन

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30.35	19.58	10.50	60.43
2.	आन्ध्र प्रदेश	4667.60	1664.34	2161.24	8493.18*
3.	अरुणाचल प्रदेश	91.05	66.13	29.90	187.08
4.	असम	121.40	70.07	59.51	250.98
5.	बिहार	275.10	263.08	173.90	712.08
6.	छत्तीसगढ़	91.05	57.74	31.10	179.89
7.	गुजरात	91.05	61.50	33.10	185.65
8.	हरियाणा	1505.45	526.00	917.97	2949.42

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	121.40	83.20	53.86	258.46
10.	जम्मू और कश्मीर	60.70	26.25	21.40	108.35
11.	झारखंड	151.75	126.02	67.00	344.77
12.	कर्नाटक	2100.15	887.15	924.02	3911.32
13.	केरल	745.10	491.10	601.00	1837.20
14.	मध्य प्रदेश	766.20	613.32	388.68	1786.20
15.	महाराष्ट्र	1267.45	246.22	198.10	1711.77
16.	मणिपुर	60.70	34.68	27.80	123.18
17.	मेघालय	65.70	59.02	34.20	158.92
18.	मिजोरम	30.35	20.35	11.70	62.40
19.	नागालैंड	91.05	68.49	29.00	188.54
20.	नई दिल्ली	3250.35	2254.46	1943.68	7448.49
21.	उत्तर-पूर्वी राज्य	1535.75	1070.00	805.19	3410.94
22.	ओडिशा	488.40	434.35	340.15	1263.10
23.	पंजाब	126.40	51.50	44.65	222.55
24.	राजस्थान	376.40	194.50	268.60	839.50
25.	सिक्किम	30.35	27.03	12.00	69.38
26.	तमिलनाडु	248.40	534.86	317.15	1100.41
27.	त्रिपुरा	30.35	24.46	12.70	67.51
28.	उत्तर प्रदेश	1157.85	877.40	704.53	2739.78
29.	उत्तराखंड	60.70	68.95	48.12	177.77
30.	पश्चिम बंगाल	359.25	278.07	229.25	866.57
	कुल	19997.80	11200.00	10500.00**	41697.80

*स्थान विशिष्ट निकरा तकनीकी कार्यक्रम को लागू करने के लिए देश भर में स्थित केन्द्रों के माध्यम से ए.आई.सी.आर.पी.डी.ए./ए.आई.सी.आर.पी.एम. के अंतर्गत रुपये की राशि, 2528.31 लाख (रुपये वर्ष 2010-11 में 988.56 लाख, 2011-12 में 967.25 लाख रुपये 2012-13 में 572.50 लाख रुपये) आबंटित की गई।

**प्रायोजित/सी.जी.सी. उपकरणों संघटकों जिनके लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे या प्रक्रिया के तहत 10500.00 लाख रुपये के अलावा 500.00 लाख रु. आबंटित किए जाएंगे। 2012-13 के दौरान इस परियोजना के अनुमोदन के बाद फंड आवंटित किया जाएगा।

गन्ना उत्पादन

2916. **श्री जयंत चौधरी:**
श्री सतपाल महाराज:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार गन्ना उत्पादन का औसत क्या है;

(ख) गन्ने की अधिक उत्पादन वाली किस्मों के **विकास**

के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) इन कदमों का परिणाम क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत् विकास के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज क्या है तथा देश में गन्ना उत्पादकों को इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) देश में गन्ने का औसत उत्पादन वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक 323.40 मिलियन टन है। औसत गन्ना उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(मिलियन टन)

क्र.स.	राज्य का नाम	उत्पादन
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.65
2.	गुजरात	14.05
3.	कर्नाटक	31.70
4.	मध्य प्रदेश	2.89
5.	महाराष्ट्र	75.52
6.	तमिलनाडु	34.85
7.	बिहार	7.69
8.	हरियाणा	6.42
9.	पंजाब	4.81
10.	उत्तर प्रदेश	118.77
11.	उत्तराखंड	6.44
12.	पश्चिम बंगाल	1.24
13.	अन्य	3.37
	कुल	323.40

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों सहित गन्ना प्रजनन संस्थान (एस.बी.आई.), कोयम्बटूर और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आई.आई.सी.आर.), लखनऊ उष्णकटिबंधीय एवं अर्द्ध-उष्णकटिबंधीय परिस्थिति हेतु गन्ने की सतत किस्में विकसित करने हेतु और प्रायोगिक अनुसंधान का आयोजन करने में व्यस्त हैं।

अभी तक, आई.सी.ए.आर. ने पिछले 5 सालों में प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पूर्व तटीय क्षेत्र, उत्तरी तटीय क्षेत्र और उत्तरी केन्द्रीय क्षेत्र हेतु गन्ने की 19 किस्में विकसित की है। इन किस्मों को अपनाने से उत्पादकता और चीनी प्रतिप्राप्ति की दर में सुधार हुआ है।

(घ) एम.एम.ए. के एस.यू.बी.एसी.एस. के अंतर्गत 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में विभिन्न राज्यों को क्रमशः 37.8.75 रुपए, 3177.23 रुपए 3371.03 रुपए और 3070.72 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य-वार आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) हाल ही के वर्षों में, गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार कोई विशेष पैकेज प्रदान नहीं कर रही है। फिर भी, प्रदर्शनों, किसानों एवं विस्तार कर्मियों के प्रशिक्षण, कृषि वैज्ञानिक इन्टरफेसीज़, महत्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति, कृषि उपकरणों, रोपण सामग्री, ड्रिप सिंचाई पद्धति आदि के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण हेतु गन्ना आधारित फसल पद्धति सतत विकास के अन्तर्गत राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है। बृहत् कृषि प्रबंधन मोड के अंतर्गत राज्यों को एकमुश्त राशि में कोष आवंटित और निर्मुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा, गन्ना विकास हेतु उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय चीनी फैक्ट्रीरियों को ऋण प्रदान कर रहा है जिसमें निम्नलिखित कार्यकलाप कवर किए गए हैं:-(i) हीट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना; (ii) नर्सरी; (iii) नाशीजीव नियंत्रण उपाय; (iv) गन्ने की उन्नत किस्मों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन; (v) सिंचाई स्कीम आदि।

इन पहलों के परिणाम स्वरूप, गन्ने के उत्पादन और उपज में वृद्धि हुई है और किसानों की शुद्ध आय उच्चतर हुई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान बृहत कृषि प्रबंधन मोड के अन्तर्गत सतत गन्ना आधारित फसलन पद्धति (एस.यू.बी.ए.सी.एस.) के अन्तर्गत किए कोष

(लाख रुपए)

राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आन्ध्र प्रदेश	20.00	10.00	20.00	—
बिहार	153.50	310.00	350.00	—
छत्तीसगढ़	19.68	19.00	23.00	69.49
गुजरात	58.40	43.40	107.30	110.30
हरियाणा	215.70	—	—	—
कर्नाटक	300.00	350.00	400.00	182.00
मध्य प्रदेश	29.70	30.00	40.00	40.00
महाराष्ट्र	1931.00	1991.28	1983.56	2200.00
मणिपुर	203.00	100.00	—	—
मिजोरम	15.77	13.15	15.00	10.00
नागालैंड	46.00	50.00	32.00	65.00
पंजाब	30.00	—	50.00	43.50
ओडिशा	—	137.25	155.20	178.48
उत्तर प्रदेश	682.00	245.60	—	—
उत्तराखंड	—	31.80	100.00	71.20
त्रिपुरा	4.00	~	4.20	11.75
पश्चिम बंगाल	—	70.00	41.60	89.00
कुल	3708.75	3177.23	3371.03	3070.72

स्मारकों का नवीकरण

2917. **श्री पोन्नम प्रभाकरः**
श्री निशिकांत दुबेः
श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः
श्री आर. ध्रुवनारायणः
डॉ. पी. वेणुगोपाल

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों सहित देश के विभिन्न स्मारकों की देखभाल नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रमुख स्मारकों/मंदिरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनकी देखभाल और नवीकरण केन्द्र सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर की जाती है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में प्राचीन स्मारकों की सावधिक जांच करता हैः

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने कुछ उपेक्षित स्मारकों/मंदिरों की तत्काल मरम्मत और संरक्षण के लिए केन्द्र का ध्यान आकर्षित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या स्थिति तथा है; और

(च) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों और मंदिरों के पुनरूद्धार के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उन की वर्तमान स्थिति क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) और (ख) जी, नहीं। इन राज्यों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक भली-भांति परिरक्षित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) इन संरक्षित स्मारकों का, उपलब्ध संसाधनों के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के फील्ड कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण तथा अनुरक्षण किया जाता है।

(च) कुछ राज्य सरकारों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कुछ संरक्षित स्मारकों के संरक्षण कार्यों के लिए आंशिक रूप से निधियां प्रदान की हैं और कुछ अन्य मामलों में राज्य सरकारों द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण कार्य को सिविल डिपोजिट कार्यों के रूप में करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुरोध किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, राज्य-वार

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	137
2.	अरुणाचल प्रदेश	03
3.	असम	55
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दमन और दीव (संघ शासित क्षेत्र)	12
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	202
9.	हरियाणा	90
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू और कश्मीर	69
12.	झारखंड	12
13.	कर्नाटक	507
14.	केरल	26
15.	मध्य प्रदेश	292
16.	महाराष्ट्र	285
17.	मणिपुर	01
18.	मेघालय	08
19.	नागालैंड	04
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	174
21.	ओडिशा	78
22.	पुदुचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	07
23.	पंजाब	33
24.	राजस्थान	162
25.	सिक्किम	03
26.	तमिलनाडु	413
27.	त्रिपुरा	08
28.	उत्तर प्रदेश	743
29.	उत्तराखंड	042
30.	पश्चिम बंगाल	134
	कुल	3678

विवरण-II

उन संरक्षित/अंसरक्षित स्मारकों के लिए सिविल डिपोजिट कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा जहां पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकारों ने निधियां जमा की हैं

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्मारक का नाम	केन्द्रीय संरक्षित/ राज्य संरक्षित	वर्ष-वार जमा की गई निधियां				कार्य की स्थिति
				2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उत्तर प्रदेश	श्री कृष्ण टिकरू की बारादरी, बिठूर, कानपुर	राज्य संरक्षित	-	76,93,000	-	-	पूर्ण
		प्राचीन शिव मंदिर परिसर, बिठूर, कानपुर	राज्य संरक्षित	-	82,14,600	-	-	पूर्ण
		शिवाजी महल, बिठूर, कानपुर	राज्य संरक्षित	-	70,70,000	-	-	पूर्ण
2.	आन्ध्र प्रदेश	रमप्पा मंदिर, पालमपेट वारंगल	केन्द्रीय संरक्षित	42,35,000	5,00,000	75,00,000	-	प्रगति पर है।
3.	महाराष्ट्र	महाकाली गुफाएं		50,00,000	-	-	-	पूर्ण
		विजय दुर्ग किला				3,73,47,000	-	प्रगति पर है।
		सिंधूदुर्ग किला				3,32,79,000	-	प्रगति पर है।
		शिवनेरी किला				2,00,00,000	1,00,00,000	प्रगति पर है।
4.	राजस्थान	अर्थुन मंदिर, जिला डूंगरपुर	केन्द्रीय संरक्षित	-	-	11,00,000	-	प्रगति पर है।
		प्राचीन स्थल नगरी, जिला चित्तौड़गढ़	केन्द्रीय संरक्षित	-	-	11,00,000	-	प्रगति पर है।
		बदौली, रावतभट, भीलवाड़ा	केन्द्रीय संरक्षित	-	-	11,50,000	-	प्रगति पर है।
		कोलवी गुफाएं, जिला झालावार	केन्द्रीय संरक्षित	-	-	8,50,000	-	प्रगति पर है।
		कोलवी जिला, झालावार	केन्द्रीय संरक्षित			25,00,000	-	प्रगति पर है।
5.	बिहार	गोलघर, पटना	राज्य सरकार द्वारा संरक्षित	-	77,59,291	60,64,825	48,78,057	प्रगति पर है।
6.	पंजाब	किला अदंरून बगीची घर दक्षिण/पश्चिम बुर्ज पटियाला	राज्य संरक्षित	-	-	1,17,64,409	-	प्रगति पर है।
		भटिंड़ा किला	केन्द्रीय संरक्षित	-	-	50,00,000	-	प्रगति पर है।
7.	कर्नाटक	संगीत और नारी महल नवरसपुर, बीजापुर	केन्द्रीय संरक्षित	-	-	24,50,000	-	प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	ओडिशा	बाराबाती किला, कटक	केन्द्रीय संरक्षित	1,50,00,000				प्रगति पर है।
9.	जम्मू और कश्मीर	मुबारक मंडी, जम्मू	राज्य संरक्षित	1,03,33,743	1,15,88,435	13,42,466		पूर्ण

[हिन्दी]

कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य

2918. श्री रामसिंह कस्वां:
श्री पूर्णमासी राम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए कौन से मानक तय किए गए हैं;

(ख) क्या कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए पैरामीटर तय करने हेतु केन्द्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में सरकार के सामने कौन सी समस्या आ रही है;

(घ) क्या सरकार वर्तमान मूल्य वृद्धि को देखते हुए कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहती है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है;

(च) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद के लिए कोई निगरानी प्रणाली कार्य कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों (सी.ए.सी.पी.), राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों तथा अन्य संबंधित कारकों का ध्यान रखते हुए विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम.एस.पी.) को निर्धारित करती है। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अनेकों महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं—उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, बाजार मूल्यों में प्रवृत्तियां, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अन्त:फसल मूल्य समानता, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार के क्षेत्र में परिवर्तन, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव आदि।

(ख) और (ग) डॉ.एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कृषक आयोग (एन.सी.एफ.) के विचारार्थ विषय में भारतीय कृषि के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है न कि मात्र कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को निर्धारित करने के लिए मानकों के निर्धारण हेतु।

राष्ट्रीय कृषक आयोग ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारित औसत उत्पादन लागत की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। हालांकि, इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश उद्देश्ययुक्त मानदंड तथा विभिन्न संबंधित कारकों पर विचार करने के आधार पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) द्वारा की जाती है। अत:, लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि को निर्धारित करने से बाजार पर प्रभाव पड़ सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं उत्पादन लागत के बीच अभियांत्रिकी समन्वय कुछ मामलों में पूरक उत्पादक हो सकता है।

(घ) और (ङ) 2011-12 तथा 2012-13 के लिए खरीफ एवं रबी फसलों हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) और (छ) सरकार केन्द्रीय, राज्य एवं राज्यों की सहकारी एजेंसियों द्वारा किए गए प्रापण संचालनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करती है।

राज्य सरकारों को समय-समय पर सतर्क किया गया है कि वे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य (फसल वर्ष के अनुसार)

(रु. प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिन्स	किस्म	2011-12	2012-13	2011-12 के एवज में 2012-13 के न्यू. सं. मू. में वृद्धि (#)
1	2	3	4	5	6
खरीफ फसलें					
1.	धान	सामान्य	1080	1250	170(15.7)
		ग्रेड ए	1110	1280	170(15.3)
2.	ज्वार	हाईब्रिड	980	1500	520(53.1)
		मलदांडी	1000	1520	520(52.0)
3.	बाजरा		980	1175	195(19.9)
4.	मक्का		980	1175	195(19.9)
5.	रागी		1050	1500	450(42.8)
6.	अरहर (तूर)		3200¶	3850	650(20.3)
7.	मूंग		3500¶	4400	900(25.7)
8.	उड़द		3300¶	4300	1000(30.3)
9.	कपास	मध्यम स्टेपल	2800[a]	3600	800(28.6)
		लम्बा स्टेपल	3300[aa]	3900	600(18.2)
10.	मूंगफली छिलके सहित		2700	3700	1000(37.0)
11.	सुरजमुखी के बीज		2800	3700	900(32.1)
12.	सोयाबीन	काला	1650	2200	550(33.3)
		पीला	1690	2240	550(32.5)
13.	कुसुम्भ		3400	4200	800(23.5)
14.	तिल		2900	3500	600(20.7)

1	2	3	4	5	6
रबी फसलें					
15.	गेहूं		1285	*	-
16.	जौ		980	980	0(0.00)
17.	चना		2800	3000	200(7.14)
18.	मसूर (लेन्टिल)		2800	2900	100(3.57)
19.	रेपसीड/सरसों		2500	3000	500(20.00)
20.	रामतिल		2500	2800	300(12.00)
अन्य फसलें					
21.	कोपरा	मिलिंग	4525	5100	575(12.7)
	(कैलेण्डर वर्ष)	बॉल	4775	5350	575(12.0)
22.	छिलके रहित नारियल (कैलेण्डर वर्ष)		1200	1400	200(16.7)
23.	पटसन		1675	2200	525(31.3)
24.	गन्ना		145.00¤	170.00¤	25(17.2)

कोष्टक में आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

a 24.5-25.5 की स्टेपल लम्बाई (एम.एम.) तथा 4.3-5.1 के माईक्रोनेयर मूल्य

aa 29.5-30.5 की स्टेपल लम्बाई (एम.एम.) तथा 3.5-4.3 के माईक्रोनेयर मूल्य

¶ दो महीनों की फसल कटाई/आगमन अवधि के दौरान प्रापण एजेंसियों को बेची गई तूर, उड़द तथा मूंग पर 500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देय है।

¤ उचित एवं लाभकारी मूल्य।

* घोषणा नहीं की गई।

[अनुवाद]

क्रिकेट प्रेमियों के लिए वीजा

2919. श्री अधलराव पाटिल शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज के लिए प्रथम बार सरकार ने अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या है;

(ग) क्या उक्त क्रिकेट सीरीज को देखने के लिए भारत आने को उत्सुक पाकिस्तानी दर्शकों के लिए वीजा मानदंडों में ढील पर सरकार विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आने वाले पाकिस्तानी दर्शकों की गतिविधियों की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने दिनांक 25 दिसम्बर, 2012 से 06 जनवरी, 2013 तक भारत में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज, जिसमें 03 एक-दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैच और 02 ट्वेन्टी-20

मैच शामिल हैं, का आयोजन करने के लिए अनुमति प्रदान की है। यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पी.सी.बी.) को चार खेल स्थलों (दिल्ली से इतर) के लिए 50 वी.आई.पी. टिकट प्रति स्थल भेजेगा और दिल्ली के लिए वह पी.सी.बी. को 100 वी. आई. पी. टिकट भेजेगा।

इसके अतिरिक्त, बी.सी.सी.आई. द्वारा पी.सी.बी. को चार खेल स्थलों (दिल्ली से इतर) के लिए 500 दर्शक टिकट प्रति स्थल भेजे जाएंगे और दिल्ली के लिए 1000 दर्शक टिकट भेजे जाएंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों, जो भारत राष्ट्र की प्रयोजक्ता से मैच देखने भारत आ रहे हैं, के संबंध में मौजूदा वीजा प्रक्रिया लागू होगी। तथापि, उन पाकिस्तानी दर्शकों, जो भारत राष्ट्र की प्रयोजकता के बगैर भारत आ रहे हैं, के संबंध में निम्नलिखित औपचारिकताएं अपनायी जाएंगी:-

(i) ऐसे पाकिस्तानी दर्शकों को मैचों के लिए टिकट (मैचों की संख्या की कोई सीमा नहीं), होटल, बुकिंग, हवाई जहाज, ट्रेन अथवा बस द्वारा रिटर्न टिकट और पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय पहचान-पत्र की एक फोटो कॉपी प्रस्तुत करने पर ही वीजा प्रदान किया जाएगा।

(ii) दर्शकों के लिए यह वीजा उन्हें जारी किए गए टिकट के अनुसार विशिष्ट स्थलों के लिए और यात्रा समय सहित विशिष्ट अवधि के लिए जारी किया जाएगा। यह वीजा बढ़ाया नहीं जा सकेगा और इसमें अतिरिक्त स्थानों को देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) बी.सी.सी.आई., पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पी.सी.बी.) को प्रत्येक स्थल के प्रशुल्क के साथ होटलों की सूची भी देगा जहां पाकिस्तानी दर्शकों को ठहराया जा सकता है।

(iv) सभी ऐसे वीजों की सूचना पुलिस को दी जाएगी और पुलिस की विशेष शाखा द्वारा बी.सी.सी.आई. द्वारा पहचान किए गए ऐसे अभिनिर्धारित होटलों, जिनमें पाकिस्तानी दर्शकों को ठहराया जाएगा, पर पुलिस को रिपोर्ट करने संबंधी विशेष काउण्टरों की स्थापना करके संबंधित शहरों में इसके प्रबंध किए जाएंगे।

(v) पाकिस्तानी दर्शकों को केवल (हवाई जहाज द्वारा) दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई होकर, (ट्रेन द्वारा) अटारी होकर और (बस द्वारा) अटारी होकर आने और वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। वीजा आवेदन फार्म में यात्रा के तरीके और आने/वापस जाने के स्थानों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा और उसे वीजा स्टीकर में पृष्ठांकित किया जाएगा। आने/वापस जाने के स्थानों अथवा यात्रा के तरीके में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अटारी होकर पैदल पार करने और ट्रेन द्वारा (मुन्नाबाओ) होकर पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि में निवेश

2920. श्रीमती सुशीला सरोजः
श्री गजानन ध. बाबरः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्रीमती सीमा उपाध्यायः
श्री महेश्वर हजारीः
श्रीमती ऊषा वर्माः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक, निजी और विदेशी निवेश आकर्षित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संभावित प्रभावों पर कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से किसानों को किस प्रकार के लाभ मिलने की संभावना है; और

(ङ) किसानों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) कृषि क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन

(एन.एच.एम.) समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पॉम एवं मक्का स्कीम (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.), ग्रामीण भण्डारण योजना आदि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कई स्कीमें शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र में निवेश में सुधार करने हेतु सरकार ने कृषि ऋण की उपलब्धता में महत्वपूर्ण सुधार किया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में वृद्धि की है। कृषि एवं सहकारिता विभाग को वर्ष 2007-08 में आवंटन 5560.00 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 20208.00 करोड़ रुपए हो गया है जिससे कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश हुआ है।

इसके अलावा, किसानों के समूहन एवं कृषि आपूर्ति श्रृंखला के समेकन के दृष्टिगत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की अग्रता के साथ बृहत् स्तर पर समेकित परियोजनाओं को सुविधा देते हुए आर.के.वी.वाई. के तहत सरकार ने 'समेकित कृषि विकास हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी हेतु खाका' जारी किया है।

स्वचालित रूट के अंतर्गत पैरा 6-2-11 में वर्णित '2012 का परिपत्र-1 समेकित एफ.डी.आई. नीति' शर्तों के अध्याधीन निम्नलिखित कृषि कार्यकलाप में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति है:

(i) पुष्प कृषि, बागवानी, मधुमक्खी पालन और नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत सब्जी एवं मशरूम की कृषि;

(ii) बीज एवं रोपण सामग्री का विकास एवं उत्पादन;

(iii) पशुपालन (कुत्तों के प्रजनन सहित), मत्स्य पालन, जल कृषि नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत; और

(iv) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से जुड़ी सेवाएं।

उपरोक्त के अलावा, किसी भी अन्य कृषि क्षेत्र कार्यकलाप में एफ.डी.आई. की अनुमति नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि विकास

2921. **डॉ. रतन सिंह अजनाला:**
शेख सैदुल हक:
श्री के. सुगुमार:
श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री खगेन दास:
श्रीमती कमला देवी पटले:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कृषि विकास दर के बारे में कोई लक्ष्य तय किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी ब्यौरा तथा उपलब्धि क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवंटन का ब्यौरा क्या है तथा कृषि कार्य में लगी/आश्रित जनसंख्या कितनी हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में दर्ज सकल घरेलू उत्पाद में कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्र का अंश/योगदान कितना है; और

(ङ) कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) 4 प्रतिशत के लक्षित सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) वृद्धि दर की तुलना में केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ.) द्वारा 31 जनवरी 2012 में प्रकाशित तीव्र अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों ने 2004-05 मूल्यों पर 2008-09 में 0.1 प्रतिशत वृद्धि दर 2009-10 में 1.0 प्रतिशत तथा वर्ष 2010-11 में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज कराई थी। इसके अलावा, 31 मई 2012 को केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का 2004-05 मूल्यों पर 2011-12 में 2.8 प्रतिशत के वृद्धि दर का अनुमान है।

(ग) कृषि क्षेत्र के विकास (कृषि एवं सहकारिता विभाग, पशु-पालन विभाग, डेयरी तथा मत्स्यिकी विभाग तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय तथा चालू वर्ष के लिए आवंटित राशि का विस्तृत ब्यौरा नीचे सारणीबद्ध है:

वर्ष	व्यय/आबंटित (रु. करोड़ में)
2009-2010	13503.47
2010-2011	20679.06
2011-2012	18695.92
2012-2013	25338.00

स्रोत: कृषि मंत्रालय

जनगणना 2001 के अनुसार, देश में कृषि में संलग्न किसानों तथा कृषि कामगारों की कुल संख्या 234.10 मिलियन थी। इके अलावा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के पंचवर्षीय रोजगार एवं बेरोजगार सर्वेक्षण के अनुसार 2009-10 में कृषि में नियोजित कामगारों की अनुमानित संख्या प्रति 1000 व्यक्ति में 532 थी।

(घ) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ.) द्वारा जारी अद्यतन अनुमानों के अनुसार 2011-12 में 2004-05 मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी/योगदान 14 प्रतिशत तक थी। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी 2008-09 में 15.8 प्रतिशत, 2009-10 में 14.7 प्रतिशत तथा 2010-11 में 14.5 प्रतिशत थी।

(ङ) सरकार ने कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ीकृत करने हेतु देश में अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं यथा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), गुणवत्ता बीज के उत्पादन तथा वितरण के लिए आधारभूत ढ़ांचा संबंधी सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.), एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), ग्रामीण भंडारण योजना आदि।

वृद्ध लोगों के विरुद्ध अपराध

2922. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवार के सदस्यों द्वारा वृद्ध लोगों के साथ दुर्व्यहार के संबंध में हेल्प एज इंडिया द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) हेल्प एज इंडिया द्वारा राज्य-वार प्रतिवेदित ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या देश में वृद्ध लोगों के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति मौजूद है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कोई ऐसी नीति बनाने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (च) गृह मंत्रालय को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय नीति, 1999 में वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उन्हें वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सहायता का प्रावधान है।

सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की दुर्व्यवहार और शोषण से रक्षा करने के लिए, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 भी अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के उपबन्धों में वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में भरण-पोषण न्यायाधिकरण स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

सुरक्षा बलों के बीच झड़प

2923. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के बीच झड़प की रिपोर्ट है जो नक्सल विरोधी अभियानों में लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र में नक्सलरोधी अभियानों के लिए रक्षा बलों की तैनाती नहीं की जाती है। तथापि, भारतीय वायु सेना ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्य पुलिस को संभारतंत्रीय सहायता प्रदान करने के लिए कुछ हेलिकाप्टर तैनात किए हैं, लेकिन अभियानों में सीधे भाग नहीं लेते हैं।

(ग) उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की उत्पादकता

2924. श्री मंगनी लाल मंडल:
श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में दर्ज प्रति हेक्टेयर खाद्यान्नों की राज्य-वार उत्पादकता तथा उत्पादन क्या है;

(ख) क्या देश में खाद्यान्नों का उत्पादन तथा उत्पादकता अमेरिका, चीन और अन्य देश से बहुत कम है;

(ग) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या है; और

(घ) देश में खाद्यान्नों का उत्पादन और उत्पादकता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए कौन से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष अर्थात 2009-10 से 2012-13 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उत्पादकता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) 2010 के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) में उपलब्ध सूचना (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार, विश्व में अन्य मुख्य देशों की तुलना में भारत में मुख्य खाद्यान्न फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता की तुलनात्मक स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

अन्य मुख्य देशों की तुलना में भारत में खाद्यान्नों सहित विभिन्न फसलों के कम उत्पादन एवं उत्पादकता के मुख्य कारण हैं—प्रबल वर्षा सिंचित कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का अक्षम उपयोग, टुकड़ीनुमा भूमि जोत, अक्षांशीय एवं मौसमी अंतरों के कारण कम फसल वृद्धि अवधि, अनुचित पोषाहार एवं कीट प्रबंधन, बेहतर गुणवत्ता बीजों का कम उपयोग, पर्याप्त मशीनरी की कमी तथा व्यवसायों के उन्नत पैकेज को कम अपनाना आदि।

(घ) देश मे खाद्यान्नों सहित विभिन्न कृषि फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के पास अनुसंधान संस्थानों आधारित 24 जिन्स/विषय के रूप में विभिन्न फसलों में अनुसंधान कार्यक्रम हैं। ये संस्थान विभिन्न फसलों में फसल सुधार, फसल उत्पादन तथा रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों से संबंधित मूल एवं नीतिगत अनुसंधान कार्यक्रम करते हैं। इस तरह विकसित तकनीकी जानकारी का उपयोग अखिल भारत समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (ए.आई.सी.आर.पी.) से संबंधित 31 फसलों द्वारा किया जाता है जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के लिए भिन्न-भिन्न कृषि जैविकीय आवश्यकताओं हेतु स्थान विशिष्ट किस्मों एवं प्रौद्योगिकीयों को विकसित किया जाता है। मुख्य फसलों यथा चावल, गेहूं, मक्के, सौरगम, पले बाजरा, दलहनों आदि जैसी मुख्य फसलों की उन्नत किस्मों/हाईब्रिडों को किसानों के गुणवत्ता बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) के माध्यम से फ्रंटलाईन प्रदर्शनों तथा अन्य प्रोन्नत कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से इन किस्मों एवं हाईब्रिडों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए स्थान विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु एकीकृत पोषाहार, जल एवं बीड प्रबंधन योजनाओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के फसल संस्थानों द्वारा विकसित किया गया है।

विवरण-I

खाद्यान्न उत्पादन एवं पैदावार (उत्पादकता) के राज्य-वार अनुमान

राज्य/संघ शासित प्रदेश	उत्पादन (000 टन)				पैदावार (कि.ग्रा./हैक्टेयर)			
	2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13$	2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	15295.0	20315.0	18402.7	8403.7	2294	2530	2525	2302
अरुणाचल प्रदेश	308.9	333.7	#	#	1555	1663	#	#
असम	4481.1	4876.5	4192.0	3817.0	1662	1763	1723	1750
बिहार	10150.6	9222.0	14054.6	6495.0	1530	1479	2102	1980
छत्तीसगढ़	4902.8	7055.2	6841.8	6065.7	1008	1424	1415	1480

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गोवा	109.9	123.1	#	#	1987	2263	#	#
गुजरात	5761.0	8341.6	9066.0	2793.1	1560	1843	1961	1395
हरियाणा	15357.0	16629.5	17957.4	3939.0	3383	3526	3878	2691
हिमाचल प्रदेश	1017.2	1421.1	1515.0	851.0	1297	1787	1917	2159
जम्मू और कश्मीर	1314.2	1521.6	1494.9	1056.9	1405	1639	1595	1329
झारखंड	2152.2	1876.6	4663.1	4813.6	1330	1257	1741	2403
कर्नाटक	10955.0	13877.2	12200.0	7566.3	1377	1684	1637	1762
केरल	610.8	527.2	559.5	449.0	2470	2399	2646	2383
मध्य प्रदेश	16016.4	14952.1	19045.6	4811.3	1285	1162	1411	1141
महाराष्ट्र	12586.3	15420.4	12316.0	6698.0	1039	1184	1150	1184
मणिपुर	338.9	592.7	#	#	1796	2244	#	#
मेघालय	239.1	239.0	#	#	1809	1803	#	#
मिजोरम	62.4	66.8	#	#	1047	1246	#	#
नागालैंड	354.2	568.3	#	#	1256	1902	#	#
ओडिशा	7553.1	7619.3	6433.3	6013.7	1397	1432	1297	1339
पंजाब	26950.1	27866.3	28352.0	11458.8	4144	4280	4339	3860
राजस्थान	12350.1	18832.2	18963.3	5808.4	931	1250	1316	815
सिक्किम	117.3	110.3	#	#	1496	1448	#	#
तमिलनाडु	7511.4	7594.9	9640.6	6085.2	2477	2393	2687	2639
त्रिपुरा	647.9	712.4	#	#	2544	2587	#	#
उत्तर प्रदेश	43195.3	47247.6	50292.6	17197.0	2236	2386	2495	2015
उत्तराखंड	1796.0	1815.6	1853.0	948.0	1780	1841	1942	1690
पश्चिम बंगाल	15741.6	14466.9	16289.7	9410.8	2522	2601	2675	2458
अण्डमान और निकोबार दीपसमूह	27.1	25.4	#	#	2420	2277	#	#
दादरा और नगर हवेली	21.3	29.8	#	#	1008	1530	#	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	125.8	153.3	#	#	3955	3909	#	#
दमन और दीव	4.9	4.8	#	#	1361	1333	#	#
पुदुचेरी	52.9	53.5	#	#	2299	2354	#	#
अन्य	एन.ए.	एन.ए.	3308.7	2494.5	एन.ए.	एन.ए.	2128	1015
अखिल भारत	218107.7	244492.1	257441.9	117176.1	1798	1930	2059	1762

* 16-7-2012 को जारी चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार

$ 24-09-2012 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार (केवल खरीफ)

अन्यों में शामिल एन.ए. लागू नहीं।

विवरण-II

अन्य मुख्य देशों की तुलना में भारत में 2010 के दौरान खाद्यान्न फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता

देश	उत्पादन (मिलियन टन)					
	धान	गेहूं	मक्का	सौरगम	मोटे अनाज	दलहन
1	2	3	4	5	6	7
भारत*	143.96	86.87	21.73	7.00	43.40	18.24
आस्ट्रेलिया	0.20	22.14	0.33	1.60	11.17	1.90
कनाडा	एन.ए.	23.17	11.71	0.00	22.24	5.19
चीन	197.21	115.18	177.54	1.73	185.34	3.89
फ्रांस	0.12	40.79	13.98	0.29	27.38	1.63
इंडोनेशिया	66.47	एन.ए.	18.33	एन.ए.	18.33	0.29
पाकिस्तान	7.24	23.31	3.71	0.14	4.27	0.86
यूनाईटेड किंगडम	एन.ए.	14.88	एन.ए.	एन.ए.	6.07	0.73
यू.एस.ए.	11.03	60.06	316.17	8.78	330.58	2.59

देश	उत्पादकता (कि.ग्रा./हैक्टेयर)					
	धान	गेहूं	मक्का	सौरगम	मोटे अनाज	दलहन
1	8	9	10	11	12	13
भारत*	3359	2989	2540	949	1531	691

1	8	9	10	11	12	13
आस्ट्रेलिया	10407	1639	5559	3097	1877	1089
कनाडा	एन.ए.	2802	9739	एन.ए.	4690	1814
चीन	6548	4749	5460	3163	5183	1396
फ्रांस	4979	6877	8896	5509	7178	3850
इंडोनेशिया	5015	एन.ए.	4436	एन.ए.	4436	1127
पाकिस्तान	3059	2553	3806	616	2324	549
यूनाईटेड किंगडम	एन.ए.	7673	एन.ए.	एन.ए.	5653	3462
यू.एस.ए.	7338	3117	9592	4507	8996	1845

स्रोत: खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.)

* कृषि मंत्रालय द्वारा जारी 2010-11 के लिए सरकारी अनुमानों के अनुसार

एन.ए.: लागू नहीं।

[अनुवाद]

कृषि योजनाएं

2925. श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री गणेश सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत कुछ वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें योजना-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या देश में बाढ़ और सूखा के कारण कृषि योजनाएं असफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इन योजनाओं को बनाते समय देश में वर्षा की अनिश्चितता को ध्यान में नहीं रखा गया है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) जी, हां। कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न फसल विकास स्कीमों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.-चावल, गेहूं और दलहन), बृहत कृषि प्रबंधन (एम.एम.ए.) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अन्तर्गत चावल/गेहूं/मोटे अनाज/दलहन के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है।

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए विभिन्न फसलों हेतु निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों की सूची संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) से (च) कृषि स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों के लिए उचित प्रौद्योगिकियों के संवर्धन के माध्यम से किए जाने वाले विभिन्न आपदाओं से फसलों को बचाने का प्रयास किया गया है। देश में कुछ अन्य भागों में भयंकर सूखे या बाढ़ प्रभावित होने के बावजूद खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन इन स्कीमों की सफलता का उदाहरण है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग ने देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए और मानसून के विभिन्न परिदृष्यों अर्थात कम वर्षा, सामान्य वर्षा और अधिक वर्षा स्थिति आदि में समय से पहलों की शुरूआत करने के लिए उचित आकस्मिक फसल योजना की तैयारी करता है।

(छ) विभिन्न कृषि स्कीमों के अन्तर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II, III और IV में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए खाद्य फसलों का फसल-वार और मौसम-वार उत्पादन

(मिलियन टन)

फसल	लक्ष्य	
	2011-12	2012-13
चावल	102.00	104.00
गेहूं	84.00	88.00
ज्वार	6.80	7.00
बाजरा	9.50	10.00
मक्का	21.50	22.50
रागी	2.30	2.30
लघु	0.40	0.70
जौ	1.50	1.50
मोटे अनाज	42.00	44.00
कुल दलहन	17.00	18.24
कुल खाद्यान्न	245.00	254.24

विवरण-II

योजना का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

क्र.सं.	वर्ष	2009-10			2010-11		
	राज्य	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	142.23	122.34	127.91	135.20	119.42	106.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	41.30	36.11	41.07	67.33	66.58	35.08
4.	बिहार	125.63	43.34	89.74	75.32	51.56	65.16
5.	छत्तीसगढ़	92.43	20.66	33.31	63.49	19.54	26.75
6.	गुजरात	22.69	14.98	14.41	39.09	23.89	30.16
7.	हरियाणा	33.95	28.65	26.76	39.28	35.75	36.20
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	झारखंड	16.95	4.68	8.17	27.20	16.49	10.21
11.	कर्नाटक	64.25	47.15	58.07	90.32	72.52	76.32
12.	केरल	3.91	2.78	2.55	2.62	2.10	1.99
13.	मध्य प्रदेश	124.98	59.33	83.83	214.76	160.72	151.27
14.	महाराष्ट्र	115.07	105.87	112.96	168.58	147.12	146.16
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	ओडिशा	64.99	62.41	62.81	66.56	58.53	62.57
20.	पंजाब	64.60	61.22	54.91	48.41	37.57	43.64
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	52.20	38.06	40.01	107.60	76.05	78.75
23.	तमिलनाडु	44.61	30.07	36.76	48.44	30.08	39.44
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	312.51	226.28	227.66	294.12	177.57	213.94
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	100.04	71.65	74.24	65.43	33.94	51.61
	कुल	1422.34	975.58	1095.17	1553.75	1129.43	1177.22

क्र.सं.	वर्ष	2011-12			2012-13		
	राज्य	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	110.36	88.87	112.34	158.52	80.00	67.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	10.33	7.36	0.00
3.	असम	37.75	36.58	67.94	41.86	23.98	5.18
4.	बिहार	76.41	74.87	61.52	104.9	54.01	42.33
5.	छत्तीसगढ़	63.29	55.25	45.12	77.41	34.17	18.21
6.	गुजरात	30.27	28.31	29.22	61.19	38.7	10.59
7.	हरियाणा	34.95	27.07	26.89	57.72	29.25	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	21.99	20.25	0.00

1	2	9	10	11	12	13	14
9.	जम्मू और कश्मीर	3.59	2.69	0.81	17.34	11.87	1.55
10.	झारखंड	27.10	12.2	25.83	34.1	12.24	10.67
11.	कर्नाटक	80.31	73.26	61.28	123.05	75.65	56.36
12.	केरल	3.04	2.28	2.04	2.59	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	174.03	146.82	173.62	249.56	107.12	43.26
14.	महाराष्ट्र	151.67	135.85	136.54	228.78	186.78	82.79
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	12.16	11.45	0,00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	9.3	3.75	0.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	6.04	3.80	3.40
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	11.64	2.97	0.00
19.	ओडिशा	61.01	64.76	62.44	75.97	56.32	29.12
20.	पंजाब	47.72	35.18	15.03	63.86	19.05	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00
22.	राजस्थान	94.67	79.28	69.02	154.36	95.46	20.86
23.	तमिलनाडु	36.58	34.54	33.09	52.06	26.44	6.57
24.	त्रिपुरा	3.63	3.63	2.95	21.88	10.79	8.41
25.	उत्तर प्रदेश	283.72	24.96	230.10	290.91	143.07	47.9
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	21.92	16.25	2.22
27.	पश्चिम बंगाल	57.03	38.58	33.64	59.32	18.27	14.23
	कुल	1377.13	1184.98	1189.42	1970.84	1089.00	471.42

विवरण-III

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	2009-10			2010-11		
		आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	65.35	62.53	35.59	63.07	36.76	50.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.50	22.50	20.71	30.21	32.21	32.02
3.	असम	16.25	8.12	0.00	23.37	11.68	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	39.00	38.15	42.80	38.57	33.05	34.71
5.	छत्तीसगढ़	21.70	21.70	22.59	20.82	20.82	20.69
6.	गोवा	1.00	1.00	1.01	0.46	0.46	0.46
7.	गुजरात	36.45	38.30	36.51	36.58	39.19	42.29
8.	हरियाणा	16.90	26.90	26.86	16.08	13.34	13.05
9.	हिमाचल प्रदेश	20.00	20.00	19.26	20.16	22.91	23.31
10.	जम्मू और कश्मीर	36.60	30.91	29.89	37.16	15.83	12.39
11.	झारखंड	10.65	8.76	8.18	10.76	8.88	10.64
12.	कर्नाटक	50.25	50.25	50.31	47.90	47.90	48.86
13.	केरल	12.75	12.75	12.78	11.84	11.84	12.88
14.	मध्य प्रदेश	62.85	61.71	66.75	61.65	69.15	69.45
15.	महाराष्ट्र	92.75	92.75	86.39	89.10	109.10	114.90
16.	मणिपुर	20.50	23.50	23.50	30.21	47.21	47.21
17.	मेघालय	14.25	14.25	24.76	21.09	21.09	10.54
18.	मिजोरम	23.25	18.02	14.25	34.20	40.09	41.29
19.	नागालैंड	23.25	24.75	24.75	34.20	36.71	36.71
20.	ओडिशा	32.80	23.54	33.89	31.99	38.74	38.71
21.	पंजाब	17.50	18.75	17.07	16.27	8.14	15.33
22.	राजस्थान	57.50	47.91	59.19	55.85	55.85	54.71
23.	सिक्किम	18.50	17.46	19.49	27.36	28.36	25.47
24.	तमिलनाडु	34.60	29.35	29.88	32.83	46.08	45.81
25.	त्रिपुरा	18.50	10.80	18.75	27.36	36.29	36.81
26.	उत्तर प्रदेश	113.10	120.60	125.13	108.79	101.29	101.38
27.	उत्तराखंड	23.00	22.36	24.28	23.23	23.23	21.99
28.	पश्चिम बंगाल	44.25	50.78	39.37	42.89	38.45	19.17
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.08	0.08	0.04	0.00	0.04	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.06	0.06	0.02	0.06	0.06	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.00
33.	दिल्ली	0.40	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	लक्षदीप	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	0.40	0.00	0.09	0.50	0.25	0.00
	कुल	945.00	918.54	914.09	995.26	995.03	981.05

क्र.सं.	राज्य	2011-12			2012-13		
		आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय (@)
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	53.36	53.36	47.45	62.07	43.80	26.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.22	20.22	22.15	20.54	10.27	0.00
3.	असम	13.32	0.00	0.00	15.89	0.00	0.00
4.	बिहार	32.63	32.63	24.79	38.07	3.90	0.00
5.	छत्तीसगढ़	17.61	17.61	17.30	20.38	9.15	0.00
6.	गोवा	0.38	0.38	0.38	0.40	0.00	0.00
7.	गुजरात	30.94	41.88	43.39	35.34	17.67	0.00
8.	हरियाणा	13.60	13.60	8.70	15.82	2.46	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	17.05	17.05	16.76	19.54	8.50	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	31.44	25.02	21.66	36.04	16.80	0.00
11.	झारखंड	9.11	10.98	10.04	8.94	2.29	0.00
12.	कर्नाटक	40.52	40.52	40.98	46.21	23.11	0.00
13.	केरल	10.01	10.01	9.98	11.10	5.38	0.00
14.	मध्य प्रदेश	52.16	55.16	56.18	61.74	29.80	0.00
15.	महाराष्ट्र	75.38	81.01	81.45	82.38	39.56	0.00
16.	मणिपुर	17.22	20.72	20.72	20.54	10.27	0.00
17.	मेघालय	19.50	19.50	19.50	23.25	23.25	9.39
18.	मिजोरम	12.02	16.18	16.18	14.33	14.33	5.50
19.	नागालैंड	19.50	22.00	22.00	23.25	11.62	0.00
20.	ओडिशा	27.07	27.07	21.96	31.82	10.81	0.00
21.	पंजाब	13.77	6.88	0.15	15,96	7.98	0.00
22	राजस्थान	47.25	47.25	45.28	56.19	22.89	0.00
23.	सिक्किम	15.60	15.77	18.30	18.60	9.30	0.00

1	2	9	10	11	12	13	14
24.	तमिलनाडु	27.77	37.77	36.63	31.75	14.29	0.00
25.	त्रिपुरा	15.60	15.60	15.65	18.60	8.33	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	92.03	92.03	84.50	105.85	45.39	4.17
27.	उत्तराखंड	19.65	19.65	18.95	22.51	8.31	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	36.28	18.14	44.69	40.89	18.42	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.04	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.03	0.08	0.08	0.03	0.02	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00
33.	दिल्ली	0.25	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षदीप	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	0.25	0.25	0.26	0.50	0.25	0.00
	कुल	778.59	778.46	766.06	898.60	418.17	45.13

@as on date.

विवरण-IV

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम संघशासित क्षेत्र	2009-10			2010-11		
		आवंटन	निर्मुक्ति	उपव्यय	आवंटन	निर्मुक्ति	उपव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	410.00	410.00	410.00	*393.45	432.29	432.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.10	15.98	15.98	39.08	28.95	28.95
3.	असम	79.86	79.86	79.86	*256.87	216.87	216.87
4.	बिहार	110.79	110.79	110.79	380.94	415.10	415.10
5.	छत्तीसगढ़	131.78	136.14	136.14	461.00	503.44	503.42
6.	गोवा	11.87	0.00		11.31	7.07	7.07
7.	गुजरात	386.19	386.19	386.19	353.45	388.63	388.63
8.	हरियाणा	112.77	112.77	112.75	204.74	226.80	225.63
9.	हिमाचल प्रदेश	33.02	33.03	33.03	94.85	94.85	94.85
10.	जम्मू और कश्मीर	42.05	42.85	42.85	*162.16	96.42	96.28
11.	झारखंड	70.13	70.13	70.13	160.96	96.90	91.37

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	कर्नाटक	410.00	410.00	410.00	284.03	284.03	284.03
13.	केरल	110.92	110.92	110.92	192.35	149.65	149.65
14.	मध्य प्रदेश	247.44	247.44	247.44	589.09	559.18	559.18
15.	महाराष्ट्र	407.24	404.39	404.39	653.00	653.00	653.00
16.	मणिपुर	5.86	5.86	5.86	24.81	15.50	15.50
17.	मेघालय	24.68	24.68	24.68	46.12	46.12	46.12
18.	मिजोरम	4.15	0.00		7.49	3.75	3.75
19.	नागालैंड	20.38	20.38	20.38	13.24	13.25	13.25
20.	ओडिशा	121.49	121.49	121.49	274.40	274.40	274.40
21.	पंजाब	43.23	43.23	43.23	179.12	179.12	179.12
22.	राजस्थान	186.12	186.12	186.12	572.47	628.01	628.01
23.	सिक्किम	15.29	15.29	15.29	6.56	6.56	6.56
24.	तमिलनाडु	127.90	127.90	127.90	225.71	250.03	250.03
25.	त्रिपुरा	31.28	31.28	31.28	116.86	116.48	116.48
26.	उत्तर प्रदेश	390.97	390.97	390.97	635.92	695.36	695.36
27.	उत्तराखंड	71.36	71.46	71.46	2.61	1.31	1.31
28.	पश्चिम बंगाल	147.38	147.38	147.38	476.15	335.98	335.98
	कुल राज्य	**3770.25**	**3756.53**	**3756.51**	**6662.00**	**6719.05**	**6712.19**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.21	1.28				
30.	चंडीगढ़	3.70	0.42				
31.	दादरा और नगर हवेली	0.29					
32.	दमन और दीव	0.30			गृह मंत्रालय द्वारा पूरा किया जा रहा है।		
33.	दिल्ली	2.36	0.24				
34.	लक्षदीप	10.12	1.09				
35.	पुदुचेरी	0.69	0.00				
	कुल सं.शा. क्षेत्र	29.67	3.03	0.00			
	जिला कृषि योजना	6.82					
	एनआइआरडी, आइएसइसी आइइजी आइआइएम, सीएमए		1.37		60.00	1.03	
	सकल योग	3806.74	3760.93	3756.51	6722.00	6720.08	6712.19

क्र.सं.	राज्य का नाम संघशासित क्षेत्र	2011-12			2012-13		
		आवंटन	निर्मुक्ति	उपव्यय	आवंटन	निर्मुक्ति	उपव्यय
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	727.74	734.20	734.20	601.98	266.17	181.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.26	10.68	10.68	40.31	17.72	0.00
3.	असम	227.77	227.77	227.77	399.57	233.31	0.00
4.	बिहार	506.82	506.82	469.08	724.01	416.97	346.70
5.	छत्तीसगढ़	230.57	212.61	202.71	581.12	339.03	110.79
6.	गोवा	49.55	24.78	24.78	62.43	14.11	0.00
7.	गुजरात	515.48	515.48	515.48	616.87	564.24	245.43
8.	हरियाणा	168.92	176.87	153.94	209.49	118.23	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	99.93	99.93	85.36	73.48	28.17	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	103.03	63.03	30.01	112.08	60.44	0.00
11.	झारखंड	168,56	174.56	165.47	241.55	128.33	0.00
12.	कर्नाटक	595.90	595.90	574.06	601.52	360.27	0.00
13.	केरल	173.93	182.89	175.48	282.26	156.10	21.87
14.	मध्य प्रदेश	398.37	398.37	328.42	448.13	272.63	33.82
15.	महाराष्ट्र	727.67	735.44	735.44	1050.81	661.43	338.87
16.	मणिपुर	22.25	22.25	22.25	52.94	22.03	0.00
17.	मेघालय	14.66	20.44	20.44	105.34	22.68	0.00
18.	मिजोरम	34.61	36.63	30.36	200.91	116.84	0.00
19.	नागालैंड	37.54	37.54	37.54	85.75	51.75	0.00
20.	ओडिशा	356.96	356.96	313.16	503.1	374.99	192.05
21.	पंजाब	138.87	145.87	65.83	156.93	36.73	0.00
22.	राजस्थान	685.04	692.08	676.54	363.09	266.32	15.00
23.	सिक्किम	20.08	24.64	19.91	29.47	11.79	0.00
24.	तमिलनाडु	333.06	333.06	260.17	669.68	413.79	126.73
25.	त्रिपुरा	17.99	25.63	25.63	56.43	27.06	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	757.26	762.83	579.66	432.26	122.01	0.00

1	2	9	10	11	12	13	14
27.	उत्तराखंड	131.77	128.84	33.01	44.36	3.79	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	476.65	486.65	486.65	464.81	235.49	0.00
	कुल राज्य	**7729.24**	**7732.75**	**7004.03**	**9210.68**	**5342.42**	**1612.52**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह						
30	चंडीगढ़						
31	दादरा और नगर हवेली						
32	दमन और दीव				गृह मंत्रालय द्वारा पूरा किया जा रहा है।		
33	दिल्ली						
34	लक्षद्वीप						
35	पुदुचेरी						
	कुल सं.शा. क्षेत्र						
	जिला कृषि योजना एनआइआरडी, आइएसइसी, आइइजी, आइआइएम, सीएमए	81.63	61.34		106.00	3.66	
	सकल योग	7810.87	7794.09	7004.03	9317.00	5346.08	1612.52

* उप स्कीम शामिल हैं।

* असम के लिए पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति के लिए 35.00 करोड़ रु. जम्मू और कश्मीर के लिए केसर मिशन के लिए, 39.44 करोड़ रु. आन्ध्र प्रदेश के संबंध में 82.26 करोड़ रु. का आवंटन बढ़ाया गया 6755.00 करोड़ रु. का सम्पूर्ण आवंटन से बचत हुई।

विश्व धरोहर सूची में पर्वतीय किले

2926. श्री सी. शिवासामी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को पर्वतीय किलों को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए भारत के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल कन्वेंशन के अधिकारियों ने हाल ही में भारत में पर्वतीय किलों को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) और (ख) जी, हां। भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया राजस्थान के पहाड़ी किलों का नामांकन प्रस्ताव विश्व विरासत समिति द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुए अपने 36वें सत्र में राज्य पक्ष से कुछ अतिरिक्त सूचना मंगाने के लिए भेजा गया था।

(ग) जी, हां। श्रीमती सूसन डेनयर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंटस एंड साईट्स (आई.सी.ओ.एम.ओ.एस.) की एक विशेषज्ञ ने 23 नवम्बर, 2012 को जयपुर, राजस्थान का दौरा किया तथा विभिन्न पणधारियों जैसे राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा विश्व विरासत मामलों की सलाहकार समिति (ए.सी.डब्ल्यू.एच.एम.) के सदस्यों के साथ बैठक की।

(घ) यह बैठक मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में किला शीर्ष सलाहकार समिति के अधीन राजस्थान के पहाड़ी किलों के पूर्ण प्रतिनिधित्व तथा उनके प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए थी।

[हिन्दी]

चीनी की कीमत में वृद्धि

2927. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला:
श्री पी.सी. मोहन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुले बाजार तथा केंद्रीय भंडार में चीनी की कीमत में भारी अंतर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या हैं तथा विगत बारह महीनों में प्रत्येक माह खुले बाजार तथा केन्द्रीय भंडार में चीनी का मूल्य क्या था; और

(ग) हाल ही में चीनी के मूल्य में तेजी से वृद्धि का कारण क्या है तथा बाजार में चीनी के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए निर्यात पर रोक के साथ-साथ कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली में खुले बाजार में और केन्द्रीय भंडार में चीनी के खुदरा मूल्यों में अधिक अंतर नहीं है। पिछले बारह महीनों के दौरान यह अंतर 1-2 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच ही रहा है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है—

(रुपये प्रति कि.ग्रा. में)

क्र.सं.	माह	दिल्ली में माह अंत के चीनी के खुदरा मूल्य	
		खुला बाजार	केंद्रीय भंडार
1.	दिसंबर, 11	35	36
2.	जनवरी, 12	34	34
3.	फरवरी, 12	34	34
4.	मार्च, 12	34	34
5.	अप्रैल, 12	35	35
6.	मई, 12	सूचित नहीं किया गया	36
7.	जून, 12	34	36
8.	जुलाई, 12	37	39
9.	अगस्त, 12	40	41
10.	सितंबर, 12	41	41
11.	अक्तूबर,12	41	42
12.	नवंबर, 12	39	40

स्रोत: मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग और केंद्रीय भंडार।

(ग) चीनी मूल्य वर्तमान में घरेलू बाजार में स्थिर हैं। तथापि, चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई जोकि वैश्विक चीनी मूल्यों में वृद्धि और विशेषतौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे चीनी उत्पादक राज्यों में मानसून की कमी संबंधी आशंका के कारण थी। सरकार का वह प्रयास रहता है कि घरेलू बाजार में बिक्री के लिए मासिक/तिमाही गैर-लेवी चीनी के कोटे के विवेकपूर्ण रिलीज़ द्वारा मूल्यों को नियंत्रण में रखे। सरकार ने जुलाई, 2012 से सितम्बर, 2012 तक के महीनों के दौरान घरेलू बाजार में चीनी के मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) 13-07-2012 को अप्रैल, 2012 से जून, 2012 तक की तिमाही के लगभग 2 लाख टन के नहीं बेचे गये गैर-लेवी कोटे को 14-08-2012 तक खुले बाजार में बिक्री के लिए अनुमति दी गई।

(ii) दिनांक 24-07-2012 के आदेश द्वारा चीनी मिलों को जुलाई 2012 से सितम्बर, 2012 तक के कोटे के कम से कम 70% को 31-08-2012 तक बेचने का निदेश दिया गया।

(iii) 27-07-2012 को 2.66 लाख टन का अतिरिक्त कोटा रिलीज किया गया था जिसे 31-08-2012 तक बेचा जाना था।

(iv) 07-08-2012 को 4 लाख टन का एक और अतिरिक्त कोटा रिलीज़ किया गया था जिसे 31-08-2012 तक बेचा जाना था।

(v) 28-09-2012 को खुले बाजार में अक्तूबर, 2012 और नवंबर, 2012 माह के लिए 40 लाख टन का उच्चतर गैर-लेवी कोटा रिलीज़ किया गया था।

वर्तमान में, चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

असम चाय बागान में हिंसक गतिविधियां

2928. श्री ताराचंद भगोरा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के चाय बागान से हिंसक गतिविधियों में वृद्धि की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रिपोर्ट वाली घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान मारे गए लोगों की संख्या क्या है; और

(ग) असम राज्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) रिपोर्ट के अनुसार, चालू वर्ष (30 नवम्बर, 2012) में असम की चाय-बागान सम्पदाओं में उग्रवादी संगठनों द्वारा कथित रूप से हिंसा की सात घटनाओं को अंजाम दिय गया, जिसके परिणमस्वरूप नवम्बर, 2012 में चाय सम्पदा के एक मालिक की मौत हो गई। राज्य पुलिस ने चाय सम्पदा के मालिक की हत्या में शामिल पाए गए 16 दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। असम सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए हैं। असम राज्य में उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य पुलिस की सहायता के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है।

कला को बढ़ावा देना

2929. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में कला, संस्कृति और लोक संगीत को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या उक्त कला विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने पर सरकार विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी): (क) संस्कृति मंत्रालय महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कला, संस्कृति और लोक संगीत के संवर्धन में कार्यरत संस्थानों के साथ-साथ इनके प्रोत्साहन के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित करता है। ऐसी स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधीन कुछ स्वायत्त निकाय (जैसे—संगीत नाटक अकादमी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र आदि) भी महाराष्ट्र सहित देश में कला, संस्कृति और लोक संगीत के संवर्धन में कार्यरत संस्थानों/व्यक्तियों को प्रोत्साहित करते हैं।

(ख) और (ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	चालू स्कीमें
1.	विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं में कार्यरत व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।
2.	सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम (सी.एफ.जी.एस.)
3.	शताब्दी/वर्षगांठ के आयोजन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
4.	बौद्ध/तिब्बती कला एवं संस्कृति के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता।
5.	हिमालयी सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता।
6.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को शिक्षावृत्ति प्रदान करना।
7.	संस्कृति के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करना।
8.	टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक अनुसंधान अध्येतावृत्ति।-
9.	साहित्य, कला तथा जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों, जो दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे हों, तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता।
10.	स्टूडियो थियेटरों सहित भवन अनूदान।
11.	टैगोर सांस्कृतिक परिसर
12.	क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों की स्थापना, सवंर्धन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता।
13.	नए विज्ञान शहरों एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए संशोधित मानदण्ड/दिशा-निर्देश
14.	राष्ट्रीय स्मारकों के विकास एवं रख-रखाव के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों को सहायता अनुदान।
15.	टैगोर स्मरणोत्सव अनुदान स्कीम (टी.सी.जी.एस.)
नई स्कीमें	
16.	सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम।
17.	भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए समर्पित पत्रिकाओं और जर्नलों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता।
18.	पुस्तक मेलों, पुस्तक प्रदर्शनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रकाशन समारोहों आदि में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता।

राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देना

2930. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:**
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को अपने विभागों में राज भाषा हिन्दी का उपयोग करने के लिए कोई निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान हिन्दी पखवाड़ा तथा इसके विकास के लिए आवंटित तथा उपयोग की गई निधियां का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने तथा राजकीय भाषा को अधिक सार्थक, सरल और व्यापक बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी पखवाड़े के आयोजन करने और राजभाषा हिन्दी के विकास के लिए कोई राशि प्रदान नहीं करता तथा इस संबंध में उनके द्वारा उपयोग की गयी राशि का ब्यौरा नहीं रखता है। राजभाषा विभाग

द्वारा राजभाषा हिन्दी के विकास के लिए राज्य सरकारों को कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है।

(घ) राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं कि संघ के कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरल और आसानी से समझ में आने वाली हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए। नोट और पत्र लिखने में आसान हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकारी कार्य में आम तौर पर समझ में आने वाले शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

विवरण

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के प्रावधान के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा है। राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुपालन में संघ के काम-काज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग प्रति वर्ष केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन के लिए राजभाषा हिन्दी प्रयोग संबंधी विभिन्न लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। इन लक्ष्यों की उपलब्धियां दर्शाते हुए राजभाषा विभाग वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर इसे संसद के पटल पर रखवाता है। राजभाषा विभाग केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग पर सतत् निगरानी रखने के लिए उनसे तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगवाता है।

सरकारी कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टकण, अनुवाद, कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। राजभाषा हिन्दी को आधुनिक विधा से जोड़ने की दिशा में विभाग द्वारा कई हिन्दी साफ्टवेयर विकसित किए गए हैं।

संसदीय राजभाषा समिति केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के संबंध में किए गए कामकाज की समीक्षा करते हुए सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करती है, जिस पर विचार कर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित किए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को निदेश जारी किए जाते हैं। संघ के कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए राय देने के लिए प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति गठित है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा के लिए संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियां गठित हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। केन्द्रीय विभागों में संबंधित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं। देश के विभिन्न शहरों में स्थित केन्द्रीय सरकर के कार्यालयों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं।

सरकार राजभाषा हिन्दी के विषय में अपने संवैधानिक दायत्वों की ओर पूर्णत: सचेत है तथा उनको निभाने के लिए पूर्णत: कटिबद्ध है।

[हिन्दी]

कला और सांस्कृतिक परिसर

2931. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों की ओर से बहु-उद्देश्यीय कला तथा संस्कृति परिसर की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी राज्य-वार स्थिति क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी): (क) से (ग) जी, हां। बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसर स्कीम दिनांक 1-4-2007 से बंद कर दी गई थी। तथापि, स्कीम को संशोधित और परिवर्धित रूप में 'टैगोर सांस्कृतिक परिसर स्कीम' दिनांक 7-5-2012 से दोबारा शुरू की गई है। वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान उक्त स्कीम के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। वर्ष 2011-12 और 2012-13 (आज तक) के दौरान टैगोर सांस्कृतिक परिसर स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे तथा उनकी वर्तमान स्थिति विवरण के रूप में संलग्न है। सभी नए प्रस्ताव विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं जो ऐसे प्रस्ताव की जांच करने और निपटान के लिए प्राधिकृत है। समिति की बैठक समय-समय पर आयोजित की जाती है।

विवरण

टैगोर सांस्कृतिक परिसर स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे एवं वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	वर्तमान स्थिति (सिद्धांतत: अनुमोदित किए गए प्रस्तावों की संख्या)	वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या (आज तक)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	2	1	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	1
4.	असम	4	0	1
5.	छत्तीसगढ़	1	0	0
6.	गोवा	1	1	0
7.	हरियाणा	0	0	1
8.	जम्मू और कश्मीर	2	2	0
9.	कर्नाटक	1	0	1
10.	केरल	1	1	0
11.	मध्य प्रदेश	5	1	4
12.	महाराष्ट्र	2	0	0
13.	मेघालय	1	0	0
14.	मिजोरम	1	0	1
15.	नागालैंड	1	0	8
16.	ओडिशा	3	3	1
17.	पुदुचेरी	0	0	1
18.	राजस्थान	2	2	0
19.	सिक्किम	1	0	0
20.	तमिलनाडु	0	0	1
21.	त्रिपुरा	1	0	0
22.	उत्तर प्रदेश	2	1	0
23.	पश्चिम बंगाल	30	29	0

सभी नए/पुन: तैयार किए गए प्रस्तावों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाता है जो समय-समय पर आयोजित की गई बैठकों में इन प्रस्तावों का निस्तारण करती है।

[अनुवाद]

अपहरण किए गए बच्चों का पता लगाने के लिए कोष

2932. श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य सरकार ने अपहरण किए गए बच्चों का पता लगाने के संबंध में केन्द्र सरकार से किसी सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) गृह मंत्रालय को अपहरण किए गए बच्चों का पता लगाने के संबंध में केन्द्र सरकार से सहायता के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए गए ऐसे किसी अनुरोध की जानकारी नहीं है।

गृह मंत्रालय ने गुमशुदा बच्चों का दुर्व्यापार रोकने और उनका पता लगाने के लिए किए जाने वाले उपायों सहित गुमशुदा बच्चों के संबंध में 31 जनवरी, 2012 को एक विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किया है। इसमें रिकोर्डो का कम्प्यूटरीकरण एन.जी.ओ. और अन्य संगठनों की सहभागिता, सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

गृह मंत्रालय ने गुमशुदा एवं पाए गए बच्चों का बेहतर तरीके से मिलान करने के लिए गुमशुदा बच्चों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक व्यापक प्रो-फार्मा भी परिचालित किया है।

गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित जिपनेट (जोनल एकीकृत पुलिस नेटवर्क) नामक एक परियोजना वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। इसमें सार्वजनिक/पुलिस के कार्यक्षेत्र में उपयोग के लिए गुमशुदा बच्चों, पाए गए बच्चों, पहचान न किए गए शव माड्यूल शामिल हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी गृह मंत्रालय के परामर्श से "गुमशुदा" और "पाए गए" बच्चों का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित कर रहा है।

बागवानी योजनाओं का विलय

2933. श्रीमती श्रुति चौधरीः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का कुछ बागवानी मिशन/योजनाओं को मिलाकर एक योजना बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) बजट घोषणा, 2012 की अनुक्रिया में भारत सरकार ने तीन स्कीमों (i) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.), (ii) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एच.एम.एन.ई.एच.) और (iii) भारतीय बांस मिशन (एन.बी.एम.) को एन.एच.एम. के सम्पूर्ण परिदृश्य के अंतर्गत तीन अन्य केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों (i) नारियल विकास बोर्ड (सी.डी.बी.), (ii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.), और (iii) केन्द्रीय बागवानी संस्थान (सी.आई.एच.), नागालैंड में मिला दिया गया है।

कृषि का व्यष्टि प्रबंधन

2934. श्री अरुण यादवः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कृषि के व्यष्टि प्रबंधन की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित कृषकों का घटक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है और इस योजना से किस सीमा तक मशीनीकरण में सहायता की है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के उत्पादन में वृद्धि हो पाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) बृहत कृषि प्रबंधन स्कीम का ब्यौरा संग्लन विवरण में दिया गया है।

(ख) स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक अनुज्ञेय घटक के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लाभार्थी किसानों के चयन सहित कार्य योजना एवं उसके कार्यान्वयन को अंतिम रूप दिया जाता है।

(ग) और (घ) स्कीम का व्यापक मूल्यांकन विशिष्ट राज्यों हेतु तीन विभिन्न एजेंसियों नामतः नाबार्ड परामर्शीदात्री सेवाएं (एन.ए.बी.सी.ओ.एन.एस.), भारतीय प्रबंधन संस्थान,

कोलकाता और कृषि वित्त निगम लि. (ए.एफ.सी.एल.) के माध्यम से उनको दिए गए निर्धारित समय के लिए 10वीं योजना अवधि के अंत तक पूरा कर लिया गया था। एन.ए.बी.सी.ओ.एन.एस. जिसने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन जनवरी, 2007 में प्रस्तुत अपनी अध्ययन रिपोर्ट में फार्म, उपज में मूल्यवर्धन, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार सृजन में सहायता करने में स्कीम के सकारात्मक प्रभावों को उजागर किया है। स्कीम का वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में आमेलित करने का प्रस्ताव है। तत्पश्चात 11वीं योजना अवधि के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में नए मूल्यांकन को आवश्यक नहीं समझा गया है।

विवरण

संशोधित वृहत कृषि प्रबंधन स्कीम

कृषि राज्य का विषय होने के कारण कृषि उत्पादन को बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने और इस क्षेत्र की दोहन नहीं की गई क्षमताओं को खोजने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है। तथापि राज्य सरकार के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु और कृषक समुदाय की आय में वृद्धि के लिए कई केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

वृहत कृषि प्रबंधन (एम.एम.ए.) स्कीम को सहकारी समितियों, फसल उत्पादन कार्यक्रमों (चावल, गेहूं, मोटे अनाज, जूट, गन्ना), पनधारा विकास कार्यक्रम वर्षासिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, नदी घाटी परियोजना/बाढ़ प्रवण नदियां), बागवानी, उर्वरक, मशीनीकरण और बीजों से संबंधित 27 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को एक छत्रक के अधीन लाने के लिए वर्ष 2000-01 में तैयार किया गया था। एम.एम.ए. स्कीम विकेन्द्रीकरण के लिए एक प्रमुख पहल थी जो एक पारस्परिक. मोड में तैयार कार्य योजना के आधार पर विभिन्न घटकों से उचित पहल को चुनने के लिए राज्यों को लचीलापन प्रदान करती है। बाद में वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) की शुरूआत के साथ इस स्कीम के क्षेत्र के अलावा बागवानी विकास से संबंधित 10 स्कीमों की शुरूआत की गई थी। राज्य भू उपयोग बोर्ड (एस.एल.यू.बी.) से संबंधित घटक को 1 अगस्त, 2009 से बंद कर दिया गया है।

वर्ष 2008-09 में, बृहत कृषि प्रबंधन स्कीम को संशोधित किया गया ताकि कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य के प्रयासों को अनुपूरित करने में इसकी दक्षता को सुधारा जा सके। स्कीम की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया है ताकि प्रयासों के दोहराव को रोका जा सके और खाद्य सुरक्षा के आधारभूत उद्देश्य को प्राप्त करने और ग्रामीण जनसंख्या की जीवन पद्धति में सुधार के लिए राज्यों में वर्तमान कृषि परिदृश्य को और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। संशोधित एम.एम.ए. स्कीम में अब 10 उप-स्कीमें हैं जो निम्नलिखिथ है:

1. चावल आधारित फसलन पद्धति क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
2. गेहूं आधारित फसलन पद्धति क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
3. मोटे अनाज आधारित फसलन पद्धति क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
4. दलहन और तिलहन हेतु समेकित विकास कार्यक्रम (फसल उत्पादन कार्यक्रम के रूप में नई स्कीम शामिल की गई है)
5. गन्ना आधारित फसल पद्धति का सतत विकास
6. संतुलित और समेकित उर्वरक उपयोग,
7. छोटे किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण का प्रोत्साहन,
8. वर्षासिंचिंत क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना,
9. नदी घाटी परियोजना/बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण,
10. क्षारीय मृदा का पुनरूद्धार और विकास।

संशोधित बृहत कृषि प्रबंधन योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है:

i. ऐतिहासिक आधार पर राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को निधियां आबंटित करने की पद्धति को नए आबंटन मापदण्ड से प्रतिस्थापित कर दिया गया है जिसका आधार सकल फसलित क्षेत्र और छोटे और सीमांत क्षेत्र हैं। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

ii. राजसहायता संरचना को युक्तिसंत बनाया गया है ताकि कृषि एवं सहकारिता विभाग के तहत कार्यान्वित सभी स्कीमों के तहत एकरूप राजसहायता पैटर्न बनाया जा सके। संशोधित राजसहायता मापदण्ड सहायता का अधिकतम अनुज्ञेय सीमा को इंगित करते हैं। राज्य या तो वर्तमान मापदण्ड बनाये रख सकते हैं अथवा उनको तर्कसंगत स्तर तक बढ़ा सकते हैं बशर्ते कि मापदण्ड संशोधित विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा को पार न करें।

iii. दो नए घटकों को शामिल किया गया है, नामतः

(क) समेकित तिलहन, दलहन और आयलपाम मक्का स्कीम के तहत कवर न किए गए क्षेत्रों के लिए दलहन और तिलहन फसल उत्पादन कार्यक्रम और (ख) 'क्षारीय मृदा का सुधार' के वर्तमान घटक के साथ 'अम्लीय मृदा का आधार'।

iv. नई पहलों के लिए अनुज्ञेय सीमा को वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

v. कम से कम 33 प्रतिशत निधियां छोटे, सीमांत और महिला किसानों के लिए अलग से रखनी चाहिए।

vi. सभी चरणों के पंचायती राज संस्थानों की सक्रिय सहभागिता संशोधित एम.एम.ए. स्कीम के कार्यान्वयन में परिकल्पित है जिसमें जिला/उप-जिला स्तर पर समीक्षा, मार्नीटरिंग और मूल्यांकन शामिल हैं।

[हिन्दी]

स्मारकों का रखरखाव

2935. श्री जयप्रकाश अग्रवाल: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न व्यक्तियों के लिए स्मारकों और म्यूजियम्स का रखरखाव कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्मारकों और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों और निकटतम क्षेत्रों को घनी आबादी से बचाने और इन स्थानों का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी): (क) विभिन्न विभूतियों के स्मारकों का रख-रखाव संबंधित राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार राज घाट नई दिल्ली के किनारे स्थित समाधियों, अहमदाबाद में अभय घाट स्थित मुरारजी देसाई की समाधि तथा श्रीपेरिंबुदूर स्थित राजीव गांधी स्मारक का रख-रखाव एवं अनुरक्षण शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। ये सभी भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों के स्मारक हैं, जहां इन समाधियों पर उनकी अंतिम क्रियाएं की गई थीं, सिवाय श्रीपेरिंबुदूर, जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीवन गांधी की हत्या हुई थी। इन समाधियों की सूची विवरण-I में संलग्न दी गई है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा अनुरक्षित/रख-रखाव किए जाने वाले स्मारक/समाधियां विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(ख) स्मारकों/समाधियों के अनुरक्षण/रख-रखाव से संबंधित दैनिक प्रकृति के कार्य, जैसा कि संलग्न विवरण-I व II में उल्लिखित है, जैसे-सिविल मरम्मत, लैंडस्केपिंग, बागवानी आदि आवश्यकतानुसार संबंधित एजेंसियों द्वारा समय-समय पर शुरू किए जाते हैं।

(ग) इन स्मारकों तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के समीपवर्ती क्षेत्रों को अतिक्रमण/भीड़-भाड़ से मुक्त करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से संबंधित एजेंसियों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। स्मारकों/समाधियों के पुनर्विकास के लिए कार्रवाई, जैसा कि संलग्न विवरण-I व II में उल्लिखित है, मामले की आवश्यकतानुसार की जाती है।

विवरण-I

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित स्मारक/समाधियों की सूची

1. राजघाट समाधी (महात्मा गांधी)
2. शांतिवन (जवाहरलाल नेहरू)
3. विजय घाट (लाल बहादुर शास्त्री)
4. शक्ति स्थल (इंदिरा गांधी)
5. वीर भूमि (राजीव गांधी)
6. किसान घाट (चरण सिंह)
7. राजीव गांधी निनाइवक्कम (स्मारक), श्रीपैरीमबुदुर, तमिलनाडु
8. अभय घाट, अहमदाबाद (मोरारजी देसाई)

विवरण-II

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा अनुरक्षित ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों/घाटों/मकबरों की सूची

1. आगरा सर्कल

1. रोजा दिवानजी बेगम और मस्जिद, आगरा, जिला-आगरा
2. फिरोज खान मकबरा स्थल-जिला आगरा ग्वालियर रोड पर
3. इतिमद-उद-दौला मकबरा, आगरा, जिला-आगरा
4. झुन-झुन कटोरा स्थल, दीवानी कॉमलेक्स (आगरा), जिला आगरा
5. अलीगढ़ रोड पर चीनी का रोजा और बाग वजीर खान के बीच काला गुम्बद मकबरा, जिला आगरा

6. कंटोन्मेंट के पास फलवान मकबरा, जिला आगरा
7. ताज के दक्षिण-पश्चिम कोने पर सहेगी ब्रुज सं. 1
8. ताज के दक्षिण-पूर्व कोने पर सहेली ब्रुज सं. 2
9. ताज गार्डन के चारों ओर बाहरी दिवार के पूर्व में सलेही ब्रुज सं. 3
10. ताज गार्डन के चारों ओर बाहरी दिवार के पश्चिम में सहेली ब्रुज सं. 3
11. महावत खान की बेटी का मकबरा-स्थल बाग राजपुर जिला आगरा
12. दरवाजा तिहरा के पास बाहुद्दीन मकबरा स्थल फतेहपुर सिकरी, जिला आगरा
13. सलीम चीश्ती का मकबरा, स्थान फतेहपुर सिकरी, जिला आगरा
14. ईस्लाम खान का मकबरा, स्थान फतेहपुर सिकरी, जिला आगरा
15. साद्दीक खान का मकबरा, स्थान गेलाना, जिला आगरा
16. सलावत खान का मकबरा, स्थान गेलाना, जिला आगरा
17. कमाल खान दरगाह, स्थल ख्वाजपुरा, जिला आगरा
18. छोटे आकार के पत्थर के पूंज जिले में लाडली बेगम का मकबरा स्थल मउ, जिला आगरा
19. शेख ईब्राहीम का मकबरा स्थल रसूल पुर, जिला आगरा
20. अकबर का मकबरा मैदान के चारों ओर दीवार और गेटवे स्थल सिंकदरा, जिला आगरा
21. मरीयम का मकबरा स्थल सिकंदरा, जिला आगरा
22. बारह खम्बा के साथ जुड़े हुए क्षेत्र के भाग के रूप में स्थल ताजगंज, जिला आगरा
23. छाउब्रिज राजा बाबर का अस्थाई बुरैल प्लेस, स्थल आगरा, जिला आगरा
24. चीनी का रोज़ा दीवार सहित, टैंक और क्वौस यमुना नदी की तरफ, स्थल आगरा, जिला आगरा
25. एक गांव जिसे बुद्धिया का ताल के रूप में जाना जाता है, स्थल आगरा, जिला आगरा
26. सम्पूर्ण भवन जिसे धाखरी का महल के रूप में जाना जाता है, स्थल गोपालपुर, जिला आगरा
27. एक भवन जिसे बारहखम्बा के रूप में जाना जाता है स्थल कांगराउल, जिला आगरा
28. इमादुल मुल्क एलियाज पिसान हरीका गुम्बद दिनांक ए.एच. 896 की दरगाह स्थल बदायूं, जिला बदायूं
29. शहर के पूर्वी छोर पर आयताकार मकबरा (इक्लास खान का मकबरा), स्थल बेरामपुरम, जिला बदायूं
30. मखदुम-आई-जहान का मकबरा, अलाउद्दीन आलम शाह की मां, स्थल-सराय मिरान, जिला बदायूं।
31. हाविज़-उल-रहमतखान, रोहिल्ला प्रमुख का मकबरा, स्थल बकार गंज, जिला बरेली
32. मकरंदन राय के द्वारा बनाई गई हरमीत शाह दाना समाधी और मकबरा, स्थल बकार गंज, जिला बरेली
33. नवाब सुजात खान का मकबरा, स्थल जहानाबाद, जिला बिजनौर
34. नवाब नाजीबुद्दौला का मकबरा, स्थल नजीबाबाद, जिला बिजनौर
35. नवाब नाजीबुद्दौला की मृतिका, स्थल नजीबाबाद, जिला बिजनौर
36. नवाब रशीद खान का मकबरा, स्थल मउ, रशीदाबाद, जिला फरुखाबाद
37. नवाब मोहम्मद खान बंगेश का मकबरा, स्थल नेकपुर खुर्द, जिला फरुखाबाद
38. फरीउद्दीन अलीस मेन फिटु का मकबरा, स्थल शेखपुर गढ़ी, जिला फिरोजाबाद
39. नसीरुद्दीन का मकबरा, स्थल-शेखपुर, जिला फिरोजाबाद
40. नसीरुद्दीन का मकबरा, स्थल-रापरी, जिला फिरोजाबाद
41. तालिब खान का मकबरा, स्थल आजमपुर, जिला ज्योतिबा फुले नगर
42. अब्दुल गफ्फार शाह का मकबरा, स्थल-आज़मपुर, जिला ज्योतिबा फुले नगर
43. अब्दुल गफ्फार शाह के पौते का मकबरा, स्थल-आजमपुर, जिला ज्योतिबा फुले नगर
44. बालापीर का मकबरा, स्थल-कनौज, जिला-कनौज
45. कचारीवाला का मकबरा, स्थल-कनौज, जिला कनौज
46. अज्ञात मकबरा, स्थल-चौधरीपुर, जिला कनौज
47. शेख मोहम्मद मेहदी, स्थल-कनौज, जिला कनौज

48. ज़माना गुम्बद, स्थल कनौज, जिला कनौज

49. शाह पीर का मकबरा, स्थल-मेरठ, जिला मेरठ

50. शाह अब्दुल रजाक और उसके चार बेटों के मकबरों और मस्जिद, स्थल-झिंजाना, जिला मुज्जफरनगर

51. शाह दिवान सैयद मोहम्मद खान का मकबरा, स्थल-माझेरा, जिला मुज्जफरनगर

52. सैयदं हुसैन का मकबरा, दिनांक ए.एच.-1000 से 1592 ए.एच. कई बार सयैद छज्जू खान का (माझेरा) कहते हैं, स्थल-माझेरा, जिला मुज्जफरनगर

53. सैयद सैफ खान और उसकी मां का मकबरा, स्थल-माझेरा, जिला मुज्जफरनगर

54. सैयद उमर नूर खान का मकबरा, स्थल-माझेरा, जिला मुज्जफरनगर

55. ताजमहल परिसर पवेलियन, मस्जिद सहित ताज और मैदान, स्थल ताजगंग, जिला आगरा

2. औरंगाबाद सर्कल

56. चंगेज खान महल के पास पुराना मकबरा (सारेज खान मकबरा), जिला अहमदनगर

57. अहमदनगर में निज़ाम अहमदशाह का मकबरा

58. अहमदनगर में सलाबट्ट खान का मकबरा

59. डाक बंगला के निकट छतरी बालापुर, जिला ओकला

60. लाल खान का मकबरा, आमेर, जिला अमरावती

61. औरंगाबाद में रब्बिया दौरानी का मकबरा (बीबी-का-मकबरा)

62. खुलताबाद में औरंगजेब का मकबरा, जिला औरंगाबाद

63. खुलताबाद मे मलिक अम्बर का मकबरा, जिला-औरंगाबाद

64. मेती समाधि, देओलगांव राजा, जिला-बुलधाना

65. लाकौजी जधावरो समाधि, संघदेख राजा, जिला-बुलधाना

66. शहर के अंखलेश्वर दरवाजे के बाहर गोंड राजा के मकबरे का भवन और आस-पास के क्षेत्र, चन्द्रपुर, जिला-चन्द्रपुर

67. सात मोहम्मदन का मकबरा, थलनेर, जिला-धुलिया

68. तीन मोहम्मदन का मकबरा, थलनेर, जिला-धुलिया

69. विष्णु का मंदिर और उसके जुड़े पांच घाट, टोका, जिला-अहमदनगर

3. भोपाल सर्कल

70. निजाम-उद-द्दिन का मकबरा, चंदेरी, जिला-अशोकनगर

71. शाहजादी का रोजा, चंदेरी, जिला अशोकनगर

72. कमलापति महल, भोपाल

73. शाह नवाज खान का गुम्बद, बुरहनपुर

74. आदिल शाह नदीर शाह का गुम्बद, बुरहनपुर

75. शाह सुजा का मकबरा, बुरहनपुर

76. राजा चतरी, बुरहनपुर में बोरघाघाट के पास

77. बीबी साहिब, मस्जिद, बुरहनपुर

78. शाहनुमा मकबरा परिसर, बुरहमपुर

79. ओउखाजा सीता और उसका परिसर, बुरहनपुर

80. श्रीमंत बाजी रॉयो पेशवा के आवास और किला, रावरखेरी, खारगांव की स्मृति को समपित वृंदावन

81. सराय के अन्दर छतरी, रिवरखेड़ी, खारगांव

82. बीर सिंह महल दातिया, जिला-दातिया

83. मोहम्मद गौस का मकबरा, ग्वालियर

84. तानसेन का मकबरा, ग्वालियर

85. अब्दुल फैज़ल का मकबरा, अंटरी

86. बाज़ बहादुर महल, मांडु, जिला-धार

87. मंडु में चिस्ती खान महल, जिला-धार

88. मंडु में दाई का महल, जिला-धार

89. दाई की छोटी बहन का महल, मांडु, जिला-धार

90. दरिया खान का मक़बरा, मांड़, जिला-धार

91. गदा शाह पैलेस, मांडु, जिला-धार

92. होशंग शाह का मकबरा, मांडु, जिला-धार

93. मोहम्मद मकबरा, मांडु, जिला-धार

94. रूपमती पाविलीयोन, मांडु, जिला-धार

95. दरिया खान मकबरे के उत्तर में मकबरा, मांडु, जिला-धार

96. आलमगीर गेट के उत्तर में मकबरा, मांडु, जिला-धार

97. मलिक मोधी मकबरा, मांडु, जिला-धार

98. याशुधर्ममन विक्टरी पिल्लर, सोनधरी, मंडसोर

99. बालजाती शाह का मकबरा और मस्जिद, धामोनी, सागर

100. पंज पीर का मकबरा, खिमलसा किला, सागर

4. बैंगलोर सर्कल

101. देवनानहेली में टीपू सुल्तान का जन्म स्थल

102. बुडीकोट के हल्दर अली का जन्म स्थल

103. सीरा में मलिक रहयान दरगाह

104. कोलार में मकबरा

105. श्रीरंगपट्टनम में गुम्बज

106. वह स्थान जहां टीपू सुल्तान का शव मिला

107. कादिरापुंर में महाम्मदेन का मकबरा

5. चण्डीगढ़ सर्कल

108. शेख चिल्ली का मकबरा, थानेसर, जिला-कुरूक्षेत्र (हरियाणा)

109. शाह कूली खान का मकबरा, नरगौल, जिला-महेन्द्रगढ़

110. शाह इब्राहिम का मकबरा, नरनौल, जिला-महेन्द्रगढ़

111. पानीपत की तीसरी लड़ाई की याद में स्तम्भ चिन्ह, काला अश्व, जिला पानीपत

112. इब्राहिम लोधी का मकबरा (पानीपत)

113. ख्वाजा खिजरा का मकबरा, सोनीपत

114. मकबरों का समूह, झज्जर

115. शमशेर खान का मकबरा, बटाला, जिला-गुरदासपुर

116. मोहम्मद मोमीन और हाजी जमाल नोकदार का मकबरा, जिला-जलंधर

117. टनारकली बारादरी का घाट बराला, जिला-गुरदासपुर

118. मसोनेरी टैंक, सूरजकुण्ड, जिला लाखरपुर, जिला-फरीदाबाद

6. चेन्नई सर्कल

119. डेविड येले और जोसफ हैयमनर के मकबरे, चैने

7. देहरादून सर्कल

120. कालंगा स्मारक (सहस्त्रधारा रोड), करनपुर, देहरादून

121. पुरानी मृत्तिका, रुड़की, हरिद्वार

8. धारवाड़ सर्कल

122. हजरत खालीलौला शाह की चौखण्डी, बीदर

123. मोहम्मद शाह मकबरे के दक्षिण में अहमद शाह IV का मकबरा, बीदर

124. अहमद शाह की पत्नि का मकबरा, बीदर

125. अलाउद्दीन का मकबरा, बीदर

126. हुसैन खान का मकबरा, बीदर

127. मलिका-ए-जहान का मकबरा, बीदर

128. सुल्तान मोहम्मद शाह III का मकबरा, बीदर

129. निजाम साहिब का मकबरा, बीदर

130. अहमद शाह अलवानी बाहमानी का मकबरा, बीदर

131. सुल्तान अलाउद्दीन शाह-II का मकबरा, बीदर

132. सुल्तान हुमायुं शाह का मकबरा, बीदर

133. सुल्तान कालीमुल्हा का मकबरा, बीदर

134. सुल्तान मोहम्मद शाह का मकबरा, बीदर

135. सुल्तान वलीउल्लाह का मकबरा, बीदर

136. अली बरिद का मकबरा, बीदर

137. अमरी बरिद का मकबरा, बीदर

138. चांद सुल्तान का मकबरा, बीदर

139. इब्राहिम बरिद का मकबरा, बीदर

140. खान जहां बरिद का मकबरा, बीदर

141. कासिम बरिद का मकबरा, बीदर

142. करीम बरिद II का मकबरा, बीदर

143. जहां बेगम का मकबरा, बीजापुर

144. अली I रोज़ा, बीजापुर

145. अली II रोज़ा, बीजापुर

146. गोल-गुम्बज, बीजापुर

147. हाजी हसन साहेब का मकबरा, बीजापुर

148. जोद-गुम्बज, बीजापुर

149. नव गुम्बद, बीजापुर

150. सिकंदर शाह का मकबरा, बीजापुर

151. पीर शेख हामिद कादरी का मकबरा, बीजापुर
152. याकूब डाबली मस्जिद और मकबरा, बीजापुर
153. इन-उल-मुल्क का मकबरा, बीजापुर
154. अफजुल खान का मकबरा, बीजापुर
155. हैदर खान का मकबरा, बीजापुर
156. इब्राहिम रोजा, बीजापुर
157. नित्य नवरस मेसकर और मकबरा, बीजापुर
158. शाह नवाज खान का मकबरा और मस्जिद, बीजापुर
159. हफ्त गुम्बज, गुलबंर्ग (औल-ए-उद्दीद मुजाहिद का मकबरा)
160. हफ्त गुम्बज, गुलबंर्ग (दाऊद-I का मकबरा के साथ दो गुम्बज)
161. हफ्त गुम्बज, गुलबंर्ग (फिरोज शाह का मकबरा के साथ दो गुम्बज)
162. हफ्त गुम्बज, गुलबंर्ग गाययुद्दिन का मकबरा के साथ दो गुम्बज

9. दिल्ली सर्कल

163. लाल गुम्बद, चिराग दिल्ली
164. भाहलोल लोधी का मकबरा
165. लेफ्टिनैंट एडवर्ड और अन्य, 1857 में हत्या की गई, के समाधि स्थलों से जुड़े अहाते
166. नजफ खान का मकबरा 42 बीघा 15 बिस्वा सहित मकबरा की पैमाईश के अहाते के साथ सटी दीवार
167. लोधी रोड मृत्तिका
168. निकोलसन (कश्मीरी गेट) मृत्तिका
169. राजपुर (मुटिनी) मृत्तिका
170. गयासुद्दिन का मकबरा, तुगलकाबाद दीवार और बेसटन गेट और काजवे सहित तुगलकाबाद में दाऊद खान का मकबरा
171. रोशनारा का मकबरा और बारादरी
172. मुल्लहा बलबली खान में रजिया बेगम का मकबरा
173. सफदरजंग का मकबरा (मिर्जा मुकिम मन्सूर अली खान) बगीचे के पूर्व तक मस्जिद और बगीचे का रास्ता तथा इससे जुड़ी सभी दीवारें
174. दरया खान का मकबरा
175. मिरजा मुजफ्फर का मकबरा जिसे बारा बताशा कहा जाता है
176. गियासपुर में अप्रसिद्ध मकबरा
177. लक्कड़वाला गुम्बज
178. ग्यासपुर में अमीर खुसरो का मकबरा
179. निजामुद्दीन औलिया का मकबरा
180. अप्रसिद्ध मकबरा, गियासपुर 153 निजामुद्दिन
181. हिमायूं मकबरा परिसर (1) फिरोज शाह का मकबरा (2) पश्चिम के नं. 1 की गुम्बद भवन (3) 1 और 2 के बीच दालान (4) गुम्बद भवन और दलित के 3 नं. की कोर्ट (5) दालान और 1 नं. के उत्तर के सभी ध्वस्त भवन और सं. 10 तक विस्तारित (6) सं. 7 की उत्तर-पश्चिम की तीन छतरी (7) सं. 7 के पूर्व की पुरानी मृत्तिका (10) ध्वस्त कोटियाई और सं. 8 से उत्तर-पश्चिम के गुम्बद भवन के साथ दालान (11) सं. 4 से पूर्व में चल रही पुरानी दिवार (12) उपर्युक्त स्मारकों के चारों ओर की 2.23 एकड़ की भूमि।
182. अफसरवाला की मस्जिद के दक्षिण के पास अफसरवाला का मकबरा
183. लोधी गार्डन में मोहम्मद शाह का मकबरा जो कि मुबारिक खान का गुम्बद के रूप में जानी जाती है।
184. सिकंदर लोदी का मकबरे के साथ संलग्न, दीवार और बुर्ज, दरवाजे और परिसर
185. अप्रसिद्ध मकबरे के साथ सजावटी नीली टाहल जो कि शीशा गुम्बजा के रूप में जानी जाती है।
186. बंदी या पोती का गुम्बद III 280
187. बारा खम्बा 285 हौज खास के बीच खसेरा गांव, नई दिल्ली
188. बीरान-का-गुम्बद 282
189. बीबी या दादी का गुम्बद 281
190. युसफ कतल का मकबरा
191. आदम खान का मकबरा
192. म्लाना जमाली कमाली का मकबरा और मस्जिद
193. लाल कोट की दीवार और राय ओथरा किला सोहन गेट से आदम खान मकबरे सहित खाई जहां बाहरी दीवार है

194. लाल कोट की दीवार और राय पिथौरा किला वह बिंदु जहां दोनों आपस में मिलते हैं।

195. काला गुम्बद

196. मुबारकपुर कोटला में बड़े खान और छोटे खान का मकबरा

197. मुबारकपुर का मकबरा, कोटला

198. बेरु खान का मकबरा

199. अप्रसिद्ध मकबरा, मोहम्मदपुर गांव, कोटला

200. बारा खम्बा, मजरा में उत्तर प्रवेस द्वारा (अभी तक जिला बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जा रहा था।.

201. चौंसठ खम्बा या मिर्जा अजीज कोकलताश का मकबरा

202. जहानआरा बेगम का बुर्ज

203. मुहम्मद शाह का बुर्ज

204. मिर्जा जहांगीर का बुर्ज

205. निजामुद्दीन में अटघर खान का मकबरा

206. ईसा खान के मकबरे के साथ चारों ओर की दीवार और गार्डन दरवाजे का बुर्ज और मस्जिद (खसरा नं. 281) अरब सराय द्वार पूर्व में परिबद्ध खसरा नं. 283 प्यारे लाल की ग्रेवयार्ड और खसरा नं. 283 के उत्तर में विकसित खसरा नं. 236 के पं. ब्रज वल्लभ और अरब सराय के दक्षिण में खसरा नं. 238.

207. खान-ए-खाना निजामुद्दीन का मकबरा

208. नाजीद्दीन खान का मकबरा

209. मोहम्मद तुगलक शाह तिगुलकाबाद का मकबरा

210. सुल्तान घारी का मकबरा

211. अजीम खान का मकबरा

10. गुवाहाटी सर्कल

212. भा.पु.स. के गुवाहाटी सर्कल के अंतर्गत संरक्षित असम के शिवसागर जिले के चैरदेव मे स्थित आहोम राजा से जुड़े कब्रगाह टीले और चार मगानों या कब्रों के समूह के रूप में प्रसिद्ध मकबरे

11. हैदराबाद सर्कल

213. अब्दुल वहाबखान मकबरा, कुरनुल

12. जयपुर सर्कल

214. अजमेर में अब्दुल्ला खान और उसकी पत्नि का मकबरा

215. 'सोला थुम्बा' के रूप में प्रसिद्ध अलाऊद्दिन खान का मकबरा

13. कोलकाता सर्कल

216. ब्रह्म साका, शेर अफगान और नवाब कुतुबद्दीन, वर्धमान का मकबरा

217. त्रिवेणी, हुगली में जफर खान गाजी की दरगाह के रूप में प्रसिद्ध मजार और मस्जिद

218. अजीम नगर, मुर्शीदाबाद में मुर्शीद कुली खान की बेटी अजीमुनिसा बेगम का मकबरा

219. फरीदपुर, मुर्शीदाबाद में मीरमदन का मकबरा

220. खोसबाग, मुर्शीदाबाद में अलीवर्दी खान और सीराज-उद-दौल्लहा का मकबरा

221. रोशनी गंज, मुर्शीदाबाद में सुजाउद्दीन का मकबरा

222. सब्जीकटरा, मुर्शीदाबाद में मुर्शीदकुली खान का मकबरा और मस्जिद

223. बैलुर, हाओरा में श्री मेयर घाट

224. सभी गुम्बज और स्मारकों के साथ डच मृत्तिका, चुनचुरा, हुगली

225. सुसना आना मारिया की डच स्मृति स्मारक, चुनचुरा, हुगली

226. डेनिश मृत्तिका, श्री रामपुरा, हुगली

227. स्टेशन बुरैल ग्राऊंड के रूप में प्रसिद्द रेजिडेंसी मृत्तिका, बाबुलबोना, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद

228. डच मृत्तिका, कलिकापुर, मुर्शिदाबाद

229. ओल्ड इंगलिश मृत्तिका या रेजिडेंसी बुरैल ग्राउंड, कासिम बाजार

14. लखनऊ सर्कल

230. लखनऊ में साजद अली खान की पत्नी मुहीर जादी का मकबरा

231. लखनऊ में सादत अली का मकबरा

232. एलफर्ड पार्क, इलाहाबाद में क्वीन विकटोरिया मेमोरियल

233. लखनऊ में विक्टोरिया मेमोरियल

234. लखनऊ में सैपर्स मकबरा, हजरत महल पार्क
235. खुसरोबाग, इलाहाबाद में सुल्तान खुसरो का मकबरा
236. लखनऊ (मकबरा) नदान महल
237. खुसरोबाग, इलाहाबाद में बीबी तमोलन का मकबरा
238. खुसरोबाग, इलाहाबाद में सुल्तान खुसरो की मां का मकबरा
239. इलाहाबाद में सुल्तान खुसरो की बहन का मकबरा
240. लोटन बाग, लखनऊ में मकबरा
241. मुसा बाग, लखनऊ में मकबरा
242. कॉलपी, जालौन में लोधी शाह बादशाह का मकबरा
243. मेमोरियल मृत्तिका, माघोगंज हरदोई
244. मेमोरियल मृत्तिका, झांसी
245. फैजाबाद में बानी खानम का मकबरा
246. झांसी (स्मारक) में राजा गंगाधर रॉय की छतरी
247. शाहबाद, हरदोई में दीलेर खान का मकबरा
248. पृथ्वीराज, जालौन (मकबरा) के सेनापति जिसे पारम्पारिक रूप 12 पिलरो वाला बाराखम्बा कहा जाता है पर एक गुम्बज
249. लखनऊ में इब्राहिम चिश्ती का मकबरा
250. कनर्ल टी.एस. पॉवेल की स्मृति में स्मारक, बिंदकी, फतेहपुर
251. बिलग्राम, हरदोई में मेजर रोबट का मकबरा
252. स्मारक मकबरा, स्वाजापुर, हरदोई
253. दियोगढ़, ललितपुर में घाट
254. मोहीबुलापुर में स्मारक पिलर, लखनऊ
255. चंदेला मंदिर और ब्रह्मतल घाट कबारी, मोहोबा
256. लखनऊ में मुहम्मद अली शाह का मकबरा
257. लखनऊ में गाजी-उद-द्दीन हैदर का मकबरा
258. लखनऊ में अमजद अली शाह का मकबरा
259. लखनऊ में जनबा-ए-औलिया का मकबरा
260. किस्त सागर की नहर, मोहाबा (घाट)
261. मदन सागर की नहर, मोहाबा (घाट)
262. आसफ-उद-दौला इमामबाड़ा (बारा इमामबाड़ा) लखनऊ (मकबरा)
263. फैजाबाद में बहु बेगम मकबरा
264. पिहानी, हरदोई, नवाब सरदार जहां का मकबरा
265. सलार सेफुद्दीन आलियास सरखरू सालार का मकबरा, बहरीच
266. बाहरीच में रजब सजर हटीला सलार का मकबरा
267. हाजी इकबाल का मकबरा, सरदार जहान बेगम के उनांच मस्जिद सहित और इससे जुड़ा संपूर्ण परिसर, फैजाबाद
268. चारा खम्बा के रूप में जाना जाने वाला मकबरा, लखनऊ
269. नसीर-ऊ-द्दीन करबला, डालीगंज, लखनऊ (मकबरा)
270. कुरबान मुहम्मद का मकबरा, ऊनाब
271. जनरल वाईटलोक फोर्स की स्मृति में स्मारक, बांदा
272. शाजा-उद-दौला का मकबरा, फैजाबाद
273. वेल गार्डन स्मारक, कानपुर

15. मुम्बई सर्कल

274. दीलावर खान का मकबरा, पुणे
275. हबसी गुम्बज, पुणे
276. बेगमी का मकबरा, पुणे
277. खोखरी गुम्बज, रायगढ़
278. जयजयमाता समाधी, रायगढ़
279. अंगेरी का मकबरा, रायगढ़

16. पटना सर्कल

280. शमशेर खान का मकबरा, शमशेर नगर, जिला औरंगाबाद (बिहार)
281. मलिक इब्राहिम बैयू का मकबरा, बिहार शरीफ, जिला-नांलदा (बिहार)
282. मक्खदुम शाह दौलत का मकबरा, मनेर, जिला-पटना (बिहार)
283. हसन शाह सूरी का मकबरा, सासाराम, जिला-रोहतास (बिहार)

284. शेर शाह सूरी का मकबरा, सासाराम, जिला-रोहतास (बिहार)

285. बख्तीयार खान का मकबरा, मलिक सराय, जिला-केमुर (बिहार)

286. अभिमान का मकबरा, मेहनगर, जिला-आजमगढ़ (यू.पी.)

287. लोड कोर्नवालिस का मकबरा, गाजिपुर, जिला-गाजिपुर (यू.पी.)

288. क्यालिच खान का मकबरा, जौनपरा, जिला-जौनपुर (यू.पी.)

289. नवाब गाजी खान का मकबरा, जौनपुर, जिला-जौनपुर (यू.पी.)

290. फिरोज शाह का मकबरा, जौनपुर, जिला-जौनपुर (यू.पी.)

291. लाल खान का मकबरा, राजघाट, जिला-वाराणसी (यू.पी.)

292. ईफतिहार खान चुनर का मकबरा, जिला मिर्जापुर (यू.पी.)

17. रायपुर सर्कल

293. कामा मैमोरियल, धिलमिल, जिला-बस्तर, सीजी

294. मैगलीथिट साईट, गेमवाडा, जिला-डेटंवाडा, सीजी

295. सीता देवी मंदिर के पास सती पिल्लर, दियोरबीजा, जिला-दुर्ग, सीजी

18. शिमला सर्कल

296. धर्मशाला में लार्ड एलगिन का मकबरा-शहर में चर्च परिसर के अन्दर स्वित यह 36 स्केयर मीटर क्षेत्र में फैला एक बहुत छोटा स्मारक है।

297. बरसेला स्मारक मंडी, जिला-मंडी यह स्मारक राजा और राजा के साथ सती होने वाले व्यक्तियों की याद में सती पीलर के रूप में स्मारक।

19. श्रीनगर सर्कल

298. एक कब्रगाह (मकबरा) नामत: जैन-उल-आबदीन की मां का मकबरा (बादशाह मकबरा) जैना कादल, श्रीनगर शहर (कश्मीर घाटी)

20. वड़ोदरा सर्कल

299. अहमद शाह की रानी का मकबरा, अहमदाबाद

300. अहमद शाह का मकबरा, अहमदाबाद

301. सारंगपुर मस्जिद के पास रानी का मकबरा, अहमदाबाद

302. सीदी बसीर मिनार और मकबरा (शेकिंग), अहमदाबाद

303. दादा हरीर मस्जिद और मकबरा, अहमदाबाद

304. अच्यूत बीबी मस्जिद और मकबरा, अहमदाबाद

305. दरिया खान मकबरा, अहमदाबाद

306. सैयद उस्मान मस्जिद और मकबरा, अहमदाबाद

307. शाह आलम मकबरा ग्रुप में चारों और के भवन, अहमदाबाद

308. रानी सिपरी मस्जिद और मकबरा, अहमदाबाद

309. नवाब सरदार खान रोजा परिसर की दीवार के साथ जमालपुर, अहमदाबाद

310. मीर अब्बु तुंब का मकबरा, अहमदाबाद

311. (कुतुब-ए-आलम) का मकबरा, वाटवा, अहमदाबाद

312. बावा अलिसर का रोजा और बावा गंज बक्श, बक्शगंज के मकबरे से पहले सरखेज रोजा, अहमदाबाद

313. गंज बक्श के मकबरे से पहले बीबी राजबाई का मकबरा, सरखेज रोजा, अहमदाबाद

314. गंज बक्श के मकबरे से पहले मुहम्मद बेघर का मकबरा सरखेज रोजा, अहमदाबाद

315. शेख अहमद खातु गंज बक्श का मकबरा, सरखेज रोजा, अहमदाबाद

316. सिकंदर शाह का मकबरा, हलोल, गोधरा

317. पंच-माहुंडा-की-मस्जिद के पास मकबरा, गोधरा

318. साकर खान दरगाह चंपारन, गोधरा

319. केंद्र में ईट गुम्बज के साथ मकबरा और गुम्बज के छोटे, किनारे, चम्पानेर, गोधरा

320. केवड़ा मस्जिद स्मारक, चंपानर, जिला-पंचमहल-गोधरा

321. नगीना मस्जिद, स्मारक चंपानर, जिला-पंचमहल-गोधरा

322. मुबारक सैयद का मकबरा, सोजाली, खेड़ा, जिला-खेड़ा

323. शेख फरीद का मकबरा, पटम

324. सिकंदर शाह का मकबरा, परानतीज, साबरकांथा

325. ख्वाजा दाना साहेब रोजा से जानी जाने वाली दरगाह, सूरत

326. ख्वाजा सफल सुलेमानी का मकबरा, सूरत

327. ओल्ड डच और अमेरिकन मकबरा और मृत्तिका, सूरत

328. हजीरा व कुतुबद्दीन मोहम्मद खान का मकबरा, दंतवेशवर, वड़ोधरा

[अनुवाद]

बागवानी में मानव संसाधन विकास

2936. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में बागवानी में मानव संसाधन विकास नामक कोई नई योजना शुरु की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के तहत महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) किसानों के क्षमता निर्माण और बागवानी फील्ड कार्मिकों हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1999-2000 में सरकार द्वारा बागवानी में मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) पर एक स्कीम की शुरूआत की गई थी। हालांकि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005-06 में बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) की शुरूआत के साथ एच.आर.डी. स्कीम को एन.एच.एम. स्कीम में मिला दिया गया था। यह स्कीम 18 राज्यों एवं 3 संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रह है। अन्य राज्यों को पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य स्कीम हेतु बागवानी मिशन के तहत कवर किया जाता है। इन स्कीमों के तहत मालियों, सुपरवाईजरों, उद्यमियों, किसानों और तकनीकी स्टाफ/फील्ड कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण शुरु करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) एन.एच.एम. एवं एच.एम.एन.ई.एच. स्कीमों के तहत वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न राज्यों को प्रदान वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य को 2.20 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी।

विवरण

राज्यों को एच.आर.डी. के लिए एन.एच.एम. और एच.एम.एन.ई.एच. के अंतर्गत प्रदत्त सहायता

राज्य	राशि*
1	2
आन्ध्र प्रदेश	2.32
अरुणाचल प्रदेश	0.27
असम	0.36
बिहार	0.00
छत्तीसगढ़	0,07
गोवा	0.02
गुजरात	0.30
हरियाणा	0.95
हिमाचल प्रदेश	1.46
झारखंड	0.22
जम्मू और कश्मीर	1.41
कर्नाटक	1.44
केरल	1.01
मध्य प्रदेश	2.02
महाराष्ट्र	2.20
मणिपुर	0.63
मेघालय	0.20
मिजोरम	0.86
नागालैंड	0.15
ओडिशा	0.91
पुदुचेरी	0.03

1	2
पंजाब	0.42
राजस्थान	0.45
सिक्किम	0.60
तमिलनाडु	0.91
त्रिपुरा	0.62
उत्तर प्रदेश	1.75
उत्तराखंड	0.08
पश्चिम बंगाल	0.12
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.10

*(करोड़ रुपए में)

क्षेत्रीय फिल्म उद्योग का विकास

2937. **श्रीमती दर्शना जरदोशः** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गुजराती फिल्मों सहित क्षेत्रीय फिल्म उद्योगों के विकास एवं सवंर्धन के लिए राज्यों के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा आवंटित/जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त किया है। तथापि, सरकार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों और भारतीय पैनोरमा में चयन के माध्यम से क्षेत्रीय फिल्मों को प्रोत्साहित करती है। भारतीय पैनोरमा फिल्में प्रायः भारत के भीतर और विदेशों मे आयोजित होने वाले विभिन्न फिल्म समारोहों में प्रदर्शित की जाती हैं। सरकार विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से एक स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है।

(ग) इस वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए निर्गत की गई निधि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपए में)

2009-10	7.84
2010-11	14.99
2011-12	16.67
2012-13 (आज की तारीख तक)	13.60

दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ एम.ओ.यू.

2938. **श्री नित्यानंद प्रधानः**
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारकों के अनुरक्षण के लिए दिल्ली के इतिहास को लिपिबद्ध करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ गठबंधन का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस मामले में ए.एम.आई. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय ने, दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में स्थित संरक्षित स्मारकों के बेहतर रखरखाव और उन्हें दर्शनीय बनाने में मदद करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सम्पर्क किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयला भंडार

2939. **श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाणः**
श्रीमती कमला देवी पटलेः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नए कोयला भंडारों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पता लगाए गए कोयला भंडारों की मात्र सहित स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन भंडारों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा व्यय किए धन का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार आगामी दो वर्षों में कुछ नए कोयला ब्लाकों में खनन कार्य शुरू करने के लिए विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त खानों से निकाले जाने वाले कोयले की मात्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। कोयला की जी.एस.आई. सूची के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभिज्ञात नए कोयला संसाधन नीचे दिये गए हैं—

(मिलियन टन में)

राज्य	2009-10 (01-04-2010)	2010-11 (01-04-2011)	2011-12 (01-04-2012)
आन्ध्र प्रदेश	3089	39	100
अरुणाचल प्रदेश	कोई वृद्धि नहीं	कोई वृद्धि नहीं	कोई वृद्धि नहीं
असम	कोई वृद्धि नहीं	126	कोई वृद्धि नहीं
बिहार	कोई वृद्धि नहीं	कोई वृद्धि नहीं	कोई वृद्धि नहीं
छत्तीसगढ़	2199	2598	1566
झारखंड	251	1973	1420
मध्य प्रदेश	1007	1138	1251
महाराष्ट्र	154	225	349
मेघालय	कोई वृद्धि नहीं	-1	कोई वृद्धि नहीं
नागालैंड	294	-1	कोई वृद्धि नहीं
ओडिशा	1080	2852	2289
सिक्किम	कोई वृद्धि नहीं	कोई वृद्धि नहीं	कोई वृद्धि नहीं
उत्तर प्रदेश	कोई वृद्धि नहीं	कोई वृद्धि नहीं	कोई वृद्धि नहीं
पश्चिम बंगाल	1526	102	661
कुल	9600	9052	7635

अन्वेषण का कार्य चालू वर्ष अर्थात 2012-13 के दौरान जारी है। इसलिए, इस कार्य के पूरा होने के बाद मूल्यांकन किया जाएगा।

(ग) नये संसाधनों की खोज करने के लिए संवर्धनात्मक अन्वेषण के योजना शीर्ष के तहत खर्च की गई निधि की राशि नीचे तालिका में दी गई है—

वर्ष	कोयला मंत्रालय द्वारा जारी निधि (करोड़ रुपए में)
1	2
2009-10	30.39
2010-11	68.00
2011-12	64.00

(घ) और (ङ) अन्वेषण के बाद, भूवैज्ञानिक रिपोर्टें/परियोजना रिपोर्टें निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए तैयार किये जाने की आवश्यकता होगी। उसके बाद वानिकी मंजूरी, पर्यावरण, मंजूरी, भूमि अधिग्रहण आदि जैसी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। इसलिए, उत्पादन के लिए खान को प्रारंभ करने में समय लगेगा।

[अनुवाद]

टी.वी. कार्यक्रमों के दौरान विज्ञापन

2940. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टी.वी. चैनलों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करने के दौरान विज्ञापन दिखाने के लिए कोई दिशानिर्देश/नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त दिशानिर्देशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त दिशानिर्देशों/नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले अनेक टी.वी. चैनलों पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और अब तक उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार को पता है कि टी.वी. चैनलों में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का श्रव्यस्तर चैनल में प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों के श्रव्यस्तर से अधिक है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) प्राइवेट सैटेलाइट/केबल टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 में निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप होना आवश्यक होता है जिसमें ऐसे टीवी चैनलों द्वारा सख्ती से अनुसरित किए जाने वाले समस्त सिद्धांत अंतर्विष्ट हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में निर्धारित विज्ञापन संहिता संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन का पता लगाने के उद्देश्य से सरकार ने ऐसे टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों व विज्ञापनों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केन्द्र (ई.एम.एम.सी.) की स्थापना की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जानकारी में आने वाले और ई.एम.एम.सी. द्वारा सूचित किए जाने वाले विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के मामलों को अंतर-मंत्रालयीय समिति (आई.एम.सी.) के समक्ष रखा जाता है और केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत विचारार्थ मामलों में उल्लंघन सत्यापित हो जाने पर कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) विज्ञापन संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन के कुछ मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं। चालू वर्ष में विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करने वाले मामलों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सभी टीवी चैनलों, एन.बी.ए. और आई.बी.एफ. को सलाह-पत्र/पत्र जारी किए गए हैं जिनमें उन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 की विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करने की सलाह दी गई है।

(ङ) और (च) केबल टीवी नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7(6) में प्रावधान है कि विज्ञापन की श्रव्य-दृश्य सामग्री की प्रस्तुति बहुत तीव्र स्तर में नहीं होगी'। जब भी नियम 7(6) के उल्लंघन की जानकारी मिली है, तो सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है।

विवरण-I

7. **विज्ञापन कोड**—(1) केबल सेवा में रखा जाने वाला विज्ञापन इस प्रकार परिकल्पित कियां जाएगा जिससे कि वह देश की विधियों के अनुरूप हो और उससे अभिदाताओं की नैतिकता, शिष्टता और धर्मिक भावनाओं पर आघात नहीं पहुंचना चाहिए।

(2) ऐसा कोई विज्ञापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो—

(i) किसी मूलवंश, जाति, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता का उपहास करता है;

(ii) भारत के संविधान के किसी उपबंध के विरुद्ध है;

(iii) अपराध करने, अव्यवस्था फैलाने या हिंसा करने या विधि के भंग करने के लिए लोगों को भड़काने की प्रवृत्ति रखता है या किसी भी प्रकार से हिंसा या अश्लीलता का गुणगान करता है;

(iv) वांछनीय रूप में अपराधिता प्रस्तुत करता है;

(v) राष्ट्रीय संप्रतीक या संविधान के किसी भाग या किसी राष्ट्रीय नेता या किसी राजकीय उच्च पदस्थ के व्यक्तित्व का शोषण करता है;

(vi) नारी चित्रण करते समय, सभी नागरिकों के लिए सांविधानिक गारंटी का अतिक्रमण करता है। विशिष्टतया ऐसा कोई विज्ञापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो नारी के अपमानजनक प्रतिरूप को साकार करता है। नारी का चित्रण ऐसी रीति से नहीं किया जाना

चाहिए जो निष्क्रिय, दब्बू गुणों को महत्व देता है और उन्हें कुटुम्ब तथा सोसाइटी में अधीनस्थ, गौण भूमिका का निर्वाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है। केबल ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी केबल सेवा में किए जाने वाले कार्यक्रमों में नारी रूप का चित्रांकन सुरुचिपूर्ण और सौंदर्यपरक है और सुरुचि तथा शिष्टतया के स्थापित मानदंडों के भीतर है;

(vii) दहेज, बाल-विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से लाभ उठाता है;

(viii) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से—

3 [(क) सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, मदिरा, शराब, मादक द्रव्य या अन्य नशीले पदार्थों के उत्पादन, विक्रय या उपभोग को बढ़ाया देता है];

4. [परन्तु एक ब्रैण्ड नाम या लोगों का प्रयोग करने वाला कोई उत्पाद, जिसका उपयोग सिगरेट, तम्बाकू, उत्पाद, मदिरा, शराब, मादक द्रव्य या अन्य नशीले पदार्थों के लिए किया जाता है निम्नलिखित शर्तों के अधीन केबल सेवा पर विज्ञापित किया जा सकेगा, कि—

(i) विज्ञापन का कथा बोर्ड या दृश्य केवल विज्ञापित हो रहे उत्पाद को चित्रित करेगा और न कि किसी प्रतिबंधित उत्पाद को किसी रूप या ढंग से;

(ii) विज्ञापन में प्रतिबंधित उत्पादन का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संदर्भ नहीं होना चाहिए;

(iii) विज्ञापन में कोई ऐसी उक्ति या उपवाक्य नहीं होना चाहिए जो प्रतिबंधित उत्पादन को बढ़ावा दे;

(iv) विज्ञापन में प्रतिबंधित उत्पादन से जुड़े किसी खास रंग और आकार या रूपक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए;

(v) विज्ञापन में ऐसी स्थितियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो प्रतिबंधित उत्पादन को दूसरे उत्पादनों के विज्ञापन के समय बढ़ावा देने के लिए खास स्वरूप की हों;

परन्तु और कि—

(i) विज्ञापक एक पंजीकृत चार्टरित लेखाकार की ओर से एक प्रमाणपत्र सहित प्रस्तावित विज्ञापन की एक प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा कि सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, मदिरा, शराब, मादक द्रव्य या अन्य नशीले पदार्थों की तरह ही नाम वाला उत्पादन युक्तिसंगत मात्रा में वितरित किया जा रहा है और ऐसी दुकानों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जहां उसी श्रेणी के अन्य उत्पाद उपलब्ध हैं और उस पर ऐसे विज्ञापन पर प्रस्तावित व्यय उत्पादन के वास्तविक कारोबार के अनुपात से भिन्न नहीं होगा;

(ii) ऐसे सभी विज्ञापनों जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वास्तविक ब्राण्ड विस्तार के रूप में पाया जाएगा, की पुनरीक्षा की जाएगी और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु उपयुक्त रूप में प्रमाणित किया जाएगा और उनके दूरसंचार या प्रसारण या पुनर्प्रसारण के पहले प्रथम परन्तुक के उपखण्ड (i) से (v) में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार हैं।]

(ख) शिशु दुग्ध सामान, फीडिंग बोतल या शिशु आहार।

(3) कोई ऐसा विज्ञापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसके उद्देश्य पूर्णत: या मुख्यत: धार्मिक या राजनैतिक प्रकृति के हैं, विज्ञापनों का लक्ष्य किसी धार्मिक या राजनैतिक उद्देश्य की ओर नहीं होना चाहिए।

[3(क): किसी विज्ञापन में धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले संदर्भ नहीं होंगे।]

(4) विज्ञापित माल या सेवाओं में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में तथा उल्लिखित कोई त्रुटि या कमी नहीं होगी।

(5) किसी विज्ञापन में ऐसे संदर्भ अंतर्विष्ट नहीं होंगे जिनसे जनता को यह अनुमान लगाने की संभावना हो कि विज्ञाप्ति उत्पाद या इसके संघटकों में से किसी में विशेष या चमत्कारिक या अलौकिक गुण या क्वालिटी है, जिसका साबित किया जाना कठिन है।

(6) विज्ञापन का चित्र और श्रव्य वस्तु अत्यधिक रूप से प्रबल नहीं होगी।

(7) कोई ऐसा विज्ञापन जिससे बच्चों की सुरक्षा संकट में पड़ती हो या उनमें विकृत्त व्यवहार में कोई रुचि उत्पन्न होती हो या जिसमें उन्हें भिक्षा मांगते हुए या अभ्रद्र या अशिष्ट रीति से दिखाया जाता है, केबल सेवा में नहीं रखा जाएगा।

(8) सभी विज्ञापनों में अशिष्ट, अश्लील, उद्दीपक,

अरुचिकर या घृणोत्पादक प्रसंग या विवेचन से बचना होगा।

(9) कोई ऐसा विज्ञापन, जो भारतीय विज्ञापन अभिकरण संगम, मुंबई द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित विज्ञापन अभिकरणों के लिए पद्धति-मानकों का अतिक्रमण करता है, केबल सेवा में नहीं रखा जाएगा।

(10) सभी विज्ञापन स्पष्ट रूप से कार्यक्रम से सुभिन्न होने चाहिएं और कार्यक्रम में किसी भी रीति से बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए अर्थात पर्दे के निचले भाग का कार्यक्रम के साथ-साथ स्थिर या चलते शीर्षक रखने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(11) किसी कार्यक्रम में बारह मिनट प्रति घंटे से अधिक के विज्ञापन नहीं होंगे जिनमें दस मिनट प्रति घंटे तक के व्यापारिक विज्ञापन और दो मिनट प्रति घंटे तक के चैनल के स्व-प्रोन्नयन कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं।

विवरण-II

ई.एम.एम.सी. द्वारा इंगित किए गए विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करने वाले चैनलों की सूची और उन पर की गई कार्रवाई

क्र.सं.	चैनल का नाम	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख	कारण बताओ नोटिस जारी करने के कारण	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	एमटीवी	24-04-2012	'एक्स शावर जेल' विज्ञापन का प्रसारण।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मामले पर आई.एम.सी. द्वारा विचार किया जा रहा है।
2.	बिंदास	10-05-2012	'क्लीन एंड ड्राई इंटीमेट वाश' विज्ञापन का प्रसारण जो अभद्र, अश्लील, अशिष्ट प्रतीत होता है।	चैनल ने विज्ञापन का प्रसारण बंद कर दिया है।
3.	इंडिया टीवी	10-05-2012	'क्लीन एंड ड्राई इंटीमेट वाश' विज्ञापन का प्रसारण जो अभद्र, अश्लील, अशिष्ट प्रतीत होता है।	चैनल ने विज्ञापन का प्रसारण बंद कर दिया है।
4.	जी टीवी	10-05-2012	'क्लीन एंड ड्राई इंटीमेट वाश' विज्ञापन का प्रसारण जो अभद्र, अश्लील, अशिष्ट प्रतीत होता है।	चैनल ने विज्ञापन का प्रसारण बंद कर दिया है।
5.	एमटीवी	10-05-2012	'क्लीन एंड ड्राई इंटीमेट वाश' विज्ञापन का प्रसारण जो अभद्र, अश्लील, अशिष्ट प्रतीत होता है।	चैनल ने विज्ञापन का प्रसारण बंद कर दिया है।
6.	स्टार प्लस	10-05-2012	'क्लीन एंड ड्राई इंटीमेट वाश' विज्ञापन का प्रसारण जो अभद्र, अश्लील, अशिष्ट प्रतीत होता है।	चैनल ने विज्ञापन का प्रसारण बंद कर दिया है।
7.	जिंग	10-05-2012	'क्लीन एंड ड्राई इंटीमेट वाश' विज्ञापन का प्रसारण जो अभद्र, अश्लील, अशिष्ट प्रतीत होता है।	चैनल ने विज्ञापन का प्रसारण बंद कर दिया है।
8.	ईटी नाउ	16-05-2012	'किंगफिशर बीयर' का सीधा प्रचार करते हुए कार्यक्रम (विज्ञापन) का प्रसारण	चैनल को दिनांक 12-09-2012 को चेतावनी जारी की गई।
9.	स्टार क्रिकेट	16-05-2012	'वीबी बेस्ट कोल्ड बीयर' नामक विज्ञापन का प्रसारण	चैनल को दिनांक 12-09-2012 को चेतावनी जारी की गई।
10.	आईबीएन7	28-05-2012	'एक्स शावर जेल' के विज्ञापन का प्रसारण।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मामले पर आई.एम.सी. द्वारा विचार किया जा रहा है।
11.	बीएच-1	28-05-2012	'एक्स शाबर ज़ेल' के विज्ञापन का प्रसारण।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मामले पर आई.एम.सी. द्वारा विचार किया जा रहा है।

1	2	3	4	5
12.	कलर्स	28-05-2012	'एक्स शाबर जेल' के विज्ञापन का प्रसारण।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मामले पर आई.एम.सी. द्वारा विचार किया जा रहा है।
13.	निओ प्राइम चैनल	11-7-2012	'कार्ल्सबर्ग बीयर' का विज्ञापन का प्रसारण।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मामले पर आई.एम.सी. द्वारा विचार किया जा रहा है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी के नेटवर्कों का विकास

2941. **श्री नरहरि महतो:**
श्री मनोहर तिरकी:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अन्य अवसंरचना सहित दूरदर्शन और आकाशवाणी के नेटवर्कों के विकास के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के पूरा होने में कोई विलम्ब है;

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनकी अनुमानित लागत सहित कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित/अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क के विकास हेतु शुरू की गई परियोजनाओं और उनकी स्थिति की जानकारी क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, आकाशवाणी/दूरदर्शन का यह सतत प्रयास है कि इन परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलम्ब के लिए प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं:-

(i) नई स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए अनुमोदन/स्वीकृति में प्रक्रिया संबंधी विलंब;

(ii) राज्य सरकारों ने नए स्टेशनों के लिए स्थल अभिप्राप्त करने/रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब;

(iii) कठिन स्थानीय और अन्य स्थितियों के कारण नए स्थानों पर भवन निर्माण कार्य पूरा होने में विलंब;

(iv) प्रमुख उपकरणों के लिए क्रय आदेश जारी करने के लिए अपेक्षित स्वीकृति में विलंब; और

(v) एफ.एम. ट्रांसमीटरों के आयात लाइसेंस प्राप्त करने और उन्हें शुरू करने हेतु अपेक्षित डब्ल्यू.पी.सी. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से फ्रीक्वेंसी प्राधिकार प्राप्त करने में विलंब

स्कीमों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए प्रसार भारती द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- परियोजना के नियमित अनुवीक्षण और स्कीम की प्रगति और जहां अपेक्षित हो सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सी.ई.ओ., प्रसार भारती की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी।
- वित्त से संबंधी सभी मुद्दों को हल करने के लिए एक अधिकारप्राप्त वित्त-समिति गठित की गई थी।
- आकाशवाणी/दूरदर्शन परियोजनाओं के लिए अनुवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु महानिदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुवीक्षण समिति गठित की गई थी।
- स्कीमों के नामित किए गए नोडल अधिकारियों को आर.एफ.डी. में शामिल किया गया।

- मकानिदेशक की संस्वीकृति शक्ति 20 करोड़ रुपए फिर से की गई।
- परियोजना के लिए क्रय और सभी अन्य प्रमुख कार्यकलापों की समय अनुसूची तैयार की गई है और प्रगति का अनुवीक्षण किया जा रहा है।

300 करोड़ रुपए से कम के उपकरणों/भण्डारों की खरीद की शक्ति प्रसार भारती को प्रत्यायोजित की गई है।

(ङ) और (च) 12वीं पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन और आकाशवाणी की हार्डवेयर स्कीमों के लिए 5,397 करोड़ रुपए के परिव्यय (नई स्कीमें-2950 करोड़ रुपए और चल रही स्कीमें-2447 करोड़ रुपए) के आबंटन की संभावना है। तथापि, आकाशवाणी और दूरदर्शन की अलग-अलग 12वीं योजना स्कीमों को अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

विवरण-I

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में दूरदर्शन तथा अन्य आधारिक संरचना के विकास हेतु शुरू की गई मुख्य परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजनाएं	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	स्टुडियो परियोजनाएं (नए/अतिरिक्त/स्थायी सेट अप)—सं.8	सात परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। एक परियोजना के लिए संशोधित लागत अनुमान को अनुमोदित किया जाना है।
2.	स्टुडियो का डिजीटलीकरण—सं. 39	कैमरा चेन, कैमकार्डर तथा रिकार्डर के अतिरिक्त अन्य सभी मुख्य उपस्कर उपलब्ध होने के उपरांत संस्थापित/संस्थापनाधीन हैं। शेष उपस्करों की प्राप्ति प्रगति पर है।
3.	एच.पी.टी. परियोजना (नए/स्थायी सेट अप)—सं. 17	14 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। शेष परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
4.	एच.पी.टी. का प्रतिस्थापन—सं. 17	दो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष 15 परियोजनाओं के लिए एंटेना और ट्रांसमीटरों की प्राप्ति का कार्य प्रगति पर है।
5.	डिजीटल एच.पी.टी.—सं. 40	ये परियोजनाएं दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है-पहले चरण में 19 तथा दूसरे चरण में 21 1 चरण 1 में 19 ट्रांसमीटरों की प्राप्ति का कार्य प्रगति पर है। इन ट्रांसमीटरों की एंटेना प्रणाली हो गई है।
6.	एच.डी.टी.वी. क्षेत्रीय ट्रांसमीटर—सं. 4	ट्रांसमीटरों का प्राप्ति हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया है। एंटेना प्रणाली प्राप्त हो गई है तथा टावरों पर उनको स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।
7.	ऑटोमोड एल.पी.टी.—सं. 168	57 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। 111 परियोजनाओं के लिए ट्रांसमीटरों की प्राप्ति की मांग रखी गई है।
8.	वी.एल.पी.टी. (नए/उन्नयन)—सं. 35	34 वी.एल.पी.टी. परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। एक वी.एल.पी.टी. की संस्थापना का कार्य प्रगति पर है।
9.	भू केन्द्र परियोजनाएं (नए/उन्नयन)—सं. 15.	(i) 5 भू केन्द्रों का उन्नयन कार्य पूरा हो चुका है। (ii) 4 नए भू केन्द्रों की 4 स्थापना और 5 भू केन्द्रों के उन्नयन का प्रस्ताव भेज दिया गया है।
10.	हाई डेफिनिशन टी.वी. (एच.डी.टी.वी.) स्टुडियो—सं. 2	दिल्ली और मुंबई में विद्यमान एक स्टुडियो को एच.डी. स्टुडियो में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
11.	एच.डी. चैनल का प्रारंभ—सं.1	एच.डी. चैनल शुरू हो चुका है।
12.	डी.टी.एच. विस्तार (58 से 97 टी.वी. चैनल)	डी.टी.एच. प्लेटं फार्म के उन्नयन हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।

1	2	3
13.	स्टाफ क्वार्टर्स, गेस्ट हाउस, सामुदायिक केन्द्र, डी.एम.सी. तथा एल.पी.टी. भवनों का निर्माण—सं. 69	43 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 20 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
14.	दूरदर्शन भवन परिसर, दिल्ली में 'टॉवर सी' भवन का निर्माण	कार्य प्रगति पर है।

टिप्पणी : उपर्युक्त परियोजनाओं के 2014 तक चरणों में पूरी होने की संभावना है।

विवरण-II

आकाशवाणी द्वारा 11वीं योजना की परियोजनाओं का उनकी वर्तमान स्थिति के साथ ब्यौरा

क्र. सं.	स्कीम/ परियोजना	स्थानों की संख्या	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
अ.	**जारी स्कीम**		
1.	**जम्मू कश्मीर विशेष पैकेज-II**		
1.1	डीजी सेट तथा यूपीएस की व्यवस्था		कार्य पूरा किया गया।
2.	**मीडियम वेव सेवाओं का विस्तार**		
2.1	डुंगरपुर में 1 किलोवाट मीडियम वेव की स्थापना	1	तकनीकी रूप से तैयार।
3.	**एफ.एम. सेवाओं का विस्तार**		
3.1	1 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर के साथ नए एफ.एम. केन्द्र	5	तकनीकी रूप से तैयार-2 संस्थापित किए जा रहे हैं-2 स्थल आबंटित नहीं-1
3.2	5 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर के साथ नए एफ.एम. केन्द्र	5	कार्य पूरा किया गया-2 तकनीकी रूप से तैयार-1 संस्थापित किए जा रहे हैं-2
3.3	10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर के साथ नए एफ.एम. केन्द्र	15	कार्य पूरा किया गया-2 तकनीकी रूप से तैयार-7 सिविल कार्य प्रगति पर-3 सिविल कार्य पूरा किया गया-2 स्थल आबंटित नहीं-1
3.4	20 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर के साथ नए एफ.एम. केन्द	4	खरीद के आदेश दिए गए-3 स्थल आबंटित नहीं-1
3.5	नए 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर की स्थापना (अतिरिक्त चैनल)	15	कार्य पूरा किया गया।
3.6	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन	6	कार्य पूरा किया गया।
3.7	6 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन	10	कार्य पूरा किया गया।

1	2	3	4
3.8	5 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 20 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन	4	कार्य पूरा किया गया।
3.9	10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 20 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन	2	कार्य पूरा किया गया।
3.10	10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर में परिवर्तन	1	कार्य पूरा किया गया।
4.	**प्रस्तुति सुविधाओं तथा विविध स्कीमों का डिजिटलीकरण**		
4.1	स्विचिंग, डबिंग, ट्रांसमिशन तथा रिकोडिंग कनसोलों को उपलब्ध कराना	वर्तमान केन्द्रों पर	कार्य पूरा किया गया।
5.	**स्टुडियो सुविधाओं तथा विविध स्कीमों का स्वचलन और उपस्करों का बदलना**		
5.1	हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली उपलब्ध कराना	48	कार्य पूरा किया गया।
5.2	सर्वर, स्टोरेज तथा साफ्टवेयर के सथ हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली उपलब्ध कराना	48	खरीद आदेश दिया गया।
5.3	स्थायी स्टुडियो	4	कार्य पूरा किया गया।
5.4	डिजिटल अपलिंग उपलब्ध कराना	4	कार्य पूरा किया गया-3 संस्थापित किए जा रहे हैं-1
5.5	राजकोट में 1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का बदलाव	1	कार्य पूरा किया गया।
5.6	दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में डिजीटल मोबाइल एस.एन.जी.बाई. ट्रैक्ट में बदलाव	4	कार्य पूरा किया गया।
5.7	एस.टी.एल. लिंक उपलब्ध कराना	4	कार्य पूरा किया गया।
6.	**पूर्वोत्तर विशेष पैकेज**		
6.1	1 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर के साथ नए एफ.एम. केन्द्र	19	तकनीकी रूप से तैयार-5 संस्थापित किए जा रहे हैं-8 सिविल कार्य प्रगति पर-4 स्थल आबंटन नहीं-2
6.2	सिलचर में 5 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर का संस्थापन	1	कार्य पूरा किया गया।
6.3	गन्तोक में 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर का संस्थापन	1	कार्य पूरा किया गया।
6.4	कोहिमा में 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर का संस्थापन	1	अंतरिम सेटअप पूरा किया गया।
6.5	चिनसुरा में 1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का परिवर्तन	1	संस्थापन पूरा किया गया।
6.6	कावरत्ती में 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर में उन्नयन	1	संस्थापित किए जा रहा है।
6.7	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर की स्थापना	100	कार्य पूरा किया गया-44. तकनीकी रूप से तैयार-49 संस्थापित किए जा रहे हैं-7
6.8	एमएस.एस. टर्मिनल	10	योजना स्थगित की गई।

1	2	3	4
6.9	डी.एस.एन.जी.. प्रणाली	3	कार्य पूरा किया गया।
7.	**स्टाफ के लिए आवास**		
7.1	4 मैट्रों शहरों में स्टाफ क्वाटरों का निर्माण	4	दिल्ली-कार्य पूरा किया गया। मुंबई-निर्माण प्रगति पर। कोलकाता-के.एम.डी.ए. द्वारा आबंटित स्थल रद्द किया गया। मामला न्यायालय में विवादाधीन है। चैन्नई-भवन योजना अनुमोदनाधीन है।
बी.	**नई स्कीम**		
1	**आकाशवाणी नेटवर्क का डिजिटलीकरण**		
1.1	**ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण**		
1.1.1	**मीडियम वेव**		
क.	300 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का बदलाव	6	खरीद के आदेश दे दिए गए हैं।
ख.	200 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का बदलाव	9	खरीद के आदेश दे दिए गए हैं।
ग.	100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का बदलाव	10	खरीद के आदेश दे दिए गए हैं।
घ.	50 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का बदलाव	1	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
ङ.	20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का बदलाव	5	संस्थापित किए जा रहे हैं।
च.	कम्पेटिबल मीडियम वेव ट्रांसमीटर का डी.आर.एम. मोड में परिवर्तन	36	पी.ए.सी. प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
छ.	10 किलोवाट मीडियम वेव मोबाइल ट्रांसमीटर	6	कार्य पूरा किया गया।
1.1.2	**अरुणाचल प्रदेश—चाईना सीमा के निकटवर्ती मीडियम वेव ट्रांसमीटर का मीडियम वेव डी.आर.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन**		
क	10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर में उन्नयन (तवांग)	1	खरीद के आदेश दे दिए गए हैं।
ख.	100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 200 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन (ईटानगर)	1	खरीद के आदेश दे दिए गए हैं।
ग.	10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर में उन्नयन (पासीघाट)	1	खरीद के आदेश दे दिए गए हैं।
1.1.3	**एफ.एम.**		
क.	10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर का परिवर्तन	7	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
ख.	6 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर का परिवर्तन	27	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
ग.	5 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर की स्थापना	12	संस्थापित किए जा रहे हैं।
घ.	1 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर की स्थापना	12	खरीद के आदेश दे दिए गए हैं।
ङ.	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर की स्थापना	100	कर्य पूरा किया गया-19 संस्थापित किए जा रहे हैं-81

1	2	3	4
च.	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन	6	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
1.1.4	**शार्ट वेव**		
क.	500 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर का परिवर्तन	1	संस्थापित किए जा रहा है।
ख.	250 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का परिवर्तन	2	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
ग.	100 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर का परिवर्तन	2	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
1.2	**आर.एन.यू. और स्टुडियो का डिजिटलीकरण**		
क.	स्टुडियो का डिजिटलीकरण	98	प्रगति पर
ख.	स्टुडियो केन्द्रों की नेटवर्किंग-डिजास्टर रिकवरी प्रणाली के साथ कनटेंट/डाटा सर्वर का केन्द्रीकरण	98	एन.आई.टी. जारी की जा रही है।
ग.	दिल्ली में अभिलेखागार सुविधा में वृद्धि	1	प्रगति पर
घ.	मुंबई, चैन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में क्षेत्रीय अभिलेखागार केन्द्रों का सृजन	4	प्रगति पर
ङ.	आर.एन.यू. का स्वचलन	44	कार्य पूरा किया गया।
च.	7 आर.एन.यू. का सृजन	7	कार्य पूरा किया गया।
छ.	न्यूज ऑन फोन	29	एन.आई.टी. जारी की जा रही है।
1.3	**कनेक्टीविटी क डिजिटलीकरण**		
1.3.1	सी. बैंड आर.एन.टी. उपलब्ध कराना	44	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
1.3.2	डिजिटल कनेक्टविटी (एस.टी.एल.) उपलब्ध कराना	35	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
1.3.3	डिजिटल कनेक्टविटी (एस.टी.एल.) में बदलाव	80	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
1.3.4	आईजोल, इम्फाल, कोहिमा तथा अगरतला में एनालॉग, सी.ई.एस. का डिजिटल सी.ई.एस. में उन्नयन	4	कार्य पूरा किया गया।
1.3.5	तिरूचिरापल्ली, मदुरै, थारवाड में नए सी.ई.एस. उपलब्ध कराना	3	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
1.3.6	विद्यमान केन्द्रों में डी.टी.एच. चैनलों में वृद्धि	19	कार्य पूरा किया गया।
2.	**विदेश सेवाओं का सुदृढ़ीकरण**		
2.1	दिल्ली में विद्यमान डी.आर.एम. कम्पेटीबल शार्ट वेव ट्रांसमीटरों का डी.आर.एम. मोड में परिवर्तन (2)	1	पी.ए.सी. प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
2.2	अलीगढ़ में विद्यमान डी.आर.एम. कम्पेटीबल शार्ट वेव ट्रांसमीटरों का डी.आर.एम. मोड में परिवर्तन (2)	1	पी.ए.सी. प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
3.	**ई-गवर्नेंस, प्रशिक्षण, आई.ओ.एफ., पूर्वोत्तर क्षेत्र स्टाफ क्वाटर तथा कार्यालय आवास इत्यादि**		
3.1	मुख्यालय में कस्टमाजइड ई.आर.पी. (इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) सोल्युशन तथा डाटा केन्द्रों की स्थापना		12वीं योजना तक आस्थगित
3.2	क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों सहित कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) तथा कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम)	7	प्रगति पर

1	2	3	4
	में वृद्धि		
3.3	विद्यमान केन्द्रों की सुविधाओं में सुधार (आई.ओ.एफ.)		
क.	स्टुडियो की पुर्नसज्जा	3	कार्य पूरा किया गया।
ख.	टेलीमैट्री प्रणाली उपलब्ध कराना	26	प्रगति पर
ग.	यू.पी.एस. उपलब्ध कराना	80	प्रगति पर
घ.	ए.एम./एफ.एम./ट्रांसमीटरों तथा स्टुडियो के लिए मापन उपस्कर उपलब्ध कराना	वर्तमान केन्द्रों पर	प्रगति पर
ङ.	दुर्घटना प्रबंधन हेतु 1 किलोवाट मोबाइल एफ.एम. ट्रांसमीटर उपलब्ध कराना	5	प्रगति पर
च.	स्टुडियो में रिकार्डिंग प्रणाली आधारित हार्ड डिस्क उपलब्ध कराना	8	प्रगति पर
3.4	गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्तायी कार्यालय तथा आवासों का निर्माण	1	सिविल कार्य प्रगति पर है।
3.5	श्रीनगर में होस्टल आवास का निर्माण	1	सिविल कार्य प्रगति पर है।
4.	**नई तकनीक तथा अनुसंधान एवं विकास**		
4.1	सेटलाइट मोड और टेरेस्ट्रियल मोड दोनों में मल्टीमीडिया प्रसारण	—	प्रगति पर
4.2	महत्वपूर्ण चैनलों की वेबकास्टिंग/पोड कास्टिंग	—	प्रगति पर
4.3	अनुसंधान एवं विकास	—	प्रगति पर
5.	**सॉफ्टवेयर विकास**	**—**	**प्रगति पर**
6.	**जम्मू और कश्मीर विशेष पैकेज पेस-III**		
6.1	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर का संस्थापन	4	कार्य पूरा किया गया।
6.2	नए स्थलों में 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर की स्थापना	3	स्थल अधिग्रहण-2 स्थल अधिग्रहण नहीं-1
6.3	10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर का संस्थापन	1	खरीद आदेश प्रक्रियाधीन है।

भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय

2942. **श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने मुंबई स्थित ''गुलशन महल'' के जीर्णोधारित भवन और गुलशन महल के बगल में निर्मित किए जाने वाले एक नए भवन में एक अत्याधुनिक फिल्म एवं टेलीविजन संग्रहालय के रूप में फिल्म प्रभाग परिसर में चलचित्र संग्रहालय (एम.ओ.एम.आई.), जिसका नाम अब बदलकर भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय (एन.एम.आई.सी.) कर दिया गया है, की स्थापना करने का निर्णय लिया था। इस संग्रहालय में सिनेमा प्रेमियों, फिल्म निर्माताओं, फिल्म छात्रों, फिल्म उत्साहियों एवं समालोचकों के लिए रुचिकर ब्यौरे के साथ भारतीय सिनेमा से संबंधित बहुमूल्य सूचना का संग्रह होगा। इस संग्रहालय में

पारस्परिक विचार-विमर्श हेतु दीर्घाएं तथा 155 व 210 सीटों की क्षमता वाले दो सिनेमा थिएटर होंगे। इसमें 400 सीटों की क्षमता वाली रंगभूमि और डेमो स्टूडियो भी होंगे जिनमें फिल्म निर्माण, शूटिंग आदि के विभिन्न चरणों के बारे में दर्शकों को डेमो दिए जाएंगे।

(ग) संग्रहालय की स्थापना करने का कार्य प्रगति पर है।

बीज बैंक की स्थापना

2943. श्री अन्नू टण्डन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत बीज बैंकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या मौजूदा बीज बैंक किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) क्या सरकार पौधों की स्थानीय और स्वदेशी किस्मों का संरक्षण करने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी बीज बैंक स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा सब्जियों और अनाज की स्थानीय और स्वदेशी किस्मों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल राज्य में राज्य बीज निगम/बीज विकास प्राधिकरण (एस.एस.सी.) के माध्यम से और तमिलनाडु में राज्य कृषि विभाग के माध्यम से 18 वीज बैंक प्रचालन में है। राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य कृषि निगम भी राष्ट्रीय स्तर बीज बैंकों का प्रचालन करते हैं। बीज बैंकों का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अप्रत्याशित स्थितियों जैसे सूखा, बाढ़ की स्थिति की चलते बीज की आवश्यकता को पूरा करना है। स्तान विशिष्ट किस्मों के प्रमाणित और आधारी बीजों जिसमें स्थानीय किस्में, जो इस प्रकार की स्थितियों हेतु अनुकूल है, को बीज बैंक में रखा जाता है। विद्यमान बीज बैंक किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) बीज बैंक राज्यों द्वारा बताई गई आवश्यकता के आधार पर और सूखा और बाढ़ जैसी अप्रत्याशित घटनाओं में वैकल्पिक बीज उपलब्ध कराने के विशिष्ट अधिदेश के साथ स्थापित किए जाते हैं। इन बैंकों में रखे जाने वाले बीज फसलों के लघु और मध्यम अवधि किस्म के बीज होते हैं जो क्षेत्र के अनुकूल होते हैं और आकस्मिक स्थिति में आवश्यकता को पूरा करते हैं।

हालांकि राष्ट्रीय पौध जेनेटिक संसाधन ब्यूरो और राष्ट्रीय सक्रिय जर्म प्लाज्म साईट्स जो विभिन्न राज्यों में जीन बैंकों के रूप में प्रचालित है, का उद्देश्य कृषि अनुसंधान उद्देश्य हेतु सब्जियों, अनाजों, धान्यों के देशी किस्मों सहित विभिन्न फसलों के वन्य प्रजातियों की परम्परागत किस्मों और भूमि किस्मों, वन्य किस्मों सहित जर्म प्लाज्म को एकत्र करना, विशिष्टता बताना, उसका मूल्यांकन करना, संरक्षण करना और उसे उपलब्ध कराना है। ये जीन बैंक स्थानीय किस्मों को भी संरक्षित करते हैं।

पन विद्युत केन्द्रों की सुरक्षा

2944. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सहित देश में पन विद्युत संयंत्रों पर खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसी सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए इन विद्युत संयंत्रों को अचूक सुरक्षा मुहैया कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) सरकार को देश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को खतरे के संबंध में समय-समय पर जानकारियां प्राप्त होती रहती है, जिसमें बांध, जल-विद्युत संयंत्र आदि शामिल हैं। इन जानकारियों का संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ तुरंत आदान-प्रदान किया जाता है, क्योंकि इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक रूप से राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी आवधिक रूप से सुरक्षा संबंधी जांच करती हैं और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सिफारिशें करती हैं। इन सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को समय-समय पर परामर्शी-पत्र भी जारी किए जाते हैं। अचूक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए इनमें से कई प्रतिष्ठानों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) की भी तैनाती की जाती है।

[हिन्दी]

समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद करना

2945. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जिन समाचारपत्रों का प्रकाशन बंद किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सभी समाचारपत्रों का स्वामित्व जब्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या प्रिन्ट मीडिया को शामिल करने वाले नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई आवधिक निगरानी तंत्र मौजूद है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) जिन समाचार पत्रों को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) समाचारपत्र का प्रकाशन स्वामी द्वारा समाप्ति संबंधी घोषणापत्र भरने के बाद बंद किया जाता है। तथापि, ऐसे समाप्त किए गए प्रकाशन की पंजीकरण संख्या किसी अन्य प्रकाशक/स्वामी को नहीं आबंटित की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) आवधिक अनुवीक्षण प्रणाली का अनुपालन प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। पी.आर.बी. अधिनियम, 1867 की धारा 19घ के अंतर्गत प्रकाशक को प्रेस पंजीयक को एक वार्षिक विवरण देना अपेक्षित होता है जिसमें समाचारपत्र से संबंधित ब्यौरे शामिल किए जाते हैं। आर.एन.आई. ने अपने वेबसाइट पर एक नोटिस लगाकर प्रकाशकों से अपने वार्षिक विवरण प्रत्येक वर्ष 31 मई को या उससे पहले जमा कराने के लिए कहा है।

सरकार प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों सहित विनिर्धारित दिशानिर्देशों और अन्य निबंधन और शर्तों के अनुसार विदेशी पत्रिकाओं/जर्नलों/आवधिक पत्रों के भारतीय संस्करण के प्रकाशन की अनुमति प्रदान करती है। अनुसंधान संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग (आर.आर.टी.डी.), जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक अधीनस्थ प्रभाग है, विदेशी प्रकाशनों के ऐसे भारतीय संस्करणों की विषय-वस्तु का अनुमोदित विषय-वस्तु की प्रकृति से किसी तरह के विचलन का अनुवीक्षण करता है।

विवरण

1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक

क्र.सं.	शीर्षक का नाम	भाषा	आवधिकता	पंजीयन सं.	प्रकाशन स्थल	निरस्त होने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	मिथिला गौरव	हिन्दी	द्विसाप्ताहिक	335/34/80	पटना	18-06-2009
2.	अजीमाबाद मेल	हिन्दी	दैनिक	39727/84	पटना	18-06-2009
3.	भारत देश हमारा है	हिन्दी	साप्ताहिक	42229/82	पटियाला	14-05-2009
4.	फॉर्चून इंडिया	अंग्रेजी	मासिक	39889/82	मुम्बई	28-08-2009
5.	कलकत्ता मिरर	अंग्रेजी	मासिक	12211/66	कलकत्ता	01-09-2009
6.	उत्तर भारत	हिन्दी	साप्ताहिक	20195/70	उन्नाव	21-08-2009
7.	उत्तर भारत	हिन्दी	दैनिक (प्रात:)	21972/71	कानपुर	21-08-2009
8.	उत्तर भारत	हिन्दी	दैनिक (सायं)	63814/96	कानपुर	21-08-2009
9.	ओडिट कम्पैनियन	मलयालम	मासिक	Kermal/08/27518	तिरूवनंतपुरम	09-09-2009

1	2	3	4	5	6	7
10.	पंचजन्य	हिन्दी	साप्ताहिक	2042/57	लखनऊ	17-09-2009
11.	जनवाणी समग्र	तेलुगू	मासिक	69175/97	हैदराबाद	21-04-2009
12.	त्रिगुट	हिन्दी	दैनिक	51694/91	हैदराबाद	20-05-2009
13.	लोक स्वामी	हिन्दी	दैनिक	52149/91	इंदौर	19-07-2009
14.	अश्वनी टाइम्स	हिन्दी	साप्ताहिक		सोनीपत	14-05-2009
15.	सहेत महंत	हिन्दी	साप्ताहिक	47877	बहराईच	25-05-2009

1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक

क्र.सं.	शीर्षक का नाम	भाषा	आवधिकता	पंजीयन सं.	प्रकाशन स्थल	निरस्त होने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	अबेक ट्रेड गाईड	अंग्रेजी	मासिक	MAHENG/2009/28618	मुम्बई	25-01-2011
2.	अहैड	अंग्रेजी	मासिक	DELENG/2002/07160	दिल्ली	29-12-2010
3.	शून्य	हिन्दी	मासिक	63543/95	इटावा	18-03-2011
4.	एफ.एच.एम. फॉर हिम मैंगजीन	अंग्रेजी	मासिक	MAHENG/2007/22337	मुम्बई	25-01-2011
5.	दैनिक चेतना	बंगला	दैनिक	34361/81	कलकत्ता	30-12-2010
6.	एक कौम	उर्दू	साप्ताहिक	38028/81	उत्तर प्रदेश	07-01-2011
7.	करंट पोस्ट मॉर्टम	हिन्दी	पाक्षिक	40477/83	दिल्ली	03-01-2011
8.	संवाद	उड़िया	दैनिक	ORIORI/2001/10458	जेपौर	07-01-2011
9.	संवाद	उड़िया	दैनिक	ORIORI/2003/10459	कटक	07-01-2011
10.	संवाद	उड़िया	दैनिक	ORIORI/2001/10460	अंगुल	07-01-2011
11.	सवाद	उड़िया	दैनिक	68750/98	बालासोर	07-01-2011
12.	संवाद	उड़िया	दैनिक	70977/98	संबलपुर	07-01-2011
13.	तुलवे सहर	उर्दू	साप्ताहिक	52721/90	हैदराबाद	24-01-2011
14.	राठी की अदालत	हिन्दी	मासिक	15246/04	दिल्ली	25-03-2011

1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक

क्र.सं.	शीर्षक का नाम	भाषा	आवधिकता	पंजीयन सं.	प्रकाशन स्थल	निरस्त होने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	सौंदर्यवती	मराठी	मासिक		पुणे	04-04-2011

1	2	3	4	5	6	7
2.	गर्म हवा	उर्दू	दैनिक	53439/91	दिल्ली	07-04-2011
3.	इंफॉर्मेशन वीक	अंग्रेजी	मासिक		मुम्बई	09-04-2011
4.	इंफोस्टोर	अंग्रेजी	मासिक	DELENG/2004/14318	दिल्ली	03-06-2011
5.	कंप्यूटर रिसैलर न्यूज	अंग्रेजी	पाक्षिक		मुम्बई	20-06-2011
6.	नेटवर्क कंप्यूटिंग	अंग्रेजी	मासिक		मुम्बई	20-06-2011
7.	नूतन सत्ता प्रवाह	हिन्दी	दैनिक	UPHIN/99/00608	गोरखपुर	05-04-2011
8.	एशियाज क्राइम रिपोर्टर	हिन्दी	साप्ताहिक	36926/80	दिल्ली	19-07-2011
9.	राष्ट्र मत	हिन्दी	दैनिक	9754/62	कानपुर	20-12-2011
10.	तेलुगू वेलुगू	तेलुगू	साप्ताहिक		विजयवाड़ा	23-03-2012
11.	तेलुगू वेलुगू	तेलुगू	मासिक		विजयवाड़ा	23-03-2012
12.	अजीर दैनिक बातोरी	असमिया	दैनिक		लखीमपुर	29-03-2012
13.	अजीर दैनिक बातोरी	असमिया	दैनिक		सिलचर	29-03-2012

1 अप्रैल, 2012 से 30 नवम्बर, 2012 तक

क्र.सं.	शीर्षक का नाम	भाषा	आवधिकता	पंजीयन सं.	प्रकाशन स्थल	निरस्त होने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	हमारी आवाज	उर्दू	साप्ताहिक		बदायूं	10-04-2012
2.	झडता करुणा स्त्रोत	हिन्दी	मासिक		दिल्ली	04-05-2012
3.	महानगर टाइम्स	हिन्दी	साप्ताहिक	UPHIN/2002/08544	मुरादाबाद	17-05-2012
4.	हक परस्त	हिन्दी	साप्ताहिक	34124	कैथल	13-06-2012
5.	युवा टाइम्स	हिन्दी	साप्ताहिक		आजमगढ़	01-06-2012
6.	सत्यासूत्र	हिन्दी	पाक्षिक	MPHIN/2002/06946	ग्वालियर	12-06-2012
7.	करप्शन फाइटर	हिन्दी	पाक्षिक	RAJHIN/2002/09776	हनुमानगढ़	12-06-2012
8.	रिसर्च ब्यूरो	हिन्दी	साप्ताहिक	UPHIN/2002/09104	लखनऊ	14-06-2012
9.	इंडियन	हिन्दी		CHAHIN/2006/17757	चंडीगढ़	09-07-2012
10.	संत निरंकारी			39201/83	दिल्ली	31-07-2012
11.	अमर उजाला कॉम्पैक्ट	हिन्दी	दैनक	UTTHIN/2008/28174	देहरादून	22-08-2012
12.	डेली हक परस्त	हिन्दी	दैनिक		दिल्ली	22-08-2012
13.	नेशनल प्वाइंट	हिन्दी+अंग्रेजी	मासिक	42844/84	दिल्ली	28-08-2012

1	2	3	4	5	6	7
14.	शिक्षक संघर्ष	हिन्दी	मासिक	RAJHIN/98/0277	श्रीगंगानगर	14-09-2012
15.	हिमानी	हिन्दी	दैनिक	46120/86	देहरादून	22-10-2012
16.	हिमानी	हिन्दी	साप्ताहिक	13520/66	देहरादून	22-10-2012
17.	हिमानी	हिन्दी	मासिक	6794/82	देहरादून	22-10-2012
18.	अनवार-ए-कौम	उर्दू	साप्ताहिक		उन्नाव	07-11-2012
19.	कमल दर्शन	हिन्दी	साप्ताहिक	65196/96	गाजियाबाद	07-11-2012
20.	इंश्योरेंस स्पेकट्रम	अंग्रेजी	तिमाही		पुणे	01-11-2012

[अनुवाद]

"नो-गो" क्षेत्रों में कोयला ब्लॉक

2946. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के "नो-गो" क्षेत्रों में कुछ कोयला ब्लॉकों को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण और ऐसे कोयला ब्लॉकों और उनके स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अब तक इन कोयला ब्लॉकों को आवंटित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें ये कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय ने "नो गो" क्षेत्रों में अन्य कोयला ब्लॉकों की मंजूरी के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से बात की है; और

(च) यदि हां, तो इस पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने कोयला खनन परियोजनाओं के लिए वन भूमि के डायवर्जन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी प्रस्तावों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एवं महाराष्ट्र राज्य सरकारों से कार्रवाई करने के लिए कहा है और मंत्री समूह के निर्णय, जिन्होंने यह निर्णय लिया था कि कोयला खनन के लिए "गो-नो-गो" की संकल्पना समाप्त कर दी जानी चाहिए, के अनुसार मामला-दर-मामला और गुण-अवगुण के आधार पर इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आगे आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एम.ओ.ई.एफ को भेजें और कोयला खनन के लिए वन भूमि के डायवर्जन वाले प्रत्येक प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाएगी और उसके गुण-अवगुण के आधार पर एम.ओ.ई.एफ. द्वारा विचार किया जाएगा। राज्य सरकारों को खनन पट्टा निष्पादित करने से पहले खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

डी.जी.पी. का वार्षिक सम्मेलन

2947. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों का वार्षिक सम्मेलन बुलाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस सम्मेलन के परिणाम सहित इस संबंध में प्रत्येक राज्य की राय क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों का वार्षिक सम्लेन 6 से 8 सितम्बर, 2012 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

सम्मेलन की कार्यसूची अन्य बातों के साथ-साथ आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में थी, जिनमें आतंकवाद, जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर में विद्रोह, जाली भारतीय करेंसी नोट और साइबर अपराध

शामिल थे। पुलिस-जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि की आवश्यकता, राज्य आसूचना का सुदृढ़ीकरण, विशेष बलों का गठन और राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त बजटीय आबंटन करके पुलिस की क्षमताओं में वृद्धि जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय गृह मंत्री ने पुलिस व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सर्वोत्तम पद्धतियों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का सुझाव देने और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए महानिदेशकों की नौ-सदस्यीय स्थायी समिति के गठन की घोषणा की, जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वर्ष 2010 में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन के दौरान घोषणा की गई थी।

रेडियो उद्योग से राजस्व

2948. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टीवी चैनलों की तुलना में रेडियो उद्योग से सरकार को प्राप्त वार्षिक राजस्व बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों सहित पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रेडियो चैनलों विशेषतया एफ.एम. चैनलों से राजस्व बढ़ाने के लिए कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (अक्तूबर, 2012 तक) के दौरान टीवी चैनलों और रेडियों चैनलों से सरकार द्वारा उपार्जित राजस्व के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वित्त वर्ष	टीवी चैनलों से प्राप्त राजस्व (दूरदर्शन द्वारा और निजी टीवी चैनलों से शुल्क के माध्यम से) (करोड़ रुपए में)	रेडियो चैनलों से प्राप्त राजस्व (आकाशवाणी द्वारा और निजी एफ.एम. चैनलों से शुल्क के माध्यम से) (करोड़ रुपए में)
2009-10	1006.79	299.87
2010-11	1112.00	348.49
2011-12	1155.30	356.95
2012-13 (अक्तूबर 2012 तक)	670.63	174.27
कुल	3944.72	1179.58

चूंकि रेडियो उद्योग से उपार्जित राजस्व टीवी चैनलों की तुलना में बहुत कम होने के कारण इसका विश्लेषण करने के लिए कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है; अत: उसके लिए कोई कारण नहीं बताया जा सकता है।

(ग) और (घ) एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक के अपने अधिदेश को पूरा करते हुए और साथ ही अन्य इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रतिस्पर्धा करने के कारण आकाशवाणी अपना राजस्व बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है, जो निम्नानुसार है:-

- लोकप्रिय कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए नियत बिन्दु चार्ट को नियमित अंतराल पर बदलना ताकि अधिक से अधिक विज्ञापन/वाणिज्यिक शृंखलाएं आकर्षित हो सकें;
- अधिकाधिक वार्ताकारी, कस्टेमाइज्ड और चैनल ग्राही कार्यक्रमों का प्रसारण करना;
- विशिष्ट लक्ष्य श्रोताओं अर्थात्, महिलाओं और बच्चों, युवाओं, ग्रामीण समुदाय, संगीत प्रेमियों, औद्योगिक श्रमिकों और कृषकों के लिए समर्पित समय स्लॉट;
- प्रसारण समय बढ़ाना और वाणिज्यिक शृंखलाओं को शामिल करना;
- आकाशवाणी का ब्रैण्ड बनाकर अधिकाधिक मीडिया साझेदारी करना;

- आकाशवाणी स्टेशनों खासतौर से एफ.एम. चैनलों का कार्यक्रम पैटर्न बदला गया है और उसे अधिकाधिक श्रोताओं की अभिरूचि के अनुकूल बनाया गया है ताकि कारपोरेट सैक्टर से अधिकाधिक क्रेताओं को आकृष्ट किया जा सके।
- प्रायिक श्रोता अनुसंधान सर्वेक्षण किए जाते हैं ताकि कार्यक्रमों को जनता की मांग के अनुसार नियोजित किया जा सके।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पैरालिम्पिक खिलाड़ियों को भत्ता

2949. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लंदन में हाल ही में हुए पैरालिम्पिक खेलों के दौरान भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए मंजूर भत्तों के संवितरण में विलंब के संबंध में कतिपय शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) लंदन में हाल ही में आयोजित पैरालिम्पिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और कोचों आदि को भत्तों की प्रतिपूर्ति करने में विलम्ब के आरोप लगे थे। सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई की है तथा खिलाड़ियों और अधिकारियों को हवाई यात्रा के खर्च की प्रतिपूर्ति सहित भोजन और आवास, परिवहन, पाकेट भत्तों आदि से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय पैरालिम्पिक समिति (पी.सी.आई.) और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

प्याज विकास हेतु निधि

2950. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चीनी विकास निधि (एस.डी.एफ.) की तर्ज पर प्याज के लिए एक विकास निधि स्थापित करने के लिए प्रावधानों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार प्याज किसानों को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना को कार्यान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्याज के आयात मूल्यों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ङ) कृषि एवं सहकारिता विभाग गन्ना विकास कोष (एस.डी.एफ.) के अनुरूप प्याज के लिए विकास कोष की स्थापना पर विचार नहीं कर रहा।

कृषि एवं सहकारिता विभाग राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कृषि एवं बागवानी सामग्रियों के प्रापण के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) का कार्यान्वयन करता है जिसके तहत हानियां, यदि कोई हैं, को केंद्र सरकार और संबद्ध राज्य सरकार के बीच 50:50 (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25) के आधार पर वहन किया जाता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान स्कीम को 6000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर पर 54000 मीट्रिक टन प्याज के प्रापण के लिए कर्नाटक राज्य में कार्यान्वित किया गया था।

प्याज के आयात मूल्य पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

नेहरू युवा केन्द्रों का निष्पादन

2951. श्री नवीन जिंदल: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नेहरू युवा केन्द्रों (एन.वाई.के.एस.) के कार्यकरण के लिए आवंटित/जारी/उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नेहरू युवा केन्द्रों के निष्पादन का आकलन/मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे आकलन का परिणाम और इन केन्द्रों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कुछ नेहरू युवा केन्द्रों में कुछ पद अभी भी रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) के कार्यकरण के लिए आवंटित/जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) के समग्र प्रबंधन के अध्ययन का कार्य भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.), अहमदाबाद को सौंपा गया था जिसने फरवरी, 2009 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा एन.वाई.के.एस. कार्यक्रमों के पुनर्संगठन, युवाओं के सशक्तिकरण और नियोजन पर एन.वाई.के.एस. के प्रभाव, सेवाओं की प्रदायता में सुधार के लिए संरचनात्मक परिवर्तन तथा अन्य मंत्रालयों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों आदि की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के साथ समन्वय संबंधी कुछ सिफारिशें की थी। सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है और इस प्रकार युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास के लिए एक नए कार्यक्रम को लागू किया गया है जिसके तहत जोनल कार्यालयों की संख्या 18 से बढ़ाकर 28 करना, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एस.यू.टी.पी.) युवा रोजगारपरक कौशल (वाई.ई.एस.) कार्यक्रम, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, युवा विकास और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विषयों पर संशोधित प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करना, जीवन कौशल शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सदभाव तथा स्वयंसेवकों को दिए जाने वाले मानदेय को 1000 रु. से बढ़ाकर 2500 रु. प्रतिमाह करना शामिल है। युवा क्लबों को सुदृढ़ करने के लिए मेंटर युवा क्लब नामक स्कीम लागू की गई है। देश के 122 अछूते जिलों में एन.वाई.के.एस. का एक केन्द्र प्रत्येक जिले में खोला गया है।

एन.वाई.के.एस. के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के जागरूकता अभियान और प्रोत्साहन से संबंधित कार्यक्रमों और कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए नए कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एन.वाई.के.एस. पंजाब और हरियाणा में मादक पदार्थों के सेवन और मद्यपान की रोकथाम के लिए परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अलावा 10 राज्यों में मनरेगा के लिए जागरुकता उत्पन्न करना, जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम, किशोर विकास और सशक्तिकरण, जम्मू-कश्मीर आदान-प्रदान कार्यक्रम, पूर्वोत्तर राज्यों में विकास और शान्ति संदेश के प्रचार के लिए युवा पहल, निर्वाचन आयोग के माध्यम से मतदाता जागरुकता कार्यक्रम जनसंख्या जागरुकता, एड्स के विरुद्ध जागरुकता तथा स्वच्छता कार्यक्रम (निर्मल बिहार) आदि कार्यक्रम शामिल हैं।

(घ) और (ङ) एन.वाई.के.एस. में रिक्त पदों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राज्य सरकार के 26 पात्र अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर जिला युवा समन्वयक के पद पर नियुक्त किया गया है। सरकार ने प्रोन्नति अवरोध का मूल्यांकन करने, संगठन की संरचना की समीक्षा करने तथा संगठन के विभिन्न कर्मचारियों के कैरियर प्रोन्नयन के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक संवर्ग समीक्षा समिति का गठन किया है। संवर्ग समीक्षा समिति की सिफारिशों की प्राप्ति और स्वीकृति के बाद भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा पात्र विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नत करके और सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति द्वारा रिक्त पदों को भरा जाएगा।

विवरण-I

एन.वाई.के.एस. में कार्यकरण हेतु आवंटित/जारी राज्यवार धनराशि

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13
		अवंटन	व्यय	अवंटन	व्यय	अवंटन	व्यय	अवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	152.92	144.90	132.36	124.27	177.99	173.35	136.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	714.51	727.12	836.46	794.83	843.68	793.39	739.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	155.43	187.42	140.55	140.62	151.97	138.64	398.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	असम	731.36	690.91	690.97	692.20	805.77	758.66	760.00
5.	बिहार	1,119.23	1,111.30	1,188.96	1,153.82	1,274.26	1,209.11	1,204.00
6.	चंडीगढ़	59.85	49.96	39.16	34.79	33.42	28.77	23.00
7.	छत्तीसगढ़	268.13	254.10	311.09	312.33	314.67	295.07	440.00
8.	दादरा और नगर हवेली	29.28	27.21	25.27	22.28	32.72	28.77	23.00
9.	दमन और दीव	48.05	44.16	48.33	41.73	61.93	57.20	45.00
10.	दिल्ली	94.13	99.16	95.61	85.66	103.86	91.30	212.00
11.	गोवा	62.20	58.34	53.16	52.22	64.36	59.63	52.00
12.	गुजरात	587.88	554.56	579.65	520.81	645.24	601.23	697.00
13.	हरियाणा	491.67	489.18	498.37	457.21	538.12	499.61	481.00
14.	हिमाचल प्रदेश	371.38	400.89	389.62	335.35	399.63	370.57	314.00
15.	जम्मू और कश्मीर	412.90	544.86	478.79	418.05	490.16	456.37	380.00
16.	झारखंड	518.58	481.50	531.28	502.19	581.70	546.37	647.00
17.	कर्नाटक	560.49	560.36	617.11	560.05	678.17	630.19	709.00
18.	केरल	415.68	403.32	469.47	423.15	492.14	458.35	411.00
19.	लक्षद्वीप	29.55	28.53	24.96	23.62	29.79	29.02	25.00
20.	मध्य प्रदेश	1,172.32	1,131.32	1,162.40	1,138.42	1,337.41	1,254.88	1,255.00
21.	महाराष्ट्र	943.98	922,31	1,006.60	997.99	1,037.80	966.19	984.00
22.	मणिपुर	279.67	277.55	259.30	257.67	302.12	278.56	264.00
23.	मेघालय	160.80	188.50	152.66	151.24	169.89	155.79	179.00
24.	मिजोरम	102,54	98.92	102.35	102.33	106.81	97.44	192.00
25.	नागालैंड	255.05	248.84	208.72	208.72	238.18	222.53	274.00
26.	ओडिशा	507.57	498.46	538.60	533.67	608.06	569.54	874.00
27.	पुदुचेरी	87.28	85.23	88.63	83.45	124.61	118.33	97.00
28.	पंजाब	450.78	434.92	524.32	478.70	533.96	503.27	570.00
29.	राजस्थान	894.21	876.43	943.01	842.04	1,010.74	939.13	866.00
30.	सिक्किम	141.22	120.50	127.89	128.79	134.01	123.87	106.00
31.	तमिलनाडु	902.09	884.88	977.30	926.75	1,048.69	986.62	941.00
32.	त्रिपुरा	117.40	107.03	108.24	108.01	109.86	100.49	114.00
33.	उत्तर प्रदेश	1,731.03	1,763.34	1,834.33	1,862.21	1,981.85	1,865.45	2,117.00
34.	उत्तराखंड	280.41	280.15	282.62	292.69	304.31	283.94	350.00
35.	पश्चिम बंगाल	766.23	756.42	816.81	811.54	870.06	814.18	756.00
	कुल	15,615.58	15,532.61	16,284.94	15,617.38	17,637.94	16,505.81	17,635.00

विवरण-II

एन.वाई.के.एस. में राज्यवार रिक्त पद

राज्य और संघ राज्य	जिला युवा समन्वयक (डी.वा.ई.सी.)	लेखा लिपिक सह टंकक (ए.सी.टी.)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	11	6
अरुणाचल प्रदेश	13	11
असम	15	6
बिहार	26	6
छत्तीसगढ़	11	11
दादरा और नगर हवेली	1	0
दमन और दीव	2	1
दिल्ली	4	6
गोवा	0	1
गुजरात	14	10
हरियाणा	11	7
हिमाचल प्रदेश	7	2
जम्मू और कश्मीर	3	4
झारखंड	12	10
कर्नाटक	11	11
केरल	7	4
लक्षदीप	1	1
मध्य प्रदेश	16	14
महाराष्ट्र	12	7
मणिपुर	3	2
मेघालय	3	4
मिजोरम	6	7
नागालैंड	9	8
ओडिशा	23	18
पुदुचेरी	3	0
पंजाब	9	10
राजस्थान	21	5
सिक्किम	2	3
तमिलनाडु	13	3
त्रिपुरा	3	1
उत्तर प्रदेश	42	18
उत्तराखंड	6	6
पश्चिम बंगाल	6	3
कुल	326	206

स्टिंग आपरेशन

2952. **प्रो. सौगत रायः**
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री रूद्रमाधव रायः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में निजी टी.वी. चैनलों के पत्रकारों को प्रमुख इस्पात कंपनी के पक्ष में टी.वी. समाचार प्रकाशित करने के लिए वसूली करने के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इन पत्रकारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है

(ग) क्या सरकार ने निजी टी.वी. चैनलों द्वारा स्टिंग आपरेशन करने के लिए कतिपय मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निजी टी.वी. चैनलों द्वारा ऐसे स्टिंग आपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए कौन-सी निगरानी एजेंसी हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) जी, हां। ऐसी रिपोर्ट हाल ही में मीडिया में देखने को मिली हैं। यह भी सूचित किया गया है कि यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) से (ङ) सभी चैनलों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क, 1994 में उपबंधित कार्यक्रम संहिता का अनुपालन करना आवश्यक होता है जिसमें प्राइवेट सैटेलाइट/केबल टीवी टैनलों में समाचारों एवं समसामयिक विषयक कार्यक्रमों सहित विभिन्न

कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु व्यापक विनियमों का निर्धारण किया गया है। भारतीय प्रैस परिषद ने अपने "पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदंड", जिनका सार यहां पर संलग्न विवरण-I में दिया गया है, में "स्टिंग ऑपरेशन्स पर दिशा-निर्देश" निर्धारित किए हैं। साथ ही,समाचार प्रसारक संघ (एन.बी.ए.) ने अपनी आचार संहिता और प्रसारण मानकों में अपने सदस्य-चैनलों द्वारा "स्टिंग ऑपरेशन्स" का संचालन किए जाने हेतु कतिपय दिशा-निर्देश अंगीकृत किए हैं। स्टिंग ऑपरेशन्स के संचालन हेतु एन.बी.ए. के दिशा-निर्देश संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पत्रकारिता संहिता के पी.सी.आई. के मानक

41 (ख). स्टिंग ऑपरेशन के दिशा-निर्देश

i. एक समाचार पत्र को स्टिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट देने के लिए उस व्यक्ति से जिसने स्टिंग ऑपरेशन को रिकार्ड किया है उससे यह प्रमाण-पत्र लेना होगा कि उसके द्वारा किया गया ऑपरेशन प्रामाणिक और वास्तविक है।

ii. स्टिंग ऑपरेशन के विभिन्न चरणों का लिखित रूप में रिकार्ड होना चाहिए।

iii. संपादक द्वारा यह संतुष्ट हो जाने के उपरांत कि. मामला जनहित में है तथा साथ ही यह सुनिश्चित कर लिए जाने के उपरांत कि स्टिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट विधिक अपेक्षाओं के अनुरूप है, उस स्टिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट करने के संबंध में निर्णय लेना चाहिए।

iv. प्रिंट मीडिया में स्टिंग ऑपरेशन का प्रकाशन पाठकों की अपेक्षा को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसमें संवेदनशीलता तथा पूरा ध्यान रखा जाना आवश्यक है जिससे पाठकों को कोई आघात अथवा अपराधबोध न हो।

विवरण-II

स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए दिशा-निर्देश

एन.बी.ए. की आचार संहिता एवं प्रसारण मानकों तथा रिपोर्ट कवरिंग संबंधी विशिष्ट दिशा-निर्देश में निहित स्व. विनियमन के सिद्धांतों के अतिरिक्त न्यूज चैनल सदस्य निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के दायरे में ही 'स्टिंग ऑपरेशन' कर सकता है-

1. स्टिंग ऑपरेशन केवल तभी किया जा सकता है जब वह जनहित में हो।

2. केवल गलत कार्य को उजागर करने के लिए ही स्टिंग ऑपरेशन किया जाना चाहिए।

3. स्टिंग ऑपरेशन का प्रयोग लोगों की निजी जिन्दगी में झांकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

4. स्टिंग ऑपरेशन का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब किसी सूचना एवं समाचार को इक्ट्ठा करने अथवा रिकार्ड करने के लिए कोई अन्य प्रभावी साधन उपलब्ध नहीं हो।

5. स्टिंग ऑपरेशन करते समय एक समाचार चैनल को, किसी व्यक्ति को गलत कार्य करने जो उस व्यक्ति द्वारा अपेक्षित न हो, के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए।

6. स्टिंग ऑपरेशन करने का माध्यम फूहड़पन या सेक्स अथवा कोई गैर कानूनी कार्य नहीं होना चाहिए।

7. सम्पादित और गैर सम्पादित श्रव्य और दृश्य फूटेज सहित स्टिंग ऑपरेशन की सम्पूर्ण रिकार्डिंग को 90 दिन की अवधि या किसी निश्चित अवधि के लिए जो उस मामले हेतु आवश्यक हो के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।

8. स्टिंग ऑपरेशन की सम्पादित, गैर सम्पादित श्रव्य और दृश्य फूटेज सहित रिकार्डिंग के साथ छेड़खानी, बदलाव, दृश्यमिश्रण, परिवर्तन विकृति, रूपांतरण या किसी भी ढंग से पेरबदल नहीं करनी चाहिए जिससे विषय-वस्तु और उसका उद्देश्य एवं अर्थ ही बदल जाए।

9. स्टिंग ऑपरेशन के प्रभारी द्वारा ऑपरेशन की प्रगति के विभिन्न स्तरों की लिखित रूप में समवर्ती तथा समकालीन रिकार्डिंग होनी चाहिए और इस तरह के रिकार्ड को 90 दिन की अवधि या किसी निश्चित अवधि के लिए जो उस मामले के लिए आवश्यक हो के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।

10. स्टिंग ऑपरेशन को 'कार्यक्रम संहिता' का एवं उस समयावधि में लागू किसी अन्य कानून जिसमें, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 24 सहित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1955 की धारा 5 के प्रावधानों तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क, नियम 1994 का नियम 6 शामिल है, का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

11. स्टिंग ऑपरेशन का प्रसारण केवल तभी किया जाए जब दुराचारी का दोष सिद्ध करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त प्रमाण मौजूद हों।

12. यदि स्टिंग ऑपरेशन गलत या गढ़ा हुआ पाया जाता है, तो स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित सभी व्यक्ति को कानून के अनुसार सज़ा हो सकती है।

13. कोई स्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा बशर्ते कि यह पूर्वानुमोदित हो तथा न्यूज चैनल की संपादकीय टीम के अध्यक्ष की देखरेख में किया जा रहा हो, जो संबंधित अन्य व्यक्ति के साथ, सभी परिणामों के लिए भी जिम्मेदार होंगे। प्रसारण कंपनी के प्रबंध निदेशक तथा/अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को न्यूज चैनल द्वारा किए जाने वाले स्टिंग ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

बाल यौन शोषण

2953. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में बाल यौन शोषण को रोकने के लिए कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कानून के कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन तरीकों का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से सरकार ऐसी घटनाओं को रोकना सुनिश्चित करेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) सरकार ने यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा के लिए 'यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' नामक एक विशेष कानून पहले ही अधिनियमित कर दिया है। यह अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम 14 नवंबर, 2012 से प्रभावी हो गए हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' एवं 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच करने तथा अभियोजन की कार्रवाई करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, भारत सरकार बाल कल्याण के प्रति काफी चिंतित है तथा विभिन्न योजनाओं के लिए और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्श पत्र भेजकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

गृह मंत्रालय ने लापता बच्चें के बारे में हाल ही में दिनांक 31 जनवरी, 2012 को एक परामर्शी पत्र जारी किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों के अनैतिक व्यापार को रोकने और उनका पता लगाने के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों के संबंध में सलाह दी गई है। इनमें लापता बच्चों का पता लगाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों की सहभागिता, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 14 जुलाई, 2010 को भेजे गए एक पृथक विस्तृत परामर्शी पत्र में उनको सलाह दी गई है कि वे स्कूलों/संस्थानों, छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले लोक परिवहन, बच्चों के पार्कों/खेल के मैदानों, आवासीय क्षेत्रों/सड़कों आदि में सुरक्षा की स्थितियों को बेहतर करने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित करें। यह भी सलाह दी गई है कि अपराध की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए तथा छात्रों, विशेषकर, लड़कियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में होने वाले नियमों के उल्लंघनों की मानीटरिंग करने हेतु एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गई है:

(i) बीट कान्सटेबलों की संख्या बढ़ाना;

(ii) विशेषकर दूर-दराज के एवं एकांत क्षेत्रों में पुलिस बूथों/कियोस्कों की संख्या बढ़ाना;

(iii) विशेषकर रात्रि के दौरान पुलिस गश्त बढ़ाना;

(iv) अपराध की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था संबंधी अवसंरचना से पूरी तरह लैस पुलिस अधिकारियों, विशेषकर महिला पुलिस अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती करना।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नृत्य संग्रहालय

2954. श्री के.पी. धनपालन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल में एक राष्ट्रीय नृत्य संग्रहालय शुरु करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संग्रहालय द्वारा चलाए जाने वाले कार्यकलापों और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुबंध आधार पर संवाददाता

2955. श्री अशोक कुमार रावतः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती ने देश के प्रत्येक जिले में अनुबंध के आधार पर अंशकालिक समाचार रिपोर्टरों/संवाददाताओं को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्य उक्त अवधि के दौरान अंशकालिक संवाददाताओं/रिपोर्टरों के साथ श्रम कानून के प्रावधानों के आधार पर अनुबंध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) जी नहीं। दूरदर्शन ने संविदा-आधार पर किसी अंशकालिक संवाददाता की नियुक्ति नहीं की है। गत 3 वर्षों के दौरान आकाशवाणी द्वारा नियुक्त किए गए अंशकालिक संवाददाताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) क्षेत्रीय समाचार एककों में तैनात संवाददाताओं एवं संपादकों की समाचार संकलन में सहायता करने के लिए आकाशवाणी केंद्रों में संविदा-आधार पर व अंशकालिक आधार पर अंशकालिक संवाददाता कार्यरत हैं। वे प्रसार भारती के कर्मचारी नहीं हैं और पति वर्ष उनकी संविदाओं का उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर नवीनीकरण किया जाता है। वे अपनी आजीविका के लिए अन्य रोजगार/व्यवसाय में संलग्न होने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

विवरण

प्रसार भारती (आकाशवाणी) समाचार में पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्य पर रखे गये स्थानानुसार अंशकालिक संवाददाता

क्र.सं.	जिले का नाम	अंशकालिक संवाददाता का नाम	कार्य पर रखे जाने का माह
1	2	3	4
असम			
1.	उदलगुरी	नारायण डेका	मार्च, 2010
2.	धुबरी	प्रदीप साह	मार्च, 2010
3.	हैलाकांडी	जिलोत्पल देव	अगस्त, 2011
सिक्किम			
1.	उत्तरी जिला	दीपक शर्मा	अगस्त, 2011
2.	पश्चिमी जिला	मधु शर्मा	अगस्त, 2011
3.	दक्षिणी जिला	पुरन तमांम	अगस्त, 2011
पश्चिम बंगाल			
1.	कुच बिहार	शुभेंदु भट्टाचार्जी	सितम्बर, 2012
आन्ध्र प्रदेश			
1.	नैलोर	एस. अमरानारायणा	सितम्बर, 2012
2.	नालगोंडा	जी. रामाकृष्णा	अगस्त, 2012
3.	गुनटूर	एम.पी. रविशंकर	जून, 2012
4.	कुरनूल	वी.वी. शैसया	जून, 2012

1	2	3	4
5.	ईलूरु (वेस्ट गोदावरी)	आई. सूब्बाराव	जून, 2012
बिहार			
1.	सिवान	निलमणि पाण्डेय	सितम्बर, 2010
2.	दरभंगा	मणीकांत झा	सितम्बर, 2010
3.	अरवल	मोहम्मद इकबाल अहमद	सितम्बर, 2010
4.	पूर्वी चम्पारन (मुख्यालय मोतीहारी)	आलोक कुमार	सितम्बर, 2010
5.	सुपौल	सतीश कुमार वर्मा	सितम्बर, 2010
6.	पश्चिमी चम्पारन (मुख्यालय बेतिया)	आशिष कुमार	सितम्बर, 2010
7.	समस्तिपुर	कृष्ण कुमार	सितम्वर, 2010
8.	वैशाली	मनोज कुमार सिंह	सितम्बर, 2012
9.	अर्रारया	गौतम सिंह सहगल	सितम्बर, 2012
10.	भोजपुर	मुकेश कुमार सिन्हा	अक्टुबर, 2012
11.	कटिहार	कुमार मुकेश चौधरी	अगस्त, 2012
12.	सीतामढ़ी	राकेश कुमार	2012
तमिलनाडु			
1.	कन्याकुमारी	वी. कुमार	जनवरी, 2010
2.	तिरुपुर	एस. तिरुनावकारासु	जनवरी, 2010
3.	विलुपुरम	जी. सुरेश	जनवरी, 2009
4.	कृष्णागीरी	सी. राजा	जनवरी, 2009
5.	थिरुवल्लुर	ए.के. थनशेखरन	जनवरी, 2010
राजस्थान			
1.	भरतपुर	शिव कुमार वशिष्ठ	फरवरी, 2011
2.	पाली	प्रेम सिंह राठौर	फरवरी, 2011
उत्तर प्रदेश			
1.	एटा	राकेश प्रताप सिंह	अगस्त, 2011
2.	महोबा	अमित सरोतिया	दिसम्बर, 2010
3.	बागपत	राजीव कुमार	मार्च, 2011
4.	कुशीनगर	डॉ. विवेक कुमार पाण्डेय	अप्रैल, 2011
5.	वाराणसी	राहुल यादव	मार्च, 2011

1	2	3	4
6.	जी.बी. नगर	शेख अयुब अली	मई, 2011
जम्मू और कश्मीर (जम्मू क्षेत्र)			
1.	सांबा	सतपाल	दिसम्बर, 2011
2.	राजौरी	शकील अहमद	दिसम्बर, 2011
मेघालय			
1.	लुंगलेई	थंगमिंगलियना रैनथलई	मई, 2011
महाराष्ट्र			
1.	नासिक	संजय पाठक	जुलाई, 2009
2.	गढ़चिरौली	एस.एस. सरोडे	फरवरी, 2009
3.	नवी मुम्बई	सपना हारलकर	अगस्त, 2009
4.	मुम्बई	दिलीप जादव	फरवरी, 2010
5.	धुले	नितिज जादव	सितम्बर, 2011
6.	भण्डारा	वतन कुमार डोंगरे	सितम्बर, 2011
मध्य प्रदेश			
1.	डीन्डुवारी	लक्ष्मी नारायण अवधिया	दिसम्बर, 2009
2.	नीमच	दिनेश प्रजापति	दिसम्बर, 2009
3.	अलीराजपुर	चन्द्रभान सिंह भदौरिया	अप्रैल, 2012
4.	हौशंगाबाद	तनुज कुमार तिवारी	अप्रैल, 2012
5.	नरसिंहपुर	राजेन्द्र माधव गुप्ता	अप्रैल, 2012
हिमाचल प्रदेश			
1.	लाहौल स्पिती	कुन्दन लाल	दिसम्बर, 2009
2.	किन्नौर	सीताराम नेमी	जून, 2010
3.	कांगडा	संदीप कुमार	नवम्बर, 2011
4.	हम्मीरपुर	हरीश नन्दा	फरवरी, 2012
कर्नाटक			
1.	बिजापुर	निलेश बैनल	जुलाई, 2009
2.	चामराजनागरा	नागेश सोसले	जुलाई, 2009
3.	चिकाबालापुर	चन्द्रशेखर	जुलाई, 2009
4.	दावांनगेरे	के.एस. चेनाबासपा	जुलाई, 2009
5.	समानागरा	रूपेश कुमार	जुलाई, 2009

1	2	3	4
6.	टुम्कुर	देवराज	जुलाई, 2009
7.	बैंगलौर ग्रामीण	डी. श्रीकांथ	नवम्बर, 2011
8.	गुलबर्गा	परवीन कुमार पारा	नबम्बर, 2011
9.	कोपाल	राजासाब	नवम्बर, 2011
हरियाणा			
1.	रैवाडी	प्रीतम सिंह	जुलाई, 2010
2.	मेवात	शेरसिंह डागर	जुलाई, 2010
3.	गुड़गांव	कैलाश कुमार	मई, 2012
4.	फरीदाबाद	विकास कालिया	मई, 2012
5.	पंचकुला	सुश्री सुमनबाला	मई, 2012
6.	पलवल	गिरीराज सैनी	मई, 2012
पंजाब			
1.	होशियापुर	संजीव बक्शी	जनवरी, 2012
केरल			
1.	पतथमनपीठ	बीजी वर्गिश	मई, 2010
2.	अलाफुज	आर. रविकुमार	अक्तूबर, 2011
3.	कन्नुर	के. ओ. शशिधरन	अक्तूबर, 2011
4.	कोल्लम	नीरज लाल एस.	जून, 2012

[अनुवाद]

डी.आर.एम. का नियमन

2956. श्री विष्णु पद रायः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जन प्रतिनिधियों ने 14वें द्विपीय विकास प्राधिकरण बैठक में उन कामगारों के नियमन का मुद्दा उठाया है जो पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल में वर्ष 1998 में स्वच्छता कार्य खण्ड में दैनिक दर वाले मजदूर (डी.आर.एम.) थे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे डी.आर.एम. कामगारों की कुल संख्या बतलाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उनकी सेवा को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) द्वीप विकास प्राधिकरण की 14वीं बैठक अभी आयोजित की जानी है।

[हिन्दी]

वीजा मानदंडों में बदलाव

2957. श्री रामकिशुनः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतोः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का बेलारूस, रूस और कजाकिस्तान इत्यादि जैसे कतिपय केंद्रीय एशियन देशों के लिए वीजा मानदंडों में कोई बदलाव करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना

2958. श्री प्रेम दास राय: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत की म्यांमार के साथ कुल सीमा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समस्त सीमा पर बाड़ लगा दी है और वहां सुरक्षा बलों की पर्याप्त संख्या मौजूद है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में बर्मा के शरणार्थियों की संख्या कितनी है और उनके पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) भारत की म्यांमार सीमा की राज्य-वार कुल लम्बाई निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य	लम्बाई
1.	मिजोरम	511.63 किमी.
2.	मणिपुर	400.13 किमी.
3.	नागालैंड	213.40 किमी.
4.	अरुणाचल प्रदेश	506.18 किमी.
	कुल	1631.34 किमी.

(ख) से (घ) फिलहाल, मणिपुर के मोरेह क्षेत्र में सीमा स्तम्भ संख्या 79 और सीमा स्तम्भ संख्या 81 के बीच 10 किमी. के क्षेत्र में सीमा पर बाड़ लगाने की मंजूरी दी गई है। भारत-म्यांमार सीमा पर असम-राइफल की तैनाती की गई है। भारत-म्यांमार सीमा पर 15 सीमा रक्षक बटालियनों की तैनाती की गई है। आगमन/निर्गमन मार्गों पर चौकियां बनाई हैं और ये प्रभावी रूप से तस्करी/घुसपैठ को रोक रही हैं।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही हैं।

[हिन्दी]

डेरी उत्पादों की बाजार तक पहुंच

2959. श्री हरीश चौधरी:
डॉ. संजय सिंह:
श्री रायापति सांबासिया राव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए कोई स्कीम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और देश में दूध की खरीद में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) यह विभाग निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है जो अन्य घटकों में किसानों द्वारा उत्पादित दूध को समर्थन और विपणन प्रदान करता है;

1. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई.डी.डी.पी.)
2. गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण
3. राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-I
4. डेयरी उद्यमशीलता विकास स्कीम

विपणन समर्थन उक्त स्कीमों के तहत पूर्ण रूप से कवर डेयरी सहकारिता की स्थापना, व्यापक दूध प्रशीतक, दुग्ध प्रशीतन/प्रसंस्करण संयंत्र, दूध का परिवहन, प्रसंस्कृत दूध और दुग्ध उत्पादों के विपणन के लिए कोल्ड चैन आदि के रूप में दिया जाता है।

(ग) मार्च, 2012 तक देश में प्रारंभिक उत्पादकों से दूध खरीद के लिए 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारिताएं आयोजित की जा चुकी हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान सहकारिता क्षेत्र के द्वारा औसत दूध खरीद 287.00 लाख किग्रा/दिन थी।

सी.ए.पी.एफ. के लिए चिकित्सा महाविद्यालय

2960. श्री महाबली सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश भर में सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय की तर्ज पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में ऐसे चिकित्सा महाविद्यालयों के कब तक खोले जाने की संभावना है और इस संबंध में कुल कितना खर्च होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सरकार ने मैदानगढ़ी, नई दिल्ली में 800 बिस्तरों वाले रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पीटल (500 बिस्तरों वाला सामान्य अस्पताल + 300 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियाल्टी हॉस्पीटल), नर्सिंग कॉलेज और पराचिकित्सा विद्यालय सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सी.ए.पी.एफ.आई.एम.एम.) की स्थापना के लिए दिनांक 22-12-2012 को सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्रदान किया है। परियोजना की अनुमानित लागत 1537.49 करोड़ रुपये है। परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि 6 वर्ष है।

(ग) वर्तमान में, देश के विभिन्न भागों में ऐसे चिकित्सा कॉलेज की स्थापना करने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सीमा पर बाड़ लगाना

2961. श्री कीर्ति आजादः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाए जाने के निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय सीमा की प्रादेशिक अखंडता के मद्देनजर भू-विभाजन कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बाड़ पर परे आने वाली भूमि के लिए किसानों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) सीमा बाड़ के निर्माण का मापदण्ड सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज है, सिवाए वहां, जहां, स्थलाकृति/भू-भाग/जनसंख्या तथा आवास संबंधी अड़चने, अंतर-राष्ट्रीय सीमा के 150 गज की सीमा के अन्दर अथवा इससे परे बाड़ लगाने के लिए बाध्य करती हैं। भारत-पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 2300.16 किमी. है जिसमें से सीमा सुरक्षा बल 2289.66 किमी. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली करता है तथा जम्मू में 10.5 किसमी. सीमा की रक्षा सेना द्वारा की जाती है। सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर 2043.63 किमी. की सीमा पर बाड़ लगाने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से 1953.50 किमी. का कार्य पूरा हो चुका है तथा, शेष 83.22 किमी. क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य अभी चल रहा है।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के सिवाए, भारत-पाकिस्तान सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का स्पष्ट सीमांकन किया जा चुका है। राज्य-वार अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ब्यौरा निम्नवत हैं:

राज्य	भू-सीमा	तटीय सीमा	अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई
जम्मू	156.76	45.40	202.16
पंजाब	419.75	133.26	533.00
राजस्थान	1037.00	शून्य	1037.00
गुजरात	404.00	104.00	508.00
कुल	2017.51	282.66	2300.16

(घ) से (ङ) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, जम्मू सेक्टर को छोड़कर भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ के लिए भूमि के मुआवजे का सरकार द्वारा भुगतान किया जा चुका है। जम्मू सेक्टर में 179 किमी. पर 44 फीट चौड़ी भूमि की पट्टी को अधिगृहीत कर लिया गया है जिसके मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। राज्य सरकार से कई बार अनुरोध किया गया है कि वह विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराए ताकि मुआवजे का भुगतान किया जा सके। तथापि, जम्मू और कश्मीर सरकार की ओर से अभी तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पायी है।

[हिन्दी]

खुदरा बाजार वृद्धि

2962. डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खुदरा बाजार में बड़े औद्योगिक घरानों और परंपरागत छोटे खुदरा व्यापारियों की हिस्सेदारी और प्राप्त वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उद्योग में हाल की मंदी और एकल ब्रांड

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के कारण खुदरा बाजार की वृद्धि दर में कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में खुदरा व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के. वी. थॉमस): (क) से (ग) खुदरा व्यापार राज्य का विषय है। संगठित/असंगठित खुदरा व्यापारी अपनी दुकानों/मॉलों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकृत करवाते हैं। अपने सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की अपनी नीति होती है। ऐसे कोई आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

डीएवीपी द्वारा विज्ञापन

2963. श्री हुक्मदेव नारायण यादवः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** डीएवीपी द्वारा विज्ञापन जारी किया जाना के बारे में 04-09-2012 के तारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के संबंध यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का भाषा-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कुल राशि का कम से कम पचास प्रतिशत हिन्दी पर खर्च करने के लिए निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) इस संबंध में किए गए व्यय का भाषा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारत सरकार की विज्ञापन नीति में इस बात का निर्धारण किया गया है कि प्रदर्शन (डिस्प्ले) विज्ञापनों के लिए निर्धारित बजट का 35% भाग हिन्दी समाचारपत्रों पर व्यय किया जाना चाहिए।

इस तथ्य के बावजूद कि 10 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों से एक भी हिन्दी दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित नहीं होता है तथा यह भी कि आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और ओडिशा जैसे अनेक बड़े राज्यों से कुछेक ही हिन्दी दैनिक प्रकाशित होते हैं, वर्ष 2011-12 के दौरान डिस्प्ले विज्ञापनों के लिए उद्दिष्ट बजट का लगभग 40% भाग हिन्दी समाचारपत्रों पर व्यय किया गया।

विवरण

विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का भाषावार धनराशि

दिनांक 30-11-2012 तक की स्थिति के अनुसार

		वर्ष (लाख रुपए में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
क्र.सं.	भाषा	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	अंग्रेजी	12165.58	13375.11	14301.80	6606.22
2.	हिन्दी	9938.62	12280.43	12526.08	5956.35
3.	उर्दू	1143.69	1487.09	1566.42	736.96
4.	पंजाबी	558.56	598.66	573.53	272.49
5.	मराठी	1202.93	1481.06	1590.44	734.60
6.	गुजराती	1106.93	1245.39	1329.33	647.26
7.	सिंधी	60.20	63.01	50.34	31.38

1	2	3	4	5	6
8.	असमिया	129.59	175.83	210.72	81.59
9.	बंगला	1211.75	1263.00	1252.01	568.66
10.	उड़िया	732.11	853.46	846.34	454.63
11.	तमिल	605.79	679.25	874.17	408.67
12.	तेलुगू	509.20	799.60	932.00	439.69
13.	मलयालम	574.45	652.78	749.30	301.58
14.	कन्नड	360.56	476.03	419.67	192.21
15.	संस्कृत	0.02	0.14	3.99	3.13
16.	नेपाली	46.49	56.46	74.95	30.33
17.	मिजो	28.94	29.66	41.56	14.34
18.	खासी	39.35	48.37	57.44	18.50
19.	कोंकणी	2.94	3.81	4.57	1.08
20.	मणिपुरी	54.19	58.56	52.80	26.34
21.	गारो	0.00	1.26	3.82	2.39
22.	गढ़वाली	0.08	0.17	0.05	0.16
23.	राजस्थानी	0.06	0.82	2.40	0.87
24.	नागा	5.58	9.85	8.54	4.62
25.	डोगरी	3.03	9.53	3.59	1.70
26.	बोडो	0.13	8.98	8.77	3.31
27.	करबी	0.00	3.84	10.50	2.08
28.	संथाली	0.06	0.06	0.27	0.18
29.	नागपुरी	0.00	0.09	0.32	0.25
30.	मैथिली	0.00	2.25	3.45	1.72
31.	मितिलोन	0.00	0.00	3.22	2.63
32.	कोक बोरोक	0.00	0.00	0.59	1.56

[अनुवाद]

मृत्युदण्ड

2964. श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री संजय निरूपम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड दिए गए दोषसिद्धों को फांसी देने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट ने कथित रूप से सरकार को संसद भवन पर हमले के अपराधियों को फांसी देने/मृत्युदण्ड देने के विरुद्ध चेतावनी दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) 'कारागार' और इससे संबंधित मामला भारत के संविधान की सांतवीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है मृत्युदण्ड देने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी जेल नियमावली/नियमों इत्यादि के तहत किया जा रहा है। गृह मंत्रालय का संबंध केवल मृत्यु दण्ड प्राप्त कैदी द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्रस्तुत की गई दया याचिकाओं से है। यह मंत्रालय दया याचिका की जांच करता है और इसे केन्द्रीय गृह मंत्री की सम्यक सिफारिश के साथ निर्णय हेतु भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यह एक संवैधानिक योजना है। संविधान के अनुच्छेद 72 के द्वारा प्रदत्त शक्ति में समय की ऐसी कोई सीमा नहीं है, जिसके अन्दर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

(ग) और (घ) संसद भवन पर हमले के मामले में मृत्यु दण्ड प्राप्त अपराधी की दया याचिका संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत लंबित है और कानूनी तथा संवैधानिक प्रक्रिया में किसी भी समूह/दल की किसी भी प्रकार की धमकी या चेतावनी इत्यादि द्वारा बाधा नहीं पहुंचती है।

दिल्ली दुग्ध योजना

2965. श्री ए. गणेशमूर्तिः
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाटः
श्री नारनभाई कछाड़ियाः
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) को हाल के कई वर्षों से इसके दैनिक कार्यों में घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हुई हानि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) डी.एम.एस. में वर्तमान में लगायी गई क्षमता की तुलना में दुग्ध उत्पादन कितना है;

(घ) क्या बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ ने डी.एम.एस. का परिचालन अधिगृहित करने के लिए प्रस्ताव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास मंहत): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हुई हानि का ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	हानि
2009-10	38.08
2010-11	32.10
2011-12	24.24
2012-13	*

*वित्त वर्ष 2012-13 के समापन के बाद लेखों को अंतिम रूप दिया जाएगा इसलिए उक्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

यह हानि निम्न कारणों से हुई है:-

(i) कच्चे माल, लाईट डीजल ऑयल (एल.डी.ओ.), पानी, बिजली पॉलीथिन फिल्म और अन्य उपभोज्य वस्तुओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि;

(ii) संयंत्र का निम्न क्षमता उपयोग;

(iii) दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्र और मशीनरी पुरानी और उच्च जनशक्तिपरक हैं जिससे उत्पादन लागत अधिक बैठती है।

(ग) वर्तमान उत्पादन 5.00 लाख लीटर दूध प्रतिदिन की स्थापित क्षमता की तुलना में 2.82 लाख लीटर दूध प्रतिदिन (अक्तूबर, 2012 के दौरान औसत) है।

(घ) और (ङ) विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

खेल अकादमी

2966. श्री भक्त चरण दासः
श्री नरहरि महतोः
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषादः
श्री शिवराज भैयाः
श्री नृपेन्द्र नाथ रायः

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में खेल अकादमियों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए पहचान किए गए स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों द्वारा चलाए जा रहे खेल अकादमियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसी अकादमियों के बढ़ावा देने/विकसित करने तथा खिलाड़ियों को पर्याप्त कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) जी, नहीं। चूंकि 'खेल' भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में आता है, इसलिए खेल अकादमियों की स्थापना सहित खेलों के विकास और संवर्धन का प्रारंभिक दायित्व राज्य सरकारों का ही है। तथापि, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अपनी 'शहरी खेल अवसंरचना योजना' के अंतर्गत एथलेटिक्स/हॉकी/फुटबाल की सिन्थेटिक सतहों और बहु-उद्देश्यीय हॉलों इत्यादि जैसी खेल अवसंरचनाओं का निर्माण करने/विकास करने में राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करता है। इस योजना के अधीन राज्य सरकारें, स्थानीय नागरिक निकाय, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और खेल नियंत्रण बोर्ड वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

राज्यों द्वारा संचालित खेल अकादमियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु मंत्रालय की कोई योजना नहीं है।

खिलाड़ियों को कोचिंग/प्रशिक्षण भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत दिया जाता है। प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण योजना, राष्ट्रीय परिसंघों को सहायता और राष्ट्रीय खेल विकास निधि जैसी इस मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत भी इस उद्देश्य के लिए सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

वेश्यावृत्ति के मामले

2967. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर में इन वर्षों में वेश्यावृत्ति के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पकड़े गए ऐसे रैकेट की राज्य-वार संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का देश भर में वेश्यावृत्ति/देह व्यापार को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वेश्यावृत्ति के संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों के क्रय और विक्रय के संबंध में आंकड़े एकत्र करता है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

गृह मंत्रालय को, देश में वेश्यावृत्ति/देह-व्यापार को रोकने के लिए कोई विशिष्ट विधान बनाने संबंधी कोई जानकारी नहीं है।

वेश्यावृत्ति के मामलों को फिलहाल भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियमों के मौजूदा उपबंधों के तहत निपटाया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 2009-2011 के दौरान वेश्यावृत्ति के लिए खरीदी गई लड़कियों के अंतर्गत के पंजीकृत मामले (सी.आर.), आरोपपत्रित मामले (सी.एस.), दोषसिद्ध मामले (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्ति (पी.ए.आर.), आरोप पत्रित व्यक्ति (पी.सी.एस.) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पी.सी.वी.)

क्र.सं.	राज्य	2009					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.वी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	1	0	0	1	0
15.	महाराष्ट्र	29	30	1	43	47	1
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	2	3	0	2	2	0
	कुल राज्य	**32**	**34**	**1**	**45**	**50**	**1**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल अखिल भारत	32	34	1	45	50	1

क्र.सं.	राज्य	2010					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.वी.
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	1	0	0	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0

1	2	9	10	11	12	13	14
11.	झारखंड	3	3	0	3	3	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	27	31	4	43	47	7
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	o	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	o
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	48	12	0	51	13	0
	कुल राज्य	**78**	**47**	**4**	**97**	**64**	**7**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल अखिल भारत	78	47	4	97	64	7

क्र.सं.	राज्य	2011					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.वी.
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	1	0	0	2	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	2	2	0	5	5	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	1	1	0	1	1	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	2	2	0	5	5	0
15.	महाराष्ट्र	20	19	1	43	41	1
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	1	1	0	4	4	0

1	2	15	16	17	18	19	20
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**27**	**25**	**1**	**60**	**56**	**1**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	0	1	1	0	1	1
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**
	कुल अखिल भारत	27	26	2	60	57	2

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान से संबंधित सूचना में पिछले वर्षों से लंबित मामले भी शामिल हैं।

वर्ष 2009-2011 के दौरान अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत मामले (सी.आर.), आरोपपत्रित मामले (सी.एस.), दोषसिद्ध मामले (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्ति (पी.ए.आर.), आरोप पत्रित व्यक्ति (पी.सी.एस.) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पी.सी.वी.)

क्र.सं.	राज्य	2009					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.वी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	279	305	216	1016	1071	194
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	37	17	0	61	36	0
4.	बिहार	40	17	6	56	37	9
5.	छत्तीसगढ़	9	8	1	43	36	3
6.	गोवा	23	18	10	67	38	17
7.	गुजरात	41	37	1	200	190	10
8.	हरियाणा	90	83	19	391	375	93

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हिमाचल प्रदेश	5	6	0	26	38	0
10.	जम्मू और कश्मीर	6	5	0	19	18	0
11.	झारखंड	1	1	6	2	26	11
12.	कर्नाटक	329	318	150	1338	1240	322
13.	केरल	314	322	182	649	641	248
14.	मध्य प्रदेश	19	16	3	75	75	5
15.	महाराष्ट्र	271	326	91	1437	1655	199
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	1	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	1	0	1	1	0	1
19.	नागालैंड	3	5	5	24	17	18
20.	ओडिशा	14	16	3	57	56	7
21.	पंजाब	59	50	11	234	183	38
22.	राजस्थान	62	59	21	215	212	107
23.	सिक्किम	1	1	0	2	3	0
24.	तमिलनाडु	716	718	463	1269	1403	820
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	39	37	21	201	186	176
27.	उत्तराखंड	6	5	0	29	39	0
28.	पश्चिम बंगाल	63	41	9	238	174	17
	कुल राज्य	**2429**	**2411**	**1219**	**7650**	**7749**	**2295**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	1	2	0	1
30.	चंडीगढ़	4	6	0	14	33	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	8	0
32.	दमन और दीव	4	2	0	27	11	0

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	27	33	31	77	106	80
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	9	9	3	32	32	12
	कुल संघ शासित राज्य	**45**	**51**	**35**	**152**	**190**	**93**
	कुल अखिल भारत	2474	2462	1254	7802	7939	2388

क्र.सं.	राज्य	2010					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.वी.
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	548	443	76	1332	1287	162
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	25	14	2	49	31	4
4.	बिहार	24	37	4	52	67	5
5.	छत्तीसगढ़	12	10	2	51	52	8
6.	गोवा	16	14	0	44	36	0
7.	गुजरात	46	46	2	157	157	4
8.	हरियाणा	57	57	28	226	233	94
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	11	11	0
10.	जम्मू और कश्मीर	4	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	13	7	2	23	25	7
12.	कर्नाटक	242	250	263	934	1025	358
13.	केरल	309	328	217	576	628	274
14.	मध्य प्रदेश	19	18	14	91	84	10
15.	महाराष्ट्र	306	324	74	1007	1027	169
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	3	1	0	12	4	0
18.	मिजोरम	0	1	1	0	1	1

1	2	9	10	11	12	13	14
19.	नागालैंड	2	3	4	15	12	1
20.	ओडिशा	25	25	4	97	136	7
21.	पंजाब	59	52	15	288	251	68
22.	राजस्थान	82	83	16	299	302	31
23.	सिक्किम	3	1	0	5	1	0
24.	तमिलनाडु	567	575	315	921	930	668
25.	त्रिपुरा	1	1	0	1	1	0
26.	उत्तर प्रदेश	23	21	28	119	97	201
27.	उत्तराखंड	4	4	7	27	27	19
28.	पश्चिम बंगाल	56	57	11	227	193	42
	कुल राज्य	**2447**	**2373**	**1085**	**6564**	**6618**	**2133**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	1	0	15	1	0
30.	चंडीगढ़	3	5	0	13	18	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	8	8	0
32.	दमन और दीव	6	5	0	42	35	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	28	35	32	96	101	84
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	11	11	8	37	37	25
	कुल संघ शासित राज्य	**52**	**58**	**40**	**211**	**200**	**109**
	कुल अखिल भारत	2499	2431	1125	6775	6818	2242

क्र.सं.	राज्य	2011					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.वी.
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	497	457	130	1267	1164	352
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0

1	2	15	16	17	18	19	20
3.	असम	21	14	0	55	27	0
4.	बिहार	23	23	6	34	40	7
5.	छत्तीसगढ़	15	18	2	60	66	9
6.	गोवा	18	15	3	42	31	3
7.	गुजरात	46	48	3	206	218	11
8.	हरियाणा	57	55	7	25	244	37
9.	हिमाचल प्रदेश	2	1	1	3	3	12
10.	जम्मू और कश्मीर	1	2	0	8	7	0
11.	झारखंड	15	17	5	22	16	7
12.	कर्नाटक	351	331	118	1387	1344	362
13.	केरल	197	204	124	308	330	207
14.	मध्य प्रदेश	24	26	16	193	200	70
15.	महाराष्ट्र	390	297	41	1392	1613	64
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	2	1	0	15	2	0
18.	मिजोरम	8	3	1	5	5	3
19.	नागालैंड	2	2	2	6	6	16
20.	ओडिशा	23	20	0	69	62	0
21.	पंजाब	50	54	14	214	195	41
22.	राजस्थान	81	77	56	339	324	163
23.	सिक्किम	1	1	0	7	4	0
24.	तमिलनाडु	420	470	315	878	802	475
25.	त्रिपुरा	2	0	0	8	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	43	39	32	256	255	173
27.	उत्तराखंड	3	3	3	14	14	8

1	2	15	16	17	18	19	20
28.	पश्चिम बंगाल	96	57	13	336	218	39
	कुल राज्य	**2388**	**2235**	**892**	**7375**	**7190**	**2059**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	0	0	14	0	0
30.	चंडीगढ़	1	0	0	5	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	0		0	0	0
32.	दमन और दीव	6	4	0	47	28	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	33	38	24	123	84	61
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	3	3	2	17	17	13
	कुल संघ शासित राज्य	**47**	**45**	**26**	**206**	**129**	**74**
	कुल अखिल भारत	2435	2280	918	7581	7319	2133

स्रोतः भारत में अपराध

नोटः पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान से संबंधित सूचना में पिछले वर्षों से लंबित मामले भी शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2009-2011 के दौरान वेश्यावृत्ति के लिए बेची गई लड़कियों के तहत पंजीकृत मामले (सी.आर.), आरोपपत्रित मामले (सी.एस.), दोषसिद्ध मामले (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्ति (पी.ए.आर.), आरोप पत्रित व्यक्ति (पी.सी.एस.) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पी.सी.वी.)

क्र.सं.	राज्य	2009					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.वी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	0	0	3	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	1	1	0	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	1	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	1	2	0	1	17	0
15.	महाराष्ट्र	2	2	0	4	4	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	49	19	0	21	20	0
	कुल राज्य	**55**	**24**	**0**	**30**	**42**	**0**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	2	1	0	1	1	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	**2**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
	कुल अखिल भारत	57	25	0	31	43	0

क्र.सं.	राज्य	2010					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.वी.
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	5	0	6	9	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	3	0	0	3	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	1	1	0	1	1	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	2	2	0	8	8	0
15.	महाराष्ट्र	1	1	0	13	13	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	1	1	0	3	3	0

1	2	9	10	11	12	13	14
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	115	51	2	128	53	2
	कुल राज्य	**126**	**61**	**2**	**162**	**87**	**2**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	4	3	0	4	3	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	**4**	**3**	**0**	**4**	**3**	**0**
	कुल अखिल भारत	130	64	2	166	90	2

क्र.सं.	राज्य	2011					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.वी.
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	1	0	4	2	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	1	0	0	1	0
4.	बिहार	1	1	0	2	2	0
5.	छत्तीसगढ़	1	1	0	1	1	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0

1	2	15	16	17	18	19	20
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	2	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	6	6	0	5	5	0
12.	कर्नाटक	1	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	3	3	2	15	15	11
15.	महाराष्ट्र	2	2	0	9	9	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	2	1	0	5	5	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	4	4	0	15	15	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	87	37	1	96	60	3
	कुल राज्य	**111**	**57**	**3**	**152**	**115**	**14**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	2	1	0	4	2	0

1	2	15	16	17	18	19	20
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	**2**	**1**	**0**	**4**	**2**	**1**
	कुल अखिल भारत	113	58	3	156	117	14

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान से संबंधित सूचना में पिछले वर्षों से लंबित मामले भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

पी.डी.एस. के तहत दाल और खाद्य तेल

2968. **श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री पी.टी. थॉमस:
श्री एंटो एंटोनी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी वर्ष के दौरान आयात हेतु प्रस्तावित दालों और खाद्य तेल की अनुमानित कुल प्रमात्रा कितनी है और उक्त आयात के लिए जिन एजेन्सियों को यह कार्य सौंपा गया उनका ब्यौरा क्या है और इन पर दी जाने वाली सब्सिडी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाली दरों पर नारियल तेल सहित दाल और खाद्य तेल को संवितरित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को आबंटित उक्त सामग्रियों की प्रमात्रा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों में दालों और खाद्य तेल के संवितरण के लिए अपनाए गए/निर्धारित किए गए मानदंड क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) दालों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि सब्सिडीकृत आयातित दालों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण की स्कीम को एक नए रूप में 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकों को वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित दालों की सब्सिडीकृत दरों पर आपूर्ति' पुन: अपनाया जाए। आयात की जाने वाली दालों की मात्रा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बी.पी.एल. कार्डधारकों की संख्या के संबंध में लगाए गए अनुमान के अनुरूप होगी। आयात की जाने वाली दालों पर 20/-रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी दी जाएगी। बी.पी.एल. कार्डधारकों को दालों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 1 कि.ग्रा. प्रति कार्ड, प्रति माह की दर से किया जाएगा। दालों को आयात करने का कार्य, जहां आवश्यक हो, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए राज्यों द्वारा किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार की भूमिका राज्यों द्वारा यथाप्रमाणित आयातित दालों की विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए सब्सिडी की सहमति प्राप्त राशि प्रदान करने तक सीमित रहेगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बी.पी.एल. कार्डधारकों की संख्या के अनुसार किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अधिकतम मात्रा का विशिष्ट आवंटन नहीं किया जाएगा। इस स्कीम के प्रचालन की घोषणा अभी नहीं की गई है। तथापि, पहले से चल रही एक स्कीम नामत: सब्सिडीकृत आयातित दालों का राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण की स्कीम जो वर्ष 2008 से 30-06-2012 तक प्रचालन में थी के तहत निम्नलिखित मात्राओं का आयात किया गया और इस स्कीम का लाभ तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा द्वारा उठाया गया।

वर्ष	मात्रा मीट्रिक टन में
2008-09	4707
2009-10	254931
2010-11	314707
2011-12*	186396
(*नवम्बर, 2012 तक)	

खाद्य तेलों के संबंध में, सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों के वितरण की स्कीम के तहत सरकार ने अक्तूबर, 2012 से सितम्बर, 2013 की एक वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख टन खाद्य तेलों के आयात को अनुमोदित किया है जिस पर 15/- रुपये प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी दी जाएगी। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामत: एस.टी.सी., एम.एम.टी.सी. और पी.ई.सी. तथा अन्य एजेन्सियां जैसे नैफेड और एन.सी.सी.एफ. इस स्कीम के तहत खाद्य तेलों का आयात करने में लगी हुई हैं और वे इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डधारकों को वितरित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपेगी। इस स्कीम के तहत केवल रिफाइन्ड पामोलीन और सोयाबीन तेलों का वितरण किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आबंटित किए गए खाद्य तेलों की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्यों को किए जाने वाले आवंटन संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त मांग के अनुसार किए जाते हैं।

विवरण

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों के वितरण की स्कीम के तहत आवंटित खाद्य तेलों की मात्रा

क्र.सं.	राज्य	आबंटित मात्रा (मीट्रिक टन में)				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 [अप्रैल से सितम्बर 12)	2012-13 (अक्तूबर 12 से सितम्बर 13]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	89450	166000	145250	345500	264000
2.	छत्तीसगढ़	24500	*	*	*	*
3.	गोवा	*	*	2570	3650	1938
4.	गुजरात	14000	*	18000	24000	
5.	हिमाचल प्रदेश	12000	11060	10500	27000	36000
6.	हरियाणा	*	9100	*	*	*
7.	कर्नाटक	18000	*	*	*	*
8.	केरल	*	104	*	*	*
9.	महाराष्ट्र	62000	45000	90692	261740	66000
10.	मध्य प्रदेश	24000	*	*	*	*
11.	नागालैंड	50	*	*	*	*
12.	ओडिशा	24000	*	15470	*	*
13.	राजस्थान	6000	*	10000	5000	5000
14.	तमिलनाडु	72000	74560	168000	303600	213600
15.	सिक्किम	56	*	*	*	*
16.	पश्चिम बंगाल	10000	40000	*	20000	*
17.	उत्तर प्रदेश	*	20000	70000	8000	*
18.	लक्षद्वीप	*	75	*	60	*

1	2	3	4	5	6	7
19.	दादरा और नगर हवेली	*	*	210	360	*
20.	मिजोरम	*	*	130	*	*
21.	दिल्ली	4000	*	*	*	*
22.	चंडीगढ़	*	*	90	*	#
23.	दमन और दीव	*	*	93	*	*

*इन राज्यों ने इस अवधि के दौरान स्कीम में भाग नहीं लिया।

कृषि में अनुसंधान और विकास

2969. श्री धनंजय सिंह:
श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में विभिन्न कम लागत वाली नवोन्मेषी/नयी तकनीक विकसित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) किसानों के बीच उनकी फसल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ऐसे कम लागत वाले नवोन्मेषी तरीके के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) नई तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) ने पूरे देश में स्थित अपने अनुसंधान संस्थानों, उनके क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ-साथ अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान/नेटवर्क/आउटरीच/बीज (सीड) कार्यक्रमों के माध्यम से प्रमुख अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। 12वीं पचंवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न नई पहले प्रस्तावित की गई हैं। 22 विभिन्न भागीदारी मंचों (कन्सोर्टिया प्लेटफार्मों) की भी पहचान की गई है और इन्हें भविष्य में अनुसंधान हेतु नियत किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों और पणधारियों के लिए बहुत सी स्थान विशिष्ट लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का विकास किया है इससे संबंधित ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) कृषकों में कम लागत वाली नवाचारों के प्रति जागरुकता बढ़ाने हेतु भा.कृ.अ.प. द्वारा 630 कृषि विज्ञान केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है जो देश में बड़ी मात्रा में प्रसार कार्यकलाप करते हैं। किसानों के प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रौद्योगिकियों में परिष्करण किया जाता है और उन्हें कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के सहायता हेतु अधिक उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण और फील्ड उपयोगी बनाया जाता है।

(ङ) भा.कृ.अ.प. किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि एन.ए.आई.पी. के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त क्षमता विनिर्माणन एवं सीमित निवेश उपलब्ध कराया जा रहा है।

विवरण

विकसित की गई प्रौद्योगिकियों/खेती के उपकरणों/लघु कालिक किस्मों, अनाज और दालों की संकर किस्मों की सूची

फसल	किस्में/संकर किस्में	फसल प्रणाली
1	2	3
बाजरा	एच.एच.बी. सुविकसित, आर.एच.बी. 121, एच.एच.बी. 60 आर.एच.बी. 177, एच.एच.बी. 117, आर.एच.बी. 94, एच.एच.बी. 68, जे.वी.बी. 4, पूसा कम्पोजिट 443, सी जेड पी 9802, आई.सी.एम.वी. 221.	रबी/वसन्त एवं खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त

1	2	3
मक्का (संकर)	विवेक 15,17,21,25 एवं 33, पी.ई.ई.एच.-5, पी.ए.यू. 352, पी.ई.एच. 3, जे.एच. 3459 प्रकाश, पी.एम.एच.2, पी.एम.एच. 5, पी.एम.एच. 2, विवेक 43, विवेक 5, विवेक 39, प्रताप संकर 1, माधुरी विवेक क्यू. पी.एम. 90	रबी/वसन्त एवं खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त
तोरिया-सरसों	सेज-2, जे.डी.-6, कांति, पी.टी. 30 नरेन्द्र अगेती राई 4, शिवनी सी.ए.एर. शताब्दी पार्वती, अनुराधा, पूसा सरसों 25, टी.पी.एम.-1	वर्षा ऋतु के बाद बहुफसलीय खेती, पूर्वोत्तर भारत के चावल परती हेतु उपयुक्त
मूंगफली	जे.एल. 501, आई.सी.जी.वी. 00350, कादिरी हरितन्ध्रा, एच.एन. जी 123, फुले व्यास एस.जी. 99, टी.एम.वी. (जी.एन.) 13, टी.जी. 51	बहुफसलीय रबी और गर्मी के लिए उपयुक्त
चना	जे.जी 11, जे.जी. 32, पी.जी. 186, उदय	गंगा मैदानी क्षेत्र के चावल चना की खेती के लिए उपयुक्त
मसूर	डब्ल्यू.बी.एल. 77, पी.एल. 6, एन.डी.एल. 1, एच.यू.एल.-57, के.एल. 218	पूर्वी भारत की चावल परती भूमि की खेती के लिए उपयुक्त
अरहर	पंत ए. 291, पूसा 992	अरहर-गेहूं
मूंग बीन	आई.पी.एम. 02-14, सी.ओ.जी.जी. 912, एल.जी.जी. 410, टी.एम. 96-2, डब्ल्यू.जी.जी.-2, एल.जी.जी.-460	तटीय मैदान की रबी-चावल परती
	आई.पी.एम.02-3, सम्राट, मेह, एच.यू.एम. 16, पंत मूंग 5, एस.एम.एल. 668	वसंत/गर्मी की चावल-गेहूं फसल प्रणाली के अंतर्गत
उड़द बीन	सी.ओ.बी.जी. 653, आई.पी.यू. 7-3, वी.जी.जी. 04-008, एल.यू. 391, ई.पी. यू-2-43, टी.यू. 94-2.	तटीय मैदान की रबी-चावल परती

- खुर एवं मुंहपका रोग के निदान हेतु उपचार एवं नियंत्रण
- भेड़ों में ब्लूटंग रोग की रोकथाम के लिए स्वदेशी वायरस स्ट्रेन्स का प्रयोग करके टीकाकरण
- ए.एल. प्रोटोकाल का मानकीकरण और पहली बार 18 पिगलेट उत्पन्न हुए
- पशुओं के लिए सूखे चारे के विकल्प के तौर पर अरेकासीथ का विकास
- एफ.एम.डी. रोगग्रस्त और टीकाकरण किए गए पशुओं में अंतर के लिए एक रिकम्बीनैंट 'दिया किट' का विकास
- डेयरी पशुओं में स्तनशोध उपचार के लिए पॉली हर्बल पोस्ट मिल्किग टीट डिप का विकास किया गया
- दूध में स्टार्च, ग्लूकोज, यूरिया, अमोनियम योगिकों, तालाब के पानी, सामान्य नमक, न्यूट्रलाइनर, हाइड्रोजन पैरा आक्साइड आदि की परख के लिए किट तैयार की गई। इस किट से वनस्पति घी की मिलावट का भी पता चलता है। दूध में डिटरजेट का पता लगाने के लिए भी परीक्षरण का विकास किया गया है। यह टेस्ट 100 ग्राम दूध में 20 ग्राम डिटरजेंट का भी पता लगा लेता है। यह आसान और जल्दी जांच कर लेता है जिसके लिए प्रयोगशाला उपकरणों की जरूरत नहीं होती।
- पंचौली अपशिष्ट सामग्री से अगरबत्ती बनाना
- पोषणयुक्त शिमला मिर्च-टमाटर सल्सा/पूरी
- प्राकृतिक रंगों से मूर्तियों पर सर्फेस कोटिंग प्रौद्योगिकी
- कम लागत वाले वीनिंग मिश्रित दुग्ध आधार वाले ठोस एवं मोटे अनाज

- मोटे अनाज आधारित उत्पाद, मधुमेह वालों के लिए फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट फ्लेक्स, कुकीज स्पोर्टस फूड मिक्स
- वृक्षारोपण और औद्योगिक अपशिष्ट के उपयोग हेतु ब्रिकेटिंग प्रौद्योगिकी
- चावल-मत्स्य-कुक्कुट पालन प्रणाली
- असम के चुनिंदा पिछड़े जिलों में आजीविका बढ़ाने के लिए चावल-मत्स्य-सब्जी की एकीकृत प्रणाली
- दरभंगा बिहार के फूड-प्रोल पारस्थितिकी प्रणाली में मछली के साथ मरवाना और वाटर चेस्टनट एकीकृत प्रणाली से आजीविक में सुधार
- मसूर (रेडग्राम) पौदरोपण
- अलसी मूल्य श्रृंखला आयवृद्धि एवं पोषण सुरक्षा
- जन बांझपन नियंत्रण
- सतत ग्रामीण ऊर्जा सहित जैविक खाद उत्पादन हेतु सामुदायिक बायोगैस
- लाइट ट्रैप्स—आजीविका सुधार हेतु एण्क छोटी सी खोज
- इस्ट्रस—इंडक्शन के लिए मिनरल आधारित प्रौद्योगिकी
- बायो इन-हैंसर (वेसीलस, स्डोमॉस, ट्रिकोडर्मो) के प्रगुणन के लिए कम लागत प्रगुणन मीडिया

संचालन	ऊर्जा स्रोत		
	मैनुअल	पशु संचालित	ट्रैक्टर/पावर टिलर/स्वचालित
1	2	3	4
खेत तैयार करना		• पटेला हैरो/पडलर • लग्ड व्हील पडलर • पेग टाइप पडलर फार्म कार्ड मैन्योर स्प्रेडर	• पावर टिलर से संचालित आगर डिगर • ट्रैक्टर संचालित मोल प्लो • ट्रैक्टर संचालित प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन • ट्रैक्टर संचालित मैन्योर स्प्रेडर
बीजारोपण एवं पौधरोपण	• चावल पौधरोपण यंत्र • गार्लिक/मल्टी क्रॉप प्लाटर • राइस सीडर • ओनियन सीडर	• विभिन्न फसलों के लिए सीड ड्रिल्स • विभिन्न फसलों के लिए इनक्लाड प्लेट प्लांटर	• स्वचालित राइस प्लांटर • पावर टिलर सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिलर • ट्रैक्टर चालित न्यूमटिक प्रेसिजन प्लांटर • ट्रैक्टर चालित इनक्लाइडर प्रेसिजन प्लांटर • मैनुअल एवं पावल चालित सूगरकेन बड क्लिपर • ट्रैक्टर चालित बीज सहित फर्टिलाइजर ड्रिल फार फनल • पॉट फिलिंग मशीन फार स्पाइसेज नर्सरी • ट्रैक्टर संचालित वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर • ट्रैक्टर संचालित सेल्फ कटर प्लांटर फार सूगरकेन • ट्रैक्टर संचालित रेज्ड बेड प्लांटर • ट्रैक्टर संचालित प्लांटर फार सीड स्पाइसेज • पर्वतीय क्षेत्र के लिए पावर संचालित जीरो टिल ड्रिल
खरपतवार/ अन्तर कृषि	• सिंगल/डबल व्हील हो • कोनोवीडर		• पावर टिलर संचालित स्वीप कल्टीवेटर • ट्रैक्टर संचालित ऑर्चार्ड स्प्रेयर • स्वचालित राइडिंग टाइप ठटरकल्चर सह स्प्रेयिंग उपकरण

1	2	3	4
			• स्वचालित हाईक्लीयरेंस बूम टाइप इन्ट्राकैनोपी स्प्रेयर • इंजन संचालित पावर बीडर • ट्रैक्टर चालित थ्री रो बीडर • पावरवीडर फॉर लो लैण्ड राइस • ट्रैक्टर चालित ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर • ट्रैक्टर चालित एयर स्लीव बूम स्प्रेयर
फसल कटाई एवं गहाई	• पैडी थ्रेसर • पैडल चालित राइस थ्रेसर • ग्राउंडनट कम कैस्टर • डिकोर्टिकेटर • ट्री क्लाइंबर	• कंदीय फसलों के लिए खुदाई यंत्र	• वाक विहाइड वर्टीकल कन्वेयर रीपर • पावर टिलर कनवेयर रीपर • ट्रैक्टर माउंटेड बर्टीकल कनवेयर रीपर • सेमी उकीसल फ्लो मल्टीक्रॉप थ्रेसर • ट्रैक्टर ड्रॉन ग्राउंडनर डिगर • ट्रैक्टर ड्रॉन ओनियन डिगर • हाई कैपेसिटी मल्टी क्रॉप थ्रेसर • टीमेकि हरीवेस्टर • पिजनपी थ्रेसर • ट्रैक्टर ड्रॉन स्ट्रा रीपर विद ट्रेलर • पावर संचालित रिबोनर फार जूट • ट्रैक्टर फोडर हार्वेस्टर • एक्सियल फ्लो सनफ्लावर थ्रेसर • मेज डिहस्कर कम शेलर • ट्रैक्टर संचालित पोटेटो डिगर • ट्रैक्टर संचालित ग्राउंडनर डिगर शेकर • ट्रैक्टर कैपेसिटी मल्टी क्रोप थ्रेसर • ट्रैक्टर चालित बनाना क्लंप रिमूवर • ट्रैक्टर संचालित बनाना शेडर • ट्रैक्टर संचालित स्ट्रा कम्बाइन • थ्रेसर फार सीड स्वाइसेज
सफाई/ कटाई/ छटाई	• डबल स्क्रीन क्लीनर • पोमोग्रेनेट एरिल्स इक्ट्रैक्टर		
छिलका उतारना/ शिलिंग/ डी हलिंग (पीलिंग)	• ग्राउंडनर/कैस्टर डिकोर्टिकेटर • ग्राउंडनर/सनफ्लॉवर डिकोर्टिकेटर विद फीडर एंड सेपरेटर • पोटेटो पीलर • पोटेटा स्लाइसर • कदीय फसलों से		

1	2	3	4
	स्टार्च निकालने के के लिए रेस्पर		
	• गार्लिक प्रसंस्करण उपकरण		
	• गन्ना जूस फिल्ट्रेशन प्रणाली		
	• टेन्डर नारियल पंच और कटर		
मूल्य संवर्धन प्रौद्योगिकी/ उपकरण	• दाल मिल		
	• बहु उद्देश्यीय अनाज मिल		
	• बनान कौम्ब कटर		
	• फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु मिनिमल उपकरण		
	• मूंगफली पेय, दली और पनीर के लिए प्रौद्योगिकी		
	• मखाना खीर मिश्रण बनाने हेतु तैयार प्रौद्योगिकी		
	• ग्रीन चिली पूरी और पाउडर हेतु प्रौद्योगिकी		
	• अमरूद लेदर और बार के लिए प्रौद्योगिकी		
	• दलहनी के रसायनयुक्त भंडारण हेतु प्रौद्योगिकी		
	• सोया पनीर प्लांट कुटीर उद्योग		
	• सोया दूध फिल्ट्रेशन इकाई		
	• चिली बीज इक्सट्रैक्टर इकाई		
	• मीट ओफल और सब्जी आधारित पेट फूड के लिए प्रौद्योगिकी		
	• आजूवेटा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी		
	• पोली हाउस टाइप टनल ड्रायर		
	• एक्सियल फ्लो कॉटन प्रीक्लीनर		
	• ग्रामीण स्तर सिल्वर मेकिंग मशीन		
	• पर्यावरण हितैषी आब्जरवेन्ट कॉटन		
	• जिंक आक्साइड नैनो पार्टिकल्स उत्पादन प्रौद्योगिकी		
	• केला रेशा इक्ट्रैक्टर और सफाई प्रणाली		
	• जूट की ऐसेलेरेटेड रेटिंग के लिए प्रौद्योगिकी		
	• फाइवर बंडल स्ट्रैंथ टेस्टर		
	• फाइबर के लिए थर्मल इसुलेशन टेस्टर		
ऊर्जा के सामान (गैजेट्स)	• पोर्टेबल चेरिंग किलिन		
	• मल्टी फ्यूल कुकिंग स्टोव		
	• बहु उद्देशीय ट्रे/ड्रायर		
	• वेजीटेबल ड्रायर		
	• पोर्टेबल अपड्राफ्ट गैसीफायर		
	• बायोमास पर आधारित विकेन्द्रीकृत पावर उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी		
	• कृषि उद्योगों के लिए वाक इन टाइप सोलर टनल ड्रायर		
	• डी-ह्यूमिडिफाइड एयर ड्रायर		
	• नारियल		

पुलिस बल के आधुनिकीकरण संबंधी कृतिक बल

2970. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में राज्य पुलिस बल स्कीम के आधुनिकीकरण को लागू करने की निगरानी करने के लिए कृतिक बल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम.पी.एफ. स्कीम) के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए कृतिक बल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एम.पी.एफ. स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी गृह मंत्रालय में उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, एम.पी.एफ. स्कीम की निधियों की समवर्ती लेखापरीक्षा गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है।

जी.एम.डी.सी. का खनन पट्टा आवेदन

2971. श्री हरिन पाठक: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 1999 में भरूच जिले में 1251 हेक्टेयर वाले लिग्नाइट क्षेत्र के खनन पट्टा आवेदन के संबंध में गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जी.एम.डी.सी.) पर पूर्वानुमोदन के लिए गुजरात राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) भरूच जिले में 1251 हेक्टेयर के लिग्नाइट धारक क्षेत्र के जी.एम.डी.सी. के खनन पट्टे के आवेदन पर पूर्व अनुमोदन के लिए गुजरात सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 में प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट वाले क्षेत्र के संबंध में टोह की अनुमति, पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टा देने की ऐसी शर्तों की व्यवस्था है जिसे निर्धारित किया जाए। तथापि, यह निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:—

- जहां सरकारी कंपनी अथवा निगम को खनन अथवा ऐसे अन्य विशिष्ट अन्त्य उपयोग किए आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया है।
- जहां किसी कंपनी अथवा निगम, जिसे शुल्क के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) अवार्ड की गई है, को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया है।

सरकार ने कोयला खान नियमावली, 2012 को प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी को 02-02-2012 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अलावा, उक्त संशोधन अधिनियम के आरंभ होने संबंधी अधिसूचना को भी खान मंत्रालय द्वारा 13-02-2012 को अधिसूचित कर दिया गया है। कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक केवल संशोधित अधिनियम और ऊपर उल्लिखित नियमावली के अंतर्गत आवंटित किए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

2972. श्री यशवंत लागुरी:
श्री लक्ष्मण टुडु:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के जिलों को सम्मिलित करने हेतु सरकार द्वारा क्या मापदंड तैयार किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को ओडिशा और बिहार सहित विभिन्न राज्यों से उनके सभी जिलों को एन.एफ.एम.एम.—चावल और एन.एफ.एस.एम.—गेहूं योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) एन.एफ.एस.एम. के अंतर्गत विशिष्ट मापदंडों के आधार पर जिलों को चिन्हित किया गया है अर्थात एन.एफ.एस.एम.-चावल

के लिए उन जिलों जिनमें चावल के अंतर्गत क्षेत्र 50,000 हैक्टे. से अधिक है और उत्पादकता राज्य औसत से कम थी, को शामिल किया गया है। एन.एफ.एस.एम.-गेहूं के लिए उन जिलों को जिनमें गेहू के अंतर्गत सिंचाई कवरेज 50 प्रतिशत से अधिक है और उत्पादकता राज्य औसत से कम थी, चिन्हित किए गए थे। एन.एफ.एस.एम.-दलहन के कार्यान्वयन के लिए जिलों का चयन दलहन के तहत विद्यमान क्षेत्र, अंतर-फसलन के माध्यम से क्षेत्र विस्तार हेतु, संभावना एवं चावल फसलों के उपयोग के आधार पर किया गया था।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार ने एन.एफ.एस.एम. के अंतर्गत विद्यमान जिलों में जिलों को शामिल करने/प्रतिस्थापित करने के लिए ओडिशा और बिहार सहित कुछ राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुआ था। चूंकि प्रस्तावित जिलों में से कोई भी निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उन जिलों को एन.एफ.एम.एस. के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। एन.एफ.एस.एम.-चावल/गेहूं के अंतर्गत कवर नहीं किए गए जिलों को समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.)-बृहत कृषि प्रबंधन (एम.एम.ए.) चावल/गेहूं के अंतर्गत कवर किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2010-11 से क्लस्टर मोड़ दृष्टिकोण में बिहार और ओडिशा के गैर-एन.एफ.एस.एम.-चावल जिलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) की उप-स्कीम पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति लाना भी कार्यान्वित है। बिहार में उन जिलों को जो एन.एफ.एस.एम.-गेहूं के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, को क्लस्टर मोड़ दृष्टिकोण में पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति लाना कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

सी.आई.एल. में अनुबंध श्रमिक

2973. श्री बंस गोपाल चौधरी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) और इसकी सहायक कंपनियों में कंपनी-वार कार्यरत अनुबंध श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसे श्रमिकों हेतु किसी वेतन ढांचे का अनुसरण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक सहायक कंपनी में उन्हें दी जा रही दिहाड़ी कितनी है;

(घ) अनुबंध श्रमिकों को दी जा रही सामाजिक सुरक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सी.आई.एल. में अनुबंध श्रमिकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) ठेके के कामगारों को कोल इंडिया लि. तथा अन्य कोयला कंपनियों द्वारा सीधे नहीं रखा जाता है। तथापि कुछ कार्यों को बाहर से कराया जाता है तथा निजी एजेंसियां अपने निजी कर्मचारियों/कामगारों को तैनात कर रही हैं जो कंपनियों की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर अलग-अलग होती हैं। वर्तमान में कोल इंडिया तथा इसकी सहायक कंपनियों में ठेकेदारों द्वारा रखे गए नियमित कामगारों तथा ठेके के कामगारों की संख्या नीचे दी गई है:-

कंपनी	ठेकेदारों द्वारा रखे गए ठेके के कामगार
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	6524
भारत कोकिंग कोल लि.	1414
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	1013
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	3277
साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	9504
महानदी कोलफील्ड्स लि.	5190
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	4233
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.	0
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	413
कोल इंडिया लि.	79
कुल	31647

(ख) से (ङ) ठेकेदारों के कामगारों जिन्हें ठेकेदारों द्वारा विभिन्न ठेका कार्य में आवश्यकता पड़ने पर ठेकेदारों द्वारा रखा जा रहा है, उन्हें श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार भुगतान किया जाता है तथा उनकी कार्य संबंधी अन्य शर्तें ठेका मजदूर विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित प्रावधान के अनुसार हैं। निविदा आमंत्रित करने के लिए दी जाने वाली नोटिस में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान तथा कार्य संबंधी शर्तों आदि के संबंध में संबंधित अधिनियमों के संगत प्रावधानों का अनुपालन करना ठेकेदार/निजी पार्टियों के लिए पूर्व शर्त है।

कंपनी के औषधालयों/अस्पतालों में ठेकेदारों के सभी

कामगारों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। ठेकेदारों को लागू नियमों के अनुसार बोनस का भुगतान करने का अनुदेश दिया गया है। अन्य कल्याणकारी उपायों जैसे आवास, विश्रामगृह, पेयजल सुविधाएं आदि निजी एजेंसियों द्वारा की जाती हैं। प्रमुख नियोक्ता के प्रतिनिधि कार्य संबंधी स्थितियों, निजी एजेंसियों के अभिलेखों आदि का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते हैं जिससे ठेकेदार के कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, सी.एम.पी.एफ./ई.पी.एफ. की कटौती तथा सामाजिक सुरक्षा उपाय करना सुनिश्चित हो सके। यदि कोई ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कोई कल्याणकारी उपाय प्रदान करने में असफल होता है तो प्रमुख नियोक्ता के प्रतिनिधियों से रिपोर्ट के प्राप्त होने पर कंपनी द्वारा इन्हें प्रदान किया जाता है तथा ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के बिलों से लागत की कटौती की जाती है।

[हिन्दी]

गृहविहीन लोगों की मौतें

2974. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रत्येक वर्ष अत्यधिक शीत लहर के कारण अनेक गृहविहीन लोग मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार सूचित किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र सरकार को कोई दिशानिर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निजी टी.वी. सेवाप्रदाताओं का एकाधिकार

2975. **श्री एस.आर. जेयदुरई:**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी टेलीविजन सेवाप्रदाताओं ने लोकप्रिय टी.वी. चैनलों के प्रसारण पर अपना एकाधिकार बना रखा है और वे बहुप्रणाली रखने वाले सेवाप्रदाताओं को बाजार में कार्य नहीं करने दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इलेक्ट्रॉनिक संचार-माध्यमों पर ऐसा एकाधिकार रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ग) मंत्रालय को प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न खंडों में एकाधिकारिक प्रवृत्तियों के मुद्दे की जानकारी है और तदनुसार मीडिया-स्वामित्व के समस्त मुद्दों की जांच करने के लिए दिनांक 16-05-2012 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को एक पत्र लिखा गया था। मंत्रालय ने ट्राई से प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न खंडों के भीतर ऊर्ध्वाधर एकीकरण के विशिष्ट मुद्दों पर सिफारिशें करने का अनुरोध किया है क्योंकि मौजूदा परिदृश्य में टेलीविजन चैनलों के स्वामित्व वाली अधिक-से-अधिक प्रसारण कंपनियां विभिन्न वितरण प्लेटफॉर्मों नामत: केबल टीवी. वितरण, डी.टी.एच. एवं आई.पी.टी.वी. आदि में उद्यम कर रही हैं और इसी प्रकार से वितरण प्लेटफॉर्मों के स्वामित्व वाली कई कंपनियां भी टेलीविजन प्रसारण के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। ट्राई को क्षैतिज एकीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए भी कहा गया है जिसके तहत कंपनियों का प्रिंट, टी.वी. और रेडियो पर नियंत्रण/स्वामित्व है। ट्राई की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं। मंत्रालय प्रसारण क्षेत्र के वितरण खंड में कथित एकाधिकारिक प्रवृत्तियों के दुष्प्रभाव की जांच करने के लिए ट्राई को एक पत्र लिखने की प्रक्रिया में भी है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

2976. **श्री चार्ल्स डिएस:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के नृत्यों और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को एक सांझे मंच पर प्रदर्शित करने के लिए कोई योजना लागू की जा रही या प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी): (क) से (ग) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के पारंपरिक लोक कलाओं के संवर्धन और परिरक्षण के उद्देश्य से सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेड.सी.सी.) की स्थापना की है। वे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर पूरे देश में सांस्कृतिक

समारोह आयोजित करते हैं। उनकी स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय के अधीन संगीत नाटक अकादमी, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी अपनी स्कीमों तथा विभिन्न राज्यों के संवर्धनात्मक कार्य, नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यकलापों के माध्यम से संरक्षित करते हैं।

विवरण

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें

1. **राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम:** एक क्षेत्र के कला रूपों को दूसरे में प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण से और प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न सांस्कृतिक विरासत, देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शित करने के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कलाकारों को आदान-प्रदान के आधार पर भेजा।
2. **गुरू शिष्य परंपरा स्कीम:** गुरू के दिशा-निर्देशों के अधीन संगीत और नृत्य, लोक और जनजातीय कला रूपों के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं के विकास के संवर्धन के लिए 2003-04 में स्कीम शुरू की गई।
3. **युवा प्रतिभा कलाकार स्कीम:** देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोक कला रूपों में युवा प्रतिभाओं की पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम 204-05 में शुरू की गई।
4. **लुप्तप्राय रूपों के प्रलेखन:** उस स्कीम के अंतर्गत विविध लोक और जनजातीय कला रूपों के प्रलेखन, विशेष रूप से उन्हें, जो गायब होती देखी जा रही है, को लिया गया।
5. **रंगमंच कायाकल्प स्कीम:** इस स्कीम के अंतर्गत जेड.सी.सी. रंगमंच शो और कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं और परंपरागत एवं समकालीन रंगमंच के लिए एक साझा मंच प्रदान कर रहे हैं।
6. **शिल्पग्राम कार्यकलाप:** जेड.सी.सी. ने ग्रामीण भारत से लोक कलाओं और शिल्पों के विविध रूपों को प्रोत्साहित करने के लिए चंडीगढ़, खजुराहो, उदयपुर, गुवाहाटी, इलाहाबाद और शांति निकेतन में शिल्पग्राम गठित किए हैं। ये शिल्पग्राम बड़ी संख्या के घरेलू तथा विदेशी आगंतुकों को आकर्षित कर रहे हैं। इन शिल्पग्रामों द्वारा कई कलाकार और कारीगर लाभान्वित हो रहे हैं और लोग हमारे संपन्न सांस्कृतिक विरासत से अवगत हो रहे हैं।
7. **लोकतंरग-राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव और ऑक्टेव-पूर्वोत्तर के उत्सव:** नई दिल्ली और अन्य स्थानों में सालाना आयोजित इन राष्ट्र-स्तरीय उत्सवों में सभी जेड.सी.सी. भाग लेते हैं। इन उत्सवों के दौरान हमारे देश के विभिन्न लोक कलाओं के प्रदर्शन के लिए देश के सभी कोने से बड़ी संख्या के लोक कलाकार प्रदर्शन करती हैं।

इदुक्की पैकेज

2977. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इदुक्की पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस पैकेज की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस हेतु अब तक जारी और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस पैकेज के अंतर्गत प्रस्तुत की गई कतिपय परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल के आत्महत्या प्रवण जिलों में किसानों के लिए पुनर्वास पैकेज के भाग के रूप में केरल के इदुक्की जिले में कृषि दबावों प्रशमन के लिए 764.65 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ पैकेज को अनुमोदित किया है। पैकेज के तीन टियर तंत्र एपैक्स स्तर पर जिसमें मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में इदुक्की ऐश्वर्या समिति, माध्यमिक स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इदुक्की कर्मा समिति और नियमित आधार पर पैकेजों की कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन समिति शामिल है।

केरल की राज्य सरकार द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार 396.60 करोड़ रुपये विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रस्तुति की गई जिसमें से 238.92 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई। 110.19 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए और संस्वीकृत राशि में से 79.06 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए संबंधित एजेंसियों को प्रस्तुत कर दिया गया:-

(i) इलाईची हेतु उत्पादकों की सुनिश्चित आय स्कीम वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्तुत की गई

(ii) चाय उत्पादकों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड को प्रस्तुत की गई

(iii) कॉफी उत्पादकों के लिए प्रस्तावित परियोजना कॉफी बोर्ड के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्तुत की गई

(iv) नारियल बागान में अंतर फसलन हेतु प्रस्तावित परियोजना नारियल विकास बोर्ड को प्रस्तुत की गई।

नशीली दवाओं की जब्ती

2978. **श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला:**
श्रीमती मौसम नूर:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री कीर्ति आजाद:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर नशीली दवाओं की लगातार जब्ती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गईं;

(ग) क्या सरकार ने जब्त की गई नशीली दवाओं को नष्ट करने के लिए कोई तंत्र बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में नशीली दवाएं नष्ट की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्यों के परामर्श से इस समस्या को काबू में करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जब्त की गई नशीली दवाओं की सीमा-वार मात्रा निम्नलिखित है:

(कि.ग्रा. में)

सीमा	वर्ष			
	2009	2010	2011	2012 (अक्टूबर तक)
भारत-बंगलादेश	9549	9292	8598	2863
भारत-पाकिस्तान	148	146	75	273
भारत-चीन	—	—	—	—
भारत-नेपाल	25295	30715	12405	8548
भारत-भूटान	1126	398	710	52
भारत-म्यांमार	7748	25316	11132	5588

(ग) और (घ) सीमा चौकसी बलों द्वारा जब्त की गई नशीली दवाएं, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो/राज्य पुलिस/उत्पाद-शुल्क प्राधिकारियों के पास आगे के निपटान के लिए जमा कराई जाती हैं।

(ङ) सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनायी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा पर चौबीसों घंटे चौकसी और गश्त और निगरानी चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ का निर्माण तथा तेज रोशनी की व्यवस्था; आधुनिक एवं उच्च तकनीक वाले चौकसी उपकरणों को शामिल करना; आसूचना ढांचे का स्तरोन्नयन तथा राज्य सरकारों एवं संबंधित आसूचना एजेंसियों से समन्वय शामिल हैं।

खाद्य तेल का आयात

2979. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिलहन के उत्पादन और आपूर्ति में कमी

तथा इसकी बढ़ी हुई खपत के कारण खाद्य तेल के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान इसके अब तक किए गए कुल आयात का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान मलयेशिया और इंडोनेशिया द्वारा खाद्य तेल को अपनी माल-सूची से कम करने और विश्व-बाजार में इसके घटे मूल्य के कारण भारत द्वारा इसके आयात में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में खाद्य तेल और तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर इसकी घरेलू मांग को पूरी करने और इसका आयात कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी हां। तिलहनों का उत्पादन स्थिर बने रहने और खपत में वृद्धि होने के कारण खाद्य तेलों का आयात बढ़ गया है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान खाद्य तेलों के आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	मात्रा (लाख टन में)
2011-12	67.18
2012-13 (सितम्बर, 12 तक)	53.13

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (वाणिज्य विभाग)

(ग) देश में खाद्य तेलों की घरेलू मांग में वृद्धि होने के कारण लगभग आधी मांग को उक्त अवधि के दौरान आयात के माध्यम से पूरा किया जाना है। मलेशिया और इंडोनेशिया की कम इन्वेंटरी और वैश्विक बाजार में कम कीमतों का देश में आयातों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है।

(घ) देश में तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) तिलहनों और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने और ऑयल पाम के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए भारत सरकार प्रमुख तिलहनों का उत्पादन करने वाले 14 राज्यों, मक्का उत्पादन करने वाले 15 राज्यों और ऑयल पाम का उत्पादन करने वाले 9 राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन, ऑयल पाम और मक्का संबंधी समेकित स्कीम (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.) कार्यान्वित कर रही हैं, ताकि देश में इन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। आई.एस.ओ.पी.ओ.एम. स्कीम का कार्यान्वयन राज्य कृषि विभाग के जरिए 575/- करोड़ रुपए के आवंटन से किया जा रहा है। राजसहायता से संबंधित व्यय केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकांशत: 75:75 के अनुपात में वहन किया जाता है।

(ii) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2012-13 के अपनी बजट अभिभाषण में 12वीं योजना के दौरान तिलहनों और ऑयल पाम हेतु एक मिशन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से अनेक संकेन्द्रित और एकीकृत हस्तक्षेपों के जरिए तिलहनों/खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है।

कच्चे पाम तेल का आयात

2980. **श्री एंटो एंटोनी:**
श्री वरुण गांधी:
श्री पी.टी. थॉमस:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नारियल तेल उद्योग से जुड़े और तिलहन-उत्पादक किसानों, जो उत्पाद की घटती मांग और अलाभकारी मूल्य की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, सहित घरेलू खाद्य तेल उद्योग पर कच्चे पाम तेल के बढ़ते हुए शुल्कमुक्त आयात के प्रतिकूल प्रभाव पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कच्चे पाम तेल का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार का देशी खाद्य तेल के मूल्यन में सहायता हेतु कच्चे पाम तेल का आयात-शुल्क बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देशी खाद्य तेल उद्योग की सहायता हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी हां, आयात/निर्यात नीति तैयार करते समय नारियल

और तिलहन का उत्पादन करने वाले कृषकों के हितों पर विचार किया जाता है। तथापि, खाद्य तेलों की कमी और देश में इनकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों का आयात क्रूड एवं रिफाइंड तेलों पर क्रमशः शून्य प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के आयात शुल्क पर करने की अनुमति दी गई है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष आयातित क्रूड पाम ऑयल का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	मात्रा (टन में)
2009-10	47.97
2010-11	41.24
2011-12	52.04
2012-13 (अप्रैल-सितम्बर, 12)	30.43

स्रोतः वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (वाणिज्य विभाग) कोलकाता

(ग) और (घ) फिलहाल सरकार क्रूड पॉम ऑयल पर आयात शुल्क में वृद्धि करने पर विचार नहीं कर रही है।

(ङ) सरकार ने स्वदेशी खाद्य तेल उद्योग को सहायता करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के तहत खाद्य तेलों के आयात की अनुमति दी है। औद्योगिक यूनिटे क्रूड अथवा रिफाइंड तेलों का आयात करने तथा उनका प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन करने के लिए स्वतंत्र हैं। नारियल तेल के मामले में, नारियल का उत्पादन करने वाले कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए नारियल तेल का निर्यात ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों में (कोचिन पत्तन के जरिए) करने की अनुमति दी गई है जिसके लिए मात्रात्मक सीमा को प्रति वर्ष 10,000 टन में बढ़ाकर 20,000 टन कर दिया गया है।

तटीय क्षेत्रों और पतनों को खतरा

2981. श्री ए. सम्पतः
श्री जय प्रकाश अग्रवालः
श्री नारनभाई कछाड़ियाः
श्री सी.आर. पाटिलः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तटीय क्षेत्र और पत्तन घुसपैठ और आतंकी हमलों की दृष्टि से भेद्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के तटीय क्षेत्रों और पत्तनों की सुरक्षा बढ़ाने/सशक्त करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत की तटीय रेखा में विभिन्न प्रकार की सुरक्षा समस्याएं मौजूद है जिनमें राष्ट्र-विरोधी तत्वों की घुसपैठ/उनका यहां से निकल भागना, आपराधिक गतिविधियों के लिए समुद्री और अपतटीय द्वीपसमूह का उपयोग, समुद्री मार्गों के जरिए उपभोक्ता और मध्यस्थता वाले सामान इत्यादि शामिल हैं। तट पर भौतिक अवरोधों के न होने और तट के समीप महत्वपूर्ण औद्योगिक और रक्षा स्थापनाओं के स्थित होने की वजह से भी अवैध सीमा-पार गतिविधियों के प्रति तटों की सुभेद्यता बढ़ जाती है।

देश की सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा के लिए बहु-स्तरीय व्यवस्था है जिसमें भारतीय नौसेना, तट-रक्षक और तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की समुद्री पुलिस शामिल है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड) की सीमाओं के साथ बड़े समुद्रों में निगरानी का कार्य नौसेना और तट-रक्षकों द्वारा किया जाता है। प्रादेशिक जलक्षेत्र में तट-रक्षक जलयानों और तट-रक्षक एअर क्राफ्टों द्वारा हवाई निगरानी के जरिए तट-रक्षक भारतीय हितों की रक्षा करते हैं। गहन-तटीय निगरानी का गश्त कार्य राज्य समुद्री पुलिस द्वारा किया जाता है। छिछले प्रादेशिक जल क्षेत्रों में राज्य का क्षेत्राधिकार 12 नॉटिकल मील है।

(ग) देश के तटीय क्षेत्रों एवं पत्तनों की सुरक्षा का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:-

(i) भारतीय नौसेना को समग्र समुद्री सुरक्षा, जिसमें तटीय सुरक्षा और उपतटीय सुरक्षा शामिल हैं, के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी अभिहित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय तटरक्षक को, तटीय पुलिस की गश्त में आने वाले क्षेत्रों सहित प्रादेशिक जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी अभिहित किया गया है। महानिदेशक, तटरक्षक को, तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केन्द्रीय तथा राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी कमांडर तटीय कमान के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

(ii) पोत परिवहन मंत्रालय को, सभी प्रकार के जलयानों अर्थात् मछली पकड़ने वाले और इससे इतर जलयानों के अनिवार्य पंजीकरण तथा इन नौकाओं में स्वचालित पहचान प्रणाली (ए.आई.एस.) स्थापित करने/उसका प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

(iii) मत्स्यपालन विभाग ने सभी मछुआरों को बायोमैट्रिक पहचान पत्र जारी करने के लिए कदम उठाए हैं।

(iv) भारत के महापंजीयक (आर.जी.आई.) को, मछुआरों सहित तटीय गांवों में लोगों को बहु-प्रयोजनीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एम.एन.आई.सी.) जारी करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

(v) सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(vi) नौसेना ने सी-इन-सी. तटीय रक्षा के रूप में विद्यमान नौसेना सी-इन-सी के प्रभार में मुम्बई, विशाखापट्नम, कोच्चि तथा पोर्ट ब्लेयर में 4 संयुक्त प्रचालन केन्द्र स्थापित किया गया है। 1000 कार्मिकों तथा 80 द्रुत अवरोधक नौकाओं के साथ एक सागर प्रहरी बल, जो नौसेना आधार तथा साथ-साथ स्थित संवेदनशील क्षेत्रों और सुभेद्य बिन्दुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल होगा, का गठन किया गया है/उसे सुसज्जित किया गया है।

(vii) अर्धवार्षिक आधार पर आयोजित किए जाने वाले सागर कवच जैसे संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास काफी उपयोगी सिद्ध हुए हैं और संयुक्त अभियानों के समन्वय में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। अन्य सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाभ हेतु प्रत्येक अभ्यास में सीखे गए पाठ का प्रचार-प्रसार करने के लिए क्रियाविधियां तैयार की गई हैं। सीखे गए पाठों से सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर) को अवगत कराया जाता है ताकि कमियों को दूर किया जा सके।

(viii) 12 प्रमुख पत्तनों की सुरक्षा की देखभाल का कार्य केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) द्वारा किया जाता है जबकि प्रमुख पत्तनों से इतर पत्तनों की सुरक्षा देखभाल राज्य सरकारों/राज्य समुद्री बोर्डों द्वारा की जाती है। आसूचना ब्यूरो (आई.बी.) ने छोटे पत्तनों के लिए सुरक्षा मानक तैयार किए हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय जहाजों और पत्तन सुरक्षा (आई.एस.पी.एस.) के लिए अनुपालनीय है।

कपास-फसल पर कीट-आक्रमण

2982. डॉ. मंदा जगन्नाथः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में कीट-आक्रमण के कारण कपास-फसल को नुकसान होने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) किसी भी राज्य से कपास की फसल पर गंभीर नाशीजीव घटनाओं की कोई सूचना नहीं हैं। फिर भी, चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र सहित भारत के विभिन्न राज्यों में कपास पर नाशीजीव संख्या अल्प से मध्यम स्तर (0-15 प्रतिशत) तक बढ़ गई।

(ग) कपास फसल पर नाशीजीव हमले के कारण क्षति से बचने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं:-

1. किसान समुदाय में समेकित नाशीजीव प्रबंधन (आई.पी.एम.) के अंतर्गत खेती संबंधी, यांत्रिक एवं जैविकीय नियंत्रण, अंतिम उपाय के रूप में, रासायनिक नियंत्रण सहित नाशीजीव प्रबंधन रण-नीतियों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

2. आई.पी.एम. के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत फार्मर फील्ड स्कूल, दीर्घावधिक एवं लघु आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि किसानों एवं राज्य विस्तार कार्मिकों को आई.पी.एम. के बारे में सशक्त बनाया जा सके।

3. विभिन्न फसलों में संभावित नाशीजीव एवं रोगों की पूर्व चेतावनी देने के लिए नाशीजीव एवं रोग चेतावनी और मॉनिटरिंग कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

4. विभिन्न फसलों में नाशीजीव प्रबंधन के लिए निवारक उपाय के रूप में बीज उपचार अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भूमि पर प्रतिकूल कब्जा

2983. श्री अर्जुन राम मेघवालः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश द्वारा भूमि पर प्रतिकूल कब्जा रखने की समस्या के कारण वहां के विकास में उत्पन्न किसी बाधा से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 06 सितम्बर, 2011 को भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के सीमांकन तथा संबंधित मामले, 1974 के संबंध में करार के एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इस प्रोटोकोल में गैर-सीमांकित भूमि सीमा, विपरीत कब्जे वाली बस्तियों (एन्क्लेवों) और भू-भागों के आदान-प्रदान के संबंध में पुराने भूमि सीमा के मुद्दों का निराकरण दिया गया है। यह दोनों की सरकारों द्वारा अभिपुष्ट किए जाने के अध्यधीन है और यह अभिपुष्टि के लिखतों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगा।

इस प्रोटोकोल के कार्यान्वयन से दोनों देश उन्नत सुरक्षा, व्यापार, पारगमन और विकास के माध्यम से पारस्परिक रूप से लाभप्रद द्विपक्षीय सहयोग के लिए पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करने पर ध्यान संकेन्द्रित कर सकेंगे। इससे सीमा का बेहतर प्रबंधन और समन्वय तथा तस्करी, अवैध क्रियाकलाप तथा अन्य सीमा-पार अपराधों से निपटने की हमारी क्षमता का सुदृढ़ीकरण होने की भी आशा है।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम

2984. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों के मध्य जागरुकता लाने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शुरू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या विद्यमान कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों के लिए सुगम नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी पर किसानों के बीच जागरूकता के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों ने अनेक विस्तार कार्यकलाप आयोजित किए हैं। पिछले तीन तथा चालू वर्ष के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों ने 501.04 लाख किसानों की सहभागिता से 17.52 लाख विस्तार कार्यकलाप आयोजित किए हैं। इन कार्यकलापों में सलाहकारी सेवाएं, नैदानिक दौरे, खेत दिवस, सामूहिक विचार-विमर्श, किसान गोष्ठी, फिल्म-शो, स्वयंसेवा दल के संयोजकों की बैठकें, किसान मेला, प्रदर्शनी, वैज्ञानिकों के खेत दौरे, पादप/पशु स्वास्थ्य कैम्प, फार्म विज्ञान क्लब, पूर्व प्रशिक्षकों का सम्मेलन, किसान सेमिनार/कार्यशाला, प्रक्रिया प्रदर्शन, विशेष दिवस आयोजन तथा जानकारी दौरे शामिल हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा आयोजित अन्य मुख्य कार्यकलापों में समाचार पत्र कवरेज, रेडियो/टीवी वार्ता तथा व्याख्यान, विस्तार साहित्य और लोकप्रिय लेखों का प्रकाशन शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान संचालित कार्यकलाप तथा लाभार्थी किसानों की संख्या संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यद्यपि कुछ कृषि विज्ञान केन्द्र सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं लेकिन यह किसानों की पहुंच से दूर नहीं हैं।

(घ) परिषद् ने किसानों के खेतों में दौरा करने तथा गांवों में आफ-कैम्पस कार्यकलाप आयोजित करने के लिए विषय वस्तु विशेषज्ञों की सहायता के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों को जरूरत आधारित सरकारी वाहन प्रदान किए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कृ.वि.के. द्वारा आयोजित विस्तार क्रियाकलापों की संख्या लाभार्थी किसानों की राज्यवार संख्या

वर्ष	विस्तार क्रियाकलापों की संख्या (लाख में)	लाभार्थी किसानों की संख्या (लाख में)
2009-10	3.68	100.16
2010-11	4.48	106.27
2011-12	5.26	176.25
2012-13	4.10	118.36
कुल	17.52	501.04

[हिन्दी]

सरकारी विभागों पर बकाया

2985. श्री घनश्याम अनुरागीः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रालयों/विभागों पर दूरदर्शन को देय एक बड़ी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मंत्रालयों/विभागों का ब्यौरा क्या है और इन पर बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन द्वारा इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि बकाया देय राशियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i)	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)	9,84,32,609.00 रु.
(ii)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	76,99,452.00 रु.
(iii)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	1,76,86,605.00 रु.
(iv)	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	1,17,13,530.00 रु.
	कुल	**13,55,32,196.00 रु.**

(ग) बकाया देय राशियों की वसूली करने संबंधी मामले को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ सक्रियता से उठाया जा रहा है।

[अनुवाद]

कृषि वैज्ञानिकों के लिए सुविधाएं

2986. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के वैज्ञानिकों और अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को खाद्य-सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अनुसंधान-कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समान सुविधाएं और अवसंरचना प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आई.सी.ए.आर. और अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कितने वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और संगोष्ठियों में भाग लिया और इस पर कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान आई.सी.ए.आर. और अन्य कृषि विश्वविद्यालयों को पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास अपने मेन्डेट (अधिदेश) से संबंधित सभी अत्याधुनिक उपकरणों और यंत्रों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाएं हैं। अनुसंधान संस्थानों में बुनियादी ढांचे को प्रयोगशालाओं और कृषि सुविधाओं के रूप में सुदृढ़ और अत्याधुनिक किया गया है। मानव संसाधन विकास और संकाय सुधार कार्यक्रमों के तहत वैज्ञानिकों को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों और प्रयोगशालाओं में विशिष्ट विषयों में प्रशिक्षित किया जाता है। वैज्ञानिकों को सेमिनारों और संगोष्ठियों में प्रतिभागिता के माध्यम से व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय जानकारी (एक्सपोजर) दी जाती है। संस्थानों में पुस्तकालयों में इन्टरनेट और सी.ई.आर.ए. कनेक्टिविटी के साथ अद्यतन आई.सी.टी. सुविधाएं उपलब्ध हैं। परिषद नियमित रूप से संगठन और प्रबंधन में सुधार करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि वैज्ञानिकों के निष्पादन में सुधार हेतु सकारात्मक वातावरण प्रदान किया जाता है। जहां तक कृषि विश्वविद्यालयों का संबंध हैं वे संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत हैं। तथापि, भा.कृ.अ.प. केवल विशेष उद्देश्यों के लिए सीमित वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

समाचारपत्रों को पैनलबद्ध करना

2987. श्री निशिकांत दुबे: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने हेतु समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को पैनलबद्ध करने के सिलसिले में सरकार/पैनल सलाहकार समिति को प्राप्त आवेदनों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत किए गए आवेदनों/अनुरोधों का भाषा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अस्वीकृत हुए/लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित आवेदनों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक

07-12-2012 तक) के दौरान ऑनलाइन प्राप्त हुए आवेदनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	कुल आवेदनों की संख्या
2009-10	1734
2010-11	3160
2011-12	2932
2012-13	3891
कुल	11717

(ख) उन आवेदनों का भाषा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिनके संबंध में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान 9510 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए क्योंकि वे भारत सरकार की विज्ञापन नीति की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थे।

(घ) नामिकायन की प्रक्रिया एक सतत कार्यकलाप है। तथापि, कोई भी ऐसा आवेदन लंबित नहीं है जोकि सभी मायनों में पूरा हो।

विवरण

ऑनलाइन प्राप्त कुल नए आवेदनपत्र एवं अनुमोदन

क्र.सं.	भाषा	कुल आवेदित	कुल अनुमोदित
1	2	3	4
1.	असमिया	37	13
2.	बंगाली	139	37
3.	बोडो	4	1
4.	डोगरी	4	1
5.	अंग्रेजी	799	191
6.	गढ़वाली	1	0
7.	गारो	2	1
8.	गुजराती	589	79
9.	हिन्दी	7549	1249
10.	कन्नड़	85	31
11.	कार्बी	3	2
12.	कश्मीरी	5	0
13.	खासी	1	1
14.	कोंकणी	2	1
15.	मैथिली	4	1
16.	मलयालम	110	39
17.	मणिपुरी	3	0
18.	मराठी	422	79
19.	मितेलियन	1	1
20.	मिजो	7	2
21.	नागा	2	0
22.	नेपाली	11	5
23.	उड़िया	202	56
24.	पंजाबी	65	25
25.	राजस्थानी	8	2
26.	संस्कृत	8	5
27.	संथाली	2	0
28.	सिंधी	5	1
29.	तमिल	72	26
30.	तेलुगु	534	138
31.	उर्दू	1041	220
		11717	2207

[हिन्दी]

लीची और मखाने का उत्पादन

2988. श्री पूर्णमासी राम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लीची और मखाने के उत्पादन को बढ़ाने और इनके निर्यात और विपणन हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य कोई समन्वय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या बिहार सहित राज्य-वार कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ङ) कृषि एवं सहकारिता विभाग लीची एवं मखाना सहित बागवानी के विकास के लिए पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों (एच.एम.एन.ई.एच.) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के लिए बागवानी मिशन के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन स्कीमों के तहत उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए, फसलोपरान्त प्रबंधन एवं विपणन अवसंरचना के सृजन और प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने वर्ष 2001 में विशेष रूप से मखाना के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रदर्शन करने के लिए दरभंगा, बिहार में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है। सभी किसान, विशेषतः छोटे और सीमांत किसान इन स्कीमों के तहत सहायता पाने के पात्र हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मखाना की खेती के प्रोत्साहन के लिए 710 प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेक्षा), वाणिज्य मंत्रालय शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्रियों के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए अवसंरचना, परिवहन सहायता, गुणवत्ता एवं अनुसंधान विकास पर विभिन्न स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

मत्स्यपालक आवास योजना

2989. श्री शिवराज भैया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केन्द्र-प्रायोजित मत्स्यपालक आवास योजना के अंतर्गत 266.26 लाख रुपये प्रदान करने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निधि में से 133 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और शेष 133.26 लाख रुपये की राशि स्वीकृति हेतु शेष है; और

(घ) यदि हां, तो शेष राशि को कब तक स्वीकृत/जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्रीय प्रायोजित 'राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना' नामक स्कीम के तहत वर्ष 2012-13 के लिए आवासों के ट्यूबवेल और सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए 266.25 लाख रुपए के अनुदान का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) जी, हां। 24-09-2012 को पहली किस्त के रूप में 133.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी।

(घ) राज्य सरकार द्वारा पहली किस्त के उपयोग और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट के साथ इसके उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद शेष राशि जारी की जाती है।

निजी नलकूपों हेतु निधि

2990. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत निजी नलकूपों के विद्युतीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश से 137.73 करोड़ रुपये की धनराशि का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह राशि कब तक स्वीकृत और जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) 137.73 करोड़ रुपये की लागत से निजी नलकूपों के विद्युतीकरण के प्रस्ताव को इस वर्ष की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि, इस पर सहमति नहीं बनी क्योंकि यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन* हुई)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) महोदया, मैंने नोटिस दिया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं आपका नाम पुकारूंगी।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, मैंने नोटिस दिया था, उसका क्या हुआ।

अपराह्न 12.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी समनुषंगियों के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी समनुषंगियों का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड I और II), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी.-7762/15/12)

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.-7763/15/12)

(3) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन, स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन, स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.-7764/15/12)

(5) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.-7765/15/12)

(7) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.-7766/15/12)

उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1)(एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी.-7767/15/12)

(2) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी.-7768/15/12)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ क्रॉप प्रॉसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.-7769/15/12)

(2) एक) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.-7770/15/12)

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-7771/15/12)

(4) (एक) नेशनल मीट एण्ड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली से वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल मीट एण्ड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.-7772/15/12)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.-7773/15/12)

(2) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.-7774/15/12)

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:

(एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.-7775/15/12)

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का. आं. 2663(अ) जो 31 अक्तूबर, 2012 के भारत में राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत यूरिया और जिंकेटेड यूरिया के मूल्यों के नियतन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी.-7776/15/12)

(6) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.-7777/15/12)

(7) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.-7778/15/12)

(8) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.-7779/15/12)

(9) (एक) नेशनल लेबर को-ऑपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लेबर को-ऑपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी.-7780/15/12)

अपराह्न 12.01 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कृषि मंत्रालय के पशुपालन डेरी और मात्स्यिकी विभाग से संबंधित 'पशुपालन क्षेत्र की रोज़गार सृजन संभावना का ईष्टमतीकरण' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): महोदया, मैं श्री शरद पवार जी की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

मैं लोक सभा में कार्य की प्रक्रिया एवं आचरण संबंधी नियमों के अंतर्गत 01 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन—भाग-II के तहत माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73क के अनुसरण में कृषि संबंधी संसदीय स्थाई समिति के 36वें

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 7781/15/12

प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के क्रियान्वयन की स्थिति पर यह विवरण दे रहा हूं।

कृषि संबंधी संसदीय स्थाई समिति (पी.एस.सी.ए.) द्वारा 'पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (डी.ए.डी.एफ.) के पशुपालन में रोजगार सृजन संभावनाओं को बढ़ाने के संबंध में जांच की गई है और 22 मई, 2012 को लोक सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रतिवेदन में 23 टिप्पणियां/ सिफारिशें शामिल हैं। सरकार की ओर से की गई कार्रवाई के संबंध में उत्तर 21 अगस्त, 2012 को समिति को भेज दिये गये हैं।

कृषि संबंधी संसदीय स्थाई समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में की गई कार्रवाई की स्थिति संलग्न विवरणों में दी गई हैं।

अपराह्न 12.01½ बजे

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): महोदया, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली (माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा लोक सबा बुलेटिन-भाग-2 दिनांक 01 सितम्बर, 2004 द्वारा जारी ग्यारहवां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

खाद्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी संसदीय स्थायी समिति के उपर्युक्त प्रतिवेदन में शामिल सभी सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई/स्थिति को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में अलग से दिया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा समिति के 17वें प्रतिवेदन में 27 सिफारिशों की सावधानी पूर्वक जांच की गई है। 27 सिफारिशों में से 25 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और 02 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है।

समिति को दिनांक 1 अगस्त, 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या जी-20017/12/2012-ए.सी. के द्वारा 17वें प्रतिवेदन के संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत करा दिया गया था।

*सभा पटल पर रखी गयी तथा ग्रंथालय में भी रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7782/15/12

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आप धान की कुछ व्यवस्था कीजिए, उत्तर प्रदेश में धान की स्थिति बहुत खराब है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

(तीन) (क) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): महोदया, मैं दिनांक 01 सितम्बर, 2004 को लोक सभा बुलेटिन-भाग-II के तहत जारी लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के उपबंधों के तहत जारी माननीया अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देशों के अनुसरण में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों (2012-13) पर विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने दिनांक 7 मई, 2012 को लोक सभा के पटल पर अपना 162वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था तथा रिपोर्ट के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है जिसे कृपया सदन के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाए।

अपराह्न 12.02½ बजे

(तीन) (ख) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित उत्तर-पूर्व हस्तशिल्प और हशकरघा विकास निगम लिमिटेड का पुनरुद्धार और पुनर्गठन के बारे में

*सभा पटल पर रखी गयी तथा ग्रंथालय में भी रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7783/15/12

उद्योग संबंधी समिति के 223वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पणियों के संबंध में समिति के 231वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): महोदया, मैं दिनांक 01 सितम्बर, 2004 को लोक सभा बुलेटिन-भाग-II के तहत जारी लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के उपबंधों के तहत जारी माननीया अध्यक्ष, लोकसभा के निर्देशों के अनुसरण में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लि. के पुनरुद्धार और पुनर्गठन पर समिति के 223वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों पर उद्योग संबंधी विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 231वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें के कार्यान्वयन की स्थिति पर मैं यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

उद्योग संबंधी स्थायी समिति ने दिनांक 28 मार्च, 2012 को लोक सभा में अपने दो सौ इकतीसवीं प्रतिवेदन (231वें प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था तथा प्रतिवेदन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है जिसे कृपया सदन के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाए।

अपराह्न 12.03 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

वालमार्ट द्वारा कथित लॉबिंग के बारे में

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अब हम जीरो ऑवर लेते हैं, श्री यशवंत सिन्हा जी आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): मैडम, हम लोगों ने कोल घोटाले वाले मामले पर नोटिस दिया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, हम उस पर भी आ रहे हैं। हम आपको जीरो ऑवर में बुलायेंगे। अब जीरो ऑवर शुरू हो गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: महोदया, इतना बड़ा कोल घोटाला देश में हुआ है, वह देश की जनता के सामने आना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उन्हें बोलने दीजिए। हम एक-एक करके बुलायेंगे। आप क्या कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.04 बजे

इस समय रमाशंकर राजभर तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): ये सारी स्थिति वालमार्ट पर चर्चा न हो, उसके लिए है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, हम आपको भी बुलायेंगे।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): ये लोग कांग्रेस की मदद कर रहे हैं।...(व्यवधान) क्योंकि इन्होंने वालमार्ट के पक्ष में वोट दिया है। ये वालमार्ट के हितैषी लोग हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सभी को बारी-बारी बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपको भी बुला लेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: दारा सिंह जी, पहले इनको बुला लेंगे, फिर आपको बुला लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: कोयला घोटाला सामने लाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

इस समय श्री एम.वी. राजेश तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों आए हैं। कृपया वापस जाइये।

...*(व्यवधान)*

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7784/15/12.

अध्यक्ष महोदया: उन्हें बोलने दीजिए। यह बहुत बुरी बात है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया: क्या आप बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं सुन सकती हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: मैडम, मैं बहुत आभारी हूं...*(व्यवधान)* कि आपने मुझे यह मौका दिया ...*(व्यवधान)* कि मैं वॉलमार्ट की...* का मुद्दा इस सदन में उठा सकूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया इस शब्द का इस्तेमाल मत कजिए। यह असंसदीय भाषा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप अन्य शब्द का उपयोग कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: लॉबिंइग की हिन्दी...होती है। ...*(व्यवधान)* आप देख लीजिएगा।....*(व्यवधान)* मैं शब्दों पर नहीं अड़ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा: मैडम, मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)* वह यह है कि...*(व्यवधान)* अमेरिका के साथ हमारे कई सारे मुद्दों पर मतभेद हैं...*(व्यवधान)* लेकिन अमेरिका के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा...*(व्यवधान)* कि हमारे सिस्टम की तरह उनका सिस्टम ओपेक नहीं है।...*(व्यवधान)* उनका सिस्टम पारदर्शी है।...*(व्यवधान)* और उस पारदर्शिता का ही नतीजा है...*(व्यवधान)* कि आज के दिन वॉलमार्ट के काले कारनामों का एक चित्र हमारे सामने आया है...*(व्यवधान)*

मैडम, अमेरिका के सीनेट में उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है...*(व्यवधान)* उस रिपोर्ट के अनुसार यह साबित हो गया है कि...*(व्यवधान)* वालमार्ट ने भारत में रीटेल ट्रेड में एफ.डी.आई. लाने के लिए...*(व्यवधान)* पैसे खर्चे हैं।...*(व्यवधान)* वे पैसे उन्होंने भारत में खर्चे हैं।...*(व्यवधान)* यह रिपोर्ट उन्होंने अमेरिका के संसद को दी है।...*(व्यवधान)* लेकिन यह रिपोर्ट यह नहीं कहती है कि वे पैसे अमेरिका में खर्चे गए हैं।...*(व्यवधान)* यह पैसा भारत में खर्चा गया है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.10 बजे

इस समय श्री एम.वी. राजेश तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

प्रश्न यह उठता है कि उनका यह पैसा किस चीज के ऊपर खर्च हुआ, किसको-किसको उन्होंने दिया?...*(व्यवधान)* आप जानते हैं कि जब एफ.डी.आई. रिटेल के ऊपर डिबेट हुई थी तो उसमें माननीय सांसदों के द्वारा यह बात उठायी गयी थी कि वॉलमार्ट में भयंकर वित्तीय गड़बड़ी हुई है और वॉलमार्ट उसकी जांच भी कर रहा है।...*(व्यवधान)* और उसके चलते उन्होंने, उनका जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था और अन्य पदाधिकारियों को उन्होंने निलंबित कर दिया है।...*(व्यवधान)* अब जो यह खुलासा हुआ है अमेरिकी संसद में, उसने यह साफ जाहिर हो गया है कि वॉलमार्ट ने देश में विदेशी पूंजी रिटेल क्षेत्र में लाने के लिए यहां भी उन्होंने लोगों को पैसा खिलाया है।...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि यह भी खबर सामने आयी है कि अमेरिका में एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टीगेशन चल रहा है। जिसमें भारत के चार पदाधिकारियों के ऊपर अमेरिका में वॉलमार्ट से पैसे खाने के लिए जांच हो रही है।...*(व्यवधान)* चार पदाधिकारियों के खिलाफ अमेरिका में जांच हो रही है।...*(व्यवधान)* अमेरिका में जांच हो रही है, लेकिन भारत में कोई जांच नहीं हो रही है क्योंकि यहां लोग पैसे खाकर बैठ गये हैं।...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मुद्दा है।...*(व्यवधान)* यह हमारे देश की इज्जत का सवाल है।...*(व्यवधान)* हमारे देश की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गयी है।...*(व्यवधान)* हमारे देश की कोई प्रतिष्ठा नहीं बची है।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसमें एक टाइम बाउंड जूडिशियल इंक्वायरी की जाये।...*(व्यवधान)* टाइम बाउंड जूडिशियल इंक्वायरी की जाये।...*(व्यवधान)* साठ दिनों के भीतर यह इंक्वायरी समाप्त होनी चाहिए और देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए कि वॉलमार्ट का पैसा किसने-किसने खाया?...*(व्यवधान)* कितना खाया, कौन-कौन लोग खाने वाले हैं?...*(व्यवधान)* पैसा खाने वालों का नाम बताओ।...*(व्यवधान)* मैं सरकार से कहता हूं कि आप इस सदन में इंक्वायरी अनाउंस करें और बतायें कि अब तक उसमें उन लोगों के खिलाफ क्या-क्या कदम उठाये हैं जिन्होंने वॉलमार्ट से पैसा लिया है?...*(व्यवधान)* कितना पैसा

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खाया है, किसने पैसा खाया है, कहां-कहां पैसा जमा है, स्विस बैंक में जमा है...*(व्यवधान)* कहां जमा है?...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं चाहता हूं कि अभी तत्काल सरकार की तरफ से यह बयान आये कि वह एक टाइम बाउंड जूडिशियल इंक्वायरी करायेगी।...*(व्यवधान)* किसने पैसा खाया, इसका पता लगना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.12 बजे

इस समय श्री रमाशंकर राजभर तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्वयं को सम्बद्ध करना चाहते हैं वे सभा पटल पर पर्ची भेज सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यदि आप स्वयं को सम्बद्ध करना चाहते हैं तो सभा पटल पर अपनी पर्ची भेजें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री अशोक अर्गल, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, डॉ. संजय जायसवाल, श्री प्रहलाद जोशी, श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर, श्री गजानन ध. बाबर, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बिजू, श्री शिवकुमार उदासी, श्री जोसेफ टोप्पो, डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, श्री रमेन डेका, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री शिवराज भैया, श्री राकेश सिंह, श्री शिवराम गौड्डा और प्रो. सौगत राय अपने आपको श्री यशवंत सिन्हा जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैंने भी नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: पूरी चर्चा नहीं हो सकती।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कमलनाथजी, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.13 बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी, श्री पी. करुणाकरण, श्री सी. शिवासामी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदया: उन्हें जवाब देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ): कल्याणजी, मुझे अपना भाषण पूरा करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी उत्तर देने दीजिए। उन्होंने कुछ कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह जो चल रहा है कोई चर्चा नहीं है। हम 'शून्यकाल' में चर्चा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, सदन के नेता कुछ कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब सदन के नेता बोलें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): महोदया, श्री यशवंत सिन्हा जी ने एक बयान दिया था और मेरे संसदीय कार्य मंत्री जी इसका जवाब देने वाले हैं।...*(व्यवधान)* विशेष रूप से वॉलमार्ट के बारे में श्री यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा है संसदीय कार्य मंत्री जी उसका उत्तर देंगे।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.15 बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

श्री कमलनाथ: महोदया, क्या मैं एक वक्तव्य दे सकता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जी, हां।

...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: महोदया, वॉलमार्ट द्वारा भारत सहित विभिन्न देशों में लॉबिंग पर किए गए खर्च के बारे में अमेरिकी कानूनों के अंतर्गत कथित रूप से दी गई जानकारी के बारे में रिपोर्ट से हमें ज्ञात हुआ है...*(व्यवधान)* सरकार को, सभा के

सभी पक्षों के साथ, इस संबंध में चिंतित है और जहां तक भारत का संबंध है इसके तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस संबंध में कोई भी जांच कराने में इसे कोई संकोच नहीं है...*(व्यवधान)* हम सभा में इस पर आगे कार्रवाई के बारे में घोषणा करूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: दारा सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने कीजिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 02.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण अब समय 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं सभापटल पर पर्ची रख दें। केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

(एक) पश्चिम बंगाल में भूमि हड़पने वाले माफियाओं द्वारा पीड़ित लोगों की शिकायतों का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस (नाम निर्देशित): पश्चिम बंगाल में भूमि पर कब्जा करने वाले माफियाओं के बारे में खबरें चौंकाने वाली है क्योंकि कई गरीब और असहाय लोग इस माफिया के शिकार बन रहे हैं। सामान्यतः कानून का पालन करने वाले, सरल और स्पष्टवादी लोग कुछेक लोगों के धन बल और बाहुबल के कारण परेशान हो रहे हैं। वृद्धजन और विधवाओं को भी भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों द्वारा निशाना बनाया जाता है। क्योंकि वे असाहाय हैं और कई मामले उजागर हुए हैं।

भूमि पर कब्जा करने वाले लोग अमूनन फर्जी दस्तावेज तैयार करके चालबाजी करते हैं और असहाय लोग को अपनी शर्तें मननाने के लिए बाध्य करते है तथा यदि भू-स्वामी इंकार करते हैं या प्रतिरोध करते हैं तो वे धमकी देते हैं और बाहुबल का प्रयोग करते हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब लोग पुलिस से संपर्क करते हैं तो वे मामले को लंबा खींचते हैं और यहां तक कि वे भूमि के वास्तविक स्वामी को जमीन पर कब्जा करने वाले ऐसे लोगों को इसे बेचने की सलाह देते हैं जो फर्जी दस्तावेजों की ब्यानबाजी करते हैं। कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं कि भू माफिया गुंडों का सहारा लेते हैं और असाहाय लोगों के घरों को नुकसान पहंचाते हैं और जबरन उनकी जमीन हथियां लेते हैं। सरकार को इस मामले पर अविलंब ध्यान देना होगा तथा राज्य सरकारों को सतर्क करना होगा तथा अभी विभिन्न न्यायालयों और थानों में लंबित ऐसे मामलों के ब्यौरे को एकत्र करना होगा तथा पीड़ितों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपर्युक्त कदम उठाना होगा।

(दो) देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लाभार्थियों को आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड): मनरेगा की शुरुआत केन्द्र सरकार ने की थी जिसमें 53 मिलियन परिवारों को न्यूनतम 160 रुपए प्रतिदिन की दर से 100 दिनों के रोजगार की गारंटी और देश में बुनियादी ढांचे का विकास करने का आश्वासन दिया गया था।

अकेले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मनरेगा के अंतर्गत लगभग 70,000 लाभार्थी हैं और पूरे देश में लाखों लाभार्थी हैं। सामान्यतः 100 दिनों के कार्यदिवस को छोड़कर अधिकांश मनरेगा लाभार्थी को रोजगार नहीं है और वे अपने परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम हैं।

यह सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वे इन गरीब लोगों को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ध्यान दे। यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे मनरेगा लाभार्थियों को बी.पी.एल. कार्डों के माध्यम से खरीदे जा रहे चावल, गेहूं और मोटे अनाज राजसहायता प्राप्त दर पर मुहैया कराएं।

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

इसी तरह मनरेगा के अंतर्गत शामिल किए गए अधिकांश लोग बेघर हैं। बदले आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य के कारण ऐसी ही स्थिति विशेषकर वृद्ध महिलाओं की भी है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोगों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए पहल की जाए कि दोनों प्रकार की श्रेणियों के व्यक्तियों को कम से कम **5 सेंट भूमि** और छोटा घर प्रदान किया जाए तथा पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या मुहैया कराई जाए।

(तीन) अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहने वाले लोगों के कल्याण को देखते हुए वन और कृषि भूमि के अधिग्रहण से संबंधित विधियों का संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे (भिवन्डी): देश में जंगलों से सटे इलाकों में किसानों की खेती की जमीन वन विभाग द्वारा अधिग्रहण की जा रही है। जिसके कारण इलाके के किसानों में तीव्र आक्रोश है। किसानों के जमीन के कागजात पूर्वजों के नामों पर ही हैं। संयुक्त परिवार और फिर परिवार के कई टुकड़े होने के बाद जमीन का बंटवारा तो हो जाता है लेकिन उस जमीन के कागज तो पूर्वजों के नाम पर ही है। जंगलों से सटे इलाके में किसानों के खेती की जमीन को वन विभाग द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है। खेती के अलावा किसानों को कोई रोजगार नहीं है। जो कुछ जमीन है, अगर उसे अधिग्रहित कर लिया जाएगा तो किसानों के परिवारों में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

अत: सरकार से मैं मांग करता हूं कि वन भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किए जाएं और वन विभाग द्वारा किसानों की खेती की जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए।

(चार) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार व्यक्त करने हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े मेरे लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी में शिक्षा हेतु इंटर कॉलेज खोलने के संबंध में है।

मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा घोषित शैक्षणिक रूप से पिछड़े जनपदों में बाराबंकी जनपद भी एक है। मेरे द्वारा समय-समय पर बाराबंकी में शिक्षा के क्षेत्र में आयाम स्थापित किये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मेरे प्रस्ताव पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बाराबंकी के कुछ क्षेत्रों में स्थापित शिक्षा व्यवस्था बाढ़ की चपेट में आने से प्रतिवर्ष प्रभावित भी होती है।

मेरे द्वारा मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंट के तहत बाराबंकी के किन्तुर, सुबेहा, हसनपुर टांडा, लालपुर करोत, गणेशपुर, हैदरगढ़, बांसा, भयारा, इब्राहीमाबाद में इण्टर कॉलेज खोलने का प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर मानव संसाधन मंत्रालय ने बजट का अभाव बताते हुए कॉलेज खोलने का प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बजट का अभाव बताते हुए कॉलेज खोलने से मना कर दिया। मेरे द्वारा पुन: प्रयास जारी रखने के बाद मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा केवल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ स्कूलों को 12वीं तक विस्तारित करने का उपाय बताया गया, जो केवल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और इसके अंतर्गत भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

(पांच) महाराष्ट्र के पुणे शहर में वनाज-रामवाडी मेट्रो कोरिडोर के लिए केन्द्रीय सरकार का हिस्सा जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाड़ी (पुणे): पुणे शहर देश में बहुत तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है। पुणे इस समय 48 लाख की आबादी तथा अनुमानत: 24 लाख वाहनों के पंजीकरण वाला देश में अत्यधिक भीड़भाड़ तथा प्रदूषित शहरों में से एक महानगरीय क्षेत्र है। इस शहर में प्रतिदिन लगभग 400-500 नए वाहनों का पंजीकरण हो रहा है। जिसके कारण प्रदूषण और भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पुणे और पिम्परी-चिंचवाड़ नगरपालिका निगम ने संयुक्त रूप से पुणे नगर हेतु मेट्रो पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अध्ययन करने और इसे तैयार करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम को नियुक्त किया है।

डी.एम.आर.सी. में कुल 31.5 कि.मी. की लंबाई वाला दो गलियारा (1) पिम्पटी-चिंचवाड़ से स्वरगेट (2) बनाज-रामवाडी गलियारा पर अपनी अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपी है।

उन दोनों परियोजनाओं में से महाराष्ट्र सरकार और पुणे नगरपालिका निगम (बनाज-रामवाडी गलियारा जिसकी लम्बाई 14.95 किलोमीटर है उसके लिए प्रारंभ में भारत सरकार की 20% की इक्विटी हिस्सेदारी तथा महाराष्ट्र सरकार की 20% हिस्सेदारी अर्थात 518.60 करोड़ रुपए दोनों व्यय करने पर सहमत हुए हैं। बनाज-रामवाडी गलियारा पूरी तरह ऊर्ध्वगामी (इलीवेटेड) है तथा बिना किसी जटिलता के लागू किया जा सकता है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे दिल्ली मेट्रों की भांति शीघ्रातिशीघ्र परियोजना लागत में इक्विटी हिस्सेदारी जारी करे और इस परियोजना को केन्द्रीय करों से पूरी तरह मुक्त करें जो परियोजना लागत का महत्वपूर्ण घटक है।

[अनुवाद]

(छह) तमिलनाडु के कांचीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपारों पर चौकीदारों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. विश्वनाथन (कांचीपुरम): दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल में बिना चौकीदार वाले कुल 60 समपारों में से 9 बिना चौकीदार वाले समपार कांचीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है, जिस पर रेलवे प्राधिकारियों को भविष्य में किसी प्रकार की मानवीय दुर्घटना को टालने के लिए शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है।

उप शहरी नेटवर्क पर यात्रियों की संख्या गत दो वर्षों के दौरान लगभग 7 लाख यात्रियों से बढ़कर 1 मिलियन प्रतिदिन हो गया है। जबकि चेन्नई बीच और तामंबरम के बीच चलने वाली ईएमयू सेवाएं प्रतिदिन 4.50 लाख यात्रियों की सेवा करती है, चेन्नई सेंट्रल और अरकोनम के बीच संचालित उपशहरी सेवाओं पर 2.75 लाख यात्री निर्भर है, चेन्नई सेन्ट्रल और गुम्मीदीपुंडी और ताम्बरम और चेंगालुपट्टु के बीच संचालित ईएमयू सेवाओं का एक लाख यात्री प्रयोग करते हैं। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लगभग 1 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते है। इससे बिना चौकीदार वाले समपारों के रास्ते में कई रेलगाड़ियों के संचालन में मुश्किलें आती हैं।

तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में तिरुमलपुट के निकट बिना चौकीदार वाले समपार पर एक मिनी बस के रेलगाड़ी से टकरा जाने से 16 अप्रैल, 2007 को 11 लोग मारे गए। रेलगाड़ी के रुकने तक लगभग 1 किलोमीटर तक मिनी बस घसीटती चली गई। केन्द्रीय रेल राज्य-मंत्री जी ने रेल प्रशासन को बिना चौकीदार वाले समपारों एक प्रदीप्त प्रकाश वाली चेतावनी सुविधा स्थापित करने का निर्देश दिया।

लोगों के जीवन को बचाने के लिए केवल चेतावनी पर्याप्त नहीं है। रेल मंत्रालय को जनसाधारण के हित में बिना चौकीदार वाले इन समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदलने अथवा किसी प्रकार का पुल तैयार करने हेतु शीघ्र कदम उठाना चाहिए।

(सात) महाराष्ट्र के दिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल टेलीफोन सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण (दिंडोरी): समूचे भारत में मोबाइल क्रांति आ चुकी है लेकिन इस दौर में भी मेरा संसदीय क्षेत्र संचार सेवाओं से अभी भी पूरी तरह से वंचित है। मेरे संसदीय क्षेत्र, दिंडोरी लोक सभा क्षेत्र की गणना महाराष्ट्र राज्य के जनजाति बहुल एवं अति पिछड़े हुए क्षेत्रों में की जाती है। नासिक जनपद के काठिपाड़ा, रगतविहीर ग्राम सहित दिंडोरी, कडवन पेट, सुरगाना व कई अन्य ऐसी तहसीलें जो गुजरात राज्य की सीमाओं के निकटवर्ती क्षेत्रों में आती हैं। मेरे इन समस्त क्षेत्रों में खासकर उक्त दोनों गांवों में बी.एस.एन.एल. सहित किसी भी निजी क्षेत्र की मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के टावर उपलब्ध न होने के कारण समूचा क्षेत्र दूरसंचार के साधनों मोबाइल सेवाओं से अछूता बना हुआ है। गुजरात की सीमाओं से लगे होने तथा अपने गृह राज्य की मोबाइल सेवाओं की लचर स्थिति के कारण यहां के लोगों को रोमिंग शुल्क देना होता है। जिसके कारण यहां के लोगों को दूर-दराज रह रहे अपने परिजनों से संवाद स्थापित करने में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त उल्लिखित क्षेत्रों में संचार सेवाओं की शीघ्र बहाली हेतु सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की मोबाइल कंपनियों को टावर स्थापित करने के लिए अविलंब आदेश दिए जाएं, जिससे पूरे क्षेत्र में मोबाइल सेवाएं शीघ्र संचालित हो सकें।

(आठ) झारखंड में सेंट्रल कोल लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तेनुघाट बांध से पेयजल प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): झारखण्ड राज्य में स्थित भारत सरकार के उपक्रम सेन्ट्रल कोल लिमिटेड के क्षेत्र में पेयजल की घोर समस्या को देखते हुए, मेरे संसदीय क्षेत्र के बोकांरो जिला में तेनु घाट डैम से बोकारो करगली, कथारा एवं डोरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजना सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभाग (सी.सी.एल.) को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ताकि क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल की समस्या से निजात मिल सके। साथ ही साथ कोल इण्डिया के द्वारा पूर्व में कोल ट्रैंक रोड का निर्माण किया गया था जो वर्तमान में काफी जर्जर स्थिति में है, इस कारण से क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अत: जनहित को ध्यान में रखते हुए जमुनिया पुल से लेकर गोमियां तक के मार्ग का पुन: निर्माण एवं-मजबूतीकरण करने हेतु संबंधित विभाग (सी.सी.एल.) को आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

(नौ) उत्तर प्रदेश के चंदौली मझबार रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामक्रिशुन (चन्दौली): नई दिल्ली-मुगलसराय-गया रूट पर चन्दौली मझबार रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र में

स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जो जनपद का मुख्यालय भी है। यहां कोई भी महत्वपूर्ण रेलगाड़ी का ठहराव नहीं होने से यहां के यात्रियों तथा नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अत: भारत सरकार से मेरी मांग है कि जनहित में निम्न गाड़ियों का ठहराव दिए जाने की व्यवस्था की जाए:

1. गया एक्सप्रेस	-	12937/12938
2. झारखण्ड एक्सप्रेस	-	12818/12819
3. लखनऊ हावड़ा एक्सप्रेस	-	12354/12353
4. पुरूषोत्तम एक्सप्रेस	-	12802/12801
5. जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट	-	12308/12307
6. शिप्रा एक्सप्रेस	-	22911/22912

साथ ही पटना मुगलसराय रूट पर स्थित जमनियां रेलवे स्टेशन (दानापुर रेल मंडल) पर गाड़ी संख्या 12791/12792 का ठहराव देने की मांग मैं भारत सरकार से करता हूं।

(दस) उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कृषक संघर्ष के नायक तथा सामाजिक सुधारक मदारी पासी के सम्मान में एक स्मारक स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): सामाजिक क्रांति के अमर सेनानी जननायक मदारी पासी सामंत जमींदार या साधन संपन्न व्यक्ति नहीं थे। वह दलित वर्ग के पासी समाज के एक साधारण किसान के पुत्र थे। उनका जन्म उ.प्र. राज्य के हरदोई, जिला की सण्डीला तहसील के ग्राम मोहन खेड़ा में वर्ष 1860 में हुआ था। उन्होंने मनुवादी असमानतापूर्ण वर्ण व्यवस्था को सहते हुए अवध के संपूर्ण किसानों और मजदूरों की अस्मिता की समस्या के समाधान हेतु एक आंदोलन का नेतृत्व किया और समाज को सही दिशा देकर मानव जीवन में सत्य और अहिंसा का प्रचार प्रसार किया।

मदारी गांव के शूद्र समाज की दयनीय दशा से चिंतित और दुखी थे। मनुवादी अन्यायपूर्ण सामाजिक वर्ण व्यवस्था के कारण उन्हें अछूत माना जाता था। उन्हें दूना ही नहीं देखना भी पाप माना जाता था तथा उन्हें अनेक घृणात्मक नामों से पुकारा जाता था। उन पर अनेक प्रतिबंध लगाये गए थे। वह सार्वजनिक तालाब के पास नहीं जा सकते थे और मंदिरों में भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। दलित समाज का हर व्यक्ति गांव के साहूकारों के कर्ज में डूबा हुआ था। उसकी दयनीय दशा का मुख्य कारण धार्मिक कर्मकांड, फिजूलखर्ची और नशीली वस्तुओं का अधिकाधिक सेवन था। उनकी अज्ञानता, अंधविश्वास और शिक्षा की कमी भी उनकी निर्धनता को बढ़ाती थी।

मदारी पासी समाज की पंचायतों में नशा न करने, आमदनी से अधिक खर्च न करने और कर्ज न लेने की सलाह देते थे और उसकी बुराइयों को भी प्यार से समझाते थे। वह जुआं न खेलने और व्यभिचार से बचने की भी सलाह देते थे। वह जन्म-मरण और सादी-विवाह के भोज जिसमें मांस और शराब जरूरी होती थी, को फिजूल का खर्च बताते और उसे बंद करने हेतु प्रोत्साहित किया करते थे। मदारी समाज के कमजोर और निर्बल वर्ग के कल्याण हेतु सदैव निष्ठा और समर्पित भावना से सहयोग करने में रुचि रखते थे। सामाजिक कार्यों से मदारी की गरिमा समाज में बढ़ी। मदारी ने अपने क्रांतिकारी सामाजिक कार्यों से समाज में बहुत ख्याति अर्जित की। उनके महत्व और ख्याति से प्रभावित होकर कांग्रेस के स्थानीय नेता उनको अपनी विशेष बैठकों में आमंत्रित किया करते थे। वह अपने विश्वसनीय साथियों के साथ इन बैठकों में सम्मिलित हुआ करते थे। इन बैठकों में अंग्रेजी शासन की जन विरोधी नीतियों की तीव्र आलोचना की जाती थी और उन्हें विदेशी बताकर उनका विरोध करने को प्रोत्साहित किया जाता था। आज सामाजिक विकास और मानव कल्याण हेतु उनके आदर्शमय संदशों और क्रांतिकारी विचारों के व्यापक प्रचार-प्रसार की अति आवश्यकता है।

अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह मदारी पासी, जिन्होंने दलित और शोषित समाज में साहस, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सहअस्तित्व की सुरक्षा के प्रति ललक और जागरूकता पैदा की और साधारण जनता में भाईचारा, देश भक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और मानव कल्याणकारी भावना को बढ़ाने का साहसपूर्ण कार्य किया, उनकी स्मृति में उ.प्र. राज्य के हरदोई तहसील सण्डीला के पहाड़पुर अटरिया में उनका भव्य स्मारक बनाकर निकटवर्ती क्षेत्र के केंद्रीय स्तर पर तीव्र विकास किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

(ग्यारह) बिहार के सहरसा जिले के कारू खिरहर मंदिर के आस-पास के क्षेत्रों को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): बिहार राज्य के सहरसा जिला अंतर्गत महिषी दक्षिणी पंचायत के महपुरा में बाबा कारू खरहरी स्थान कोशी नदी के किनारे अवस्थित है। 17वीं शताब्दी में मिथिला के गौरव गाथा के इतिहास में बाबा कारू खिरहर एक महान सत्यवान और सिद्ध पुरुष हुए। कहा जाता है कि बाबा कारू खिरहर की लाखों गाएं थीं। ये पशु देवता के रूप में जाने जाते हैं। प्राचीन काल से ही कई क्विंटल दूध प्रतिदिन बाबा कारू खिरहर स्थान में पशु पालक चढ़ावा चढ़ाते हैं। दशहरा के अवसर पर तो कई टन दूध

चढ़ता है जिसका खीर बनाकर प्रसाद वितरित किया जाता है। बाबा के सेवक जिस दूध का खीर नहीं बना पाते उसे कोशी नदी में बहा दिया जाता है। कोशी एवं मिथिला के क्षेत्रों में गाय एवं भैंसों को बच्चा होने पर बाबा कारू स्थान में पशुपालक उसके दूध का चढ़ावा करते हैं। मान्यता है कि बाबा कारू खिरहर के लहटा बथान (बरैठा) पर बीमार पशु को ले जाने पर वह ठीक हो जाता है। आज भी बाबा कारू खिरहर लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यहां लाखों पर्यटक प्रत्येक साल आते हैं। करोड़ो लोगों का यह श्रद्धा केद्र है। इसका बहुत ही ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है।

अत: सरकार (पर्यटन मंत्रालय) उपरोक्त स्थल को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करें।

(बारह) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ पर लगाए गए प्रस्तावित प्रतिबंध को हटाए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने राष्ट्रीय खेल संहिता के विरुद्ध चेतावनी की अनदेखी करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के प्रत्यक्ष रूप से निलंबित कर दिया है। ऐसा लंदन में ओलंपिक में भारत के अब तक के बेहतर प्रदर्शन के कुछेक महीनों के बाद हुआ है। आई.ओ.जी. के सरकार के हस्तक्षेप पर टिप्पणी की और कहा कि सरकार की खेल संहिता के अनुरूप अपने चुनाव कराने के लिए आई.ओ. ने निर्णय लिया और ओलंपिक घोषणा पत्र इसका कारण नहीं था। सरकार हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं है और सबसे बड़े लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले मामले पर उचित कार्रवाई करे। हमारे हजारों हजार खिलाड़ी और महिलाएं इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिबंध के कारण किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। यह सरकार का नरम दायित्व है कि वह इस विलंबन को समाप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों पर प्रस्तावित प्रतिबंध को हटाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करे।

(तेरह) बेंगलुरू और नागरकॉयल के बीच प्रतिदिन ट्रेने चलाए जाने तथा साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 16537/16538 को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी): त्रिवेन्द्रम-नागरकोयल-कन्याकुमारी रेल लाइन को अप्रैल, 1979 में खोला गया और यह मेदुरई मंडल का एक भाग था। इस बड़ी लाइन को अक्तूबर, 1979 में त्रिवेन्द्रम मंडल को हस्तांतरित किया गया। त्रिवेन्द्रम मंडल में विलय के बाद से कन्याकुमारी जिलों की मंडल द्वारा अनदेखी की गई चाहे यह रेल्वे बुनियादी ढांचा मुहैया कराने के बारे में हो आवश्यक रेलगाड़ी सेवा प्रदान करने हेतु हो या यात्री सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने के बारे में हो। कन्याकुमारी जिले में रेलवे अवसंरचना की कमी है। अधिक रेलगाड़ी सेवाओं हेतु अनुरोध को सदैव इस कारणवश अस्वीकार कर दिया गया। त्रिवेन्द्रम मंडल कन्याकुमारी में रेल बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने पर कोई ध्यान नहीं देता है लेकिन त्रिवेन्द्रम के बरास्ते अधिक रेल सेवाओं का संचालन करके केरल के लाभ हेतु मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है जबकि जनसाधारण की मांग मदुरई के बरास्ते अधिक रेलगाड़ी सेवाएं शुरू करने की है।

बंगलौर और नागरकॉयल के बीच दैनिक रेलगाड़ी की बहुत दिनों से मांग होती रही है। लेकिन सरकार ने पहले कई वर्षों के दौरान जनता की मांग नहीं सुनी। लेकिन वर्ष 2010-11 बजट में एक साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी (16537/16538) की घोषणा की गई लेकिन हमारे उम्मीदों के प्रतिकूल एक साप्ताहिक रेलगाड़ी शुरू की गई। इस रेलगाड़ी के आगमन और प्रस्थान का समय और दिन यात्रियों के लिए अनुकूल नहीं है। सभी तीर्थयात्री पूरे वर्ष त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी जिलों से बेलामगन्नी जाते है। अभी जनता और तीर्थयात्री को सड़क द्वारा बेलागन्नी की यात्रा करने में काफी दिक्कतें आती है। तंजावुर, नागपट्टिनम और वेलानगन्नी जैसे स्थान हमारे देश के तीन महत्वपूर्ण धर्मों से अच्छी तरह जुड़े हैं। यदि एक रात्रिकालीन द्रुतगामी रेलगाड़ी नागपट्टिनम, तंजावुर, त्रिची, डिंडीगुल, मदुरई, तिरूनेलवली नागरकोयल और त्रिवेन्द्रम के बरास्ते बेलानगन्नी और त्रिवेन्द्रम के बीच चलाई जाती है तो अनेक तीर्थयात्रियों को लाभ मिलेगा। मैं सरकार से दैनिक रात्रिकालीन द्रुतगामी रेलगाड़ी सेवा शुरू करने का अनुरोध करती हूं।

मैं सरकार से कन्याकुमारी जिलों के रेलवे स्टेशनों में बुनियादी सुविधाओं, रेलगाड़ी सुविधाओं और यात्री सुविधाओं में सुधार करने के लिए मदुरै मंडल के साथ त्रिवेन्द्रम-नागरकोयल-कन्याकुमारी-तिरुवलनेली के विलय हेतु अनिवार्य प्रबंधन करने या कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों की जनता की सुविधा हेतु दोनों दिशाओं में पूर्वाह्न 10.30 बजे तक बंगलौर और नागरकोयल में इसके आगमन के समय से दैनिक रेलगाड़ी के रूप में साप्ताहिक द्रुतगामी रेलगाड़ी (16537/16538) चलाए जाने का अनुरोध करती हूं।

(चौदह) ओडिशा के भुवेनश्वर में बीजू पटनायक विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): राजधानी नगर भुवनेश्वर जिसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है वह कुछ

समय से देश का बहुत पसंदीदा पर्यटन स्थल बन गया है। कोणार्क पुरी, भीतरकविका, चिलिका, पारादीप आदि जैसे ओडिशा के अन्य पर्यटल स्थल स्वदेशी पर्यटकों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के विभिन्न भागों में फल-फूल रहे औद्योगिक एवं औद्योगिक घरानों ने भी राज्य में बार-बार विदेशी अधिकारियों के दौरे कराए हैं। राज्य के पर्यटन उद्योग के विकास और साथ ही विदेशियों द्वारा भुवनेश्वर तक आसानी से आने जाने के मद्देनजर यह जरूरी महसूस होता है कि भुवनेश्वर से आने-जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रचालन किया जाए। इस संबंध में, राज्य सरकार द्वारा नागर विमानन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार ने अपनी क्षमता के अनुसार उन सभी मानकों को तैयार करने का प्रयास किया है जो विमानपत्तन प्रयोगकर्ता के लिए पर्याप्त सेवाओं और सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करेंगे, विमानपत्तन के विकास और इस पर इसके कार्यकलाप को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रोत्साहित करेंगे। तथापि, विमानपत्तन क्षेत्र के अंदर उड़ानों को पक्षियों से सुरक्षित रखने के निवारक उपायों के साथ उक्त विमानपत्तन के संबंध में भूमि क्षेत्र के विस्तार हेतु नागर विमानन मंत्रालय द्वारा तत्काल अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

इन सभी मुद्दों के मद्देनजर, मैं माननीय नागर विमानन मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक विमानपत्तन को शीघ्र अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा प्रदान करें।

(पन्द्रह) दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत खड़गपुर-मिदनापुर खंड पर खनसाई रेलवे स्टेशन को हाल्ट स्टेशन घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): खनसाई हाल्ट स्टेशन गोकुलपुर और मिदनापुर रेलवे स्टेशनों के बीच दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मिदनापुर खंड पर स्थित है। हाल ही में इस मार्ग को दोहरी लाइन वाला बनाया गया है।

परंतु, चूंकि इस हाल्ट को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए यह इस स्टेशन के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। हालांकि इस स्टेशन पर ईएमयू रुकती हैं। और इसकी एक तरफ एक कोचवाला प्लेटफार्म है क्योंकि यह विनिर्दिष्ट स्टेशन नहीं है इसलिए यह स्थानीय यात्रियों की जरूरतों को बिल्कुल भी पूरा नहीं करती है।

इसलिए, मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह आवश्यक कदम उठाएं ताकि खनसाई हाल्ट स्टेशन को विनिर्दिष्ट स्टेशन घोषित किया जाए और यात्री इस हाल्ट स्टेशन का पूरा सदुपयोग कर सकें।

अपराह्न 2.05 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

वॉलमार्ट द्वारा कथित लॉबिंग के बारे में - जारी...

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदय, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं।...*(व्यवधान)*

हमने वालमार्ट के संबंध में सूचना दी है केवल एक वक्ता को अनुमति दी गई थी। इसके बाद हमें बताया गया कि सभी नेताओं को बोलने की अनुमति दी जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, जिन्होंने सूचना दी है उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः सभा में अनावश्यक वक्तव्य नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः इस समय जीरो आवर है। अभी इसे उठाने का सवाल नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, यह शून्यकाल का प्रश्न नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भी अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः जिन्होंने सूचना दी है उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः आप लोग बैठेंगे, तब ही बात होगी।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप लोग बैठेंगे ही नहीं तो फिर कौन बोलेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः सदन में लीडर ऑफ द हाउस नहीं हैं, वित्त मंत्री जी नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री बसुदेव आचार्य जी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्यः उपाध्यक्ष महोदय, यह...

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): हिन्दी में बोलिए।

श्री बसुदेव आचार्य: उपाध्यक्ष जी, वॉलमार्ट ने खुद अमेरिकन सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया है जो लॉबिंग के बारे में है। हमारे देश में खुदरा व्यापार में आने के लिए उन्होंने लॉबिंग के लिए वर्ष 2012 तक कितना पैसा खर्च किया है, उसका हिसाब-किताब उन्होंने पेश किया है। इसमें जानकारी मिली है कि हमारे देश के खुदरा व्यापार में आने के लिए वालमार्ट ने 125 करोड़ रुपये आज तक खर्च किये हैं, लॉबिंग के लिए खर्च किये हैं। लॉबिंग अमेरिका में गैर कानूनी नहीं हो सकती, लेकिन हमारे देश में इसे कमीशन कहा जाता है और यह गैर कानूनी है। यह रिश्वत है। यह रिश्वत दी गयी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, आप संक्षेप में बोलिए।

श्री बसुदेव आचार्य: उपाध्यक्ष महोदय, हम संक्षेप में कैसे बोलेंगे, 125 करोड़ का मामला है, संक्षेप में कैसे बोलें।...*(व्यवधान)* हम कैसे संक्षेप कर सकते हैं। हमने चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि वॉलमार्ट के खिलाफ ये इल्जाम है। वॉलमार्ट के खिलाफ जांच चल रही है। सरकार को सब मालूम था, मालूम रहते हुए भी सरकार ने इजाजत दे दी। 125 करोड़...* है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी अनपार्लियामेंट्री शब्द हों, उन्हें निकाल दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हमारे देश में किसने पैसा खाया है?...*(व्यवधान)* नेता जी बोल रहे हैं कि कौन सा माध्यम था? हमारे देश में यह पैसा किसके माध्यम से आया है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि भारत में भी पैसा खर्चा किया गया है, ऐसा नहीं कि अमेरिका ने पैसा खर्चा किया है। हमारे देश में भी ऐसा खर्च किया गया है और 2012 में किया है। यह बहुत शर्मनाक बात है।...*(व्यवधान)* खतरनाक नहीं, शर्मनाक बात है, खतरनाक तो है ही। क्या सरकार बताएगी नहीं?...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो।

[अनुवाद]

इसकी स्वतंत्र-जांच होनी चाहिए।यह एक गंभीर मामला है। धन किसने लिया है।

[हिन्दी]

किस ने पैसा खाया है, इस सदन को यह बताना पड़ेगा। ज्यूडिशियल इंकवायरी, टाइम बाउंड इंक्वायरी,...*(व्यवधान)* ऐसे नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)* क्या ऐसे चलता रहेगा?...*(व्यवधान)* जैसे जे.पी.सी. चल रही है, वैसे ही चलती रहेगी, ऐसा नहीं।...*(व्यवधान)* एक महीने के अंदर जांच करके सदन को बताया जाए कि किस ने पैसा खाया है, किस की जेब में पैसा गया है और जो दलाली की है, ये सदन को बताना पड़ेगा। जो बयान दिए हैं, कमल नाथ जी, वह इवेड किया है।...*(व्यवधान)* उसकी जांच होगी।...*(व्यवधान)* पहले जांच होगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, अब आप बैठ जाइए, और लोगों ने भी बोलना है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम चाहते हैं कि इसकी ज्यूडिशियल इंकवायरी हो, जो टाइम बाउंड हो। इस सदन को एक महीने के अंदर जांच करके बताना पड़ेगा कि किस के पास पैसा गया है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

पैसो किसने लिया है। वॉलमार्ट द्वारा लॉबिंग पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।...*(व्यवधान)* जिसने ऐसा किया है, वह देश का दुश्मन है। जिसने पैसा खाया है, वह देश का दुश्मन है। ...*(व्यवधान)* यह कौम, सदन और हमारे देश की जनता जानना चाहती है कि वे कौन हैं, जिन्होंने पैसा खाया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पहले जिन्होंने नोटिस दिया है, उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह वास्तव में आज देश के लिए शर्म की बात है। यह वास्तव में आज देश के लिए शर्म की बात है कि वॉलमार्ट ने लॉबिंग तथा देश में प्रवेश करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो 125 करोड़ रुपये बनते हैं, का भुगतान किया है। ये दस्तावेज जिन्हें यू.एस. सीनेट में रखा गया है। दिखाता है कि पिछले छह या सात वर्षों से वह भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है और केवल तीन महीने के अंदर, जुलाई से सितम्बर माह के बीच उन्होंने संसद में इसकी चर्चा कराने के उद्देश्य से 50 से 60 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. वह ऐसा करने का प्रयास कर रहा है। वॉलमार्ट द्वारा इस तरह की अवैध गतिविधियां न केवल भारत बल्कि मैक्सिको में भी चलायी जा रही है वह मैक्सिको में प्रवेश का प्रयास कर रहा है। न्यूयार्क टाइम्स के बिजनेश न्यूज में लिखा है कि वे वहां पर भी पैसे खर्च कर रहे हैं। दस्तावेजों में यह पाया गया है कि वॉलमार्ट डि-मैक्सिको के शीर्षस्थ एक्जेक्यूटिव को न केवल इस भुगतान की जानकारी थी बल्कि उसने वेंटानेवीले में वॉलमार्ट के हेडक्वार्टर से इसको छुपाने के लिए प्रयास किए थे।

महोदय, केवल भारत या मैक्सिको के लिए ही नहीं चीन और ब्राजील के मामले में भी वॉलमार्ट द्वारा यही किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के नेता जो सरकार चला रहे हैं, उनको इन सारे तत्वों की जानकारी थी कि यह पैसा लॉबिंग के लिए खर्च किया गया है। लेकिन यहां बलपूर्वक हेर-फेर करके उसने खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को पारित कराना चाहा। यह शर्म की बात है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

श्री कल्याण बनर्जीः आज मंत्रीजी ने एक वक्तव्य दिया है।...*(व्यवधान)*

आज सुबह माननीय संसदीय मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि जांच कराई जाएगी। किसके द्वारा यह जांच कराई जाएगी? किसके द्वारा क्या उनके द्वारा जिन्होंने इस लॉबिंग के लिए पैसे लिए हैं। वहीं इसकी जांच करेंगे? यह इस जांच के लिए बहुत बड़ा मजाक होगा। ऐसे जांच नहीं हो सकती।

महोदय, मेरी मांग है कि एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए जो इसकी जांच करे। जब तक इस प्रकार की जांच नहीं होगी, जब तक संयुक्त संसदीय समिति संसद में अपनी रिपोर्ट नहीं रखती है, तब तक देश में वॉलमार्ट को किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पहले जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, नहीं तो उसको अनुमति नहीं दी जाए।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय (दमदम): सरकार के चेहरे पर जो लाली है, वह वालमार्ट की*...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): उपाध्यक्ष महोदय, गत सप्ताह सभा में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हुई थी। उस समय सभी राजनीतिक दलों, 18 राजनीतिक दलों में से 14 ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध किया था। सभा में उसके विरुद्ध मतदान हुए थे। लेकिन, इस परिस्थिति में एक बहुत ही विवादित मुद्दे के बारे में अन्य सूचना मिली है। इस समाचार को देखने के बाद पूरा राष्ट्र सकते में है। अमेरिका में वॉलमार्ट ने यह स्वीकार किया है कि भारत में निवेश के लिए लॉबिंग करने हेतु उसने 125 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और विशेष कर, उसने कहा है कि यह खर्च भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ा हुआ है।

यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जब सभी राजनीतिक दलों ने खुदरा बाजार में एफ.डी.आई. का विरोध किया, तब सत्ता पक्ष ने किसी तरह यह जुगाड़ कर लिया कि वे यह नीति लाने जा रहे हैं। ए.आई.ए.डी.एम. के नेता तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री, भारत में एफ.डी.आई. का विरोध कर रही हैं। हम जानते हैं कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था हमसे चौपट हो जाएगी। सभी छोटे कारोबारी सड़कों पर आ जाएंगे। उन्हें बेरोजगार बनाया जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था वॉलमार्ट लेकर आने वाला है। इसका कारण है कि हम भारतीय लोगों का झुकाव विदेशी सामान खरीदना का रहा है और हम अपव्ययी होते जा रहे हैं।

सरकार कह रही है कि वह भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहती है और वह केवल इसी उद्देश्य से इसे लाने जा रही है। लेकिन हमारी मुद्रा का क्या होगा जो लाभ के रूप में विदेशी कम्पनियों की जेब में जा रही है। इसलिए, हमारी चिंता इसी बात को लेकर है।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया संक्षेप में बोलिए।

डॉ. एम. तम्बिदुरईः महोदय, मुझे एक विशेष मुद्दा उठाना है। समाचार पत्रों ने यह आरोप लगाया गया है कि वॉलमार्ट ने लॉबिंग पर 125 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, विशेषकर भारत में निवेश के लिए यदि वॉलमार्ट ने इतना पैसा खर्च किया है तो मुझे पता नहीं कि अन्य कम्पनियों ने कितना खर्च किया होगा, वह पैसा कहां है-जिसे उन्होंने भेजा है, किसने वह पैसा प्राप्त किया है हम यह जानना चाहते हैं। यह बहुत ही दुःखद बात है।

इसी कांग्रेस पार्टी ने 2000 में खुदरा क्षेत्र में इस एफ.डी.आई. का विरोध किया था। अब वह इसे किस प्रकार लागू कर रही है। यह संदेह हैं कि क्या सत्ता पक्ष या अन्य ने इस लॉबिंग के लिए धन को प्राप्त किया है। मैं कह रहा हूं कि इसके बारे में संदेह है। मैं सीधे तौर पर आरोप नहीं लगा सकता लेकिन संदेह की बात है। इसलिए, जब तक यह संदेह दूर नहीं हो जाता तब तक संयुक्त संसदीय समिति को इसकी जांच करने दीजिए। उसमें हम इस पर चर्चा रखेंगे। रिपोर्ट जमा करने के बाद ही सरकार इस नीति को लागू करे। *(व्यवधान)*

उपधायक्ष महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. एम. तम्बिदुरईः उस समय तक सरकार को यह नीति लागू नहीं करनी चाहिए। मैं इस संबंध में एक न्यायिक जांच की मांग करता हूं या अन्यथा एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए जो वॉलमार्ट के बारे में अवरोधों की जांच करे।

श्री गुरुदास दासगुप्तः उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल अवैध रूप से रिश्वत देने की बात नहीं है।

[हिन्दी]

हम दलाली नहीं बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह बहुत चुभने वाला शब्द है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): लॉबीइंग को हिन्दी में दलाली कहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः हम दलाली की बात नहीं बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

क्योंकि यह दिल को चुभ सकता है। मैं नहीं चाहता कि उनका दिल टूट जाए। महोदया, मैं नहीं चाहता कि आपका दिल टूटे। आप एकमात्र सदस्य हैं। कृपया दिल को मजबूत रखिए।

प्रश्न यह है कि पूरा देश शर्मसार है। लोगों की नजरों में अब यह एक सच्चाई है कि लॉबिंग और रिश्वत राजनीतिक प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बन गया है। कृपया याद रखिये कि 2जी सेक्ट्रम के बारे में राडिया टेप में स्पष्ट तौर पर संकेत दिया गया है कि भारत में मंत्री बनाने के लिए भी लॉबिंग की गई थी। अब, आज की तारीख में कुछ ही महीनों के अंदर अन्य घटना घटित हो गई। यह इसलिए प्रकाश में नहीं आया है कि कुछ समाचार पत्रों में छापा है बल्कि इसलिए आया है कि भारत को रिश्वत देने के आरोप में वॉलमार्ट में पांच अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। कृपया याद रखें, मैंने यही बात अपने भाषण में कही थी। इस समय भी इस बात की पुष्टि हो रही है।

अमेरिकी संसदीय समिति में संसद का मतलब दोनों सदन होता है। इस बात का उल्लेख है कि अमेरिकी नागरिकों के व्यवहार के बारे में जांच हो रही है क्योंकि उन्होंने दूसरे देश में रिश्वत दी है तथा वह दूसरा देश भारत है। इसलिए, पहली बात कि हमने वॉलमार्ट के पांच अधिकारियों के निलम्बन की घटना देखी है, दूसरी बात कि अमेरिकी सीनेट की प्रक्रिया देखी है।

मैं श्री कमलनाथ का भाषण सुन रहा था जो इस समय स्पष्टरूप से अनुपस्थित है। वे कह रहे थे कि भाजपा को सबूत देने दीजिए। मैं भाजपा के बारे में नहीं बोलूंगा, वे स्वयं बोलने में पूरी तरह दक्ष है। मैं जानना चाहता हूं कि आप और क्या देखना चाह रहे है। पांच अधिकारियों का निलंबन तथा वहां की सीनेंट में जांच की प्रक्रिया हमारे सामने है। आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? मुद्दा यह है कि भारत को शर्मिंदा होना पड़ा है और यह वॉलमार्ट के चलते नहीं हुआ है। बल्कि यह किसी अज्ञात भारतीय अधिकारी के कारण हुआ है, चाहे वह जो भी हो, जिसने रिश्वत ली है। रिश्वत किसको दी जाती है-जो काम करा सकता हो। रिश्वत मुझे नहीं दी जाएगी क्योंकि मैं मंत्री नहीं हूं। रिश्वत श्रीमती सुषमा स्वराज को नहीं दी जाएगी क्योंकि वह मंत्री नहीं हैं? रिश्वत ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दिया जाएगा जो प्रभावशाली हो, जो निर्णय ले सके, जिसके पास बहुमत हो, और जो संकल्प पारित करा सकें। इसलिए, किसी चीज के बदले संकल्प लाया गया, जो आज रिपोर्ट की जा रही है। यह सत्य है। मुझे शर्म महसूस हो रहा है; मैं एक भारतीय हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री गुरुदास दासगुप्तः मैं आपकी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना है कि सरकार भारी शक के दायरे में है। चर्चा पर हुआ मतदान शक के दायरे में रहा है। इसलिए, हम जांच की मांग करते हैं। हम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो राजनीतिक बन चुका है; हम संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच चाहते हैं जहां सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विशेष उल्लेख पर बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं।...*(व्यवधान)* अभी यहां इस बात का जिक्र हो रहा था कि* कहा जाए, रिश्वत कहा जाए या प्रलोभन कहा जाए। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इसे रिश्वत, प्रलोभन या एक्टिव मनी भी कहा जा सकता है। वॉलमार्ट के बारे में अभी सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी। उस पर अमरीकन सीनेट की जांच में वहां के जो अधिकारी दंडित हुए हैं, चूंकि यह मामला अभी वहां तक है, लेकिन एक शंका व्यक्त की जा रही है कि जिस प्रकार एफ.डी.आई. को जल्दबाजी में लाया गया, हो सकता है कहीं न कहीं शंका के घेरे में यह बात आ रही हो। अभी हमने संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। वे शोर-शराबे में बड़ी जल्दबाजी में बोलकर बैठ गए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि भारतवर्ष की साख, नाक और अस्तित्व बचाने के लिए स्पष्ट तरीके से इसकी ज्यूडीशियली जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यह पता लग जाए कि इसे क्यों लाया गया? हमारी पार्टी और हम जानना चाहते हैं कि इसमें हकीकत क्या है? भारतवर्ष के अस्तित्व और नाक को बचाने के लिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर अमरीकन सीनेट से इस बात को कहा गया है तो भारत में वह बिल्कुल साफ होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): उपाध्यक्ष महोदय, यह भारतीय लोकतंत्र का काला दिन है। महज संख्या की जीत केबल पर सरकार के अनुचित कार्यों को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मैं इसे दलोन्मुख नहीं बनाना चाहता हूं। यहां कांग्रेस की बात नहीं है; अथवा यह कोई एक व्यक्ति विशेष

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की बात नहीं है। यह एक सोच है जो अब भारत में विकसित हो चुका है; फिर चाहे ऐसे लोग हों जो ऐसे कारण से बहिष्कार करते हैं जो विद्यमान ही नहीं है अथवान ये ऐसे भी लोग हैं जो किसी प्रस्ताव के विरोध में मतदान करते हैं। आम आदमी द्वारा सभी लोगों, इस देश के सभी राजनीतिक वर्ग को शक की निगाह से देखा जा रहा है।

यह भी चिंता का विषय है कि जब हमें यह सुनने को मिलता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है जिसमें रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रक्रिया को जल्द से लागू करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2.5 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने की बात कही गई है। संक्षेप में कहें तो यह हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक है। कि एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और दूसरी तरफ हमारे लिए यह शर्म की बात है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा तंत्र है या नहीं जो शक से परे हो जिसके लिए हम मांग कर सकें कि एक्स अथवा वार्ड अथवा जेड जांच करे और शीतकालीन सत्र की समाप्ति के पूर्व इस सभा को जांच संबंधी प्रतिवेदन दे सके। इससे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का भी राजनीतिकरण हो चुका है। जांच के लिए बनाए गए संसदीय निकाय भी एक के घेरे में हैं। हम कहां जाएं? आज आम आदमी कहां जाए?

मैं, बीजू जनता दल की तरफ से कहता हूं कि हमने स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध किया था, इसलिए नहीं कि हम बिचौलिया अथवा किसी और का समर्थन करते हैं, हम बीच की कड़ी नहीं हैं। हम आम आदमी हैं और हो सकता है कि इस देश के लोगों को अभी हो रही हानि की जानकारी नहीं हो लेकिन सात अथवा आठ अथवा दस वर्ष बाद उन्हें इसका अहसास होगा। लेकिन जो हानि हो रही है, जो क्षति पहुंचायी जा रही है, वह लंबे समय तक होगी और हमेशा के लिए देश की प्रगति में बाधक होगी। यह शर्म की बात है कि इस देश पर शसन करने का दावा करने वाले लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ...* हैं...* हैं और लोग यहां बैठे सभी लोगों को संदिग्ध व्यक्ति समझते हैं और ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखते हैं जिन्होंने कुछ विदेशी राष्ट्र से समझौते के कारण अपने हाथ, अपने दिमाग एवं अपनी आत्मा को दूषित कर लिया है।

यह इस राष्ट्र के लिए काला दिवस है। मैं आशा करता हूं कि हमलोग दोषमुक्त होने की कोशिश करेंगे, हमलोग अपने आपको गंगा में नहा कर नहीं बल्कि गुप्त बातों को लोगों के सामने लाकर एवं सबको यह बतलाकर कि इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे, शुद्ध करने की कोशिश करेंगे। इसमें धनराशि की बात नहीं है-मैं एक और प्रश्न पूछन चाहूंगा-किन लोगों को धनराशि दी गई और उनसे क्या अपेक्षाएं की गई थी और क्या उन्होंने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया अथवा उन्होंने अपेक्षित प्रदर्शन ही किया। यह भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। समयबद्ध तरके से जांच पूरी की जानी चाहिए और पूरे शीतकालीन सत्र के स्थगन से पूर्व इस सभा में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): उपाध्यक्ष महोदय, वॉलमार्ट द्वारा** या रिश्वत देने की बात प्रकाश में आई है। यह काफी शर्मसार करने वाली बात है, इससे काफी दुखद स्थिति पैदा हो गयी है। सभी दलों के सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला है और कहा कि इस सच्चाई की जांच होनी ही चाहिए। पहले से ही गड़बड़ी लग रही थी कि सदन की अधिक संख्या के लोग इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन कम संख्या के लोग व्याकुल थे किसी तरह विदेशी कंपनी को हिन्दुस्तान के लोगों के सिर पर बैठा दें। इसलिए वह प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन जो...* देने की बात प्रकाश में आई है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम जनता दल (यू) की तरफ से मांग करते हैं कि एक संसदीय समिति हो, जिसकी समय सीमा निर्धारित हो, एक महीने के अंदर वह जांच करे।...*(व्यवधान)* वह तो अध्यक्ष जी तय करेंगे कि उसका चेयरमैन कौन होगा। जे.पी.सी. से इसकी जांच हो और उसकी समय सीमा एक महीने तय हो, यही हम आपके माध्यम से मांग करते हैं।

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदय, माननीय यशवंत सिन्हा जी ने इस सवाल को गंभीरता से उठाया है। यह सवाल उठा, तो कल हाउस नहीं चला, आज भी बीच में नहीं चल पाया, तो बिल्कुल एक समय-सीमा के अंदर वॉलमार्ट ने सीनेट में जो रिपोर्ट दी है कि भारत में लॉबीइंग करने में काफी पैसा खर्च हुआ, उसकी जांच हो। इससे भारत की साख, प्रतिष्ठा गिरती है। ये लॉबीइंग करने वाले...*लोग जो भी हों, इसकी जांच-पड़ताल सदन की ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाकर, एक महीने के अंदर जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। वॉलमार्ट को भी समन किया जाए।...*(व्यवधान)* उसको भी बुलाया जाए। उन्हें बुलाकर पूछा जाए कि किसको तुमने पैसा दिया। क्या अधिकारियों के माध्यम से पैसा खाया गया या अन्य किसी माध्यम से, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए, नहीं तो फिर यह बाद ज्यों की त्यों ही रह जाएगी। सरकार ने कहा है कि हम जांच कराने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि आज ही फैसला कर दीजिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन का, वरना रोज यह मामला उठेगा इसलिए किसी को बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। हमारे सामने और भी इश्यूज़ हैं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार र्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री यशवंत सिन्हा: उपाध्यक्ष जी, मैं जब पहले अपनी बात कह रहा था तो शोर-शराबे के कारण पूरी बात नहीं कह सकता। इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा। वैसे तो दिल्ली हमारा शहर है, यह बहुत ऐतिहासिक और प्राचीन शहर है, लेकिन इस दिल्ली शहर का यह जो पार्ट है, इसे लुटियन दिल्ली बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के समय एक अंग्रेज आर्किटेक्ट, जिसका नाम लुटियन था, उन्होंने इसका नक्शा बनाकर इसे बसाया था। अब यह नाम यथार्थ हो गया है। यहां पर लूट-खसोट मची हुई है। लुटियन की दिल्ली, लुटिहन दिल्ली हो गई है। कुछ लोग इस देश को और इस शहर को लूट रहे हैं...*(व्यवधान)* मैंने कहा था कि मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने उसी भावना को व्यक्त किया है कि आज देश की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉबिंग तो अमेरिका के कानून के अंतर्गत आती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका में शायद कानूनन ठीक होंगी, लेकिन हमारे देश में ठीक नहीं होंगी। इसलिए यह तर्क यहां पर नहीं चलेगा कि वहां लॉबिंग कानूनन सही है। यह भी ठीक है कि वहां पैसा नहीं दिया गया, पैसा भारत की धरती पर खर्च हुआ है, लॉबिंग में। चूंकि सरकार चुप्पी मारे हुए बैठी रही थी, इसीलिए हम इस विषय को यहां उठाने के लिए बाध्य हुए। मंत्री महोदय ने क्या कहा, हमें मालूम नहीं, लेकिन अभी गुरुदास बाबू ने कहा कि उन्होंने बाहर जाकर टी.वी. चैनेल्स को एक साक्षात्कार दिया। उसमें वह कह रहे हैं कि इस बात का बी.जे.पी. प्रूफ दे, यह कौन सी हरकत है, यह क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बी.जे.पी. प्रमाण देगी, प्रमाण तो अमेरिका की संसद में दिया जा चुका है। गुरुदास बाबू ने डिबेट में जो बात कही थी, आज भी उसे रिपीट किया। मैंने जो सुबह बात कही कि अमेरिका में भारत के चार या पांच पदाधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। अब बताएं इससे बढ़कर हमारे लिए प्रमाण और क्या हो सकता है। यह कहा जा रहा है कि बी.जे.पी. सबूत दे, जबकि अमेरिका में जांच चल रही है, अमेरिका में कानून है कि विदेशी पदाधिकारी को, अगर वह माल खाता है, तो उसकी जांच भी अमेरिका में होगी। वह जांच वहां चल रही है और हमें यहां कहा जा रहा है कि प्रूफ दीजिए। मैं सरकार से अपनी पार्टी और अपने सिद्धांतों के साथ पूरी ताकत के साथ यह मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: श्री सिन्हा, आपने हिन्दी में एक गलती की है।

[हिन्दी]

अपने माल कहा, माल नहीं बमाल है।

श्री यशवंत सिन्हा: सरकार तत्काल इसी सदन में घोषणा करे और अभी करे। जिसे भी आना है, वह आए। अगर मोइली साहब कर सकते हैं तो वह घोषणा करें, लेकिन जिसे भी सरकार की तरफ से उपस्थित होना है, वह उपस्थित होकर अभी सदन में घोषणा करे। मैंने कहा था कि न्यायिक जांच हो, ज्यूडिशियल इंक्वायरी हो और समयबद्ध हो। लेकिन हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसकी जांच जे.पी.सी. द्वारा कराई जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार तुरंत यहां पर आकर अपना फैसला सुनाए कि किस प्रकार की जांच कराएंगे, न्यायिक जांच या जे.पी.सी. की जांच। यहां आज घोषणा नहीं होती, तो फिर यह सदन कैसे चलेगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: महोदय, हम संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग करते हैं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 02.34 बजे

इस समय श्री अशोक अर्गल, श्री कल्याण बनर्जी, डॉ. रामचन्द्र डोम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 03.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 02.35 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 03.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 03.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 03.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(**श्री इन्दर सिंह नामधारी** *पीठासीन हुए*)

...(व्यवधान)

अपराह्न 03.01 बजे

इस समय श्री अशोक अर्गल, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः सभा मद संख्या 12 पर चर्चा करेगी। श्री अनंत कुमार जी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): सभा व्यवस्थित नहीं है। मैं कैसे बोल सकता हूं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः चूंकि सभी दलों के नेताओं को अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया जा चुका है, मुझे लगता है कि अब सभा की कार्यवाही चेलगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैं श्री अनंत कुमार जी से बोलने का अनुरोध करता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः सभा व्यवस्थित नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः सभा को व्यवस्थित करना सदस्यों पर निर्भर है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः सभा कल 12 दिसम्बर, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 03.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 12 दिसम्बर, 2012/21 अग्रहायण, 1934(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री आर. थामराईसेलवन श्री प्रदीप माझी	241
2.	श्री भक्त चरण दास श्री ए.के.एस. विजयन	242
3.	श्री दारा सिंह चौहान श्री अशोक कुमार रावत	243
4.	श्री सी. शिवासामी	244
5.	श्री पी. कुमार श्री नित्यानंद प्रधान	245
6.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे श्री हरीश चौधरी	246
7.	श्री मधुगौड यास्खी श्री आनंदराव अडसुल	247
8.	श्री धनंजय सिंह	248
9.	श्री महाबली सिंह श्री राजेन्द्र अग्रवाल	249
10.	श्री नरहरि महतो श्री मनोहर तिरकी	250
11.	श्री मोहम्मद असरारूल हक श्रीमती ज्योति धुर्वे	251
12.	प्रो. सौगत राय श्री दिनेश चन्द्र यादव	252
13.	श्री हरिन पाठक	253
14.	श्री नवीन जिन्दल श्री एस. पक्कीरप्पा	254
15.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी श्री निशिकांत दुबे	255
16.	श्री यशवंत लागुरी श्री चंद्रकांत खैरे	256
17.	श्री बंस गोपाल चौधरी शेख सैदुल हक	257
18.	श्रीसुरेश कलमाडी	258
19.	श्री जोसेफ टोप्पो	259
20.	श्री जगदानंद सिंह	260

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	2773, 2823
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	2792, 2940
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2835, 2855, 2915, 2919, 2920
4.	श्री आधि शंकर	2899
5.	श्री आनंदराव अडसुल	2855, 2915, 2919, 2920
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2786, 2915, 2935, 2981
7.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	2906
8.	श्री हंसराज गं. अहीर	2769, 2950
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	2796
10.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	2840, 3841, 2941
11.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	2879
12.	श्री घनश्याम अनुरागी	2826, 2910, 2985
13.	श्री अशोक अर्गल	2772
14.	श्री कीर्ति आजाद	2797, 2908, 2951, 2978
15.	श्री गजानन ध. बाबर	2835, 2855, 2915, 2919, 2920
16.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	2880
17.	श्री कामेश्वर बैठा	2827
18.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	2804, 2849, 2944
19.	श्री कुंबरजीभाई मोहनभाई बावलिया	2842

1	2	3
20.	श्री अवतार सिंह भडाना	2828
21.	श्री ताराचन्द भगोरा	2770, 2874, 2907, 2928
22.	श्री शिवराज भैया	2838, 2853, 2966, 2989
23.	श्री पी.के. बिजू	2885
24.	श्री कुलदीप बिश्नोई	2811, 2949
25.	श्री हेमानंद बिसवाल	2812
26.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	2775, 2894, 2927
27.	श्री सी. शिवासामी	2899, 2926
28.	श्री हरीश चौधरी	2913, 2914, 2959
29.	श्री जयंत चौधरी	2916
30.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	2824
31.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	2795, 2825, 2849, 2939
32.	श्रीमती राजकुमारी चौहान	2885
33.	श्री संजय सिंह चौहान	2905
34.	श्री हरिशचंद्र चव्हाण	2778, 2929
35.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	2886, 2923, 2965
36.	श्री भूदेव चौधरी	2851, 2905
37.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2784, 2933, 2980
38.	श्री बंस गोपाल चौधरी	2973
39.	श्री भक्त चरण दास	2966
40.	श्री खगेन दास	2890, 2905, 2921
41.	श्री रमेन डेका	2895
42.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	2854
43.	श्रीमती रमा देवी	2851, 2905, 2972

1	2	3
44.	श्री के.पी. धनपालन	2781, 2903, 2954
45.	श्री संजय धोत्रे	2986
46.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2777, 2916, 2917, 2925
47.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	2802, 2945
48.	श्री चार्ल्स डिएस	2839, 2909, 2976
49.	श्री निशिकांत दुबे	2851, 2917, 2987
50.	श्री गणएशराव नागोराव दूधगांवकर	2818, 2905
51.	श्री पी.सी. गद्दीगोदर	2825, 2903
52.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	2849, 2867, 2922, 2923
53.	श्रीमती मेनका गांधी	2857, 2891
54.	श्री वरुण गांधी	2866, 2980, 2898
55.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	2813
56.	श्री ए. गणेशमूर्ति	2886, 2911, 2965
57.	श्री एल. राजगोपाल	2859
58.	श्री शिवराम गौडा	2762, 2777
59.	श्री डी.वी. चन्द्रे गौडा	2855, 2907, 2908, 2975
60.	शेख, सैदुल हक	2905, 2921
61.	श्री महेश्वर हजारी	2768, 2805, 2920, 2930
62.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2865
63.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	2859, 2884, 2903, 2905, 2913
64.	श्री बलीराम जाधव	2887, 2888, 2905
65.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	2850, 2903, 2982

1	2	3
66.	डॉ. संजय जायसवाल	2889
67.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2851, 2914
68.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2790, 2937
69.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	2965
70.	श्री हरिभाऊ जावले	2877, 2905, 2910
71.	श्री नवीन जिन्दल	2906, 2951
72.	श्री प्रहलाद जोशी	2906
73.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	2782, 2932
74.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	2897
75.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2766
76.	श्री राम सिंह कस्वां	2841, 2905, 2918
77.	श्री नलिन कुमार कटील	2777, 2912
78.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	2821, 2909, 2911, 2957
79.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2774, 2910, 2962
80.	श्री मधु कोड़ा	2827
81.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	2806, 2860, 2888, 2905, 2953
82.	श्री विश्व मोहन कुमार	2819, 2905,
83.	श्री पी. कुमार	2872, 2899
84.	श्री एन. पीताम्बर कुरूप	2787
85.	श्री यशवंत लागुरी	2905, 2972
86.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2779, 2906, 2930
87.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2791, 2913
88.	श्री सतपाल महाराज	2916
89.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	2821, 2909, 2911, 2957
90.	श्री नरहरि महतो	2902, 2941, 2966
91.	श्री भर्तृहरि महतो	2852, 2986
92.	श्री प्रदीप माझी	2904, 2905, 2921, 2968
93.	श्री मंगनी लाल मंडल	2877, 2924
94.	श्री जोस के. मणि	2870
95.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	2864
96.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	2763, 2854, 2983
97.	डॉ. थोकचोम मैन्या	2844
98.	श्री महाबल मिश्रा	2820
99.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	2838, 2966
100.	श्री सोमेन मित्रा	2807
101.	श्री पी.सी. मोहन	2775, 2927
102.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2775, 2927
103.	श्री विलास मुत्तेमवार	2892, 2905
104.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2863, 2905, 2917
105.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	2833, 2883
106.	श्री नामा नागेश्वर राव	2854, 2866, 2869
107.	श्री जफर अली नकवी	2860
108.	श्री नारनभाई कछाड़िया	2810, 2842, 2965, 2981
109.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	2856, 2910
110.	श्री संजय निरुपम	2851, 2896, 2964
111.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	2830, 2846, 2966
112.	श्रीमती मौसम नूर	2978

1	2	3
113.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	2777, 2792, 2910, 2911, 2979
114.	श्री वैजयंत पांडा	2866
115.	श्री प्रबोध पांडा	2831, 2905
116.	कुमारी सरोज पाण्डेय	2771, 2905
117.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	2901
118.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	2802
119.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	2849, 2867, 2922, 2923
120.	डॉ. प्रसन्न कुार पाटसाणी	2907
121.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2783, 2913
122.	श्री किसनभाई वी. पटेल	2904, 2905, 2921, 2968
123.	श्री हरिन पाठक	2971
124.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2780, 2905
125.	श्रीमती भावना पाटील गवली	2818
126.	श्री सी.आर. पाटिल	2862, 2981
127.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	2849, 2867, 2922, 2923
128.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	2873
129.	श्रीमती कमला देवी पटले	2921, 2939
130.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2777, 2873, 2917
131.	श्री नित्यानंद प्रधान	2938
132.	श्री प्रेमदास	2847, 2893, 2905
133.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2857, 2990
134.	श्री एम. के. राघवन	2861
135.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	2912
136.	श्री अब्दुल रहमान	2858
137.	श्री प्रेम दास राय	2817, 2958
138.	श्री रमाशंकर राजभर	2910
139.	श्री सी. राजेन्द्रन	2786, 2887
140.	श्री एम.बी. राजेश	2794, 2857
141.	श्री पूर्णमासी राम	2830, 2918, 2988
142.	श्री रामकिशुन	2821, 2911, 2957
143.	श्री जगदीश सिंह राणा	2800, 2863
144.	श्री निलेश नारायण राणे	2789, 2936
145.	श्री रायापति सांबासिवा राव	2913, 2959
146.	श्री रामसिंह राठवा	2814
147.	डॉ. रत्ना डे	2910
148.	श्री अशोक कुमार रावत	2880, 2955
149.	श्री विष्णु पद राय	2798, 2956
150.	श्री रुद्रमाधव राय	2905, 2907, 2952
151.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	2786, 2910
152.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	2799
153.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2785, 2915
154.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	2902, 2941, 2966
155.	प्रो. सौगत राय	2952
156.	श्री एस. अलागिरी	2848, 2859
157.	श्री एस. सेम्मलई	2875
158.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2829, 2907, 2908, 2975
159.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2801, 2851, 2859, 2905, 2942
160.	डॉ. अनूप कुमार साहा	2849
161.	श्री ए. सम्पत	2845, 2903, 2905, 2981
162.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	2882
163.	श्रीमती सुशीला सरोज	2920

1	2	3
164.	श्री तूफानी सरोज	2816
165.	श्री हमदुल्लाह सईद	2793, 2832
166.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	2780, 2838, 2931
167.	श्री जगदीश शर्मा	2892, 2905
168.	श्री नीरज शेखर	2874, 2911
169.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	2841, 2843, 2912
170.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2786, 2808, 2938, 2947
171.	श्री एंटो एंटोनी	2832, 2904, 2968, 2980
172.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2804, 2851, 2984
173.	डॉ. भोला सिंह	2822
174.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2837, 2974
175.	श्री गणेश सिंह	2764, 2863, 2910, 2925
176.	श्री इज्यराज सिंह	2848
177.	श्री महाबली सिंह	2824, 2905, 2960
178.	श्री पशुपति नाथ सिंह	2788, 2913, 2915, 2921, 2924
179.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	2903, 2908, 2978
180.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	2878
181.	श्री रतन सिंह	2905, 2914
182.	श्री रवनीत सिंह	2848, 2868, 2910
183.	श्री सुशील कुमार सिंह	2836, 2857
184.	श्री उदय सिंह	2767, 2850
185.	श्री यशवीर सिंह	2874, 2911
186.	श्री धनंजय सिंह	2969
187.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	2879
188.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2848, 2905
189.	श्री विजय बहादुर सिंह	2824
190.	श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला	2841, 2978
191.	डॉ. संजय सिंह	2903, 2905 2959
192.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2777, 2905 2907, 2913
193.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2870, 2881 2910, 2965
194.	श्री मकनसिंह सोलंकी	2900, 2905
195.	श्री के. सुधाकरण	2823
196.	श्री ई.जी. सुगावनम	2809, 2948 2965
197.	श्री के. सुगुमार	2776, 2854, 2859, 2921
198.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2833, 2883
199.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	2761, 2905, 2946
200.	श्री मानिक टैगोर	2876
201.	श्रीमती अन्नू टन्डन	2803, 2851 2943
202.	श्री लालजी टन्डन	2903, 2905, 2910
203.	श्री बिभू प्रसाद तराई	2831, 2905
204.	श्री जगदीश ठाकोर	2969
205.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	2903, 2952
206.	श्री आर. थामराईसेलवन	2765, 2894, 2903, 2964
207.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	2834, 2970
208.	श्री पी.टी. थॉमस	2840, 2968,

1	2	3
		2977, 2980
209.	श्री मनोहर तिरकी	2902, 2941
210.	श्री लक्ष्मण टुडु	2972
211.	श्री शिवकुमार उदासी	2871
212.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	2768, 2920, 2930
213.	श्री हर्ष वर्धन	2875
214.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2872, 2917
215.	श्री सज्जन वर्मा	2847
216.	श्रीमती ऊषा वर्मा	2768, 2920, 2930
217.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	2864

1	2	3
218.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2967
219.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2855, 2915, 2919, 2920, 2835
220.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	2905, 2913
221.	श्री अरुण यादव	2890, 2934
222.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	2963
223.	श्री मधुसूदन यादव	2815, 2851
224.	श्री मधु गौड यास्खी	2855, 2904, 2915, 2968
225.	योगी आदित्यनाथ	2905, 2910

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमाणिका

कृषि	:	244, 252, 255, 259
कोयला	:	248, 257, 260
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	241, 246, 254, 258
संस्कृति	:	251
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	242, 249
गृह	:	245, 253, 256
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
सूचना और प्रसारण	:	243
युवा कार्यक्रम और खेल	:	247, 250.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2762, 2767, 2775, 2786, 2787, 2789, 2794, 2799, 2801, 2802, 2806, 2808, 2838, 2840, 2841, 2846, 2853, 2861, 2866, 2871, 2888, 2898, 2906, 2914, 2915, 2916, 2918, 2920, 2921, 2924, 2925, 2933, 2934, 2936, 2943, 2950, 2959, 2965, 2969, 2972, 2977, 2982, 2984, 2986, 2988, 2989, 2990
कोयला	:	2783, 2795, 2804, 2823, 2827, 2849, 2880, 2884, 2890, 2939, 2946, 2971, 2973
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	2773, 2777, 2782, 2788, 2791, 2793, 2803, 2809, 2813, 2819, 2831, 2832, 2842, 2848, 2851, 2865, 2868, 2877, 2887, 2892, 2905, 2909, 2910, 2913, 2927, 2962, 2968, 2979, 2980
संस्कृति	:	2764, 2776, 2807, 2811, 2812, 2816, 2818, 2822, 2839, 2847, 2878, 2902, 2917, 2926, 2929, 2931, 2935, 2938, 2954, 2976
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	2817
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	2904
गृह	:	2761, 2763, 2765, 2766, 2769, 2770, 2771, 2772, 2774, 2781, 2790, 2792, 2797, 2798, 2805, 2815, 2820, 2821, 2824, 2825, 2826, 2828, 2829, 2830, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2843, 2844, 2845, 2850, 2852, 2855, 2856, 2857, 2858, 2862, 2869,

		2870, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2881, 2882, 2885, 2886, 2893, 2894, 2895, 2896. 2900, 2901, 2903, 2907, 2908, 2919, 2922, 2923, 2928, 2930, 2932, 2944, 2947, 2953, 2956, 2957, 2958, 2960, 2961, 2964, 2967, 2970, 2974, 2978, 2981, 2983
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	2796, 2859
सूचना और प्रसारण	:	2768, 2779, 2785, 2814, 2854, 2860, 2867, 2879, 2889, 2897, 2899, 2911, 2912, 2937, 2940, 2941, 2942, 2945, 2948, 2952, 2955, 2963, 2975, 2985, 2987
युवा कार्यक्रम और खेल	:	2778, 2780, 2784, 2800, 2810, 2863, 2864, 2883, 2891, 2949, 2951, 2966.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/30/13/2012 (एन.)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।